34वीं वार्षिक रिपोर्ट 2020-21

आज़ादी का अमृत महोत्सव











इरेडा
IREDA

आईएसओ 9001 : 2015, आईएसओ/आईईसी, 27001 : 2013 प्रमाणित
(एक मिनी रत्न श्रेणी-1 पीएसयू)

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

शाश्वत ऊर्जा



हमारा विजन

देश में किफाइती, स्केलेबिलिटी और स्थिरता स्थापित करने की दिशा में नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार और परिवर्तन /संक्रमण

हमारा मिशन

"स्थायी विकास के लिए अक्षय स्रोतों द्वारा ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरणीय प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर निवेश को प्रोत्साहित व वित्तपोषित करने वाली एक अग्रणी, प्रतिभागियों की हितैषी एवं प्रतियोगी संस्था के रूप में बने रहना।

गुणवत्ता नीति

इरेडा, अपने ग्राहकों के लिए सम्पूर्ण संतुष्टि और पारदर्शिता प्रदान करने के लिए कुशल प्रणालियों और प्रक्रियाओं के माध्यम से अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षताध्संरक्षण तथा पर्यावरणीय प्रोद्योगिकियों में नवीन वित्तपोषण प्रदान करने के लिए अग्रणी संगठन के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

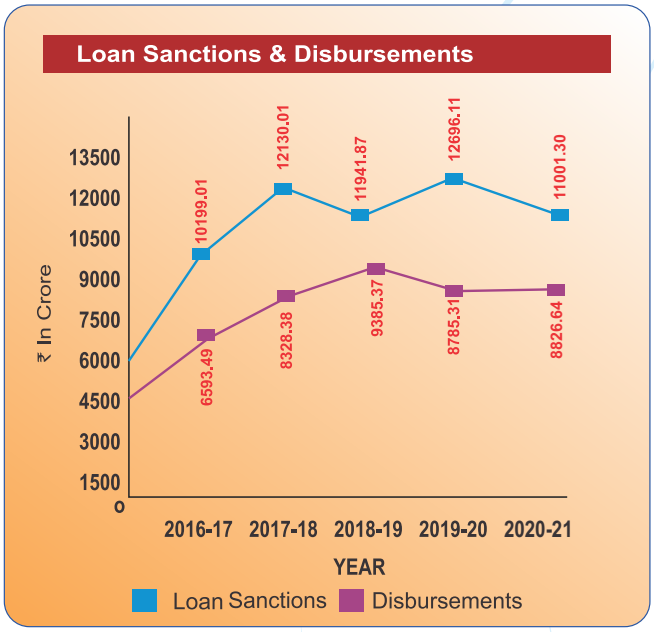
इरेडा प्रभावी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों के माध्यम से अपने ग्राहकों को सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार के लिए प्रयास करेगा।

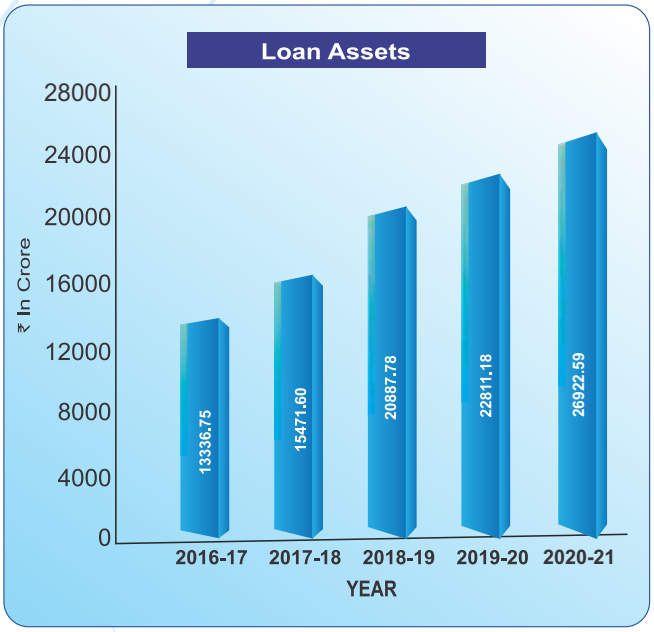
गुणवत्ता उद्देश्य

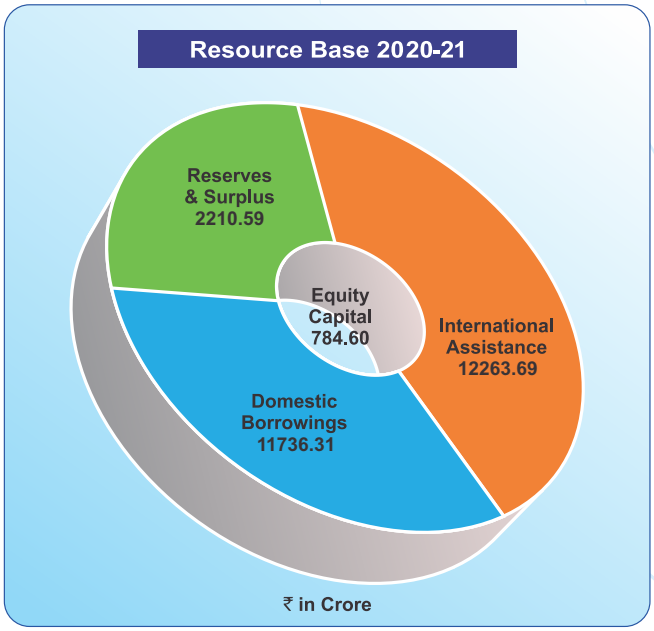
- ग्राहक की पूर्ण संतुष्टि के लिए प्रयास करना
- कर्मचारियों के पेशेवर कौशल में क्षमता और सुधार के लिए निरंतर उन्नयन
- ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं की क्षमता में सुधार
- प्रणालियों, प्रक्रियाओं और सेवाओं में निरंतर सुधार

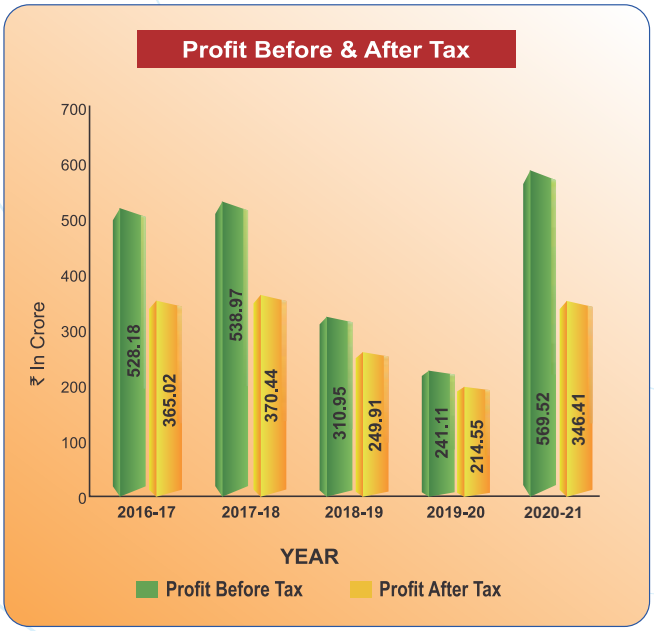


निष्पादन की मुख्य विशेषताएं







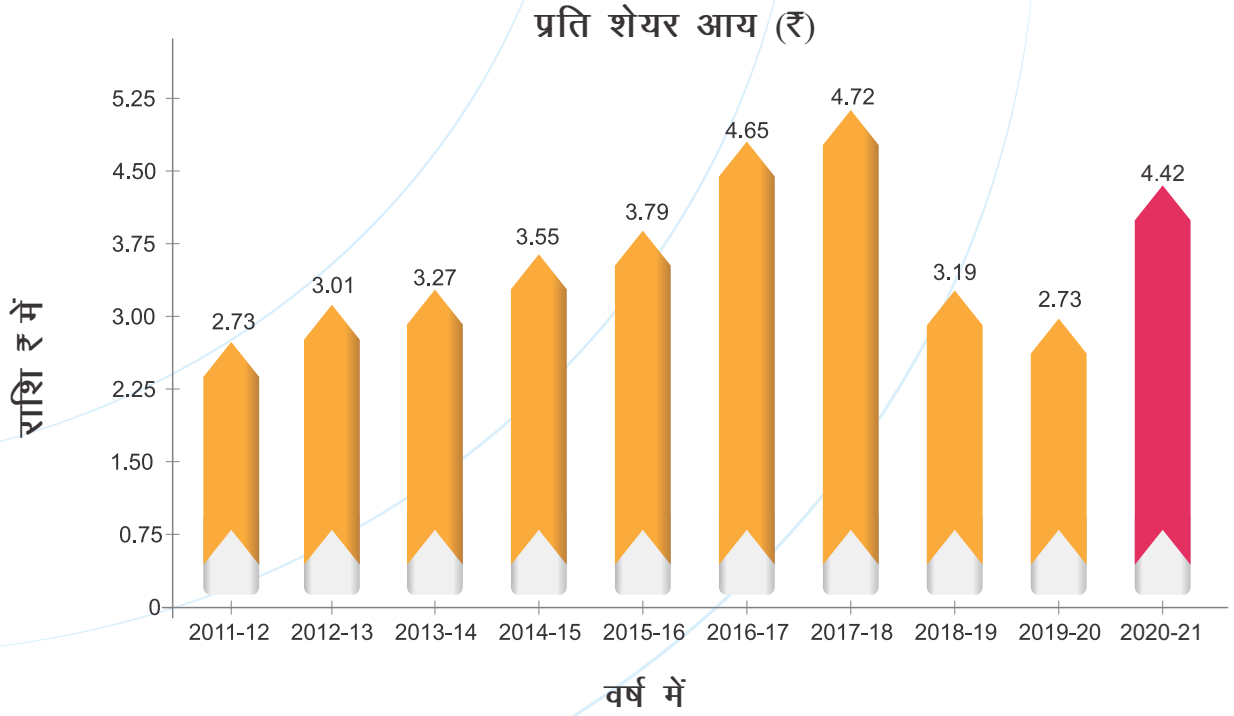


(₹ करोड़ में)

संसाधन	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
इक्विटी पूंजी	784.60	784.60	784.60	784.60	784.60
आरक्षितयां और अधिशेष	1725.41	1628.23	1799.37	1736.72	2210.59
अंतरराष्ट्रीय उधार राशियां	7871.61	9895.10	11850.80	12576.04	12263.69
घरेलू उधार राशियां	5177.22	5097.83	6902.12	9277.51	11736.31
कुल	**15558.84**	**17405.76**	**21336.89**	**24374.86**	**26995.19**

प्रचालन	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
ऋण संस्वीकृतियां	10199.01	12130.01	11941.87	12696.11	11001.30
ऋण संवितरण	6593.49	8328.38	9385.37	8785.31	8826.64
उधारकर्ताओं द्वारा चुकौतियां	3370.37	6199.12	3819.95	6621.72	4814.75
निवल बकाया ऋण (केवल इरेडा)	13336.75	15471.60	20887.78	22811.18	26922.59

कार्यशील परिणाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
कुल आय	1481.67	1813.18	2022.21	2372.38	2658.63
कर पूर्व लाभ	528.18	538.97	310.95	241.11	569.52
कर पश्चात लाभ	365.02	370.44	249.91	214.55	346.41
आय प्रति शेयर (10 रुपए का एफवी)	**4.65**	**4.72**	**3.19**	**2.73**	**4.42**





विषय सूची

1.	निदेशक मंडल	7
2.	सूचना	9
3.	अध्यक्षीय भाषण	13
4.	निदेशकों की रिपोर्ट	20
5.	प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	81
6.	स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और सीएजी की टिप्पणियां	92
7.	स्टैंडअलॉन बैलेंस शीट	109
8.	स्टैंडअलॉन लाभ हानि विवरण	111
9.	इक्विटी में बदलाव का स्टैंडलॉन विवरण	113
10.	स्टैंडअलॉन नकदी प्रवाह का विवरण	115
11.	स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण की टिप्पणियां	117
12.	समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और सीएजी की टिप्पणियां	242
13.	समेकित बैलेंस शीट	252
14.	समेकित लाभ और हानि का विवरण	254
15.	इक्विटी में बदलाव का समेकित विवरण	256
16.	समेकित नकदी प्रवाह का विवरण	258
17.	समेकित वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां	260

कंपनी संबंधी सूचना

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	श्री प्रदीप कुमार दास (06.05.2020 से) श्री बी.पी. यादव (02.01.2020 से 06.05.2020 तक)
अन्य निदेशकगण	श्री चिंतन शाह श्री विमलेंद्र ए. पटवर्धन श्री दिनेश दयानन्द जगदले (08.07.2021 से) श्री बी.पी. यादव (12.06.2020 से 08.07.2021 तक) श्री अमितेश कुमार सिन्हा (12.06.2020 तक) सुश्री मधुसरी एम. स्वामी (18.03.2021 तक) डॉ. गागिडी एम. रेड्डी (18.03.2021 तक) श्री संजय कुमार जैन (01.08.2020 तक) श्री अभिषेक महावर (13.09.2020 तक)
कंपनी सचिव	श्री सुरेन्द्र सुयाल
पंजीकृत कार्यालय	इंडिया हैबिटेट सेंटर कोर 4 'ए', ईस्ट कोर्ट पहली मंजिल, लोधी रोड, नई दिल्ली– 110003
मुख्य व्यवसायिक कार्यालय	तीसरी मंजिल, अगस्त क्राति भवन भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली– 110066
वैधानिक लेखा परीक्षक	मेसर्स डीएसपी एंड एसोसिएटस चार्टर्ड अकाउंटेट 783, देशबन्धु गुप्ता रोड, नियर फैज रोड क्रोसिंग, करोल बाग, नई दिल्ली– 110005
सचिवीय लेखा परीक्षक	मेसर्स पीसी जैन एंड कंपनी कंपनी सेक्रेटरी 2382, सेक्टर–16, फरीदाबाद, हरियाणा–121002
बैंकर्स	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नैशनल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा केनरा बैंक यस बैंक बैंक ऑफ इंडिया एचडीएफसी बैंक

निदेशक मंडल

(04 सितम्बर, 2021 के अनुसार)



श्री प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 07448576)



श्री चिंतन शाह
निदेशक (तकनीकी)
(डीआईएन: 07795952)



श्री विमलेंद्र ए. पटवर्धन
सरकार के नामित निदेशक
(डीआईएन : 08701559)



श्री दिनेश दयानंद जगदले
सरकार के नामित निदेशक
(डीआईएन: 03344721)

इरेडा का वरिष्ठ प्रबंधन

(04 सितम्बर, 2021 के अनुसार)



सुश्री मनीषा सक्सेना
मुख्य सतर्कता अधिकारी



डॉ. आर.सी. शर्मा
महाप्रबंधक (एफ एंड ए) और सीएफओ



डॉ. पी. श्रीनिवासन
महाप्रबंधक (एचआर– नीति और रणनीति गतिविधियां)



श्री सोम पाल
महाप्रबंधक (टीएस) और सीआरओ



श्री आर.के. विमल
अपर महाप्रबंधक (टीएस)



श्री ए.बी. किरण
अपर महाप्रबंधक (विधि)



श्री सुरेन्द्र सुयाल
अपर महाप्रबंधक (एफ एंड ए) और सीएस



श्री खेकिहो येप्थो
अपर महाप्रबंधक (टीएस)



सुश्री देबजानी भाटिया
अपर महाप्रबंधक (टीएस)



श्री एस.के. डेय
अपर महाप्रबंधक (टीएस)

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा) के सदस्यों की 34वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) अल्प सूचना पर, **मंगलवार, 28 सितंबर, 2021 को दोपहर 12.30 बजे टामारिंड हॉल, पहली मंजिल, हैबिटेट वर्ल्ड, इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली–110003** में निम्नलिखित मामलों को संपादित करने के लिए आयोजित की जाएगी:

सामान्य मामले:

1. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित स्वचलित और समेकित वित्तीय विवरणों को प्राप्त करने, विचार करने और अपनाने के साथ–साथ निदेशक मंडल और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट।

विशेष मामले:

2. **वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन।**

निम्नलिखित संकल्प को संशोधन(नों) के साथ अथवा उनके बगैर विमर्शित करने तथा यदि उपयुक्त पाया जाता है तो इसे **सामान्य संकल्प** के तौर पर पारित करने के लिए:

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी नियमावली, 2014 के नियम 14 के साथ पठित धारा 148, कंपनी (लागत अभिलेख एवं लेखा परीक्षा) नियमावली, 2014 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य सभी लागू प्रावधानों के क्रम में संकल्प किया जाता है कि, मैसर्स चंद्र वाधवा एवं कंपनी, लागत लेखाकार, (संस्था पंजीकरण संख्या 000239), वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी के लागत लेखाकार जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा, कर सहित ₹ 50,000 (पचास हजार रुपये मात्र) वार्षिक पारिश्रमिक पर (कर्मचारी द्वारा किए गए खर्च सहित), जिसका भुगतान मैसर्स मैसर्स चंद्र वाधवा एवं कंपनी, (संस्था पंजीकरण संख्या 000239), लागत लेखाकार को किया जाना है, पर नियुक्त किया गया है तथा इस नियुक्ति की एतद्द्वारा पुष्टि और अंगीकार किया जाता है।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

हस्ता./–
(सुरेन्द्र सुयाल)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. ए11900

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक:

टिप्पणी:

1. **वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भाग लेने व मतदान करने के हकदार एक सदस्य अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने व मतदान करने के लिए एक प्रतिनिधि को नियुक्त करने का हकदार है तथा आवश्यक नहीं है कि वह प्रतिनिधि कंपनी का एक सदस्य हो। प्रभावी होने के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक से कम से कम 48 घंटे पहले प्रतिनिधि की सूचना प्रस्तुत की जानी चाहिए। प्रतिनिधि की सूचना से संबंधित एक रिक्त प्रपत्र संलग्न है। तथापि, इस प्रकार नियुक्त प्रतिनिधि को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।**
2. कंपनी अधिनियम, 2013 **('अधिनियम')** की धारा 102 के अनुसार वार्षिक आम बैठक में संपादित किए जाने वाले विशिष्ट मामलों से संबंधित एक व्याख्यात्मक विवरण संलग्न है।
3. बैठक का आयोजन, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आवश्यक एक अल्प सूचना देकर किया गया है। शेयरधारकों की सहमति प्राप्त कर ली गई है।
4. उपस्थिति पत्र एवं वार्षिक आम बैठक के आयोजन स्थल का रूट मैप एतद्द्वारा सलग्न है।

व्याख्यात्मक विवरण
(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102(1) के क्रम में)

विषय संख्या. 2

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन

कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के साथ पठित, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अनुसार लागत लेखा परीक्षक की नियुक्ति निदेशक मंडल द्वारा ऐसे पारिश्रमिक पर की जाएगी जिसे सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाए। कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के तहत, बोर्ड को लागत लेखा परीक्षक की नियुक्ति करते समय उन्हें देय पारिश्रमिक को मंजूरी देनी होती है और मंडल द्वारा अनुमोदित पारिश्रमिक को शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तदनुसार, लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश के अनुसार, मैसर्स चंद्र वाधवा एवं कंपनी, (संस्था पंजीकरण संख्या 000239) को वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी के लागत लेखाकार जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा, लागू करों सहित ₹50,000 (पचास हजार रुपये मात्र)

वार्षिक पारिश्रमिक पर (कर्मचारी द्वारा किए गए खर्च सहित) नियुक्त किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, सूचना के विषय सं. 2 में निर्धारितानुसार एक सामान्य संकल्प पारित करते हुए शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा गया है।

श्री दिनेश डी. जगदाले, निदेशक (सरकारी नामिती) , जिनके पास भारत सरकार के राष्ट्रपति की ओर से इरेडा के 100 इक्विटी शेयर हैं, को छोड़कर कंपनी के निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों या उनके रिश्तेदारों में से कोई भी उपरोक्त संकल्प में वित्तीय या अन्यथा संबंधित रुचि नहीं रखता है।

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल एक साधारण संकल्प के रूप में मद संख्या 2 में निर्धारित संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

हस्ता./–
(सुरेन्द्र सुयाल)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. ए11900

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक:



इरेडा की 33वीं आम बैठक दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को नई दिल्ली में आयोजित हुई।

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

CIN:U65100DL1987GOI027265

पंजीकृत कार्यालय : कोर–4'ए', प्रथम तल, ईस्ट कोर्ट, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003

फोनः 011–24682214 / फैक्सः 91–11–24682202. वेबसाइट: www.ireda.in ईमेल: cmd@ireda.in

उपस्थिति पर्ची

34वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन मंगलवार, 28 सितंबर 2021 को 12.30 बजे टैमरिंड हॉल, इंडिया हैबिटैट सेंदर, नई दिल्ली–110003 में होना सुनिश्चित है।

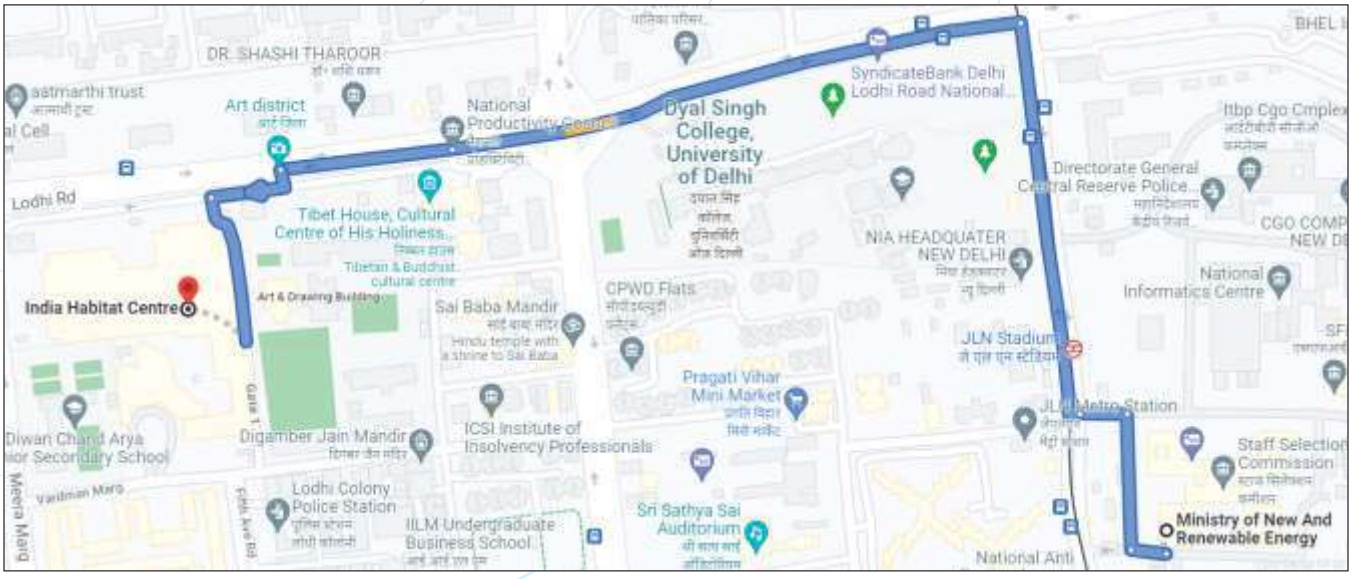
भाग लेने वाले सदस्य का नाम (बडे अक्षरों में)	
'फोलियों सं.	
डीपी आईडी सं.–क्लाइंट आईडी सं.	
धारित शेयरों की संख्या	
प्रतिनिधि का नाम	

मै, एतद्वारा मंगलवार, 28 सितंबर, 2021 को 12.30 बजे आयोजित होने वाली वार्षिक आम बैठक में अपना प्रतिभाग दर्ज करता हूं।

सदस्य / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

'भौतिक रूप में शेयर धारित करने के मामले में लागू।

एजीएम के स्थान का रूट मैप



भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)
CIN:U65100DL1987GOI027265
पंजीकृत कार्यालय : कोर–4'ए', प्रथम तल, ईस्ट कोर्ट, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003
फोनः 011–24682214 / फैक्सः 91–11–24682202. वेबसाइट: www.ireda.in ईमेल: cmd@ireda.in

प्रॉक्सी फार्म

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 (6) तथा कंपनी प्रबंधन एवं प्रशासन नियम, 2014 के नियम 19 (3) के अनुसार]

सदस्य(यों) का नामः पंजीकृत पताः ई–मेल आईडीः फोलियो सं. एवं डीपी आईडी–क्लाइंट आईडीः

मै / हम ————————————————,उपरोक्त नामित कंपनी के..... शेयरों के सदस्य(यों) के तौर पर, एतद्वारा निम्नलिखित को नियुक्त करते हैं

1. नाम : ..... ई–मेल आईडीः .....
   पता : ..... हस्ताक्षरः ..... अथवा उसे विफल करना
1. नाम : ..... ई–मेल आईडीः .....
   पता : ..... हस्ताक्षरः .....

मंगलवार, 28 सितंबर, 2021 को दोपहर 12.30 बजे टैमरीन्ड हॉल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली–110003 में और उसके किसी भी स्थगन पर ऐसे संकल्प के संबंध में जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, होने वाली कंपनी की 34वीं वार्षिक आम बैठक में मेरे / हमारे लिए और मेरी / हमारी ओर से उपस्थित होने और (मतदान पर) मतदान करने के लिए मेरे / हमारे प्रतिनिधि के रूप में:

विषय सं.	विषय	के लिए	के विरूद्ध
सामान्य विषयः			
1.	31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित स्वचलित और समेकित वित्तीय विवरणों को प्राप्त करने, विचार करने और अपनाने के साथ–साथ निदेशक मंडल और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट।		
विशेष विषयः			

-------2021 को हस्ताक्षरित।

रसीदी टिकट चिपकाए

शेयरधारक के हस्ताक्षर ————————————————————

प्रतिनिधि धारक(कों) के हस्ताक्षर————————————————————

नोट: प्रभावी होने के लिए प्रतिनिधि के इस प्रपत्र को विधिवत रूप से भरकर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले जमा किया जाना चाहिए।

अध्यक्षीय सम्बोधन



प्रिय शेयरधारको,

मुझे आपकी कम्पनी के प्रचालन के दौरान 34वें वर्ष का प्रदर्शन आपके समक्ष रखते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है। पूरा विश्व कोविड–19 महामारी के रूप में एक अभूतपूर्व स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है, जिसकी वजह से सभी क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान पड़ा और वैश्विक स्तर पर आर्थिक गतिविधियां बाधित हुईं। वैश्विक के साथ–साथ भारतीय अर्थव्यवस्था भी लंबे समय तक और दोहरे लॉकडाउन से गुजरी हैं। बहरहाल, इस चुनौतीपूर्ण समय ने अपना अस्तित्व बनाए रखने और कारोबार करने के नए तरीके दिखाए हैं। जबकि यह वर्ष प्रचालन और व्यावसायिक दोनों मोर्चों पर चुनौतियों से भरा था, मैं यह बताना चाहता हूं कि, इरेडा ने अपनी समर्पित मानवशक्ति और सतत विकास के प्रति अडिग प्रतिबद्धता के साथ, अक्षय ऊर्जा (आरई) क्षेत्र पर केंद्रित भारत के अग्रणी वित्तीय संस्थान के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है।

महामारी के दौर के बावजूद, इरेडा ने वर्ष 2020–21 को (अपनी स्थापना के बाद से) ₹8,827 करोड़ की धनराशि के दूसरे सर्वाधिक ऋण संवितरण सहित पूरा किया, जबकि पिछले वर्ष में ₹241.11 करोड़ की राशि से 136.20% की वृद्धि के साथ ₹569.52 करोड़ का सर्वकालिक सर्वाधिक करपूर्व लाभ था और पिछले वर्ष के दौरान 7.18 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष में 5.61 प्रतिशत एनपीए था, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 22 प्रतिशत की महत्वपूर्ण कमी को दर्शाता है। यह वास्तव में आपकी कंपनी की वैश्विक महामारी की स्थिति को एक अवसर और अप्रत्याशित संक्रमण का प्रबंधन करने की अनुकूलन क्षमता में बदलने की क्षमता को इंगित करता है। मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में हम अपने राष्ट्र को ऊर्जा पर्याप्त, ऊर्जा कुशल और ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनाते हुए, इरेडा को नई ऊंचाइयों को छूते हुए देखेंगे।

वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य

नए ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा आपूर्ति के क्षेत्र में नई कम्पनियों के प्रवेश के साथ वैश्विक बिजली क्षेत्र लगातार बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। जबकि ऊर्जा से संबंधित सीओ2 उत्सर्जन में 2010 के बाद से औसतन प्रति वर्ष 1% की वृद्धि हुई है, ऊर्जा परिदृश्य एक क्रांति के दौर से गुजर रहा है, जिसमें ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। वर्ष 2040 तक 100 से अधिक देशों ने कार्बन तटस्थता का वादा किया है और इस तरह की कई और प्रतिबद्धताओं का उदय हो रहा है।

इरेना के अनुसार, अक्षय क्षमता वृद्धि में 2020 में 260 गीगावाट की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है, जो 2019 की वृद्धि से 50% अधिक है।

अक्षय ऊर्जा में रोजगार के अवसर 2050 तक वैश्विक स्तर पर 42 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो कि नवीकरणीय ऊर्जा पर निवेश के बढ़ते फोकस के माध्यम से उनके वर्तमान स्तर से चार गुना है। ऊर्जा दक्षता के उपायों और प्रणाली में लचीलेपन से क्रमशः 21 मिलियन और 15 मिलियन अतिरिक्त रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। कॉरपोरेट मोर्चे पर इसी तरह की घोषणाओं ने दुनिया भर में गति पकड़ी है जिसमें दुनिया भर के संगठन कार्बन मुक्त पहल कर रहे हैं।

पवन और सौर ऊर्जा की गिरती लागत से नवीकरणीय ऊर्जा में बढ़े हुए निवेश के लिए रास्ता तैयार हो रहा है, जो अब ऊर्जा उत्पादन और सोर्सिंग के लिए पसंदीदा तरीका है। नई क्षमता वृद्धि में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी में लगातार दूसरे वर्ष उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

सरकार की पहलें और भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र

भारत सरकार अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से पिछले 6–7 वर्षों से अनुकूल नीतियों और विनियमों को लागू करने पर पूरी तरह से अग्रसक्रिय रही है। भारत अक्षय ऊर्जा उत्पादन के विकास के लिए अभिनव बाजार तंत्र और व्यापार मॉडल, संस्थागत मजबूती, क्षमता निर्माण और मांग निर्माण उपायों के लिए आक्रामक रूप से जोर दे रहा है।

प्रमुख सक्षमता और अत्याधुनिक तकनीकों के साथ विनिर्माण क्षेत्र को सतत आधार पर दोहरे अंकों में विकसित करने के लिए बजट 2021–22 में एक उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की घोषणा की गई है। सरकार ने वित्त वर्ष 2021–22 से शुरू होने वाले 5 वर्षों के दौरान लगभग ₹1.97 लाख करोड़ की प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें 'आत्मनिर्भर भारत मिशन' के तहत ''उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल'' के निर्माण के लिए ₹4500 करोड़ शामिल हैं, जिसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा और जिसमें इरेडा, सोलर पीवी निर्माण में स्केल और साइज लाने, वैश्विक चैंपियन का निर्माण उनका पोषण करने और युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी है।

इसी तरह की अन्य नीतियों में एफएएमई (फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल) योजना के तहत स्वदेशी प्रौद्योगिकी में और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सौर मॉड्यूल्स और सेल्स के आयात पर मूल सीमा शुल्क लगाना, 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक वाहन प्रवेश का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करना और 2021–22 में हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन के शुभारंभ की घोषणा करना शामिल है।।

भले ही वैश्विक आर्थिक स्थितियां अभी भी चुनौतीपूर्ण हैं, हमारे नीति निर्माताओं ने संभावित स्पिलओवर के खिलाफ इसे सहारा देने के लिए प्रतिरोधकों (बफर) का पुनर्निर्माण किया है। भारत सरकार ने आरई क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। माननीय प्रधान मंत्री आरई क्षेत्र के विकास का समर्थन करने और सतत विकास को बनाए रखने की दिशा में हरित ऊर्जा के कारण को बढ़ावा देने में सबसे आगे रहे हैं। भारत ने एक धारणीय विश्व के निर्माण की दिशा में बड़ी छलांग लगाई है और 2021 में अक्षय ऊर्जा देशों के आकर्षक सूचकांक में तीसरे स्थान पर था। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक उदार विदेशी निवेश नीति मौजूद है जिसमें स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। हाल के वर्षों में वैश्विक और भारतीय निवेशकों की ओर से भारत के आरई क्षेत्र में निवेश में उछाल देखा गया है।

भारत में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र ग्रिड से जुड़ी बिजली उत्पादन क्षमता में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरा है। भारत में अक्षय ऊर्जा क्षमता में 2014 से 2021 के बीच 250 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आज भारत स्थापित आरई क्षमता के मामले में दुनिया में चौथे स्थान पर, सौर ऊर्जा में पांचवें और पवन ऊर्जा में स्थापित क्षमता के मामले में चौथे स्थान पर है। भारत ने अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की अपनी महत्वाकांक्षा को भी बढ़ाकर वर्ष 2030 तक 450 गीगावॉट किया है। यदि बड़े हाइड्रो को शामिल किया जाता है तो स्थापित आरई क्षमता 146 गीगावॉट तक बढ़ जाती है। जैसे–जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ती है, बिजली की खपत 2012 में 4,926 टीडब्ल्यूएच से बढ़कर 2040 में 15,280 टीडब्ल्यूएच तक पहुंचने का अनुमान है।

यद्यपि हमारे देश में विशाल आबादी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था द्वारा संचालित अपनी आवश्यक ऊर्जा जरूरतों की तुलना में पर्याप्त पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों की कमी है, भारत यह मानते हुए कि बंजर भूमि का 3% सौर पीवी मॉड्यूल द्वारा कवर किया जाएगा, जमीनी स्तर, से 120 मीटर ऊपर लगभग 695 गीगावॉट की पवन ऊर्जा क्षमता और लगभग 748 गीगावॉट की विशाल सौर क्षमता से संपन्न है। पूर्वोत्तर राज्यों में जलविद्युत क्षेत्र में व्यापक संभावनाओं का पता लगाने के साथ, भारत अक्षय स्रोतों से आने वाली कुल स्थापित क्षमता के 26 प्रतिशत को रेखांकित करता है। भारत सरकार सौर, वित्तीय और नीति क्षेत्रों में मानव और संगठनात्मक क्षमताओं की उपलब्धता को मजबूत करने और सौर प्रौद्योगिकियों, निवेशों और बाजारों में प्रगति को ध्यान में रखते हुए कारोबार मॉडल और नीतियों में लगातार सुधार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

निष्पादन की मुख्य बातें

मैं आपके समक्ष मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आपकी कंपनी के प्रचालन और वित्तीय परिणामों की एक व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करता हूं:

आपकी कंपनी की सकल आय, पिछले वर्ष की ₹2,372.38 करोड़ की सकल आय की तुलना में 12.07 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए

बढ़कर ₹2,658.63 करोड़ हो गई। वित्तीय वर्ष 2020–21 के अंत में कर पूर्व लाभ (पीबीटी) बढ़कर ₹569.52 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष के ₹241.11 करोड़ के पीबीटी की तुलना में 136.20% की अभूतपूर्व वृद्धि को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के अंत में कर पश्चात लाभ (पीएटी) बढ़कर ₹346.41 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष के ₹214.55 करोड़ के पीएटी की तुलना में 61.46 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। आपकी कंपनी का निवल मूल्य अब ₹2,995.19 करोड़ है। इरेडा, जो एक एनबीएफसी है, की ऋण पुस्तिका 2019–20 के अंत में ₹23,548 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2021 को ₹27,854 करोड़ हो गई है। एनपीए में 2019–20 में समाप्त वर्ष में 7.18 प्रतिशत की तुलना में 31 मार्च 2021 को 5.61 प्रतिशत हुआ है, जो 22 प्रतिशत की निवल कमी को दर्शाता है।

प्रति शेयर आय मार्च 2020 को समाप्त ₹2.73 से बढ़कर मार्च 2021 (को समाप्त) ₹4.42 हो गई है जो पिछले वर्ष की तुलना में ~62 प्रतिशत की वृद्धि है। पूंजी पुनर्संरचना के संबंध में डीआईपीएएम के दिशानिर्देशों के अनुसार, आपकी कंपनी द्वारा करोपरांत लाभ के 30 प्रतिशत या निवल मूल्य के 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, पर न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। तथापि, वित्त वर्ष 2020–21 के लिए, आपकी कंपनी ने बढ़ी हुई निवल संपत्ति के कारण उच्च जोखिम सीमाओं को बनाए रखने के लिए लाभांश के भुगतान से छूट प्राप्त की है।

आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान विभिन्न पहलुओं में उल्लेखनीय प्रगति दिखाते हुए महत्वपूर्ण उपलब्धियों का एक और वर्ष दिया है। वैश्विक कोविड –19 महामारी के बावजूद, यह वर्ष क्रमशः ₹11,001. 30 करोड़ और ₹8,826.64 करोड़ की राशि के संस्वीकृत और संवितरित ऋणों के साथ प्रभावशाली वृद्धि का साक्षी रहा। वर्ष के अंत तक संचयी संस्वीकृतियां और संवितरण क्रमशः ₹96,601.19 करोड़ और ₹63,115.90 करोड़ था। आगामी वर्षों में, आपकी कंपनी अपने सभी हितधारकों के मूल्य को बढ़ाने और सतत विकास को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करेगी।

सह–वित्तपोषित परियोजनाओं/अधिग्रहण ऋणों सहित वर्ष के दौरान स्वीकृत ऋणों से पिछले वर्ष के 5673.48 मेगावाट की तुलना में 6929.82 मेगावाट की क्षमता वृद्धि में सहायता मिलेगी।

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने कर योग्य अधीनस्थ टियर–।। बांडों के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से घरेलू बॉन्ड बाजार से ₹500 करोड़ की राशि जुटाई। ये बांड 7.74 प्रतिशत प्रति वर्ष की कूपन दर के साथ 10 वर्ष की परिपक्वता के साथ जारी किए गए थे। आपकी कंपनी एक अग्रणी आरई फाइनेंसर है, जो देश में आरई विस्तार के विकास में योगदान करती है।

आरई क्षेत्र में हो रहे तेजी से विकास को ध्यान में रखते हुए, आपकी कंपनी ने अपने प्रचालन के दायरे में विस्तार करने के लिए एक महत्वपूर्ण और उत्प्रेरक भूमिका निभाई है और अब यह ट्रांसमिशन, वितरण कंपनियों, ऊर्जा भंडारण, ई–मोबिलिटी और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और/या ऊर्जा संरक्षण और/या अन्य पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों से जुड़ी हुई किसी अन्य परियोजना/योजना/गतिविधि के लिए वित्तपोषण प्रदान कर सकती है। आपकी कंपनी पारदर्शिता, व्यापार करने में सुगमता और प्रक्रिया दक्षता में सुधार सुनिश्चित करने के लिए अपने संचालन और सेवाओं का डिजिटलीकरण कर रही है। आपकी कंपनी अपने ग्राहकों को इरेडा कार्यालय में आए बिना अधिकाधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने सिस्टम और एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में सुधार करने की प्रक्रिया में है। इरेडा ने तीन परियोजनाओं को डिजिटल प्रक्रियाओं के माध्यम से बिना इरेडा कार्यालय में उधारकर्ताओं के वास्तविक आगमन के बिना फेसलेस मंजूरी प्रदान की है, जबकि उधारकर्ताओं को केवल ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए इरेडा कार्यालय में बुलाया गया।

नीति और प्रचालनिक पहलें

मैं आपकी कंपनी द्वारा हमारे कारोबार प्रचालनों में वृद्धि की आकांक्षाओं को पूरा करने के वर्ष के दौरान की गई निम्नलिखित प्रमुख पहलों को आपके साथ साझा करना चाहता हूं।

- पात्र उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान करने और जीईसीएल सहायता के लिए 100% गारंटी कवरेज मुहैया कराने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के नाम से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विशेष योजना की तर्ज पर ''गारंटीशुदा आपातकालीन क्रेडिट लाइन (जीईसीएल)'' की शुरुआत

- बड़े पैमाने पर लॉकडाउन के दौरान व्यवहार्य व्यवसायों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए कोविड–19 महामारी के प्रसार के कारण व्यवधानों के कारण उत्पन्न ऋण सेवा के बोझ को कम करने के लिए सावधि ऋण की किश्तों के अधिस्थगन के लिए योजना का विस्तार

- एनबीएफसी सहित सभी ऋणदाता संस्थाओं को, विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन, ऐसे जोखिम को मानक के रूप में वर्गीकृत करते हुए स्वामित्व में परिवर्तन किए बिना भी पात्र कॉरपोरेट जोखिम के संबंध में एक संकल्प योजना (आरपी) के कार्यान्वयन के ऊपर, सक्षम बनाने के लिए आरबीआई के दिनांक 06.08.2020 और 07.09.2020 के परिपत्रों के अनुपालन में इरेडा की ''कोविड–19 से संबंधित दवाब के लिए समाधान हेतु नीति'' की शुरुआत।

- ऐसे उधारकर्ताओं को, जिनके प्रचालन कोविड 19 महामारी से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षताः प्रभावित हुए, कुछ हद तक राहत प्रदान करने के लिए ''कोविड–19 के अंतर्गत आवधिक ऋणों

के अवशिष्ट टेनर सहित पुनर्भुगतान अनुसूची के परिवर्तन और ब्याज की किश्तों के आस्थगन के लिए इरेडा की नीति रूपरेखा'' की शुरुआत

- उन मामलों में ''आवेदकों को सैद्धांतिक ऋण स्वीकृति प्रदान करने की नीति'' की शुरुआत, जहां विनियामक/सरकारी अनुमोदन, वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा ऋण की सैद्धांतिक स्वीकृति से जुड़े हैं या संकाय में शामिल अन्य संस्थानों द्वारा ऋण, इरेडा द्वारा ऋण की सैद्धांतिक स्वीकृति से जुड़े हुए हैं ।

- वितरण कम्पनियों/अन्य सरकारी निकायों से बढ़ती क्रेडिट मांग को पूरा करने के लिए ''सरकारी निकायों को अल्पावधिक ऋणों'' से संबंधित नीति में संशोधन।

- ''पूर्व–भुगतान नीति'' में संशोधित ताकि इसमें इरेडा को कम से कम 30 दिन का पूर्व लिखित नोटिस देने के बाद ब्याज संशोधन तिथि से 30 दिन के भीतर उधारकर्ता द्वारा ऋण के पुनर्भुगतान का विकल्प शामिल किया जा सकें।

- 15 मेगावाट तक की छोटी हाइड्रों परियोजनाओं के लिए तक इरेडा के ऋण जोखिम में परियोजना लागत के 70 प्रतिशत संशोधन

- इरेडा ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास में तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए एसजेवीएन लिमिटेड और एनएचपीसी लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

- ''भावी नकदी प्रवाह के प्रतिभूतिकरण के सापेक्ष ऋण'' योजना के तहत अधिकतम ऋण चुकौती अवधि को परियोजना के नकदी प्रवाह और अन्य वित्तीय मापदंडों के आधार पर, संवितरण की तारीख से 15 वर्ष या पीपीए के शेष जीवन का 80%, जो भी कम हो, विस्तार प्रदान किया गया है।

- संवितरण प्रक्रिया, संचालन और वित्तीय प्रक्रियाओं को सरल और कुशल बनाया गया है। समर्पित वित्तीय सहमति टीमें आरंभ करे क्रेडिट मूल्यांकन प्रक्रिया / तंत्र को मजबूत किया गया है।

- इरेडा ने प्रचलित सरोकारों को समझने और प्रचालन, दक्षता और व्यवसाय विकास में नियमित सुधार के लिए बाजार और उद्योग प्रतिक्रिया के आधार पर आपकी कंपनी की उपलब्धियों और पहलों, जैसे लागू ब्याज दरों में कमी, एक्सपोजर मानदंड, शक्तियों का प्रत्यायोजन आदि को परिलक्षित करने के लिए अपने उधारकर्ताओं के साथ त्रैमासिक वार्ताएं शुरू की हैं ।

- उपलब्ध मानव संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए योग्यता विश्लेषण अध्ययन करने और योग्यता अंतराल को कम करने की योजना स्थापित करने के लिए प्रत्येक कर्मचारी स्तर पर कार्य मूल्यांकन किया जा रहा है।

- नवीनतम आईटी प्रौद्योगिकी और प्रणालियों का कार्यान्वयन, जिसमें कार्यालय 365, डेटा लीक संरक्षण और सूचना सुरक्षा प्रणाली, संपर्क रहित उपस्थिति के लिए चेहरा पहचान बायोमेट्रिक उपस्थिति मशीनों की स्थापना और क्लाउड–आधारित ईआरपी के कार्यान्वयन के लिए चल रही प्रक्रिया – डायनेमिक्स 365 शामिल हैं।



इरेडा ने अक्षय ऊर्जा परियोजना के विकास हेतु अपनी पेशेवर विशेषज्ञ प्रदान करने के लिए टीएएनजीईडीसीओ के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया।



इरेडा ने भुवनेश्वर, ओडिशा में अपनी चौथी शाखा कार्यालय खोला।

- व्यवसाय करने में सुगमता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए, वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, आपकी कंपनी ने मुंबई में जो ग्राहकों, उधारकर्ताओं और अन्य हितधारकों तक पहुंच और समर्थन में आसानी सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय पूंजी है, अपना तीसरा शाखा कार्यालय खोला है।

- इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2020–21 की समाप्ति के बाद, राज्य में अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के अवसरों का पता लगाने के लिए, आपकी कंपनी ने अपने ग्राहकों, उधारकर्ताओं , और अन्य हितधारकों की सुविधा के लिए देश में भुवनेश्वर, ओडिशा में अपना चौथा शाखा कार्यालय खोला है।

- वित्त वर्ष 2020–21 की समाप्ति के बाद, आपकी कंपनी ने अक्षय ऊर्जा परियोजना विकास, बोली प्रक्रिया प्रबंधन, कार्यान्वयन सहायता और धन उगाहने में अपनी पेशेवर विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टीएएनजीईडीसीओ) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

निगमित सामाजिक दायित्व

इरेडा का उद्देश्य समुदाय और पर्यावरण के लिए अपनी गतिविधियों के माध्यम से एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र सृजित है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षा के अनुपालन में, हमने वित्तीय वर्ष 2020–21 में सीएसआर गतिविधियों के लिए ₹7.27 करोड़ का बजटीय आवंटन किया है। वर्ष के दौरान, इरेडा द्वारा प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि में राहत (पीएम–केयर्स) फंड में योगदान और स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों के लिए पीपीई किट, मास्क प्रदान करने, महामारी के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों में सहायता करने के लिए बलरामपुर और चंदौली आकांक्षी जिलों में अस्पताल/ संगरोध केंद्र और कोविड के लिए उपयुक्त व्यवहार प्रचार सामग्री सहित गतिविधियों के एक व्यापक स्पेक्ट्रम के लिए ₹ 9.02 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। ।

इरेडा ने कोविड–19 की पहली और दूसरी लहरों को नियंत्रित करने के लिए कई पहल की हैं और एक अनुकरणीय 'कोविड केयर रिस्पांस टीम' का गठन किया है, जिसने भोजन और दवाओं की व्यवस्था और नियमित वितरण, मरीजों की अस्पताल में भर्ती, प्लाज्मा दान, ऑक्सीजन सांद्रता, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि सहित महत्वपूर्ण चरण में इरेडा से संपर्क करने वालों की लगातार देखभाल की है।

व्याप्त महामारी को ध्यान में रखते हुए, आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2020–21 के लिए पीएम केयर्स फंड में ₹7.50 करोड़ का योगदान दिया है। आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान उन परियोजनाओं के लिए सीएसआर गतिविधियों पर ₹16.42 करोड़ खर्च किए हैं जो वर्ष के दौरान पूर्ण/चल रही थीं। आपकी कंपनी अपनी व्यावसायिक योजनाओं के साथ घनिष्ठ एकीकरण में सार्थक सामुदायिक विकास में हृदय से अपना योगदान देना जारी रखेगी।

समझौता ज्ञापन की रेटिंग

वित्तीय वर्ष 2020–21 में नवीन और नवीकरणय ऊर्जा (एमएनआरई) के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार आपकी कम्पनी का निष्पादन ''उत्कृष्ट'' होने की आशा है।

मानव संसाधन विकास

इरेडा, अनुकूल कार्य नीतियां आरंभ करके अपनी मानव पूंजी की क्षमता को ईष्टतम करने के लिए प्रतिबद्ध है जो कार्य जीवन संतुलन की सुविधा प्रदान करती हैं, जिससे हमारे कार्यबल को उच्च स्तर की उत्पादकता सुनिश्चित करके कंपनी के रणनीतिक लक्ष्यों की उपलब्धि पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलती है। व्याख्यान श्रृंखला और अन्य केंद्रित विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कर्मचारियों के लिए कई विभागीय (इन–हाउस) आभासी प्रशिक्षण

कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान की गई। कॉर्पोरेट लक्ष्यों के अनुरूप विशिष्ट कौशल विकास सुनिश्चित करने के लिए आभासी कार्यक्रमों के संचालन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। वर्ष के दौरान, कंपनी ने कुल 526 मानव दिवसों का प्रशिक्षण प्राप्त किया।

कोविड–19 लॉकडाउन के दौरान, आपकी कंपनी ने अपनी सभी प्रतिबद्धताओं का सम्मान किया और सभी सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, सख्त सामाजिक दूरी का पालन करते हुए और कार्यालयों में हमारे कर्मचारियों की संख्या को कम करते हुए इसे प्राप्त करने में सक्षम हुई। इसका श्रेय टीम के सदस्यों के समर्पण को जाता है जिसने इस उपलब्धि को संभव बनाया। इरेडा ने सभी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम सुविधा को अपनाया। साथ ही उनका मनोबल बढ़ाने के लिए नियमित संवाद बनाए रखा। हम जिन लोगों और समुदायों के साथ काम करते हैं, उनकी देखभाल करना हमारे मूल मूल्यों में गहराई से निहित है। इरेडा ने कोविड–19 की पहली और दूसरी लहर को रोकने के लिए कई पहल की हैं और एक अनुकरणीय 'कोविड केयर रिस्पांस टीम' का गठन किया है, जिसने लगातार कोविड–19 पॉजिटिव कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों की देखभाल की है। टीम ने कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को नियमित रूप से परामर्श देकर और उन्हें भोजन और दवाओं की नियमित डिलीवरी, अस्पताल में भर्ती, प्लाज्मा दान, ऑक्सीजन सांद्रता, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि सहित सभी आवश्यक सहायता प्रदान करके मदद की। कंपनी के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए टीकाकरण अभियान भी चलाया गया था।

आपकी कंपनी ने कोविड–19 महामारी के तहत लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों की दक्षता में सुधार और उत्पादकता को सुविधाजनक बनाने के लिए ई–ऑफिस और 'वर्क फ्रॉम होम' के माध्यम से अधिकतम डिजिटलीकरण को अपनाया। इसके अलावा, इरेडा कर्मचारियों के शारीरिक फिटनेस के साथ मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए, 1 जुलाई 2021 से दैनिक आधार पर ध्यान सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इरेडा ने सभी कर्मचारियों के लिए अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में एक अच्छी तरह से सुसज्जित फिटनेस सुविधा भी शुरू की है। .

इरेडा ने सभी कोविड–19 प्रोटोकॉलों के तहत वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा और स्वच्छता – स्वच्छता और जागरूकता अभियान का आयोजन किया।

कॉरपोरेट शासन

निगमित शासन का सार आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तिगत और सामुदायिक लक्ष्यों के बीच सही संतुलन बनाए रखना है। आपकी कंपनी का मानना है कि, अच्छा निगमित शासन एक जीवनशैली है और जिस तरह से हम अपना व्यवसाय करते हैं, जिसमें हर दिन की गतिविधियां शामिल किया जाता है, यह हमारे काम करने के तरीके के हिस्से के रूप में निहित होता है। आपकी कंपनी सामाजिक दायित्वों, पर्यावरण और विनियामक अनुपालनों से समझौता किए बिना अपने सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य निर्माण में वृद्धि पर केंद्रित है। हमारे कार्य हमारे मूल्यों और सिद्धांतों द्वारा शासित होते हैं, जिन्हें संगठन के सभी स्तरों पर पुनरूप्रवर्तित किया जाता है। ये सिद्धांत हमारी मार्गदर्शक शक्ति रहे हैं और भविष्य में भी बने रहेंगे।

भावी रणनीतियां

इरेडा नवप्रयोग के माध्यम से और हमेशा परिवर्तनशील स्थान में पुनः स्थापना के माध्यम से विकास दर्ज करने के अपने विकासक्रम को जारी रखेगा। जीडब्ल्यू–स्केल के सौर मॉड्यूल की अत्यधिक कुशल घरेलू विनिर्माण क्षमता स्थापित करने और आयात निर्भरता में कमी के उद्देश्य से, भारत सरकार ने एमएनआरई के माध्यम से उत्पादन संबद्ध योजना संस्वीकृत की है। आरई क्षेत्र के विकास के लिए इरेडा की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, एमएनआरई ने आपकी कंपनी को उक्त योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया है। पांच साल की अवधि में पीएलआई के लिए वित्तीय परिव्यय रु. 4500 करोड़ है। इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) योजना चरण– II (सरकारी निर्माता योजना) के अनुरूप, सरकारी उत्पादकों द्वारा व्यवहार्यता अंतर के साथ 12,000 मेगावाट ग्रिड से जुड़े सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) बिजली परियोजनाओं की स्थापना, सरकार/सरकारी संस्थाओं द्वारा स्व–उपयोग या उपयोग के लिए अनुदान (वीजीएफ) सहायता, इरेडा ने सौर विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं।

इरेडा बड़े संस्थागत निवेशकों जैसे पेंशन फंड, बीमा फंड, पर्यावरण, सामाजिक और शासन कोष, आदि को खंगालने के लिए एक वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) के रूप में एक ऋण निधि स्थापित करने की प्रक्रिया में है। एआईएफ भी उन उधारकर्ताओं की नई परियोजनाओं के वित्तपोषण में इरेडा की मदद करेगा जो जोखिम सीमा के करीब हैं। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी पास–प्रमाणपत्र जारी करके परिसंपत्ति–आधारित प्रतिभूतिकरण (एबीएस) करने की भी योजना बना रही है।

स्पष्ट है कि उभरते हुआ विद्युत पारिस्थितिकी तंत्र में इरेडा के लिए काफी संभावनाएं हैं। अपनी सहायता मुहैया कराने के कार्य के भाग के रूप में, आपकी कंपनी को इस क्षेत्र के लिए पर्याप्त और किफायती संसाधन उपलब्ध कराना है। आपकी कंपनी क्षेत्र की संसाधन जरूरतों को पूरा करने के लिए नई लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय और बहुपक्षीय उधारदाताओं के साथ अपने प्रयास जारी रखेगी। जबकि आपकी कंपनी वर्तमान में एक ऋण सूचीबद्ध कंपनी है, यह पूरी तरह से तैयार है और इक्विटी सूचीबद्ध बनने की दिशा में काम कर रही है, तदनुसार इरेडा नए इक्विटी शेयरों के आईपीओ भी लेकर आएगी और और घरेलू बाजार आगे उधार देने के लिए पूंजी जुटाने के लिए अंतरराष्ट्रीय

स्तर पर ग्रीन बांड जारी करने की योजना बना रही है।

इसके अलावा, माननीय वित्त मंत्री ने फरवरी 2021 की बजट घोषणा में, आपकी कंपनी में इक्विटी के रूप में ₹ 1,500 करोड़ डालने की घोषणा की थी जिससे इरेडा रुपये की अतिरिक्त ऋण सुविधा में 12,000 करोड़ का विस्तार करने में सक्षम होगी और इसकी पूंजी पर्याप्तता में सुधार होगा जिससे इरेडा को कम ब्याज दर पर उधार लेने में मदद मिलेगी, इस प्रकार विकासकर्ताओं के लिए ब्याज दरों में कमी आएगी। इस 18,000 करोड़ रुपये से 19,000 करोड़ रुपये की लगभग 4,500 मेगावाट की आरई परियोजनाओं के वित्तपोषण में मदद मिलेगी, इसके अतिरिक्त 13,500 नौकरी के वर्षों (जॉब ईयर्स) का रोजगार पैदा करेगा और 8.55 मिलियन टन सीओ2 के उत्सर्जन को कम करेगा।

इरेडा प्रस्तावित राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन के तहत स्थायी ऊर्जा समाधानों का समर्थन करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसका उद्देश्य हाइड्रोजन ऊर्जा उपयोग के लिए भारत सरकार के दृष्टिकोण, मंशा और दिशा को निर्धारित करना है।

इरेडा मार्च 2021 को समाप्त होने वाले ₹28,000 करोड़ से मार्च 2026 को समाप्त ₹1.35 लाख करोड़ तक ऋण पुस्तिका में पांच गुना वृद्धि के लिए तैयार है, जो वित्त वर्ष 2025–26 में 105.26 मिलियन टन सीओ2ई के सीओ2 समकक्ष उत्सर्जन में कमी प्रदान करने की उम्मीद है।

आपकी कंपनी की योजना वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्रति कर्मचारी योगदान को ₹17 करोड़ से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2025–26 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इसे ₹55 करोड़ करने की है। जबकि आपकी कंपनी ने देश के दक्षिणी पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र में अधिकांश आरई परियोजनाओं को ऋण स्वीकृत और वितरित किया है, भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आरई परियोजनाओं के विकास की दिशा में कारोबार का विस्तार करने का समय आ गया है, और इसलिए, आपकी कंपनी पूरे भारत में कवरेज सुनिश्चित करने के लिए अनेक स्थानों पर शाखाएं खोलने की योजना बना रही है।

आभारोक्तियां

मैं भारत सरकार, विशेष रूप से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और सार्वजनिक उद्यम विभाग के लिए अपनी व्यक्तिगत कृतज्ञता और आपकी कंपनी की आभारयुक्त प्रशंसा को रिकॉर्ड में रखना चाहता हूं। सरकार के अन्य विभागों जैसे नीति आयोग, वित्त मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, सार्वजनिक उद्यम विभाग, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और बीएसई लिमिटेड और अन्य नियामक प्राधिकरण को निरंतर समर्थन, मार्गदर्शन, सहयोग और सहायता के लिए मेरा हार्दिक धन्यवाद। सांविधिक लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों, लागत लेखा परीक्षकों और आंतरिक लेखा परीक्षकों को उनके मूल्यवान समर्थन और मार्गदर्शन के लिए मेरा विशेष धन्यवाद। कंपनी में अपना विश्वास रखने के लिए सभी निवेशकों, ऋणदाताओं, उधारकर्ताओं और राज्य सरकारों, राज्य बिजली उपयोगिताओं और अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निजी उद्यमियों सहित ग्राहकों को मेरा विशेष धन्यवाद।

मैं जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए), क्रेडिटनस्टाल्ट फर विडेराउफबौ (केएफडब्ल्यू), एशियाई विकास बैंक (एडीबी), एजेंस फ्रैन्काइज डी डेवलपमेंट (एएफडी), यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी), नॉर्डिक निवेश बैंक (एनआईबी), अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) और विश्व बैंक नामक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के समर्थन और सहयोग के लिए आभारी हूं।

मैं निदेशक मंडल और कर्मचारियों की उत्साही टीम का कंपनी के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनकी अथक प्रतिबद्धता, प्रयासों और उनकी निरंतर भागीदारी के लिए ऋणी हूं।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, बैंकरों, बांड–धारकों, घरेलू वित्तीय संस्थानों, निवेशकों और ग्राहकों को प्राप्त सहायता और सहयोग के लिए मेरा विशेष धन्यवाद।

अंत में, मैं सदस्यों और हितधारकों को उनके विश्वास और समर्थन के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

क्या मैं अब 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षित तुलन पत्र, लाभ और हानि खाता और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को अंगीकृत किए जाने का अनुरोध कर सकता हूं।

धन्यवाद,

ह./–
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन:- 07448576

दिनांक: 20 सितंबर, 2021
स्थान: नई दिल्ली

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यो,

मुझे आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) के लिए आपकी कंपनी के व्यवसाय और प्रचालन पर 34वीं वार्षिक रिपोर्ट, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, सचिवालयी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और भारत नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

1. वित्तीय निष्पादन

पिछले वित्तीय वर्ष की तुलनात्मक स्थिति के साथ वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी के वित्तीय निष्पादन (स्टैंडअलोन) की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2020-21	2019-20
1.	संस्वीकृत ऋण	11001.30	12696.11
2.	संवितरित ऋण	8826.64	8785.31
3.	निवल मूल्य	2995.19	2521.32
4.	प्रचालनों से राजस्व	2613.95	2367.32
5.	अन्य आय	44.69	5.06
6.	वित्त लागत (निवल परिवर्तन / लेन–देन विनिमय हानि सहित)	1640.11	1499.85
7.	कर पूर्व लाभ	569.52	241.11
8.	घटाएं: चालू कर	291.62	100.13
9.	आस्थगित कर	(68.51)	(73.57)
10.	करोपरांत लाभ (7-8-9)	346.41	214.55
11.	अन्य व्यापक आय	(247.24)	349.38
12.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ / (हानि) और अन्य व्यापक आय सहित) (10+11)	99.17	563.93
	मूल्यह्रास		
13.	डिबेंचरशोधन आरक्षिति में अंतरण (डीआरआर)	46.29	46.29
14.	विशेष आरक्षित में अंतरण	111.20	108.20
15.	एनबीएफसी आरक्षित में अंतरण	70.00	43.00
16.	सामान्य आरक्षित में / (से) में अंतरण	195.00	(200.00)
17.	इक्विटीशेयरों पर प्रदत्त लाभांश (2018.19 के लिए)	-	128.19
18.	लाभांश वितरण कर	-	26.35

1.1 वित्तीय विशेषताएं

- भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 31.05.2018 के परिपत्र के अनुसार आय की स्वीकृति, संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विचार किया गया है और 90 दिनों से अधिक के अतिदेय खातों को गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, आपकी कंपनी की सकल आय पिछले वर्ष की सकल आय ₹2,372.38 करोड़ की तुलना में 12.07 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए, बढ़कर ₹2,658.63 करोड़ हो गई।

- कर पूर्व लाभ (पीबीटी), पिछले वर्ष के ₹241.11 करोड़ के पीबीटी पर 136.20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए, वित्तीय वर्ष 2020–21 के अंत में बढ़कर ₹569.52 करोड़ हो गया।

- करोपरांत लाभ (पीएटी), पिछले वर्ष के ₹214.55 करोड़ के पीएटी पर 61.46 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए, वित्तीय वर्ष 2020–21 के अंत में बढ़कर ₹ 346.41 करोड़ हो गया।

- कम्पनी का निवल मूल्य, पिछले वर्ष के ₹2,521.32 करोड़ के निवल मूल्य पर 18.79 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए, वित्तीय वर्ष 2020–21 के अंत में बढ़कर ₹2,995.19 करोड़ हो गया।

- प्रतिवेदनाधीन वर्ष के अंत में कंपनी का पूंजी जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) 17.12 प्रतिशत था जो कि आरबीआई मास्टर निर्देश डीएनबीआरपीडी. 008 / 03.10. 119 / 2016–17 दिनांक 01.09.2016 में निहित सरकारी एनबीएफसी के लिए समय–सीमा के अनुसार निर्धारित 13 प्रतिशत की अनुमेय सीमा से अधिक है।

❖ समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, इरेडा ने पिछले वर्ष की 87.84 प्रतिशत उपलब्धि की तुलना में उपलब्ध कुल निधियों का 93.36 प्रतिशत संवितरित किया।

❖ वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान संवितरित ऋण पिछले वर्ष की संवितरित राशि ₹8,785.31 करोड़ की तुलना में 0.47 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए, ₹8,826.64 करोड़ हो गया।

1.2 अन्य विशेषताएं

- आपकी कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान एकल, सह–वित्तपोषण और कंसोर्टियम वित्तपोषण के माध्यम से संस्वीकृत परियोजनाओं के परिणामस्वरूप अक्षय ऊर्जा क्षमता में 579.85 मेगावाट की वृद्धि होने की उम्मीद है।

- विश्व बैंक ने आईबीआरडी ।।। लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत सौर पार्क परियोजना के लिए साझी अवसंरचना के वित्तपोषण में सहायता के लिए 2 मिलियन अमरीकी डालर के स्वच्छ प्रौद्योगिकी कोष (सीटीएफ) अनुदान को मंजूरी दी है। वर्ष के दौरान, विश्व बैंक ने सीटीएफ अनुदान के तहत इरेडा को ₹132.64 लाख (पिछले वर्ष शून्य) की प्रतिपूर्ति की।

- वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, इरेडा ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास में तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए 08.01.2021 को मेसर्स सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) 07.12.2020 और मैसर्स राष्ट्रीय जलविद्युत विद्युत निगम (एनएचपीसी) के साथ दो समझौता ज्ञापन (एमओयू) किए हैं।

2. ऋण प्रचालन

2.1 संस्वीकृतियां और संवितरण

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, आपकी कंपनी ने ₹11,001.30 करोड़ के ऋण संस्वीकृत किए, जो पिछले वर्ष की संस्वीकृत राशि ₹12,696.11 करोड़ की तुलना में 13.34 प्रतिशत कम है। तथापि, वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान संवितरित किया गया ऋण ₹8,826.64 करोड़ था, जो पिछले वर्ष की संवितरित राशि ₹8,785.31 करोड़ की तुलना में 0.47 प्रतिशत की वृद्धि



श्री इंदू शेखर चतुर्वेदी, सचिव, एमएनआरई और डा. प्रदीप कुमार दास सीएमडी, इरेडा ने दिनांक 02.11.2020 को वर्ष 2020–21 के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करने के लिए अन्य गणमान्य अधिकारियों की उपस्थिति में एमएनआरई के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किए।



इरेडा ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की विकास के अपनी तकनीकी विशेषज्ञ प्रदान करने के लिए दिनांक 08.01.2021 को एनएचपीसी के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया।

को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान संस्वीकृतियों और संवितरणों का सेक्टर–वार विवरण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

सेक्टर	संस्वीकृतियां	% शेयर	संवितरण*	% शेयर
पवन ऊर्जा	524.72	4.77	900.65	10.20
सौर ऊर्जा	2289.49	20.81	1837.69	20.82
अल्पावधिक ऋण	4715.49	42.86	4749.55	53.81
जलविद्युत ऊर्जा	806.82	7.33	682.91	7.74
बायोमास और सह–उत्पादन	146.87	1.34	36.91	0.42
अवशिष्ट से ऊर्जा	93.01	0.85	147.17	1.67
ब्रिज ऋण	10.81	0.10	4.00	0.05
ऊर्जा दक्षता और संरक्षण और ऊर्जा सुलभता	40.78	0.37	14.16	0.16
जीएफसीएल	206.55	1.88	143.45	1.63
विविध				
(गारंटी योजना+ ट्रांसमिशन और निकासी+ एथानोल+ एलओसी+ विनिर्माण)	2166.75	19.70	310.14	3.51
कुल	**11001.30**	**100**	**8826.64**	**100**

' संवितरण की राशि में वित्तीय वर्ष 2020–21 और पिछले वर्षों के दौरान संस्वीकृत परियोजनाएं शामिल हैं।

इरेडा ने फ्लोटिंग सोलर, हाइब्रिड विंड एंड सोलर, स्टोरेज एप्लीकेशन, एनर्जी एफिशिएंसी, बायो–एनर्जी पैलेटाइजेशन ऑफ एग्रो–वेस्ट, हाइड्रो और वेस्ट टू एनर्जी के लिए ₹929.40 करोड़ की राशि वितरित की है।

31 मार्च, 2021 को संचयी संस्वीकृतियां और संवितरण क्रमशः ₹96,601.19 करोड़ और ₹63,115.90 करोड़ थे। संचयी राज्य–वार और क्षेत्र–वार संस्वीकृतियों और संवितरणों का विवरण अनुबंध । से IV में दिया गया है।

2.2 संस्वीकृत क्षमता

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, इरेडा संस्वीकृत परियोजनाओं से मेगावाट के अतिरिक्त क्षमता संवर्धन को समर्थन मिलने की आशा है, जैसा कि नीचे इंगित किया गया है:

सेक्टर	क्षमता (मेगावाट)
सौर ऊर्जा	1340.22
पवन ऊर्जा	99.40
बायोमास और सह–उत्पादन	29.00
जलविद्यूत ऊर्जा	68.35
वेस्ट टू एनर्जी और विविध	7.50
एनर्जी एक्सेस+ निर्माण	5385.35
कुल	**6929.82**

2.3 चालू की गई क्षमता

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, इरेडा द्वारा वित्पोषित परियोजनाओं के परिणामस्वरूप 579.85 मेगावाट का कुल क्षमतां का संवर्धन हुआ, जैसा कि नीचे इंगित किया गया है:

सेक्टर	क्षमता (मेगावाट)
सौर ऊर्जा	367.50
पवन ऊर्जा	60.00
निर्माण	100.00
जलविद्युत	52.35
कुल	**579.85**

2.4 वित्तीय योजनाएं

कंपनी बाजार की आवश्यकताओं, अपने कॉर्पोरेट उद्देश्यों और लागू वैधानिक आवश्यकताओं के साथ उपयुक्त रूप से संरेखित करने के लिए समय–समय पर अपनी नीतियों/प्रक्रियाओं की समीक्षा करती है। वित्तीय वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने अक्षय ऊर्जा वित्तपोषण में इरेडा की बाजार हिस्सेदारी के विकास को बनाए रखने के लिए अनेक नई योजनाएं शुरू की हैं और मौजूदा योजनाओं को संशोधित किया है। इनमें शामिल हैं:

- पात्र उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान करने और जीईसीएल सहायता के लिए 100 प्रतिशत गारंटी कवरेज मुहैया कराने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के नाम से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विशेष योजना की तर्ज पर ''गारंटीशुदा आपातकालीन क्रेडिट लाइन (जीईसीएल)'' की शुरुआत की गई।

- बड़े पैमाने पर लॉकडाउन के दौरान व्यवहार्य व्यवसायों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए कोविड–19 महामारी के प्रसार के कारण व्यवधानों के कारण उत्पन्न ऋण सेवा के बोझ को कम करने के लिए ''सावधि ऋण की किश्तों के अधिस्थगन के लिए योजना'' को संशोधित किया गया।

- एनबीएफसी सहित सभी ऋणदाता संस्थाओं को, विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन, ऐसे जोखिम को मानक के रूप में वर्गीकृत करते हुए स्वामित्व में परिवर्तन किए बिना भी पात्र कॉरपोरेट जोखिम के संबंध में एक संकल्प योजना (आरपी) के कार्यान्वयन के ऊपर, सक्षम बनाने के लिए आरबीआई के दिनांक 06.08.2020 और 07.09.2020 के परिपत्रों द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार, इरेडा की ''कोविड–19 से संबंधित दाबव के लिए समाधान हेतु नीति'' की शुरुआत की गई।

- ऐसे उधारकर्ताओं को, जिनके प्रचालन कोविड 19 महामारी से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रभावित हुए, कुछ हद तक राहत प्रदान करने के लिए ''कोविड–19 के अंतर्गत आवधिक ऋणों के अवशिष्ट टेनर सहित पुनर्भुगतान अनुसूची के परिवर्तन और ब्याज की किश्तों के आस्थगन के लिए इरेडा की नीति रूपरेखा'' की शुरुआत की गई।

- आवेदकों को परियोजना वैधता विस्तार प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने और विनियामक / डिस्कॉम / पीपीए / निकासी/एसएनए अनुपालनों आदि की आवश्यकताओं को पूरा के लिए भी ''आवेदकों को सैद्धांतिक ऋण स्वीकृति प्रदान करने की नीति'' की शुरुआत की गई।

- वितरण कम्पनियो/अन्य सरकारी निकायों से बढ़ती क्रेडिट मांग को पूरा करने के लिए ''सरकारी निकायों को अल्पावधिक ऋणों'' से संबंधित नीति में संशोधन किया गया है।

- ''पूर्व–भुगतान नीति''को संशोधित किया गया है। रीसेट के समय ब्याज दर में वृद्धि के मामले में और यदि यह उधारकर्ता को स्वीकार्य नहीं है, तो उनके पास पूर्व भुगतान दंड के भुगतान के बिना रीसेट तिथि के 30 दिनों के भीतर ऋण को समय से पहले खत्म (प्री क्लोज) करने का विकल्प होता है।

- इरेडा के ऋण जोखिम में संशोधन किया गया है और अब 5 से लेकर 15 मेगावाट तक की छोटी हाइड्रों परियोजनाओं के लिए तक इरेडा के ऋण जोखिम में परियोजना लागत के 70 प्रतिशत तक विचार किया जा सकता है।

- 'भावी नकदी प्रवाह के प्रतिभूतिकरण के सापेक्ष ऋण'' योजना के तहत अधिकतम ऋण चुकौती अवधि को परियोजना के नकदी प्रवाह और अन्य वित्तीय मापदंडों के आधार पर, संवितरण की तारीख से 15 वर्ष या पीपीए के शेष जीवन का 80 प्रतिशत, जो भी कम हो, विस्तार प्रदान किया गया है।

- संवितरण प्रक्रिया, संचालन और वित्तीय प्रक्रियाओं को सरल और कुशल बनाया गया है। समर्पित वित्तीय सहमति टीमें आरंभ करके क्रेडिट मूल्यांकन प्रक्रिया/तंत्र को मजबूत किया गया है।

3. सौर ऊर्जा परियोजना

आपकी कंपनी ने केरल राज्य में कासरगोड में स्थित इरेडा की 50 मेगावाट सौर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 में भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन किया। पूर्ण किया गया 50 मेगावाट का संयंत्र सितंबर 2017 में चालू किया गया था और यहां ऊर्जा उत्पादन हो रहा है। आईआरईडीए और केरल राज्य विद्युत बोर्ड के बीच दिनांक 31.03.2017 को ₹4.95/केडब्ल्यूएच या केरल राज्य विद्युत नियामक आयोग



इरेडा का कसरगोद, केरल में 50 मेगावाट सोलर पीवी प्रोजेक्ट।

(केएसईआरसी) द्वारा अनुमोदित दर, जो भी कम हो, के लिए पीपीए पर हस्ताक्षर किए गए हैं। केएसईआरसी ने 6 फरवरी, 2019 के अपने आदेश में परियोजना से उत्पन्न बिजली के लिए ₹3.83 प्रति यूनिट की दर से स्तरीकृत टैरिफ को मंजूरी दी है। तदनुसार, उत्पादन आय/ ₹3.83 प्रति यूनिट के हिसाब से लेखांकित की गई है। संयंत्र की प्रचालन स्वीकृति मार्च, 2020 में हुई है और संयंत्र को मार्च, 2021 में आपकी कंपनी को सौंपा जा चुका है।

4. वसूली और दबावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन

कंपनी मूलधन, ब्याज आदि पर अपनी बकाया राशियों की समय पर वसूली को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, इरेडा ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिनांक 7 जून, 2019 के परिपत्र के आधार पर दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान के लिए विवेकपूर्ण रूपरेखा से संबंधित अपनी नीति तैयार की है, जिसमें ऐसी परिसंपत्तियों को विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) के रूप में वर्गीकृत करके, प्रारंभिक तनाव को डिफॉल्ट रूप से तुरंत ऋण खातों में स्वीकृत किया जाता है । तदनुसार, इस परिपत्र के अनुसार आय स्वीकृति, संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विचार किया गया है और 31.03.2021 को 90 दिनों से अधिक के अतिदेय खातों को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

आपकी कंपनी ने आरबीआई परिपत्र दिनांक 06.08.2020, 07.09.2020 के तहत अनुमति के अनुसार कोविड–19 संबंधित दबाव के समाधान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की नीति और ब्याज किस्तों को स्थगित करने और कोविड–19 के तहत सावधि ऋण की शेष अवधि सहित पुनर्भुगतान अनुसूची को स्थानांतरित करने के लिए नीतिगत ढांचे को भी अंगीकृत किया है।

आपकी कंपनी ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान एनपीए को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। कंपनी देरी और/या उधारकर्ताओं की चूक और उनकी वसूली की निरंतर निगरानी करती है। अलग से गठित निगरानी और वसूली समूह के माध्यम से भुगतान के निष्पादन की निरंतर निगरानी की जाती है और चूककर्ताओं को एनपीए में बदलने से बचाने के लिए समय पर कार्रवाई की जाती है। एनपीए श्रेणी में आने वाले खातों से बचने के लिए और एनपीए से अधिकतम बकाया राशि की वसूली के लिए सभी परियोजनाओं की वित्तीय सहमति मूल्यांकन के समय, संवितरण और वसूली के समय भी, उत्पन्न राजस्व की निरंतर जांच, चूककर्ताओं के खिलाफ वसूली कार्रवाई की समय पर शुरूआत, कार्रवाई शुरू करने और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए समय–समय पर आंतरिक बैठकें आयोजित

करना शुरू किया गया है। इसके अलावा, परियोजनाओं के कार्यान्वयन और संचालन में देरी से संबंधित मुद्दों के शुरुआती संकेतों को जानने के लिए ऋणदाता के स्वतंत्र अभियंता (एलआईई) को नियुक्त किया गया है। आपकी कंपनी ने उद्योग में अपनाई जाने वाली वर्तमान परिपाटिओं के साथ–साथ इरेडा के पिछले अनुभवों के आधार पर रिकवरी मैनुअल भी बनाया और अपनाया है। उपरोक्त कदमों की वजह से, इरेडा की पुस्तिकाओं में ₹332.81 करोड़ के कुल ऋण बकाया वाले 6 एनपीए खाते बंद या नियमित कर दिए गए हैं।

उपरोक्त पहलों और की गई सुधारात्मक कार्रवाइयों को ध्यान में रखते हुए, आपकी कंपनी निवल गैर–निष्पादित आस्तियों (एनएनपीए) को 5.61: तक सीमित रखने में सफल रही है, जो पिछले वर्ष 7.18: थी। अनुसरण बैठकों, टीआरए के माध्यम से एनपीए के विरुद्ध वसूली कार्रवाई निगरानी, एकमुश्त निपटान, पुनर्निर्धारण, सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत कार्रवाई, ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी), दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी), 2016 आदि के माध्यम से वसूली जारी रही। इन कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप एनपीए से कुल ₹342.24 करोड़ की वसूली हुई जिसमें ₹10.37 करोड़ की बट्टे खाते में डाली गई संपत्ति से वसूल की गई राशि भी शामिल है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के प्रचालन की प्रकृति सीजनल है और साथ ही डिस्कॉम , जिन्हें परियोजना से उत्पन्न बिजली परियोजना डेवलपर्स द्वारा बेची जा रही है, के वित्तीय हालात के कारण भी, मानक परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत कुछ परियोजना डेवलपर्स द्वारा इरेडा की बकाया राशि के भुगतान में देरी हुई है। आपकी कंपनी द्वारा पहले ही ऐसे मामलों की पहचान की जा चुकी है जिनमें राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के माध्यम से आईबीसी के तहत समाधान के लिए उपयुक्त कार्रवाई शुरू की जा रही है। दिनांक 31 मार्च, 2021 को देय कुल ऋणों पर अतिदेय ऋण, समवर्ती गत वर्ष के 0.77 प्रतिशत के सापेक्ष 0.72 प्रतिशत था।

5. संसाधन संचलन

आपकी कम्पनी कुल उधारी गत वर्ष में ₹21,853.55 करोड़ के सापेक्ष 31 मार्च, 2021 को 24,000 करोड़ पर थी।

संसाधन संचलन – घरेलू और बाहरी

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, आपकी कंपनी ने घरेलू और बाहरी दोनों संसाधनों से ₹4169.14 करोड़ जुटाए, जिसका विवरण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

क.	**घरेलू संसाधन**	
	आवधिक ऋण	2959.99
	उप ऋण टीयर–।। बॉण्ड	500
	अल्पावधिक ऋण	150
	कुल (क)	**3,609.99**
ख.	**बाहरी संसाधन**	
	ईआईबी II	433.14
	केएफडब्ल्यू VII	126.01
	कुल (ख)	**559.15**
	कुल (क+ख)	**4,169.14**

वर्ष के दौरान, इरेडा ने कर योग्य अधीनस्थ टियर–।। बांडों के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से घरेलू बॉन्ड बाजार से ₹500 करोड़ की राशि जुटाई। ये बांड 7.74 प्रतिशत प्रति वर्ष की कूपन दर के साथ 10 वर्ष की परिपक्वता के साथ जारी किए गए थे, जो समान रेटिंग वाले सीपीएसई की तुलना में 22बीपीएस कम थे। आपकी कंपनी के उप–ऋण टियर–।। बांड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड दोनों में सूचीबद्ध हैं।

इरेडा द्वारा जारी किए गए हरित बॉण्ड का प्रकटीकरण

इरेडा ने भारत में हरित ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए अक्टूबर 2017 में 300 मिलियन अमरीकी डालर के ग्रीन मसाला बांड जुटाए, जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार (आईएसएम) खंड में और एनएसई आईएफएससी में भी सूचीबद्ध हैं। इसके अतिरिक्त, इरेडा ने वित्त वर्ष 2016–17 और वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान क्रमशः ₹700 करोड़ और ₹865 करोड़ के घरेलू कर योग्य ग्रीन बॉन्ड जुटाए जो एनएसई (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) और बीएसई लिमिटेड दोनों में सूचीबद्ध हैं। देश में हरित ऊर्जा की विशाल क्षमता का दोहन करने और 2022 तक 175 गीगावाट और 2030 तक 450 गीगावॉट की लक्षित आरई क्षमता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए भारत में आरई परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए ये ग्रीन बांड जुटाए गए थे।

आगमों का उपयोग: देश में हरित ऊर्जा की विशाल क्षमता का दोहन करने और 2022 तक 175 गीगावाट और 2030

तक 450 गीगावाट की लक्षित क्षमता प्राप्त करने के भारत सरकार के विजन को पूरा करने के लिए, इरेडा के ग्रीन बांड ढांचे में परिभाषित परियोजनाओं के अनुसार योग्य के पुनर्वित्त सहित सौर और पवन के वित्तपोषण के लिए आय का उपयोग किया गया था। इसने सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव में और जीवाश्म ईंधन निर्भरता को कम करके भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में भी योगदान दिया है।

केपीएमजी, भारत ने वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान जारी किए गए ₹865 करोड़ के ग्रीन बॉन्ड के लिए सत्यापन–पश्चात स्वतंत्र आश्वासन रिपोर्ट प्रदान की है और इमर्जेंट वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2017–18 और 2016–17 के दौरान जारी किए गए क्रमशः 300 मिलियन अमरीकी डालर ग्रीन मसाला बांड और ₹700 करोड़ ग्रीन बांड के लिए सत्यापन के बाद स्वतंत्र आश्वासन रिपोर्ट प्रदान की है। ये आश्वासन रिपोर्ट इरेडा की ग्रीन बॉन्ड रूपरेखा पर आधारित हैं और इसे 5 अक्टूबर 2016 को क्लाइमेट बॉन्ड्स स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव (सीबीआई) द्वारा भी प्रमाणित किया गया है।

आगमों का प्रबंधनः ग्रीन बॉन्ड से प्राप्त निवल आय का उपयोग इरेडा की ग्रीन बॉन्ड रूपरेखा के अनुसार सौर और पवन परियोजनाओं सहित आरई परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया गया था। इरेडा की ग्रीन बांड रूपरेखा को नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके इरेडा की वेबसाइट से एक्सेस किया जा सकता है: https://www.ireda.in/images/HTMLfiles/GreenBondFramework.pdf.

ग्रीन बांड के माध्यम से जुटाई गई राशि बांड की अवधि के दौरान पात्र परियोजनाओं में निवेशित रहना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, इरेडा सीबीआई के अनुरूप अपने सतत दायित्वों के अनुसार, अपनी ग्रीन बॉन्ड रूपरेखा की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है।

ग्रीन बॉण्ड अनुपालनः इरेडा द्वारा जारी ग्रीन बांड 30 मई, 2017 के सेबी के परिपत्र सीआईआर/आईएमडी/डीएफ/51/2017 के अनुसार निरंतर प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।

उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार, जारी किए गए ग्रीन बॉन्ड के लिए निधि आवंटन वार्षिक रिपोर्ट को निम्नलिखित लिंक का उपयोग करके देखा जा सकता हैरू

- ग्रीन घरेलू कर योग्य बॉण्डः https://www.ireda.in/images/HTMLfiles/AnnualReportDomesticBond.pdf.
- ग्रीन मसाला बॉण्डः https://www.ireda.in/images/HTMLfiles/AnnualReportMasalaBond.pdf.

कैश क्रेडिट सुविधाएं

कंपनी के पास अपने दैनिक कार्यों के लिए विभिन्न बैंकों से प्राप्त करने के लिए ₹1,178 करोड़ की अनुमोदित नकद ऋण/डब्ल्यूसीडीएल/ओडी/एसटीएल सीमा है।

6. शेयर पूंजी

31 मार्च, 2021 को आपकी कंपनी की अधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी क्रमशः ₹6,000 करोड़ और ₹784.60 करोड़ थी। संपूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी भारत सरकार द्वारा धारित है। वर्ष के दौरान आपकी कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

आपकी कंपनी को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय वित्त मंत्री ने फरवरी 2021 की बजट घोषणा में आपकी कंपनी में इक्विटी के रूप में ₹ 1500 करोड़ निवेश करने की घोषणा की थी। इक्विटी के उक्त निवेश से पूंजी आधार में वृद्धि होगी और कंपनी को इसका लाभ उठाने और अक्षय ऊर्जा (आरई) परियोजनाओं के लिए उधार देने में मदद मिलेगी, और इस प्रकार कम्पनी अक्षय ऊर्जा (आरई) क्षमता स्थापना के भारत सरकार के लक्ष्य में योगदान देगी।

7. लाभांश

पूंजी पुनर्संरचना के संबंध में डीआईपीएएम के दिशानिर्देशों के अनुसार, आपकी कंपनी द्वारा करोपरांत लाभ के 30 प्रतिशत या निवल मूल्य के 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, पर न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। तथापि, वित्त वर्ष 2020–21 के लिए, आपकी कंपनी ने बढ़ी हुई निवल संपत्ति के कारण उच्च जोखिम सीमाओं को बनाए रखने के लिए लाभांश के भुगतान से छूट प्राप्त की है।

8. क्रेडिट रेटिंग

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग

घरेलू

इरेडा के घरेलू ऋण विलेखों को ''केयर'', इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, आईसीआरए द्वारा दी गई "एए" रेटिंग प्राप्त है,

जबकि ब्रिकवर्क रेटिंग्स ने बकाया बॉन्ड जारी करने के लिए "एएए नकारात्मक" और "एएए (सीई)" प्रदान किया है। इरेडा के उप ऋण को ब्रिकवर्क रेटिंग्स और इंडिया रेटिंग्स द्वारा क्रमशः एएए नेगेटिव और एए स्टेबल के रूप में रेटिंग दी गई है।

भारत सरकार के फुल्ली सर्विस्ड (पूरी तरह से सेवित) बांड के लिए, "एएए (स्थिर)" की रेटिंग को संबंधित रेटिंग एजेंसियों यथा इंडिया रेटिंग्स, आईसीआरए और केयर जिन्होंने बांड जारी करते समय मूल रेटिंग दी थी, द्वारा बरकरार रखा गया था। ।

अंतरराष्ट्रीय

इरेडा के पास अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों यथा मूडीज और फिच की ओर से क्रमशः "बीएए3" और "बीबीबी–" की सॉवरेन रेटिंग के समकक्ष अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग है। वर्ष के दौरान, फिच ने रेटिंग को बीबी़ से बीबीबी– में अपग्रेड किया है जो सॉवरीन रेटिंग के समकक्ष है।

9. आईएसओ प्रमाणन

इरेडा एक आईएसओ 27001:2013 आधारित सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित कंपनी है। इरेडा ने यह प्रमाणन वर्ष 2016 के दौरान हासिल किया था और तब से प्रमाणन का नवीनीकरण किया जा चुका है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निगरानी लेखापरीक्षा भी सफलतापूर्वक की गई। इन मानकों का कार्यान्वयन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत आवश्यक विभिन्न कानूनों, विनियमों और सूचना सुरक्षा से संबंधित संविदात्मक आवश्यकताओं के अनुपालन को सक्षम बनाता है। उपरोक्त मानकों के तहत आवश्यक विभिन्न सुरक्षा उपायों का अनुपालन कंपनी को डेटा प्रोसेसिंग और सूचना प्रवाह के लिए एक मज़बूत सुरक्षित नेटवर्क स्थापित करने में सक्षम बनाता है। इरेडा एनबीएफसी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे पर आरबीआई के मास्टर निर्देशों का भी अनुपालन कर रहा है।

कंपनी भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा आईएस/आईएसओ 9001:2015 भी प्रमाणित है। कंपनी विभिन्न प्रक्रियाओं और प्रक्रियाओं को शामिल करते हुए अपनी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली में निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्ध है।

10. जोखिम प्रबंधन

कंपनी में एक जोखिम प्रबंधन नीति है जिसमें कंपनी द्वारा सामना किए जाने वाले सभी प्रमुख जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, माप, शमन और निगरानी शामिल है। इस नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है और इसकी आवधिक समीक्षा की जाती है। इसमें क्रेडिट जोखिम, चलनिधि जोखिम, प्रचालन जोखिम और बाजार जोखिम के प्रबंधन सहित और उससे संबंधित सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। निदेशक मंडल ने एक स्वतंत्र निदेशक / सरकार की अध्यक्षता में एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का गठन किया है। निदेशक एकीकृत जोखिमों का प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन कार्यों की देखरेख, उद्यम–व्यापी एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली को लागू करने के लिए नीतियों और रणनीतियों को मंजूरी देते हैं, कंपनी के संचालन और अन्य संबंधित मामलों में उत्पन्न होने वाले जोखिम को कम करने के लिए कार्रवाई का सुझाव देते हैं। कंपनी ने आरबीआई दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) के रूप में भी नियुक्त किया है। इसके अलावा, इरेडा ने निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के कानूनी जोखिमों को कम करने के लिए निदेशकों और अधिकारियों की बीमा पॉलिसी कवर लिया है। कंपनी के सामने आने वाले विभिन्न जोखिमों के बारे में संक्षेप में नीचे दिया गया है:

क्रेडिट जोखिम

कंपनी के सामने मुख्य रूप से अपने ऋण प्रचालनों के माध्यम से क्रेडिट जोखिम रहता है। क्रेडिट जोखिम तब होता है जब ग्राहक, सर्विस ऋण के लिए अपने दायित्व का पालन करने में विफल या विफल होते हैं, जिससे कुल या आंशिक हानि की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। ऋण जोखिम के मुद्दे ऋण हानियों और बढ़ती गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियां में परिलक्षित होते हैं। ऋण जोखिम वित्तपोषण उद्योग में निहित जोखिम है और इसमें उधारकर्ता की ऋण गुणवत्ता में कमी से उत्पन्न होने वाले नुकसान का जोखिम शामिल है। क्रेडिट जोखिम को कम करने के लिए, कंपनी क्रेडिट जोखिम का आकलन करने के लिए व्यवस्थित संस्थागत और परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया का पालन करती है। कंपनी ने क्रेडिट जोखिम के प्रबंधन के लिए प्रमुख नीतियां और प्रक्रियाएं बनाई हैं, जिसमें क्रेडिट नीतियां, क्रेडिट जोखिम समूहवार एक्सपोजर के साथ–साथ परियोजनावार एक्सपोजर शामिल हैं। इन प्रक्रियाओं में एक विस्तृत मूल्यांकन पद्धति, जोखिमों की पहचान और उपयुक्त संरचना और ऋण जोखिम कम करने के उपाय शामिल हैं।

प्रचालनिक जोखिम

प्रचालनिक जोखिम, प्रणाली की विश्वसनीयता या संपूर्णता

में महत्वपूर्ण खामियों के कारण नुकसान की संभावना से उत्पन्न होता है। इसे अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों या बाहरी घटनाओं से होने वाले नुकसान के जोखिम के रूप में परिभाषित किया गया है। कंपनी के पास एक संगठन–व्यापी जोखिम वर्गीकरण रूपरेखा है जिसके माध्यम से सभी परिचालन जोखिमों को मापा जाता है और उच्च/मध्यम/निम्न के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। व्यवसाय, वित्त, मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, कानूनी जैसे सभी प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्रों में कंपनी के प्रचालन जोखिमों का अध्ययन किया जाता है। कंपनी के पास परिचालन जोखिमों की पहचान, समीक्षा और प्रबंधन के लिए निदेशक (तकनीकी) की अध्यक्षता में गठित एक प्रचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) है।

चलनिधि जोखिम

चलनिधि जोखिम का आशय उस जोखिम से है जहां कंपनी अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा नहीं कर सकती है। चलनिधि जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य पर्याप्त तरलता बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना है कि आवश्यकता के अनुसार उपयोग के लिए धन उपलब्ध हो। चलनिधि अंतराल विश्लेषण द्वारा चलनिधि की निगरानी की जाती है। आपकी कंपनी अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए परिचालन से लगातार पर्याप्त नकदी प्रवाह उत्पन्न करती है जब भी वे देय होते हैं। चलनिधि जोखिम का प्रबंधन कई रणनीतियों द्वारा किया जाता है जैसे दीर्घकालिक संसाधन जुटाना, अनुमानित संवितरण और परिपक्वता प्रोफाइल के आधार पर संसाधन जुटाना।

बाजार जोखिम

बाजार जोखिम को बाजार की कीमतों में उतार–चढ़ाव या लेनदेन या समझौते में निर्धारित दरों या कीमतों से दूर दरों से उत्पन्न होने वाले नुकसान के जोखिम के रूप में परिभाषित किया गया है। एक वित्तीय संस्थान के बाजार जोखिम प्रबंधन में ब्याज दर जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम, वस्तु मूल्य जोखिम और इक्विटी मूल्य जोखिम का प्रबंधन शामिल है।

आपकी कंपनी विदेशी मुद्रा विकल्प अनुबंधों और विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंधों के संयोजन का उपयोग विदेशी मुद्रा जोखिम में अपने जोखिम को हेज करने के लिए करती है। ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए, कंपनी समय–समय पर बाजार की स्थितियों और उधार राशियों की बढ़ती लागत के आधार पर अपनी उधार दरों की समीक्षा करती है।

- **विदेशी मुद्रा जोखिम**

  विदेशी मुद्रा जोखिम राजस्व के सूचकांक के कारण आय में भिन्नता और विदेशी मुद्रा में परिसम्पत्ति और देनदारियों में परिवर्तन के कारण हुई हानि से संबंधित है। मुद्राओं में होने वाले उतार–चढ़ाव से विदेशी मुद्रा जोखिम उत्पन्न होता है। आपकी कंपनी में एक विदेशी मुद्रा और डेरिवेटिव जोखिम प्रबंधन नीति, एक विदेशी मुद्रा प्रबंधन समिति मौजूद है और मुद्रा और ब्याज दर जोखिमों को कम/शमन करने के लिए हेजिंग उपकरणों का उपयोग किया जाता है।

- **ब्याज दर जोखिम**

  ब्याज दर जोखिम बाजार की ब्याज दरों में उतार–चढ़ाव से उत्पन्न होने वाली संभावित हानि है। ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए, कंपनी समय–समय पर प्रचलित बाजार दरों के आधार पर अपनी उधार दरों और उधार की भारित औसत लागत की समीक्षा करती है।

परिसम्पत्ति देनदारी प्रबंधन

चलनिधि जोखिम, ब्याज दर जोखिम और विदेशी मुद्रा जोखिम जैसे विभिन्न जोखिमों की निगरानी के लिए, आपकी कंपनी ने एक परिसंपत्ति देनदारी प्रबंधन समिति (एएलसीओ) स्थापित की है जो संयोजक जोखिम प्रभाग के प्रमुख होने के नाते निदेशक (वित्त) की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। एएलसीओ समय–समय पर व्यवसाय और कामकाजी परिणामों, एएलएम बेमेल, बजट आदि को प्रभावित करने वाले प्रमुख निर्णय लेता/समीक्षा करता है। प्रचालन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया गया है और स्थिरता, नियंत्रण और निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ स्तर पर महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं की निगरानी की जा रही है। आपकी कंपनी बेमेलों की समीक्षा करने के लिए परिसंपत्ति देनदारी प्रबंधन की एक रिपोर्टिंग प्रणाली का अनुसरण करती है, जिसके अनुसार सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

विनिमय दर में उतार–चढ़ाव विदेशी मुद्रा उधारों के मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, जो आपकी कंपनी के कुल उधार का 43 प्रतिशत है। इन प्रतिकूल गतिविधियों का प्रबंधन करने के लिए, आपकी कंपनी के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा और डेरिवेटिव जोखिम प्रबंधन नीति है। साथ ही, आपकी कंपनी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन समिति (एफएमसी) का गठन किया है जो विदेशी मुद्रा ऋणों से

संबंधित सभी आहरणों के लिए हेजिंग संबंधी निर्णय लेती है। आपकी कंपनी मुद्रा और ब्याज दर जोखिमों को कम/शमन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित जेनेरिक और संरचित दोनों प्रकार के लिखतों के माध्यम से हेजिंग कर सकती है। ये डेरिवेटिव लेनदेन हेजिंग उद्देश्य के लिए किए जाते हैं न कि ट्रेडिंग या सट्टा उद्देश्य के लिए।

31 मार्च, 2021 तक कंपनी के पास ₹10,318.01 करोड़ के कुल विदेशी मुद्रा उधार के मुकाबले 23 प्रतिशत अर्थात ₹2,352.54 करोड़ (पार्ट हेज्ड सहित) का मुक्त एक्सपोजर था, जो कि विदेशी मुद्रा और डेरिवेटिव जोखिम प्रबंधन नीति के तहत निर्धारित सीमा के भीतर है।

11. कम्पनी पर कोविड–19 का प्रभाव और किए गए उपाय

वित्तीय वर्ष 2020 एक अत्यधिक अस्थिर और चुनौतीपूर्ण वर्ष था। कोविड–19 ने मानव जीवन के लगभग हर पहलू को इस तरह से बदल दिया जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। महामारी से हुई आर्थिक हानि अभूतपूर्व थी। प्रतिबंधित आवाजाही और बाधित आपूर्ति लाइनों के कारण परिचालन संबंधी चुनौतियां बढ़ गई हैं। जैसे–जैसे कोविड–19 मामले तेजी से बढ़ते गए, अर्थव्यवस्था में तेजी से गिरावट आई। हमारा ध्यान अपने लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा करने, निर्बाध प्रचालन सुनिश्चित करने और अपने व्यापार मॉडल की रक्षा करने पर केंद्रित था। इसे ध्यान में रखते हुए, कोविड–19 के प्रभाव से निपटने के लिए समय–समय पर विभिन्न कदम उठाए गए। सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए संभावित आंतरिक उपाय किए गए, जिसमें संपर्क–रहित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के रूप में फेस रीडिंग मशीन की स्थापना, कर्मचारियों को कोविड –19 से उबरने के लिए संगरोध अवकाश का प्रावधान शामिल है। सभी कर्मचारियों को कोविड–19 से निपटने के लिए समय पर कदम उठाने के लिए आरटी–पीसीआर और एंटीबॉडी परीक्षण भी किए गए। इरेडा ने कोविड–19 संबंधी सावधानियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सभी उपयुक्त कदम उठाए हैं।

इरेडा ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को हर तरह से निभाया, कंपनी अपने कर्मचारियों के साथ खड़ा हुई। मानव संसाधन को हर संगठन की सबसे बड़ी संपत्ति मानते हुए, इस अभूतपूर्व समय में, आपकी कंपनी ने अत्यधिक सावधानी बरती और कोविड–19 पॉजिटिव कर्मचारियों और उनके परिवारों की देखभाल के लिए एक आंतरिक 'कोविड केयर टीम' का गठन किया। कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के अस्पताल में भर्ती होने के लिए कोविड टीम ने अस्पतालों के साथ समन्वय किया, कोविड –19 संक्रमित कर्मचारियों को घर पर बने भोजन के पैकेट प्रदान किए, उनके भय, चिंता, तनाव और अन्य सामान्य प्रतिक्रियाओं को दूर करने के लिए परामर्श दिया।

वसूली अवधि के दौरान सभी आवश्यक सहायता (भोजन/दवा/अस्पताल में भर्ती/प्लाज्मा दान/आदि) बढ़ा दी गई थी। सभी कर्मचारियों को तीन लेयर वाले फैब्रिक मास्क, हैंड ग्लव्स और हैंड सैनिटाइजर के साथ प्रिवेंशन केयर किट ''आयुरक्ष इम्यूनो बूस्टिंग किट'', सेल्फ मॉनिटरिंग इक्विपमेंट (पल्स ऑक्सीमीटर, बीपी मॉनिटर, फोरहेड थर्मामीटर, तौलने की मशीन, स्टीमर/नेबुलाइजर आदि) दिए गए।



श्री पी.के. दास, सीएमडी, इरेडा 7 और 8 मई, 2021 को इरेडा के कारपोरेट कार्यालय, नई दिल्ली में इरेडा और एनएचपीसी द्वारा संयुक्त रूप से अपने कर्मचारियों के लिए आयोजित कोविड टीकाकरण कैम्प का पर्यवेक्षण करते हुए।

विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी विषयों – कोविड–19 के दौरान नेत्र देखभाल प्रबंधन, हृदय की देखभाल /हड्डी रोग देखभाल / श्वसन प्रणाली की देखभाल और विभिन्न पैनलबद्ध अस्पतालों के वरिष्ठ डॉक्टरों द्वारा अद्वितीय परिस्थितियों के दौरान प्रतिरक्षा का निर्माण करने के तरीके पर सत्र, स्वास्थ्य का विकास एफआईटी इंडिया अभियान के हिस्से के रूप में कर्मचारियों के स्वास्थ्य को महत्व देने और कर्मचारियों को फिटनेस से संबंधित आइटम (ब्रांडेड जूते, ट्रैक सूट, फिटनेस बैंड) प्रदान करने के लिए कार्यालय में सुविधा – पर वेबिनारों के माध्यम से व्याख्यान श्रृंखलाऐं आयोजित की गई।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, आपकी कंपनी ने आरबीआई द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों के अनुरूप विभिन्न नीतियां और योजनाएं शुरू की हैं। कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिनांक 7 जून 2019 के परिपत्र के आधार पर अपनी नीति तैयार की है, जो दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे से संबंधित है, ताकि ऋण खातों में प्रारंभिक तनाव को तुरंत, डिफॉल्ट रूप से, ऐसी परिसंपत्तियों को विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) के रूप में वर्गीकृत करके पहचाना जा सके। आपकी कंपनी ने आरबीआई परिपत्र दिनांक 06.08.2020, 07.09.2020 के तहत अनुमति के अनुसार कोविड–19 संबंधित तनाव के समाधान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की नीति और ब्याज किस्तों को स्थगित करने और कोविड–19 के तहत सावधि ऋण की शेष अवधि सहित पुनर्भुगतान अनुसूची को स्थानांतरित/परिवर्तित करने के लिए नीतिगत रूपरेखा को भी अंगीकृत किया है।

12. संयुक्त उद्यम कंपनी/सहयोगी कंपनी का निष्पादन और समेकित वित्तीय विवरणिकाएं

मैसर्स एम.पी. विंडफार्म्स लिमिटेड (एमपीडब्ल्यूएल) को इरेडा, म.प्र. के सहयोग से ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (मध्य प्रदेश उद्यम सरकार) और एक निजी क्षेत्र की पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में कंसोलिडेटेड एनर्जी कंसल्टेंट्स लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया गया जिनकी वर्तमान शेयरधारिता क्रमशः 24 प्रतिशत, 25 प्रतिशत और 49.5 प्रतिशत और शेष अन्य द्वारा धारित है। एमपीडब्ल्यूएल की प्रदत्त पूंजी ₹70 लाख थी जिसमें आपकी कंपनी की ₹12 लाख की प्रारंभिक सदस्यता और ₹100 लाख की अधिकृत शेयर पूंजी के सापेक्ष ₹4.80 लाख के बोनस शेयर शामिल है। एमपीडब्ल्यूएल ने वर्ष के लिए ₹10.56 लाख की हानि प्रतिवेदित की है। वित्त वर्ष 2020–21 के लिए किसी लाभांश का भुगतान नहीं किया गया। एमपीडब्ल्यूएल का प्रदर्शन आपकी कंपनी के प्रदर्शन और मैसर्स एमपी विंडफार्म्स लिमिटेड की लाभप्रदता/हानि को प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि यह राजस्व का बहुत छोटा हिस्सा है।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 129 और एसोसिएट्स और जेवी में निवेश पर इंडस्ट्रीज एएस–28 के अनुसार, आपकी कंपनी ने इंड–एएस प्रमाणित के आधार पर इक्विटी पद्धति के अनुसार एसोसिएट कंपनी में निवेश के लिए समेकित वित्तीय विवरण तैयार किया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए मेसर्स एमपीडब्ल्यूएल द्वारा प्रदान किए गए खाते। समेकित खाते कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ आगामी 34 वीं वार्षिक आम बैठक से पहले भी रखे जाएंगे। अधिनियम की धारा 129 की उप–धारा (3) के अनुसार, प्रपत्र एओसी–1 में सहयोगी के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं वाला एक विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है। समेकित वित्तीय विवरण सहित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण कंपनी की वेबसाइट www.ireda.in पर उपलब्ध हैं।

13. अनुसंधान और व्यापार विकास गतिविधियां

आपकी कंपनी ने व्यावसायिक प्रक्रियाओं में आईटी स्वचालन लाकर और प्रक्रिया को पारदर्शी और सिस्टम संचालित बनाकर अपने व्यवसाय के विकास के लिए विभिन्न अनुसंधान/विकास गतिविधियों के अपने प्रयास जारी रखे। इसके लिए, आपकी कंपनी ने उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के साथ माइक्रोसोफ्ट ऑफिस 365 के माध्यम से संपूर्ण ऑफिस प्रोडक्ट को क्लाउड एनवायरनमेंट में सफलतापूर्वक माइग्रेट कर दिया है। चल रहे माइक्रोसोफ्ट डायनेमिक्स – 365 ईआरपी कार्यान्वयन से प्रणाली और प्रक्रियाओं में स्वचालन में और वृद्धि होगी।

आपकी कंपनी ने विभिन्न आईटी हस्तक्षेपों के माध्यम से व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित की जिससे अधिकारियों को वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन), जो चल रहे कोविड–19 महामारी के दौरान सुरक्षित कनेक्शन थे, के माध्यम से घर से काम करने में सक्षम बनाया गया।

व्यावसायिक निर्णयों को सुविधाजनक बनाने के लिए वर्चुअल बैठकों की अनुमति देने के लिए आवश्यक आईटी अवसंरचना में और विस्तार किया गया।

13.1 सूचना का विस्तार

आपकी कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर अपने प्रकाशनों को

होस्ट करके अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण (ईईसी) और अपनी वित्तीय सहायता योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना जारी रखा।

प्रभावी आंतरिक संचार को सुनिश्चित करने के लिए, इंट्रानेट पोर्टल पर मासिक ई–बुलेटिन "ओडिसी" की मेजबानी की जा रही है। कंपनी की पहलों, उपलब्धियों, पुरस्कारों और प्रशंसाओं आदि को कवर करते हुए "इरेडा यात्रा" आपकी कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जा रही है, जो इसके इंट्रानेट पोर्टल के साथ–साथ वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। संगठन की निरंतर सकारात्मक छवि निर्माण के लिए आपकी कंपनी द्वारा मीडिया कवरेज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है।

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने दो महत्वपूर्ण प्रदर्शनियों में भाग लिया है। माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी वैश्विक अक्षय ऊर्जा का उद्घाटन किया। 26 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निवेश बैठक और एक्सपो (आरई–इन्वेस्ट 2020), जिसमें आपकी कंपनी ने अपने वर्चुअल पवेलियन के माध्यम से भारत में आरई को बढ़ावा देने के लिए अपनी पहल और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया है। इसके अलावा, आपकी कंपनी ने प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 24 से 26 मार्च 2021 तक आयोजित 'छठे स्मार्ट सिटीज एक्सपो 2021' में एक प्रदर्शनी मंडप स्थापित करके अपनी गतिविधियों और उपलब्धियों को भी प्रदर्शित किया है। इसका आयोजन संयुक्त रूप से भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) और प्रदर्शनी भारत समूह द्वारा किया गया था। तीन दिवसीय प्रदर्शनी के दौरान, निवेशकों, भूमि मालिकों और उद्योगपतियों सहित आगंतुकों को देश में अक्षय ऊर्जा की स्थिति, विकास और महत्व के बारे में बताया गया। इरेडा के अधिकारियों ने आगंतुकों को विभिन्न वित्तीय योजनाओं के माध्यम से अक्षय ऊर्जा के विकास में कंपनी द्वारा प्रदान की जा रही सहायता के बारे में भी बताया।

फीडबैक

आपकी कंपनी के पास एक समर्पित ऑनलाइन फीडबैक एप्लिकेशन है जिसके माध्यम से उधारकर्ता अपनी परियोजना के लिए ऋण स्वीकृति प्रक्रिया के बारे में अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही, आगंतुक पास तैयार करते समय आवेदक कंपनियों के प्रतिनिधियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के उद्देश्य से रिसेप्शन स्टाफ को भी ऑनलाइन फीडबैक एप्लीकेशन मुहैया कराया गया है।

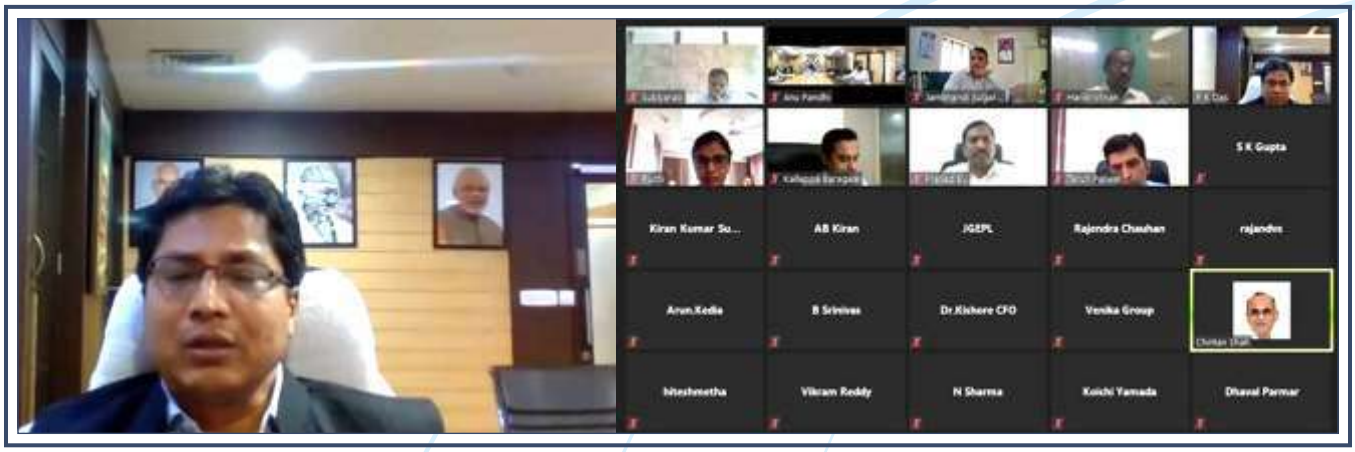
13.2 ग्राहक संबंध

एक ग्राहक केंद्रित संगठन होने के नाते, आपकी कंपनी व्यवसाय के विकास के लिए ग्राहकों की संतुष्टि को एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में रेखांकित करती है। आपकी कंपनी ने संगठन में रणनीतिक योजनाओं को विकसित और कार्यान्वित करके दिन–प्रतिदिन के व्यवहार में ग्राहकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए कई उपायों को शामिल किया है। आपकी कंपनी का एक अलग व्यवसाय विकास प्रभाग है जो ब्रांड जागरूकता का निर्माण करता है, कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, उभरते व्यावसायिक क्षेत्र में प्रवेश करता है, और अंततः उधारकर्ताओं, बाजारों और अन्य सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य बनाने के लिए ग्राहक आधार का विस्तार करता है।

आपकी कंपनी के पास ग्राहकों और जनता के सामने आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए एक मजबूत और सुलभ



इंडिया ट्रेड प्रोमोशन आरगनाइजेशन (आईटीपीओ) और एक्जीबिशन इंडिया ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 6 स्मार्ट सिटीज एकस्पो 2021, 24 मार्च से 26 मार्च प्रगति मैदान, नई दिल्ली में इरेडा सहभागी हुई।



इरेडा ने श्री प्रदीप कुमार दास, सीएमडी, इरेडा के अध्यक्षता में वर्चुअल मोड में उधारकर्ताओं के लिए बैठक आयोजित किया।

शिकायत निवारण प्रणाली है। कंपनी के पास अपनी कार्य गतिविधियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक अधिसूचित नागरिक चार्टर भी है। इनके अलावा, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा त्वरित सुनवाई की प्रतिक्रिया तंत्र के माध्यम से उधारकर्ताओं की समस्याओं का निवारण किया जाता है।

कंपनी की वेबसाइट पर एक ऑनलाइन ग्राहक पोर्टल उपलब्ध है जो उधारकर्ताओं को इरेडा के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाता है और उनके आवेदन के संबंध में वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए जैसे संवितरण की स्थिति, पुनर्भुगतान, फौजदारी, और अन्य खाता संबंधी जानकारी प्राप्त करता है। पोर्टल ग्राहकों से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल करता है और अप–टू–डेट रीयल–टाइम जानकारी के लिए एकल–बिंदु स्रोत के रूप में कार्य करता है। ग्राहकों की संतुष्टि के महत्व को रेखांकित करते हुए, ग्राहकों को ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म के माध्यम से इरेडा के साथ बातचीत करते समय अपने अनुभव पर प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। यह इरेडा को ग्राहकों के अनुभवों को समझने और उन्हें उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए हमारी प्रक्रियाओं को और परिष्कृत करने में सक्षम बनाता है।

14. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा आय और परिव्यय के संबंध में विवरण

14.1 ऊर्जा संरक्षणः पारिस्थितिकी और पर्यावरण

अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी और एक जिम्मेदार वित्तीय संस्थान होने के नाते, इरेडा ने वित्त पोषित परियोजनाओं का पर्यावरण और समाज पर जो भी न्यूनतम प्रभाव पड़े, उन्हें पहचानने और कम करने के लिए एक व्यापक पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) को अंगीकृत किया है। ईएसएमएस का दूसरा संस्करण नवंबर 2019 में अपनाया गया था और यह उसके बाद से प्रभावी है।

इरेडा की पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा इकाई (ईएसएसयू) पर ईएसएमएस के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के अलावा विभिन्न परियोजनाओं और उनकी संबंधित प्रौद्योगिकियों में पर्यावरण और सामाजिक (ई एंड एस) सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी है। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, इरेडा द्वारा वित्त पोषित सभी प्रौद्योगिकियों में लगभग 80 परियोजनाओं की ई एंड एस स्क्रीनिंग और वर्गीकरण किया गया था। अंतरराष्ट्रीय उधारदाताओं के साथ उनकी ई एंड एस आवश्यकताओं को समझने के लिए नियमित रूप से बातचीत की जाती है। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिली है कि इरेडा अपने ईएंडएस दायित्वों को पूरा करता है और उधारकर्ता अपनी परियोजनाओं से जुड़े ईएंडएस जोखिमों का प्रबंधन करते हैं।

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान की गई कुछ नई पहलों में ईएंडएस प्रक्रिया को माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365 में शामिल करना शामिल है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य सिस्टम के भीतर ई एंड एस स्क्रीनिंग और वर्गीकरण अनुमोदन प्रक्रिया को इस तरह से एकीकृत करना है कि पूरी प्रक्रिया को निर्बाध रूप से ऑनलाइन आयोजित किया जा सके।

14.2 प्रोद्योगिकी समावेशन

आपकी कंपनी अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के वित्तपोषण के कार्य में है और इस रिपोर्ट की तारीख तक किसी भी निर्माण सुविधा की स्वामी नहीं है अतः विषय वस्तु लागू नहीं होती है। तथापि, कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के

दौरान अपने संचालन में प्रौद्योगिकी का गहन उपयोग जारी रखा और निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरण के प्रकटीकरण के संबंध में कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के तहत प्रौद्योगिकी समावेशन से संबंधित कोई महत्वपूर्ण विवरण नहीं हैं।

14.3 विदेशी मुद्रा आय और परिव्यय

वर्ष के दौरान ब्याज और प्रतिबद्धता व्यय के कारण कुल ₹108.72 करोड़ विदेशी मुद्रा व्यय के सापेक्ष विदेशी मुद्रा जमाराशियों पर ब्याज के सापेक्ष ₹0.47 करोड़ की आय हुई। इसके अलावा, भारतीय मुद्रा में ₹432.24 करोड़ की हेजिंग लागत का भुगतान किया गया था।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय वित्तीय संस्थानों से ₹ 559.15 करोड़ (अंतर्वाह) जुटाए ।

15. निगमित सामाजिक दायित्व

आपकी कंपनी आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ तरीके से काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल इस सिद्धांत पर आधारित है और भारत सरकार के लक्ष्यों के साथ–साथ इसकी नीति में उल्लिखित सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप है। वर्षों से, आपकी कंपनी सतत विकास के लिए अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों से संबंधित परियोजनाओं में आत्मनिर्भर निवेश को बढ़ावा देने के अपने प्राथमिक व्यवसाय के माध्यम से समाज में मूल्य निर्माण में वृद्धि करना जारी रखे हुए है। इसकी सीएसआर गतिविधियों का उद्देश्य कंपनी के प्राथमिक व्यवसाय को समग्र सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं के साथ पूरक करना है। कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार सामुदायिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, हरित और ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के माध्यम से सामुदायिक विकास, समुदायों के सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है।

सीएसआर की गतिविधियों की निगरानी के लिए, कंपनी ने एक बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति स्थापित की है। समिति कंपनी की सीएसआर नीति तैयार करने और उसकी निगरानी करने के लिए जिम्मेदार है। सीएसआर नीति कंपनी की वेबसाइट www.ireda.in पर उपलब्ध है। कंपनी की सीएसआर गतिविधियों को शुरू करने के लिए



इरेडा ने अपनी सीएसआर पहल के तहत् दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को सम्फिया फाऊनडेशन, कुल्लू हिमाचल प्रदेश को ''थेरेपी ऑन व्हिल'' के लिए एमर कंडीशन मोबाइल मेडिकल वेन उपलब्ध कराया।

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) दिशानिर्देशों के अनुपालन में इरेडा की एक समर्पित सीएसआर इकाई भी है। भारत में कोविड–19 महामारी की चुनौती का जवाब देने के लिए, केंद्र सरकार ने एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट की स्थापना की है – प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति में राहत कोष (पीएम केयर्स फंड)। डीपीई और एमसीए ने दिशानिर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य देखभाल, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और आपदा प्रबंधन के तहत कोविड–19 (पीएम–केयर में योगदान सहित) से संबंधित गतिविधियों पर खर्च की गई धनराशि सीएसआर के तहत पात्र है।

वित्त वर्ष 2020–21 के लिए, बोर्ड ने कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कर से पहले औसत स्टैंडअलोन लाभ के 2: के आधार पर ₹7.27 करोड़ के सीएसआर बजट को मंजूरी दी है। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, ₹9.02 करोड़ मंजूर किए गए। ₹9.02 करोड़ की स्वीकृत पहलों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि (पीएम–केयर्स) फंड में राहत के लिए ₹7.50 करोड़ का योगदान और अस्पतालों/संगरोध केंद्रों में लगे हेल्थकेयर कर्मचारियों के लिए पीपीई किट, मास्क प्रदान करने महामारी के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों का समर्थन करने के लिए और बलरामपुर और चंदौली के आकांक्षी जिलों में कोविड उपयुक्त व्यवहार प्रचार सामग्री के लिए ₹72.40 लाख का योगदान शामिल है।

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान उन परियोजनाओं के लिए सीएसआर गतिविधियों पर ₹16.42 करोड़ खर्च किए हैं जो वर्ष के दौरान पूर्णध्चल रही थीं (वर्ष 2020–21 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं के लिए भुगतान किए गए ₹9.02 करोड़ सहित)। एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार कॉर्पोरेट के रूप में, आपकी कंपनी अपने सीएसआर प्रभाव को बढ़ाने और आने वाले वर्षों में खर्च करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका उद्देश्य व्यापक आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय उद्देश्यों को शामिल करके भारत के सतत विकास में एक बड़ी भूमिका निभाना है।

इरेडा की सभी सामाजिक विकास पहलों का मुख्य दर्शन प्रभाव और पर्यावरणीय स्थिरता की प्रतिबद्धताओं पर आधारित था। कंपनी ने शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास और सामुदायिक क्षेत्रों के विद्युतीकरण के क्षेत्र में भी सीएसआर पहल की है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की गतिविधियों और प्रत्येक सीएसआर गतिविधि के लिए किए गए व्यय पर वार्षिक रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुलग्नक–V में दी गई है।

16. निदेशक

16.1 बोर्ड और बोर्ड की समितियां

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आयोजित बोर्ड और इसकी समितियों की संरचना, संदर्भ शर्तों और बैठकों की संख्या का विवरण इस रिपोर्ट के साथ संलग्न निगमित शासन रिपोर्ट में प्रदान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान निदेशक मंडल की 13 (तेरह) बैठकें आयोजित की गई थीं।

ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां बोर्ड द्वारा लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया था।

16.2 निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, कम्पनी के निदेशक मंडल की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

क्र. सं.	नाम और निदेशकत्व की प्रकृति	नियुक्ति/ कार्यकाल समाप्ति की तारीख	नियुक्ति/ कार्यकाल समाप्ति
1.	श्री प्रदीप कुमार दास अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक* डीआईएनः 07448576	06.05.2020	नियुक्ति
2.	श्री भानु प्रताप यादव* अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएनः 07835275	06.05.2020	कार्यकाल समाप्ति
3.	श्री भानु प्रताप यादव* निदेशक (सरकारी नामित) डीआईएनः 07835275	12.06.2020	नियुक्ति
4.	श्री अमितेश कुमार सिन्हा निदेशक (सरकारी नामित) डीआईएनः 08672632	12.06.2020	कार्यकाल समाप्ति
5.	श्री संजय जैन स्वतंत्र निदेशक डीआईएनः 08103209	01.08.2020	कार्यकाल समाप्ति
6.	श्री अभिषेक महावर स्वतंत्र निदेशक डीआईएनः 02192597	13.09.2020	कार्यकाल समाप्ति
7.	डॉ. गनगिड़ी मनोहर रेड्डी स्वतंत्र निदेशक डीआईएनः 07028036	18.03.2021	कार्यकाल समाप्ति
8.	सुश्री माधुरी एम. स्वामी स्वतंत्र निदेशक डीआईएनः 07539535	18.03.2021	कार्यकाल समाप्ति

निदेशक मंडल श्री अमितेश के सिन्हा, निदेशक (सरकारी नामित), श्री संजय जैन (स्वतंत्र निदेशक), श्री अभिषेक महावर (स्वतंत्र निदेशक), डॉ गंगदी मनोहर रेड्डी (स्वतंत्र निदेशक) और सुश्री मधुश्री मंजुनाथ स्वामी (स्वतंत्र निदेशक) द्वारा इरेडा के निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कंपनी के विकास में किए गए बहुमूल्य योगदान की सराहना करता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी), सीएफओ और कंपनी सचिव कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) हैं। सीईओ की भूमिका का निर्वाह कंपनी के सीएमडी द्वारा किया जा रहा है और सीएफओ की भूमिका कंपनी के जीएम (एफएंडए) द्वारा निभाई गई थी। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान किसी भी केएमपी ने इस्तीफा नहीं दिया है। हालांकि, श्री बी.पी. यादव, सीएमडी और केएमपी, इरेडा, दिनांक 06.05.2020 से श्री प्रदीप कुमार दास की सीएमडी, इरेडा के रूप में नियुक्ति के बाद से सीएमडी और केएमपी नहीं रहे।

तत्पश्चात, श्री प्रदीप कुमार दास को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री चिंतन शाह, निदेशक (तकनीकी) से पहले 01.02.2020 से 05.05.2020 तक निदेशक (वित्त) अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया और इसे एमएनआरई द्वारा 06.05.2020 से अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया था।

वित्त वर्ष 2020–21 के क्लोजर के बाद, श्री दिनेश दयानंद जगदाले, संयुक्त सचिव, एमएनआरई को श्री भानु प्रताप यादव, निदेशक (सरकारी नामित) के स्थान पर निदेशक (सरकारी नामित) के रूप में नियुक्त किया गया है।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, महिला निदेशक सहित कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की समाप्ति के कारण, बोर्ड की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों, 2010 के अनुरूप नहीं थी। कंपनी ने पहले ही नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, यानी नियुक्ति प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वह कंपनी के बोर्ड में महिला निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाए, ताकि लागू सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन अनुपालन किया जा सके।

सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में, सभी स्वतंत्र निदेशकों ने अपने कार्यकाल के दौरान अपनी अपेक्षित घोषणा की थी कि वे स्वतंत्रता के निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं और कोई भी निदेशक परस्पर संबंधित नहीं हैं।

17. निदेशक मंडल / स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (ड.) के अनुसार, योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं, निदेशक की स्वतंत्रता और अन्य मामलों के निर्धारण के लिए निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक मानदंड पर नीति के प्रकटीकरण की अपेक्षा अधिनियम की धारा 178 की उप–धारा (3) के तहत सरकारी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 5 जून, 2015 के तहत छूट प्रदान की गई है। इसलिए, आपकी कंपनी को उपरोक्त अधिसूचनाओं के संदर्भ में छूट दी गई है।

चूंकि इरेडा एक सरकारी कंपनी है, कार्यात्मक निदेशकों के चयन, नियुक्ति और नियुक्ति की प्रक्रिया एमएनआरई और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के माध्यम से कार्य करने वाले भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है। सरकारी नामित निदेशकों की नियुक्ति एमएनआरई (संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय) द्वारा की जाती है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति कंपनी के बोर्ड में भारत सरकार द्वारा अपने प्रशासनिक मंत्रालय (एमएनआरई) के माध्यम से डीपीई के परामर्श से की जाती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में, आपकी कंपनी को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में एक विवरण प्रकट करना आवश्यक है जिसमें बोर्ड, उसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के प्रदर्शन का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन किया गया है और नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा निर्धारित अपने स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए मानदंड। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) / प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा उनके आंतरिक दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था।

स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा के भीतर बोर्ड द्वारा अनुमोदित बोर्ड और समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क के हकदार हैं। सरकार द्वारा नामित निदेशकों को कंपनी द्वारा कोई पारिश्रमिक / बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है। आपके निदेशक सदस्यों का ध्यान वित्तीय विवरण के अन्य खर्चों के नोट–38 की ओर आकर्षित करते हैं, जो वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशक को बैठक शुल्क के लिए भुगतान की गई राशि को निर्धारित करता है।



इरेडा ने दिनांक 08.03.2021 को सभी कार्यक्षेत्र में महिला नेतृत्व को प्रोत्साहित करने के लिए इंटरनेशनल महिला दिवस मनाया।

18. मानव संसाधन विकास

18.1 मानव संसाधन

आपकी कंपनी अपने सबसे महत्वपूर्ण संसाधन यानी अपनी सक्षम मानवशक्ति को प्रमुख संपत्ति और संगठनात्मक सफलता के मुख्य तत्व के रूप में महत्व देती है। पूरी कम्पनी में एक सुरक्षित और समावेशी कार्य वातावरण बनाए रखा जाता है, जिसमें कर्मचारी पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों तरह से विकसित हो सकते हैं। अभूतपूर्व कोविड–19 महामारी के आलोक में, कंपनी ने सभी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम सुविधा को अपनाया। वायरस के बारे में जागरूकता और सुरक्षा दिशा–निर्देश सुनिश्चित करने के लिए कंपनी भर में प्रसारित किया गया। वहीं, कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए वरिष्ठ प्रबंधन से नियमित संवाद किया गया।

संरचित मानव संसाधन विकास की दिशा में कंपनी के प्रयासों में क्षमताओं को मजबूत करना हमेशा फोकस क्षेत्र रहा है। कोविड–19 अपने साथ एक अलग प्रौद्योगिकी संचालित दुनिया लेकर आया है जहां कम इनपुट के माध्यम से अधिक परिणाम उत्पन्न किए जा सकते हैं। नया परिदृश्य निर्णय लेने की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उपकरणों को लागू करने के अतिरिक्त लाभ की पेशकश करते हुए प्रौद्योगिकी के साथ कम से कम आंदोलन के साथ जिम्मेदारियों का कुशल निर्वहन प्रदान करता है।

प्रतिभा के लिए एक तेजी से प्रतिस्पर्धी बाजार में, कंपनी ने कई रणनीतिक हस्तक्षेपों के माध्यम से सही प्रतिभा को आकर्षित करने और बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया और एक कार्य संस्कृति को बढ़ावा दिया जो हमेशा कर्मचारियों को उनकी क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। 31 मार्च, 2021 तक, कंपनी में 157 पूर्णकालिक कर्मचारी थे।

व्यापार करने में आसानी की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए, वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, आपकी कंपनी ने वित्तीय राजधानी होने के नाते मुंबई में अपना तीसरा शाखा कार्यालय खोला है। कोविड–19 महामारी के समय में, यह कदम ग्राहक, उधारकर्ताओं और अन्य हितधारकों के लिए विशेष रूप से सहायक होगा। आपकी कंपनी व्यवसाय की क्षमता के अनुसार देश के अन्य भागों में शाखा कार्यालय खोलने पर विचार करेगी।

मानव संसाधन विकास के लिए प्रतिभा की पुनःपूर्ति और योग्यता अंतराल को पाटना महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। मूल सिद्धांत युवा पीढ़ी को 'भविष्य के नेताओं' के रूप में

तैयार करने के इर्द–गिर्द घूमता है। आपकी कंपनी इस प्रौद्योगिकी सक्षम ''न्यू नॉर्मल'' के तहत अधिक और बेहतर देने की इच्छा रखती है। इस कोविड–19 परिदृश्य में, कंपनी ने अपने अधिकांश प्रशिक्षण नियमों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित कर दिया है, जिससे इसके कार्यबल के ज्ञान उन्नयन में किसी भी व्यवधान को कम किया जा सके और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

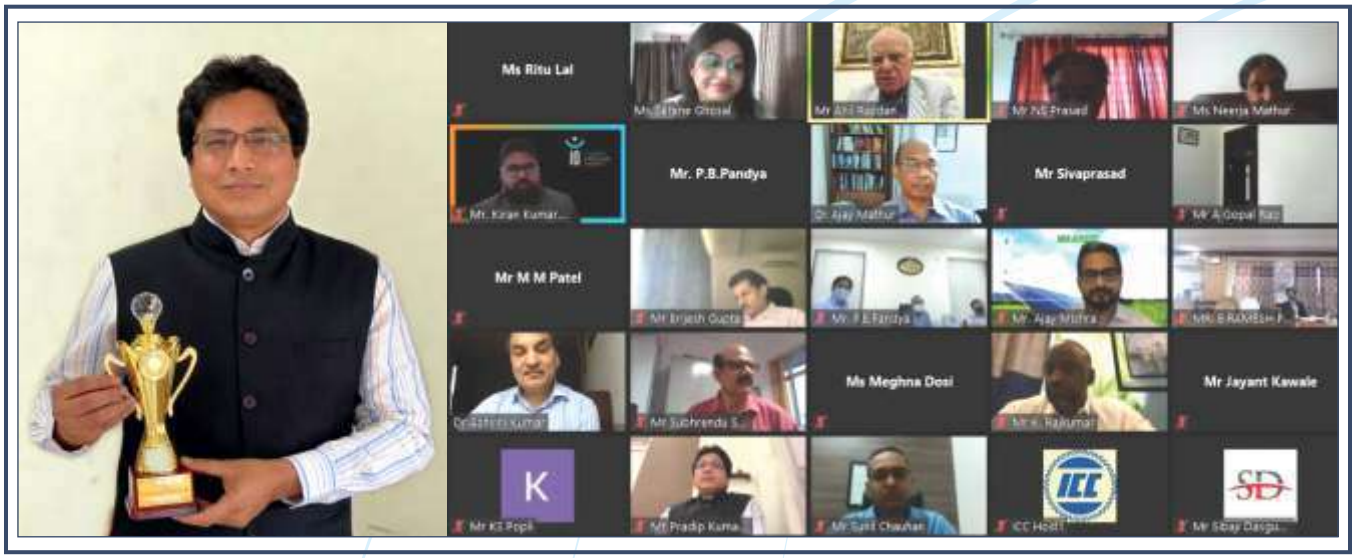
इसके अलावा, आपकी कंपनी का मानना है कि इसके मानव संसाधन का निरंतर विकास जुड़ाव को बढ़ावा देता है और पर्याप्त प्रशिक्षण अवसर प्रदान करके अपने मौजूदा मानव संसाधनों के महत्वपूर्ण सीखने और विकास के लिए तैयार है। व्याख्यान श्रृंखला और अन्य केंद्रित विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कर्मचारियों के लिए कई इन–हाउस आभासी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान की गई। कॉर्पोरेट लक्ष्यों के अनुरूप विशिष्ट कौशल विकास सुनिश्चित करने के लिए आभासी कार्यक्रमों के संचालन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। वर्चुअल मोड के माध्यम से बाहरी प्रशिक्षण एजेंसियों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण के लिए इरेडा कर्मचारियों को प्रायोजित करके ''क्रेडिट विश्लेषण के बुनियादी सिद्धांत'', ''नेटवर्क और सुरक्षा प्रशासन'', ''लचीला प्रतिभा प्रबंधन'' ''बैंकों और वित्तीय संस्थानों में मानव संसाधन प्रबंधन'' पर प्रशिक्षण जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रशिक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित ''लीडर के रूप में महिला'' कार्यक्रम में इक्कीस महिला कर्मचारियों ने भाग लिया। कर्मचारियों ने कोविड 19 से संबंधित ''कोविड 19 के दौरान वित्तीय स्वतंत्रता पर मंत्र'', ''कोविड 19 जोखिमों को कम करने के लिए वॉश मानक'' जैसे आभासी प्रशिक्षणों में भाग लिया।

हमारे कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के लिए ई–लर्निंग नीति को उनके प्रासंगिक क्षेत्रों, तकनीकी और प्रबंधकीय दक्षताओं, नेतृत्व, आत्म–विकास, सामान्य प्रबंधन कार्यक्रमों आदि में प्रमुख संस्थानों के ई–लर्निंग कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर देकर पेश किया गया था। वर्ष के दौरान, कंपनी ने कुल 526 मानव–दिवस का प्रशिक्षण प्राप्त किया।

वर्ष के दौरान जेम पोर्टल के माध्यम से की गई वस्तुओं और सेवाओं की खरीद, पिछले वर्ष वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद की तुलना में 60.75 प्रतिशत है।



इरेडा ने दिनांक 26.09.2020 को मुम्बई में अपनी तीसरी शाखा कार्यालय खोला।



श्री प्रदीप कुमार दास, सीएमडी, इरेडा ने दिनांक 11.05.2021 को वर्चुअल समारोह में डॉ. अजय माथूर, महानिदेशक, अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन से श्री अनिल रजदान, अध्यक्ष आईसीसी राष्ट्रीय विशेषज्ञ ऊर्जा समिति श्री उपस्थिति में इरेडा की और से ''ग्रीन ऊर्जा अवॉर्ड'' प्राप्त किया।

18.2 कार्मिक और औद्योगिक संबंध

आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों को अपनी सबसे मूल्यवान परिसंपत्ति मानती है और इसका उद्देश्य व्यावसायिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी मानवीय संपत्तियों को संरेखित करना है। इरेडा ने नीतिगत हस्तक्षेपों और प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सुधार के माध्यम से कंपनी में प्रदर्शन संस्कृति में सुधार के लिए कई उपाय किए हैं। वर्ष के दौरान, इरेडा ने 526 मानव दिवस प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, और 6 अधिकारियों ने सप्ताह भर चलने वाले वेबिनार में भाग लिया है। वर्ष 2020–21 के दौरान कठिन परिस्थितियों के बावजूद, इरेडा ने आभासी प्रशिक्षण कार्यक्रमों, व्याख्यान श्रृंखला और अन्य केंद्रित विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कर्मचारियों को सुविधा प्रदान की।

18.3 कर्मचारियों के विवरण और संबंधित प्रकटीकरण

कॉरपोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) ने 5 जून 2015 की अधिसूचना के तहत सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों के प्रकटीकरण की आवश्यकता से छूट दी है। इसलिए, कोई प्रकटीकरण किया जाना अपेक्षित नहीं है।

18.4 पदों का आरक्षण

आपकी कंपनी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईएसएम/दिव्यांग कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करती है। उठाए गए कदमों में सीधी भर्ती के साथ–साथ पदोन्नति के लिए विभिन्न निर्देशों के तहत उचित आरक्षण और छूट शामिल है। आरक्षण के मामले को देखने के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है।

ग्रुप	कुल कर्मचारी 31 मार्च, 2021	अनु.जा.		अनु.जन.		ओबीसी	
		नं.	%	नं.	%	नं.	%
क	135	17	12.59	08	5.93	22	16.30
ख	01	00	0.00	00	0.00	00	0.00
ग	21	06	28.57	01	4.76	03	14.29
घ	00	00	0.00	00	0.00	00	0.00
कुल	**157**	**23**	**14.65**	**09**	**5.73**	**25**	**15.92**

18.5 पुरस्कार और सम्मान

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के वित्तपोषण में आपकी कंपनी के प्रयासों को क्षेत्र द्वारा मान्यता दी गई है। इरेडा को इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) द्वारा ''इस वर्ष आरई के लिए वित्तीय संस्थान'' में ''अग्रणी सार्वजनिक संस्थान'' के लिए सरकारी क्षेत्र की श्रेणी में ''हरित ऊर्जा पुरस्कार'' से सम्मानित किया गया है।

18.6 महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

आपकी कंपनी में महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्रों में महिलाएं हैं। महिलाओं का प्रतिनिधित्व पदानुक्रमित



इरेडा कर्मचारियों ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने आवासों में सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए 21.06.2021 को 6 वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया।

स्तरों तक गया है। कंपनी इस विषय पर भारत सरकार के दर्शन के अनुरूप महिलाओं के लिए समान विकास के अवसर प्रदान करती है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व अच्छी तरह से किया जाता है, जो कुल कार्यबल का 24 प्रतिशत हिस्सा है।

कंपनी अपने सामाजिक दायित्व के तहत भारत सरकार द्वारा समय–समय महिला कर्मचारियों के कल्याण के संबंध जारी निर्देशों और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करती है।

18.7 शिकायत निवारण

आपकी कंपनी के पास मौटे तौर पर जनता की शिकायतों के निपटान के लिए एक शिकायत निवारण प्रणाली है। प्रणाली को विधिवत अधिसूचित किया जाता है, और नोडल अधिकारी अनुमेय समय सीमा के भीतर शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करते हैं। आपकी कंपनी द्वारा अपनी कार्य गतिविधियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सिटीजन चार्टर को भी अधिसूचित किया गया है। आसान पहुंच की सुविधा के लिए चार्टर कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

18.8 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण।

आपकी कंपनी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से मुक्त सकारात्मक कार्यस्थल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए, आपकी कंपनी द्वारा ऐसी किसी भी घटना की रिपोर्ट करने की स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जाती है। कंपनी में ''कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013'' के तहत यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण), अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप उक्त अधिनियम के तहत कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है।

19. वार्षिक विवरणी के उद्धरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, निर्धारित प्रारूप में आपकी कंपनी की वार्षिक रिटर्न का एक उद्धरण कंपनी

की वेबसाइट के वेब लिंक http://www.ireda.in/forms/contentpage.aspx?lid=1823 पर उपलब्ध है।

20. सांविधिक प्रकटीकरण

(क) वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कम्पनी के कारोबारी की प्रकृति में कोई प्रमुख परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ख) वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कम्पनी ने कोई सार्वजनिक जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

(ग) नियामकों या न्यायालयों या ट्रिब्यूनलों द्वारा कोई महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया था जो भविष्य में कंपनी की सुनाम प्रतिष्ठान की स्थिति और प्रचालनों को प्रभावित करता हो।

(घ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा –186(11) के अनुसरण में, कंपनी द्वारा दिए गए ऋण, दी गई गारंटी या कंपनी द्वारा प्रदान की गई प्रतिभूतियां जो कंपनियों के वित्तपोषण के कारोबार में लगी हैं या अपने व्यवसाय के सामान्य क्रम में अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए लागू नहीं होती। इसलिए, कोई प्रकटीकरण किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

(ङ) कंपनी ने कंपनी के निदेशकों या किसी कर्मचारी को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किए हैं।

(च) वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं। विवरण के लिए, कृपया 'प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट' देखें।

(छ) कंपनी में एमएसएमई के लिए दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत आवश्यक प्रकटीकरण वित्तीय विवरण के नोट–38(5) के तहत उल्लिखित हैं।

(ज) वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी ने वित्तीय लेनदार की क्षमता में, अपने उधारकर्ताओं के खिलाफ बकाया ऋण की वसूली के लिए, कॉर्पोरेट देनदार होने के नाते, दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के समक्ष सात याचिकाएँ दायर की हैं। 7 आवेदनों में से, 1 (एक) आवेदन को बंद कर दिया गया है और हमें अंतिम आदेश प्राप्त हो गया है, जबकि 6 आवेदन माननीय एनसीएलटी के समक्ष विचाराधीन हैं।

(झ) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान के साथ एकमुश्त निपटान का कोई उदाहरण नहीं था।

21. लेखापरीक्षक और लेखों का निरीक्षण

21.1 सांविधिक लेखापरीक्षा

मैसर्स डीएसपी एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली (फर्म पंजीकरण संख्याः 006791N) को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए इरेडा के सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया था। सांविधिक लेखा परीक्षकों ने वित्त वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी के खातों का ऑडिट किया है और बिना किसी योग्यता, प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण के अपनी ऑडिट रिपोर्ट दी है। ऑडिट रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के प्रावधानों के अनुसार, न तो सांविधिक लेखा परीक्षकों और न ही सचिवीय लेखा परीक्षक ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान धोखाधड़ी की किसी घटना की सूचना दी है।

21.2 लेखापरीक्षा समीक्षा

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से खातों पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

21.3 आंतरिक लेखापरीक्षा

यह सुनिश्चित करने के लिए कि पर्याप्त जांच और संतुलन मौजूद है और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सुव्यवस्थति है, स्वतंत्र आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा नियमित और संपूर्ण आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित की जाती है, वे आंतरिक नियंत्रण, ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रक्रियाओं की समीक्षा करते हैं। लेखापरीक्षा कार्य भी विभिन्न जोखिमों को कम करने के लिए परिचालन प्रक्रिया और सेवा गुणवत्ता में सुधार की सक्रिय रूप से अनुशंसा करता है।

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए मैसर्स रवि राजन एंड कंपनी एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया है। निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति समय–समय पर कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (सूचीकरण दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 में निर्धारित लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों की समीक्षा करती है।

आपकी कंपनी जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा के कार्यान्वयन के संबंध में 3 फरवरी, 2021 के भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुपालन में 31.3.2022 तक जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा को लागू करेगी।

21.4 सचिवालयी लेखापरीक्षा

अधिनियम, 2013 की धारा 204 और उसके तहत नियमों के तहत वित्त वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा कंपनी सचिवों को कंपनी मैसर्स पी.सी. जैन एंड कंपनी को नियुक्त किया गया था। कंपनी भारत के कंपनी सचिवों के संस्थान द्वारा जारी लागू सचिवालयी मानकों का अनुपालन करती है। 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुलग्नक–VI में संलग्न है और यह स्वयं व्याख्यात्मक है।

21.5 लागत लेखापरीक्षा

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2020–21 के लिए केरल राज्य में कासरगोड में स्थित 50 मेगावाट सौर परियोजना के लिए मैसर्स के.एल. जयसिंह एंड कंपनी, नई दिल्ली को लागत लेखा परीक्षक नियुक्त किया है।

आपकी कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप–धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के तहत निर्धारित लागत लेखा रिकॉर्ड का अनुरक्षण कर रही है।

22. निगमित शासन

हमारे कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रथाओं के लिए इरेडा की कुंजी यह सुनिश्चित करना है कि हम हमेशा सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता के माध्यम से अपने हितधारकों का विश्वास हासिल करें और बनाए रखें। हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए, इरेडा नैतिक व्यावसायिक निर्णय लेने और मूल्यों के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ व्यवसाय संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी के सभी हितधारकों के विश्वास को बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है। इरेडा में, बोर्ड व्यापक अर्थों में अपने प्रत्ययी दायित्वों का निर्वहन करता है।

आपकी कंपनी सर्वोत्तम कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं का अक्षरशः अनुपालन करती है। इरेडा में, हम कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों और सर्वोत्तम प्रथाओं को विकसित और उनका पालन करते हैं। आपकी कंपनी कंपनी के संचालन और प्रदर्शन, नेतृत्व और शासन के बारे में समय पर और सटीक जानकारी का खुलासा करना एक अंतर्निहित जिम्मेदारी मानती है। आपकी कंपनी ट्रस्टीशिप, पारदर्शिता, सशक्तिकरण, जवाबदेही और कॉर्पोरेट नैतिकता पर आधारित संस्कृति का अनुसरण करती है।

आपकी कंपनी ने मैसर्स पी.सी. जैन एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज के माध्यम से निगमित शासन लेखापरीक्षा करवाईहै। । कॉरपोरेट गवर्नेंस पर एक विस्तृत रिपोर्ट और निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा बनने वाले कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में उक्त फर्म द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमशः अनुलग्नक–VII और अनुलग्नक– VIII के रूप में संलग्न हैं।

22.1 संबंधित पक्षकारों के साथ संविदाओं या समझौतों का विवरण

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 में परिभाषित संबंधित पक्षकारों के साथ कोई भी महत्वपूर्ण संविदा/समझौता/लेन–देन नहीं किया है, इसलिए फॉर्म एओसी–2 में कोई प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। आपके निदेशक सदस्यों का ध्यान वित्तीय विवरणों के ''लेखों पर टिप्पणियों'' के नोट 38 (10) की ओर आकर्षित करते हैं जो संबंधित पार्टी प्रकटीकरण को निर्धारित करता है।

23. कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं (यदि कोई हो) जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच हुई हों

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हुई हैं, जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच हुई हों।

24. सतर्कता

आपकी कंपनी केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा जारी सभी निर्देशों/दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करती है। आपकी कंपनी किए गए/संभावित गलत कार्यों के बारे में पता लगाने के लिए निवारक जांच भी करती है। शिकायतों की जांच करना, जांच रिपोर्ट की प्रक्रिया करना, आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए मामले को केंद्रीय सतर्कता आयोग को संदर्भित करना और प्रक्रिया और प्रणालियों में अधिक समानता और निष्पक्षता लाने के लिए प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव/सिफारिश करना।



श्री प्रदीप कुमार दास, सीएमडी, इरेडा ने श्री चिंतम शाह निदेशक (तकनीकी), इरेडा, डा. सुनीता सिंह, सीवीओ, आरईसी और श्रीमती विशालजीत, सीवीओ, एनटीपीसी की उपस्थिति में सतर्कता पक्षिका की अद्यतन अंक 'पहल' का विमोचन किया।

सतर्कता आपकी कंपनी की प्रणाली और प्रक्रिया में अधिक निष्पक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के अधिक से अधिक उपयोग पर भी जोर देती है। सभी हितधारकों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने और संगठनात्मक दक्षता बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग एक प्रभावी उपकरण के रूप में किया गया था। निवारक सतर्कता और प्रणाली में सुधार पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है, साथ ही जहां कहीं भी आवश्यक हो, दंडात्मक सतर्कता के लिए जा रहा है। आपकी कंपनी ने दिन–प्रतिदिन के कार्यों में कमियों को दूर करने और पारदर्शिता की पुष्टि करने के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाने के लिए दिशा–निर्देश/प्रभावी दिशा–निर्देश भी जारी किए।

केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2020 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2020 मनाया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय था, ''भारत, समृद्ध भारत''। . उद्घाटन समारोह में इरेडा के सभी कर्मचारियों द्वारा वर्चुअल मोड में सत्यनिष्ठा की शपथ ली गई। ''सतर्क भारत, समृद्ध भारत'' जैसे विभिन्न विषयों पर सेमिनार; सुशासन के एक उपकरण के रूप में निवारक सतर्कता, सतर्कता संभावित से परियोजना मूल्यांकन का उचित परिश्रम'' और ''भ्रष्टाचार का मुकाबला – एक प्रवर्तक के रूप में प्रौद्योगिकी'' को इरेडा के अधिकारियों को भ्रष्टाचार और देश और समाज में इसके परिणामों से संबंधित संवेदनशील बनाने के लिए आयोजित किया गया था। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान। इरेडा के कर्मचारियों के लिए भाषण और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया। हिन्दी भाषा में भागीदारी को बढ़ावा दिया गया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के एक भाग के रूप में, इरेडा ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई और अहमदाबाद स्थित अपने कार्यालयों में ''विक्रेता/ग्राहक शिकायत निवारण शिविर'' का आयोजन किया था।

सप्ताह का समापन सीएमडी, इरेडा द्वारा समापन नोट के साथ किया गया। इस अवसर पर सुश्री सुनीता सिंह, आईएफसी, सीवीओ, आरईसी और सुश्री त्रिशालजीत सिंह, आईओपीएस, सीवीओ, एनटीपीसी की उपस्थिति में ''विजिलेंस जर्नल – पहल खंड 4'' का विमोचन भी किया गया।



इरेडा में 14 सितम्बर से 28 सितम्बर 2020 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया।

सतर्कता प्रबंधन के एक प्रभावी उपकरण के रूप में कार्य करती है, जिसमें निवारक सतर्कता पर बल दिया जाता है। इस पहलू पर निरंतर आधार पर विभिन्न इकाइयों का समय–समय पर औचक निरीक्षण कर जोर दिया गया। वर्ष के दौरान तकनीकी, वित्त और लेखा, प्रशासन, कानूनी, वसूली और मानव संसाधन विभाग से जुड़े निवारक जांचों की संख्या के परिणामस्वरूप प्रणाली में सुधार और कार्रवाई, जैसा लागू हो, की गई।

₹50 लाख से अधिक मूल्य की सभी संविदाओं के लिए सत्यनिष्ठा समझौता लागू किया गया है। इरेडा के पास एक ''स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम)'' है, जिसे केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सत्यनिष्ठा समझौते के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए अनुमोदित किया गया है।

सीवीसी के निर्देशों के अनुपालन में, कंपनी में संवेदनशील पदों की पहचान की गई और संबंधित अधिकारियों को नियमित आधार पर रोटेशन किया गया। 5 अप्रैल, 2021 को सीबीआई के परामर्श से दिल्ली में कॉर्पोरेट और पंजीकृत कार्यालयों और हैदराबाद चेन्नई में शाखा कार्यालयों के संबंध में वर्ष 2021 के लिए सहमत सूचियों को अंतिम रूप दिया गया। 5 अप्रैल, 2021 को वर्ष 2021–22 के लिए एकदिवसीय सूची को भी अंतिम रूप दिया गया। निर्धारित आवधिक सांख्यिकीय विवरणियां सीवीसी, एमएनआरई को समय पर भेजी गईं। सीवीसी नियमावली की आवश्यकताओं के अनुसार सभी सीवीसी अनुपालन निर्धारित समय के भीतर किए गए हैं। आयोग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों आदि को सूचना और आवश्यक अनुपालन के लिए इरेडा के कर्मचारियों के बीच परिचालित किया जाता है।

सभी शिकायतों का निपटारा केंद्रीय सतर्कता आयोगों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया है। इस दौरान दर्ज शिकायतों के संबंध में सतर्कता विभाग ने विस्तृत जांच की।

25. राजभाषा कार्यान्वयन

आपकी कंपनी राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार और नरकास द्वारा जारी दिशा–निर्देशों और निर्देशों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और हिंदी ज्ञान, टाइपिंग और शॉर्टहैंड प्रशिक्षण में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया गया था। आपकी कंपनी में राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाता रहा और राजभाषा वार्षिक

कार्यक्रम पर आधारित चेक प्वाइंट समय–समय पर जारी किए गए।

राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए, हिंदी भाषा में एसएमएस सेवाएं, इरेडा का इंट्रानेट पोर्टल, द्विभाषी भाषा में इरेडा की वेबसाइट कंप्यूटर पर हिंदी के उपयोग में तेजी लाने के लिए एक उपकरण के रूप में उपलब्ध है। कंपनी के सभी कर्मचारियों को दैनिक आधार पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में एक शब्द एसएमएस के माध्यम से भेजा जाता है। इसके अलावा, कंपनी की आंतरिक मासिक पत्रिका "ओडिसी" द्विभाषी आधार पर प्रकाशित होती है, जिसमें हिंदी गतिविधियों को भी शामिल किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान वर्चुअल मोड के माध्यम से विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं और हिंदी कार्यशालाओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। साथ ही हिन्दी पखवाड़े एवं हिन्दी दिवस के भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। हिंदी दिवस के अवसर पर इरेडा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा ई–पत्रिका का विमोचन किया गया। हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह में पुरस्कार के अलावा हिंदी प्रतियोगिताओं के पुरस्कार विजेताओं को हिंदी पुस्तकें भी प्रदान की गईं। हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के लिए इरेडा में नियमित रूप से ई–पत्रिका ''अक्षय क्रांति'' का प्रकाशन किया जाता है। ई–पत्रिका ''अक्षय क्रांति'' को हिंदी पखवाड़े में जारी किया गया था जो इरेडा की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, इरेडा ने नरकास के तत्वावधान में वर्चुअल मोड के माध्यम से अन्य सभी उपक्रमों के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन किया और नराकास द्वारा प्रतियोगिता के आयोजन के लिए आयोजक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।

26. सूचना अधिकार अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधिनियमन के अनुसरण में, इरेडा ने भारत के नागरिकों को सूचना प्रदान करने और जवाबदेही और कंपनी के कामकाज में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू किया है। कंपनी ने आरटीआई अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) को नामित किया है।

वित्तीय वर्ष 2020–2021 के दौरान, आरटीआई अधिनियम के तहत 152 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 150 आवेदनों का मार्च 2021 के अंत तक निपटारा कर दिया गया था। शेष 02 आवेदनों को भी अधिनियम के अनुसार वैधानिक समय सीमा होने के कारण बाद में संसाधित किया गया था।

आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के अनुपालन में, अपेक्षित प्रकटीकरण को अद्यतन किया गया है और इरेडा की वेबसाइट पर होस्ट किया गया है। इरेडा ने सक्रिय प्रकटीकरण दिशानिर्देशों के उचित अनुपालन के लिए एक नोडल अधिकारीध्पारदर्शिता अधिकारी भी नामित किया है। इसके अलावा, कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि सूचना को व्यापक रूप से ऐसे रूप और तरीके से प्रसारित किया जाए जो जनता के लिए आसानी से सुलभ हो। "

इसके अलावा, आरटीआई आवेदनों के लिए एक रजिस्टर भी रखा जाता है जिसमें सभी आवेदनों को पंजीकृत किया जाता है और आवेदन के निपटान पर उनकी स्थिति को अद्यतन किया जाता है। इसके अलावा, ऑनलाइन पोर्टल की भी नियमित रूप से देखभाल की जा रही है और डेटा को नियमित आधार पर अपडेट किया जाता है।

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, न तो माननीय केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) से कोई नोटिस प्राप्त हुआ और न ही इरेडा या उसके अधिकारियों पर कोई जुर्माना लगाने का कोई प्रतिकूल आदेश प्राप्त हुआ।

27. भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन

आपकी कंपनी ने वर्ष 2020–21 के लिए प्रमुख लक्ष्य निर्धारित करते हुए भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। आपकी कंपनी का प्रदर्शन ''उत्कृष्ट'' होने की उम्मीद है।

28. निदेशकों का दायित्व विवरण

निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(सी) और धारा 134(5) के तहत अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि:

(क) 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक खातों की तैयारी में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है और इससे कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं है:



इरेडा ने विरूदनगर जिला, तमिलनाडु में 5 मेगावाट सोलर पीवी ग्रिड कनेक्टेड प्रोजेक्ट का वित्तपोषण किया।

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण थे, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में और कंपनी के मामलों की स्थिति और 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का लाभ का सही और निष्पक्ष दृश्य प्रदान किया जा सके:

(ग) निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा है:

(घ) निदेशकों ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा को सुनाम प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किया है:

(ङ) निदेशकों ने कंपनी द्वारा अनुसरण किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं और यह कि ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे: तथा

(च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और यह कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

29. आभारोक्तियां

आपके निदेशक भारत सरकार, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, मंत्रालय कॉर्पोरेट मामले और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयधविभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, सार्वजनिक उद्यम विभाग, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और अन्य नियामकों का उनके द्वारा कम्पनी को दिए गए निरंतर मार्गदर्शन, समर्थन और प्रोत्साहन के लिए अपना आभार स्वीकार करना और इसे रिकॉर्ड पर रखना चाहेंगे। आपके निदेशक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों जैसे जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए), क्रेडिटनस्टाल्ट फर विडेराउफबाउ (केएफडब्ल्यू), एशियाई विकास बैंक (एडीबी), एजेंस फ्रैंचाइज डी डेवलपमेंट (एएफडी), यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी), नॉर्डिक निवेश बैंक (एनआईबी), अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) और विश्व बैंक के समर्थन और सहयोग के लिए भी अपनी सराहना करते हैं।

आपके निदेशक भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी), सांविधिक लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों, लागत लेखा परीक्षकों और आंतरिक लेखा परीक्षकों को उनके मूल्यवान समर्थन और मार्गदर्शन के लिए आभारी हैं।

आपके निदेशक इस अवसर पर सभी स्तरों पर हमारे कर्मचारियों द्वारा किए गए योगदान के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त करते हैं। उनकी कड़ी मेहनत, एकजुटता, सहयोग और समर्थन से हमारी कंपनी का निरंतर विकास संभव हुआ है।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./–
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन:07448576

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 20 सितंबर, 2021

अनुलग्नक-I

पिछले पांच वर्ष के दौरान राज्य–वार संस्वीकृति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		वर्ष 1987 से संचित	
		परियोजनाओं की संख्या	ऋण की राशि	परियोजनाओं की संख्या	ऋण की राशि	परियोजनाओं की संख्या	ऋण की राशि	परियोजनाओं की संख्या	ऋण की राशि	परियोजनाओं की संख्या	ऋण की राशि	परियोजनाओं की संख्या	ऋण की राशि
क	**राज्य**												
1	आंध्र प्रदेश	11	2025.00	17	3231.81	8	1801.90	4	1666.72	9	593.21	322	12697.15
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	2	98.92	1	33.42	0	0.00	2	133.39	10	1249.23
3	असम	0	0.00	1	300.00	4	20.65	1	34.50	0	0.00	9	364.55
4	बिहार	0	0.00	0	0.00	2	11.42	0	0.00	0	0.00	12	48.09
5	छत्तीसगढ़	0	0.00	2	271.15	1	29.95	1	33.58	2	126.47	13	627.96
6	गुजरात	5	660.00	6	274.62	13	1068.50	9	1147.88	13	1322.65	178	7040.03
7	गोवा	0	0.00	0	0.00	1	300.00	0	0.00	0	0.00	9	300.62
8	हरियाणा	0	0.00	0	0.00	2	11.05	4	288.17	4	232.35	38	680.90
9	हिमाचल प्रदेश	5	74.05	4	68.77	3	51.09	3	62.80	13	312.70	108	3118.03
10	जम्मू–कश्मीर	0	0.00	1	6.25	0	0.00	1	312.42	1	6.00	6	340.35
11	झारखण्ड	0	0.00	0	0.00	1	0.54	0	0.00	1	0.99	9	141.42
12	कर्नाटक	18	645.56	24	2602.28	14	1060.47	22	1384.56	20	954.19	403	12296.93
13	केरल	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	33	256.11
14	मध्य प्रदेश	1	328.00	4	441.62	1	142.48	4	940.00	2	337.23	97	3597.24
15	महाराष्ट्र	5	1477.17	7	1705.00	7	1138.97	12	942.50	13	1130.03	415	11881.35
16	मणिपुर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	9.91	4	10.37
17	मिजोरम	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.16
18	नागालैण्ड	0	0.00	0	0.00	1	200.00	0	0.00	0	0.00	2	200.82
19	रा.रा.क्षे. दिल्ली	2	422.50	2	900.00	2	500.00	12	233.67	9	60.87	91	3289.67
20	ओडिशा	2	80.60	3	208.10	1	18.90	2	65.00	3	41.22	30	1089.99
21	पंजाब	4	517.95	1	3.20	3	8.91	0	0.00	3	804.03	64	2561.85
22	राजस्थान	9	1508.00	1	5.00	7	1254.28	5	1326.38	7	823.49	135	8988.46
23	सिक्किम	1	43.59	0	0.00	0	0.00	1	140.00	0	0.00	5	505.64
24	तमिलनाडु	4	481.63	6	1428.19	13	2323.09	11	2368.85	7	925.25	484	10249.39
25	तेलंगाना	8	898.79	2	94.21	7	594.52	14	1402.23	23	1890.04	65	5517.90
26	उत्तर प्रदेश	4	521.67	1	4.39	8	515.08	5	291.46	8	691.09	115	3261.91
27	उत्तराखंड	6	365.50	2	153.75	1	3.75	1	8.40	16	556.31	48	1870.17
28	पश्चिम बंगाल	0	0.00	0	0.00	1	3.33	1	10.00	0	0.00	58	278.67
29	एनसीईएफ	8	38.36	1	1.29	0	0.00	0	0.00	0	0.00	14	156.56
30	ब्रिज ऋण	15	35.22	5	26.06	0	0.00	0	0.00	0	0.00	47	170.99
31	बहुराज्ययी परियोजना	1	51.97	2	258.88	5	847.71	0	0.00	3	49.88	24	3675.53
32	बिल में छूट	3	23.45	4	46.52	0	0.00	0	0.00	0	0.00	11	79.63
	कुल 'क'	**112**	**10199.01**	**98**	**12130.01**	**107**	**11939.99**	**113**	**12659.13**	**160**	**11001.30**	**2860**	**96547.68**
ख	**संघशासित प्रदेश**												
1	अण्डमान निकोबार	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.11
2	दमन	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	8.13
3	पांडिचेरी	0	0.00	0	0.00	1	1.88	1	36.98	0	0.00	5	45.27
	कुल 'ख'	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**1**	**1.88**	**1**	**36.98**	**0**	**0.00**	**8**	**53.51**
	कुल 'क'+ 'ख'	**112**	**10199.01**	**98**	**12130.01**	**108**	**11941.87**	**114**	**12696.11**	**160**	**11001.30**	**2868**	**96601.19**

पिछले पांच वर्ष के दौरान सेक्टर–वार संस्वीकृतियां

अनुलग्नक-II

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	सेक्टर	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	वर्ष 1987 से संचित
1	पवन ऊर्जा	2460.50	3369.13	1524.94	1610.55	524.72	26661.94
2	जलविद्युत ऊर्जा	329.74	510.49	134.36	295.28	806.82	9252.31
3	बायोमास ऊर्जा और सहउत्सर्जन	146.38	164.00	24.87	44.12	146.87	5487.75
4	ऊर्जा दक्षता और संरक्षण	295.00	0.00	0.00	5.00	9.91	1286.01
5	सौर ऊर्जा	4778.39	4630.91	5748.62	4042.09	2289.49	27783.10
6	वेस्ट टू एनर्जी	0.00	317.60	327.14	118.38	93.01	961.29
7	राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ)	38.36	1.29	0.00	0.00	0.00	156.57
8	बिल में छूट	23.45	46.52	102.35	0.00	0.00	181.97
9	ब्रिज ऋण	35.22	26.06	4.79	85.50	10.81	223.86
10	अल्पावधिक ऋण	2040.00	2780.00	3830.00	5060.00	4715.49	20081.88
11	बायोमास (औद्योगिक अपशिष्ट से ब्रिकेटिंग, गैसीकरण और मीथेनेशन)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.37
12	गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन (जीईसीएल)	0.00	0.00	0.00	0.00	206.55	206.55
13	विविध (गारंटी योजना + ऊर्जा एक्सेस + एथेनॉल + एलओसी + निर्माण + ट्रांस्मिशन)	51.97	284.00	244.80	1435.19	2197.62	4213.58
	कुल	**10199.01**	**12130.01**	**11941.87**	**12696.11**	**11001.30**	**96601.19**



इरेडा ने 10 मेगावाट हावेरी बायोएनेर्जी लिमिटेड बायोमास आधारित बिजली संयंत्र, कार्नाटक को वित्त पोषित किया।

अनुलग्नक-III

पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्यवार ऋण वितरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	1987 से बढ़ती हुई रकम
क	**राज्य**						
1	आंध्र प्रदेश	1858.45	2560.75	1680.61	1416.93	840.60	10380.15
2	अरूणाचल प्रदेश	50.89	49.08	55.69	3.92	34.89	213.21
3	असम	0.00	0.00	118.47	110.90	79.87	309.45
4	बिहार	1.25	0.00	10.11	1.13	0.00	36.86
5	चंडीगढ़	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00	1.19
6	छत्तीसढ़	0.00	42.70	187.33	30.70	0.00	405.10
7	दादर एवं नगर हवेली	0.00	21.82	29.65	0.00	0.00	51.47
8	गुजरात	36.19	276.25	536.04	129.14	412.00	3017.18
9	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
10	हरियाणा	16.38	9.46	6.05	1.73	6.50	134.86
11	हिमाचल प्रदेश	123.21	110.09	130.23	113.14	383.92	2479.16
12	जम्मू – कश्मीर	5.39	3.75	5.23	1.02	4.44	25.69
13	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.54	0.99	69.78
14	कर्नाटक	462.39	1079.45	1290.87	717.25	729.48	8083.47
15	केरल	10.70	4.75	4.70	0.00	0.00	174.73
16	मध्य प्रदेश	533.58	52.95	183.66	324.18	319.96	1846.24
17	महाराष्ट्र	1601.76	1433.29	1285.21	631.71	710.95	8656.57
18	मणीपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	9.41	9.41
19	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	400.00	921.38	460.00	0.00	6.09	2925.02
20	नगालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
21	ओडिशा	63.69	40.12	168.20	17.27	13.91	682.44
22	पंजाब	213.45	145.48	4.99	4.47	802.91	1983.34
23	राजस्थान	30.62	457.52	701.59	1468.08	700.48	6068.02
24	सिक्किम	13.79	6.86	22.94	102.70	37.30	480.63
25	तमिलनाडु	70.79	340.94	1534.89	2159.91	1646.52	7467.84
26	तेलंगाना	393.92	576.16	575.91	1047.44	1382.90	4139.11
27	उत्तर प्रदेश	382.54	161.61	235.76	112.85	148.97	1640.69
28	उत्तराखंड	317.1	32.78	9.26	10.75	473.31	1059.87
29	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	3.33	0.00	7.00	60.06
30	बहुराज्यी परियोजनाएं	7.40	0.00	144.65	379.56	37.80	669.41
	कुल 'क'	**6593.49**	**8328.38**	**9385.37**	**8785.31**	**8790.20**	**63071.83**
ख	**केन्द्र शासित प्रदेश**						
1	दमन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
2	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	36.43	42.58
	कुल 'ख'	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36.43**	**44.07**
	कुल 'क' + 'ख'	**6593.49**	**8328.38**	**9385.37**	**8785.31**	**8826.64**	**63115.90**

अनुलग्नक-IV

पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्यवार ऋण वितरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	सेक्टर	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	वर्ष 1987 से संचित
1	पवन ऊर्जा	2535.59	2823.49	1557.16	1057.11	900.65	18358.67
2	जलविद्युत ऊर्जा	340.87	330.20	352.65	295.97	682.91	5644.81
3	बायोमास ऊर्जा और सहउत्सर्जन	86.84	59.25	46.83	118.11	36.91	3539.98
4	ऊर्जा दक्षता और संरक्षण	6.63	0.44	2.47	0.00	14.16	356.66
5	सौर ऊर्जा	1524.03	2746.31	3828.47	2666.10	1775.19	15623.96
6	वेस्ट टू एनर्जी	2.59	0.00	143.79	78.12	147.17	433.37
7	राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ)	15.11	12.03	0.00	0.00	0.00	127.14
8	बिल में छूट	23.45	26.52	92.03	10.10	0.00	161.76
9	अल्पावधिक ऋण	2005.00	2250.00	3327.54	4507.97	4749.55	17965.06
10	हाइब्रिड पवन और सोलर	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	62.50
11	ब्रिज ऋण	27.05	22.59	4.79	5.82	4.00	156.14
12	बायोमास (औद्योगिक अपशिष्ट से ब्रिकेटिंग, गैसीकरण और मीथेनेशन)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.71
13	गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन (जीईसीएल)	0.00	0.00	0.00	0.00	143.45	143.45
14	विविध (एथेनॉल + निर्माण + ट्रांस्मिशन)	26.33	57.55	29.65	46.00	310.14	469.67
	Total	**6593.49**	**8328.38**	**9385.37**	**8785.31**	**8826.64**	**63115.90**



इरेडा ने उत्तराखण्ड में स्थित ईडन समूह की 6 सोलर पीवी परियोजनाओं को वित्त पोषित किया।

अनुलग्नक -V

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कम्पनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा

इरेडा की सीएसआर नीति का उद्देश्य सतत विकास के लिए अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों से संबंधित परियोजनाओं में आत्मनिर्भर निवेश को बढ़ावा देने के अपने प्राथमिक व्यवसाय के माध्यम से समाज में मूल्य सृजन को संवर्धित करना है। सीएसआर गतिविधियों का उद्देश्य कंपनी के प्राथमिक व्यवसाय को उसके प्राथमिक व्यवसाय से संबंधित समग्र सामाजिक और पर्यावरणीय सरोकारों के साथ अनुपूरित करना होगा।

आरंभ की गई या आरंभ किए जाने के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं का विरणः

इरेडा द्वारा आरंभ की गई या आरंभ किए जाने के लिए प्रस्तावित परियोजनाएं इस प्रकार हैं–

- ऊर्जा दक्षता/संरक्षण और स्थानीय आबादी के जीवन और आर्थिक कल्याण की गुणवत्ता को बढ़ाने में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समय के साथ समुदायों और परिणामों को लाभ पहुंचाना।
- आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से स्थायी तरीके से अपने व्यवसाय को संचालित करने के लिए संगठन में सभी स्तरों पर एक बढ़ी हुई प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना।
- इरेडा के लिए एक सामुदायिक सद्भावना उत्पन्न करना और एक कॉर्पोरेट इकाई के रूप में इरेडा की सकारात्मक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार छवि को सुदृढ़ करने में मदद करना।
- लैंगिक संवेदनशीलता, कौशल वृद्धि, उद्यमिता विकास आदि से संबंधित सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के साथ संरेखण को प्रोत्साहित करना।
- आपदा से निपटने के लिए समुदायों की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अन्य संगठनों के साथ साझेदारी को प्रोत्साहित करना।

2. सीएसआर समिति की संरचनाः

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/ निदेशकत्व की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1.	श्री पी.के. दास अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और *निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष	4	4
2.	श्री चिंतन शाह निदेशक (तकनीकी)	सदस्य	4	4
3.	श्री बी.पी. यादव निदेशक (सरकारी नामित)	सदस्य	3	3
4.	श्री अमितेश के. सिन्हा* निदेशक (सरकारी नामित)	सदस्य	1	0
5.	सुश्री माधुरी एम. स्वामी स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	4	4

* श्री अमितेश के. सिन्हा, निदेशक (सरकारी नामिती) का निदेशक, इरेडा के पद पर कार्यकाल दिनांक 1.4.2015 से समाप्त हो गया। 12 जून, 2020 को श्री पी के दास, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

सुश्री मधुश्री एम. स्वामी, स्वतंत्र निदेशक 18 मार्च 2021 से इरेडा की निदेशक नहीं रही।

3. **वे वेब–लिंक प्रदान करें जिनमें कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का प्रकटीकरण किया गया है।**

सीएसआर नीति : https://www.ireda.in/csr-policy-of-ireda

सीएसआर समिति की संरचना : https://www.ireda.in/doc/CSRCommitte.pdf

सीएसआर परियोजनाएं : https://www.ireda.in/doc/CSRProjectDetailsFY2020-21.pdf

4. **कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014, यदि लागू हो, के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का ब्यौरा प्रदान करें (रिपोर्ट संलग्न करें)।**

*शून्य

** डीपीई द्वारा जारी सीएसआर दिशानिर्देशों के अनुसार, दिसंबर 2020 तक ₹5 करोड़ से अधिक मूल्य की सीएसआर परियोजनाओं के लिए प्रभाव मूल्यांकन की अधिमानतरू आवश्यकता थी। चूंकि, इरेडा ने वित्तीय वर्ष 2018–19 और वित्तीय वर्ष 2019–20 में आकांक्षी जिला विकास कार्यक्रमों को छोड़कर ऐसी सीएसआर परियोजनाओं को मंजूरी नहीं दी है, इसलिए किसी भी सीएसआर परियोजना के लिए प्रभाव मूल्यांकन नहीं किया गया था। जहां तक आकांक्षी जिला विकास कार्यक्रमों का संबंध है, यह नोट किया जाए कि चल रही परियोजना अभी भी प्रगति पर है और परियोजनाओं के पूरा होने पर इन परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन किया जाएगा।*

5. **कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि और वित्तीय वर्ष के लिए सेट ऑफ के लिए आवश्यक राशि – यदि कोई हो, का विवरण**

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से सेट–ऑफ के लिए उपलब्ध राशि (रुपए में)	वित्तीय वर्ष के लिए सेट–ऑफ किए जाने के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो (रुपए में)
शून्य			

6. **धारा 135(5) के अनुसार कम्पनी का औसत निवल लाभ :** ₹ 363.68 करोड़

7.

(क)	धारा 135(5) के अनुसार कम्पनी का औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	:	₹ 7,27,36,000
(ख)	पिछले वित्तीय वर्षों कीसीएसआर परियोजनाओं या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष	:	₹ 14,40,20,774
(ग)	वित्तीय वर्ष के लिए सेट ऑफ किए जाने के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो	:	शून्य
(घ)	वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क+7ख+7ग)	:	₹ 21,67,56,774

8. **(क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या खर्च न की गई सीएसआर राशि :**

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (₹ में)	धारा 135(6) के अनुसार खर्च न की गई सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		खर्च न की गई राशि (₹ में) धारा 135(6) के दूसरे परंतुक के अनुसार विनिर्दिष्ट किसी भी निधि में हस्तांतरित राशि		
	राशि	अंतरण की तारीख	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तारीख
9,02,20,494	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए **चल रही परियोजनाओं** के सापेक्ष खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौराः शून्य

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए **चल रही परियोजनाओं** से भिन्न अन्य योजनाओं के सापेक्ष खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौराः

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VI में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थल		परियोजनाओं के लिए खर्च की गई राशि		कार्यान्वयन का तरीका– सीधे (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला	परियोजना व्यय	ओवरहेड		नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1.	कोविड–19 के विरुद्ध लड़ाई को मजबूत करने के लिए पीएम–केयर्स निधि में योगदान	स्वास्थ्य (कोविड–19)	लागू नहीं	अखिल भारतीय	अखिल भारतीय	75000000	0	इरेडा द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	आकांक्षी जिलों बलरामपुर और चंदौली के अस्पतालों में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए 1500 पीपीई किट और 40000 थ्री लेयर्ड मास्क का प्रावधान	स्वास्थ्य सेवा (कोविड–19)	लागू नहीं	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर चंदौली	2055000	0	कार्यान्वयन एजेंसी	केंद्रीय भंडार	लागू नहीं
3.	कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में सम्फिया फाउंडेशन के ऑन व्हील्स थेरेपी कार्यक्रम चलाने के लिए मोबाइल मेडिकल वैन का प्रावधान।	स्वास्थ्य सेवा	लागू नहीं	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू	3519880	0	कार्यान्वयन एजेंसी	सम्फिया फाउंडेशन	लागू नहीं
4.	इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, दिल्ली में स्काडा प्रणाली का प्रावधान	पर्यावरण धारणीयता, पारिस्थिकी संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	लागू नहीं	दिल्ली	दिल्ली	2935224	83890	कार्यान्वयन एजेंसी	इंडिया इंटरनेशनल सेंटर	लागू नहीं
5.	जीवोदय फाउंडेशन इटारसी, मध्य प्रदेश में 5 केडब्ल्यूपी के 2 सोलर पीवी सिस्टम और 20 सोलर पीवी लाइटिंग सिस्टम की सीपना का प्रावधान		लागू नहीं	मध्य प्रदेश	इटारसी	1386000	0	कार्यान्वयन एजेंसी	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड	लागू नहीं
6.	बलरामपुर और चंदौली के आकांक्षी जिलों और दिल्ली में इरेडा के हितधारकों में 5000 इरेडा ब्रांडेड कपड़े के मास्क की आपूर्ति	स्वास्थ्य सेवा (कोविड–19)	लागू नहीं	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर चंदौली	628500	0	कार्यान्वयन एजेंसी	केंद्रीय भण्डार	लागू नहीं
7.	बलरामपुर और चंदौली आकांक्षी जिलों में अस्पतालों में कार्यरत मेडिकल कर्मचारियों के लिए 4000 पीपीई किट और 40000 थ्री लेयर मास्क और कोविड–19 उपयुक्त व्यवहार के अभियान के लिए सामग्री का प्रावधान	स्वास्थ्य सेवा (कोविड–19)	लागू नहीं	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर चंदौली	4612000	0	कार्यान्वयन एजेंसी	केंद्रीय भण्डार	लागू नहीं
	कुल					**9,01,36,604**	**83,890**			

(घ) प्रशासनिक ओवरहेड में खर्च की गई राशि : ₹ 83,890

(ङ) प्रभाव आकलन पर खर्च राशि, यदि कोई हो : शून्य

(च) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च कुल राशि (8ख+8ग+8घ+8ङ+) : ₹ 9,02,20,494

(छ) सेट ऑफ के लिए राशि अधिशेष (यदि कोई हो):

क्र. सं.	विवरण	राशि (₹ में)
(I)	धारा 135(5) के अनुसार कम्पनी का औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	₹ 7,27,36,000
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	₹ 9,02,20,494
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल अधिशेष राशि [(ii)-(I)]	₹ 1,74,84,494
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हा	₹ 14,40,20,774
(v)	अनुवर्ती वर्षों में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	

* अतिरिक्त मंजूरी की राशि (वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए सीएसआर प्रावधान) को वार्षिकी परियोजनाएं वित्तीय वर्ष 2019–20 की राशि से अग्रेणित।

** उक्त राशि अग्रेणित है जो वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए प्रतिबद्ध थी किन्तू जारी नहीं। अतः शेष राशि नहीं है।

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए खर्च न की गई सीएसआर राशि का विवरण :

क्र. सं.	पिछले वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के अंतर्गत खर्च न की गई सीएसआर खाते में अंतरित राशि (₹ में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किसी भी निधि में स्थानांतरित राशि, यदि कोई हो।			अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में खर्च की जाने वाली शेष राशि (₹ में)
				निधि का नाम	राशि (₹ में)	अंतरण की तारीख	
1.	2018-19	शुन्य	12,55,53,356.90	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	20,19,24,000
2.	2019-20	शुन्य	19,19,04,006.00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	14,40,20,774
3.	2020-21	शुन्य	16,41,59,526.00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	5,25,96,757
		कुल	**48,16,16,888.90**	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण।

क्र. सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना आरंभ हुई	परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए कुल राशि आवंटन (₹ में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि (₹ में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी राशि	परियोजना की स्थिति पूर्ण/चल रही
1	2019-20/01	सरकारी स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए सोलर पीवी सिस्टम, 50 एलपीएच आरओ वाटर सिस्टम और चिकित्सा उपकरण प्रदान करके उत्तर प्रदेश में आकांक्षी जिलों बलरामपुर और चंदौली का रूपांतरण	2019-20	2 वर्ष	80400000	30976618	68128800	चल रही
2	2019-20/02	कर्नाटक में रायचूर आकांक्षी जिले के विकास के लिए सरकारी आवासीय विद्यालयों में सौर जल तापन प्रणाली का प्रावधान	2019-20	2 वर्ष	8060000	7980000	7980000	पूर्ण
3	2019-20/03	कर्नाटक के यादगीर आकांक्षी जिलों में सोलर पीवी सिस्टम, आरओ वाटर, होम लाइटिंग सिस्टम और इंटीग्रेटेड स्ट्रीट लाइट का प्रावधान	2019-20	2 वर्ष	9652650	9550000	9550000	पूर्ण
4	2019-20/04	उत्तर प्रदेश के आकांक्षी जिलों बलरामपुर और चंदौली के अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सा कर्मचारियों के लिए 3000 पीपीई किट का प्रावधान	2019-20	2 वर्ष	3725000	3725000	3725000	पूर्ण
5	2018-19/01	सोलर पीवी लाइट, सोलर पीवी सिस्टम, आरओ यूनिट और मोबाइल मेडिकल वैन के प्रावधान के माध्यम से बलरामपुर और चंदौली, उत्तर प्रदेश में महत्वाकांक्षी जिला विकास कार्यक्रम	2018-19	3 वर्ष	66200000	15940083	53533747	चल रही
6	2018-19/02	झाडोल ब्लॉक, उदयपुर जिला, राजस्थान में आरबीकेएस, राजस्थान द्वारा संचालित बालिका वरिष्ठ माध्यमिक आवासीय विद्यालय और आरपीएस माध्यमिक विद्यालय को कंप्यूटर लैब से संबंधित सुविधाओं का प्रावधान।	2018-19	3 वर्ष	1440000	303768	1448558	पूर्ण
7	2018-19/03	बेंगलुरु, कर्नाटक में विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांग) के लिए समर्थनम ट्रस्ट में 49 केडब्ल्यूपी रूफ–टॉप ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी सिस्टम।	2018-19	3 वर्ष	2695000	2666000	2666000	पूर्ण
8	2018-19/04	हिमाचल प्रदेश के धौलाकुआं में रहने वाले छात्रों के शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए अवसंरचना का स्तरोन्नयन	2018-19	3 वर्ष	750000	161946	668620	पूर्ण
9	2018-19/05	उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, सिद्धार्थनगर और तेलंगाना के नालगोंडा में ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए इरेडा केयर्स मॉडल	2018-19	3 वर्ष से अधिक	60000000	1191702	14105938	पूर्ण
10	2017-18/01	पर्यावरणीय धारणीयता – गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, झडोल, राजस्थान में 10 केडब्ल्यूपी सोलर पीवी सिस्टम।	2017-18	3 वर्ष से अधिक	417000	41700	417000	पूर्ण

क्र. सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना आरंभ हुई	परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए कुल राशि आवंटन (₹ में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि (₹ में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी राशि	परियोजना की स्थिति पूर्ण/चल रही
11	2017-18/02	मछलीशेर, उत्तर प्रदेश में 100 इंडिया मार्का II हैंड पंपों की स्थापना	2017-18	3 वर्ष से अधिक	5445000	1080000	5432151	पूर्ण
12	2017-18/03	काराकाट बिहार में विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांग) के लिए 50 मोटर चालित ट्राई साइकिल	2017-18	3 वर्ष से अधिक	1950000	0	0	चल रही
13	2017-18/04	मदिकई ग्राम पंचायत, कासरगोड, केरल में 2 फुटबॉल मैदानों का निर्माण	2017-18	3 वर्ष से अधिक	2020000	322215	1699001	पूर्ण
कुल						**7,39,39,032**		

10.

पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार बनाई या अर्जित की गई संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें **(संपत्ति–वार विवरण)**		:	शून्य (कोई परिसम्पत्ति अधिग्रहण नहीं किया गया)
(क)	पूंजीगत परिसम्पत्ति (परिसम्पत्तियों) का सृजन या अधिग्रहण	:	लागू नहीं
(ख)	पूंजीगत परिसम्पत्ति के सृजन या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर राशि	:	लागू नहीं
(ग)	ऐसी इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि।	:	लागू नहीं
(घ)	सृजित या अधिग्रहीत की गई पूंजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) का विवरण प्रदान करें (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित)	:	लागू नहीं

11. कारण (कारणों) को विनिर्दिष्ट करें, यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है:

लागू नहीं! कम्पनी वित्तीय वर्ष के 100 प्रतिशत प्रावधान खर्च कर चुकी है।

हस्ता./–
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एवं अध्यक्ष सीएसआर समिति
डीआईएन:07448576

हस्ता./–
चेतना शाह
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन:07795952

अनुलग्नक VI

फॉर्म संख्या एमआर–3
सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और
और कम्पनी (कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक)
नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में

सेवा में,
सदस्यगण
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड
इंडिया हेबीटेंट सेंटर
प्रथम तल, ईर्स्ट कोर्ट, कोर 4–ए
लोधी रोड़
नई दिल्ली–110003

प्रिय सदस्यो,

हमने **भारतीय अक्षय उर्जा विकास संस्था लिमिटेड (यहां इसके बाद ''कम्पनी'' कहा गया है),** सीआईएनः U65100DL1987GOI027265 द्वारा प्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और उत्तम निगमित परिपाटियों के पालन की सचिवालयी लेखा परीक्षा की है। सचिवालयी लेखा परीक्षा ऐसे तरीके से की गई जिसने हमें निगमित आचरणों/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उन पर अपने मत व्यक्त करने का औचित्यपूर्ण आधार मुहैया कराया।

कम्पनी की बहियों, पत्रों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, प्रपत्रों और जमा किए गए रिटर्नों के आधार पर और कम्पनी द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों के सत्यापन और साथ ही सचिवालय लेखा परीक्षा किए जाने के दौरान कम्पनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई सूचना के सत्यापन के आधार पर भी हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारे मतानुसार, कम्पनी ने, 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष को आच्छादित करने वाली लेखा परीक्षा अवधि के दौरान यहां नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कम्पनी के पास यहां इसके बाद किए गए प्रतिवेदन के अध्यधीन और उस सीमा, तरीके से उपयुक्त बोर्ड–प्रक्रियाएं और अनुपालन–तंत्र हैं:

हमने निम्नलिखित के प्रावधान के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए भारतीय अक्षय उर्जा विकास संस्था लिमिटेड '''कम्पनी'') द्वारा जमा की गई बहियों, पत्रों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, प्रपत्रों और रिटर्नों की जांच की है:

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके अधीन बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (''एससीआरए'') और इसके अधीन बनाए गए नियम;

(iii) अमानतदार अधिनियम, 1996 और इसके अधीन बनाए गए विनियम और उप–विधियां;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष समुद्रपार निवेश और विदेशी वाणिज्यिक उधार राशियों की सीमा तक इसके अधीन बनाए गए विनियम और विनियम;

(v) निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियमए 1992 ('सेबी अधिनियम') के अधीन निरूपित किए गए हैं:

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार का निषेध) विनियम, 2015।

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गमन और सूचीकरण) विनियम, 2008।

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (अमानतदार और सहभागी) विनियम, 2018;

(घ) कम्पनी अधिनियम और ग्राहकों से संबंधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (किसी निर्गम के लिए पंजीयक एवं भोयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993;

समीक्षाधीन अवधि के दौरान प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन और हमारे द्वारा भरोसा किए जाने के अनुसार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियमों और दिशानिर्देशों के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं थेः.

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018;

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध करना) विनियम, 2009;

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018;

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014;

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और टेकओवर) विनियम, 2014;

(vi) जैसा कि पुष्टि की गई है, निम्नलिखित अन्य कानून विशेष रूप से कंपनी पर लागू होते हैं जिसके लिए प्रबंधन ने पुष्टि की है कि कंपनी ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैंः–

(क) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 जमाराशि स्वीकार न करने वाली गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी–एनडी–एसआई) पर लागू सीमा तक;

(ख) मास्टर निदेश– गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016;

(ग) मास्टर निदेश– गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी विवरणी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016; और

(घ) मास्टर निदेश– एनबीएफसी क्षेत्र के लिए सूचना प्रौद्योगिकी रूपरेखा;

हमने निम्नलिखित के प्रयोज्य उपबंधों के अनुपालन की भी जांच की हैः

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा समय–समय पर जारी किए गए सचिवालयी मानक।

(ii) सूचीकरण समझौते और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015

(iii) सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर डीपीई के दिशानिर्देश।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित अवलोकनों के अध्यधीन उपरोल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का पालन किया हैः

(i) कंपनी ने 19 मार्च 2021 से आगे स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति न होने के कारण बोर्ड, लेखा परीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति की संरचना के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.1, 4.1.1, 4.1.2 और 5.1 का अनुपालन नहीं किया है।

(ii) कंपनी ने 9 मार्च 2021 से आगे स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति न होने के कारण लेखा परीक्षा समिति और नामांकन समिति के संबंध में आरबीआई मास्टर निदेश–एनबीएफसी के व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण जमा न लेने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 दिनांक 01 सितंबर, 2016 के खंड संख्या 70(1) और 70(2) का अनुपालन नहीं किया है।

तथापि, कंपनी ने अपने प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से बोर्ड में उचित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशक की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया था।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

कंपनी के निदेशक मंडल को कार्यकारी निदेशकों, गैर–कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत रूप से गठित किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए निदेशक मंडल की संरचना में, निम्नलिखित को छोड़कर, अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में परिवर्तन किए गए थे:-

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना में 19 मार्च, 2021 से आगे महिला निदेशक सहित पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं थे।

(ii) सीएसआर समिति, लेखा परीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना 19 मार्च, 2021 से शुरू होने वाले कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उप धारा 1, धारा 177 और धारा 178 की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं थी।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिया गया है, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट्स कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे, और बैठक से पहले और सार्थक के लिए एजेंडा मदों पर और जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में भागीदारी का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड की बैठकों और समिति की बैठकों में सभी निर्णय सर्वसम्मति से किए जाते हैं जैसा कि निदेशक मंडल या बोर्ड की समिति की बैठकों, जैसा भी मामला हो, के कार्यवृत्त में दर्ज किया जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत नियामक प्राधिकरणों के साथ ई–फॉर्म/दस्तावेज दाखिल करने में कंपनी आम तौर पर नियमित रही है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी द्वारा कोई विनिर्दिष्ट घटनाध्कार्रवाई नहीं की गई, जिसका उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर प्रमुख प्रभाव पड़ता है, सिवाय इसके कि.

(i) कंपनी ने 5000 इरेडा का आवंटन कर योग्य, प्रतिदेय, गैर–परिवर्तनीय, गैर–संचयी, अप्रत्याभूत उप ऋण टियर–।। बांड (श्रृंखला ग) प्रत्येक 10 लाख रुपये (अंकित मूल्य) की कुल राशि 500 करोड़ रुपये के निजी प्लेसमेंट के आधार पर किया है और उन्हें मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध किया गया है।

(ii) लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कोविड–19 महामारी के कारण, कंपनी के प्रचालन इस सीमा तक प्रभावित हुए थे कि इरेडा का प्रमुख संवितरण पिछली तिमाही में, विशेष रूप से मार्च, 2021 में हुआ था। तदनुसार, घरेलू स्रोतों से उधार मुख्य रूप से वित्त वर्ष 2020–21 की तिमाही मार्च 2021 में अधिकतम भाग के साथ अंतिम तिमाही में किए गए थे।

कृते पी.सी. जैन एंड कम्पनी
कम्पनी सचिव
FRN: P2016HR051300)

P. C. JAIN & CO. FR No. P2016HR 51300 Company Secretaries

(पी.सी. जैन)
प्रबंधन निदेशक
सीपी संख्या 3349
सदस्यता सं. 4103

स्थान: फरीदाबाद
दिनांक: **06.08.2021**
UDIN: F004103C000745437

अनुलग्नक– क

सेवा में,

सदस्यगण
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड
इंडिया हेबीटेंट सेंटर
प्रथम तल, ईर्स्ट कोर्ट, कोर 4–ए
लोधी रोड़
नई दिल्ली–110003

महोदय,

दिनांक 31 मार्च, 2021 तिथि को समाप्त वर्ष के लिए हमारी सचिवालयी लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है

1. सचिवालयी अभिलेखों का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। लेखापरीक्षा के लिए हमारे सामने प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के हमारे निरीक्षण के आधार पर, इन सचिवालयी अभिलेखों पर मत व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है।

2. हमने ऐसी लेखा परीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवालयी अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं, परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया था। हम मानते हैं कि जिन प्रक्रियाओं और परिपाटियां का हमने पालन किया है, वे हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।

3. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है और हमारी रिपोर्ट में अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा पहले ही बताई गई टिप्पणियों/टिप्पणियों/दुर्बलताओं को शामिल नहीं किया गया है।

4. जहां कहीं अपेक्षित था, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है। हमारी परीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन, और हमारा मत देने के लिए कि कंपनी के पास उचित बोर्ड–प्रक्रियाएं और अनुपालन–तंत्र है या नहीं, तक सीमित थी।

6. सचिवालयी लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते पी.सी. जैन एंड कम्पनी
कम्पनी सचिव
FRN: P2016HR051300)

P.C. JAIN & CO. FR No. P2016HR51300 Company Secretaries

(पी.सी. जैन)
प्रबंधन निदेशक
सीपी संख्या 3349
सदस्यता सं. 4103

स्थानः फरीदाबाद
दिनांक**: 06.08.2021**
UDIN: F004103C000745437

निगमित शासन पर रिपोर्ट

निगमित शासन नियमों, परिपाटिओं और प्रक्रियाओं का एक साधन होता है जिसके द्वारा एक कंपनी को कानून को अक्षरशः सुनिश्चित करने और प्रभावी प्रबंधन के लिए नैतिक मानदंडों का पालन करने के लिए निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है। निगमित शासन द्वारा सभी हितधारकों के हित सुनिश्चित किया जाता है।

कंपनी स्थायी दीर्घकालिक विकास और लाभप्रदता प्राप्त करने के लिए विवेक, खुलेपन, निष्पक्षता, व्यावसायिकता और जवाबदेही के आधार पर ठोस कॉर्पोरेट परिपाटिओं के लिए प्रतिबद्ध है।

एक सरकारी कंपनी होने के नाते – कंपनी द्वारा सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय लोक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित शासन से संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाता है। डीपीई के दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप, निगमित शासन के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में व्यावसायिक कम्पनी सेक्रेटरीज मैसर्स पी.सी. जैन एंड कम्पनी द्वारा जारी एक प्रमाणपत्र के साथ–साथ निदेशक की रिपोर्ट के भाग के रूप में एक रिपोर्ट नीचे दी जा रही है।

1. निगमित शासन संहिता पर कम्पनी का दर्शन

कंपनी उत्तम निगमित शासन में दृढ़ता से विश्वास करती है और निरंतर इसका व्यवहार करती है। कंपनी की नीति पारदर्शिता, व्यावसायिकता और जवाबदेही के मूल्यों से परिलक्षित होती है। कंपनी निरंतर इन पहलुओं की बेहतरी की दिशा में प्रयास करती है और इस प्रकार अपने ग्राहकों, कर्मचारियों, हितधारकों और पूरे समाज के लिए दीर्घकालिक आर्थिक मूल्य उत्पन्न करती है।

इरेडा एक प्रतिस्पर्धी, ग्राहक–हितैषी और विकासोन्मुखी संगठन बनने के लिए प्रतिबद्ध है, जो अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं का वित्तपोषण और बढ़ावा देती है। कंपनी की कॉरपोरेट संरचना, व्यापार संचालन और प्रकटीकरण परिपाटियां इसके निगमित शासन दर्शन के अनुरूप है।

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल ('बोर्ड') के पास समग्र रूप से व्यवसाय के प्रबंधन, सामान्य मामलों, निर्देशन, निष्पादन और दीर्घकालिक सफलता के लिए सर्वप्रमुख उत्तरदायित्व है। बोर्ड रणनीति और नीतियां बनाता है, उनके कार्यान्वयन की निगरानी करता है और कंपनी के प्रदर्शन की समय–समय पर समीक्षा भी करता है।

इरेडा का निदेशक मंडल सभी हितधारकों के प्रति हर समय जवाबदेह रहते हुए कंपनी पर नेतृत्व, वस्तुनिष्ठ निर्णय, रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करता है और नियंत्रण का प्रयोग करता है। बोर्ड, कम्पनी अधिनियम, समझौता ज्ञापन और कम्पनी के संगम अनुच्छेद, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार और कम्पनी की आंतरिक संहिताओं/प्रक्रियाओं में निर्धारित रूपरेखा के भीतर अपनी शक्तियां प्राप्त करता है और कम्पनी के कामकाज का प्रबंधन करता है।

2.1 निदेशक मंडल की संरचना

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के आशय के भीतर यह कम्पनी एक सरकारी कम्पनी है, चूंकि इसकी 100: प्रदत्त पूंजी का स्वामित्व भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) के पास है। चूंकि इरेडा एक सरकारी कम्पनी है, अतः इसके निदेशक मंडल को नियुक्त करने की शक्ति इसके प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के पास विहित है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी के संगम अनुच्छेद के अनुसार, कम्पनी के निदेशकों की संख्या 3 से कम और 15 से अधिक नहीं होगी।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, कम्पनी के निदेशक मंडल की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

क्र. सं.	नाम और निदेशक की प्रकृति	नियुक्ति/ कार्यकाल समाप्ति की तारीख	नियुक्ति/ कार्यकाल समाप्ति
1.	श्री प्रदीप कुमार दास* अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएनः 07448576	06.05.2020	नियुक्ति
2.	श्री भानु प्रताप यादव# अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएनः 07835275	06.05.2020	कार्यकाल समाप्ति
3.	श्री भानु प्रताप यादव# निदेशक (सरकारी नामित) डीआईएनः 07835275	12.06.2020	नियुक्ति
4.	श्री अमितेश कुमार सिन्हा निदेशक (सरकारी नामित) डीआईएनः 08672632	12.06.2020	कार्यकाल समाप्ति
5.	श्री संजय कुमार जैन स्वतंत्र निदेशक डीआईएनः 08103209	01.08.2020	कार्यकाल समाप्ति
6.	श्री अभिषेक महावर स्वतंत्र निदेशक डीआईएनः 02192597	13.09.2020	कार्यकाल समाप्ति
7.	डॉ. गनगिड़ी मनोहर रेड्डी स्वतंत्र निदेशक डीआईएनः 07028036	18.03.2021	कार्यकाल समाप्ति
8.	सुश्री माधुरी एम. स्वामी स्वतंत्र निदेशक डीआईएनः 07539535	18.03.2021	समाप्ति

टिप्पणियांः

*श्री प्रदीप कुमार दास, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), इरेडा को 06.05.2020 से इरेडा के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद, उन्हें 06.05.2020 से निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। इसके बाद, एमएनआरई ने निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार श्री प्रदीप कुमार दास, सीएमडी, इरेडा को 06.11.2020 से छह महीने की अवधि के लिए या नियमित पदधारी की नियुक्ति तक, जो भी पहले हो, तक विस्तार प्रदान दिया। इसके अतिरिक्त, निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार एमएनआरई द्वारा 06.05.2021 से फिर से बढ़ा दिया गया था।

श्री भानु प्रताप यादव, सरकारी नामित निदेशक को एमएनआरई द्वारा 02.01.2020 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), इरेडा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। श्री प्रदीप कुमार दास की इरेडा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति के बाद, श्री भानु प्रताप यादव 06.05.2020 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इरेडा के पद पर नहीं रहे। तत्पश्चात, एमएनआरई ने पत्र दिनांक 12.06.2020 द्वारा श्री अमितेश के सिन्हा, संयुक्त सचिव, एमएनआरई के स्थान पर श्री भानु प्रताप यादव को निदेशक (सरकारी नामित) नियुक्त किया।

दिनांक 31 मार्च, 2021 तक कंपनी के बोर्ड में 4 निदेशक शामिल थे जिनमें 2 कार्यात्मक निदेशक और 2 अंशकालिक सरकारी नामित निदेशक शामिल थे। इस रिपोर्ट में सभी निदेशकों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

31 मार्च, 2021 को बोर्ड की संरचना इस प्रकार हैः

कार्यात्मक निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक)		
1.	श्री पी.के. दास डीआईएनः 07448576	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त)*
2.	श्री चिंतन शाह डीआईएनः 07795952	निदेशक (तकनीकी)
पदेन अंशकालिक निदेशक (सरकारी नामित निदेशक)		
3.	श्री विमलेंद्र ए. पटवर्धन डीआईएनः 08701559	निदेशक (सरकारी नामित)
4.	श्री बी.पी. यादव डीआईएनः 07835275	निदेशक (सरकारी नामित)

टिप्पणी :

*श्री प्रदीप कुमार दास को दिनांक 06.05.2020 से निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। इसके बाद, एमएनआरई ने निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार श्री प्रदीप कुमार दास, सीएमडी, इरेडा को 06.11.2020 से छह महीने की अवधि के लिए या नियमित पदधारी की नियुक्ति तक, जो भी पहले हो, तक विस्तार प्रदान किया। निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार एमएनआरई द्वारा 06.05.2021 से आगे बढ़ा दिया गया।

2.2 वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों की संख्या

कंपनी बोर्ड द्वारा निर्णय लेने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया का पालन करती है। बोर्ड की बैठकें आम तौर पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती हैं और काफी पहले से निर्धारित की जाती हैं। बैठक की तारीखों को आम तौर पर सभी निदेशकों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाता है ताकि बोर्ड के सभी सदस्यों की बैठक में उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। सांविधिक प्रावधानों करते हुए बोर्ड की बैठक के लिए सभी निदेशकों को व्याख्यात्मक टिप्पणियों सहित विस्तृत कार्यसूची पत्र पहले ही परिचालित कर दिए जाते हैं। विनिर्दिष्ट तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, सभी निदेशकों की सहमति से कम समय के नोटिस पर बैठकें बुलाई जाती हैं। कुछ मामलों में, प्रस्तावों को परिचालन द्वारा पारित किया जाता है जिसकी पुष्टि बोर्ड की अगली बैठक में की जाती है। बोर्ड के सदस्यों को अधिनियम और सचिवीय मानकों के प्रावधानों के अनुसार वीडियो मोड द्वारा बैठक में भाग लेने की सुविधा भी प्रदान की जाती है। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बोर्ड के अन्य सदस्यों की सहमति से बोर्ड की बैठक में चर्चा के लिए एजेंडा में किसी भी मामले को शामिल करने का निर्णय लेते हैं। आवश्यकता पड़ने पर बोर्ड की बैठकों में चर्चा किए जा रहे मामलों पर अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने के लिए विभाग प्रमुखों

(एचओडी) / वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों को भी बुलाया जाता है। यदि आवश्यक हो तो बोर्ड को कुछ कार्यसूची मदों पर विस्तृत प्रस्तुति भी दी जाती है। कंपनी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानकों के संशोधित संस्करण का भी अनुपालन कर रही है, जो 1 अक्टूबर, 2017 से बोर्ड की बैठकों और सामान्य बैठकों के संबंध में प्रभावी है। बैठक के बाद, मसौदा कार्यवृत्त और हस्ताक्षरित कार्यवृत्त की एक प्रति निदेशकों को निर्धारित समय के भीतर परिचालित की जाती है।

बदलते परिवेश के साथ तालमेल बिठाने के लिए इरेडा प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा को बढ़ावा देने के लिए दूर से बैठकें करने और प्रचलित कोविड–19 स्थितियों के दौरान घर से काम करने की सुविधा के लिए प्रयास करना जारी रखती है।

वित्तीय वर्ष 2020.21 के दौरान, बोर्ड की 13 (तेरह) बैठकें दिनांक 25/04/2020, 30/04/2020, 16/05/2020, 12/06/2020, 23/06/2020, 30/07/2020, 03/09/2020, 24/09/2020, 12/11/2020, 30/12/2020, 28/01/2021, 17/03/2021, 25/03/2021 को आयोजित हुईं। किन्हीं दो बोर्ड बैठकों के बीच न्यूनतम और अधिकतम अंतराल क्रमशः 4 दिन और 48 दिन था।

बोर्ड के पास कंपनी के भीतर सभी प्रासंगिक जानकारी तक पूर्ण पहुंच है, जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित सूचना भी शामिल है।

2.3 बोर्ड की बैठकों और पिछली वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति का रिकॉर्ड और अन्य निदेशकत्वों / समिति सदस्यताओं / अध्यक्षताओं की संख्या

बोर्ड की बैठकों और पिछली वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति का रिकॉर्ड और अन्य निदेशकत्वों / समिति सदस्यताओं / अध्यक्षताओं की संख्याः

निदेशक का नाम और पदनाम	बोर्ड बैठकें		31.03.2021 को अन्य निदेशकत्व की संख्या	31.03.2021 को अन्य कम्पनियों की समितियों में सदस्यता		पिछली एजीएम में उपस्थिति (11.11.2020)
	वर्ष के दौरान आयोजित (कार्यकाल के अनुसार)	उपस्थिति (कार्यकाल के अनुसार)		सदस्य के रूप में	अध्यक्ष के रूप में	
श्री बी.पी. यादव अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (सरकारी नामित)	12	11	शुन्य	0	0	उपस्थित
श्री पी.के. दास अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	11	11	शुन्य	0	0	उपस्थित
श्री चिंतन शाह निदेशक (तकनीकी)	13	13	शुन्य	0	0	उपस्थित
श्री विमलेंद्र ए. पटवर्धन निदेशक (सरकारी नामित)	13	12	8	2	3	उपस्थित
श्री अमितेश कुमार सिन्हा निदेशक (सरकारी नामित)	4	2	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

निदेशक का नाम और पदनाम	बोर्ड बैठकें		31.03.2021 को अन्य निदेशकत्व की संख्या	31.03.2021 को अन्य कम्पनियों की समितियों में सदस्यता		पिछली एजीएम में उपस्थिति (11.11.2020)
	वर्ष के दौरान आयोजित (कार्यकाल के अनुसार)	उपस्थिति (कार्यकाल के अनुसार)		सदस्य के रूप में	अध्यक्ष के रूप में	
श्री अभिषेक महावर स्वतंत्र निदेशक	7	7	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सुश्री मधुश्री एम. स्वामी स्वतंत्र निदेशक	12	12	शुन्य	0	0	उपस्थित
डॉ. जी.एम. रेड्डी स्वतंत्र निदेशक	12	12	शुन्य	0	0	उपस्थित
श्री संजय कुमार जैन स्वतंत्र निदेशक	6	5	शुन्य	0	0	लागू नहीं

टिप्पणियां:

- लेखा परीक्षा समिति और शेयरधारक/निवेशक शिकायत समितियों के अतिरिक्त अन्य बोर्ड समितियों में अध्यक्षता/सदस्यता शामिल नहीं हैय
- कंपनी का कोई भी निदेशक किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं है, और 'लागू नहीं' इंगित करता है कि संबंधित व्यक्ति संबंधित तिथि पर इरेडा के बोर्ड का सदस्य नहीं था।

2.4 बोर्ड के लिए उपलब्ध सूचना

बोर्ड के पास कंपनी के भीतर सभी प्रासंगिक जानकारी तक पूर्ण पहुंच है। बोर्ड को नियमित रूप से आपूर्ति की जाने वाली सूचना में विशेष रूप से निम्नलिखित शामिल हैं:

- वार्षिक प्रचालनिक योजनाएं, बजट और इनमें शामिल कोई भी अद्यतन सूचना
- पूंजी बजट और इनमें शामिल कोई भी अद्यतन सूचना
- तिमाही समझौता ज्ञापन उपलब्धियां/कम्पनी के लिए परिणाम
- लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकें
- बोर्ड स्तर से ठीक नीचे के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती/पारिश्रमिक पर सूचना
- महत्वपूर्ण कारण बताओ, मांग, अभियोजन नोटिस ओर अर्थदंड संबंधी नोटिस, यदि कोई हों
- कंपनी के प्रति और उसके द्वारा वित्तीय दायित्वों में कोई महत्वपूर्ण चूक या कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए पर्याप्त भुगतान न करना।
- किसी भी संयुक्त उद्यम या सहयोग समझौते का विवरण।
- निवेश।
- त्रैमासिक विदेशी मुद्रा एक्सपोजर और प्रतिकूल विनिमय दर के उतार–चढ़ाव के जोखिम को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदम, यदि सामग्री हो।
- कंपनी पर लागू विनियामक या सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन/गैर–अनुपालन पर रिपोर्ट।
- बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट जो ऐसे सभी लंबित मामलों पर अद्यतन स्थिति प्रदान करती है।
- बोर्ड को सूचना और/या अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित कोई अन्य सूचना।

निदेशकों का संक्षिप्त प्रोफाइलः

श्री प्रदीप कुमार दास, दिनांक 6 मई, 2020 से कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) हैं। वह इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फेलो सदस्य और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के एसोसिएट सदस्य हैं। उन्होंने जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भुवनेश्वर से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी किया है। कंपनी में शामिल होने से पहले, वह भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (आईटीडीसी) में निदेशक (वित्त) थे। उन्होंने आरईसी लिमिटेड (ग्रामीण विद्युतीकरण निगम), भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल), न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनपीसीएल), भारत हेवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड (बीएचपीवी), कुसुम प्रोडक्ट्स लिमिटेड और अन्य संगठनों के साथ भी काम किया है। उन्हें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में वित्त, बैंकिंग, लेखा, लेखा परीक्षा आदि में विभिन्न पदों पर 33 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है।

श्री चिंतन शाह, कंपनी के निदेशक (तकनीकी) हैं। उन्होंने बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय से केमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के साथ एसबीडी और कॉर्पोरेट मामलों के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है और इससे पहले द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (टीईआरआई) के साथ भी काम किया है। उनके पास अक्षय ऊर्जा में 25 से अधिक वर्षों का अनुभव है, जिसमें विभिन्न गतिविधियों जैसे आरई सिस्टम / उत्पादों का निर्माण, परियोजना निष्पादन, परियोजना परामर्श, परियोजना वित्तपोषण और नीति नियोजन शामिल हैं।

श्री विमलेंद्र ए. पटवर्धन, कंपनी के निदेशक (सरकारी नामित) हैं। वह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के एक अधिकारी हैं जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के जनादेश को लागू करते हैं। उन्होंने 22 से अधिक वर्षों के अपने करियर काल में मध्य और वरिष्ठ प्रबंधन में पदों पर कार्य किया है और सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखा परीक्षा, मूल्यांकन और वित्त/लेखा की योजना बनाने और निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार हैं। उनके इनपुट के परिणामस्वरूप रिपोर्टें आईं, जिन पर संसद की लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा की गई, जिसके कारण सिस्टम में सुधार के लिए सिफारिशें की गईं और सार्वजनिक धोखाधड़ी के कई मामलों में कार्रवाई की भी मांग की गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व पर्यटन संगठन जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के ऑडिट के लिए उनके एक्सपोजर में वित्तीय के साथ–साथ नियमितता ऑडिट भी शामिल है। सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान के साथ अपने कार्यकाल में और बाद में वित्तीय सलाहकार के रूप में, उन्होंने मौजूदा प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के माध्यम से अपनी प्रक्रियाओं और नीति में सुधार करने में संगठनों की सहायता की है। संगठनों में नीति मूल्यांकन ढांचे का उपयोग जारी है। प्रमुख विषयों के साथ वाणिज्य स्नातक – उन्नत लेखा, लेखा परीक्षा, वित्तीय प्रबंधन और वाणिज्यिक कानून, उनके पास बड़ी टीमों के प्रबंधन और उनके काम में सामंजस्य स्थापित करने का अनुभव है।

श्री दिनेश दयानंद जगदाले कंपनी के निदेशक (सरकारी नामित) हैं। वह संयुक्त सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार हैं। सितंबर 2019 से भारत सरकार की योजना, नीति निर्माण, कार्यान्वयन, वित्त, प्रशासन, अक्षय ऊर्जा से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देने, देश में अक्षय उद्योग के विकास और विकास के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तालमेल की सुविधा में सक्रिय रूप से शामिल है। उन्हें वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय संबंधों, बायोएनेर्जी (बायोमास, अपशिष्ट से ऊर्जा और बायोगैस), अनुसंधान विकास और प्रौद्योगिकी, मीडिया और प्रचार, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, नई तकनीकों, आरई नियामक अनुपालन, विद्युत गतिशीलता, पवन ऊर्जा आदि के विभागों को सौंपा गया है। सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायो–एनर्जी (एसएसएस–एनआईबीई) (ए/सी) के महानिदेशक के रूप में भी कार्यरत हैं। पवन उद्योग में अक्षय ऊर्जा पेशेवर के रूप में 10 वर्षों के साथ उनके पास विद्युत और नवीकरणीय उद्योग में उनतीस वर्षों का समृद्ध अनुभव है और उन्होंने भारत में बहु राज्यों में पवन क्षेत्र के विकास में योगदान दिया है। उन्हें भारत के सभी नवीकरणीय राज्यों में नियामक, अनुमति और लाइसेंसिंग से संबंधित प्रक्रियाओं की पूरी जानकारी है। उनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री है। परामर्श कर्मियों के रूप में उन्होंने राज्य सरकारों को पवन और सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए नीतियां तैयार करने में मदद की है, परियोजना के डेवलपर्स और ट्रांसमिशन और वितरण कंपनियों की स्थिरता के बीच संतुलन कायम किया है।

2.5 आचार संहिता

निदेशक मंडल ने कंपनी के मिशन और उद्देश्यों के अनुरूप बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए एक आचार संहिता निर्धारित की है और इसका उद्देश्य कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ाना है। आचार संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट www.ireda.in पर उपलब्ध है।

निगमित शासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अंतर्गत यथोपेक्षित घोषणा

इरेडा के सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए ''व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता'' के अनुपालन की पुष्टि की है।

(प्रदीप कुमार दास)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन–07448576

3. निदेशक मंडल की समितियां

बोर्ड या तो पूर्ण बोर्ड के रूप में या विशिष्ट प्रचालनिक क्षेत्रों की देख–रेख के लिए गठित विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करता है। बोर्ड की प्रत्येक समिति इसके संदर्भ की शर्तों द्वारा निर्देशित होती है, जो समिति की संरचना, कार्यक्षेत्र और शक्तियों को परिभाषित करती है। समितियां नियमित अंतराल पर बैठक करती हैं और विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती हैं और उन्हें सौंपे गए अधिकार के भीतर निर्णय लेती हैं।

31 मार्च, 2021 को बोर्ड की समितियां इस प्रकार हैं:

3.1 निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति;

3.2 निदेशकों की ऋण समिति;

3.3 निदेशकों की नामांकन और पारिश्रमिक समिति;

3.4 निदेशकों की निगमित सामाजिक दायित्व समिति;

3.5 निदेशकों की निवेश समिति;

3.6 निदेशकों की हितधारक संबंध समिति;

3.7 निदेशकों की सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति

3.8 निदेशकों की एनपीए और दबावग्रस्त परिसम्पत्ति समाधान समिति

समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त बोर्ड की सूचनार्थ इसके समक्ष रखे जाते हैं

3.1 निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति

इरेडा ने बोर्ड की एक समिति गठित की थी जिसे ''लेखापरीक्षा समिति'' के रूप में जाना जाता है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, निदेशक मंडल द्वारा पिछली बार 24 सितंबर, 2020 को आयोजित अपनी 334वीं बैठक में ऑडिट कमेटी का पुनर्गठन किया गया था। निदेशक मंडल द्वारा अपनी 29 जुलाई 2019 को हुई 318 वीं बैठक में ऑडिट कमेटी के संदर्भ में आखिरी बारसंशोधन किया गया था।

31 मार्च, 2021 तक, लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्र. सं.	नाम	अध्यक्ष / सदस्य
1.	डॉ. जी.एम. रेड्डी* स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	सुश्री मधुश्री एम. स्वामी* स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	श्री बी.पी. यादव निदेशक (सरकारी नामित)	सदस्य

टिप्पणी

*सुश्री मधुश्री एम. स्वामी ने 18 मार्च, 2021 को स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यकाल पूरा किया, इसलिए वह समिति की सदस्य और इरेडा की निदेशक नहीं रहीं।

3.1.1 लेखापरीक्षा समिति की संदर्भ शर्तें

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है, इसकी वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण।
2. कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और नियुक्ति की शर्तों पर ध्यान देना।
3. बोर्ड को लेखापरीक्षा शुल्क के निर्धारण पर सिफारिश करना।
4. सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी भी अन्य सेवाओं के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान की स्वीकृति।
5. विशेष संदर्भ में अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत

करने से पहले प्रबंधन, वार्षिक वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा और जांच करना:

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप–धारा 3 के खंड (ग) के संदर्भ में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले आवश्यक मामले;

(ख) लेखांकन नीतियों और परिपाटियों में परिवर्तन, यदि कोई हो, और उसके कारण;

(ग) प्रबंधन द्वारा निर्णय के अभ्यास के आधार पर अनुमानों को शामिल करने वाली प्रमुख लेखा प्रविष्टियां;

(घ) प्रबंधन द्वारा निर्णय के अभ्यालेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन के आधार पर अनुमानों को शामिल करने वाली प्रमुख लेखा प्रविष्टियां;

(ङ) वित्तीय विवरणों से संबंधित लिस्टिंग और अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन;

(च) किसी भी संबंधित पक्षकार लेन–देन का प्रकटीकरण; तथा

(छ) ड्राफ्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित मत।

6. अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ तिमाहीध्अर्धवार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना।

7. अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ तिमाही/अर्धवार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना।

8. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफिंग और विभाग के प्रमुख अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता, यदि कोई हो, की समीक्षा करना।

9. किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आंतरिक लेखा परीक्षकों और / या लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई।

10. आंतरिक लेखा परीक्षकों/लेखा परीक्षकों/ एजेंसियों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना, जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या भौतिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता है, और बोर्ड को मामले की रिपोर्ट करना।

11. लेखापरीक्षा आरंभ होने से पहले सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा, लेखापरीक्षा की प्रकृति और दायरे के साथ–साथ किसी भी चिंता के क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा के बाद की चर्चा।

12. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने की स्थिति में) और लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त चूक के कारणों की जांच करना।

13. व्हिसल ब्लोअर तंत्र के कार्य की समीक्षा और निगरानी करना।

14. उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव और पृष्ठभूमि आदि का आकलन करने के बाद मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति को मंजूरी; बशर्ते कि जहां निदेशक (वित्त) की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाती है, वह मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्य करेगा;

15. सीएजी लेखापरीक्षा की लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

16. संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति (COPU) की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

17. स्वतंत्र लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षक और निदेशक मंडल के बीच संचार का एक खुला अवसर प्रदान करना।

18. संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेन–देन का अनुमोदन या बाद में कोई संशोधन।

19. निर्धारित शर्तों के अधीन कंपनी द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित संबंधित पार्टी लेन–देन के लिए सर्वग्राही अनुमोदन करना।

20. स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ समीक्षा करें कि अनावश्यक प्रयासों की कवरेज में कमी, और सभी लेखा परीक्षा संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा प्रयासों का समन्वय।

21. स्वतंत्र लेखा परीक्षक और प्रबंधन के साथ निम्नलिखित पर विचार करना और समीक्षा करना:

- कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण और सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता, और

- संबंधित निष्कर्ष और सिफारिशें और प्रबंधन प्रतिक्रियाओं के साथ स्वतंत्र लेखा परीक्षक और आंतरिक लेखा परीक्षक

22. प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षक और स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ निम्नलिखित पर विचार करना और समीक्षा करना:

- पिछली लेखापरीक्षा सिफारिशों की स्थिति सहित वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण निष्कर्ष; तथा
- गतिविधियों के दायरे या आवश्यक जानकारी तक पहुंच पर किसी भी प्रतिबंध सहित ऑडिट कार्य के दौरान आने वाली कोई भी कठिनाई।

23. लेखा परीक्षा समिति अनिवार्य रूप से निम्नलिखित जानकारी की समीक्षा करेगी:

I. वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों की प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण।

II. प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेन–देन का विवरण (जैसा कि लेखा परीक्षा समिति द्वारा परिभाषित किया गया है)।

III. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रबंधन पत्र/आंतरिक नियंत्रण दुर्बलताओं का पत्र।

IV. आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट।

V. आंतरिक / प्रणाली लेखापरीक्षा के प्रमुख की नियुक्ति, निष्कासन और स्थानांतरण को लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखा जाएगा।

VI. मुख्य कार्यकारी/ मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा बोर्ड द्वारा नामित किए जाने वाले वित्तीय विवरणों का प्रमाणन / घोषणा।

VII. विचलन का विवरण :

i. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 32(1) के अनुसार, यदि लागू हो, निगरानी एजेंसी की रिपोर्ट सहित विचलन (विचलनों) का तिमाही विवरण, स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को प्रस्तुत किया गया (''सूचीकरण विनियम''); तथा

ii. सूचीकरण विनियमों के विनियम 32(7) के संदर्भ में प्रस्ताव दस्तावेज/विवरणिका/ सूचना में बताए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई निधियों का वार्षिक विवरण।

24. सांविधिक लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता और निष्पादन तथा लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना।

25. अंतर–कॉर्पोरेट ऋणों और निवेशों की संवीक्षा।

26. कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहां कहीं आवश्यक हो।

27. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन।

28. प्रबंधन के साथ समीक्षा, एक मुद्दे (सार्वजनिक मुद्दे, अधिकार मुद्दे, अधिमान्य मुद्दे, आदि) के माध्यम से उठाए गए धन के उपयोग /आवेदन के विवरण, प्रस्ताव दस्तावेज/प्रॉस्पेक्टस /में बताए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किए गए धन का विवरण। सार्वजनिक या राइट्स इश्यू की आय के उपयोग की निगरानी करने वाली निगरानी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत नोटिस और रिपोर्ट, और इस मामले में कदम उठाने के लिए बोर्ड को उचित सिफारिशें करना।

29. 1 अप्रैल को विद्यमान ऋणों/अग्रिमों/निवेशों सहित सहायक कंपनी के ₹100 करोड़ से अधिक या सहायक के परिसंपत्ति आकार के 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, में होल्डिंग कंपनी द्वारा ऋण और/या अग्रिम/निवेश के उपयोग की समीक्षा करना, 2019।

30. कंपनी के लिए समय–समय पर लागू डीपीई दिशानिर्देशों, कंपनी अधिनियम और लिस्टिंग विनियमों के तहत निर्धारित किसी भी अन्य कार्य को करना और कंपनी और कंपनी के अन्य हितधारकों के सर्वोत्तम हित में समय–समय पर बोर्ड द्वारा उचित या निर्धारित किसी अन्य कार्य को करना।

31. लेखा परीक्षा समिति की शक्तियों में निम्नलिखित निहित हैं:

i. इसके संदर्भ की शर्तों के भीतर निर्दिष्ट किसी भी गतिविधि के मामलों की जांच करना;

ii. कंपनी के किसी भी कर्मचारी से जानकारी प्राप्त करना;

iii. यदि आवश्यक हो, तो बाहरी स्रोतों से कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करना;

iv. यदि आवश्यक हो तो प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले बाहरी लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करना; तथा

v. कंपनी के रिकॉर्ड में निहित जानकारी तक पूर्ण पहुंच प्राप्त करना।

उपर्युक्त संदर्भशर्तों के उद्देश्य के लिए:

क. समिति निदेशक (वित्त) या वित्त समारोह के प्रमुख और सांविधिक लेखा परीक्षक के प्रतिनिधि और कंपनी के ऐसे किसी भी अन्य अधिकारियों को समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित कर सकती है। बशर्ते कि कभी–कभी लेखा परीक्षा समिति कंपनी के किसी भी कार्यपालक की उपस्थिति के बिना बैठक कर सकती है।

ख. समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, लेखा परीक्षा के दायरे, लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों सहित और बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले वित्तीय विवरण की समीक्षा के बारे में लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों के लिए बुला सकती है और आंतरिक और वैधानिक लेखा परीक्षकों के साथ किसी भी संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा कर सकती है। और कंपनी का प्रबंधन।

ग. कंपनी के लेखा परीक्षकों और प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में सुनवाई का अधिकार होगा जब वह लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करेगा लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

घ. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के तहत बोर्ड की रिपोर्ट, एक लेखा परीक्षा समिति की संरचना का खुलासा करेगी और जहां बोर्ड ने लेखा परीक्षा समिति की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया था, इसका खुलासा इस तरह की रिपोर्ट में उसके कारणों के साथ किया जाएगा।

जब तक अन्यथा परिभाषित न हो, उपरोक्त लेखा परीक्षक की परिभाषा के प्रयोजनों के लिए, इसमें सांविधिक लेखा परीक्षक, सचिवीय लेखा परीक्षक, लागत लेखा परीक्षक और आंतरिक लेखा परीक्षक शामिल होंगे।

3.1.2 लेखपरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या

वैधानिक आवश्यकता के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति को एक वर्ष में कम से कम चार बार बैठक करनी होती है और उस वर्ष में दो बैठकों के बीच चार महीने से अधिक नहीं व्यतीत होना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, दिनांक 30.07.2020, 14.10.2020, 12.11.2020, 30.12.2020, 28.01.2021 और 18.03.2021 को लेखा परीक्षा समिति की 6 (छह) बैठकें आयोजित की गईं। विस्तृत एजेंडा के साथ व्याख्यात्मक विवरण समिति के सदस्यों को अग्रिम रूप से परिचालित किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आयोजित लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

क्र. स.	सदस्य का नाम और पदनाम	समिति में पदनाम / स्थिति	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति की संख्या	पिछली एजीएम में उपस्थिति
1.	सुश्री अभिषेक महावर स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	1	1	लागू नहीं
2.	डॉ. जी.एम. रेड्डी स्वतंत्र निदेशक	सदस्य/ अध्यक्ष	6	6	उपस्थित
3.	सुश्री मधुश्री एम. स्वामी स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	5	5	उपस्थित
4.	श्री संजय कुमार जैन स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	1	1	लागू नहीं
5.	श्री बी.पी. यादव निदेशक (सरकारी नामित)	सदस्य	6	6	उपस्थित

टिप्पणी: लागू नहीं इंगित करता है कि संबंधित व्यक्ति उस समय इरेडा के बोर्ड का सदस्य नहीं था

लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष के पास लेखांकन और वित्तीय प्रबंधन विशेषज्ञता है। लेखापरीक्षा समिति के कार्यवृत्त को सूचनार्थ बोर्ड के समक्ष रखा गया।

3.2 निदेशकों की ऋण समिति

इरेडा के एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन में निहित प्रावधानों के संदर्भ में, निदेशक मंडल ने प्रतिनिधिमंडल संरचना और कार्य आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निदेशकों की ऋण समिति (एलसीओडी) का गठन किया था। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, निदेशक मंडल द्वारा पिछली बार 24 सितंबर, 2020 को आयोजित अपनी 334वीं बैठक में निदेशकों की ऋण समिति का पुनर्गठन किया गया था।

31 मार्च, 2021 तक, निदेशकों की ऋण समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्र. सं.	नाम	अध्यक्ष / सदस्य
1.	श्री पी.के. दास अध्यक्ष एवं पबंध निदेशक और निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष / सदस्य
2.	श्री चिंतन शाह निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
3.	श्री बी.पी. यादव निदेशक (सरकारी नामित)	सदस्य
4.	डॉ. जी.एम. रेड्डी* स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

*डॉ. जी.एम. रेड्डी ने 18 मार्च, 2021 को स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया, इसलिए वे समिति के सदस्य और इरेडा के निदेशक नहीं रहे।

3.2.1 निदेशकों की ऋण समिति की संदर्भ शर्तें

1. प्रतिनिधिमंडल के अनुसार परियोजनाओं के लिए ऋण स्वीकृत करने पर विचार करना। (वर्तमान में ₹20 करोड़ से अधिक और व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए ₹125 करोड़ तक)।

2. प्रतिनिधिमंडल के अनुसार इरेडा के ऋण वाली परियोजनाओं के लिए पुनर्निर्धारण प्रस्तावों और उससे संबंधित अन्य मुद्दों पर विचार करना। (वर्तमान में ₹20 करोड़ से अधिक और व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए ₹125 करोड़ तक)।

3. प्रतिनिधिमंडल के अनुसार इरेडा के ऋण वाली परियोजनाओं के लिए एकमुश्त निपटान (ओटीएस) प्रस्तावों और उससे संबंधित अन्य मुद्दों पर विचार करना (वर्तमान में ₹20 करोड़ से अधिक और व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए ₹125 करोड़ तक)।

4. एलसीओडी के दायरे में आने वाली परियोजनाओं के संबंध में वित्त, साइट, गारंटी, वैधता और ऋण के अन्य नियमों और शर्तों में परिवर्तन पर विचार करना।

3.2.2 निदेशकों की ऋण समिति की बैठकों की संख्या

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, निदेशकों की ऋण समिति (एलसीओडी) की 8 (आठ) बैठकें दिनाक 30/04/2020] 16/05/2020] 12/06/2020] 03/09/2020 24/09/2020] 31/12/2020 और 10/02/2021 को आयोजित की गईं। 18.03.2021। व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ विस्तृत कार्यसूची समिति को अग्रिम रूप से परिचालित की गई थी। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आयोजित एलसीओडी की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

क्र. स.	सदस्य का नाम और पदनाम	समिति में पदनाम / स्थिति	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1.	श्री पी.के. दास अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष	7	7
2.	श्री चिंतन शाह निदेशक (तकनीकी)	सदस्य	8	8
3.	श्री बी.पी. यादव अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	सदस्यध अध्यक्ष	6	6
4.	श्री अमितेश के. सिन्हा निदेशक (सरकारी नामित)	सदस्य	3	1
5.	श्री अभिषेक महावर स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	4	4
6.	डॉ. जी.एम. रेड्डी स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	8	8

एलसीओडी के कार्यवृत्त को सूचना के लिए निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया था।

3.3 निदेशकों की नामांकन और पारिश्रमिक समिति

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने 16 फरवरी, 2017 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से निर्देश दिया है कि प्रत्येक सीपीएसई अंशकालिक निदेशकों या स्वतंत्र निदेशकों की एक पारिश्रमिक समिति का गठन करेगा जो निर्धारित सीमा के भीतर अधिकारियों और गैर–संघीय पर्यवेक्षकों को वार्षिक बोनस / परिवर्तनीय पूल और इसके वितरण के लिए नीति निर्धारित करेगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुसार, इरेडा के बोर्ड ने एक पारिश्रमिक समिति का गठन किया था, जिसे नामांकन और पारिश्रमिक समिति के रूप में जाना जाता है। नामांकन और पारिश्रमिक समिति को अंतिम बार 24 सितंबर, 2020 को आयोजित अपनी 334 वीं बैठक में निदेशक मंडल द्वारा पुनर्गठित किया गया था। निदेशक मंडल द्वारा 29 जुलाई 2019 को आयोजित अपनी 318 वीं बैठक में निदेशक मंडल द्वारा नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संदर्भ शर्तों को संशोधित किया गया था।

31 मार्च, 2021 तक, निदेशकों की नामांकन और पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्र. सं.	नाम	अध्यक्ष / सदस्य
1.	सुश्री मधुश्री एम. स्वामी* (स्वतंत्र निदेशक)	अध्यक्ष
2.	श्री विमलेंद्र ए. पटवर्धन निदेशक (सरकारी नामित)	सदस्य
3.	डॉ. जी.एम. रेड्डी* स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

टिप्पणी:

*सुश्री मधुश्री एम. स्वामी ने 18 मार्च, 2021 को स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यकाल पूरा किया, इसलिए वह समिति की सदस्य और इरेडा की निदेशक नहीं रहीं।

3.3.1 नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संदर्भ शर्तें

संदर्भ शर्तें, जहां तक ये इरेडा पर लागू होती हैं, निम्नानुसार हैं:

1. बोर्ड के नीचे एक स्तर के पद के लिए चुने गए उम्मीदवारों की समीक्षा करना और सिफारिशें करना;
2. बोर्ड के नीचे एक स्तर के पदों पर पदोन्नति के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान करना;
3. लागू कानून / दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर बोर्ड को वार्षिक बोनस और अधिकारियों को इसके वितरण के लिए नीति की सिफारिश करना;
4. यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों को तैयार करना कि समय–समय पर संशोधित प्रतिभूति कानून का कोई उल्लंघन न हो;
5. यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी के पास निर्धारित मानदंडों के अनुसार मुख्य प्रबंधन कर्मियों (निदेशकों को छोड़कर) और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के चयन और नियुक्ति के लिए महाप्रबंधक और उससे ऊपर के स्तर पर औपचारिक और पारदर्शी प्रक्रियाएं है;
6. निर्धारित मानदंडों के अनुसार महाप्रबंधक और उससे ऊपर के स्तर पर प्रमुख प्रबंधन कर्मियों (निदेशकों को छोड़कर) और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों की नियुक्ति और हटाने के लिए बोर्ड को विचार करना और सिफारिश करना;
7. बोर्ड को सिफारिश करने के लिए, वरिष्ठ प्रबंधन को देय सभी पारिश्रमिक, चाहे वह किसी भी रूप में हो।
8. भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक मंत्रालयों के माध्यम से कार्य करने वाले स्वतंत्र निदेशकों सहित निदेशकों की नियुक्ति और निष्कासन को रिकॉर्ड में लेना;
9. हमारी कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल का विस्तार, यदि कोई हो, रिकॉर्ड में लेने के लिए, जैसा कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किया जा सकता है, संबंधित मंत्रालयों के माध्यम से कार्य कर रहा है;
10. यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी के पास नए निदेशकों को प्रभावी रूप से शामिल करने के लिए कार्यक्रम हैं;
11. भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित विभिन्न नीतियों, यदि कोई हो, को रिकॉर्ड में लेने के लिए, अन्य बातों के साथ, निदेशक मंडल की विविधता पर नीति और निदेशकों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए मानदंड;

12. संदर्भ की शर्तों के तहत बोर्ड द्वारा सौंपी गई किसी भी अन्य उत्तरदायित्व को पूरा करना;

13. सेबी लिस्टिंग विनियमों और कंपनी अधिनियम, 2013 में निहित किसी भी अन्य कार्य को समय–समय पर संशोधित करना;

14. समय–समय पर संदर्भ शर्तों की समीक्षा करना और इनमें परिवर्तनों के लिए बोर्ड को सिफारिशें करना;

इसके अलावा, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने 5 जून 2015 की अधिसूचना के तहत सरकारी कंपनियों को निदेशकों की योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं और निदेशकों की स्वतंत्रता और निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति के निर्धारण के लिए मानदंड तैयार करने से संबंधित आवश्यकताओं से छूट दी है।

3.3.2 नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकों की संख्या:

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की दिनांक 10.06.2020 और 20.10.2020 को 2 (दो) बैठकें आयोजित की गईं। विस्तृत एजेंडा के साथ व्याख्यात्मक विवरण समिति के सदस्यों को अग्रिम रूप से परिचालित किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2020–2021 के दौरान हुई नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

क्र. स.	सदस्य का नाम और पदनाम	समिति में पदनाम/ स्थिति	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1.	सुश्री मधुश्री एम. स्वामी स्वतत्र निदेशक	अध्यक्ष	2	2
2.	श्री विमलेंद्र ए. पटवर्धन निदेशक (सरकारी नामित)	सदस्य	1	1
3.	श्री जी.एम. रेड्डी स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	2	2
4.	श्री संजय जैन स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	1	1

एनआरसी के कार्यवृत्त को सूचना के लिए निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया था।

3.4 निदेशकों की सामाजिक दायित्व समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई दिशानिर्देशों की आवश्यकता के अनुसार, निदेशक मंडल द्वारा निदेशकों की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया गया था। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, निदेशक मंडल द्वारा पिछली बार 12 जून, 2020 को आयोजित अपनी 330वीं बैठक में निदेशक मंडल द्वारा सीएसआर समिति का पुनर्गठन किया गया था।

31 मार्च, 2021 तक, निदेशकों की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्र. सं.	नाम	अध्यक्ष/सदस्य
1.	श्री पी.के. दास अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष
2.	श्री चिंतन शाह निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
3.	श्री बी.पी. यादव निदेशक (सरकारी नामित)	सदस्य
4.	सुश्री मधुश्री एम. स्वामी* स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

टिप्पणी

*सुश्री मधुश्री एम. स्वामी ने 18 मार्च, 2021 को स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यकाल पूरा किया, इसलिए वह समिति की सदस्य और इरेडा की निदेशक नहीं रहीं।

3.4.1 निदेशकों की सामाजिक दायित्व समिति की संदर्भ शर्तें

सीएसआर समिति के मुख्य कार्य/उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

1. सीएसआर और सस्टेनेबिलिटी एजेंडा को वांछित दिशा में आगे ले जाने के लिए उपयुक्त नीतियों और रणनीतियों को तैयार करने के लिए निदेशक मंडल की सहायता करना;

2. समय–समय पर कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की निगरानी करना;

3. सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन की निगरानी करना; तथा

4. समय–समय पर संशोधित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति पर अन्य आवश्यकताओं का अनुपालन करना।

3.4.2 सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की 16/05/2020, 30/07/2020, 12/11/2020 और 18/03/2021 को 4 (चार) बैठकें आयोजित की गईं। विस्तृत एजेंडा के साथ व्याख्यात्मक विवरण समिति के सदस्यों को अग्रिम रूप से परिचालित किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2020–2021 के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

क्र. स.	सदस्य का नाम और पदनाम	समिति में पदनाम/ स्थिति	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1.	श्री पी.के. दास अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष	4	4
2.	श्री चिंतन शाह निदेशक (तकनीकी)	सदस्य	4	4
3.	श्री बी.पी. यादव निदेशक (सरकारी नामित)	सदस्य	3	3
4.	श्री अमितेश के. सिन्हा निदेशक (सरकारी नामित)	सदस्य	1	0
5.	सुश्री मधुश्री एम स्वामी स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	4	4

निदेशकों की सीएसआर समिति के कार्यवृत्त सूचना के लिए बोर्ड के समक्ष रखे गए।

3.5 निदेशकों की निवेश समिति

इरेडा ने निदेशकों की निवेश समिति का गठन किया था। निदेशकों की निवेश समिति को निवेश प्रस्ताव और अधिशेष निधि की उपलब्धता के बारे में सूचित किया जाता है।

31 मार्च, 2021 तक, निदेशकों की निवेश समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्र. सं.	नाम	अध्यक्ष/सदस्य
1.	श्री पी.के. दास, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष
2.	श्री चिंतन शाह निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
3.	डॉ. आर.सी. शर्मा महाप्रबंधक (एफएंडए) और सीएफओ	सदस्य

3.5.1 संदर्भ शर्तें

निवेश समिति के मुख्य कार्य/जिम्मेदारियां इरेडा के निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक अवसर पर ₹1500 करोड़ तक के निवेश के लिए 1 वर्ष की परिपक्वता अवधि तक अधिशेष निधि का निवेश करना है। निवेश समिति का निर्णय अगली बोर्ड बैठक में निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाता है।

3.5.2 निदेश समिति की बैठकों की संख्या

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान निदेशकों की निवेश समिति की 3 (तीन) बैठकें 04/04/2020, 05/05/2020 और 22/05/2020 को आयोजित की गई। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आयोजित निवेश समिति की बैठकों में सदस्य की उपस्थिति निम्नानुसार है:

क्र. स.	सदस्य का नाम और पदनाम	समिति में पदनाम/ स्थिति	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1.	श्री पी.के. दास अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष	1	1
2.	श्री चिंतन शाह निदेशक (तकनीकी)	सदस्य	3	3
3.	श्री बी पी यादव अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	2	2
4.	डॉ. आर.सी. शर्मा महाप्रबंधक (एफएंडए) और सीएफओ	सदस्य	3	3

3.6 निदेशकों की हितधारक संबंध समिति

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकता धारा 178 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार हितधारकों की संबंध समिति का गठन किया था।

24 सितंबर, 2020 को आयोजित 334वीं बोर्ड बैठक में वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान निदेशक मंडल द्वारा निदेशक मंडल द्वारा हितधारकों की संबंध समिति का पुनर्गठन किया गया था। हालांकि, निदेशकों की हितधारकों की संबंध समिति के संदर्भ के संदर्भ में संशोधन किया गया था। 29 जुलाई, 2019 को आयोजित बोर्ड की बैठक में आयोजित अपनी 318वीं बैठक में निदेशक मंडल।

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, निदेशकों की हितधारकों की संबंध समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्र.सं.	नाम	अध्यक्ष / सदस्य
1.	डॉ. जी.एम. रेड्डी* स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2	श्री पी.के. दास निदेशक (वित्त)	सदस्य
3.	श्री चिंतन शाह निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
4.	सुश्री मधुश्री एम. स्वामी* स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

टिप्पणी

*सुश्री मधुश्री एम. स्वामी ने 18 मार्च, 2021 को स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यकाल पूरा किया, इसलिए वह समिति की सदस्य और इरेडा की निदेशक नहीं रहीं।

3.6.1 निदेशकों की हितधारक संबंधित समिति की संदर्भ शर्तें

हितधारक संबंध समिति के मुख्य कार्यधजिम्मेदारियां हैं;

1. शेयरधारकों, डिबेंचर धारकों और अन्य सुरक्षा धारकों की शिकायतों के निवारण के लिए अपनाए गए तंत्र की समीक्षा करना।
2. शेयरों के हस्तांतरण / प्रसारण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, घोषित लाभांश की प्राप्ति न होने, नए / डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने, सामान्य बैठक आदि से संबंधित शिकायतों सहित सूचीबद्ध इकाई के सुरक्षा धारकों की शिकायतों का समाधान करना।
3. शेयरधारकों द्वारा मतदान अधिकारों के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा करना।
4. रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचीबद्ध इकाई द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के पालन की समीक्षा करना।
5. दावा न किए गए लाभांश की मात्रा को कम करने और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा लाभांश वारंट / वार्षिक रिपोर्ट / सांविधिक नोटिस की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सूचीबद्ध इकाई द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा करना।
6. कॉरपोरेट गवर्नेंस से संबंधित निदेशक मंडल के समय समय पर यथा संशोधित निर्देशों और / या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (''सेबी सूचीकरण विनियम'') के तहत आवश्यक के अनुसार ऐसे अन्य मामलों की समीक्षा करना और इनका अनुपालन करना।

3.6.2 हितधारक संबंधित समिति की बैठकों की संख्या

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, हितधारकों की संबंध समिति की 3 (तीन) बैठकें 12/06/2020] 12/11/2020 और 18/03/2021 को आयोजित की गईं। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आयोजित हितधारकों की संबंध समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

क्र. स.	सदस्य का नाम और पदनाम	समिति में पदनाम / स्थिति	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1.	डॉ. जी.एम. रेड्डी स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	2	2
2.	श्री पी.के. दास अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त)	सदस्य	3	3
3.	श्री चिंतन शाह निदेशक (तकनीकी)	सदस्य	3	3
4.	सुश्री मधुश्री एम. स्वामी स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	3	3
5.	श्री संजय जैन स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	1	1
6.	श्री अभिषेक महावर स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	1	1

निदेशकों की हितधारकों की संबंध समिति (एसआरसी) के कार्यवृत्त सूचना के लिए बोर्ड के समक्ष रखे गए थे।

3.6.3 निवेशकों की शिकायतों की स्थिति

कंपनी सभी निवेशकों की शिकायतों पर तेजी से और तुरंत कार्रवाई कर रही है। इरेडा के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट के समन्वय से निवेशकों की शिकायतों का तत्काल निवारण किया गया है। सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों से संबंधित 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के लिए निवेशकों की शिकायतों आदि की स्थिति इस प्रकार है:

वर्ष के प्रारंभ में लंबित	शून्य
वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त	29
वित्तीय वर्ष के दौरान निपटान	29
31 मार्च, 2021 को अनसुलझी रहीं	शून्य

3.7 आईटी रणनीति समिति

कंपनी ने 8 जून, 2017 को एनबीएफसी क्षेत्र के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर दिशा–सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे की आवश्यकता के अनुसार आईटी रणनीति समिति का गठन किया था। आईटी रणनीति समिति का गठन 24 सितंबर 2020 को आयोजित 334वीं बोर्ड बैठक में किया गया था।

31 मार्च, 2021 तक, निदेशकों की आईटी रणनीति समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्र.सं.	नाम	अध्यक्ष / सदस्य
1.	डॉ. जी.एम. रेड्डी* स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2	श्री चिंतन शाह निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
3.	श्री सुरेंद्र सुयाल कम्पनी सचिव	सदस्य

टिप्पणी

*डॉ. जी.एम. रेड्डी ने 18 मार्च, 2021 को स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यकाल पूरा कर लिया है, इसलिए वह समिति के सदस्य और इरेडा के निदेशक नहीं रहे।

3.7.1 आईटी रणनीति समिति की संदर्भ शर्तें

आईटी रणनीति समिति के मुख्य कार्य / उत्तरदायित्व;

1) आईटी रणनीति और नीति दस्तावेजों को मंजूरी देना और यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने एक प्रभावी रणनीतिक योजना प्रक्रिया को लागू किया है;

2) यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने ऐसी प्रक्रियाओं और परिपाटियों को लागू किया है जिससे यह सुनिश्चित हो कि आईटी व्यवसाय को मूल्य प्रदान करता है;

3) आईटी निवेश सुनिश्चित करना जो जोखिमों और लाभों के संतुलन का प्रतिनिधित्व करता हो और यह भी कि बजट स्वीकार्य हैं;

4) रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आईटी संसाधनों को निर्धारित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली विधि की निगरानी करना और आईटी संसाधनों के सोर्सिंग और उपयोग के लिए उच्च–स्तरीय दिशा प्रदान करना;

5) एनबीएफसी के विकास को बनाए रखने और आईटी जोखिमों और नियंत्रणों के प्रति जोखिम के बारे में जागरूक होने के लिए आईटी निवेश का उचित संतुलन सुनिश्चित करना।

3.7.2 आईटी रणनीति समिति की बैठकों की संख्या

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, आईटी रणनीति समिति की पहली (एक) बैठक 24.07.2020 को आयोजित की गई थी। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आयोजित आईटी रणनीति समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

क्र. स.	सदस्य का नाम और पदनाम	समिति में पदनाम / स्थिति	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1.	श्री अभिषेक महावर स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	1	1
2.	श्री चिंतन शाह निदेशक (तकनीकी)	सदस्य	1	1
3.	श्री सुरेंद्र सुयाल कम्पनी सचिव	सदस्य	1	1

निदेशकों की आईटी रणनीति समिति के कार्यवृत्त सूचना के लिए बोर्ड के समक्ष रखे गए थे।

3.8 एनपीए और दबावग्रस्त संपत्ति समाधान समिति

कंपनी ने 5 मार्च, 2020 को हुई 325वीं बोर्ड बैठक में एनपीए और दबावग्रस्त परिसम्पत्ति समिति का गठन किया था। 24 सितंबर, 2020 को हुई 334वीं बोर्ड मीटिंग में एनपीए और

दबावग्रस्त परिसम्पत्ति समिति का पुनर्गठन किया गया था।

31 मार्च, 2021 तक, निदेशकों की एनपीए और दबावग्रस्त परिसम्पत्ति समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्र. सं.	नाम	अध्यक्ष / सदस्य
1.	श्री चिंतन शाह निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
2.	श्री बी.पी. यादव निदेशक (सरकारी नामित)	सदस्य
3.	श्री विमलेंद्र ए. पटवर्धन निदेशक (सरकारी नामित)	सदस्य
4.	डॉ. जी.एम. रेड्डी' स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

टिप्पणी

* डॉ. जी.एम. रेड्डी ने 18 मार्च, 2021 को स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यकाल पूरा कर लिया है इसलिए वे समिति के सदस्य और इरेडा के निदेशक नहीं रहे।

3.8.1 एनपीए और दबावग्रस्त संपत्ति समाधान समिति की संदर्भ शर्तें

एनपीए और दबावग्रस्त परिसम्पत्ति समाधान समिति का मुख्य कार्य / जिम्मेदारियां कार्रवाई रिपोर्ट के साथ दबावग्रस्त परिसम्पत्ति और एनपीए की स्थिति की समीक्षा करना है।

3.8.2 एनपीए और दबावग्रस्त संपत्ति समाधान समिति की बैठकों की संख्या

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, एनपीए और स्ट्रेस्ड एसेट रेजोल्यूशन कमेटी की दिनांक 12/05/2020] 02/06/2020] 31/08/2020] 28/12/2020 और 18/03/2021 को 5 (पांच) बैठकें आयोजित की गईं। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आयोजित एनपीए और दबावग्रस्त संपत्ति समाधान समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

क्र. स.	सदस्य का नाम और पदनाम	समिति में पदनाम / स्थिति	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1.	डॉ. जी.एम. रेड्डी स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष / सदस्य	5	5
2.	श्री चिंतन शाह निदेशक (तकनीकी)	सदस्य	5	5
3.	श्री बी.पी. यादव निदेशक (सरकारी नामित)	सदस्य	3	3
4.	श्री विमलेंद्र ए. पटवर्धन, निदेशक (सरकारी नामित)	सदस्य	5	4
5.	श्री अभिषेक महावर स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	3	3
6.	श्री अमितेश कुमार सिन्हा, निदेशक (सरकारी नामित)	सदस्य	2	2

एनपीए के कार्यवृत्त और निदेशकों की दबावग्रस्त संपत्ति समाधान समिति को सूचना के लिए बोर्ड के समक्ष रखा गया था।

4. स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के अनुसार और सीपीएसई के गैर–आधिकारिक निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) की भूमिका और जिम्मेदारियों पर डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक 18 मार्च, 2021 को आयोजित की गई थी।

5. कार्यात्मक निदेशकों और कंपनी सचिव का पारिश्रमिक

निगमित शासन संहिता के तहत वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों और कंपनी सचिव के पारिश्रमिक का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	नाम	वेतन और भत्ते	निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन	अन्य लाभ	नियोक्ता का भविष्य निधि में योगदान	नियोक्ता अधिवार्षिता योगदान	कुल (राशि रुपए में)
1.	श्री पी.के. दास अध्यक्ष एवं पबंध निदेशक और निदेशक (वित्त)	38.11	0	1.92	2.84	2.13	45.00
2.	श्री चिंतन शाह निदेशक (तकनीकी)	35.91	13.13	2.01	2.9	2.18	56.13
3.	श्री बी.पी. यादव सरकारी नामित अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	शून्य					
4.	श्री सुरेंद्र सुयाल कम्पनी सचिव	33.36	7.17	1.93	2.83	2.12	47.41
5.	डॉ. आर.सी. शर्मा मुख्य वित्तीय अधिकारी	40.58	9.08	2.23	3.29	2.47	57.65

5.1 अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) को बैठक शुल्क

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) को अदा किया गया बैठक शुल्क इस प्रकार है:

निदेशक का नाम	राशि रुपए में
श्री अभिषेक महावर	4,90,000
डॉ. जी.एम. रेड्डी	11,10,000
सुश्री मधुश्री एम. स्वामी	8,90,000
श्री संजय कुमार जैन	2,80,000
कुल	**27,70,000**

6. लागू कानूनों का अनुपालन

कंपनी के पास विभिन्न वैधानिक और प्रक्रियात्मक अनुपालन की निगरानी के लिए एक मजबूत प्रणाली है। कंपनी पर लागू सभी कानूनों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड समय–समय पर वैधानिक और अन्य प्रक्रियात्मक अनुपालनों की स्थिति की समीक्षा करता है।

7. सामान्य निकाय बैठक

7.1 पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों की तिथि, समय और स्थान का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	दिन और तारीख	समय	स्थल	क्या कोई विशेष संकल्प पारित किया गया
2017-18	बुधवार 05.09.2018	12.30 बजे अपराह्न	ग्राण्ड बॉल रूम, द लीला पैलेस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली	नहीं
2018-19	सोमवार 30.09.2019	12.45 बजे अपराह्न	जकारांदा हॉल हेबीटेट वर्ल्ड इंडिया हेबीटेट सेंटर लोधी रोड़, नई दिल्ली – 110003	नहीं
2019-20	बुधवार 11.11.2020	12.30 बजे अपराह्न	सम्मलेन कक्ष प्रथम तल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, 40, मेक्समूलर मार्ग नई दिल्ली– 110003	नहीं

7.2 वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए 34वीं वार्षिक आम बैठक इस दिन होगी:

दिनांक	मंगलवार, 28 सितम्बर, 2021
समय	12:30 अपराह्न
स्थान	टामारिंड हॉल, पहली मंजिल, हैबिटेट वल्ड, इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली–110003

8 सचिवालयी लेखापरीक्षा

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए सचिवालयी लेखा परीक्षा मेसर्स पी.सी. जैन एंड कंपनी, कंपनी सचिव और उन्होंने कंपनी को अपनी सचिवालयी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सचिवालयी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्रति वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

9. प्रकटीकरण

- इंड–एएस 24 "संबंधित पक्ष प्रकटीकरण" द्वारा अपेक्षित संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेन–देन पर एक प्रकटीकरण वार्षिक रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों के नोट 38(10) में दिया गया है।

- कंपनी द्वारा प्रमोटरों, निदेशकों या प्रबंधन, उनके रिश्तेदारों आदि के साथ भौतिक प्रकृति का कोई लेन–देन नहीं किया गया था, जो बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है। गैर–कार्यकारी निदेशक का अपने कार्यकाल के वर्ष के दौरान कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेन–देन नहीं था। वित्त वर्ष 2020–21 में श्री बी.पी. यादव जो भारत के राष्ट्रपति की ओर से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हुए शेयर रखते हैं।

- समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, आधिकारिक परीक्षण किए गए कोविड –19 के सकारात्मक होने के कारण, अर्ध–वार्षिक आधार पर जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) और आईटी रणनीति समिति की बैठक आयोजित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है। इसके अलावा, कंपनी द्वारा गैर–अनुपालन के कोई अन्य उदाहरण नहीं थे।

- पिछले 03 वर्षों के दौरान, पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर स्टॉक एक्सचेंज या सेबी या किसी वैधानिक या नियामक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर कोई दंड, सख्ती नहीं लगाई गई है।

- बैलेंस शीट, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और लाभ और हानि का विवरण एनबीएफसी के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची प्प् के डिवीजन ।।। के तहत निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे इंड एएस का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है। इंड–एएस 7–कैश फ्लो स्टेटमेंट की आवश्यकता के अनुसार कैश फ्लो का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

- वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा कंपनी को कोई राष्ट्रपति निर्देश जारी नहीं किया गया था।

- कंपनी ने कॉरपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट में शामिल करने के लिए सभी सुझाई गई मदों को अपनाया है।

- प्राप्त घोषणाओं के अनुसार कंपनी के निदेशकों के बीच कोई परस्पर संबंध नहीं है।

- कंपनी ने कोई व्यय नहीं किया है, जो व्यवसाय के उद्देश्य के लिए नहीं है।

- वर्ष 2020–21 के लिए कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक और कार्यालय व्यय 1.00 प्रतिशत(पिछले वर्ष 1. 14 प्रतिशत) है और वर्ष 2020–21 के लिए वित्तीय व्यय के प्रतिशत के रूप में 1.28 प्रतिशत (पिछले वर्ष 1.62 प्रतिशत) है।

- डीपीई द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई), 2010 के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों के अनुसरण में, तिमाही की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर एमएनआरई को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। साथ ही, वार्षिक स्कोर (चार तिमाहियों का समेकित स्कोर) वाली रिपोर्ट निर्धारित समय में एमएनआरई को प्रस्तुत की गई थी।

10. संचार के साधन

कंपनी समग्र कॉर्पोरेट प्रशासन ढांचे में संचार को एक प्रमुख तत्व के रूप में पहचानती है और इसलिए सभी बाहरी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निरंतर, कुशल और प्रासंगिक संचार को मान्यता देती है। कंपनी अपनी वार्षिक रिपोर्ट, सामान्य बैठकों और वेबसाइट के माध्यम से प्रकटीकरण के माध्यम से संचार करती है। अर्धवार्षिक और वार्षिक वित्तीय परिणाम समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं और व्यापक प्रसार के लिए स्टॉक एक्सचेंज में जमा किए जाते हैं। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.ireda.in पर भी उपलब्ध है।

कंपनी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी का उल्लेख प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट में किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ लेखा परीक्षित खाते, निदेशकों की

रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट और गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल है जो सदस्यों और इसके लिए पात्र अन्य पक्षों को परिचालित की जाती है।

अर्धवार्षिक/वार्षिक परिणाम प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में आवश्यकता के अनुसार निम्नलिखित तिथियों पर प्रकाशित किए गए हैं:

अर्धवार्षिक/वार्षिक	प्रकाशन की तारीख (हिंदी और अंग्रेजी)	समाचारपत्रों का नाम (हिंदी और अंग्रेजी)
30.09.2020 (सीमित समीक्षा)	14 नवंबर 2020	हिंदुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी) हिंदुस्तान (हिंदी) और मिंट (अंग्रेजी): सभी संस्करण
31.03.2021 (लेखापरीक्षित)	31 मई 2021	हिंदुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी), हिंदुस्तान (हिंदी) और मिंट (अंग्रेजी) : सभी संस्करण

11. लेखापरीक्षा अर्हता

वित्तीय वर्ष 2020–21 से संबंधित कोई लेखापरीक्षा अर्हता नहीं है।

12. बोर्ड के सदस्यों को प्रशिक्षण

यह आवश्यकता आधारित है। बोर्ड के सदस्य अपनी आवश्यकता के आधार पर समय–समय पर विभिन्न सेमिनारों, सम्मेलनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान, एनएएचआरडी ने स्वतंत्र निदेशकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। वही कंपनी के निदेशकों के लिए ऑनलाइन आयोजित किया गया था और इसका आयोजन 13 और 14 अगस्त, 2020 को किया गया था। स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी के कामकाज से परिचित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

13. व्हिसल ब्लोअर नीति

सेबी विनियम नीति के अनुसार सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति पर बोर्ड द्वारा तैयार किया गया था और वही लागू है। किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है।

14. डिबेंचर न्यासियों का ब्यौरा

कंपनी ने समय–समय पर डिबेंचर/बांड जारी किए हैं। डिबेंचर न्यासियों की वर्तमान श्रृंखला का विवरण नीचे दिया गया है:

क. सीरीज ।।। से X और XIV, भारत सरकार के पूर्ण सर्विस्ड बॉण्ड – एमएनआरई

मैसर्स विस्तारा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड प्लॉट नंबर सी–22, जी ब्लॉक, 7वीं मंजिल
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स
बांद्रा (पूर्व), मुंबई–400051

ख. सीरीज XIII के लिए

मेसर्स एसबीआईसीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड
मिस्त्री भवन, चौथी मंजिल, 122, दिनशॉ वाछा रोड,
चर्चगेट, मुंबई – 400020

अनुलग्नक VIII

निगमित शासन पर अनुपालन प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड
भारत पर्यावास केंद्र
पहली मंजिल, इस्टर्न कोर्ट, कोर 4–ए
लोधी रोड
नई दिल्ली–110003

प्रिय महोदय,

हमने **सीपीईएस** के लिए लोक उद्यम विभाग **(डीपीई)**, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के लिए द्वारा जारी निगमित शासन संबंधी दिशानिर्देशों **("दिशानिर्देश")** की अनुपालन शर्त को प्रमाणित करने के उद्देश्य से 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड **("कंपनी")** के सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड की जांच की है।

दिशानिर्देशों के अनुसार निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा परीक्षण प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित है। यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावोत्पादकता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

हमारी राय में और हमें प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड, स्पष्टीकरण और जानकारी की हमारी जांच के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने, 19 मार्च 2021 से शुरू होने वाले स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति न होने के कारण बोर्ड, लेखापरीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति की संरचना के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.1, 4.1.1, 4.1.2 और 5.1 को छोड़कर, कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है जैसा कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित है। तथापि, कंपनी ने अपने प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को अपने निदेशक मंडल में में उचित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशक की नियुक्ति के लिए सूचित किया था।

कृते पी.सी. जैन एंड कम्पनी
कम्पनी सचिव
(एफआरएनः P2016HR051300)

P. C. JAIN & CO. FR No. P2016HR 51300 Company Secretaries

(पी सी जैन)
प्रबंधन भागीदार
सदस्यता सं. 4103
सीपी सं. 3349

स्थानः फरीदाबाद
दिनांक : 06.08.2021
यूडीआईएन : F004103C000745470

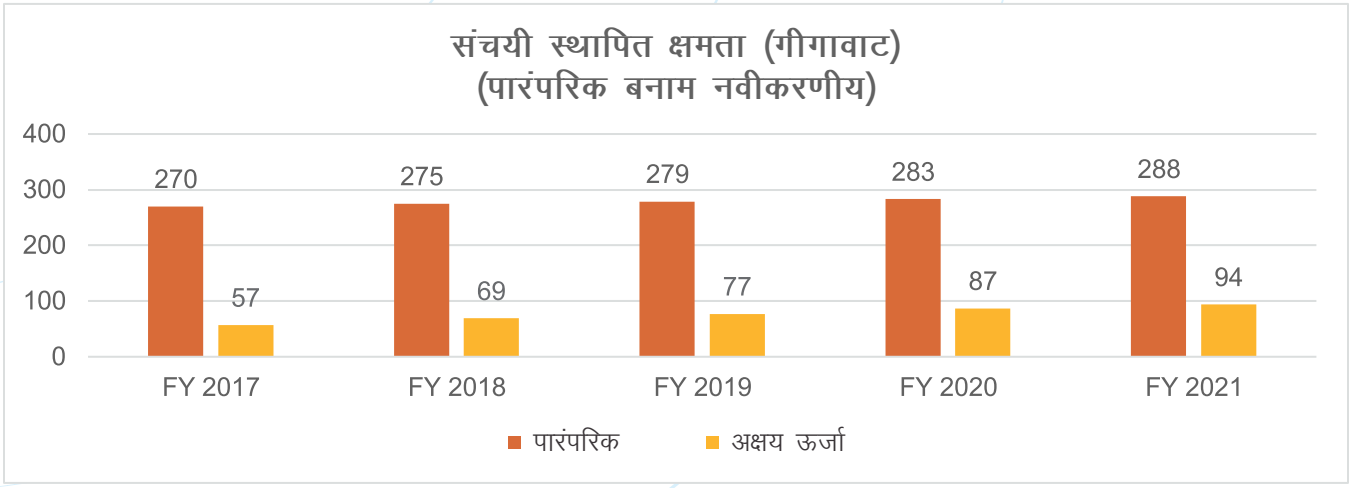
प्रबंधन चर्चाएं और विश्लेषण रिपोर्ट

इरेडा का प्रबंधन वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी के निष्पादन पर अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए प्रसन्न है।

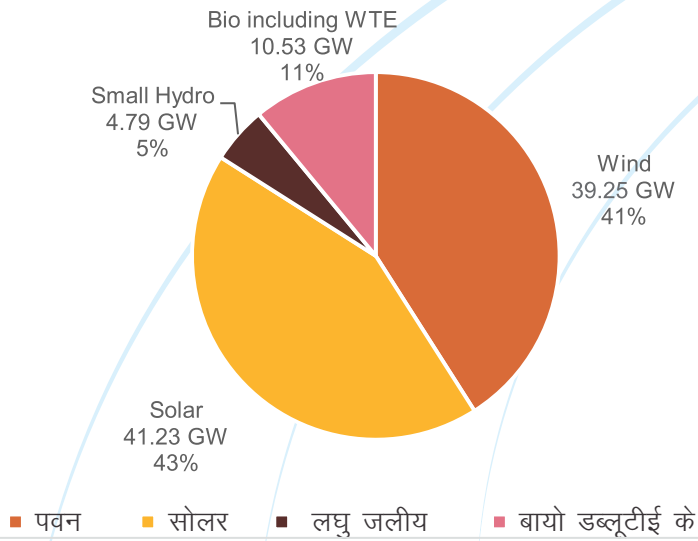
1. भारतीय अक्षय ऊर्जा बाजार और विकास का अवलोकन

पिछले कुछ वर्षों में, भारत में अक्षय ऊर्जा (आरई) क्षेत्र ग्रिड से जुड़ी बिजली उत्पादन क्षमता में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरा है। जहां थर्मल पावर क्षमता वृद्धि में मंदी देखी गई है, वहीं वर्ष 2030 तक भारत सरकार द्वारा 450 गीगावाट आरई स्थापित क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के कारण पवन और सौर ऊर्जा क्षेत्र ने धीरे–धीरे गति पकड़ी है। आरई क्षेत्र न केवल स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल विकास को बढ़ावा देता है, बल्कि ऊर्जा पहुंच और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी के लिए भी महत्वपूर्ण है। तदनुसार, इस क्षेत्र ने जैव ईंधन, फ्लोटिंग सौर पार्कों, पवन–सौर संकर परियोजनाओं, हरित हाइड्रोजन और भंडारण प्रणालियों पर अधिक ध्यान देने के साथ, नवीन आरई प्रौद्योगिकियों की तैनाती देखी है। सरकार का बढ़ा फोकस आरई क्षेत्र की ओर भारत के निवेश के साथ–साथ इस क्षेत्र में रोजगार के लिए जबरदस्त अवसर पैदा हुए हैं। हाल ही में, मई 2021 में ईवाई द्वारा जारी 57वें ईवाई "नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक (आरईसीएआई)" में भारत विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। साथ ही, भारत को संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तर पर ष्ऊर्जा संक्रमणष के लिए एक वैश्विक थीम चौंपियन के रूप में भी चुना गया है। अपनी स्वैच्छिक और कार्रवाई–उन्मुख नीति, कार्यान्वयन और सतत विकास के लिए सार्वजनिक संपर्क ढांचे की मान्यता के रूप में ऊर्जा पर संवाद 2021। जैसे, निवेशक वर्षों से भारतीय अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की विकास कहानी के बारे में उत्साहित हैं और भारतीय आरई बाजार में और अधिक निवेश करने के लिए तैयार हैं।

मई 2021 (अर्थात 383.4 गीगावाट) तक भारत में कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का एक चौथाई हिस्सा अक्षय ऊर्जा (आरई) के लिए है। 95.66 गीगावॉट की वर्तमान आरई स्थापित क्षमता के अलावा, लगभग 51 गीगावॉट आरई क्षमता का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में है और 29 गीगावाट क्षमता बोली के विभिन्न चरणों में है। विश्व स्तर पर भारत स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता (अर्थात, 39 गीगावाट) और सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता (अर्थात, 41 गीगावाट) के मामले में 5वें स्थान पर है। आरई क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में देश की कुल बिजली उत्पादन में स्थापित क्षमता और आरई की बढ़ती हिस्सेदारी दोनों के संदर्भ में परिवर्तनकारी वृद्धि देखी गई। जहां पिछले 5 वर्षों में पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र की क्षमता 2% प्रति वर्ष की सीएजीआर (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) से बढ़ी है, वहीं आरई क्षमता 13% प्रति वर्ष की सीएजीआर से बढ़ी है। इसके अलावा, अधिकांश आरई क्षमता वृद्धि सौर (सौलर सहित) और पवन ऊर्जा क्षेत्र के कारण है, जिसमें 31.03.2021 तक कुल आरई स्थापित क्षमता का 85% शामिल है।

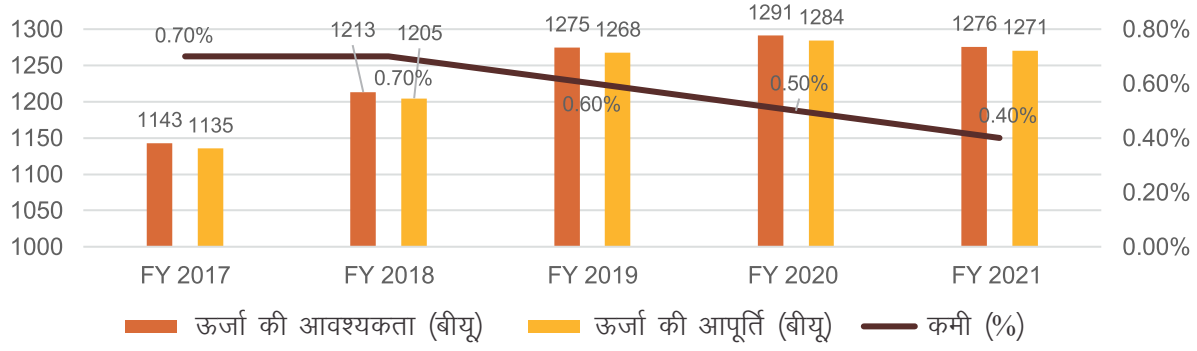


31.03.2021 को प्रौद्योगिकीवार नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता (कुल क्षमता का % गेगावाट)

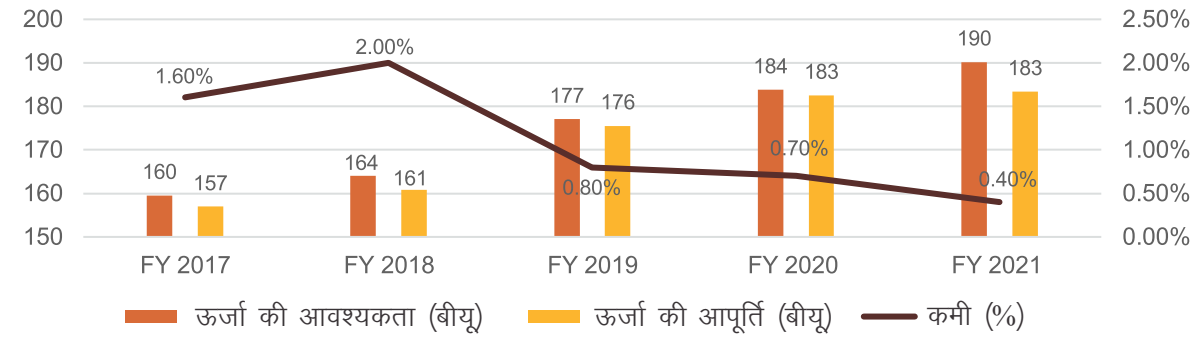


मांग पक्ष पर, ऊर्जा मांग और ऊर्जा आपूर्ति पिछले कुछ वर्षों में 3% की सीएजीआर के बिल्कुल साथ–साथ वृद्धि हुई है, हालांकि वित्त वर्ष 2021 में कोविड–19 के प्रभाव के कारण ऊर्जा की मांग और आपूर्ति में कमी आई है। इसी तरह पीक डिमांड और पीक उपलब्धता / मेट पिछले 5 वर्षों में 5% की सीएजीआर के बिल्कुल साथ–साथ वृद्धि हुई है।

ऊर्जा की मांग– आपूर्ति की स्थिति (बीयूएस में) और कमी (प्रतिशत में)



अधिकतम मांग– उपलब्धता की स्थिति (मेगावाट में) और कमी (प्रतिशत में)



आगे बढ़ते हुए, भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में विद्युत के एक प्रमुख इनपुट बने रहने की उम्मीद है और आने वाले वर्षों में देश के समग्र ऊर्जा पोर्टफोलियो में अक्षय ऊर्जा की प्रमुख भूमिका होगी। आरई क्षमता के लिए पर्याप्त उच्च लक्ष्यों से अधिक ऊर्जा सुरक्षा, बेहतर ऊर्जा पहुंच और रोजगार के अवसरों में वृद्धि सुनिश्चित होगी। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य की प्राप्ति से, अधिकांश ऊर्जा आवश्यकता को स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से पूरा किए जाने की संभावना है।

ऊर्जा/आरई सेक्टर/सरकारी पहलों में हाल में हुए विकास/ गतिविधियां

भारत सरकार ने आरई क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। भारत के माननीय प्रधान मंत्री आरई क्षेत्र के विकास को समर्थन प्रदान करने करने और सतत विकास को बनाए रखने की दिशा में हरित ऊर्जा के उद्देश्य को बढ़ावा देने में सबसे आगे रहे हैं।

- **बजटीय सहायता**
  - o इरेडा में 1500 करोड़ और रु. सेकी (भारतीय सौर ऊर्जा निगम) में 1000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त पूंजी निवेश। इक्विटी निवेश के साथ, इरेडा 12,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त ऋण सुविधाओं का विस्तार करने में सक्षम होगा। अतिरिक्त इक्विटी से इरेडा की पूंजी पर्याप्तता में भी सुधार होगा जिससे इरेडा को कम ब्याज दर पर उधार लेने में मदद मिलेगी, और इस प्रकार विकासकर्ताओं के लिए ब्याज दरों में भी कमी आएगी।
  - o ऋण वित्तपोषण के लिए एक विकासात्मक वित्त पोषण संस्थान (डीएफआई) की स्थापना का नामकरण राष्ट्रीय वित्तपोषण अवसंरचना एवं विकास बैंक किया जाएगा।
  - o दबावग्रस्त परिसम्पत्तियों को हाथ में लेने के लिए केंद्रीय परिसम्पत्ति पुनर्निमाण एवं केंद्रीय परिसम्पत्ति प्रबंधन कम्पनी की स्थापना।
  - o आरई स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन शुरू किया जाएगा।
  - o जल विद्युत परियोजनाओं के बाढ़ नियंत्रण घटक के वित्तपोषण के लिए मामला–दर–मामला आधार पर बजटीय सहायताय तथा।
- **उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई)** – भारत सरकार ने जीडब्ल्यू–स्केल के सौर मॉड्यूल की अत्यधिक कुशल घरेलू विनिर्माण क्षमता स्थापित करने और आयात निर्भरता में कमी के उद्देश्य से, एमएनआरई के माध्यम से उत्पादन से जुड़ी योजना को मंजूरी दी है। एमएनआरई ने पीएलआई योजना के लिए इरेडा को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया है। उसी के अनुरूप, इरेडा ने सौर विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। पांच साल की अवधि में पीएलआई के लिए वित्तीय परिव्यय रु. 4500 करोड़।
- **मूल सीमाशुल्क (बीसीडी) लगाया जाना** – भारत के विशाल सौर क्षेत्र के लक्ष्यों और आरई क्षेत्र की रणनीतिक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, और आत्म निर्भर भारत पहल के तहत घरेलू सौर विनिर्माण को बढ़ाने के लिए, दिनांक 01.04.2022 से सौर मॉड्यूल और सेल पर क्रमशः 40 प्रतिशत और 25 प्रतिशत के लिए बीसीडी लगाया गया है। सरकार ने अपनी परियोजनाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले सौर मॉड्यूल के लिए मॉडल और निर्माताओं (एएलएमएम) की अनुमोदित सूची जारी की है। सूची में शामिल निर्माता और उनके सत्यापित मॉड्यूल 10 अप्रैल, 2021 को या उसके बाद बोली लगाने वाली परियोजनाओं के लिए सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त परियोजनाओं, योजनाओं और कार्यक्रमों में उपयोग के लिए पात्र होंगे।
- **पवन सौर हाइब्रिड बिजली संयंत्रों के लिए अपार संभावनाएं :** पवन–सौर हाइब्रिड विद्युत परियोजनाओं की अपार संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने एमएनआरई के माध्यम से, 2018 में राष्ट्रीय पवन–सौर हाइब्रिड नीति जारी की, जिसे ग्रिड से जुड़े टैरिफ–आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से बिजली की खरीद के लिए दिशानिर्देशों की अधिसूचना के साथ पूरक किया गया है। अक्टूबर, 2020 में पवन सौर ऊर्जा हाइब्रिड परियोजनाएं। इसके परिणामस्वरूप 10 गीगावॉट से अधिक की सौर–पवन हाइब्रिड क्षमता और 5 गीगावॉट से अधिक के लिए आवंटन हुआ है, जिसमें सबसे कम जीतने वाला टैरिफ 2.41 रुपये प्रति यूनिट है।

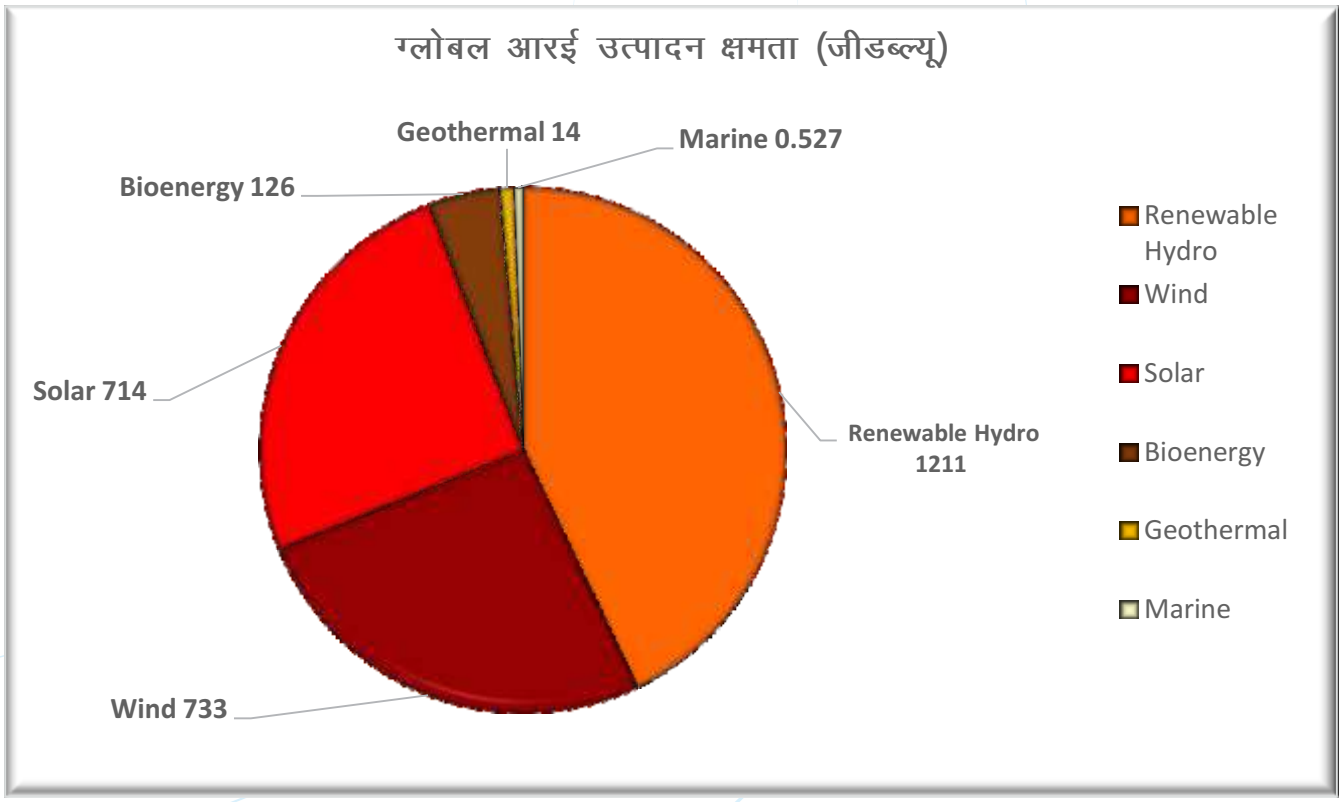
- **चौबीसों घंटे आरई आपूर्ति और ऊर्जा भंडारण प्रणाली:** ऊर्जा मिश्रण में अक्षय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी और आरटीसी (राउंड–द–क्लॉक) आपूर्ति और ग्रिड स्थिरता से संबंधित सरोकारों की वजह से, चौबीसों घंटे और ऊर्जा भंडारण समाधानों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। इस संबंध में, वित्तीय वर्ष 21 में, कई राउंड–द–क्लॉक और सोलर–प्लस–स्टोरेज टेंडर जारी किए गए थे, जिसमें 1.2 गीगावॉट का दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय–प्लस–स्टोरेज टेंडर शामिल था।
- **आरई सेक्टर पर कोविड–19 को प्रभावरू कोविड**– 19 महामारी के मद्देनजर, भारतीय अक्षय क्षेत्र अधिकाधिक अनिश्चितताओं से जूझ रहा है। कोविड–19 महामारी ने नई चुनौतियों को जन्म दिया है। अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास और कमीशनिंग की गति प्रभावित हुई है। तथापि, भारत सरकार स्थिति पर प्रतिक्रिया देने में त्वरित थी। अक्षय ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों के संचालन को एक आवश्यक सेवा के रूप में घोषित किया गया था, और लॉकडाउन को अप्रत्याशित रूप से मानते हुए विभिन्न अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए समय बढ़ाने की नीति लागू की गई है। महामारी और लॉकडाउन के बावजूद नई परियोजनाओं के लिए बोली भी अबाध रूप से जारी रही है। व्यवसाय करने में आसानी की सुविधा के लिए कोविड के दौरान निम्नलिखित प्रमुख कदमध्उपाय किए गए: -
  - o कोविड–19 के प्रभाव को कम करने के लिए अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को समय विस्तार देने और कार्य पूर्णता के अनुपात में प्रदर्शन बैंक गारंटी जारी करने के निर्देश जारी किए गए।
  - o भारत सरकार द्वारा राज्यों को अनुबंधों की शुद्धता को बनाए रखने और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए सहायक नीतियों में निश्चितता सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है।
  - o राज्यों को यह स्पष्ट किया गया है कि अक्षय ऊर्जा की 'चलना चाहिए' स्थिति लॉकडाउन अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहती है, और ग्रिड सुरक्षा कारणों को छोड़कर, इसकी वजह से उत्पादन मानद रहेगा।
- **आवासीय रूफटॉप सौर खंड** में आने वाले वर्षों में गति आने की उम्मीद है, क्योंकि लागत में कमी और वैकल्पिक और निर्बाध बिजली आपूर्ति को देखते हुए, सी एंड आई (वाणिज्यिक और औद्योगिक) खंड द्वारा सौर रूफटॉप परियोजनाओं को अपनाने में वृद्धि की उम्मीद है।
- **इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी):** भारत सरकार ने 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में 30 प्रतिशत प्रवेश का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, उसी के अनुरूप, भारत सरकार ईवी निर्माताओं को एफएएमई के तहत स्वदेशी प्रौद्योगिकी में पैठ बढ़ाने और आगे निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन का तेजी से अंगीकरण और विनिर्माण) योजना।
- **इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (ईबीपी):** भारत सरकार ने तेल आयात बोझ (पेट्रोलियम का शुद्ध आयात 185 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से 185 मिलियन था) को कम करने के लिए 20 प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण (ई20) के लिए ईबीपी के लिए लक्ष्य तिथि 2030 से 2025 तक बढ़ा दी है। 2020–21 में अरब, स्रोतरू पीपीएसी वेबसाइट)। इस प्रकार, एक सफल ई20 कार्यक्रम से देश को प्रति वर्ष 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग रु 30,000 करोड़ की बचत होगी। इसके अलावा, इथेनॉल एक कम प्रदूषणकारी ईंधन है, और पेट्रोल की तुलना में कम लागत पर समान दक्षता प्रदान करता है।
- **'सतत' योजना:** सरकार विकासकर्ताओं द्वारा उत्पादित संपीड़ित बायो–गैस (एसबीजी) के उठाव के लिए 'सतत' (सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन) योजना लेकर आई है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फलने–फूलने में मदद मिल रही है और साथ ही उधारदाताओं को ऐसी परियोजनाओं को वित्तपोषित करने का विश्वास प्राप्त हो रहा है।
- **बायोमास पेलेट:** सरकार ने कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट्स को बायोमास पेलेट को कोयले (न्यूनतम 5 प्रतिशत) के साथ मिलाना अनिवार्य किया है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फलने–फूलने में मदद मिल रही है और पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण की विनाशकारी समस्या भी हल हो रही है।
- **हाइड्रो परचेज ऑब्लिगेशन (एचपीओ):** भारत सरकार ने गैर–सौर अक्षय खरीद दायित्व (आरपीओ) के साथ एचपीओ को अलग इकाई के रूप में मंजूरी दी है।
- **टैरिफ युक्तिकरण:** टैरिफ युक्तिकरण उपायों में परियोजना के जीवन को 40 वर्ष तक बढ़ाने के बाद टैरिफ की बैक

लोडिंग द्वारा टैरिफ निर्धारित करने के लिए डेवलपर्स को लचीलापन प्रदान करना, ऋण चुकौती अवधि को 18 वर्ष तक बढ़ाया जाना और 2 प्रतिशत की बढ़ती टैरिफ को शुरू करना शामिल है।

- **एलएचपी (25 से छोटी मेगावाट परियोजनाओं) को अक्षय ऊर्जा स्रोत घोषित करना:** बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं (एलएचपी, यानी 25 मेगावाट से छोटी परियोजनाओं) को अक्षय ऊर्जा स्रोत घोषित किया जाता है। हालांकि, एलएचपी स्वचालित रूप से लघु जल विद्युत परियोजनाओं (एसएचपी), यानी 25 मेगावाट तक की क्षमता की परियोजनाओं के लिए उपलब्ध वैधानिक मंजूरी के लिए किसी भी अंतर शोधन के लिए पात्र नहीं होंगे।
- 30 जून 2025 तक चालू की जाने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन ऊर्जा की अंतर–राज्यीय बिक्री के लिए अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क और हानियों की छूट।
- **ग्रीन टर्म अहेड मार्केट** की शुरुआत और जल्द ही ग्रीन डे अहेड मार्केट की शुरुआत पर विचार।

वैश्विक स्थिति: अक्षय ऊर्जा

वर्ष 2020 के अंत में, वैश्विक नवीकरणीय उत्पादन क्षमता 2799 गीगावाट थी। 1211 गीगावाट की क्षमता के साथ, अक्षय जलविद्युत वैश्विक कुल का सबसे बड़ा हिस्सा है। पवन और सौर ऊर्जा में अधिकांश शेष क्षमता क्रमशः 733 गीगावाट और 714 गीगावाट की क्षमता के साथ है। अन्य नवीकरणीय ऊर्जा में 126 गीगावाट बायोएनेर्जी और 14 गीगावाट जियोथर्मल, साथ ही 527 मेगावाट समुद्री ऊर्जा शामिल हैं। अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता में 2020 में 261 गीगावाट (+10.3%) की वृद्धि हुई। सौर ऊर्जा ने 126 गीगावाट (+21%) की वृद्धि के साथ, 111 गीगावाट (+18%) के साथ पवन ऊर्जा के साथ क्षमता विस्तार का करना जारी रखा। जलविद्युत क्षमता में 20 गीगावाट (+1.5%) और बायोएनेर्जी में 2 गीगावाट (+2%) की वृद्धि हुई। भूतापीय ऊर्जा में केवल 164 मेगावाट से कम की वृद्धि हुई।



सौर और पवन ऊर्जा अक्षय क्षमता विस्तार पर हावी रही, 2020 में सभी शुद्ध नवीकरणीय परिवर्धन के 90% के लिए संयुक्त रूप से लेखांकन। हालांकि, यह असामान्य रूप से उच्च हिस्सा पिछले साल जलविद्युत के बहुत कम विस्तार को प्रतिबिंबित कर सकता है। 2020 में एशिया ने नई क्षमता का 64% हिस्सा लिया, जिससे इसकी नवीकरणीय क्षमता 168 गीगावाट बढ़कर 1286 गीगावाट (वैश्विक कुल का 44%) तक पहुंच गई। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में क्षमता में क्रमशः 34 गीगावाट (++6%) और 32 गीगावाट (++8%) का विस्तार हुआ। ओशिनिया सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र (++18-5%) था, हालांकि वैश्विक क्षमता में उनका हिस्सा छोटा है।

तालिका 1: शीर्ष 10 देश – सौर पीवी और पवन ऊर्जा क्षमता

शीर्ष 10 देश – सौर पीवी ऊर्जा क्षमता			शीर्ष 10 देश – पवन ऊर्जा क्षमता		
देश का स्थान	देश का नाम	दिसंबर–20 में संस्थापित क्षमता (गीगावाट)	देश का स्थान	देश का नाम	दिसंबर–20 में संस्थापित क्षमता (गीगावाट)
1	चीन	254	1	चीन	282
2	अमेरिका	76	2	अमेरिका	118
3	जापान	67	3	जर्मनी	62
4	जर्मनी	54	4	भारत	39
5	भारत	39	5	स्पेन	27
6	इटली	22	6	यूनाइटेड किंगडम	25
7	ऑस्ट्रेलिया	18	7	फ्रांस	17.3
8	वियतनाम	16.5	8	ब्राजील	17.2
9	कोरिया गणराज्य	14.5	9	कनाडा	13.5
10	स्पेन	14	10	इटली	10ण्8

*निकटतम पूर्ण संख्या में पूर्णांकित किया गया।

वर्ष 2020 में अक्षय ऊर्जा क्षमता में 303.5 बिलियन डॉलर का निवेश हुआ, जो कोविड के कारण देरी के बावजूद 2 प्रतिशत तक बढ़ा है। निवेश काफी हद तक सौर क्षेत्र के कारण है, जिसमें 12 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 148.6 बिलियन अमरीकी डालर का निवेश देखा गया, जबकि पवन क्षेत्र में 6 प्रतिशतकी गिरावट के साथ 142.7 बिलियन अमरीकी डालर का निवेश देखा गया। हालांकि अपतटीय पवन निवेश में गिरावट के कारण पवन क्षेत्र के निवेश में गिरावट आई, अपतटीय पवन निवेश में निवेश में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई। बायोमास और डब्ल्यूटीई क्षमता ने 2019 से 3: कम, क्षमता निवेश में 10 बिलियन अमरीकी डालर का निवेश आकर्षित किया। इसके अलावा, नवीकरणीय क्षमता में वैश्विक निवेश 2014 के बाद से अपेक्षाकृत सुसंगत रहा है, 265 बिलियन डॉलर और 315 बिलियन डॉलर के बीच 50 बिलियन डॉलर की सीमा में उतार–चढ़ाव। लेकिन मुख्य आंकड़ों के नीचे, नए संवर्धन की इकाई लागतों, निवेश के भौगोलिक विभाजन और विभिन्न तकनीकों के मिश्रण पर बहुत कुछ बदल रहा है।

क्षेत्रों के संदर्भ में, यूरोप में अक्षय ऊर्जा क्षमता निवेश, 81.8 बिलियन डॉलर, 52 प्रतिशत अधिक था, जो वर्ष 2012 के बाद से सबसे अधिक था और लगभग 12 प्रतिशत नीचे, 83.6 बिलियन डॉलर पर चीन के बराबर रहा। अमेरिका का निवेश 20 प्रतिशत गिरकर 49.3 बिलियन डॉलर हो गया, क्योंकि पवन निवेश लगभग आधा हो गया, और भारत में यह 36 प्रतिशत गिरकर 6.2 बिलियन डॉलर हो गया। जापान में अक्षय क्षमता निवेश 10 प्रतिशत बढ़कर 19.3 बिलियन डॉलर, यूके में 177 प्रतिशत बढ़कर 16.2 बिलियन डॉलर और नीदरलैंड में 221% बढ़कर 14.3 बिलियन डॉलर हो गया। स्पेन में 16 प्रतिशत बढ़कर 10 बिलियन डॉलर, ब्राजील में 23% बढ़कर 8.7 बिलियन डॉलर, वियतनाम में 89 प्रतिशत बढ़कर 7.4 बिलियन डॉलर, फ्रांस में 38 प्रतिशत बढ़कर 7.3 बिलियन डॉलर और जर्मनी

14 प्रतिशत बढ़कर 7.1 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। जिन बाजारों में 3 बिलियन डॉलर से अधिक की वृद्धि देखी गई, उनमें ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, पोलैंड, चिली, तुर्की और स्वीडन शामिल थे।

2. दृष्टिकोण

भारत जीवाश्म–ईंधन समर्थित ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा में ऊर्जा संक्रमण की दिशा में अग्रणी रहा है। यह काफी हद तक पेरिस जलवायु समझौते के तहत अक्षय ऊर्जा के प्रति भारत सरकार (जीओआई) की प्रतिबद्धताओं के कारण है, जिसके तहत भारत ने 2030 तक गैर–जीवाश्म ईंधन से अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 40 प्रतिशत का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध किया है। उसी के अनुरूप, भारत ने 2013 तक 450 गीगावाट आरई स्थापित क्षमता का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें फ्लोटिंग सोलर पार्क, हाइब्रिड प्रोजेक्ट, जैव ईंधन, ग्रीन हाइड्रोजन और भंडारण प्रणाली पर अधिक ध्यान दिया गया है। भारत ष्हरित ऊर्जा गलियाराष परियोजना पर भी जोर दे रहा है जिसका उद्देश्य ग्रिड में पारंपरिक बिजली स्टेशनों के साथ अक्षय स्रोतों से उत्पादित बिजली को सिंक्रनाइज करना है। महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ, सहायक नीति और नियामक ढांचे ने भारत को आरई क्षेत्र के लिए शीर्ष निवेश स्थलों में से एक बना दिया है। ईएंडवाई के अनुसार, भारत अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक, 2021 में 40 देशों में तीसरे स्थान पर है।

कई वैश्विक पेंशन फंड, सॉवरेन वेल्थ फंड, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियां और अन्य वित्तीय संस्थान (एफआई), दोनों घरेलू संस्थान ध बैंक और अन्य निजी क्षेत्र के एफआई, निजी इक्विटी आदि इस क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं। 2013 तक सरकार के 450 गीगावाट के क्षमता वृद्धि लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, इस परिदृश्य में, बुनियादी ढांचे के विकास कोष (आईडीएफ), इनवीआईटी, वैकल्पिक निवेश कोष जैसे नए उपकरणों के संदर्भ में मुद्रा बाजार को गहरा करने के लिए क्षेत्र की वित्त पोषण की आवश्यकता में काफी वृद्धि होगी।, समग्र आरई लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नई परियोजनाओं आदि में निवेश के लिए धन निकालने के लिए बांड अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इरेडा बड़े संस्थागत निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एआईएफ के रूप में एक डेट फंड (फंड) स्थापित करने की प्रक्रिया में है, जिनके पास परियोजना स्तर पर आरई फाइनेंसिंग में भाग लेने के लिए मंच नहीं था। एआईएफ उन उधारकर्ताओं की नई परियोजनाओं के वित्तपोषण में भी इरेडा की मदद करेगा जो एक्सपोजर सीमा के करीब हैं। कंपनी पास–थ्रू प्रमाणपत्र जारी करके परिसंपत्ति–आधारित प्रतिभूतिकरण (एबीएस) करने की भी योजना बना रही है।

3. वित्तीय और प्रचालनिक निष्पादन

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन में समग्र वृद्धि हुई है।

कुल आयः वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, आपकी कंपनी की कुल आय बढ़कर ₹ 2,658.63 करोड़ हो गई, जो पिछले वर्ष की कुल आय ₹ 2,372.38 करोड़ की तुलना में 12.07 प्रतिशत की वृद्धि को दर्ज करती है।

कर पश्चात लाभ (पीएटी): वित्त वर्ष 2020–21 के अंत में कर पश्चात लाभ (पीएटी) बढ़कर ₹ 346.41 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष के ₹ 214.55 करोड़ के पीएटी की तुलना में 61.46 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है। वृद्धि मुख्य रूप से एनपीए खातों से ब्याज की वसूली के कारण हुई है।

निवल मूल्यः कंपनी का निवल मूल्य वित्त वर्ष 2020–21 के अंत में बढ़कर 2,995.19 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष के निवल मूल्य ₹ 2,521.32 करोड़ की तुलना में 18.79 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है।

संस्वीकृतियांः वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, आपकी कंपनी ने ₹ 11,001.30 करोड़ के ऋण संस्वीकृत किए, जो पिछले वर्ष की स्वीकृत राशि ₹ 12,696.11 करोड़ की तुलना में 13.34 प्रतिशत कम है।

संवितरणः वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, आपकी कंपनी ने ₹ 8826.64 करोड़ के ऋण संवितरित किए, जो पिछले वर्ष की संवितरित राशि ₹ 8785.31 करोड़ की तुलना में 0.47 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

4. शक्तियां, दुर्बलताएं, अवसर और खतरे (एसडब्ल्यूओटी)

शक्तियांः

भारत में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र भारत के ऊर्जा मिश्रण में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के इष्टतम ऊर्जा मिश्रण के अनुसार, 2030 तक देश की बिजली की आवश्यकता 817 गीगावाट होगी, जिसमें से 450 गीगावाट को आरई क्षेत्र से पूरा करने का प्रयास किया जाएगा (अकेले सौर से 280 गीगावाट योगदान की उम्मीद है)।

इरेडा के पास 34 वर्षों का प्रचालनिक अनुभव है और यह विद्युत क्षेत्र में अपने ग्राहकों को परियोजना अवधारणा से लेकर प्रारंभ होने के बाद के चरण तक वित्तीय उत्पादों और संबंधित सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, जिसमें उत्पादन, पारेषण और वितरण परियोजनाओं के साथ–साथ संबंधित नवीनीकरण और आधुनिकीकरण परियोजनाएं भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, इरेडा के इक्विटी आधार को बढ़ावा देने के लिए, वित्त मंत्रालय ने फरवरी 2021 में बजट भाषण में इरेडा में 1500 करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश की घोषणा की। इसके इरेडा, इरेडा जल्द ही आईपीओ जारी करने की योजना बना रहा है, जिससे अपने मौजूदा उधारकर्ताओं के साथ–साथ आरई क्षेत्र में अच्छे व्यवसाय के अवसर का दोहन की योजना बना रहे नए उधारकर्ताओं के लिए एक्सपोजर में पर्याप्त अवसर मुहैया होगा। भारत सरकार द्वारा 1,500 करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश से, इरेडा 12,000 करोड़रुपये की अतिरिक्त ऋण सुविधा का विस्तार करने में सक्षम होगा। यह 31.03.2021 तक 27,854 करोड़ के मौजूदा बुक साइज रुपये के अतिरिक्त होगा। अतिरिक्त इक्विटी से इरेडा की पूंजी पर्याप्तता में भी सुधार होगा जिससे इरेडा को कम ब्याज दर पर उधार मिलने में मदद मिलेगी, और इस प्रकार डेवलपर्स के लिए ब्याज दरों में कमी आएगी।

सरकार ने आरई क्षेत्र के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाना जारी रखा। माननीय वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात में संवर्धन के लिए 2021–22 के बजट भाषण में 13 चिन्हित क्षेत्रों के लिए उत्पादन–संबतद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय की घोषणा की। मंत्रिमंडल द्वारा प्रारंभिक तौर पर जिन क्षेत्रों के लिए पीएलआई की मंजूरी दी गई है उनमें से एक 'उच्च दक्षता वाला सौर पीवी मॉड्यूल' है। आरई क्षेत्र के विकास के लिए इरेडा की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, एमएनआरई ने इरेडा को उक्त योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया। उसी के अनुरूप, इरेडा ने सौर विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं।

दुर्बलताएं:

इरेडा के पास अपने छोटे पूंजी आधार के कारण उच्च क्षमता वाली परियोजनाओं को वित्तपोषित करने की सीमा है। इसके अतिरिक्त, बाजार की परिपक्वता के कारण बढ़ते समेकन के कारण आरई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खरीद के साथ, ऋण जोखिम बाधाएं आपकी कंपनी की वित्तपोषण क्षमता को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा, चूंकि इरेडा एक गैर–जमा प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण (एनडी–एसआई) है, खुदरा निवेशकों से जमा का विकल्प उपलब्ध नहीं है, जिससे बैंकों की तुलना में उधार लेने की लागत थोड़ी अधिक हो जाती है। हालांकि, 1500 करोड़ रुपये के प्रस्तावित इक्विटी पूंजी निवेश से, आपकी कंपनी अपनी सीमाओं को पार करने और अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सकारात्मक है।

इसके अलावा, ऊर्जा टैरिफ की कीमतों में लगातार गिरावट आई है, जिसके परिणामस्वरूप अब तक आरई क्षेत्र का विकास हुआ है, लेकिन चिंताएं हैं कि यदि टैरिफ अव्यवहार्य स्तर तक गिरते हैं, तो डेवलपर्स रिटर्न बनाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं तकनीकी जोखिमों और प्रकृति से जुड़े जोखिम के लिए अधिक प्रवण हैं, बल्कि जोखिम अधिक हैं क्योंकि जुड़े समय क्षितिज लंबे हैं और कुछ प्रौद्योगिकियां प्रारंभिक चरण में हैं। अपनी बिजली खरीद संबंधी दायित्वों को पूरा करने में संस्थाओं की विफलता कंपनी की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है और कंपनी को तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के प्रबंधन और परिसंपत्ति गुणवत्ता में समग्र सुधार लाने के लिए प्रभावी रणनीतियों को अपनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना आवश्यक हो सकता है।

अवसर:

आपकी कंपनी भारत में आरई क्षेत्र पर केंद्रित एक अग्रणी वित्तीय संस्थान है। आरई क्षेत्र के प्रारंभिक चरणों के बाद से, इरेडा ने भारत में आरई क्षेत्र के विकास और वित्तपोषण में एक रणनीतिक भूमिका निभाई है। भारतीय आरई क्षेत्र में

जबरदस्त विकास जारी रहने की उम्मीद और भारत के ऊर्जा मिश्रण में प्रमुख ऊर्जा स्रोत होने की संभावना के साथ, आरई वित्तपोषण में बड़े अवसर उपलब्ध हैं। सरकार का 2030 तक 450 गीगावाट का क्षमता वृद्धि लक्ष्य इरेडा को प्रमुख व्यावसायिक अवसर प्रदान करने की संभावना है, कंपनी अपने अनुभव और दृष्टि के माध्यम से उसी की पूर्ति के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाएगी। कोविड–19 के प्रभाव के बावजूद, वित्त वर्ष 2021 के दौरान, कंपनी ने रिकॉर्ड लाभ दर्ज किया है और पिछले वर्ष की तुलना में अधिक ऋण वितरित किए हैं, जो अप्रत्याशित संक्रमण को प्रबंधित करने के लिए कंपनी की अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है।

उसी के अनुरूप, कंपनी तेजी से बाजार की आवश्यकताओं को अपना रही है और विभिन्न फंड और गैर–निधि आधारित वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इरेडा क्रमशः सौर विनिर्माण सुविधाओं और सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए बोलियों को आमंत्रित करने के लिए पीएलआई और सीपीएसयू योजना के तहत कार्यान्वयन एजेंसी की रणनीतिक भूमिका भी निभा रहा है। इरेडा के पास बाजार की जरूरतों को समझने के लिए एक समर्पित व्यवसाय विकास दल है जो इसे अभिनव वित्तीय साधन प्रदान करने के मामले में प्रथम प्रस्तावक बढ़त प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा ईबीपी और एसएएटीएटी योजना की शुरूआत ने इरेडा के लिए इथेनॉल और बायोगैस परियोजनाओं को निधि देने के लिए महान अवसर पैदा किए हैं। चूंकि इरेडा के पास ऐसी परियोजनाओं के वित्तपोषण का अच्छा अनुभव है जो प्रतिस्पर्धियों के खिलाफ ऊपरी हाथ प्रदान करती हैं। इसलिए सरकार द्वारा ऐसी योजनाओं की शुरूआत से इरेडा को अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करने और बदले में राजस्व प्राप्त करने का अवसर मिलता है।

खतरे, जोखिम और चिंताएं:

कोविड–19 महामारी के निरंतर प्रभाव के साथ, आरई क्षेत्र के अगले कुछ वर्षों तक प्रभावित होने की संभावना है, हालांकि धीरे–धीरे यह क्षेत्र और भारतीय अर्थव्यवस्था आसान हो रही है। तदनुसार, परियोजना निष्पादन कार्यक्रम में व्यवधान, प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही, वित्त पर दबाव आदि बने रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आरई क्षेत्र की वृद्धि नीतिगत रूपरेखा को प्रोत्साहित करने और उसके तहत उपलब्ध संबंधित वित्तीय और वित्तीय प्रोत्साहनों पर निर्भर है। इन लाभों में कमी या आहरण और विदेशी मुद्रा के प्रतिकूल उतार–चढ़ाव जिसमें कंपनी का एक्सपोजर है, से कंपनी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा, कुछ डिस्कॉम की कमजोर वित्तीय स्थिति, कुछ विशिष्ट उदाहरणों में टैरिफ पुनरू बातचीत के मुद्दे आदि बिजली क्षेत्र के विकास के लिए एक बड़ा जोखिम है।

बढ़ती बाजार की परिपक्वता और प्रतिस्पर्धा के साथ, इस क्षेत्र में एम एंड ए गतिविधियों में वृद्धि देखी गई है, जिसके कारण बड़ी संस्थाओं द्वारा छोटे खिलाड़ियों की खरीद की गई है, जो ग्राहक एकाग्रता जोखिम को जोड़ता है। इसके अलावा, चूंकि देश में नवीकरणीय ऊर्जा तीव्र गति से प्रवेश कर रही है, इसलिए बिजली के शेड्यूलिंग, पूर्वानुमान और इष्टतम प्रेषण का समर्थन करने के लिए सहायक बाजारों की आवश्यकता है।

कंपनी के प्रचालन को एक ही क्षेत्र , अर्थात केवल अक्षय ऊर्जा तक सीमित रखना अधिदेशित है, जिससे इसका क्षेत्रीय संकेंद्रण जोखिम बढ़ रहा है। इसलिए, कम लागत पर विवेकपूर्ण तरीके से संसाधन जुटाना और इन निधियों का सर्वाधिक उत्पादक उपयोग सुनिश्चित करना कंपनी की लाभप्रदता और वृद्धि का प्रमुख कारक है। भारत में आर्थिक विकास में मंदी इरेडा के कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। इरेडा का निष्पादन और उसके व्यवसाय की वृद्धि समग्र भारतीय अर्थव्यवस्था के निष्पादन पर निर्भर है।

5. जोखिम प्रबंधन ढांचा

कंपनी के व्यवसाय प्रचालन और विकास के उद्देश्यों से जुड़ी अनिश्चितताओं और जटिलताओं को कम करने के लिए, कंपनी के पास जोखिम प्रबंधन के लिए एक प्रणाली–आधारित दृष्टिकोण है, जो इसकी नीतियों और प्रक्रियाओं और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर आधारित है, जिनका उद्देश्य प्रमुख वित्तीय जोखिमों, जैसे बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम) की शीघ्र पहचान, मूल्यांकन और

प्रबंधन सुनिश्चित करना है।। आपकी कंपनी ने एक एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति अपनाई है और आपकी कंपनी में की जाने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियां उक्त नीति ढांचे के अंतर्गत आती हैं।

आरबीआई अधिसूचना डीएनबीआर (पीडी) सीसी.एनओ/. 099/03.10.001/2018–19 के अनुपालन मेंय आपकी कंपनी ने एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का विधिवत गठन किया है और एक मुख्य जोखिम अधिकारी नामित किया है। आरएमसी का मुख्य कार्य विभिन्न जोखिमों की निगरानी करना और कंपनी के संचालन और अन्य संबंधित मामलों में उत्पन्न होने वाले जोखिम को कम करने के लिए कार्रवाई का सुझाव देना है। उक्त समिति जोखिम की पहचान करती है और उसे कम करती है और जोखिम प्रबंधन योजना, जोखिम प्रबंधन नीति की आवधिक समीक्षा आदि सहित अन्य उपाय करती है। जोखिम प्रबंधन समिति के साथ, कंपनी के व्यवसाय के परिचालन जोखिमों के प्रबंधन के लिए विशिष्ट नीतियों और प्रक्रियाओं का अवलोकन करने के लिए, कंपनी ने कार्यान्वयन की निगरानी के लिए प्रचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) का भी गठन किया है।

6. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और इनकी पर्याप्तता

कंपनी के पास अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए तैयारी की गई आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था के लिए एक सुदृढ़ प्रणाली है। कंपनी में आपकी कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा सहायता प्राप्त एक स्वतंत्र आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग है। मैसर्स रवि राजन एंड कंपनी एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को वर्ष 2020–21 के लिए इरेडा के आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति समय–समय पर प्रमुख निष्कर्षों की समीक्षा करती है और रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करती है और आंतरिक नियंत्रण वातावरण की बारीकी से निगरानी करती है और उनके अवलोकन के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करती है।

आंतरिक लेखापरीक्षा का संचालन कंपनी के प्रचालनों में आंतरिक नियंत्रणों और जोखिमों की समीक्षा की ओर उन्मुख है। कंपनी ने व्यवसाय के संचालन का मार्गदर्शन करने के लिए मानक प्रचालनिक प्रक्रियाओं और नीतियों को निर्धारित किया है। मजबूत और निरंतर आंतरिक निगरानी तंत्र जोखिमों और मुद्दों की समय पर पहचान सुनिश्चित करते हैं। 31.3.2022 तक जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा के कार्यान्वयन के संबंध में आरबीआई परिपत्र दिनांक 3 फरवरी, 2021 के अनुपालन में, इरेडा ने पहले ही प्रक्रिया आरंभ कर दी है और यह जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा को समय पर कार्यान्वित करेगी।

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुपालन में, कंपनी प्रबंधन वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त होंगे और प्रभावी ढंग से प्रचालित होंगे। इसमें कंपनी द्वारा अपनाई गई नीतियों और प्रक्रियाओं का सत्यापन भी शामिल है जो अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जाती है।

7. मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध

मानव संसाधन प्रबंधन कंपनी में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है, व्यावसायिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए मानव संसाधन के रणनीतिक उपयोग को सक्षम करता है, और आपकी कंपनी में सुदृढ़ कर्मचारी संबंधों का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इरेडा में एक सशक्त कार्य वातावरण है जो प्रभावी प्रतिभा प्रबंधन को बढ़ावा देता है और अपने लोगों के विकास और कैरियर के विकास को सुनिश्चित करता है जो उन्हें अपनी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए प्रेरित करता है।

एक जन–केंद्रित संगठन होने के नाते, मानव संसाधन कार्य संगठन की विकास महत्वाकांक्षाओं के साथ लगातार संरेखित होता है और परिणाम देने और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मानव संपत्ति को लैस करने के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं बनाता है। वर्ष 2020–21 के दौरान कठिन परिस्थितियों के बावजूद, इरेडा ने कर्मचारियों के लिए कई इन–हाउस वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्याख्यान श्रृंखला और अन्य

केंद्रित विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान की।

हमारे कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के लिए ई–लर्निंग नीति को उनके प्रासंगिक क्षेत्रों, तकनीकी और प्रबंधकीय दक्षताओं, नेतृत्व, आत्म–विकास, सामान्य प्रबंधन कार्यक्रमों आदि में प्रमुख संस्थानों के ई–लर्निंग कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर देकर पेश किया गया था। 31 मार्च, 2021 तक कंपनी में 157 पूर्णकालिक कर्मचारी थे।

8. पर्यारवण संरक्षण और परिरक्षण

कंपनी के संपूर्ण प्रचालन सतत विकास की ओर लक्षित हैं। अक्षय ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ ऊर्जा विकल्प है। कंपनी का प्राथमिक अधिदेश अक्षय स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है, जो जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण, जीवाश्म ईंधन के प्रतिस्थापन, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सतत विकास पर देश और वैश्विक चिंताओं के अनुरूप है। कंपनी न केवल आरई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वित्त पोषण करती है बल्कि अपने उधारकर्ताओं को कुशल उपकरण स्थापित करने और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। कंपनी की पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) पर एक नीति है जो पर्यावरण और सामाजिक पहलुओं के संबंध में राष्ट्रीय मानक और विभिन्न उधारदाताओं की आवश्यकताओं की पुष्टि करती है और इसके लिए एक अलग प्रकोष्ठ है।

9. निगमित शासन उत्तरदायित्व

आपकी कंपनी सुनिश्चित करती है कि वह एक सामाजिक रूप से उत्तरदायी निगमित निकाय बन जाए जो सतत विकास के लिए परियोजनाओं को शुरू करके बड़े पैमाने पर समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी के पास एक अलग सीएसआर इकाई है, जिसका उद्देश्य कंपनी के प्राथमिक व्यवसाय को समग्र सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं के साथ पूरक करना है। सीएसआर और धारणीयता का जोर सामुदायिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, हरित और ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के माध्यम से समुदायों के सशक्तिकरण पर है।

वित्त वर्ष 2020–21 के लिए, बोर्ड ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के प्रावधानों के अनुसार कर से पहले औसत स्टैंडअलोन लाभ के 2 प्रतिशत के आधार पर 7.27 करोड़ रुपये के सीएसआर बजट को अनुमोदन प्रदान किया है। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, 9.02 करोड़ रुपये की परियोजनाएं संस्वीकृत की गईं। 9.02 करोड़ रुपये रुपये की स्वीकृत पहलों में रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात स्थिति राहत कोष (पीएम केयर्स) कोष में 7.50 करोड़ रुपये और बलरामपुर और चंदौली आकांक्षी जिलों में महामारी के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों का समर्थन करने के लिए पीपीई किट, अस्पतालों / संगरोध केंद्रों में लगे हेल्थकेयर कर्मचारियों के लिए मास्क और कोविड उपयुक्त व्यवहार प्रचार सामग्री प्रदान करने के लिए रु.72.40 लाख का योगदान शामिल है।

एक उत्तरदायी निगमित नागरिक के रूप में, कंपनी अपने विकास दर्शन के एक भाग के रूप में अपने सामाजिक उत्तरदायित्व दायित्वों का निर्वहन करती है। आपकी कंपनी सभी हितधारकोंध्समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

10. खंड–वार अथवा उत्पादन–वार निष्पादन

कंपनी भारत में प्रचालनरत है इसलिए इसे केवल घरेलू खंड में प्रचालन करते हुए माना जाता है। कंपनी के सभी कार्यों को एकल व्यवसाय खंड के रूप में माना जाता है, इसलिए कंपनी के पास रिपोर्ट करने योग्य कोई अलग खंड नहीं है।

सचेतक वक्तव्य

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में शामिल विवरण कंपनी के उद्देश्यों, अनुमानों, अपेक्षाओं और अनुमानों का वर्णन करने वाले वर्तमान कारोबारी माहौल पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम, भारत और विदेशों दोनों में भविष्य के आर्थिक और अन्य गतिविधियों के आधार पर व्यक्त या निहित परिणामों से भिन्न हो सकते हैं।

★ ★ ★ ★ ★

डीएसपी एण्ड एसोसिएटस
चार्टर्ड अकाउंटेंट (सनदी लेखाकार)

783, देश बन्धु गुप्ता रोड,
नियर फैज रोड क्रॉसिंग
करोल बाग, नई दिल्ली–110 005
22684423, 23622076
टेलीफैक्स : 23622094, 41545550
ई–मेल : dspdelhi@dspdelhi.in
aksinghal@dspdelhi.in
वेबसाइट : www.dspdelhi.in

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में

सदस्यगण
भारतीय अक्षय उर्जा विकास संस्था लिमिटेड

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणिकाओं की लेखापरीक्षा पर प्रतिवेदन

मत

हमने भारतीय अक्षय उर्जा विकास संस्था लिमिटेड (''कम्पनी'') के संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च, 2021 को बैलेंस शीट और लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी और कैश फ्लो के विवरण में परिवर्तन, और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स, का विवरण शामिल है, जिसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अन्य व्याख्यात्मक नोट्स (इसके बाद ''वित्तीय विवरण'' के रूप में संदर्भित) शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') द्वारा आवश्यक जानकारी को 31 मार्च, 2021 को कंपनी के मामलों की स्थिति, और लाभ, इक्विटी में परिवर्तन और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके नकदी प्रवाह में भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप आवश्यक तरीके और सही और निष्पक्ष रूप से देते है।

मत के लिए आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम (एसए) की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग पर मानकों (एसए) के अनुसार अपना की। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं। (अधिनियम) और उसके तहत नियम, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

मामले का महत्व

1. जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट 38 (43) (ख) में उल्लिखित है, कोविड–19 महामारी, जिसमें ''दूसरी लहर'' भी शामिल है, का कम्पनी के वित्तीय निष्पादन पर किस हद तक प्रभाव पड़ेगा, यह चालू के साथ साथ भावी गतिविधियों पर निर्भर करता है, जो कि अत्यधिक अनिश्चित हैं, और इस समय पर इनके संभावित प्रभाव का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।

उपर्युक्त मामले के संबंध में हमारा मत परिवर्तित नहीं है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो – चालू अवधि की स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणिकाओं की हमारी लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में शामिल करने के लिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में माना है।

क्र. सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षक का प्रत्युत्तर
1.	**ऋण परिसम्पत्तियों की अक्षमता – संभावित क्रेडिट हानि** (लेखांकन नीति सं. 3(xx) –'वित्तीय विलेख' के साथ पठित स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणी 38 (38 (A ii)) का संदर्भ लें) वित्त पोषण कंपनी का प्रमुख व्यवसाय है और हानि के कारण हानि के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए उचित मूल्य पर ऋण परिसंपत्तियों का प्रकटीकरण सबसे महत्वपूर्ण है। कंपनी अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित कार्यप्रणाली का अनुसरण करती है जिसमें एक बाहरी एजेंसी द्वारा हानि के लिए भत्ता का मूल्यांकन कुछ मानदंड/ढांचे के आधार पर किया जाता है, जो क्रेडिट जोखिम और हानि के साक्ष्य के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों को विभिन्न चरणों में वर्गीकृत करता है। परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय आस्तियों के लिए अपेक्षित ऋण हानि भत्ता (ईसीएल) के मापन के लिए जटिल मॉडलों और भविष्य की आर्थिक स्थितियों और ऋण व्यवहार (जैसे, ग्राहकों के चूक करने और परिणामी नुकसान की संभावना) के बारे में महत्वपूर्ण धारणाओं के उपयोग की आवश्यकता होती है। ईसीएल का आकलन करते समय कंपनी महत्वपूर्ण निर्णय लेती है और ईसीएल के अंतर्निहित अनुमानों की निगरानी और समीक्षा की जाती है। ऐसी धारणाओं का उचित अनुप्रयोग ऋण आस्तियों के विवरण के लिए महत्वपूर्ण है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में ऋण परिसंपत्तियों की राशि के महत्व को ध्यान में रखते हुए, ऋण परिसंपत्तियों की हानि के कारण होने वाली हानि को हमारी लेखापरीक्षा में मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में माना गया है।	**हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया जिसके आधार पर हम प्रकटीकरण के औचित्य और ऋण आस्तियों की हानि के लिए लेखांकन के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचे – अपेक्षित ऋण हानि में निम्नलिखित शामिल हैं:** हमने इंड एएस 109 ''वित्तीय लिखतों'', विभिन्न नियामक अद्यतनों, आईसीएआई के मार्गदर्शन और ईसीएल के संबंध में कंपनी के आंतरिक निर्देशों और प्रक्रियाओं में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों की समझ प्राप्त की है और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को अपनाया है: ऋण परिसंपत्तियों की निगरानी, प्रासंगिक डेटा गुणवत्ता के परीक्षण सहित ऋण हानि का आकलन और दर्ज किए गए वास्तविक डेटा की समीक्षा के संबंध में प्रमुख आंतरिक नियंत्रण तंत्र का मूल्यांकन और परीक्षण। ऋण परिसम्पत्तियों की वसूली का सत्यापन उस पर दबाव के स्तर और वित्तीय विवरणों में हानि भत्ते पर प्रभाव का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसी भी ऋण परिसंपत्ति खाते में किसी भी अतिदेय, असंतोषजनक आचरण या कमजोरी का पता लगाने के लिए दस्तावेजीकरण, संचालन / प्रदर्शन और ऋण परिसंपत्तियों, विशेष रूप से बड़ी और दबावग्रस्त ऋण परिसंपत्तियों की निगरानी का सत्यापन / समीक्षा। कंपनी ईसीएल के मूल्यांकन के लिए तीसरे पक्ष की सेवाओं का लाभ उठाती है। तीसरे पक्ष द्वारा किए गए हानि भत्ते के अध्ययन में घटकों और गणनाओं पर हमारे द्वारा भरोसा किया जाता है और इसके लिए नमूना जांच की जाती है। तीसरे पक्ष के साथ साझा किए गए डेटा को हमारे द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे सामग्री घटकों की शुद्धता के लिए सत्यापित किया जाता है। उसी में हमारी ऑडिट प्रक्रिया कुछ मापदंडों को साझा नहीं करने और ऐसे डेटा के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को ऐसे तीसरे पक्ष द्वारा गोपनीय माने जाने के मद्देनजर सीमित है।
2.	**व्युत्पन्न वित्तीय साधनों का उचित मूल्यांकन** (लेखांकन नीति सं. 3. (xx) –'वित्तीय विलेख' के साथ पठित स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणी 38 (37) का संदर्भ लें) विदेशी मुद्रा जोखिम और ब्याज दर के लिए कंपनी के जोखिम को कम करने के लिए, गैर–रुपये नकदी प्रवाह की निगरानी की जाती है और हेजिंग उद्देश्य के लिए व्युत्पन्न अनुबंध दर्ज किए जाते हैं। डेरिवेटिव्स को इंड एएस 109 के अनुसार उचित मूल्य पर मापा जाता है।	**हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं जिनके आधार पर हम प्रकटीकरण की तर्कसंगतता और डेरिवेटिव के लिए लेखांकन के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचे, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:** जोखिम प्रबंधन के लिए कंपनी की प्रबंधन की धारणा और अध्ययन नीति पर चर्चा करना और समझना। इंड–एएस 109 के संदर्भ में डेरिवेटिव के उचित मूल्य का सत्यापन, डेरिवेटिव लेनदेन की सटीकता और पूर्णता का परीक्षण।

	हेज एकाउंटिंग के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, हेजिंग संबंध को इंड एएस के अनुसार कुछ निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। हेज अकाउंटिंग के परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, साथ ही इसके लेखांकन/धारणाओं की जटिलता और हेज संबंध स्थापित करने के लिए कई पैरामीटर हैं। इन डेरिवेटिव्स पर लाभ/हानि को अन्य व्यापक आय या इंड–एएस द्वारा प्रदान किए गए लाभ और हानि में मान्यता दी गई है। कंपनी के संचालन के अनुसार इस तरह के लेनदेन का परिमाण महत्वपूर्ण है। मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमने इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचाना है।	व्युत्पन्न उपकरणों के वर्गीकरण, मूल्यांकन और मूल्यांकन मॉडल पर प्रबंधन के प्रमुख आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन। 31 मार्च, 2021 को विभिन्न वित्तीय डेरिवेटिव अनुबंधों के बकाया/निपटान के लिए लंबित के विवरण प्राप्त किए। उन वित्तीय डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए निकाले गए उचित मूल्यांकन के आकलन में अंतर्निहित मान्यताओं का सत्यापन। लागू मूल्यांकन पद्धतियों की उपयुक्तता और व्युत्पन्न उपकरणों के लिए नमूना आधार पर उनका परीक्षण करना। इसके अतिरिक्त, हमने अन्य व्यापक आय या लाभ और हानि खाते में डेरिवेटिव पर लाभ/हानि के लेखांकन का सत्यापन किया। इंड एएस 109 के अनुसार प्रबंधन द्वारा प्रकटीकरण की उपयुक्तता और पर्याप्तता की समीक्षा की।
3.	**आयकर के लिए देनदारी** टिप्पणी 38 (3क) का संदर्भ लें कंपनी के पास विवादित मामलों के संबंध में महत्वपूर्ण अनिश्चित कर मांगें हैं जिनमें इन विवादों के संभावित परिणाम को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। निर्धारण वर्ष 1998–1999 से निर्धारण वर्ष 2009–2010 के आयकर मामले माननीय उच्च न्यायालय/आईटीएटी के निर्देश पर वापस भेजे गए और वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) 2009–10 से 2017–18 के लिए अपीलीय प्राधिकारियों के पास लंबित हैं। ऐसी देनदारियों का उचित प्रावधान और प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति के लिए महत्वपूर्ण है। इसे देखते हुए हमने इसे एक प्रमुख ऑडिट मामले के रूप में पहचाना है।	**हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया जिसके आधार पर हम प्रकटीकरण की तर्कसंगतता और आयकर के लिए देयता के लिए लेखांकन के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचे, में निम्नलिखित शामिल हैं:** हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में आयकर विभाग के साथ विवादित विषय पर माननीय उच्च न्यायालय और माननीय आईटीएटी द्वारा पारित विभिन्न आदेशों की समीक्षा शामिल है। हमने इन अनिश्चित कर स्थितियों पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया शुरू की। इंड एएस 37 ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां'' के संदर्भ में प्रबंधन द्वारा प्रकटीकरण की उपयुक्तता और पर्याप्तता की समीक्षा की।

स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में निदेशकों की रिपोर्ट के अनुबंध, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट सहित बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है। अन्य जानकारी जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वस्ति निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि ऊपर दी गई अन्य जानकारी के उपलब्ध होने पर उसे पढ़ें, और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या इस दौरान प्राप्त हमारी जानकारी हमारी लेखापरीक्षा के दौरान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत विवरण दिया गया प्रतीत होता है। जब हम ऊपर बताई गई अन्य जानकारी को पढ़ते हैं और यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें इस मामले को शासन के आरोपित लोगों से संप्रेषित करना होगा और लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई का वर्णन करना होगा।

प्रबंधन तथा स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणिकाओं के लिए प्रशासन के प्रभारियों का उत्तरदायित्व

कंपनी के निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो मामलों की स्थिति (वित्तीय स्थिति), लाभ या हानि का सही और उचित दृष्टिकोण देते हैं। (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय प्रदर्शन), भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों सहित।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल हैय उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण होंय और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक जो एक सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और सामग्री से मुक्त हैं गलत कथन, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की एक चालू संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने, प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, गोइंग कंसर्न से संबंधित मामलों और लेखांकन के चल रहे चिंता आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने का इरादा नहीं रखता है या संचालन बंद कर दें, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है। निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि ऑडिटिंग पर मानक (एसए) के अनुसार आयोजित एक ऑडिट हमेशा एक महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार ऑडिट के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचानना और उनका आकलन करना, कि क्या वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हैं, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करना, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हो सकता है।

- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता;

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगता का मूल्यांकन करना।

- लेखांकन के चालू प्रतिष्ठान के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की

उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई सामग्री अनिश्चिता मौजूद है जो कंपनी के चालू रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह/चिंता पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक वास्तविक अनिश्चिता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, तो अपनी राय को संशोधित करने के लिए यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त है। हमारे निष्कर्ष हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या शर्तों के कारण कंपनी एक सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, और यह मूल्यांकन करना कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के बारे में कंपनी के शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम शासन के प्रभारी व्यक्तियों को भी एक विवरण प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ सभी संबंधों और अन्य मामलों के साथ सम्प्रेषण किया है जिनका प्रभाव हमारी स्वतंत्रता पर औचित्य रूप से पड़ सकता है, और जहां भी लागू हो, संबंधित सुरक्षोपायों का अनुपालन भी किया है।

शासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों की उचित रूप से अपेक्षा की जाएगी इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक है।

अन्य मामला

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की कंपनी के तत्कालीन सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई थी और उन्होंने इस तरह के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर 30 जुलाई 2020 की अपनी रिपोर्ट के माध्यम से एक असंशोधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट व्यक्त की थी।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर प्रतिवेदन

1. जैसा कि कम्पनी अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (11) के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कम्पनी (लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश, 2016 ('आदेश') द्वारा अपेक्षित है, हम ''अनुलग्नक–क'' में, आदेश में लागू सीमा तक विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण देते हैं, और अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (5) के अनुसार हम कम्पनी के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों के संबंध में सूचना ''अनुलग्नक–ख'' में प्रदान करते हैं।

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे;

ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित बहीखाता रखा गया है, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है और हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियां उन शाखाओं से प्राप्त हुई हैं जिन पर हमने विचार नहीं किया है;

ग) बैलेंस शीट, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा सम्पन्न नकद प्रवाह विवरण खाते की पुस्तकों के अनुरूप हैं;

घ) हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं;

ड़) अधिसूचना संख्या के संदर्भ में, जी.एस.आर. कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी 463 (ई) दिनांक 05 जून 2015, निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान लागू नहीं हैं क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है;

च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, **''अनुलग्नक**–ग'' के रूप में संलग्न हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

छ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसारः

I. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है – स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट 38 (3) देखें।

ii. कंपनी ने लागू कानून या भारतीय लेखा मानकों के तहत आवश्यक प्रावधान किया है, डेरिवेटिव अनुबंधों सहित लंबी अवधि के अनुबंधों पर वास्तविक नुकसान, यदि कोई हो, के लिएः – देखें नोट 38 (38) (सी) (द्वितीय) (सी) को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण।

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

iv. अधिसूचना संख्या के अनुसार जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी, अधिनियम की धारा 197 प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी पर लागू नहीं है, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

कृते डीएसपी एंड एसोशिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
कम्पनी पंजीकरण संख्याः 006791N

सीए संजय जैन
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 084906

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 मई 2021

यूडीआईएनः 21084906AAASK5641

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की इसी तारीख की रिपोर्ट का अनुलग्नक–क

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर कंपनी के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के ''अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट'' के पैराग्राफ 1 में संदर्भित अनुलग्नक ''क''।

i)क) कंपनी ने मात्रात्मक विवरण और अचल संपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए समुचित रिकॉर्ड अनुरक्षित किए है;

क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, मूर्त अचल संपत्तियों को प्रबंधन द्वारा सालाना भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है, जो हमारी राय में उचित है। कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, भौतिक सत्यापन और परिणामी समायोजन पर देखी गई विसंगतियों को लेखा पुस्तकों में किया जाता है। प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी राय में, यह सामग्री नहीं है और इसे लेखा पुस्तकों में ठीक से निपटाया जाता है।

ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे द्वारा जांचे गए रिकॉर्ड और हमें प्रदान किए गए टाइटल / लीज डीड के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि, टाइटल / लीज डीड, जिसमें भूमि की सभी फ्रीहोल्ड / लीजहोल्ड अचल संपत्तियां शामिल हैं और भवन, कंपनी के नाम पर बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार आयोजित किए जाते हैं, निम्नलिखित को छोड़कर जहां अधिकारियों द्वारा कंपनी को संपत्ति आवंटित की गई है, लेकिन कंपनी के पक्ष में शीर्ष / पट्टा विलेख निष्पादित किया जाना बाकी है:

परिसम्पत्ति की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	सम्पत्तियों की संख्या	सकल ब्लॉक 31.3.21 (लाख रुपए में)	निवल ब्लॉक 31.3.21 (लाख रुपए में)
लीजहोल्ड भवन (प्रयोगाधिकार के तहत)	2546.17	2	2282.44	1440.15
आवासीय भवन – (निवेश सम्पत्ति)	170.4	1	8.75	4.25

ii) कंपनी के पास कोई इन्वेंट्री नहीं है क्योंकि यह उपबंध कंपनी पर लागू नहीं होता है।

iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल किसी भी कंपनी, फर्म या अन्य पार्टियों को कोई भी ऋण, प्रत्याभूत या अप्रत्याभूत, नहीं दिया है।

तदनुसार, आदेश के उपबंध 3 (iii) (क), (ख) और (ग) लागू नहीं होते।

iv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 185 के अनुसार कोई ऋण या गारंटी नहीं दी है। इसके अलावा, हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी, एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) होने के नाते, अधिनियम की धारा 186 के प्रावधानों और ऋण और गारंटी के संबंध में संबंधित नियमों से मुक्त है। कंपनी द्वारा दिया गया निवेश के संबंध में, कंपनी ने अधिनियम की धारा 186 (1) के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

v) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जनता से कोई भी जमा स्वीकार नहीं किया है, जिस पर धारा 73 से 76 के प्रावधान या अधिनियम के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम लागू होते हैं।

vi) हमने कंपनी के व्यवसाय के संबंध में अधिनियम की धारा 148 (1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा बनाए गए खाते की पुस्तकों की व्यापक समीक्षा की है, जिसके लिए उक्त नियम बनाए गए हैं। लागू है और उनकी राय है कि प्रथम दृष्टया, निर्धारित रिकॉर्ड बनाए रखा गया है। तथापि, हमने यह निर्धारित करने के लिए कि वे सही हैं या पूर्ण हैं, उक्त अभिलेखों की विस्तृत जांच नहीं की है।

vii) क. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान, कंपनी आम तौर पर भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा संरक्षण कोष, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, माल और सेवा कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य सामग्री सांविधिक देय जो उस पर लागू होते हैं, सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि को उचित अधिकारियों के पास जमा करने में नियमित रही है।

31 मार्च, 2021 तक भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य सामग्री सांविधिक बकाया के संबंध में देय कोई निर्विवाद राशि नहीं थी। देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए।

ख. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2021 को आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और मूल्य वर्धित कर, यदि कोई हो, के विवादित बकाया का विवरण इस प्रकार है:

संविधि का नाम	करों की प्रकृति	विवादित राशि (लाख रुपए में)	संबंधित वित्तीय वर्ष	जमा की गई राशि+	वह मंच जहां मामला लंबित है
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	1344.16	2009-10	1344.16	सीआईटी (अपील)
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	1496.52	2010-11	1496.52	सीआईटी (अपील)
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	1519.54	2011-12	1519.54	सीआईटी (अपील)
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	2216.55	2012-13	2216.55	सीआईटी (अपील)
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	1547.05	2013-14	1547.05	सीआईटी (अपील)
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	2310.96	2014-15	2310.96	सीआईटी (अपील)
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	2761.20	2015-16	214.17	सीआईटी (अपील)
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	5337.19	2016-17	1051.94	सीआईटी (अपील)
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	2678.78	2017-18	239.00++	सीआईटी (अपील)

+ प्रतिरोध / पूर्वदत्त करों के अधीन जमा

++ 31 मार्च 2021 के बाद जमा

viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के अंत में किसी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार या डिबेंचर धारकों को देय राशि के रूप में ऋण की अदायगी या उधार लेने में चूक नहीं की है।

ix) कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है। कंपनी द्वारा ऋण लिखतों (सार्वजनिक पेशकश या अन्यथा) के माध्यम से जुटाई गई राशि और सावधि ऋण वर्ष के दौरान उन उद्देश्यों के लिए लागू किए गए थे जिनके लिए उन्हें उठाया गया था।

x) हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी, उसके अधिकारियों/कर्मचारियों सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा नोटिस या रिपोर्ट नहीं की गई है।.

xi) अधिसूचना संख्या के अनुसार जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, अधिनियम की धारा 197 प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी पर लागू नहीं है, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3(xii) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं जहां लागू हो और ऐसे लेनदेन के विवरण का खुलासा किया गया है लागू लेखा मानकों द्वारा आवश्यक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण।

xiv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं बनाया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3 (xiv) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया है और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उससे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर–नकद लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(xv) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

xvi) कंपनी आवश्यक है और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत है।

कृते डीएसपी एंड एसोशिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
कम्पनी पंजीकरण संख्याः 006791N

सीए संजय जैन
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 084906

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 मई 2021

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की इसी तारीख की रिपोर्ट का अनुलग्नक–ख (मूल)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निदेश।

1. क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी सिस्टम के बाहर लेखांकन लेन–देन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ–साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाए।

उत्तरः

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे ऑडिट के आधार पर, सभी लेखांकन लेन–देन कुछ निर्दिष्ट श्रेणी के उधारकर्ता खातों (कुल अग्रिम के 10% से कम) के लेखांकन को छोड़कर कंपनी द्वारा कार्यान्वित आईटी प्रणाली के माध्यम से किए जाते हैं। अवधि के अंत वित्तीय विवरण अवधि के अंत में आईटी प्रणाली से उत्पन्न शेष राशि और लेनदेन के आधार पर ऑफलाइन संकलित किए जाते हैं। हमें न तो सूचित किया गया है और न ही हमारे लेखा परीक्षा के दौरान किसी भी लेखा लेन–देन के बारे में पता चला है जो आईटी प्रणाली के बाहर संसाधित किए गए वित्तीय प्रभावों के साथ–साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव डालता है। हालांकि, सिस्टम को संशोधित करना बेहतर है ताकि इस तरह के लेनदेन को मानक निर्देशों के आधार पर आईटी सिस्टम के माध्यम से भी संसाधित किया जा सके ताकि गलत रिपोर्टिंग की संभावना कम हो।

2. क्या मौजूदा ऋण की कोई पुनर्रचना है या ऋण चुकाने में कंपनी की अक्षमता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को ऋण/ऋण/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में उल्लेख किया जाए।

उत्तरः

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे ऑडिट के आधार पर, मौजूदा ऋण के पुनर्गठन या कंपनी को किसी भी ऋणदाता द्वारा किए गए ऋणों/उधार राशियों/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।

3. क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।

उत्तरः

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, कंपनी ने योजनाओं के नियमों और शर्तों के अनुसार केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धन का लेखा और उपयोग किया है।

कृते डीएसपी एंड एसोशिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
कम्पनी पंजीकरण संख्याः 006791N

हस्ता/–
सीए संजय जैन
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 084906

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 मई 2021

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की इसी तारीख की रिपोर्ट का अनुलग्नक–ख (संशोधित)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देश। (नीचे नोट देखें)

1. क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेन–देन को संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि हां, तो आईटी सिस्टम के बाहर लेखांकन लेन–देन के प्रोसेसिंग के वित्तीय प्रभावों के साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, बतालाएं।

उत्तरः

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे ऑडिट के आधार पर, सभी लेखांकन लेन–देन कुछ निर्दिष्ट श्रेणी के उधारकर्ता खातों (कुल अग्रिम के 10% से कम) के लेखांकन को छोड़कर कंपनी द्वारा कार्यान्वित आईटी प्रणाली के माध्यम से किए जाते हैं। अवधि के अंत वित्तीय विवरण अवधि के अंत में आईटी प्रणाली से उत्पन्न शेष राशि और लेनदेन के आधार पर ऑफलाइन संकलित किए जाते हैं। हमें न तो सूचित किया गया है और न ही हमारे लेखा परीक्षा के दौरान किसी भी लेखा लेन–देन के बारे में पता चला है जो आईटी प्रणाली के बाहर संसाधित किए गए वित्तीय प्रभावों के साथ–साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव डालता है। हालांकि, सिस्टम को संशोधित करना बेहतर है ताकि इस तरह के लेनदेन को मानक निर्देशों के आधार पर आईटी सिस्टम के माध्यम से भी संसाधित किया जा सके ताकि गलत रिपोर्टिंग की संभावना कम हो।

2. क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋण की कोई पुनर्रचना है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को ऋण/ऋण/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि कोई हो तो वित्तीय प्रभाव के बारे में बताएं। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)

उत्तरः

i. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे ऑडिट के आधार पर, मौजूदा ऋण के पुनर्गठन या कंपनी को किसी भी ऋणदाता द्वारा किए गए उधार/ऋणों/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।

ii. दिए गए ऋणों के संबंध में, एक ऋणदाता और एक सरकारी कंपनी होने के नाते, संबंधित उधारकर्ताओं द्वारा मौजूदा नियमों और शर्तों के अनुसार ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण वर्ष के दौरान कुछ मौजूदा ऋणों का पुनर्गठन किया गया है। हालांकि, वर्ष के दौरान इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा है।

iii. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा दिए गए ऋणों के संबंध में उधार/ऋण/ब्याज की छूट/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है, सिवाय मैसर्स एनएटीएल पावर लिमिटेड की एक ऋण के लिए एकमुश्त निपटान (ओटीएस) के संबंध में ब्याज और अन्य आय ₹41,829,767/– को छोड़कर। इस तरह के अप्राप्त ब्याज, वित्त पोषित ब्याज और उस पर दंडात्मक ब्याज को पहले ही बदल दिया गया है / इरेडा की पुस्तकों में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि ऋण को पिछले वर्ष से गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

वर्ष के दौरान ओटीएस के तहत देय राशि की वास्तविक वसूली पर, कंपनी ने ₹ 4,082,201/– की आय को मान्यता दी और भारतीय रिज़र्व बैंक की आय मान्यता पर लागू विवेकपूर्ण मानदंडों के संदर्भ में ₹10,783,416/– की अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का प्रावधान कंपनी के लिए वापस ले लिया।

3. क्या केंद्र/राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त करने योग्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।

उत्तरः

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे ऑडिट के आधार पर, कंपनी ने इसका हिसाब लगाया है और योजनाओं के

नियमों और शर्तों के अनुसार केंद्र / राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धन का उपयोग किया।

नोटः अनुलग्नक– ख हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट दिनांक 30 मई 2021 (रिपोर्ट) के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं' की धारा का हिस्सा है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) (निर्देश) के निर्देशों का पालन करने के लिए संशोधित किया गया है। वित्तीय विवरणों को अपनाने के बाद भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) के कार्यालय से 30 मई, 2021 को प्राप्त इरेडा के निदेशक मंडल द्वारा हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद ऐसे खंडों को संशोधित करके कुछ मामलों पर हमारी रिपोर्ट की आवश्यकता है।

अनुलग्नक 'ख' में कुछ आंकड़ों/मामलों पर प्रकटीकरण/रिपोर्टिंग से संशोधन, निर्देशों के अनुसार रिपोर्ट संबंधित है और इस प्रकार पिछली रिपोर्ट में दिए गए वित्तीय विवरणों पर हमारी पिछली रिपोर्ट की तारीख तक हमारी राय अपरिवर्तित रहती है और बाद की घटनाओं पर हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया बनी रहती है।

डीएसपी और एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म की पंजीकरण संख्या: 006791N

हस्ता./–
सीए संजय जैन
(साथी)
सदस्यता संख्या 084906

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 जून 2021

स्वतंत्र लेखापरीक्षा की रिपोर्ट का अनुलग्नक–ग

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (1) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2021 तक भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड, (कंपनी) की स्टैंडअलोन वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है, जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शन नोट") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट और आईसीएआई द्वारा जारी किए गए ऑडिटिंग मानकों के अनुसार और कंपनियों की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माना गया है, के अनुसार अपना ऑडिट किया। अधिनियम, 2013, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट के लिए लागू सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू होते हैं और दोनों भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और ऑडिट करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम पर आंतरिक नियंत्रण आधारों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिम का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किया है, वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर मेरी/हमारी ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो:

1. रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित है, जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाता है;

2. उचित आश्वासन प्रदान करना कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक के रूप में दर्ज किया गया है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा

3. कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान भी हो सकते हैं। भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर गिर सकता है।

मत

हमारी राय में, नीचे बताए गए मामलों के अलावा, कंपनी को वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2021 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपनी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली को सभी भौतिक मामलों में मजबूत करने की आवश्यकता है। इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करने वाली कंपनी :

क) विभिन्न स्तरों पर प्राधिकरण के प्रत्यायोजन की समीक्षा की जाएगी।

ख) इंड–एएस लेखा अभिलेखों के रख–रखाव के लिए सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली को अद्यतन किया जाना है।

ग) विविध शीर्षों के तहत आय के संबंध में आईटी सक्षम प्रक्रिया की तैयारी प्रगति पर है।

कृते डीएसपी एंड एसोशिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
कम्पनी पंजीकरण संख्याः 006791N

सीए संजय जैन
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 084906

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 मई 2021

गैर–बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट

निदेशक मंडल,
भारतीय अक्षय उर्जा विकास संस्था लिमिटेड
नई दिल्ली–110066

प्रिय सदस्यगण,

जैसा कि भारतीय अक्षय उर्जा विकास संस्था लिमिटेड (कंपनी) पर लागू सीमा तक विनिर्दिष्ट मामलों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी ऑडिटर की रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

1. कंपनी गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान के कारोबार में लगी हुई है, जिसके पास भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–IA के प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण के लिए कंपनी के आवेदन के अनुसार, 10 फरवरी 1998 के पूर्व प्रमाण पत्र संख्या 14.000012 के बदले 23 जनवरी, 2008 को जारी किया गया एक वैध प्रमाणपत्र संख्या 14.000012 है।

2. कंपनी 31 मार्च, 2021 को अपने सिद्धांत व्यापार मानदंड (वित्तीय संपत्ति/आय पैटर्न) के संदर्भ में इस तरह के सीओआर को जारी रखने की हकदार है।

3. कंपनी मास्टर निदेश–गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी– प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि नहीं लेने वाली कंपनी और जमाराशि लेने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 में निर्धारित आवश्यक निवल स्वामित्व वाली निधि आवश्यकता को पूरा कर रही है।

4. निदेशक मंडल ने 25 अप्रैल, 2020 को संकल्प लिया है कि कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं करेगी।

5. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान किसी भी सार्वजनिक जमा को स्वीकार नहीं किया है।

6. गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी–प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार न करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 में परिभाषित प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा न लेने वाली एनबीएफसी के संबंध में:

क) बैंक को प्रस्तुत त्रैमासिक विवरणी शैली डीएनबीएस–3 में प्रकट पूंजी पर्याप्तता अनुपात सही ढंग से निकाला गया है और यह अनुपात बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीआरएआर के अनुपालन में है। फॉर्म एनबीएस –7 में तिमाही रिटर्न जमा करना तब से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा बंद कर दिया गया है।

बी) कंपनी ने निर्धारित अवधि के भीतर 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही के लिए डीएनबीएस –3 में पूंजीगत निधियों, जोखिम परिसंपत्तियों/जोखिम और जोखिम परिसंपत्ति अनुपात का वार्षिक विवरण बैंक को प्रस्तुत किया है।

7. गैर–बैंकिंग वित्त कंपनी को व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण जमा न लेने वाली कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

8. कंपनी ने गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी – सिस्टमिक रूप से महत्वपूर्ण जमा न करने वाली कंपनी के संदर्भ में इरेडा के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों का जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 का अनुपालन किया है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के अनुसार लेखांकन मानकों का भी अनुपालन किया है।

कृते डीएसपी एंड एसोशिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
कम्पनी पंजीकरण संख्याः 006791N

सीए संजय जैन
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 084906

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 मई 2021

यूडीआईएनः 21084906AAASK5641

दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय अक्षय उर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड की वित्तीय विवरणिकाओं पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(क) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय अक्षय उर्जा विकास संस्था लिमिटेड की समेकित वित्तीय विवरणिकाओं को तैयार करना कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निर्धारित वित्तीय सूचना व्यवस्था के अनुसार कम्पनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के अधीन निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरणिकाओं पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है/हैं। उल्लेख किया गया है कि यह कार्य इन लेखा परीक्षकों द्वारा इनकी **दिनांक 30 मई 2021** की लेखा परीक्षा रिपोर्ट द्वारा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय अक्षय उर्जा विकास संस्था लिमिटेड की समेकित वित्तीय विवरणिकाओं पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4)के साथ पठित धारा 143(6)(क) के अधीन अनुपूरक लेखा परीक्षा की है।यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्य ाील दस्तावेजों तक पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षकों और कम्पनी के कार्मिकों की पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखा परीक्षा की आधार पर मेरी जानकारी में कोई उल्लेखनीय बात नहीं आई है जिससे अधिनियम की धारा 143(6)(ख) की सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की अनुपूरक रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी की जाती।

कृते
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

(संजय कुमार झा)
महानिदेशक लेखापरीक्षक
(पर्यावरण और वैज्ञानिक विभाग)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को स्टेंडअलोन तुलनपत्र

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
I	**परिसम्पत्तियां**			
क	**वित्तीय परिसम्पत्तियां**			
	(क) नकद और नकद समतुल्य	2	22,101.83	98,836.04
	(ख) उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त अन्य बैंक शेष	3	38,229.29	58,735.71
	(ग) डेरिवेटिव वित्तीय लिखतें	4	40,309.01	71,255.99
	(घ) प्राप्य			
	(I) कारोबारी प्राप्य	5	297.66	312.98
	(II) अन्य प्राप्य		-	-
	(ड.) ऋण	6	2,690,564.31	2,297,768.68
	(च) निवेश	7	12.00	12.00
	(छ) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	8	2,278.75	2,486.44
	कुल (क)		**2,793,792.85**	**2,529,407.84**
ख	**गैर–वित्तीय परिसम्पत्तियां**			
	(क) चालू कर परिसम्पत्तियां (निवल)	9	10,846.02	16,506.40
	(ख) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (निवल)	10	21,099.21	14,264.10
	(ग) निवेश सम्पत्ति	11	4.25	5.09
	(घ) सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर	12	24,637.63	26,468.39
	(ड.) चालू पूंजीगत कार्य	13	0.86	0.86
	(च) प्रयोगाधिकार परिसम्पत्ति	14	1,961.84	1,714.60
	(छ) अमूर्त परिसम्पत्तियां विकासाधीन	15	-	-
	(ज) अमूर्त परिसम्पत्तियां	16	10.61	16.39
	(झ) अन्य गैर–वित्तीय परिसम्पत्तियां	17	176,944.37	176,808.49
	कुल (ख)		**235,504.80**	**235,784.33**
	कुल परिसम्पत्तियां (क+ख)		**3,029,297.65**	**2,765,192.17**
II.	**देनदारियां और इक्विटी**			
	देनदारियां			
क	**वित्तीय देनदारियां**			
	(क) डेरिवेटिव वित्तीय लिखतें	4	9,183.16	6,788.00
	(ख) देय			
	(I) कारोबार देय	18		
	(i) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		43.12	45.09
	(ii) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों से अन्य लेनदारों की कुल बकाया देयताएं		7,972.49	6,535.05
	(ग) ऋण प्रतिभूतियां	19	912,026.16	926,758.64

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
	(ब) उधार राशियां (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	20	1,423,055.09	1,243,625.87
	(ड.) अधीनस्थ देनदारियां	21	64,919.20	14,970.00
	(च) अन्य वित्तीय देनदारियां	22	80,496.43	94,064.47
	कुल (क)		**2,497,695.66**	**2,292,787.10**
ख	**गैर–वित्तीय देनदारियां**			
	(क) प्रावधान	23	60,245.87	45,581.35
	(ख) आस्थगित कर देनदारी (निवल)	10	-	-
	(ग) अन्य गैर–वित्तीय देनदारियां	24	171,837.62	174,691.86
	कुल (ख)		**232,083.49**	**220,273.21**
ग	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	25	78,460.00	78,460.00
	(ख) अन्य इक्विटी	26	221,058.50	173,671.85
	कुल (ग)		**299,518.50**	**252,131.85**
	कुल देनदारियां और इक्विटी (क+ख+ग)		**3,029,297.65**	**2,765,192.17**
	उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां	1	2,210.59	1,736.72
	हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार	38	2,995.19	2,521.32

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते डीएसपी एंड एसोशिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आईसीएएआई पंजीकरण संख्या 006791N

संजय जैन
भागीदार
सदस्यता संख्या
084906

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30.05.2021

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

चिंतन नवीनभाई शाह
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन सं, 07795952

डॉ. आर.सी. शर्मा
महाप्रबंधक (वित्त) और सीएफओ

प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं, 07448576

सुरेंद्र सुयाल
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या A11900

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए स्टेंडअलोन लाभ हानि विवरण

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी संख्या	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2021	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2020
I	**प्रचालनों से राजस्व**			
i)	ब्याज आय	27	256,522.88	224,658.02
ii)	शुल्क और कमीशन आय	28	3,377.26	2,162.65
iii)	डेरिवेटिवों पर उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल लाभ/(हानि)	29	-1,247.32	7,165.33
iv)	सौर संयंत्र प्रचालनों से निवल राजस्व	30	2,741.73	2,745.99
	प्रचालनों से कुल राजस्व (I)		**261,394.55**	**236,731.98**
II	अन्य आय	31	4,468.85	506.18
III	**कुल आय (I+II)**		**265,863.40**	**237,238.17**
IV	**व्यय**		262,641.87	229,566.66
i)	वित्त लागत	32	157,026.19	145,920.61
ii)	निवल परिवर्तन /संव्यवहार विनिमय हानि	33	6,984.66	4,064.67
iii)	वित्तीय लिखतों पर अक्षमता	34	34,164.50	51,809.07
iv)	कर्मचारी लाभ व्यय	35	4,735.95	4,697.50
v)	मूल्यह्रास, परिशोधन और अक्षमता	36	2,267.40	2,281.20
vi)	अन्य व्यय	37	2,091.38	2,434.80
vii)	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	38(27)	1,641.60	1,919.04
	कुल व्यय (IV)		**208,911.68**	**213,126.89**
V	असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)		56,951.72	24,111.28
VI	असाधारण मदें		-	-
VII	**कर पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)**		**56,951.72**	**24,111.28**
VIII	**कर व्यय**			
	(i) चालू कर	38(29)	29,162.31	10,013.33
	(ii) आस्थगित कर		-6,851.31	-7,357.10
IX	निरंतर प्रचालनों से अवधि के लिए लाभ/(हानि) (VII-VIII)		34,640.72	21,455.04
X	**अवधि के लिए लाभ/(हानि)**		**34,640.72**	**21,455.04**
XI	**अन्य व्यापक आय**			
(क)	(i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	- परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनःमापन:-			
	ग्रेच्युटी		0.01	-53.90
	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ		-141.37	-150.47
	बैगेज भत्ता		0.33	-1.05
	(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-16.21	50.62

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी संख्या	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2021	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2020
	उप–योग (क)		**-157.23**	**-154.80**
(ख)	(i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में वर्गीकृत किया जाएगा :-			
	कैश फ्लो हेज रिजर्व में हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पर लाभ/(हानि) का प्रभावी हिस्सा		-32,828.63	39,479.61
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		8,262.31	-4,386.67
	उप–योग (ख)		**-24,566.32**	**35,092.94**
	अन्य व्यापक आय (क+ख)		**-24,723.55**	**34,938.14**
XII	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (X+XI) (अवधि के लिए लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय सहित)		**9,917.17**	**56,393.18**
XIII	प्रति इक्विटी शेयर आय (निरंतर प्रचालनों के लिए) वार्षिक)			
	मूल (रुपए)	38(13)	4.42	2.73
	विरलित (रुपए)		4.42	2.73
	उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां	1		
	वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणियां	38		

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते डीएसपी एंड एसोशिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आईसीएएआई पंजीकरण संख्या 006791N

संजय जैन
भागीदार
सदस्यता संख्या
084906

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30.05.2021

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

चिंतन नवीनभाई शाह
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन सं, 07795952

डॉ. आर.सी. शर्मा
महाप्रबंधक (वित्त) और सीएफओ

प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं, 07448576

सुरेंद्र सुयाल
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या A11900

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का स्टेंडअलोन विवरण

क	इक्विटी शेयर पूंजी	(लाख रुपए में)
	01.04.2019 को शेष	78,460.00
	वर्ष के दौरान परिवर्तन	-
	31.03.2020 को शेष	78,460.00
	वर्ष के दौरान परिवर्तन	-
	31.03.2021 को शेष	78,460.00

अन्य इक्विटी

(लाख रुपए में)

विवरण	आरक्षिति और अधिशेष						नकद प्रवाह हेज का प्रभावी भाग	कुल
	सामान्य आरक्षिति	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षिति	डिबेंचर शोधन	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45– ।सी के तहत एनबीएफसी आरक्षिति	प्रतिधारित आय	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण आरक्षिति		
01.04.2019 को शेष	**108,298.33**	**82,651.13**	**21,281.04**	**4,882.69**	**1,901.72**	**-54,141.39**	**15,063.04**	**179,936.57**
आवधिक के लिए लाभ					21,455.04			21,455.04
अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से स्वीकृति					-154.80		35,092.94	34,938.14
31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**21,300.24**	**-**	**35,092.94**	**56,393.18**
वर्ष के दौरान आरक्षितियों में अंतरण	-20,000.00	10,820.32	4,629.11	4,300.00	250.57			-
वर्ष के दौरान दीर्घावधिक मौद्रिक मदों पर विदेशी मुद्रा संव्यवहार हानि						-51,252.72		-51,252.72
वर्ष के दौरान शोधन						4,048.81		4,048.81
प्रदत्त लाभांश					-12,819.00			-12,819.00
कॉरपोरेट लाभांश कर					-2,634.98			-2,634.98
31.03.2020 को शेष	**88,298.33**	**93,471.45**	**25,910.15**	**9,182.69**	**7,998.56**	**-101,345.31**	**50,155.98**	**173,671.85**
अवधि के लिए लाभ					34,640.72			34,640.72

(लाख रुपए में)

विवरण	आरक्षिति और अधिशेष						नकर प्रवाह हेज का प्रभावी भाग	कुल
	सामान्य आरक्षिति	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षिति	डिबेंचर शोधन	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45–।सी के तहत एनबीएफसी आरक्षिति	प्रतिधारित आय	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण आरक्षिति		
अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से स्वीकृति					-157.23		-24,566.32	-24,723.55
31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए कुल व्यापक आय					**34,483.49**		**-24,566.32**	**9,917.17**
वर्ष के दौरान आरक्षितियों में अंतरण	19,500.00	11,119.53	4,629.11	7,000.00	-42,248.64			-
वर्ष के दौरान दीर्घावधिक मौद्रिक मदों पर विदेशी मुद्रा संव्यवहार हानि						30,488.20		30,488.20
वर्ष के दौरान शोधन						6,981.27		6,981.27
प्रदत्त लाभांश					-			-
कॉरपोरेट लाभांश कर					-			-
31.03.2021 को शेष	**107,798.33**	**104,590.98**	**30,539.26**	**16,182.69**	**233.40**	**-63,875.83**	**25,589.66**	**221,058.50**

उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां टिप्पणी संख्या 1

वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणियां टिप्पणी संख्या 38

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते डीएसपी एंड एसोशिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आईसीएएआई पंजीकरण संख्या 006791N

संजय जैन
भागीदार
सदस्यता संख्या
084906

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30.05.2021

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

चिंतन नवीनभाई शाह
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन सं, 07795952

डॉ. आर.सी. शर्मा
महाप्रबंधक (वित्त) और सीएफओ

प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं, 07448576

सुरेंद्र सुयाल
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या A11900

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

31 मार्च, 2021 को नकद प्रवाह विवरण

(लाख रुपए में)

	विवरण		वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2021		वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2020	
क	**प्रचालनिक गतिविधियों से नकद प्रवाहः**					
	कर पूर्व लाभ		56,951.72		24,111.28	
	निम्न के लिए समायोजनः					
	1	स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री/समायोजन पर हानि (निवल)	0.96		0.16	
	2	वित्तीय परिसम्पत्तियों की अक्षमता	34,164.50		51,809.07	
	3	मूल्यह्रास	2,267.40		2,281.20	
	4	लीज देनदारी पर ब्याज	7.89		10.63	
	5	निवल परिवर्तन /संव्यवहार विनिमय हानि	6,984.66		4,064.67	
	6	बट्टे खाते डाला गया प्रावधान	(199.17)		-10.52	
	7	मसाला बाण्ड अनुदान का परिशोधन	-		-130.94	
	8	कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	(141.02)		-205.42	
	9	ऋण प्रतिभूतियों पर प्रभावी ब्याज	267.52		211.80	
	10	ऋण प्रतिभूतियों से अन्य राशियों पर प्रभावी ब्याज	2.66		3.17	
	11	उप ऋण पर प्रभावी ब्याज दर	(50.80)		2.12	
	12	ऋणों पर प्रभावी ब्याज दर	1,732.27		1,958.50	
	13	डेरिवेटिवों पर उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल लाभ/(हानि)	1,247.32		-7,165.33	
	प्रचालनिक परिसम्पत्तियों/देनदारियों में परिवर्तनों से पूर्व प्रचालनिक लाभ		**1,03,235.91**		**76,940.39**	
	प्रचालनिक परिसम्पत्तियों/देनदारियों में वृद्धि/(कमी)					
	1	ऋण	-4,14,488.48		-2,24,663.12	
	2	अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	207.70		360.89	
	3	अन्य गैर वित्तीय परिसम्पत्तियां	-120.68		1,526.85	
	4	कारोबार प्राप्य	15.32		-73.39	
	5	अन्य गैर–वित्तीय देनदारियां	-2,698.67		421.58	
	6	अन्य वित्तीय देनदारियां	-13,800.55		6,352.38	
	7	कारोबार देय	1,435.47		-6,036.44	
	8	नकद और नकद समतुल्य के अतिरिक्त अन्य बैंकशेष	20,506.41		-9,131.93	
	9	प्रावधान	305.02		428.34	
	असाधारण मदों से पूर्व नकद प्रवाह		**-4,08,638.46**		**-2,30,814.83**	
		असाधारण मद	-		-	
	कर पूर्व प्रचालनों से उत्पादित नकद		**-3,05,402.55**		**-1,53,874.44**	
		आयकर	-15,239.62		-17,063.61	
	प्रचालनों से उत्पादित निवल नकद			-3,20,642.17		-1,70,938.05
ख	**निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह**					
	1	स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद	-194.93		-17.78	
	2	स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री	0.31		2.27	

(लाख रुपए में)

	विवरण		वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2021		वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2020	
	3	पूंजी व्यय के लिए अग्रिम	(15.20)		-	
	निवेश गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह			**-209.82**		**-15.51**
ग	**वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह**					
	1	ऋण प्रतिभूतियों को जारी किया जाना (मोचन का निवल)	-15,000.00		1,65,300.00	
	2	ऋण प्रतिभूतियों के अन्य प्रतिभूतियां जुटाना (पुनर्भुगतान का निवल)	2,09,177.59		64,294.30	
	3	अधीनस्थ देनदारियां जुटाना (मोचन का निवल)	50,000.00		-	
	4	लीज देनदारी के लिए भुगतान	-59.80		-81.48	
	5	लाभांश	-		-12,819.00	
	6	कॉरपोरेट लाभांश कर	-		-2,634.98	
	वित्तीय गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह			**2,44,117.79**		**2,14,058.84**
	नकद और नकद समतुल्यों में निवल वृद्धि			**-76,734.20**		**43,105.28**
	वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद समतुल्य			98,836.04		55,730.76
	वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य			22,101.83		98,836.04
	नकद और नकद समतुल्यों में निवल वृद्धि			**-76,734.20**		**43,105.28**
	अवधि के अंत में नकद और नकद समतुल्यों के घटक					
	बैंकों की भारतीय शाखा में चालू खातों में			21,891.28		50,865.90
	बैंकों की विदेशी शाखा में चालू खातों में			9.95		2,585.08
	बैंकों में ओवरड्राफ्ट खातों में			-		-
	बैंकों में जमा खातों में			-		45,374.52
	बैंकों में बचत खातों में हस्तगत और			200.33		10.19
	वसूली के तहत हस्तगत चेक/डीडी और डाक अग्रदाय			0.27		0.35
				22,101.83		**98,836.04**

नकद प्रवाह विवरण पर टिप्पणियां

1 पिछले वर्षों के आँकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक हो पुनः व्यवस्थित और पुनः समूहगत किया गया है।

2 इरेडा के पास ऐसा कोई नकद और नकद समतुल्य शेष नहीं है जो इरेडा के उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है।

3 31.03.2020 को समाप्त गत वर्ष: कुल जमा में 5,271.76 लाख रुपये की जमा राशियां शामिल है, जिनकी मूल परिपक्वता 90 दिनों से अधिक है।

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते डीएसपी एंड एसोशिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आईसीएएआई पंजीकरण संख्या 006791N

संजय जैन
भागीदार
सदस्यता संख्या
084906

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

चिंतन नवीनभाई शाह
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन सं, 07795952

प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं, 07448576

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30.05.2021

डॉ. आर.सी. शर्मा
महाप्रबंधक (वित्त) और सीएफओ

सुरेंद्र सुयाल
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या A11900

टिप्पणी -1

1) कॉरपारेट सूचना

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (इरेडा) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारत सरकार का एक मिनी रत्न (श्रेणी – I) उद्यम है। इरेडा एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है। कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–I, के तहत गैर–जमा प्राप्त करने वाली गैर–बैंकिंग वित्तपोषण कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत है। वर्ष 1987 से, इरेडा अपने आदर्श वाक्यः '' ऊर्जा सदा के लिए'' के साथ, ऊर्जा के नए और नवीकरणीय स्रोतों और ऊर्जा दक्षता/संरक्षण से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने, विकसित करने और विस्तारित करने में लगी हुई है । कंपनी के पास केरल राज्य के कासरगोड में स्थित 50 मेगावाट की सौर परियोजना का स्वामित्व है।

2) तैयारी का आधार

(i) इंड एएस के अनुपालन का विवरण

कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अनुसार और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी और आगे यथा संशोधित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुपालन में तैयार किए गए हैं।

वित्तीय विवरण सुनाम प्रतिष्ठान आधार पर और लेखांकन के प्रोद्भवन के आधार पर तैयार किए जाते हैं। कंपनी ने कुछ मदों को छोड़कर ऐतिहासिक लागत परिपाटी को अपनाया है जिसे एक अलग आधार पर मापा गया है और इस तरह के आधार को प्रासंगिक लेखा नीति में प्रकट किया गया है।

लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया गया है, सिवाय ऐसे मामलों में जहां एक नए जारी किए गए लेखांकन मानक को शुरू में अपनाया गया हो या मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए अब तक उपयोग में लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता हो।

(ii) प्राक्कलनों का प्रयोग

कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय, अनुमान और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो राजस्व, व्यय, संपत्ति और देनदारियों की रिपोर्ट की गई मात्रा और संबंधित प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं। भविष्य के परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमान में किसी भी संशोधन को वर्तमान और भविष्य की अवधि में संभावित रूप से मान्यता दी जाती है।

लेखांकन नीतियों को लागू करने और अनिश्चितता के आकलन में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय

(क) उल्लेखनीय प्रबंधन निर्णय

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों/देनदारियों की स्वीकृति – जिस सीमा तक आस्थगित कर आस्तियों को स्वीकृति दी जा सकती है वह भविष्य की कर योग्य आय की संभावना के आकलन पर आधारित है जिसके सापेक्ष आस्थगित कर परिसम्पत्तियों का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, कंपनी प्रबंधन का आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित और अनुरक्षित की गई विशेष आरक्षिति से निकासी करने का कोई इरादा नहीं है और इस प्रकार, सृजित और अनुरक्षित की गई विशेष आरक्षित को उलटने में सक्षम नहीं है। इसलिए, कंपनी द्वारा उक्त आरक्षित पर कोई आस्थगित कर देनदारी सृजित नहीं की गई है।

परिसम्पत्तियों की अक्षमता के लिए संकेतकों का मूल्यांकन – परिसंपत्तियों की हानि के संकेतकों की प्रयोज्यता के मूल्यांकन के लिए कई बाहरी और आंतरिक कारकों का मूल्यांकन अपेक्षित होता है जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि में गिरावट आ सके।

क्रेडिट प्रभावित ऋणों पर ब्याज आय की गैर स्वीकृति - क्रेडिट प्रभावित ऋण परिसम्पत्तियों को विवेक के अनुसार, दबावग्रस्त परिसम्पत्तियों के समाधान के निष्कर्ष के लंबित रहते स्वीकृत नहीं किया जा रहा है।

(ख) उल्लेखनीय अनुमान

मूल्यह्रास योग्य/परिशोधन योग्य परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन – प्रबंधन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर परिसंपत्तियों की अपेक्षित उपयोगिता के आधार पर मूल्यह्रास योग्य / परिशोधन योग्य परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के अपने अनुमान की समीक्षा करता है। इन अनुमानों में अनिश्चितता तकनीकी और आर्थिक अप्रचलन से संबंधित है जिसकी वजह से परिसंपत्तियों की उपयोगिता परिवर्तित हो सकती है।

परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) – प्रबंधन का डीबीओ का अनुमान कई अंतर्निहित मान्यताओं जैसे मुद्रास्फीति की मानक दर, मृत्यु दर, छूट दर और भविष्य में वेतन वृद्धि की प्रत्याशा पर आधारित है । इन स्वीकृतियों में भिन्नता से डीबीओ राशि और वार्षिक परिभाषित लाभ व्यय को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित हो सकती है।

उचित मूल्य माप – प्रबंधन वित्तीय साधनों का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन तकनीकों को लागू करता है (जहां सक्रिय बाजार उद्धरण उपलब्ध नहीं हैं)। इसमें अनुमानों और मान्यताओं को विकसित करना शामिल है जो इस बात के अनुरूप हैं कि बाजार सहभागियों द्वारा उपकरण की कीमत कैसे तय की जाएगी। किसी परिसंपत्ति या देनदारी के उचित मूल्य का अनुमान लगाने में, कंपनी बाजार के अवलोकन योग्य डेटा का उपयोग उस सीमा तक करती है, जहां तक वह उपलब्ध है। बाजार–अवलोकन योग्य डेटा उपलब्ध न होने की स्थिति में, स्तर 2 और स्तर 3 पदानुक्रम का उपयोग उचित मूल्यांकन के लिए किया जाता है।

आयकर – अनिश्चित कर स्थितियों के लिए भुगतानध्वसूली की अपेक्षित राशि और आस्थगित कर परिसंपत्ति का आकलन करने के लिए अपेक्षित भावी लाभप्रदता के संबंध में आयकर के प्रावधान का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण अनुमान शामिल हैं।

संभावित क्रेडिट हानि (ईसीएल) – परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए अपेक्षित ऋण हानि भत्ता के मापन के लिए जटिल मॉडलों के उपयोग और भविष्य की आर्थिक स्थितियों और ऋण व्यवहार के बारे में महत्वपूर्ण अवधारणाओं के उपयोग किया जाना अपेक्षित होता है (उदाहरण के लिए, ग्राहकों के चूक करने और परिणामी हानियों की संभावना)। कंपनी ईसीएल का अनुमान लगाने के लिए अपेक्षित ऋण हानि का आकलन करते समय निम्नलिखित के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेती है

- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए मानदंड निर्धारित करना;
- प्रत्येक प्रकार के उत्पाद/बाजार और संबद्ध ईसीएल के लिए दूरदेशी परिदृश्यों की संख्या और सापेक्ष भार स्थापित करना;
- ईसीएल के मापन के लिए समान वित्तीय परिसम्पत्तियों के समूह स्थापित करना; और
- चूक की संभाव्यता और चूक के कारण होने वाली हानि का अनुमान लगाना (चूक की स्थिति में वसूली योग्य राशियों के अनुमान)।

प्रावधान: दायित्व की स्वीकृति और परिमाणीकरण के समय (मुकदमों सहित) के लिए मौजूदा तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है, जो परिवर्तन के अधीन हो सकते हैं। प्रावधानों और देनदारियों की वाहित राशि की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और बदलते तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया जाता है।

(iii) कार्यात्मक और प्रस्तुतिकरण की व्यापता

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए जाते हैं जो प्राथमिक आर्थिक वातावरण की कार्यात्मक मुद्रा है जिसमें कंपनी संचालित होती है, मूल्यों को लाख में निकटतम दो दशमलव तक पूर्णांकित किया जाता है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

3) उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां

(i) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई)

मूर्त परिसम्पत्तियां (पीपीई)

पीपीई (मूर्त परिसम्पत्तियां) को प्रारंभिक तौर पर लागत पर स्वीकृत किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु की लागत में इसकी खरीद मूल्य शामिल है, जिसमें आयात शुल्क, गैर–वापसी योग्य कर, व्यापार छूट और छूट में कटौती के बाद और संपत्ति को स्थान और उसके लिए आवश्यक स्थिति में लाने के लिए सीधे जिम्मेदार कोई भी लागत शामिल है। इसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार रहें। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मान्यता मानदंडों को पूरा करने वाले स्टोर और स्पेयर को पूंजीकृत किया जाता है और अंतर्निहित परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में जोड़ा जाता है।

कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को मापने के लिए बाद की मान्यता के लागत मॉडल को अपनाया है। नतीजतन सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण इसकी लागत कम संचित मूल्यह्रास और संचित हानि हानि, यदि कोई हो, पर ले जाया जाता है।

<u>स्वीकृति समाप्ति</u>

पीपीई की एक वस्तु को निपटाने पर अमान्य कर दिया जाता है, या जब भविष्य में उपयोग से कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है। शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में मापे गए पीपीई की गैर–मान्यता से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जब परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त हो जाती है।

<u>चल रहे पूंजीगत कार्य</u>

रिपोर्टिंग तिथि पर निर्माणाधीन पीपीई की लागत को 'पूंजीगत कार्यश प्रगति पर' के रूप में प्रकट किया गया है। लागत में खरीद मूल्य, उधार लागत शामिल है यदि पूंजीकरण मानदंड पूरा किया जाता है और संपत्ति को अपनी कार्यशील स्थिति में लाने के लिए सीधे जिम्मेदार लागत शामिल है। उपयोग। किसी भी व्यापार छूट और छूट को खरीद मूल्य पर पहुंचने में काटा जाता है। पीपीई के अधिग्रहणधनिर्माण के लिए भुगतान किए गए अग्रिम जो बैलेंस शीट की तारीख पर बकाया हैं, उन्हें ''पूंजीगत अग्रिम'' के तहत वर्गीकृत किया गया है।

(ii) अमूर्त परिसम्पत्तियां और परिशोधन

अमूर्त संपत्ति में मुख्य रूप से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शामिल है जिसे शुरू में लागत पर मापा जाता है। ऐसी परिसम्पत्तियों को मान्यता दी गई है जहाँ यह संभावना होती है कि आस्तियों के कारण भविष्य में होने वाले आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे।

परिमित उपयोगी जीवन के साथ सभी अमूर्त संपत्ति को बाद में लागत मॉडल पर मान्यता दी जाती है। इन अमूर्त संपत्तियों को बाद में इसकी लागत कम संचित परिशोधन और संचित हानि यदि कोई हो, पर ले जाया जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का अनुमानित जीवन 5 वर्ष से अधिक नहीं है।

<u>विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियां</u>

खर्च किए गए व्यय जो अमूर्त परिसंपत्ति के तहत पूंजीकरण के लिए पात्र हैं, उन्हें 'विकास के तहत अमूर्त संपत्ति' के रूप में तब तक वाहित किया जाता है जब तक कि वे अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार न हों।

<u>स्वीकृति समाप्ति</u>

एक अमूर्त संपत्ति को निपटान पर अस्वीकृत किया जाता है, या जब भविष्य में कोई आर्थिक लाभ उपयोग से अपेक्षित नहीं होता है। एक अमूर्त संपत्ति की गैर–स्वीकृति से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि, शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वाहित राशि के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है, जब परिसंपत्ति को गैर–स्वीकृति प्राप्त होने पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

(iii) मूल्यह्रास और परिशोधन

मूर्त पीपीई पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची–II में विनिर्दिष्ट तरीके और उपयोगी जीवन के अनुसार, नीचे उल्लिखित संपत्ति को छोड़कर, लिखित आधार (डब्ल्यूडीवी) पर प्रावधान किया जाता है:

- पुस्तकालय की पुस्तकों पर मूल्यह्रास का प्रावधान खरीद के वर्ष में 100 प्रतिशत की दर से किया जाता है।
- सौर ऊर्जा परियोजना के पीपीई पर मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) और संबंधित राज्य आयोग टैरिफ आदेशों के तहत निर्धारित दरों / पद्धति पर सरल रेखा पद्धति पर किया जाता है।
- रुपये 5,000 / – या उससे कम की संपत्ति के संबंध में प्रावधान खरीद के वित्तीय वर्ष में मूल्यह्रास 100 प्रतिशत की दर से किया जाता है।
- अमूर्त संपत्ति का परिशोधन का प्रावधान सरल रेखा आधार पर किया जा रहा है।
- प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी पीपीई और अमूर्त संपत्तियों के लिए उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है। परिवर्तन, यदि कोई हो, को लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन के रूप में स्वीकृत किया जाता है।
- **अनुसूची ।। के अनुसार परिसम्पत्तियों का उपयोगी जीवनः**

परिसम्पत्ति मूल्यह्रास	अनुमानित उपयोगी जीवन	मूल लागत के प्रतिशत के रूप में अवशिष्ट मूल्य
भवन	60 वर्ष	5%
कम्प्यूटर और डेटा प्रोसेसिंग इकाइयां		
-लैपटॉप / कम्प्यूटर	3 वर्ष	5%
-सर्वर	6 वर्ष	5%
कार्यालय उपस्कर	5 वर्ष	5%
फर्नीचर और फिक्सचर	10 वर्ष	5%
वाहन	8 वर्ष	5%
अमूर्त परिसम्पत्तियां	5 वर्ष	5%

- **सीईआरसी के अनुसार परिसम्पत्तियों का उपयोगी जीवन**

परिसम्पत्ति मूल्यह्रास	अनुमानित उपयोगी जीवन	मूल लागत के प्रतिशत के रूप में अवशिष्ट मूल्य
सौर संयंत्र	25 वर्ष	10%

(iv) सरकारी अनुदान / सहायता

कंपनी सरकारी अनुदान प्राप्त कर सकती है जिसके लिए कंपनी की प्रचालन गतिविधियों से संबंधित कुछ शर्तों के अनुपालन की आवश्यकता होती है या कुछ योग्यता मानदंडों के आधार पर वित्तीय सहायता के माध्यम से कंपनी को प्रदान की जाती है।

सरकारी अनुदानों को तब स्वीकृति दी जाती है जब उचित आश्वासन मिलता है कि अनुदान प्राप्त होगा और कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करने में सक्षम होगी। इन अनुदानों को अनुदान की प्रकृति के आधार पर संपत्ति और राजस्व से संबंधित अनुदान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

लंबी अवधि की संपत्ति की खरीद, निर्माण या अन्यथा अधिग्रहण की शर्त के साथ सरकारी अनुदान को शुरू में आस्थगित

आय के रूप में स्वीकृति दी जाती है। एक बार आस्थगित आय के रूप में स्वीकृत किए जाने के बाद, ऐसे अनुदानों को परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। अनुमानों में परिवर्तन को आस्ति के शेष जीवन काल में संभावित रूप से मान्यता दी जाती है।

सब्सिडी से संबंधित अनुदान को उस अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण में आस्थगित और स्वीकृति दी जाती है, जिसके लिए संबंधित लागत, जिसकी भरपाई करने का इरादा है, खर्च की जाती है।

ऊर्जा के नए और नवीकरणीय स्रोतों (एनआरएसई) के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए अनुदान सहायता को आस्थगित आय के रूप में स्वीकृत किया जाता है और लेखांकित किया जाता है।

तकनीकी सहायता कार्यक्रम (टीएपी) के तहत किए गए व्यय को वसूली योग्य माना जाता है और इसे 'अन्य वित्तीय परिसंपत्ति' शीर्ष के तहत दिखाया जाता है। बहुपक्षीय/द्विपक्षीय एजेंसियों से प्रतिपूर्ति की गई सहायता उक्त खाते में जमा की जाती है।

(v) पट्टे

❑ पट्टेदार के रूप में

कंपनी किसी संविदा की शुरुआत में मूल्यांकन करती है कि क्या यह संविदा एक पट्टा है या इसमें पट्टा शामिल है। एक संविदा एक पट्टा है, या इसमें पट्टा शामिल है, यदि संविदा किसी पहचान की गई परिसंपत्ति के उपयोग को विचार करने के बदले में समय की अवधि के लिए नियंत्रित करने का अधिकार देता है। यह आकलन करने के लिए कि क्या संविदा किसी स्वीकृत की गई परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, कंपनी यह आकलन करती है कि क्याः

(i) संविदा में किसी चिह्नित परिसम्पत्ति का उपयोग निहित है;

(ii) कंपनी को पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ पर्याप्त रूप से प्राप्त हुए हैं, और

(iii) कम्पनी को परिसम्पत्ति के उपयोग को निर्दिष्ट करने का अधिकार है।

कंपनी सभी पट्टों के लिए एकल स्वीकृति और माप दृष्टिकोण लागू करती है, अल्पावधि पट्टों और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टों को छोड़कर। कंपनी लीज भुगतान करने के लिए लीज देनदारियों और अंतर्निहित परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार का प्रतिनिधित्व करने वाली संपत्ति के अधिकार को स्वीकृति देती है।

i) प्रयोगाधिकार परिसम्पत्तियां

कंपनी पट्टे की आरंभ तिथि (यानी, अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि) पर उपयोग के अधिकार की संपत्ति को स्वीकृति देती है। राइट–ऑफ–यूज परिसंपत्तियों को लागत पर मापा जाता है, किसी भी संचित मूल्यह्रास और हानि हानियों को कम करके और पट्टे की देनदारियों के किसी भी पुनर्माप के लिए समायोजित किया जाता है। उपयोग के अधिकार की संपत्ति की लागत में मान्यता प्राप्त लीज देनदारियों की राशि, प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत, और प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए लीज भुगतान में से प्राप्त किसी भी लीज प्रोत्साहन को शामिल किया गया है। परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर एक सीधी रेखा के आधार पर उपयोग के अधिकार की परिसंपत्ति का मूल्यह्रास किया जाता है।

ii) पट्टा देनदारियां

पट्टे की शुरुआत की तारीख में, कंपनी पट्टा अवधि में किए जाने वाले लीज भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापी गई पट्टा देनदारियों को पहचानती है। पट्टा भुगतान में निश्चित भुगतान (इन–सब्सेंस फिक्स्ड पेमेंट्स सहित) शामिल हैं, जिसमें कोई भी लीज इंसेंटिव कम होता है, वैरिएबल लीज भुगतान जो एक इंडेक्स या रेट पर निर्भर करता है, और राशि जो अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत अदा की जाती है। कंपनी लीज प्रारंभ तिथि पर अपनी वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करती है क्योंकि पट्टे में निहित ब्याज दर आसानी से निर्धारित नहीं होती है। यदि ऋण 3 वर्ष तक का है तो ऋण की अवधि के लिए वृद्धिशील उधार दर एसबीआई एमसीएलआर दर है। 3 साल से ज्यादा की अवधि के लिए, एसबीआई एमसीएलआर रेट 3 साल के लिए लिया जा सकता है।

iii) अल्पावधिक पट्टे और कम मूल्य परिसम्पत्तियों के पट्टे

लघु अवधि के पट्टों (जिसमें 12 महीने तक की पट्टा अवधि है) पर लीज भुगतान और कम मूल्य की संपत्ति के पट्टों (रु. 10, 00,000/– तक की संपत्ति) को लीज अवधि में खर्च के रूप में स्वीकृति दी जाती है। पट्टे की अवधि पट्टे की गैर–रद्दकरण योग्य अवधि दोनों के साथ लेकर निर्धारित की जाती है:

(क) पट्टे को विस्तार देने के लिए एक विकल्प द्वारा कवर की गई अवधि, यदि पट्टेदार उस विकल्प का प्रयोग करने के लिए यथोचित रूप से निश्चित हैय और

(ख) यदि पट्टेदार यथोचित रूप से निश्चित है कि उस विकल्प का प्रयोग नहीं करेगा, तो पट्टे को समाप्त करने के विकल्प द्वारा कवर की गई अवधि।

पट्टादाता के रूप में

जब कंपनी एक पट्टेदार के रूप में कार्य करती है, तो यह पट्टे की स्थापना के समय यह निर्धारित करती है कि क्या प्रत्येक पट्टा एक वित्त पट्टा या एक प्रचालनिक पट्टा है। प्रत्येक पट्टे को वर्गीकृत करने के लिए, कंपनी इस बात का समग्र मूल्यांकन करती है कि क्या पट्टा अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक सभी जोखिम और आगमों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित करता है। यदि ऐसा है, तो पट्टा एक वित्त पट्टा है, यदि नहीं, तो यह एक प्रचालनिक पट्टा है। मूल्यांकन के भाग के रूप में, कंपनी कुछ संकेतकों पर विचार करती है जैसे कि क्या पट्टा परिसंपत्ति के आर्थिक जीवन के प्रमुख भाग के लिए है। यदि किसी व्यवस्था में पट्टा और गैर–पट्टा घटक शामिल हैं, तो कंपनी अनुबंध में प्रतिफल आवंटित करने के लिए इंड एएस 115 "ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व" लागू करती है। कंपनी ऑपरेटिंग लीज के तहत प्राप्त लीज भुगतान को "ऑपरेशन से राजस्व" के हिस्से के रूप में लीज अवधि में एक सीधी रेखा के आधार पर आय के रूप में मान्यता देती है।

(vi) अनुषंगी, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यम में निवेश

- कंपनी अनुषंगी, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में लागत पर निवेश करती है। कंपनी द्वारा नियंत्रित इकाई को कंपनी की अनुषंगी कंपनी माना जाता है। भारत के बाहर सहायक कंपनी में निवेश का अंतरण अधिग्रहण की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है।

- जिन निवेशों में कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, उन्हें सहयोगी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रभाव निवेशिती के वित्तीय और परिचालन नीति निर्णयों में भाग लेने की शक्ति है, लेकिन उन नीतियों पर नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं है।

- एक संयुक्त व्यवस्था जिसके तहत व्यवस्था का संयुक्त नियंत्रण रखने वाले पक्षों के पास संयुक्त व्यवस्था की शुद्ध संपत्ति का अधिकार होता है, उसे संयुक्त उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। संयुक्त नियंत्रण एक व्यवस्था के नियंत्रण का अनुबंधित रूप से सहमत साझाकरण है, जो केवल तभी मौजूद होता है जब संबंधित गतिविधियों के बारे में निर्णय लेने के लिए पक्षकारों को नियंत्रण साझा करने की सर्वसम्मत सहमति अपेक्षित होती है।

सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश पर अक्षमता हानि

यदि सहयोगी या संयुक्त उद्यम में इकाई के निवेश के संबंध में हानि का संकेत है, तो निवेश के वहन मूल्य को उसके वहन मूल्य के साथ वसूली योग्य राशि की तुलना करके हानि के लिए परीक्षण किया जाता है और सहयोगी या संयुक्त उद्यम में किसी भी परिणामी हानि को निवेश के वहन मूल्य के सापेक्ष प्रभारित किया जाता है।

(vii) गैर–वित्तीय परिसम्पत्ति की अक्षमता

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यांकन करती है कि क्या कोई संकेत है कि एक परिसंपत्ति अक्षम हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि एक परिसंपत्ति या नकद–उत्पादक इकाइयों (सीजीयू) के उचित मूल्य से अधिक है, जिसमें निपटान की लागत और

उपयोग में इसका मूल्य कम है। वसूली योग्य राशि एक व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए निर्धारित की जाती है, जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूह से काफी हद तक स्वतंत्र होती है। जब किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो संपत्ति को अक्षम हुआ माना जाता है और उसकी वसूली योग्य राशि के लिए लिखा जाता है।

उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को पूर्व–कर छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो पैसे के समय मूल्य और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाता है। निपटान की लागत घटाकर उचित मूल्य निर्धारित करने में, हाल के बाजार लेन–देन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी भी लेन–देन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो एक उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का प्रयोग किया जाता है।

(viii) नकद और नकद समतुल्य

नकद में हस्तगत नकद, बैंक में नकद, बैंक ओवरड्राफ्ट में डेबिट शेष, यदि कोई हो, बैंकों के पास मांग जमा, वाणिज्यिक पत्र और विदेशी मुद्रा जमा शामिल हैं। नकद समकक्ष अल्पावधि जमा (अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ), अत्यधिक नकद निवेश हैं जो आसानी से नकदी की ज्ञात मात्रा में परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अध्यधीन हैं।

(ix) उधार लागतें

अर्हक संपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए सीधे उत्तरदायी सामान्य और विशिष्ट उधार लागतों को उस तारीख तक पूंजीकृत किया जाता है जब संपत्ति ऐसे फंड के अस्थायी निवेश पर अर्जित किसी भी आय को कम करने के बाद अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होती है।

इस सीमा तक, कि कंपनी आम तौर पर धन उधार लेती है और एक योग्य परिसंपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से उनका उपयोग करती है, पूंजीकरण के लिए पात्र उधार लेने की लागत की राशि उस परिसंपत्ति पर व्यय के लिए पूंजीकरण दर लागू करके निर्धारित की जाती है।

अन्य उधार लागतें उस अवधि में खर्च की जाती हैं जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

(x) विदेशी मुद्रा लेन देन

कार्यात्मक मुद्रा के अलावा अन्य मुद्राओं में लेन–देन को लेन–देन की तारीखों पर प्रचलित विनिमय दरों पर स्वीकृति दी जाती है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों का उस तिथि पर प्रचलित दरों पर पुनअंतरण किया जाता है। इस तरह के लेन–देन के निपटान से उत्पन्न विदेशी मुद्रा लाभ और हानि और अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों के पुनर्मापन को लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

इरेडा ने भारतीय लेखा मानक 101 के पैरा डी13एए की छूट को अपनाया है, जिसके अनुसार पहली बार अंगीकर्ता वित्तीय विवरणों में स्वीकृति प्राप्त दीर्घकालीन विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के अनुवाद से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों के लिए लेखांकन के लिए अपनाई गई नीति को पिछले जीएएपी के अनुसार पहली इंड एएस वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत से ठीक पहले समाप्त होने वाली अवधि तक जारी रख सकता है।

तदनुसार, विदेशी मुद्रा में सभी लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर अभिलेखबद्ध किए जाते हैं। 31 मार्च, 2018 को बकाया लंबी अवधि की विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित दर पर, उस अवधि से अलग, जिस पर वे शुरू में इस अवधि के दौरान दर्ज किए गए थे, या पिछले में रिपोर्ट किए गए थे। वित्तीय विवरण, एक "विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अनुवाद रिजर्व खाता" में संचित होते हैं और ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में मान्यता द्वारा, ऐसी लंबी अवधि की मौद्रिक मद की शेष अवधि में परिशोधित किए जाते हैं।

दीर्घकालीन विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें वे होती हैं जिनकी अवधि उत्पत्ति की तारीख में बारह महीने या उससे अधिक होती है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित दर पर अल्पकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों (उत्पत्ति की तारीख में बारह महीने से कम की अवधि वाले) का अनुवाद किया जाता है। परिणामी विनिमय उतार–चढ़ाव को ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

भारतीय लेखा मानक 21 के पैरा 27 के अनुसार, नकदी प्रवाह बचाव में हेजिंग लिखतों के रूप में अर्हता प्राप्त करने वाली मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर को अन्य व्यापक आय में उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहां तक बचाव प्रभावी होता है। तदनुसार, कंपनी कैश फ्लो हेज रिजर्व में रिपोर्टिंग तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा ऋणों के अनुवाद के कारण विनिमय अंतर को पहचानती है।

(xi) प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर पश्चात शुद्ध लाभ को विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर विरलित आय की गणना कर के बाद समायोजित शुद्ध लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और कमजोर संभावित इक्विटी शेयरों से विभाजित करके की जाती है। इक्विटी शेयरों की संख्या और संभावित रूप से कमजोर इक्विटी शेयरों को शेयर विभाजन / रिवर्स शेयर विभाजन और बोनस शेयरों के लिए उपयुक्त के रूप में समायोजित किया जाता है।

(xii) प्रावधान

एक प्रावधान को तब स्वीकृत किया जाता है जब कंपनी के पास पिछली घटना के परिणामस्वरूप एक वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है और यह संभव है कि दायित्वों को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके।

(xiii) आकस्मिक देनदारियां

आकस्मिक देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है, लेकिन नोटों में इसका खुलासा किया जाता है जब कंपनी की पिछली घटनाओं के कारण संभावित दायित्व होता है और दायित्व का अस्तित्व भविष्य की घटनाओं की घटना या गैर–घटना पर निर्भर करता है जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है और पिछली घटनाओं से उत्पन्न होने वाले वर्तमान दायित्वों पर निर्भर करता है। यह संभव नहीं है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी या दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

आर्थिक संसाधनों का बहिर्वाह संभावित हो गया है या नहीं यह निर्धारित करने के लिए आकस्मिक देनदारियों का लगातार मूल्यांकन किया जाता है। यदि बहिर्वाह संभावित हो जाता है, तो वित्तीय विवरणों में सापेक्ष प्रावधान को मान्यता दी जाती है।

(xiv) आकस्मिक परिसम्पत्तियां

आकस्मिक परिसम्पत्तियों को स्वीकृति नहीं दी जाती है लेकिन टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है जो आमतौर पर अनियोजित या अन्य अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न होती हैं जो आर्थिक लाभ के प्रवाह की संभावना को जन्म देती हैं।

यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आर्थिक लाभों की आमद वस्तुतः निश्चित हो जाती है, आकस्मिक परिसम्पत्तियों का लगातार मूल्यांकन किया जाता है, फिर ऐसी परिसंपत्तियों और सापेक्ष आय को वित्तीय विवरणों में स्वीकृति दी जाएगी।

(xv) खंड रिपोर्टिंग

प्रचालनिक खंडों को मुख्य प्रचालनिक निर्णयकर्ता को प्रदान की गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप तरीके से रिपोर्ट किया जाता है। कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) की पहचान मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता (सीओडीएम) के रूप में की गई है।

(xvi) महत्वपूर्ण गतिविधि की त्रुटियां

सामग्री पूर्व अवधि की त्रुटियों को पूर्वव्यापी रूप से ठीक किया जाता है, जिसमें पूर्व अवधियों के लिए तुलनात्मक मात्रा को पुन: प्रस्तुत किया जाता है जिसमें त्रुटि हुई थी। यदि त्रुटि प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि से पहले हुई है, तो प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी के प्रारंभिक शेष को पुनः वर्णित किया जाता है। पूर्व अवधि के आइटम रुपये तक। 1,00,000/– प्रति आइटम को समायोजित/प्राप्त किए जाने पर लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित किया जाता है और पुनर्कथन नहीं किया जाता है।

(xvii) कराधान

चालू कर

वर्तमान में देय कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित होता है। कर योग्य लाभ 'कर पूर्व लाभ' से भिन्न होता है जैसा कि लाभ और हानि / अन्य व्यापक आय के विवरण में रिपोर्ट किया गया है क्योंकि आय या व्यय की मदें जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य हैं और वे आइटम जो कभी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं हैं। कंपनी के वर्तमान कर की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित की गई हैं।

वर्तमान कर को लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृति दी जाती है, सिवाय इसके कि जब वे अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में स्वीकृति प्राप्त मदों से संबंधित हों, उस स्थिति में, वर्तमान कर को अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है। जहां व्यापार संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखांकन से वर्तमान कर उत्पन्न होता है, व्यापार संयोजन के लिए कर प्रभाव को लेखांकन में शामिल किया जाता है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर को वित्तीय विवरणों में परिसम्पत्तियों और देनदारियों की अग्रणीत राशियों और कराधान प्रयोजन के लिए उपयोग की गई संगत राशियों के बीच अस्थायी अंतर के संबंध में स्वीकृति दी जाती है।

आस्थगित कर देनदारियों को आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को आम तौर पर केवल उस सीमा तक स्वीकृति दी जाती है कि यह संभावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके खिलाफ संपत्ति का उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर आस्तियों की अग्रणीत राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है और इस हद तक कम कर दी जाती है कि संबंधित कर लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं रह जाती है।

वर्तमान और आस्थगित कर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जब वे अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित हों, उस स्थिति में, वर्तमान और आस्थगित कर को क्रमशः इक्विटी में अन्य व्यापक आय या सीधे भी स्वीकृति दी जाती है।

(xviii) निवेश सम्पत्ति

निवेश संपत्तियां किराये की कमाई और/या पूंजी वृद्धि (ऐसे उद्देश्यों के लिए निर्माणाधीन संपत्ति सहित) के लिए रखी गई संपत्तियां हैं। निवेश की परिसंपत्तियों को शुरू में लागत पर मापा जाता है, जिसमें लेन–देन लागत भी शामिल है।

प्रारंभिक स्वीकृति के बाद, कंपनी लागत मॉडल का उपयोग करके निवेश परिसंपत्ति को मापती है।

एक निवेश संपत्ति को निपटान पर या जब निवेश संपत्ति को स्थायी रूप से उपयोग से वापस ले लिया जाता है और निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है, तो उसे अमान्य कर दिया जाता है। संपत्ति की मान्यता से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि (निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणी राशि के बीच अंतर के रूप में गणना की जाती है) को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है जिसमें परिसंपत्ति को गैर–स्वीकृत प्राप्त किया जाता है।

निवेश संपत्तियों का मूल्यह्रास उस परिसंपत्ति के वर्ग के अनुसार किया जाता है जो वह संबंधित है और परिसंपत्ति का जीवन कंपनी में उसी वर्ग की संपत्ति के लिए कल्पना के अनुसार होगा।

हालांकि निवेश संपत्ति को लागत मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, निवेश संपत्ति के उचित मूल्य का प्रकटीकरण टिप्पणियों में किया जाता है।

(xix) कर्मचारी लाभ

a) अल्पावधिक लाभ

वेतन सहित अल्पकालिक कर्मचारी लाभ, अल्पकालिक मुआवजा अनुपस्थिति (जैसे एक भुगतान वार्षिक छुट्टी) जहां अनुपस्थिति उस अवधि के अंत के बाद बारह महीने के भीतर होने की उम्मीद है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा, लाभ साझाकरण और देय बोनस प्रदान करते हैं उस अवधि के अंत के बाद बारह महीनों के भीतर जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं और वर्तमान कर्मचारियों के लिए गैर–मौद्रिक लाभों का अनुमान लगाया जाता है और बिना छूट के आधार पर मापा जाता है।

b) रोजगार–पश्चात लाभ योजनाओं को परिभाषित लाभ योजनाओं और परिभाषित योगदान योजनाओं में निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

(i) परिभाषित अंशदान योजना

एक परिभाषित योगदान योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत कंपनी कर्मचारियों के संबंध में एक अलग फंड में निश्चित योगदान का भुगतान करती है। कंपनी के पास निश्चित योगदान के भुगतान के बाद आगे के योगदान का भुगतान करने के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं है। कंपनी द्वारा परिभाषित योगदान योजनाओं के लिए किए गए योगदान को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित किया जाता है जिससे योगदान संबंधित है।

(ii) परिभाषित लाभ योजना

कंपनी का ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) और अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ (ओडीआरबी) के प्रति दायित्व है, जिन्हें परिभाषित लाभ योजनाओं के रूप में माना जा रहा है।

पात्र कर्मचारियों को कवर करना। परिभाषित लाभ योजनाओं के तहत, एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली राशि को कर्मचारी की सेवा की लंबाई, अंतिम वेतन और अन्य परिभाषित मापदंडों के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। किसी भी लाभ के लिए कानूनी दायित्व कंपनी के पास रहता है, भले ही परिभाषित लाभ योजना के वित्तपोषण के लिए योजना संपत्ति को अलग रखा गया हो।

परिभाषित लाभ योजनाओं के प्रति कंपनी का दायित्व अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए वित्तीय स्थिति के विवरण में मान्यता प्राप्त देयता रिपोर्टिंग तिथि पर परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) का वर्तमान मूल्य है जो योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से कम है। प्रबंधन स्वतंत्र एक्चुअरीज की सहायता से सालाना डीबीओ का अनुमान लगाता है।

देयता/परिसंपत्ति के पुनर्माप के परिणामस्वरूप बीमांकिक लाभ/हानि को अन्य व्यापक आय में शामिल किया जाता है।

भविष्य निधि, परोपकारी निधि, सेवानिवृत्ति निधि और ग्रेच्युटी के संबंध में कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों की देयता अलग–अलग ट्रस्टों द्वारा वित्त पोषित है।

भविष्य निधि/अधिवर्षिता निधि में कंपनी का योगदान पात्र कर्मचारी के वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर इस उद्देश्य के लिए स्थापित अलग–अलग ट्रस्टों को प्रेषित किया जाता है और लाभ और हानि के विवरण में डेबिट किया जाता है।

c) अन्य दीर्घावधिक कर्मचारी लाभः

अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर बैलेंस शीट की तारीख के अनुमान के बाद एक साल से अधिक समय तक प्रतिपूर्ति की अनुपस्थिति के कारण होने वाले या प्राप्त होने की उम्मीद के संबंध में देयता।

पिछले अनुभव से होने वाले बीमांकिक लाभ और हानियों और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित किया जाता है जिसमें ऐसे लाभ या हानि निर्धारित की जाती हैं।

(xx) वित्तीय उपकरण

प्रारंभिक स्वीकृति और मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी वित्तीय साधन के संविदात्मक प्रावधानों के लिए एक पार्टी बन जाती है और शुरू में, लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किए गए को छोड़कर लेन–देन लागतों द्वारा समायोजित उचित मूल्य पर मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के बाद के माप का वर्णन नीचे किया गया है।

वित्तीय परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण और अनुवर्ती मापन

बाद के माप के प्रयोजन के लिए, वित्तीय परिसम्पत्तियों को प्रारंभिक स्वीकृति पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- परिशोधित लागत
- लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीओसीआई)

एफवीटीपीएल या एफवीओसीआई में इक्विटी लिखतों को छोड़कर सभी वित्तीय परिसंपत्तियां कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर हानि के लिए समीक्षा के अधीन हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कोई उद्देश्य प्रमाण है कि वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय परिसंपत्तियों का एक समूह बिगड़ा हुआ है। वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्येक श्रेणी पर हानि का निर्धारण करने के लिए विभिन्न मानदंड लागू होते हैं, जिनका वर्णन नीचे किया गया है।

❑ परिशोधित लागत पर ऋण

ऋण (वित्तीय संपत्ति) को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं:

क) वित्तीय परिसंपत्ति एक व्यवसाय मॉडल के भीतर रखी जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों को रखना है: तथा

ख) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह को निर्दिष्ट तिथियों पर जन्म देती हैं जो केवल मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान हैं।

परिशोधन लागत पर वहन की गई वित्तीय आस्तियों पर प्रत्याशित ऋण हानियों के लिए हानि भत्ता को स्वीकृति दी जाती है।

❑ **एफवीटीपीएल**

एफवीटीपीएल की वित्तीय परिसंपत्तियों में हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित और प्रभावी को छोड़कर सभी डेरिवेटिव वित्तीय

साधन शामिल हैं, जिनके लिए बचाव लेखांकन आवश्यकताओं को लागू किया जा रहा है। इस श्रेणी में परिसंपत्तियों को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है। इस श्रेणी में वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य सक्रिय बाजार लेन–देन के संदर्भ में या एक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जहां कोई सक्रिय बाजार मौजूद नहीं है।

वित्तीय परिसम्पत्तियों की स्वीकृति समाप्त किया जाना

वित्तीय संपत्ति (या जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का हिस्सा) को अमान्य कर दिया जाता है (यानी कंपनी की बैलेंस शीट से हटा दिया जाता है) जब वित्तीय संपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, या जब वित्तीय परिसंपत्ति और काफी हद तक सभी जोखिम और पुरस्कार स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति को भी अमान्य कर देती है यदि उसने दोनों वित्तीय परिसंपत्ति को स्थानांतरित कर दिया है और हस्तांतरण गैर–मान्यता के लिए योग्य है।

वित्तीय देनदारियों का वर्गीकरण और अनुवर्ती मापन

व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों को छोड़कर, जो कि एफवीटीपीएल में किए जाते हैं, वित्तीय देनदारियों को बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर, बाद में लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

वित्तीय देनदारियों की स्वीकृति समाप्त किया जाना

एक वित्तीय देनदारी को तब अस्वीकृत कर दिया जाता है जब देनदारी के तहत देनदारी का निर्वहन या रद्द या समाप्त हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देनदारी को एक ही ऋणदाता से दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है या मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देयता की स्वीकृति और एक नई देनदारी की स्वीकृति माना जाता है। संबंधित अग्रणीत राशियों में अंतर को लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

डेरिवेटिव वित्तीय लिखतें

कंपनी विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और देनदारियों पर विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव के संपर्क में है। कंपनी डेरिवेटिव के उपयोग सहित स्थापित जोखिम प्रबंधन नीतियों का पालन करके विदेशी विनिमय दर में उतार–चढ़ाव के प्रभाव को सीमित करती है।

कंपनी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करती है जिसमें विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और देनदारियों को हेज करने के लिए प्रिंसिपल स्वैप, क्रॉस करेंसी और इंटरेस्ट रेट स्वैप (सीसीआईआरएस), फॉरवर्ड, इंटरेस्ट रेट स्वैप, करेंसी और क्रॉस करेंसी ऑप्शन, स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट आदि शामिल हैं।

डेरिवेटिव्स को उचित मूल्य (एमटीएम) पर पहचाना और मापा जाता है। जिम्मेदार लेन–देन लागतों को लागत के रूप में लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

वित्तीय परिसम्पत्ति की स्वीकृति समाप्त किया जाना

वित्तीय परिसंपत्तियों की स्वीकृति समाप्त हो जाती है जब वित्तीय परिसंपत्तियों से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाता है, या परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए संविदात्मक अधिकारों को स्थानांतरित कर देता है।

हेल लेखांकन

नकद प्रवाह बचाव संबंधों में हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित डेरिवेटिव को छोड़कर, लाभ और हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर व्युत्पन्न वित्तीय साधनों का हिसाब लगाया जाता है, जिसके लिए एक विशिष्ट लेखांकन उपचार की आवश्यकता होती है। हेज अकाउंटिंग के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, हेजिंग संबंध को निम्नलिखित सभी अपेक्षाओं को पूरा करना होगाः

- हेज की गई मद और हेज के साधन के बीच एक आर्थिक संबंध है
- क्रेडिट जोखिम का प्रभाव उस आर्थिक संबंध के परिणामस्वरूप होने वाले मूल्य परिवर्तनों पर हावी नहीं होता है
- हेजिंग संबंध का बचाव अनुपात वही है जो उस हेज की गई वस्तु की मात्रा से उत्पन्न होता है जिसे प्रतिष्ठान वास्तव में हेज करता है और हेजिंग लिखत की मात्रा जिसे प्रतिष्ठान वास्तव में हेज की गई वस्तु की मात्रा को हेज करने के लिए उपयोग करता है।

कंपनी ने नकदी प्रवाह बचाव संबंधों में ज्यादातर डेरिवेटिव अनुबंधों को हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित किया है। इन व्यवस्थाओं को विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम और ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए दर्ज किया गया है, जिसके खिलाफ विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्ग के ऋण साधन हैं।

- कैश फ्लो हेजिंग कंपनी के कैश फ्लो पोजीशन को एक्सचेंज रेट में उतार–चढ़ाव में बदलाव से बचाने और कैश फ्लो में बदलाव को फिक्स्ड लाने के लिए किया जाता है।
- कंपनी निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार हेजिंग लिखतों में प्रवेश करती है; लिखित सिद्धांत प्रदान करें जो कंपनी की जोखिम प्रबंधन रणनीति / नीतियों के अनुरूप हों।
- हेज अकाउंटिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी व्युत्पन्न वित्तीय साधनों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और बाद में बैलेंस शीट में उचित मूल्य पर रिपोर्ट की जाती है।
- हेज उपकरणों को अनुबंध की शुरुआत में हेजेज के रूप में नामित और प्रलेखित किया जाता है। बचाव उपकरणों की प्रभावशीलता का आकलन और मूल्यांकन स्थापना के समय और निरंतर आधार पर किया जाता है। संबंधित बैंकों द्वारा प्रदान किए गए एमटीएम मूल्यांकन के आधार पर मूल्यांकन किए गए उचित मूल्य में परिवर्तन के प्रभावी हिस्से / निर्दिष्ट हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के तीसरे पक्ष के मूल्यांकन को "अन्य व्यापक आय" में "कैश फ्लो हेज रिजर्व" के रूप में मान्यता दी गई है। अप्रभावी भाग को लाभ और हानि के विवरण में जब होता है, इससे तुरंत पहचान लिया जाता है।
- जिस समय हेज की गई वस्तु लाभ या हानि को प्रभावित करती है, अन्य व्यापक आय में पहले से मान्यता प्राप्त किसी भी लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है और अन्य व्यापक आय के भीतर पुनर्वर्गीकरण समायोजन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
- यदि हेजिंग संबंध अब हेज अकाउंटिंग के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो हेज अकाउंटिंग को संभावित रूप से बंद कर दिया जाता है। यदि हेजिंग इंस्ट्रूमेंट समाप्त हो जाता है या बेचा जाता है, समाप्त हो जाता है या प्रयोग किया जाता है, तो कैश फ्लो हेज रिजर्व में मान्यता प्राप्त हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पर संचयी लाभ या हानि कैश फ्लो हेज रिजर्व में तब तक बनी रहती है जब तक कि हेज प्रभावी नहीं हो जाता। कैश फ्लो हेज रिजर्व में पहले से पहचाने गए संचयी लाभ या हानि को अंतर्निहित लेन–देन की घटना पर लाभ और हानि के विवरण में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

अक्षमता

<u>वित्तीय परिसम्पत्तियों की अक्षमता</u>

❑ ऋण परिसम्पत्तियां

कंपनी प्रारंभिक स्वीकृति के बाद से क्रेडिट गुणवत्ता में परिवर्तन के आधार पर परिशोधित लागत पर ऋण परिसंपत्ति की हानि के लिए एक 'तीन–चरण' मॉडल का अनुसरण करती है, जैसा कि नीचे संक्षेप में बताया गया है:

- चरण 1 में वे ऋण आस्तियां शामिल हैं जिनमें प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है या रिपोर्टिंग तिथि पर कम क्रेडिट जोखिम है।

- चरण 2 में वे ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं जिनकी प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है लेकिन उनमें हानि का वस्तुनिष्ठ प्रमाण नहीं है।

- चरण 3 में ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं जिनके पास रिपोर्टिंग तिथि पर हानि के वस्तुनिष्ठ साक्ष्य हैं।

अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) को चरण 1 ऋण परिसंपत्तियों के लिए 12 महीने के ईसीएल और चरण 2 और चरण 3 ऋण परिसंपत्तियों के लिए आजीवन ईसीएल पर मापा जाता है। ईसीएल डिफॉल्ट की प्राथमिकता, डिफॉल्ट पर एक्सपोजर और डिफॉल्ट को दिए गए नुकसान का उत्पाद है, जिसे निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

चूल की लाभप्रदता (पीडी) . पीडी अगले 12 महीनों (12 महीने पीडी), या दायित्व के शेष जीवनकाल (लाइफटाइम पीडी) में, अपने वित्तीय दायित्व पर एक उधारकर्ता की चूक की संभावना को दर्शाता है।

चूक के कारण हानि (एलजीडी) – एलजीडी डिफॉल्ट एक्सपोजर पर नुकसान की सीमा की कंपनी की अपेक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। एलजीडी प्रतिपक्ष के प्रकार, और दावे की वरीयता और संपार्श्विक या अन्य ऋण सहायता की उपलब्धता के अनुसार भिन्न होता है।

चूक पर एक्सपोजर (ईएडी) – ईएडी उस निर्धारण तिथि पर बकाया एक्सपोजर की राशि पर आधारित है जिस पर ईसीएल की गणना की जाती है।

ईएडी उस निर्धारण तिथि पर बकाया एक्सपोजर की राशि पर आधारित है जिस पर ईसीएल की गणना की जाती है।

❑ **ऋणों से भिन्न वित्तीय लिखतों में शामिल हैं:**

- वित्तीय संपत्तियों में नकद और नकद समकक्ष, व्यापार प्राप्तियां, बिल न किए गए राजस्व, वित्त पट्टा प्राप्य, कर्मचारी और अन्य अग्रिम शामिल हैं।

- वित्तीय देनदारियों में उधार, बैंक ओवरड्राफ्ट, व्यापार देय शामिल हैं।

ऋणों के अलावा अन्य गैर व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, जिसमें कोई भी प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लेन–देन लागत शामिल है। वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता समाप्त कर दी जाती है जब वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के पर्याप्त जोखिम और पुरस्कार हस्तांतरित किए गए हों। ऐसे मामलों में जहां वित्तीय आस्तियों के स्वामित्व के पर्याप्त जोखिम और पुरस्कार न तो हस्तांतरित किए जाते हैं और न ही बनाए रखे जाते हैं, वित्तीय आस्तियों की मान्यता तभी समाप्त की जाती है जब कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण नहीं रखा हो।

प्रारंभिक मान्यता के बाद, उन्हें नीचे निर्धारित अनुसार मापा जाता है:

क) <u>नकद और नकद समतुल्य</u>

नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजनों के लिए, नकद और नकद समकक्षों में बैंक में हाथ में नकद, बैंकों के साथ मांग जमा, नकद ऋण, सावधि जमा और विदेशी मुद्रा जमा, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट का शुद्ध शामिल है जो मांग पर चुकाने योग्य हैं और उन्हें कंपनी की नकद प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा माना जाता है। वित्तीय स्थिति के विवरण में, बैंक ओवरड्राफ्ट को उधार के तहत प्रस्तुत किया जाता है।

ख) <u>कारोबार प्राप्य</u>

कंपनी व्यापार प्राप्तियों पर हानि हानि भत्ता की मान्यता के लिए 'सरलीकृत दृष्टिकोण' का अनुसरण करती है। सरलीकृत दृष्टिकोण के आवेदन के लिए कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय, यह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, इसकी प्रारंभिक मान्यता से ही, आजीवन ईसीएल के आधार पर हानि हानि भत्ता को मान्यता देता है। कंपनी प्राप्य के व्यक्तिगत मूल्यांकन के आधार पर हानि भत्ता निर्धारित करती है, व्यापार प्राप्तियों के अपेक्षित जीवन पर ऐतिहासिक रूप से देखी गई डिफॉल्ट दरों और भविष्योन्मुखी अनुमानों के लिए समायोजित की जाती है।

ग) अन्य देय

अन्य देय राशियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, और बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर ले जाया जाता है। इन वित्तीय लिखतों के लिए, इन लिखतों की अल्पावधि परिपक्वता के कारण वहन राशि लगभग उचित मूल्य है।

(xxi) लाभांश

शेयरधारकों को देय प्रस्तावित लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें उन्हें क्रमशः निदेशक मंडल द्वारा और शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदित किया जाता है।

(xxii) उचित मूल्य मापन और प्रकटीकरण

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर डेरिवेटिव जैसे वित्तीय साधनों को मापती है। उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेन–देन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। उचित मूल्य माप इस अनुमान पर आधारित है कि परिसंपत्ति को बेचने या देयता को स्थानांतरित करने के लिए लेन–देन या तो होता है:

- परिसंपत्ति या देनदारी के लिए प्रमुख बाजार में, या
- एक प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्ति या देयता के लिए सबसे अधिक लाभप्रद बाजार में कंपनी द्वारा मूलधन या सबसे अधिक लाभप्रद बाजार तक पहुंच होनी चाहिए।

किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य को इस धारणा का उपयोग करके मापा जाता है कि बाजार सहभागियों का उपयोग परिसंपत्ति या देयता का मूल्य निर्धारण करते समय होगा, जिसमें जोखिम के बारे में धारणाएं शामिल हैं, यह मानते हुए कि बाजार सहभागियों ने अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य किया है। एक गैर–वित्तीय परिसंपत्ति का उचित मूल्य माप एक बाजार सहभागी की संपत्ति को उसके उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग में उपयोग करके या किसी अन्य बाजार सहभागी को बेचकर आर्थिक लाभ उत्पन्न करने की क्षमता को ध्यान में रखता है जो परिसंपत्ति का उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग में उपयोग करेगा।.

कंपनी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं और जिसके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध है, प्रासंगिक अवलोकन योग्य इनपुट के उपयोग को अधिकतम करने और अप्राप्य इनपुट के उपयोग को कम करने के लिए।

सभी परिसंपत्तियां और देनदारियां जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य को मापा या प्रकट किया गया है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया गया है, जो कि निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर वर्णित है, जो समग्र रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है:

- स्तर 1 समान आस्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य
- स्तर 2 मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर का इनपुट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखने योग्य है
- स्तर 3 मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर का इनपुट अवलोकनीय नहीं है।

वित्तीय विवरणों में नियमित रूप से पहचाने जाने वाले आस्तियों और देनदारियों के लिए, कंपनी यह निर्धारित करती है कि वर्गीकरण का पुनर्मूल्यांकन करके पदानुक्रम में स्तरों के बीच प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में स्थानांतरण हुआ है (निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर जो समग्र रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है)।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
स्टैंडलॉन वित्तीय विवरणों पर नोट

(xxiii) राजस्व स्वीकृति

❑ **ब्याज आय**

ब्याज आय का लेखा परिशोधन लागत पर मापी गई सभी वित्तीय परिसम्पत्तियों (सिवाय इसके कि कंपनी क्रेडिट अक्षम वित्तीय परिसम्पत्तियों पर ब्याज आय को मान्यता नहीं दे रही है) पर किया जाता है। इंड एएस 109, वित्तीय साधनों के अनुरूप प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके ब्याज आय की पहचान की जाती है। प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) वह दर है जो प्रारंभिक मान्यता पर उस परिसंपत्ति की शुद्ध वहन राशि के लिए वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवन के माध्यम से अनुमानित भविष्य की नकद प्राप्तियों को सटीक रूप से छूट देती है। ईआईआर की गणना लेन–देन लागतों और शुल्कों को ध्यान में रखते हुए की जाती है जो इंड एएस 109 के अनुरूप ईआईआर का एक अभिन्न अंग हैं। क्रेडिट अक्षम संपत्ति पर ब्याज आय प्राप्ति के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

उधारकर्ताओं द्वारा ब्याज के समय पर भुगतान के कारण छूट को संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार, समय पर देय संपूर्ण ब्याज राशि प्राप्त होने पर मान्यता दी जाती है और संबंधित ब्याज आय के सापेक्ष निवल किया जाता है।

ऋण बाधित आस्तियों से वसूल की गई राशियों का विनियोजन निम्नलिखित तरीके से किया जाता है:

1. अनुषंगी प्रभार
2. ब्याज
3. बकाया मूलधन

❑ **अन्य राजस्व**

- राजस्व (उन मदों के अलावा जिन पर इंड एएस 109 वित्तीय लिखत लागू हैं) को इंड एएस 115 के अनुसार मान्यता प्राप्त है ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व ग्राहकों के साथ अनुबंधों से उत्पन्न होने वाले राजस्व के लिए लेखांकन के एकल व्यापक मॉडल की रूपरेखा तैयार करता है। कंपनी इंड 115 में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व की पहचान करती है।

- सौर संयंत्र से राजस्व

  सोलर प्लांट से होने वाली आय को तब पहचाना जाता है जब समय के साथ निष्पादन दायित्व पूरा हो जाता है।

- शुल्कों और आयोग से राजस्व

  शुल्क और कमीशन को समय के आधार पर मान्यता दी जाती है जब ऐसा शुल्क एकत्र करने की संभावना स्थापित हो जाती है।

(xxiv) व्यय

खर्चों का हिसाब प्रोद्भवन के आधार पर लेखांकित किया जाता है। 50000 रुपए तक के पूर्वदत्त व्ययों को जब कभी किया / समायोजित / प्राप्त किया जाता है, लाभ हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है

टिप्पणी 2: नकद और नकद समतुल्य (लाख रुपए में)

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
I, नकद और नकद समतुल्य		
(क) हस्तगत नकद	-	-
(ख) बैंकों में शेष :-		
(क) बैंकों में चालू खाता		
- भारतीय शाखाओं में	21,891.28	50,865.90
- विदेशी शाखाओं में		
(i) अमरीकी डॉलर में	9.95	2,585.08
(ख) जमा खाता (मूल परिपक्वता 3 महीने से कम)		
अल्पावधिक जमा	-	45,374.52
(ग) बचत बैंक खाता		
- भारतीय शाखाओं में	200.33	10.19
(ग) वसूली के तहत हस्तगत चेक/डीडी और डाक अग्रदाय	0.27	0.35
कुल (क+ख+ग)	**22,101.83**	**98,836.04**

ऊपर प्रस्तुत रिपोर्टिंग अवधियों के अंत में नकद और नकद समतुल्यों के संबंध में कोई प्रत्यावर्तन प्रतिबंध नहीं हैं।

टिप्पणी 3: नकद और नकद समतुल्यों में शामिल के अलावा अन्य बैंक शेष

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
क. बैंकों के पास चिह्नित शेष		
क) चालू खाते में		
- एमएनआरई	2.15	2.15
- एमएनआरई भारत सरकार के पूर्ण सर्विस बॉण्ड (देखें टिप्पणी 38(33)	353.11	358.26
- इरेडा (बॉण्डों पर ब्याज)	134.73	47.58
- इरेडा लाभांश खाता	0.10	0.10
- एमएनआरई सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम का कार्यान्वयन (एसडब्ल्यूएचएस)	-	357.95
उप–योग (क)	**490.10**	**766.04**
ख) बचत खाते में		
- एमएनआरई एमएनआरई यूएनडीपी खाता	54.95	56.07
- एमएनआरई राष्ट्रीय हाईड्रोजन ऊर्जा बोर्ड	0.06	0.06
- इरेडा एमएनआरई उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) निधि (देखें टिप्पणी 38(32)	685.38	1,500.70
- एमएनआरई रूफटॉप और अन्य छोटे सौर ऊर्जा संयंत्र	762.35	10,955.34

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
स्टैंडलॉन वित्तीय विवरणों पर नोट

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
- एमएनआरई चैनल भागीदारों के लिए पूंजी सब्सिडी (देखें 38(32)	0.00	5,794.61
- इरेडा स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ)	8,472.94	4,078.16
- एमएनआरई – राज्यों का नवीकरणीय ऊर्जा संघ (एआरईएएस)	0.01	0.01
- एमएनआरई – अमरीका–भारत स्वच्छ ऊर्जा वित्त सुविधा (यूनीसेफ) योजना	95.26	765.59
उप–योग (ख)	**10,070.96**	**23,150.55**
ग) जमा खाते में (भारतीय रुपए)		
- इरेडा [1]	38.48	36.44
- एमएनआरई	17.25	17.25
- एमएनआरई सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम का कार्यान्वयन (एसडब्ल्यूएचएस)	369.86	-
- एमएनआरई – राष्ट्रीय हाईड्रोजन ऊर्जा बोर्ड	6.20	5.74
- एमएनआरई – इरेडा सह उत्पादन	37.14	35.31
- इरेडा स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ)	22,597.19	23,382.05
- एमएनआरई भारत सरकार के पूर्ण सर्विस बॉण्ड (देखें टिप्पणी 38(33)	861.39	855.29
- एमएनआरई एमएनआरई रूफटॉप और अन्य छोटे सौर ऊर्जा संयंत्र)	2,000.00	-
उप–योग (ग)	25,927.51	24,332.06
घ) जमा खाते में (विदेशी मुद्रा)		
- डॉलर जमा (एडीबी) [2]	1,740.73	5,215.30
उप–योग (घ)	**1,740.73**	**5,215.30**
उप–योग (क)=(क+ख+ग+घ)	**38,229.29**	**53,463.95**
ख. जमा खाता (मूल रूप से 3 महीने से अधिक परिपक्वता)		
- भारतीय रुपए में आवधिक जमा	-	5,271.76
उप–योग (ख)	**-**	**5,271.76**
कुल (क+ख)	**38,229.29**	**58,735.71**

कंपनी भारत सरकार की कुछ योजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। योजना के तहत विभिन्न एजेंसियों को संवितरण के लिए प्राप्त धन को एक अलग बैंक खाते में रखा जाता है। योजना के लिए असंवितरित निधि (उस पर ब्याज सहित, यदि कोई हो) योजना की निर्दिष्ट निधि के रूप में प्रस्तुत की जाती है। देखें टिप्पणी 38 (31).

---

[1] 38.48 लाख रुपये (पिछले वर्ष 36.44 लाख रुपये) की राशि एफडीआर के रूप में रखी गई, जिसमें माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित सिविल विविध रिट याचिका संख्या 28928 2009 में पारित आदेश दिनांक 31.07.2009 के अनुसार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, खन्ना मार्केट, लोधी रोड, नई दिल्ली के पास दो बॉन्ड धारकों अर्थात मेसर्स द बंगाल क्लब लिमिटेड और सुश्री माया एम. चुलानी को भुगतान के लिए ब्याज शामिल है।

[2] कंपनी ने बैंक ऑफ बड़ौदा से डॉलर जमा के बदले ऋण लिया है (जो टिप्पणी 20 के तहत दर्शाया गया है)।

टिप्पणी 4 : डेरिवेटिव वित्तीय लिखत

कंपनी विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम की हेजिंग के लिए डेरिवेटिव अनुबंध करती है। देनदारियों को हेज करने के लिए डेरिवेटिव लेन–देन में फॉरवर्ड, ब्याज दर स्वैप, क्रॉस करेंसी स्वैप आदि शामिल हैं। ये डेरिवेटिव लेन–देन हेजिंग उद्देश्य के लिए किए जाते हैं न कि ट्रेडिंग या सट्टा उद्देश्य के लिए।

विवरण	31 मार्च, 2021 को			31 मार्च, 2020 को		
भाग I	**सांकेतिक राशियां**	**उचित मूल्य – परिसम्पत्तियां**	**उचित मूल्य – देनदारियां**	**सांकेतिक राशियां**	**उचित मूल्य – परिसम्पत्तियां**	**उचित मूल्य – देनदारियां**
(i) करंसी डेरिवेटिव:-						
मूलधन केवल स्वैप	768,787.29	39,117.62	9,137.96	766,757.90	66,990.78	6,788.00
विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध	-	-	-	-	-	-
उप–योग कुल (i)	**768,787.29**	**39,117.62**	**9,137.96**	**766,757.90**	**66,990.78**	**6,788.00**
(ii) बयाज दर डेरिवेटिव :-						
क्रॉस करंसी ब्याज दर स्वैप	53,075.64	1,191.39	45.20	73,776.35	4,265.21	-
उप–योग (ii)	**53,075.64**	**1,191.39**	**45.20**	**73,776.35**	**4,265.21**	**-**
डेरिवेटिव वित्तीय लिखत (i+ii)	**821,862.93**	**40,309.01**	**9,183.16**	**840,534.25**	**71,255.99**	**6,788.00**
भाग I	**31 मार्च, 2021 को**			**31 मार्च, 2020 को**		
	सांकेतिक राशियां	**उचित मूल्य – परिसम्पत्तियां**	**उचित मूल्य – देनदारियां**	**सांकेतिक राशियां**	**उचित मूल्य – परिसम्पत्तियां**	**उचित मूल्य – देनदारियां**
उपरोक्त में शामिल (भाग I) हेजिंग और जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए धारित डेरिवेटिव हैं जो निम्नानुसार हैं:-						
(i) नकद प्रवाह हेजिंग:-						
करंसी डेरिवेटिव	741,731.33	37,700.50	9,137.96	702,287.06	60,797.70	6,788.00
ब्याज दर डेरिवेटिव	53,075.64	1,191.39	45.20	73,776.35	4,265.21	-
उप–योग (i)	**794,806.97**	**38,891.89**	**9,183.16**	**776,063.41**	**65,062.91**	**6,788.00**
(ii) अनिर्दिष्ट डेरिवेटिव:–						
करंसी डेरिवेटिव	27,055.96	1,417.12	-	64,470.84	6,193.08	-
ब्याज दर डेरिवेटिव	-	-	-	-	-	-
उप–योग (ii)	**27,055.96**	**1,417.12**	**-**	**64,470.84**	**6,193.08**	**-**
कुल डेरिवेटिव वित्तीय लिखत (i) + (ii)	**821,862.93**	**40,309.01**	**9,183.16**	**840,534.25**	**71,255.99**	6,788.00

जोखिम एक्सपोजर के लिए देखें टिप्पणी संख्या 38 (38)

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
स्टैंडलॉन वित्तीय विवरणों पर नोट

टिप्पणी 5 : प्राप्य

कारोबार प्राप्य

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
क कारोबार प्राप्य		
(क) शोध्य माने गए प्राप्य – प्रत्याभूत	-	-
(ख) शोध्य माने गए प्राप्य – अप्रत्याभूत	297.66	312.98
(ग) वे प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-
(घ) क्रेडिट अक्षम प्राप्य	-	-
उप–योग (क)	297.66	312.98
अक्षमता हानि के लिए भत्ता (ख)	-	-
कुल (क+ख)	**297.66**	**312.98**

टिप्पणी 6: ऋण

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को परिशोधित लागत पर	31 मार्च, 2020 को परिशोधित लागत पर
क) ऋण		
आवधिक ऋण	2,785,392.12	2,354,784.13
फ्रंट एंड शुल्क समायोजन	-7,462.93	-5,575.09
परिशोधित लागत पर सकल ऋण	**2,777,929.18**	**2,349,209.04**
एमएनआरई के घटकों को ऋण		
एमएनआरई के घटकों को ऋण	254.77	254.77
एमएनआरई ऋणों पर उपचित ब्याज और देय	664.69	664.69
कर्मचारियों को ऋण	261.37	301.47
संबंधित पक्षकारों को ऋण	3.21	11.09
ऋणों पर उपचित और देय ब्याज	3,620.26	19,681.55
उपचित निर्णीत हर्जाने और देय	35.78	61.05
ऋणों पर उपचित किंतु अदेय ब्याज	1,257.86	1,240.84
संबंधित पक्षकार के ऋणों पर उपचित किंतु अदेय ब्याज	8.74	10.74
कुल (क) – सकल	**2,784,035.87**	**2,371,435.24**
घटाएं: अक्षमता हानि भत्ता	93,471.56	73,666.55
कुल (क) – निवल	**2,690,564.31**	**2,297,768.68**
(ख) उपर्युक्त का उप–वर्गीकरण:		
प्रतिभूति–वार वर्गीकरण		
(i) अमूर्त परिसम्पत्तियों द्वारा प्रत्याभूत		
आवधिक ऋण	2,437,369.42	2,062,536.52
कर्मचारियों को ऋण	261.37	301.47

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
स्टैंडलॉन वित्तीय विवरणों पर नोट

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को परिशोधित लागत पर	31 मार्च, 2020 को परिशोधित लागत पर
कर्मचारियों को ऋण	3.21	11.09
ऋणों पर उपचित और देय ब्याज	3,620.26	19,681.55
उपचित निर्णीत हर्जाने और देय	35.78	61.05
ऋणों पर उपचित किंतु अदेय ब्याज	1,257.86	1,240.84
संबंधित पक्षकार के ऋणों पर उपचित किंतु अदेय ब्याज	8.74	10.74
एमएनआरई के घटकों को ऋण		
एमएनआरई के घटकों को ऋण	254.77	254.77
एमएनआरई ऋणों पर उपचित ब्याज और देय	664.69	664.69
(ii) अमूर्त परिसम्पत्तियों द्वारा प्रत्याभूत	-	-
(iii) बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा कवर		
बैंक गारंटी द्वारा प्रत्याभूत आवधिक ऋण	14,516.95	-
(iv) अप्रत्याभूत		
आवधिक ऋण	326,042.81	286,672.52
कुल (ख) – सकल	**2,784,035.87**	**2,371,435.24**
घटाएं: अक्षमता हानि भत्ता	93,471.56	73,666.55
कुल (ख) – निवल	**2,690,564.31**	**2,297,768.68**
(ग) (I) भारत में ऋण		
(i) सार्वजनिक क्षेत्र	692,445.66	428,484.42
(ii) अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाना है)	2,091,590.21	1,942,950.82
कुल (ग) (I) सकल	**2,784,035.87**	**2,371,435.24**
घटाएं: अक्षमता हानि भत्ता	93,471.56	73,666.55
कुल (ग) (I) – निवल	**2,690,564.31**	**2,297,768.68**
(ग) (II) भारत के बाहर ऋण	-	-
घटाएं: अक्षमता हानि भत्ता	-	-
कुल (ग) (II)- निवल	-	-
कुल ग (I) और ग (II)	**2,690,564.31**	**2,297,768.68**

31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने उधारकर्ताओं को पत्र भेजे हैं, ऐसे मामलों में जहां ऋण वापस ले लिया गया है या अदालत/एनसीएलटी के समक्ष लंबित है, जिसमें उधारकर्ताओं को 31.03.2021 तक शेष राशि की पुष्टि करने की मांग की गई है। उक्त शेष राशि के 9.62 प्रतिशत की पुष्टि प्राप्त हो चुकी है। शेष ऋण परिसंपत्तियों में से रु. 2,517,507.77 लाख जिनके लिए शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है, 78.05 प्रतिशत ऋण मूर्त प्रतिभूतियों द्वारा प्रत्याभूत हैं, 21.93 प्रतिशत सरकारी गारंटी/सरकार को ऋण के रूप में और 0.02 प्रतिशत अप्रत्याभूत ऋण हैं।

क्रेडिट जोखिम पर प्रकटीकरण के लिए, टिप्पणी 38 (38) देखें।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
स्टैंडलॉन वित्तीय विवरणों पर नोट

टिप्पणी 7 : निवेश

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को लागत*	31 मार्च, 2020 को लागत*
निवेश		
(क) सहयोगी कम्पनी में निवेश		
एमपी विंड फार्म्स लिमिटेड में निवेश (24 प्रतिशत इक्विटी सहित)#	12.00	12.00
10 रुपए प्रत्येक के 168,000 इक्विटी शेयर (बोनस शेयरों के रुपए में आवंटित 10 रुपए प्रत्येक के 48,000 इक्विटी शेयरों सहित) (गत वर्षः 10 रुपए प्रत्येक के 168,000 इक्विटी शेयर (बोनस शेयरों के रुपए में आवंटित 10 रुपए प्रत्येक के 48,000 इक्विटी शेयरों सहित))		
कुल – सकल (क)	**12.00**	**12.00**
(ख) उपर्युक्त का उप–वर्गीकरण :		
(i) भारत से बाहर निवेश	**-**	**-**
(ii) भारत में निवेश	**12.00**	**12.00**
कुल (ख)	**12.00**	**12.00**
घटाएं: अक्षमता हानि के लिए भत्ता (ग)	-	-
कुल – निवल (घ) = (क)+(ग)	**12.00**	**12.00**

(देखें टिप्पणी संख्या 38(20))

(सहयोगी कम्पनी में निवेश को इंड एएस 28 के अनुसार लागत पर मापा गया है

टिप्पणी 8 : अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को परिशोधित लागत पर	31 मार्च, 2021 को परिशोधित लागत पर
प्रतिभूति जमा राशियां	80.84	45.21
कर्मचारियों को अग्रिम	31.79	36.41
संबंधित पक्षकारों को अग्रिम	-	1.90
अन्य प्राप्यः–		
एफडीआर – कर्जदार	1,922.57	1,927.72
वाणिज्यिक पत्र	6,899.11	6,899.11
घटाएं: अक्षमता हानि भत्ता	-6,899.11	-6,899.11
अन्य	243.56	475.20
कुल	**2,278.75**	**2,486.44**

टिप्पणी 9: चालू कर परिसम्पत्तियां (निवल)

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
जमा किया गया आयकर – पिछले वर्षों में	1,24,635.79	1,07,300.28
घटाएं: कर के लिए प्रावधान – पिछले वर्षों में	1,06,789.39	92,389.39
निवल कर परिसम्पत्तियां/(देनदारियां) – पिछले वर्षों में	**17,846.40**	**14,910.89**
अग्रिम आयकर और टीडीएस – चालू वर्ष	13,899.62	15,995.51
घटाएं: कर के लिए प्रावधान – चालू वर्ष	20,900.00	14,400.00
निवल कर परिसम्पत्तियां/(देनदारियां) – चालू वर्ष	**-7,000.38**	**1,595.51**
कुल	**10,846.02**	**16,506.40**

टिप्पणी 10: आस्थगित कर परिसम्पत्तियां/देनदारियां (निवल)

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
लाभ और हानि खंड		
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां		
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	132.31	102.05
ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	0.00	0.08
चिकित्सा सेवानिवृत्ति के लिए प्रावधान	214.64	160.82
बीमारी छुट्टी के लिए प्रावधान	95.53	87.38
बैगेज भत्ते के लिए प्रावधान	4.51	3.69
निष्पादन प्रोत्साहन राशि के लिए प्रावधान	230.87	281.40
अक्षमता के लिए प्रावधान	35,803.60	28,313.22
फ्रंट एंड शुल्क – बहियों में आस्थगित	328.68	367.83
उप–योग	**36,810.14**	**29,316.47**
आस्थगित कर देनदारियां		
मूल्यह्रास	5,197.09	5,047.92
विदेशी मुद्रा हानि परिवर्तन भिन्नता	10,457.34	9,951.61
बंधपत्र	91.99	104.55
उप–योग	**15,746.42**	**15,104.07**
कुल (क)	**21,063.72**	**14,212.40**
ओसीआई खंड		
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां		
ग्रेच्युटी पर बीमांकिक हानि	-0.00	13.57

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
स्टैंडलॉन वित्तीय विवरणों पर नोट

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ पर बीमांकिक हानि	35.58	37.87
बैगेज भत्ते पर बीमांकिक हानि	-0.08	0.26
उप–योग	**35.49**	**51.70**
कुल (ख)	**35.49**	**51.70**
निवल आस्थगित कर परिसम्पत्तियां/देनदारियां (क+ख)	**21,099.21**	**14,264.10**

टिप्पणी 11: निवेश सम्पत्ति

(लाख रुपए में)

Particulars		निवेश सम्पत्ति (भवन – आवासीय)
सकल ब्लॉक		
01 अप्रैल, 2019 को शेष		8.75
संवर्धन		-
घटाएं: निपटान/बिक्री/अंतरण		-
31 मार्च, 2020 को शेष		**8.75**
संवर्धन		-
घटाएं: निपटान/बिक्री/अंतरण		-
31 मार्च, 2021 को शेष		**8.75**
संचित मूल्यह्रास		
31 मार्च, 2019 को शेष		**2.65**
परिशोधन व्यय		1.01
घटाएं: निपटान/बिक्री/अंतरण पर हटाई गई राशि		-
31 मार्च, 2020 को शेष		**3.66**
मूल्यह्रास व्यय		0.84
घटाएं: निपटान/बिक्री/अंतरण पर हटाई गई राशि		-
31 मार्च, 2021 को शेष		**4.50**
वाहित राशि		
31 मार्च, 2020 को		**5.09**
31 मार्च, 2021 को		**4.25**

देखें टिप्पणी 38(19).

टिप्पणी 12: संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर *

(लाख रुपए में)

विवरण	भवन				संयंत्र और मशीनरी		वाहन	फर्नीचर और फिक्सचर	कार्यालय उपस्कर	लाइब्रेरी	कुल
	लीजहोल्ड– आईएचसी**	लीजहोल्ड – एकेबी**	चेन्नई में कार्यालय स्थल	सौर संयंत्र	सौर संयंत्र	कम्प्यूटर					
सकल ब्लॉक											
01 अप्रैल, 2018 को शेष	**172.34**	**2,110.10**	**129.93**	**2,181.53**	**28,636.54**	**103.35**	**39.25**	**80.44**	**28.47**	**-**	**33,481.96**
वर्ष के दौरान संवर्धन	-	-	-	57.95	754.76	390.59	16.65	8.33	3.86	-	1,232.14
घटाएं : वर्ष के दौरान निपटान/बिक्री/ ट्रांसफर	-	-	-	-	-	1.73	-	0.28	0.77	-	2.77
01 अप्रैल, 2019 को शेष	**172.34**	**2,110.10**	**129.93**	**2,239.49**	**29,391.30**	**492.21**	**55.89**	**88.49**	**31.56**	**-**	**34,711.32**
वर्ष के दौरान संवर्धन	-	-	-	-	-	6.05	-	5.91	4.49	-	16.45
समायोजन/पुनःवर्गीकरण	-172.34	-2,110.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,282.45
घटाएं: निपटान/बिक्री/अंतरण वर्ष के दौरान	-	-	-	-	-	5.48	-	2.35	3.17	-	10.99
01 अप्रैल, 2020 को शेष	**0.00**	**-0.00**	**129.93**	**2,239.49**	**29,391.30**	**492.78**	**55.89**	**92.05**	**32.89**	**-**	**32,434.33**
वर्ष के दौरान संवर्धन	-	-	-	-	-	152.99	-	5.59	35.52	0.02	194.12
समायोजन/पुनःवर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घटाएं: निपटान/बिक्री/अंतरण वर्ष के दौरान	-	-	-	-	-	73.42	-	4.71	2.50	-	80.64
01 अप्रैल, 2021 को शेष	**0.00**	**-0.00**	**129.93**	**2,239.49**	**29,391.30**	**572.34**	**55.89**	**92.93**	**65.91**	**0.02**	**32,547.81**
संचित मूल्यह्रास											
31 मार्च, 2019 को शेष	**38.73**	**431.12**	**23.51**	**260.77**	**3,396.11**	**217.14**	**25.23**	**39.15**	**10.11**	**-**	**4,441.87**
समायोजन/पुनःवर्गीकरण	-38.73	-431.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-469.85
मूल्यह्रास व्यय	-	-	10.11	132.77	1,729.11	106.52	9.50	10.45	4.02	-	2,002.49
घटाएं: निपटान/बिक्री/अंतरण पर विलोपन	-	-	-	-	-	4.67	-	1.48	2.42	-	8.57
31 मार्च, 2020 को शेष	**-**	**-**	**33.62**	**393.53**	**5,125.23**	**318.99**	**34.73**	**48.12**	**11.71**	**-**	**5,965.93**

(लाख रुपए में)

विवरण	भवन				संयंत्र और मशीनरी		वाहन	फर्नीचर और फिक्सचर	कार्यालय उपस्कर	लाइब्रेरी	कुल
	लीजहोल्ड– आईएचसी**	लीजहोल्ड – एकेबी**	चेन्नई में कार्यालय स्थल	सौर संयंत्र	सौर संयंत्र	कम्प्यूटर					
समायोजन/ पुनः वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मूल्यह्रास व्यय	-	-	9.15	132.77	1,729.11	127.22	6.49	8.99	6.54	0.02	2,020.29
घटाएं: निपटान/बिक्री/अंतरण पर विलोपन	-	-	-	-	-	69.27	-	4.47	2.31	-	76.04
31 मार्च, 2021 को शेष वाहित राशि	**-**	**-**	**42.77**	**526.30**	**6,854.34**	**376.94**	**41.22**	**52.64**	**15.94**	**0.02**	**7,910.18**
31 मार्च, 2020 को	**0.00**	**-0.00**	**96.31**	**1,845.95**	**24,266.07**	**173.79**	**21.17**	**43.94**	**21.18**	**-**	**26,468.39**
31 मार्च, 2021 को	**0.00**	**-0.00**	**87.16**	**1,713.18**	**22,536.96**	**195.40**	**14.68**	**40.29**	**49.96**	**-**	**24,637.63**

*इंड एएस में परिवर्तन की तारीख के अनुसार कंपनी ने पिछले जीएएपी के अनुसार मापी गई अपने पीपीई के लिए वाहित मूल्यों के साथ जारी रहने का विकल्प चुना है।

**इड एएस 115 के पैरा ग11 के अनुसार, जिन पट्टों को इंड एएस17 लागू करते हुए वित्तीय पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया था उनके मामले में, प्रारंभिक आवेदन की तारीख को पट्टा देनदारी और प्रयोगाधिकार परिसम्पत्ति की वाहित राशि, इंड एएस को लागू करते हुए मापी गई तारीख से तुरंत पहले की पट्टा परिसम्पत्ति और पट्टा देनदारी की वाहित राशि होगी। इस प्रकार, इंडिया हेबीटेट सेंटर (आईएचसी) और अगस्त क्रांति भवन (एकेबी) स्थित लीजहोल्ड सम्पत्ति के मामले में पट्टा परिसम्पत्ति की वाहित राशि के मामले में, कम्पनी ने इंड एएस 116 के अनुसार प्रयोगाधिकार परिसम्पत्ति के रूप में इसी राशि का आगे वहन किया है। देखें टिप्पणी 38(12)।

टिप्पणी 13: पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी)

(लाख रुपए में)

विवरण	राशि
पूंजीगत कार्य प्रगति पर – भवन	
31 मार्च, 2019 को शेष	0.86
वर्ष के दौरान संवर्धन	-
पूंजीगत की गई उधार लागत	-
घटाएं: सम्पत्ति संयंत्र और उपस्कर/निवेश सम्पत्ति में अंतरण	-
31 मार्च, 2020 को शेष	**0.86**
वर्ष के दौरान संवर्धन	-
पूंजीगत की गई उधार लागत	-
घटाएं: सम्पत्ति संयंत्र और उपस्कर/निवेश सम्पत्ति में अंतरण	-
31 मार्च, 2021 को शेष	**0.86**

टिप्पणी 14: प्रयोगाधिकार परिसम्पत्ति

(लाख रुपए में)

विवरण	राशि					
	भवन				भूमि	कुल
प्रयोगाधिकार परिसम्पत्ति	आरआईएनएल कार्यालय	लीजहोल्ड – आईएचसी	लीजहोल्ड – एकेबी	मुंबई कार्यालय	सौर संयंत्र – केरल	
31 मार्च, 2019 को शेष	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान संवर्धन	173.27	-	-	-	-	173.27
समायोजन/पुनःवर्गीकरण	-	172.34	2,110.10	-	-	2,282.45
31 मार्च, 2020 को शेष	**173.27**	**172.34**	**2,110.10**	**-**	**-**	**2,455.71**
वर्ष के दौरान संवर्धन	-	-	-	109.27	433.34	542.61
समायोजन/पुनःवर्गीकरण	-173.27	-	-	-	-	-173.27
31 मार्च, 2021 को शेष	**-**	**172.34**	**2,110.10**	**109.27**	**433.34**	**2,825.06**
संचित मूल्यह्रास						
01 अप्रैल, 2019 को शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
समायोजन/पुनःवर्गीकरण	-	38.73	431.12	-	-	469.85
मूल्यह्रास व्यय	74.26	15.71	181.30	-	-	271.27
01 अप्रैल, 2020 को शेष	**74.26**	**54.44**	**612.42**	**-**	**-**	**741.12**
मूल्यह्रास व्यय	43.32	13.71	161.72	11.84	9.08	239.67
समायोजन/पुनःवर्गीकरण	-117.57	-	-	-	-	-117.57
31 मार्च, 2021 को शेष	**-**	**68.15**	**774.14**	**11.84**	**9.08**	**863.22**
वाहित राशि						
31 मार्च, 2020 को	**99.01**	**117.90**	**1,497.68**	**-**	**-**	**1,714.60**
31 मार्च, 2021 को	**-**	**104.19**	**1,335.96**	**97.43**	**424.26**	**1,961.84**

देखें टिप्पणी 38(12)

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
स्टैंडलॉन वित्तीय विवरणों पर नोट

टिप्पणी 15: विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियां

(लाख रुपए में)

विवरण	विकासाधीन सोफ्टवेयर
01 अप्रैल, 2019 को शेष	**-**
वर्ष के दौरान संवर्धन	-
घटाएं: अमूर्त परिसम्पत्तियों में अंतरण	-
31 मार्च, 2020 को शेष	**-**
वर्ष के दौरान संवर्धन	-
घटाएं: अमूर्त परिसम्पत्तियों में अंतरण	-
31 मार्च, 2021 को शेष	**-**

टिप्पणी 16 : अमूर्त परिसम्पत्तियां

(लाख रुपए में)

विवरण	कम्प्यूटर सोफ्टवेयर
सकल ब्लॉक	
01 अप्रैल, 2019 को शेष	**41.84**
वर्ष के दौरान संवर्धन	1.33
घटाएं: निपटान/बिक्री/अंतरण	-
31 मार्च, 2020 को शेष	**43.18**
अवधि के दौरान संवर्धन	0.82
घटाएं: निपटान/बिक्री/अंतरण	-
31 मार्च, 2021 को शेष	**43.99**
संचित मूल्यह्रास	
01 अप्रैल, 2019 को शेष	**20.35**
परिशोधन व्यय	6.44
घटाएं: निपटान/बिक्री/अंतरण पर हटाई गई राशि	-
31 मार्च, 2020 को शेष	**26.79**
परिशोधन व्यय	6.60
घटाएं: निपटान/बिक्री/अंतरण पर हटाई गई राशि	-
31 मार्च, 2021 को शेष	**33.39**
वाहित राशि	
31 मार्च, 2020 को	**16.39**
31 मार्च, 2021 को	**10.61**

टिप्पणी 17: अन्य गैर वित्तीय परिसम्पत्तियां

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम (एनबीसीसी परिसर में पार्किंग सहित कार्यालय और आवास परिसर की खरीद के लिए)।	12,663.03	12,647.83
भारत सरकार के पूर्ण सर्विसड बॉण्ड का प्राप्य धन (देखें टिप्पणी 38(33))	1,63,879.20	1,63,879.20
	248.82	204.81
अन्य अग्रिम	153.32	76.66
कुल	**1,76,944.37**	**1,76,808.49**

टिप्पणी 18: देय

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
कारोबार प्राप्य		
(i) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	43.12	45.09
(ii) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों से भिन्न क्रेडिटरों की कुल बकाया देयताएं	7,972.49	6,535.05
कुल	**8,015.61**	**6,580.14**

टिप्पणी 19: ऋण प्रतिभूतियां

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
	परिशोधित लागत पर	परिशोधित लागत पर
बॉण्ड:-		
(I) करमुक्त बॉण्ड – गैर परिवर्तनीय रिडीमेबल डिबेंचर (प्रत्याभूत)		
(कंपनी के ऋण और अग्रिम (बही ऋण) पर समरूप प्रभार द्वारा प्रत्याभूत।)		
(i) 8.16% कर मुक्त बंधपत्र	7,575.90	7,575.90
(श्रृंखला XIII भाग-I-IA- 2013-14)(प्रतिदेयता 13.03.2024)		
(ii) 8.41% करमुक्त बॉण्ड	10,529.14	10,529.14
(श्रृंखला XIII भाग-I-IB- 2013-14) (प्रतिदेयता 13.03.2024)		
(iii) 7.17% करमुक्त बॉण्ड	28,400.00	28,400.00
(श्रृंखला XIV निजी IC- 2015-16) (प्रतिदेयता 01.10.2025)		
(iv) 7.28 % करमुक्त बॉण्ड	10,889.06	10,889.06
(श्रृंखला XIV भाग-I-IA- 2015-16) (प्रतिदेयता 21.01.2026)		

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
स्टैंडलॉन वित्तीय विवरणों पर नोट

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को परिशोधित लागत पर	31 मार्च, 2020 को परिशोधित लागत पर
(v) 7.53 % करमुक्त बॉण्ड	12,788.59	12,788.59
(श्रृंखला XIV भाग-I-IB- 2015-16) (प्रतिदेयता 21.01.2026)		
(vi) 8.55% करमुक्त बॉण्ड	12,307.69	12,307.69
(श्रृंखला XIII भाग-I-IIA- 2013-14) (प्रतिदेयता 13.03.2029)		
(vii) 8.80% करमुक्त बॉण्ड	23,455.08	23,455.08
(श्रृंखला XIII भाग-I-IIB- 2013-14) (प्रतिदेयता 13.03.2029)		
(viii) 8.56% करमुक्त बॉण्ड	3,600.00	3,600.00
(श्रृंखला XIII भाग-I-IC- 2013-14) (प्रतिदेयता 27.03.2029)		
(ix) 7.49 % करमुक्त बॉण्ड	88,426.52	88,426.52
(श्रृंखला XIV भाग-I-IIA- 2015-16) (प्रतिदेयता 21.01.2031)		
(x) 7.74 % करमुक्त बॉण्ड	48,351.53	48,351.53
(श्रृंखला XIV भाग-I-IIB- 2015-16) (प्रतिदेयता 21.01.2031)		
(xi) 8.55% करमुक्त बॉण्ड	3,881.23	3,881.23
(श्रृंखला XIII भाग-I-IIIA- 2013-14) (प्रतिदेयता 21.01.2034)		
(xii) 8.80% करमुक्त बॉण्ड	14,416.42	14,416.42
(श्रृंखला XIII भाग-I-IIIB- 2013-14) (प्रतिदेयता 21.01.2034)		
(xiii) 7.43 % करमुक्त बॉण्ड	3,644.42	3,644.42
(श्रृंखला XIV भाग-I-IIIA- 2015-16) (प्रतिदेयता 21.01.2036)		
(xiv) 7.68 % करमुक्त बॉण्ड	7,499.88	7,499.88
(श्रृंखला XIV भाग-I-IIIB- 2015-16) (प्रतिदेयता 21.01.2036)		
उप–योग (क)	**2,75,765.46**	**2,75,765.46**
(II) कर योग्य बॉण्ड – गैर परिवर्तनीय रिडीमेबल डिबेंचर (प्रत्याभूत)		
(कंपनी के ऋणों और अग्रिमों (बही ऋण) पर नकारात्मक लीयन द्वारा प्रत्याभूत।)		
(i) 8.87% कर योग्य बॉण्ड	-	15,000.00
(श्रृंखला III- 2010-11 - भाग-I) (प्रतिदेयता 24.09.2020)		
(ii) 9.49% कर योग्य बॉण्ड	30,000.00	30,000.00
(श्रृंखला IV- 2012-13) (प्रतिदेयता 04.06.2022)		
(iii) 8.44% कर योग्य बॉण्ड	30,000.00	30,000.00
(श्रृंखला VA- 2013-14) (प्रतिदेयता 10.05.2023)		
(iv) 9.02% कर योग्य बॉण्ड	25,000.00	25,000.00
(श्रृंखला III- 2010-11 - भाग II) (प्रतिदेयता 24.09.2025)		
(v) 8.12% कर योग्य हरित बॉण्ड	20,000.00	20,000.00
(श्रृंखला VI A - 2016-17) (प्रतिदेयता 24.03.2027)		

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
स्टैंडलॉन वित्तीय विवरणों पर नोट

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
	परिशोधित लागत पर	परिशोधित लागत पर
(vi) 8.05% कर योग्य हरित बॉण्ड	50,000.00	50,000.00
(श्रृंखला VI B - 2016-17) (प्रतिदेयता 29.03.2027)		
(vii) 8.49% कर योग्य बॉण्ड	20,000.00	20,000.00
(श्रृंखला VB- 2013-14) (प्रतिदेयता 10.05.2028)		
(viii) 8.51% कर योग्य बॉण्ड	27,500.00	27,500.00
(श्रृंखला VIIA- 2018-19) (प्रतिदेयता 03.01.2029)		
घटाएं: उपर्युक्त पर संव्यवहार लागत	21.01	22.88
	27,478.99	27,477.12
(ix) 8.47% कर योग्य बॉण्ड	59,000.00	59,000.00
(श्रृंखला VIIB- 2018-19) (प्रतिदेयता 17.01.2029)		
घटाएं: उपर्युक्त पर संव्यवहार लागत	21.08	22.94
	58,978.92	58,977.06
(x) 8% कर योग्य बॉण्ड	1,00,000.00	1,00,000.00
(श्रृंखला IX A- 2019-20) (प्रतिदेयता 24.09.2029)		
घटाएं: उपर्युक्त पर संव्यवहार लागत	22.30	24.10
	99,977.70	99,975.90
(xi) 7.40% कर योग्य बॉण्ड	80,300.00	80,300.00
(श्रृंखला IX B- 2019-20) (प्रतिदेयता 03.03.2030)		
घटाएं: उपर्युक्त पर संव्यवहार लागत	42.84	46.16
	80,257.16	80,253.84
उप–योग (ख)	**4,41,692.76**	**4,56,683.92**
III) मसाला बॉण्ड (अप्रत्याभूत)		
(i) 7.125% हरित मसाला बॉण्ड	1,95,000.00	1,95,000.00
(श्रृंखला I- 2017-18) (प्रतिदेयता 10.10.2022)		
घटाएं: उपर्युक्त पर संव्यवहार लागत	432.06	690.74
	1,94,567.94	1,94,309.26
उप–योग (ग)	**1,94,567.94**	**1,94,309.26**
कुल बॉण्ड (क+ख+ग)	**9,12,026.16**	**9,26,758.64**
भारत में ऋण प्रतिभूतियां	7,17,458.22	7,32,449.38
भारत से बाहर ऋण प्रतिभूतियां	1,94,567.94	1,94,309.26
कुल	**9,12,026.16**	**9,26,758.64**

टिप्पणी:

इरेडा द्वारा जारी कर योग्य बांड में बांडों को फिर से जारी करने के लिए संबंधित बांडों के सूचना ज्ञापन में खंड होता है।

वर्ष के दौरान, कम्पनी ने 8.87% कर योग्य बॉण्ड रिडीम किए हैं। श्रृंखला III-A 2010-11 (आईएसआईएन: INE202E07054) रुपए 15,000.00 लाख के (गत वर्ष: 8.85: कर योग्य बॉण्ड. (श्रृंखला II- 2009-10) (आईएसआईएन: INE202E07047); रुपए 15,000.00 लाख के) जिसके लिए इरेडा के पास पुनः जारी करने के उद्देश्य से ऐसे बॉण्डों को सक्रिय रखने का अधिकार था।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
स्टैंडलॉन वित्तीय विवरणों पर नोट

टिप्पणी 20: उधार राशियां (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को परिशोधित लागत पर	31 मार्च, 2020 को परिशोधित लागत पर
(क) आवधिक ऋण-		
(I) बैंकों से		
क. आवधिक ऋण – प्रत्याभूत		
(i) बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) से (भारतीय रुपए में ऋण) – ऋण–I	-	961.26
(बीओबी लंदन में अमरीकी डॉलर जमा द्वारा प्रत्याभूत)		
(15.01.2003 से 15.07.2020 तक छमाही आधार पर चुकौती। 19,147,506 रुपये से रु. 96,126,342 के बीच की किश्तें।		
(ii) एशिया विकास बैंक (एडीबी) से – ऋण–।	1,784.89	5,240.73
(ऋण और अग्रिम (बही ऋण) पर समरूप प्रभार द्वारा प्रत्याभूत और आगे भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
(15.01.2003 से 15.07.2021 तक छमाही आधार पर चुकौती किश्तों में 398,900 अमेरिकी डॉलर से 2,428,269 अमेरिकी डॉलर के बीच)		
(iii) क्रेडिटांस्टाल्ट फ्यूअर वीदेरौफ्बाआ (केएफडब्ल्यू) से – ऋण-V	63,442.05	69,936.90
ऋण और अग्रिम (बही ऋण) पर समरूप प्रभार द्वारा प्रत्याभूत)		
(30-12-2018 से 30-12-2027 तक छमाही आधार पर चुकौती 5,263,000 यूरो की 16 किस्तों में और प्रत्येक 5,264,000 यूरो की 3 किस्तों में।)		
(iv) एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (एचडीएफसी) से ऋण-I	5,000.00	11,666.67
(ऋण और अग्रिम (बही ऋण) पर समरूप प्रभार द्वारा प्रत्याभूत और 100 प्रतिशत कवर सहित 90 दिन तक कम्पनी की प्राप्य राशियां)		
(28.03.2019 से तिमाही आधार पर चुकौती। प्रत्येक 16,66,66,666 रुपये की 11 किस्तों में पुनर्देय शेष)		
(v) एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (एचडीएफसी) से ऋण-II	22,500.00	-
(ऋण और अग्रिम (बही ऋण) पर समरूप प्रभार द्वारा प्रत्याभूत और 100 प्रतिशत कवर सहित 90 दिन तक कम्पनी की प्राप्य राशियां)		
(30.12.2020 से शुरू होने वाले प्रत्येक 125,000,000 रुपये की 20 समान त्रैमासिक किश्तों में चुकाने योग्य).		
(vi) एशिया विकास बैंक (एडीबी) से – ऋण-II	1,37,208.77	1,50,771.80
(भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)		
(ऋण और अग्रिम (बही ऋण) पर समरूप प्रभार द्वारा प्रत्याभूत		

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
स्टैंडलॉन वित्तीय विवरणों पर नोट

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को परिशोधित लागत पर	31 मार्च, 2020 को परिशोधित लागत पर
(15.04.2020 से 15.10.2034 तक छमाही आधार पर पुनर्भुगतान 6,666,666 अमेरिकी डॉलर की 29 समान किश्तों में और 6,666,686 अमेरिकी डॉलर की 30वीं किश्त में)		
(vii) केनरा बैंक से	-	15,000.00
(कम्पनी की मानक परिसम्पत्तियों पर ऋण और अग्रिम (बही ऋण) पर समरूप प्रभार द्वारा प्रत्याभूत)		
(बकाया सावधि ऋण 20 समान तिमाही किश्तों में चुकाया जाना है। पहली चुकौती 27.06.2021 को देय है))		
(viii) बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) स . ऋण-II	-	60,000.00
(कुल संस्वीकृत सीमा के 100 प्रतिशत प्रतिभूति कवरेज होने के अध्यधीन कम्पनी के ऋण और अग्रिम (बही ऋण) पर समरूप प्रभार द्वारा प्रत्याभूत बही ऋणों का दृष्टिबंधक/मानक आस्तियों से संबंधित प्राप्य ऋण).		
(31.12.2020 से 5 समान वार्षिक किश्तों में चुकौती)		
(ix) बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) से	24,799.55	-
(100% के प्रतिभूति कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्य राशियों पर पहले समरूप प्रभार द्वारा प्रत्याभूत)		
(22-02-2022 से शुरू होने वाले प्रत्येक 416,666,667 रुपये की 24 समान तिमाही किश्तों में चुकाने योग्य।) .		
उप–योग (क)	**2,54,735.26**	**3,13,577.36**
ख. आवधिक ऋण – अप्रत्याभूत		
(i) क्रेडिटांस्टाल्ट फ्यूअर वीदेरौफ्बाआ (केएफडब्ल्यू) से ऋण-I	19,201.83	19,495.85
(भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)		
(30.12.2009 से आरंभ करके 30.12.2039 तक प्रत्येक 586,451.79 यूरो की 28 किस्तों में, प्रत्येक 586,963.08 यूरो की 32 किस्तों में और 586,963 यूरो की एक किस्त में छमाही आधार पर चुकौती।)		
(ii) क्रेडिटांस्टाल्ट फ्यूअर वीदेरौफ्बाआ (केएफडब्ल्यू) से . ऋण-II	-	3,547.88
(भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)		
(30.09.2012 से 30.09.2020 तक छमाही आधार पर चुकौती प्रत्येक 2,858,000 यूरो की 16 किश्तों में और 4,272,000 यूरो की 1 किश्त में।)		
(iii) क्रेडिटांस्टाल्ट फ्यूअर वीदेरौफ्बाआ (केएफडब्ल्यू) . ऋण-III	16,623.13	16,585.84
(भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)		
(30.06.2020 से आरंभ करके 30.12.2049 तक छमाही आधार पर पुनर्भुगतान प्रत्येक 332,000 यूरो की 9 किस्तों में और प्रत्येक 333,000 यूरो की 51 किस्तों में)		

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
स्टैंडलॉन वित्तीय विवरणों पर नोट

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को परिशोधित लागत पर	31 मार्च, 2020 को परिशोधित लागत पर
(iv) क्रेडिटांस्टाल्ट फ्यूअर वीदेरौफ्बाआ (केएफडब्ल्यू) ऋण-IV (भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)	38,267.56	55,367.51
(30.06.2014 से आरंभ करके 30.12.2022 तक छमाही आधार पर पुनर्भुगतान प्रत्येक 11,111,000 यूरो 16 किस्तों में और प्रत्येक 11,112,000 यूरो की 2 किस्तों में.)		
(v) क्रेडिटांस्टाल्ट फ्यूअर वीदेरौफ्बाआ (केएफडब्ल्यू) ऋण-VII	12,812.35	-
(भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)		
(15.05.2023 से आरंभ करके 15.05.2035 तक छमाही आधार पर चुकौती प्रत्येक 8,912,000 अमरीकी डालर की 5 किस्तों में, और प्रत्येक 8,913,000 अमरीकी डालर की 20 किस्तों में)		
(vi) इंटरनेशनल बैंक फॉर रीकंस्ट्रक्शन एंड डवलपमेंट (आईबीआरडी) से ऋण-II	-	1,998.86
(भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)		
(15.12.2005 से आरंभ करके 15.06.2020 तक छमाही आधार पर चुकौती 1,309,700 अमरीकी डॉलर से 2,651,500 अमरीकी डॉलर तक की किश्तों में)		
(vii) इंटरनेशनल बैंक फॉर रीकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (आईबीआरडी) से ऋणIII	8,117.93	8,325.69
(भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)		
(15.04.2022 से आरंभ करके 15.10.2035 तक छमाही आधार पर चुकौती प्रत्येक 2,677,500.00 अमेरिकी डॉलर की 27 किश्तों में और प्रत्येक 2,707,500.00 अमेरिकी डॉलर की 28वीं किश्त में)		
(viii) इंटरनेशनल बैंक फॉर रीकंस्ट्रक्शन एंड डवलपमेंट (आईबीआरडी) स्वच्छ प्रौद्योगिकी निधि (सीटीएफ) से .. ऋण–-III	2,653.55	2,721.46
(भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)		
(15.04.2027 से आरंभ करके 15.10.2056 तक छमाही आधार पर चुकौती प्रत्येक 230,000.00 अमेरिकी डॉलर की 20 किश्तों में और प्रत्येक 460,000.00 अमेरिकी डॉलर की 40 किश्तों में।)		
उप–योग (ख)	**97,676.36**	**1,08,043.08**
बैंकों से कुल ऋण (ग=क+ख)	**3,52,411.62**	**4,21,620.44**
(II) अन्यों से		
घ. आवधिक ऋण – प्रत्याभूत		
	-	-
उप–योग (घ)	-	-
ड. आवधिक ऋण – अप्रत्याभूत		
(i) राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ) से 33 – 40 संरचित त्रैमासिक किश्तों में पुनर्देय।	6,742.93	7,710.18

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
स्टैंडलॉन वित्तीय विवरणों पर नोट

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
	परिशोधित लागत पर	परिशोधित लागत पर
(ii) एजेंस फ्रैन्काइज डी डेवलपमेंट (एएफडी) से. ऋण-I	40,179.53	42,632.13
(भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)		
(छमाही आधार पर चुकौती 31.07.2016 से 31.01.2031 तक प्रत्येक 2,333,333.33 यूरो की 30 किश्तों में।)		
(iii) एजेंस फ्रैन्काइज डी डेवलपमेंट (एएफडी) से – ऋण-II	73,184.15	78,897.12
(30.11.2019 से आरंभ करके 30.05.2029 तक प्रत्येक 5,000,000 यूरो की 20 किश्तों में छमाही आधार पर चुकौती।)		
(iv) जापान इंटरनेशनल कॉओपरेशन एजेंसी (जीआईसीए) से - ऋण-I	1,99,080.00	2,08,950.00
(भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)		
(20.6.2021 से आरंभ करके 20.06.2041 तक 731,720,000 जापानी येन की 1 किश्त और प्रत्येक 731,707,000 जापानी येन 40 किश्तों में छमाही आधार पर चुकौती।)		
(v)जापान इंटरनेशनल कॉओपरेशन एजेंसी (जीआईसीए) से - ऋण-II	1,98,880.92	2,08,741.05
(भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)		
(20.03.2024 से आरंभ करके 20.03.2044 तक 731,000,000 जापानी येन की 1 किश्त और प्रत्येक 730,975,000 जापानी येन की 40 किश्तों में छमाही आधार पर चुकौती।)		
(vi) यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक (ईआईबी) से - ऋण-I	1,50,457.76	1,61,340.90
(भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)		
(भाग I - 26.09.2019 से आरंभ करके 26.03.2035 तक प्रत्येक 662,000 अमरीकी डॉलर की 32 किश्तों में छमाही आधार पर चुकौती).		
(भाग II - 15.07.2020 से आरंभ करके 15.07.2036 तक प्रत्येक 1,999636.36 अमेरिकी डॉलर की 32 किस्तों में और 1,999,636.48 अमेरिकी डॉलर की एक किस्त में छमाही आधार पर चुकौती).		
(भाग III - 16.02.2021 से आरंभ करके 15.08.2036 तक छमाही आधार पर चुकौती प्रत्येक 4,005,375 अमरीकी डॉलर की 32 किश्तों में).		
(vii) यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक (ईआईबी) से. ऋण-II	43,261.19	-
(भाग I - 16.02.2021 से आरंभ करके 15.08.2036 तक छमाही आधार पर चुकौती प्रत्येक 4,005,375 अमरीकी डॉलर की 32 किश्तों में).		
(viii) भारत सरकार से ऋण	26,645.45	28,740.87
(इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी (आईडीए) के सापेक्ष – दूसरी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना ;भारतीय रुपए में ऋण))		
(15.10.2010 से आरंभ करके 15.04.2035 तक छमाही आधार पर चुकौती प्रत्येक 625,000 अमेरिकी डॉलर की 20 किश्तों में और प्रत्येक 1,250,000 अमेरिकी डॉलर की 30 किस्तों में भारतीय रुपये में देय)		
(ix) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) से - ऋण-I	2,00,000.00	-

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
स्टैंडलॉन वित्तीय विवरणों पर नोट

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को परिशोधित लागत पर	31 मार्च, 2020 को परिशोधित लागत पर
(ब्याज 5.60 प्रतिशत की दर से, त्वरित पुनर्भुगतान 26.03.2024 को)		
(x) आरबीएल बैंक लिमिटेड से अल्पावधिक ऋण	15,000.00	-
(ब्याज 4.35 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से,ए 25.04.2021 को 1,000,000,000.00 रुपये की चुकौती और 01.05.2021 को 500,000,000.00 रुपए की चुकौती)		
उप–योग (ड.)	**9,53,431.94**	**7,37,012.26**
अन्यों से कुल ऋण (च=घ+ड.)	9,53,431.94	7,37,012.26
कुल आवधिक ऋण (क=ग+च)	13,05,843.56	11,58,632.70
(ख) मांग पर पुनर्देय ऋण :-		
प्रत्याभूत		
बैंकों से		
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	4,493.06	0.00
(25 प्रतिशत के मार्जिन के साथ बही ऋणों और प्राप्य राशियों पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रत्याभूत)		
बैंक ऑफ बड़ौदा	38,200.00	-
(बकाया ऋण के 125 प्रतिशत की सीमा तक, मानक परिसंपत्तियों से संबंधित बही ऋणों और प्राप्य राशियों पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रत्याभूत)		
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	3,322.65	-
(100 प्रतिशत कवर के साथ 90 दिनों तक बही ऋण और प्राप्य राशि पर समरूप प्रभार द्वारा प्रत्याभूत)		
उप–योग (ख)	**46,015.70**	**0.00**
(ग) एफसीएनआर (ख) मांग ऋण :-*		
प्रत्याभूत		
(i) भारतीय स्टेट बैंक से (एसबीआई-I)	65,000.00	85,000.00
(ऋण राशि के 100 प्रतिशत के अध्यधीन कंपनी के ऋणों और अग्रिमों (बही ऋणों) के दृष्टिबंधक के माध्यम से प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रत्याभूत)		
घटाएं: उपर्युक्त पर लेन–देन लागत	4.17	6.83
	64,995.83	84,993.17
(ii) भारतीय स्टेट बैंक से (एसबीआई-II)	6,200.00	-
(ऋण राशि के 100 प्रतिशत के अध्यधीन कंपनी के ऋणों और अग्रिमों (बही ऋणों) के दृष्टिबंधक के माध्यम से प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रत्याभूत)		
उप–योग (ग)	**71,195.83**	**84,993.17**
सकल योग (क+ख+ग)	**14,23,055.09**	**12,43,625.87**
भारत में उधार राशियां	3,91,254.01	1,80,331.28

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को परिशोधित लागत पर	31 मार्च, 2020 को परिशोधित लागत पर
भारत से बाहर उधार राशियां	10,31,801.08	10,63,294.58
कुल	**14,23,055.09**	**12,43,625.87**

विभिन्न बहुपक्षीय/द्विपक्षीय एजेंसियों से सभी विदेशी मुद्रा उधार अर्थात एडीबी, विश्व बैंक, केएफडब्ल्यू, एएफडी, जेआईसीए और ईआईबी को सादे वैनिला स्वैप लेन–देन/मुद्रा, ब्याज दर स्वैप/मूलधन केवल स्वैप आदि के माध्यम से आईएनआर ऋण में परिवर्तित कर दिया गया है। डेरिवेटिव एसोसिएशन (आईएसडीए) मास्टर समझौता। ये स्वैप/डेरिवेटिव लेन–देन प्रत्येक लेन–देन के लिए एक अलग परिपक्वता अवधि के लिए भागीदार बैंक के साथ किए गए हैं जो ऋण की परिपक्वता अवधि से कम है। विदेशी मुद्रा ऋण की हेजिंग विभिन्न अंतरालों पर और ऋण की रेखाओं के विरुद्ध आहरण के कई चरणों में की गई है। विदेशी मुद्रा ऋणों की अदला–बदली/हेजिंग के कारण, ब्याज लागत के अलावा, इन ऋणों में हेजिंग/व्युत्पन्न लागत और अन्य वित्तीय शुल्क शामिल हैं और क्रेडिट लाइन के विरुद्ध आहरण की किश्तों की बहुलता के कारण, इस पर लागू ब्याज दर क्रेडिट की इन पंक्तियों को ऊपर प्रकट नहीं किया गया है।

* दिनांक 01.03.2021 से, भारतीय स्टेट बैंक की आवधिक ऋण सुविधा । और ।। को 28.02.2022 तक एफसीएनआर (ख) मांग ऋण में परिवर्तित कर दिया गया है। एफसीएनआर ऋणों की नियत ब्याज दर 6.20 प्रतिशत प्रति वर्ष है। उनके कार्यकाल के दौरान और एफसीएनआर ऋण के अन्य नियम और शर्तें पूर्ववर्ती सावधि ऋण सुविधा के समान हैं। 28.02.2022 के बाद, कंपनी के पास उन्हें रुपया टर्म लोन सुविधा में बदलने का विकल्प है।

टिप्पणी 21: अधीनस्थ देनदारियां

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को परिशोधित लागत पर	31 मार्च, 2020 को परिशोधित लागत पर
क) अप्रत्याभूत		
(i) 9.23% इरेडा करयोग्य अप्रत्याभूत	15,000.00	15,000.00
(अधीनस्थ टीयर-II बॉण्ड. श्रृंखला VIII. प्रतिदेयता 22.2.2029)		
घटाएं: उपर्युक्त पर लेन–देन लागत	27.68	30.00
	14,972.32	14,970.00
(ii) 7.74% इरेडा करयोग्य अप्रत्याभूत	50,000.00	-
(अधीनस्थ टीयर-II बॉण्ड – श्रृंखला-X- प्रतिदेयता 08.05.2030)		
घटाएं: उपर्युक्त पर लेन–देन लागत	53.12	-
	49,946.88	-
कुल (क)	**64,919.20**	**14,970.00**
ख) अवस्थिति (लोकेशन)–वार वर्गीकरण		
भारत में अधीनस्थ देनदारियां	64,919.20	14,970.00
भारत से बाहर अधीनस्थ देनदारियां	-	-
कुल (ख)	**64,919.20**	**14,970.00**

टिप्पणी 22: अन्य वित्तीय देनदारियां

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(क) राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ)	32,357.37	29,847.82
(ख) उधार राशियों पर उपचित किंतु अदेय ब्याज और अन्य प्रभार	39,129.20	39,369.34
(ग) अन्य देय राशियां:		
एमएनआरई कार्यक्रम निधियां	944.85	944.85
एमएनआरई सह उत्पादन विशिष्ट अनुदान	36.80	34.96
एमएनआरई राष्ट्रीय हाईड्रोजन ऊर्जा बोर्ड	6.27	5.80
एमएनआरई उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) निधि	685.38	1,500.70
एमएनआरई राज्यों का नवीकरणीय ऊर्जा संघ (एआरईएएस)	0.01	0.01
एमएनआरई रूफटॉप और अन्य छोटे स्तर की सौर परियोजनाएं	2,762.35	10,955.34
एमएनआरई चैनल भागीदारों के लिए पूंजी सब्सिडी	0.00	5,794.61
एमएनआरई अमरीका–भारत स्वच्छ ऊर्जा वित्त सुविधा (यूनीसेफ) योजना	95.26	765.59
एमएनआरई यूएनडीपी निधियां	54.95	56.07
एमएनआरई सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम का कार्यान्वयन (एसडब्ल्यूएचएस)	369.86	357.95
अदावा बॉण्ड ब्याज	134.73	47.58
इरेडा से एनसीईएफ को देय	212.11	464.03
लीज देनदारी	534.11	102.42
ब्याज पर ब्याज के समायोजन/रिफण्ड के लिए प्रावधान	250.00	-
अन्य	2,923.18	3,817.39
कुल	**80,496.43**	**94,064.47**

टिप्पणी 23 : प्रावधान

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान (देखें टिप्पणी संख्या 38(8))		
-छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	525.70	405.46
-ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	-	54.22
-चिकित्सा सेवानिवृत्ति के लिए प्रावधान	994.19	789.47
-बीमारी छुट्टी के लिए प्रावधान	379.58	347.19
-बैगेज भत्ते के लिए प्रावधान	17.59	15.70
वित्तीय लिखतों (ऋणों) के लिए आकस्मिक प्रावधान	58,328.81	43,969.31
कुल	**60,245.87**	**45,581.35**

टिप्पणी 24 : अन्य गैर–वित्तीय देनदारियां

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
देय भविष्य निधि	-	47.68
सांविधिक देयताएं	1,203.89	830.83
एमएनआरई भारत सरकार के पूर्ण सविर्स्ड बॉण्ड (देखें टिप्पणी 38(33)	1,64,000.00	1,64,000.00
एमएनआरई को देय एमआईबीओआर जमा राशि पर ब्याज ;भारत सरकार के पूर्ण सविर्स्ड बॉण्ड) (देखें टिप्पणी 38(33)	1,093.70	1,092.75
अन्य	37.17	23.40
विविध देनदारियां – ब्याज पूंजीकरण (वित्तपोषित ब्याज आवधिक ऋण)	4,196.92	7,235.69
अग्रिम रूप से प्राप्त फ्रंट एंड शुल्क	1,305.94	1,461.52
कुल	**1,71,837.62**	**1,74,691.86**

टिप्पणी 25: इक्विटी शेयर पूंजी

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(क) प्राधिकृत शेयर पूंजी		
10 रुपए प्रत्येक के 6,000,000,000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 6,000,000,000)	6,00,000.00	6,00,000.00
(ख) निर्गत, अभिदत्त और पूर्ण प्रदत्त	6,00,000.00	6,00,000.00
10 रुपए प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 784,600,000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक के 784,600,000 इक्विटी शेयर)	78,460.00	78,460.00
पूर्ण प्रदत्त		
कुल	**78,460.00**	**78,460.00**

बकाया शेयरों की संख्या का समाशोधनः–

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2021 को	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
वर्ष के प्रारंभ में इक्विटी शेयर (10 रुपए प्रत्येक) (10 रुपए प्रत्येक)	78,46,00,000	78,460.00	78,46,00,000	78,460.00
जोड़ें:– वर्ष के दौरान जारी शेयर		-		-
वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर		-		-
वर्ष के अंत में इक्विटी शेयर (10 रुपए प्रत्येक)	78,46,00,000	78,460.00	78,46,00,000	78,460.00

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
स्टैंडलॉन वित्तीय विवरणों पर नोट

पांच प्रतिशत से अधिक शेयर धारित करने वाले प्रत्येक शेयरधारक का ब्यौराः–

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
	शेयरों की संख्या	धारित प्रतिशत	शेयरों की संख्या	धारित प्रतिशत
भारत सरकार	78,46,00,000	100	78,46,00,000	100

टिप्पणी 26: अन्य इक्विटी

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(क) आरक्षित और अधिशेष		
(i) विशेष आरक्षित	1,04,590.98	93,471.45
(ii) डिबेंचर शोधन आरक्षित	30,539.26	25,910.15
(iii) सामान्य आरक्षित	1,07,798.33	88,298.33
(iv) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद संव्यवहार आरक्षित (एफसीएमआईटीआर)	-63,875.83	-1,01,345.31
(v) प्रतिधारित आय	233.40	7,998.56
(vi) एनबीएफसी आरक्षित	16,182.69	9,182.69
(ख) नकद प्रवाह हेज का प्रभावी भाग		
(I) नकद प्रवाह हेज आरक्षित	25,589.66	50,155.98
कुल अन्य इक्विटी (क+ख)	**2,21,058.50**	**1,73,671.85**

अन्य इक्विटी का ब्यौरा निम्नानुसार दर्शाया गया है:

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
विशेष आरक्षित		
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	93,471.45	82,651.13
जोड़ें: चालू वर्ष अंतरण	11,119.53	10,820.32
घटाएं: चालू अवधि में अधित्याग	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**1,04,590.98**	**93,471.45**
डिबेंचर शोधन आरक्षित		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	25,910.15	21,281.04
जोड़ें: चालू वर्ष अंतरण	4,629.11	4,629.11
घटाएं: चालू अवधि में अधित्याग	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**30,539.26**	**25,910.15**
सामान्य आरक्षित		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	88,298.33	1,08,298.33
जोड़ें: चालू वर्ष अंतरण	19,500.00	-20,000.00

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
घटाएं: चालू अवधि में अधित्याग	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**1,07,798.33**	**88,298.33**
विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद संव्यवहार आरक्षित (एफसीएमआईटीआर)		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	-1,01,345.31	-54,141.39
जोड़ें: वर्ष के दौरान संवर्धन	30,488.20	-51,252.72
घटाएं: वर्ष के दौरान परिशोधन	-6,981.27	-4,048.81
वर्ष के अंत में शेष	**-63,875.83**	**-1,01,345.31**
प्रतिधारित आय		
वर्ष के प्रारंभ में प्रतिधारित आय	7,998.56	1,901.72
जोड़ें: वर्ष के लिए लाभ	34,640.72	21,455.04
जोड़े अन्य व्यापक आय	-157.23	-154.80
घटाएं: वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए प्रस्तावित लाभांश	-	12,819.00
घटाएं: वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए लाभांश पर कॉरपोरेट लाभांश कर	-	2,634.98
घटाएं: विशेष आरक्षित में अंतरण	11,119.53	10,820.32
घटाएं: डिबेंचर शोधन आरक्षित में अंतरण	4,629.11	4,629.11
घटाएं: सामान्य आरक्षित में अंतरण	19,500.00	-20,000.00
घटाएं: एनबीएफसी आरक्षित में अंतरण	7,000.00	4,300.00
वर्ष के अंत में शेष	233.40	7,998.56
एनबीएफसी आरक्षित (आरबीआई अधिनियम की धारा 45-IC)		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	9,182.69	4,882.69
जोड़ें: वर्ष के दौरान संवर्धन	7,000.00	4,300.00
घटाएं: वर्ष के दौरान परिशोधन	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**16,182.69**	**9,182.69**
नकद प्रवाह हेजों का प्रभावी भाग		
नकद प्रवाह हेज आरक्षित		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	50,155.98	15,063.04
हेजिंग उपकरण पर लाभ/हानि का प्रभावी भाग	-32,828.63	39,479.61
घटाएं: उपर्युक्त पर आयकर	8,262.31	-4,386.67
वर्ष के अंत में शेष (करों का निवल)	**25,589.66**	**50,155.98**
कुल	**2,21,058.50**	**1,73,671.85**

आरक्षितियों की प्रकृति और उद्देश्य

1. **विशेष आरक्षित:** आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत आयकर कटौती का लाभ उठाने के लिए दीर्घावधि वित्त प्रदान करने के व्यवसाय से प्राप्त कर पूर्व लाभ के 20% की विशेष आरक्षित सृजित की गई है।

2 **डिबेंचर शोधन आरक्षित:** डिबेंचर शोधन आरक्षित डिबेंचर/बॉन्ड के मोचन के उद्देश्य से बनाए रखा आय से बनाई गई है। यह आरक्षित कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों में निवेशित रहती है।

3. **सामान्य आरक्षित:** सामान्य आरक्षित का उपयोग समय–समय पर विनियम उद्देश्यों के लिए प्रतिधारित आय से लाभ को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसे इक्विटी के एक घटक से दूसरे में स्थानांतरण द्वारा बनाया जाता है।

4. **विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद संव्यवहार आरक्षित (एफसीएमआईटीआर):** विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर खाता लंबी अवधि के विदेशी मुद्रा उधार पर असंशोधित विदेशी मुद्रा लाभ/हानि का प्रतिनिधित्व करता है जो संबंधित उधार के कार्यकाल में परिशोधित होते हैं।

5. **प्रतिधारित आय:** प्रतिधारित आय लाभ और अन्य व्यापक आय की मदों का प्रतिनिधित्व करती है जो सीधे कंपनी द्वारा अर्जित प्रतिधारित आय में कम लाभांश वितरण और अन्य आरक्षित निधियों से अंतरण में मान्यता प्राप्त है।

6. **एनबीएफसी आरक्षित :** आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित आरक्षित, वर्ष के लिए कर पश्चात निवल लाभ के 20 प्रतिशत की दर पर प्रतिधारित आय से अंतरण का प्रतिनिधित्व करती है।

7. **नकद प्रवाह हेज का प्रभावी भाग:** कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिम और उधार से जुड़े ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के अनुसरण में व्युत्पन्न उपकरणों का उपयोग करती है। विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम की हेजिंग के लिए, कंपनी विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध, क्रॉस करेंसी स्वैप और ब्याज दर स्वैप का उपयोग करती है। हेज अकाउंटिंग के तहत नामित डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स प्रभावी हेज हैं, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के उचित मूल्य में बदलाव को 'कैश फ्लो हेजेज के प्रभावी हिस्से' में मान्यता दी गई है। इस तरह के रिजर्व में मान्यता प्राप्त राशि को लाभ या हानि के विवरण में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है जब बचाव की गई वस्तु लाभ या हानि को प्रभावित करती है।

टिप्पणी 27 : ब्याज आय

(लाख रुपए में)

विवरण	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2021	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2020
	परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसम्पत्तियों पर ब्याज	परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसम्पत्तियों पर ब्याज
(i) ऋण प्रचालनों से ऋणों पर ब्याज	2,49,588.83	2,16,310.13
(ii) बैंकों में जमा राशियों पर ब्याजः–:-		
-अल्पावधिक जमा–भारतीय रुपए	3,513.97	4,999.78
-अल्पावधिक जमा–विदेशी मुद्रा	46.63	166.57
(iii) अन्य ब्याज आय:-		
बचत खातों पर ब्याज	0.47	0.19
(iv) विभेदक ब्याज	3,188.09	3,181.35
(v) वाणिज्यिक पत्रों पर ब्याज	184.88	-
कुल	**2,56,522.88**	**2,24,658.02**

टिप्पणी 28: शूल्क और कमीशन आय

(लाख रुपए में)

विवरण	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2021	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2020
(क)व्यापार सेवा शुल्क		
(i) ऋणों पर आवेदन शुल्क	1,433.44	1,034.00
(ii) बोली प्रक्रिया शुल्क	191.25	16.60
(iii) प्राप्त परामर्श शुल्क	-	4.00
(iv) गारंटी कमीशन	1,162.44	460.54
कुल व्यापार आय शुल्क	**2,787.13**	**1,515.13**
(ख) सेवा प्रभार – सरकारी योजना कार्यान्वयन		
(i) सेवा प्रभार – यूएनडीपी कार्यक्रम निधि	0.04	0.34
(ii) सेवा प्रभार – उत्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि	447.03	479.40
(iii) सेवा प्रभार – रूफ टॉप और अन्य छोटी सौर ऊर्जा परियोजनाएं	143.06	167.78
कुल व्यापार सेवा प्रभार	**590.13**	**647.52**
कुल (क+ख)	**3,377.26**	**2,162.65**

टिप्पणी 29: उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल लाभ/(हानि) *

(लाख रुपए में)

विवरण	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2021	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2020
लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय विलेखों पर निवल लाभ/(हानि)		
(i) व्युत्पन्न		
- विदेशी मुद्रा ऋणों के लिए लिए गए डेरिवेटिव कवर पर उचित मूल्य प्रभार	-1,247.32	7,165.33
उचित मूल्य परिवर्तन:		
- प्राप्त		
- अप्राप्त	-1,247.32	7,165.33
उचित मूल्य परिवर्तन पर कुल निवल लाभ/(हानि)	**-1,247.32**	**7,165.33**

*इस अनुसूची में उचित मूल्य परिवर्तन उपचित ब्याज आय/व्ययों के खाते में उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों से भिन्न हैं।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
स्टैंडलॉन वित्तीय विवरणों पर नोट

टिप्पणी 30: सौर संयंत्र प्रचालनों से राजस्व (निवल)

(लाख रुपए में)

विवरण	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2021	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2020
ऊर्जा की बिक्री	2,797.69	2,802.03
घटाएं: ग्राहक को छूट	55.95	56.04
कुल	**2,741.73**	**2,745.99**

(देखें टिप्पणी संख्या 38(23) और 38(24))

टिप्पणी 31: अन्य आय

(लाख रुपए में)

विवरण	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2021	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2020
बट्टे खाते डाला गया प्रावधान	199.17	10.52
अशोध्य ऋणों की वसूली	4,175.63	299.36
कर्मचारी ऋण पर ब्याज	24.12	27.02
मसाला बॉण्ड अनुदान का परिशोधन	-	130.94
पीपीपी की बिक्री पर लाभ	3.35	0.59
किराया आय	5.50	6.60
अन्य	61.08	31.15
कुल	**4,468.85**	**506.18**

टिप्पणी 32: वित्त लागत

(लाख रुपए में)

विवरण	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2021	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2020
	परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसम्पत्तियों पर वित्त लागत	परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसम्पत्तियों पर वित्त लागत
उधार राशियों पर ब्याज	66,761.73	68,764.45
ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज	72,296.42	64,741.63
अधीनस्थ देनदारियों पर ब्याज	4,862.20	1,384.50
अन्य उधार लागत	12,821.90	10,730.88
उधार राशियों पर लेन–देन लागत	276.06	288.52
पट्टा देनदारी पर ब्याज	7.89	10.63
कुल	**1,57,026.19**	**1,45,920.61**

टिप्पणी 33: निवल अंतरण/लेन–देन विनिमय हानि

(लाख रुपए में)

विवरण	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2021	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2021
निवल अंतरण/लेन–देन विनिमय हानि	3.39	15.86
एफसीएमआईटीआर का परिशोधन	6,981.27	4,048.81
कुल	**6,984.66**	**4,064.67**

टिप्पणी 34: वित्तीय परिसम्पत्तियों पर अक्षमता

(लाख रुपए में)

विवरण	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2021	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2020
	परिशोधन लागत पर मापे गए वित्त विलेखों पर	परिशोधन लागत पर मापे गए वित्त विलेखों पर
ऋण*	34,164.50	51,809.07
कुल	**34,164.50**	**51,809.07**

*ऋण वाहित मूल्य पर मूल्यांकित हैं
(देखें टिप्पणी संख्या 38(38))

टिप्पणी 35: कर्मचारी लाभ व्यय

(लाख रुपए में)

विवरण	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2021	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2020
वेतन और परिलब्धियां	3,810.12	4,028.85
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	476.80	422.54
कर्मचारी कल्याण व्यय	444.83	236.23
मानव संसाधन विकास व्यय	4.20	9.88
कुल	**4,735.95**	**4,697.50**

टिप्पणी 36: मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(लाख रुपए में)

विवरण	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2021	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2020
संयंत्र और उपस्कर पर मूल्यह्रास (देखें टिप्पणी संख्या 12)	2,020.29	2,002.49
अमूर्त परिसम्पत्तियों का परिशोधन (देखें टिप्पणी संख्या 16)	6.60	6.44
निवेश सम्पत्ति पर मूल्यह्रास (देखें टिप्पणी संख्या 11)	0.84	1.01
प्रयोगाधिकार परिसम्पत्ति का परिशोधन (देखें टिप्पणी संख्या 14)	239.67	271.27
कुल	**2,267.40**	**2,281.20**

टिप्पणी 37 : अन्य व्यय

(लाख रुपए में)

विवरण	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2021	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2020
किराया, कर और ऊर्जा	233.38	546.99
मरम्मत और अनुरक्षण	575.59	376.31
संचार लागतें	88.54	30.24
मुद्रण और लेखन सामग्री	29.90	23.40
विज्ञापन और प्रचार	57.92	84.77
निदेशकों का शुल्क, भत्ते और व्यय	27.70	19.20
लेखा के शुल्क और व्यय (देखें टिप्पणी संख्या 38(28))	24.69	29.75
विधिक और व्यावसायिक प्रभार	368.93	575.13
बीमा	10.25	6.85
अशोध्य ऋण	137.44	77.13
क्रेडिट रेटिंग खर्च	163.18	188.86
पीपीई की बिक्री पर हानि	4.30	0.75
आईपीओ व्यय	-	144.77
अन्य व्यय	369.56	330.64
कुल	**2,091.38**	**2,434.80**

टिप्पणी - '38' लेखों पर टिप्पणियां

1. कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत एक सरकारी कंपनी है। आरबीआई या अन्य नियामक द्वारा जारी किए गए किसी भी निदेश को लागू होते ही कार्यान्वित किया जाता है। आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन डीएनबीआर पीडी. 008/03.10.119/2016-17 दिनांक 01.09.2016 के अनुसार, इरेडा एक ''प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार न करने वाली गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी'' है।

   बैलेंस शीट, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और लाभ और हानि का विवरण एनबीएफसी के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची ।।। के डिवीजन ।।। के तहत निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसके लिए इंड एएस का अनुपालन किया जाना अपेक्षित होता है। इंड–एएस 7–नकद प्रवाह विवरणिका की अपेक्षानुसार नकद प्रवाह का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

2. भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस)–36 ''परिसम्पत्तियों की अक्षमता'' के संबंध में प्रकटीकरण

कंपनी, प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर, यह आकलन करती है कि क्या किसी परिसंपत्ति और/या नकदी पैदा करने वाली इकाई की हानि का कोई संकेत है। यदि ऐसा संकेत मौजूद है, तो प्रत्येक परिसंपत्ति और/या नकद उत्पादन इकाई की अग्रणीत राशि की तुलना निवल बिक्री मूल्य या उपयोग में मूल्य से अधिक होने वाली वसूली योग्य राशि से की जाती है। उपयोग में मूल्य संपत्ति के निरंतर उपयोग से अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य से निर्धारित होता है। कंपनी को चालू और पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कोई अक्षमता हानि नहीं हुई है।

3. भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस)–37 ''प्रावधान, आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक परिसम्पत्तियां'' के संबंध में प्रकटीकरण

क. आकस्मिक देनदारियां:

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
आयकर मामले #	21,211.96	18,533.17
इरेडा की ''आरई आपूर्तिकर्ताओं/निर्माताओं/ईपीसी संविदाकारों को गारंटी सहायता'' योजना के अंतर्गत बोली प्रतिभूति के लिए जारी की गई गारंटी	33,700.00	24,176.00
गारंटी – इरेडा की ऋण वृद्धि योजना के तहत बिना शर्त और वसूली योग्य आंशिक ऋण गारंटी।	6,800.00	8,000.00
भुगतान प्रतिभूति निधि के सृजन के लिए जारी गारंटी	14,400.00	14,400.00
जारी और बकाया राहत पत्र (लेटर ऑफ कम्फर्ट)	50,010.00	60,421.55
अन्य *	274.65	265.70
इंडिया हेबीटेट सेंटर में कार्यालय भवन के संबंध में सम्पत्ति कर (टिप्पणी 38(26) का संदर्भ लें	अनिर्धारणीय	अनिर्धारणीय

#आयकर मामले – आकलन वर्ष 1998-99 – आकलन वर्ष 2009-10:

आकलन वर्ष 1998–99 से आकलन वर्ष 2002–03 के लिए आयकर मामलों को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश पर माननीय आईटीएटी और माननीय आईटीएटी से मूल्यांकन अधिकारी को वापस भेजा गया था। आकलन वर्ष 2003–04 से आकलन वर्ष 2009–10

के लिए कर मामलों को माननीय आईटीएटी के निर्देश पर मूल्यांकन अधिकारी (एओ के रूप में संदर्भित) को वापस भेजा गया था। एओ ने अधिनियम के तहत निर्धारित वैधानिक समय सीमा के भीतर इन मामलों पर आदेश पारित नहीं किया था। इससे पहले कंपनी ने उक्त आकलन वर्षों के लिए उठाई गई मांग के आधार पर कर जमा किया था।

पूर्वगामी पैरा को ध्यान में रखते हुए, दाखिल रिटर्न के अनुसार देय कर के ऊपर और ऊपर भुगतान की गई मांगें वापसी योग्य हो गईं। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, विभाग को उपरोक्त वर्षों के लिए रिफंड देने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के साथ एक रिट याचिका दायर की गई है। दिल्ली में माननीय उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश पारित किया था– ''इस बीच, उत्तरदाताओं को आगे बढ़ने और मूल्यांकन आदेशों को पूरा करने की अनुमति दी जाती है और इसे प्रभावी नहीं किया जाता है या कोई महत्वपूर्ण कार्रवाई नहीं की गई है।'' मामले में अंतिम फैसला अभी बाकी है।

* इरेडा की सेवा से कर्मचारियों को बर्खास्त करने के अनुशासनात्मक प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ रिट याचिका के रूप में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों को संदर्भित करता है। इस मामले में कोई अंतरिम आदेश नहीं है।

ख) आकस्मिक परिसम्पत्तियां: शून्य

4. प्रतिबद्धताएं

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
पूंजी प्रतिबद्धताएं::		
पूंजी खाते पर निष्पादित होने के लिए शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि	923.35	92.92

5. ऐसे कोई सूक्ष्म और लघु उद्यम नहीं हैं, जिन पर कंपनी का बकाया है, जो 31 मार्च, 2021 को 45 दिनों से अधिक समय से बकाया हो (पिछले वर्ष: शून्य)। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रकट की जाने वाली आवश्यक जानकारी को कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस तरह की पार्टियों की पहचान की गई सीमा तक निर्धारित किया गया है।

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
1	वर्ष के अंत तक अदत्त मूलधन राशि	43.12	45.09
2	वर्ष के अंत में अदत्त रहा उस राशि पर देय ब्याज	-	-
3	वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार कंपनी द्वारा भुगतान किया गया ब्याज	-	-
4	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए बकाया और देय, लेकिन एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना ब्याज	-	-
5	वर्ष के अंत में उपचित और अदत्त रहा ब्याज	-	-
6	आगे के वर्षों में भी बकाया और देय ब्याज, ऐसी तारीख तक जब तक कि उपरोक्त देय ब्याज वास्तव में छोटे उद्यमों को भुगतान नहीं किया जाता है	-	-

6. भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस)–21 ''विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तनों का प्रभाव'' के संबंध में प्रकटीकरण

(लाख रुपए में)

विवरण	2020-21	2019-20
	डेबिट / (क्रेडिट)	डेबिट / (क्रेडिट)
लाभ और हानि विवरण में निवल डेबिट / (क्रेडिट) विनिमय अंतर की राशि	6,984.66	4,064.67
अन्य व्यापक आय के लिए निवल डेबिट / (क्रेडिट) विनिमय अंतर की राशि	2,722.13	(28,982.87)

7. भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस)–23 ''उधार लागतें'' के संबंध में प्रकटीकरण – शून्य (गत वर्षः शून्य)

8. भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस)–19 ''कर्मचारी लाभ'' के संबंध में प्रकटीकरण

विभिन्न परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण निम्नानुसार हैः

क) **भविष्य निधिः** वर्ष के दौरान, कंपनी ने पात्र कर्मचारियों के वेतन के पूर्व निर्धारित निश्चित प्रतिशत पर भविष्य निधि में योगदान के संबंध में और लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित 215.98 लाख (पिछले वर्षः रु. 206.25 लाख) रुपये के खर्च को स्वीकृत किया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी का दायित्व भविष्य की अवधि में ब्याज की सांविधिक दर के आधार पर निधि की संपत्ति में अच्छी खासी कमी, यदि कोई हो, को पूरा करना है। 31 मार्च 2021 तक पीएफ ट्रस्ट में कोई घाटा नहीं हुआ है।

ख) **राष्ट्रीय पेंशन योजना / अधिवार्षिता लाभ निधि (परिभाषित अभिदान निधि):** वर्ष के दौरान, कम्पनी ने पात्र कर्मचारियों के वेतन की पूर्वनिर्धारित नियत प्रतिशतता और लाभ हानि विवरण पर प्रभारित राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) (गत वर्षः अधिवार्षिता निधि / राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस¬) में योगदान के संबंध में 194.61 करोड़ रुपए (गत वर्षः 163.55 लाख रुपए) के व्यय को स्वीकृति दी है।

अन्य लाभः

ग) **अर्जित छुट्टी लाभ (ईएल):** प्रति वर्ष 30 दिन उपार्जन. सेवा में रहते हुए एक कैलेंडर वर्ष में 2 बार नकदीकरण। सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति पर नकदीकरण एचपीएल सहित अधिकतम 300 दिन। बीमांकिक मूल्यांकन कंपनी के वित्त वर्ष 2020–21 के लिए अर्जित अवकाश के लिए सर्वोत्तम अनुमान के अनुसार रु. 172.80 लाख (पिछले साल रू 172.47 लाख रुपये)

घ) **अर्ध छुट्टी लाभ (एचपीएल):** प्रोद्भवन प्रति वर्ष 10 पूर्ण दिवस। सेवा में रहते हुए कोई नकदीकरण नहीं। सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति पर नकदीकरण ईएल सहित अधिकतम 300 दिन। बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार वित्त वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी का सबसे अच्छा अनुमान बीमारी अवकाश के लिए रु. 54.68 लाख (पिछले साल रू 91.76 लाख रुपये)।

ड) **ग्रेच्युटी:** सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन का उपार्जन। निहित अवधि 5 वर्ष है और भुगतान 01.01.2017 से लागू वेतन संशोधन के बाद 20 लाख रुपये तक सीमित है। बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार वित्त वर्ष 2020–21 के लिए ऑन रोल कर्मचारियों के लिए कंपनी का सबसे अच्छा अनुमान ग्रेच्युटी के लिए रु. 65.31 लाख (पिछले वर्ष रू 105.72 लाख रुपये)।

च) **सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी):** बीमांकिक मूल्यांकन की अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए कंपनी सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा योजना के लिए निर्धारित लाभ योजनाओं में योगदान करती है। योजना के तहत पात्र पूर्व कर्मचारियों और पात्र आश्रित परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। वर्ष के दौरान कंपनी ने पीआरएमबी की ओर रु. 241.02 लाख (पिछले वर्ष रु. 252.54 लाख) का प्रावधान किया है।

छ) **बैगेज भत्ता:** सेवानिवृत्ति के समय, कर्मचारी अपनी पसंद के स्थान पर बसने के हकदार होते हैं और वे सामान भत्ते के लिए पात्र होते हैं। वर्ष के दौरान कंपनी ने सामान भत्ते के लिए रु. 1.89 लाख (पिछले वर्षः रु. 3.07 लाख) का प्रावधान किया

लाभ और हानि, अन्य व्यापक आय (ओसीआई) और बैलेंस शीट और अन्य प्रकटीकरण के विवरण में मान्यता प्राप्त विभिन्न परिभाषित लाभों की सारांश स्थिति निम्नानुसार हैः

❖ **दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन**

(लाख रुपए में)

विवरण	वित्तीय वर्ष	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित)	बीमारी छुट्टी (वित्तपोषित)	अर्जित छुट्टी (वित्तपोषित)	बैगेज (वित्तपोषित)	पीआरएमबी (वित्तपोषित)
प्रारंभ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	2020-21	991.31	347.19	405.46	15.70	789.47
	2019-20	872.82	309.70	289.20	12.63	612.50
ब्याज लागत	2020-21	67.41	23.61	27.57	1.07	53.68
	2019-20	66.42	23.56	22.00	0.96	46.61
चालू सेवा लागत	2020-21	55.11	27.45	71.34	1.15	43.89
	2019-20	55.21	20.81	43.60	1.05	37.19
विगत सेवा लागत	2020-21	-	-	-	-	-
	2019-20	-	-	-	-	-

(लाख रुपए में)

विवरण	वित्तीय वर्ष	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित)	बीमारी छुट्टी (वित्तपोषित)	अर्जित छुट्टी (वित्तपोषित)	बैगेज (वित्तपोषित)	पीआरएमबी (वित्तपोषित)
प्रदत्त लाभ	2020-21	-100.49	-22.29	-52.55	-	-34.22
	2019-20	-50.28	-54.27	-56.21	-	-57.31
अधिग्रहण समायोजन आईएन	2020-21	-	-	-	-	-
	2019-20	-	-	-	-	-
दायित्वों पर प्रोद्भूत हानि / (लाभ)	2020-21	3.91	3.63	73.89	-0.33	141.37
	2019-20	47.13	47.37	106.85	1.04	150.46
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2020-21	1,017.25	379.58	525.70	17.59	994.18
	2019-20	991.31	347.19	405.45	15.70	789.46

❖ **योजना परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**

(लाख रुपए में)

विवरण	वित्तीय वर्ष	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित)	बीमारी छुट्टी (वित्तपोषित)	अर्जित छुट्टी (वित्तपोषित)	बैगेज (वित्तपोषित)	पीआरएमबी (वित्तपोषित)
वर्ष के प्रारंभ में योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	2020-21	937.09	-	-	-	-
	2019-20	913.16	-	-	-	-
योजना परिसम्पत्तियों पर वास्तविक रिटर्न	2020-21	68.63	-	-	-	-
	2019-20	62.72	-	-	-	-
मृत्यु प्रभार	2020-21	-0.99				
	2019-20	-				
नियोक्ता अभिदान	2020-21	115.56	-	-	-	-
	2019-20	11.48	-	-	-	-
प्रदत्त लाभ	2020-21	-100.49	-	-	-	-
	2019-20	-50.28	-	-	-	-
वर्ष के अंत में योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	2020-21	1,019.80	-	-	-	-
	2019-20	937.08	-	-	-	-

❖ **तुलन पत्र में स्वीकृत राशि**

(लाख रुपए में)

विवरण	वित्तीय वर्ष	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित)	बीमारी छुट्टी (वित्तपोषित)	अर्जित छुट्टी (वित्तपोषित)	बैगेज (वित्तपोषित)	पीआरएमबी (वित्तपोषित)
वर्ष के अंत में दायित्वों का अनुमानित वर्तमान मूल्य	2020-21	1,017.25	379.58	525.70	17.59	994.19
	2019-20	991.31	347.19	405.45	15.70	789.46
वर्ष के अंत में योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	2020-21	1,019.80				
	2019-20	937.08	-	-	-	-
तुलन पत्र में स्वीकृत निवल देनदारी	2020-21	2.55	-379.58	-525.70	-17.59	-994.19
	2019-20	-54.22	-347.19	-405.45	-15.70	-789.46

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
स्टैंडलॉन वित्तीय विवरणों पर नोट

❖ **लाभ हानि के विवरण में स्वीकृत राशि**

(लाख रुपए में)

विवरण	वित्तीय वर्ष	ग्रेच्युटी	बीमारी छुट्टी	अर्जित छुट्टी	बैगेज	पीआरएमबी
		(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित)
चालू सेवा लागत	2020-21	55.11	27.45	71.34	1.15	43.89
	2019-20	55.21	20.81	43.60	1.05	37.19
कटौती लाभ/हानि सहित गत सेवा लागत	2020-21	-	-	-	-	-
	2019-20	-	-	-	-	-
ब्याज लागत	2020-21	67.41	23.60	27.57	1.07	53.68
	2019-20	66.42	23.56	22.00	0.96	46.61
योजना परिसम्पत्ति पर संभावित रिटर्न	2020-21	63.72	-	-	-	-
	2019-20	69.49	-	-	-	-
वर्ष में स्वीकृत निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	2020-21	-	3.63	73.89	-	-
	2019-20	-	47.37	106.85	-	-
आय विवरण में स्वीकृत व्यय	2020-21	58.80	54.68	172.80	1.89	241.02
	2019-20	52.14	91.76	172.47	2.02	252.54

❖ **बीमांकिक अवधारणा**

(लाख रुपए में)

विवरण	वित्तीय वर्ष	ग्रेच्युटी	बीमारी छुट्टी	अर्जित छुट्टी	बैगेज	पीआरएमबी
		(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित)
छूट दर	2020-21	6.79%	6.79%	6.79%	6.79%	6.70%
	2019-20	6.80%	6.80%	6.80%	6.80%	6.80%
वेतन वृद्धि की दर	2020-21	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%
	2019-20	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%
प्रयुक्त पद्धति	2020-21	प्रत्याशित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रत्याशित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रत्याशित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रत्याशित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रत्याशित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)
	2019-20					

❖ **परिभाषित लाभ दायित्व का संवेदनशीलता विश्लेषण**

(लाख रुपए में)

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव	ग्रेच्युटी	बीमारी छुट्टी	अर्जित छुट्टी	बैगेज	पीआरएमबी
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,017.25	379.58	525.70	17.59	994.19
0.50% की वृद्धि की वजह से प्रभाव	-40.80	-13.66	-25.35	-0.70	-34.30
0.50% की कमी की वजह से प्रभाव	43.83	14.55	27.53	0.76	36.05

ख) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव	ग्रेच्युटी	बीमारी छुट्टी	अर्जित छुट्टी	बैगेज	पीआरएमबी
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,017.25	379.58	525.70	17.59	994.19
0.50% की वृद्धि की वजह से प्रभाव	22.92	14.51	27.45	0.76	36.53
0.50% की कमी की वजह से प्रभाव	-22.84	-13.72	-25.45	-0.71	-35.12

मृत्यु दर और निकासी के कारण संवेदनशीलता भौतिक नहीं हैं और इसलिए इनके कारण परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की गई है। भुगतान में पेंशन में वृद्धि की दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन में वृद्धि की दर और जीवन प्रत्याशा जैसी संवेदनशीलता लागू नहीं होती है।

9. भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस)–108 ''प्रचालनिक खंड '' के संबंध में प्रकटीकरण

(i) प्रचालनिक खंड

इंड एएस 108 में परिभाषित ''प्रबंधन दृष्टिकोण'' के आधार पर, सीएमडी, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर (सीओडीएम) निष्पादन का मूल्यांकन करता है और व्यावसायिक क्षेत्रों द्वारा विभिन्न प्रदर्शन संकेतकों के विश्लेषण के आधार पर संसाधनों का आवंटन करता है। वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांत व्यक्तिगत व्यवसाय खंड में राजस्व और व्यय को रिकॉर्ड करने के लिए लगातार लागू होते हैं, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में निर्धारित होते हैं।

कंपनी 2 खंडों में काम करती है – अक्षय ऊर्जा (आरई) और ऊर्जा दक्षता (ईई) क्षेत्र में वित्तीय गतिविधियों और कासरगोड, केरल में सौर संयंत्र संचालन के माध्यम से बिजली का उत्पादन। कंपनी के लिए प्रमुख राजस्व आरई और ईई क्षेत्र में वित्तपोषण गतिविधियों के खंड से आता है। अन्य परिचालन खंड – सौर संयंत्र के माध्यम से बिजली का उत्पादन एक रिपोर्ट योग्य खंड नहीं है। कंपनी भारत में काम करती है, इसलिए इसे केवल घरेलू खंड में संचालित करने के लिए माना जाता है। इस प्रकार सेगमेंट रिपोर्टिंग के उद्देश्य से इसे एकल व्यवसाय/भौगोलिक खंड के रूप में माना जाता है।

(ii) प्रमुख (बड़े) ग्राहकों के बारे में सूचना

हमारे राजस्व में 10 प्रतिशत या अधिक का योगदान करने वाला कोई एक बाहरी ग्राहक नहीं है

(iii) भौगोलिक सूचना

परिचालन के स्थान के आधार पर बाहरी ग्राहकों से राजस्व और संपत्ति के स्थान के आधार पर इसकी गैर–चालू परिसम्पत्तियों' के बारे में जानकारी इस प्रकार है:

विवरण	बाहरी ग्राहकों से राजस्व		गैर चालू परिसम्पत्तियां*	
	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
भारत**	261,394.55	236,731.98	203,157.42	204,732.36
भारत से बाहर	-	-	-	-
कुल	**261,394.55**	**236,731.98**	**203,157.42**	**204,732.36**

*इस राशि में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, पूंजी कार्य–प्रगति, निवेश संपत्ति, प्रयोगाधिकार परिसंपत्ति, विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्ति, अमूर्त परिसंपत्ति, पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम और भारत सरकार पूरी तरह से सेवा बांड प्राप्त करने योग्य धन शामिल हैं।

**इसमें डेरवेटिवों के उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल लाभ/(हानि) से संबंधित रु.(1,247.32) लाख (गत वर्ष रु.7,165.33 लाख) की राशि शामिल है, जिसे बाहरी ग्राहकों से राजस्व का भाग नहीं माना गया है।

(iv) मुख्य उत्पादों से राजस्व

प्रत्येक उत्पाद और सेवा के लिए बाहरी ग्राहकों से होने वाली आय इस प्रकार है:

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
ब्याज आय	256,522.88	224,658.02
शुल्क और कमीशन आय	3,377.26	2,162.65
ऊर्जा की बिक्री	2,741.73	2,745.99

10. भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस)–24 ''संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण'' के संबंध में प्रकटीकरण

क. सरकार और सरकार से संबंधित निकायों से अन्य के लिए प्रकटीकरण

i. संबंधित पक्षकार का नाम

संबंधित पक्षकार का नाम	संबंध का प्रकार	अवधि (01.04.2019 to 31.03.2021)
मैसर्स एम.पी. विंडफार्म्स लिमिटेड	एम.पी. ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (25%), कन्सोलिडेटेड एनर्जी कंसल्टेंट्स लिमिटेड (49.5%), इरेडा (24%) और अन्यों (1.5%) के सहयोग एक संयुक्त क्षेत्र की असूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड	01.04.2020 से 31.03.2021 01.04.2019 से 31.03.2020
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक		
श्री प्रदीप कुमार दास	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त)*	06.05.2020 से 31.03.2021
श्री भानु प्रताप यादव	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**	01.04.2020 से 06.05.2020 02.01.2020 से 31.03.2020
	निदेशक – सरकारी नामित**	12.06.2020 से 31.03.2021 01.04.2019 से 01.01.2020
श्री प्रवीण कुमार	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2019 से 31.12.2019
श्री एस.के. भार्गव	निदेशक – वित्त	01.04.2019 से 31.01.2020
श्री चिंतन नवीनभाई शाह	निदेशक – तकनीकी निदेशक – वित्त '	01.04.2020 से 31.03.2021 01.04.2019 से 31.03.2020
श्री अरुण कुमार	निदेशक – सरकारी नामित	01.04.2019 से 29.07.2019
श्री प्रवीण गर्ग	निदेशक – सरकारी नामित	29.07.2019 से 11.02.2020
श्री अमितेश कुमार सिन्हा	निदेशक – सरकारी नामित	01.04.2020 से 12.06.2020 24.01.2020 से 31.03.2020
श्री विमलेंद्र ए. पटवर्धन	निदेशक – सरकारी नामित	01.04.2020 से 31.03.2021 17.02.2020# से 31.03.2020
श्री अभिषेक महावर	निदेशक – सरकारी नामित	01.04.2020 से 13.09.2020 01.04.2019 से 31.03.2020
सुश्री इंदु बाला	निदेशक – स्वतंत्र निदेशक	01.04.2019 से 18.03.2020
सुश्री मधुश्री एम. स्वामी	निदेशक – स्वतंत्र निदेशक	01.04.2020 से 18.03.2021 01.04.2019 से 31.03.2020

डॉ. गांगिडी एम. रेड्डी	निदेशक – स्वतंत्र निदेशक	01.04.2020 से 18.03.2021 01.04.2019 से 31.03.2020
श्री संजय जैन	निदेशक – स्वतंत्र निदेशक	01.04.2020 से 01.08.2020 01.04.2019 से 31.03.2020
डॉ. आर.सी. शर्मा	महाप्रबंधक (एफएंडए) और मुख्य वित्तीय अधिकारी ***	01.04.2020 से 31.03.2021 01.02.2020 से 31.03.2020
श्री सुरेंद्र सुयाल	कम्पनी सचिव	01.04.2020 से 31.03.2021 01.04.2019 से 31.03.2020

* श्री चिंतन शाह, निदेशक (तकनीकी) को 01.02.2020 से 3 महीने की अवधि के लिए या नियमित पदधारी की नियुक्ति तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। इसके अलावा, एमएनआरई ने निदेशक (वित्त) के अतिरिक्त प्रभार को 01.05.2020 से बढ़ाकर 05.05.2020 कर दिया। तत्पश्चात, श्री प्रदीप कुमार दास, जिन्हें 06.05.2020 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), इरेडा के रूप में नियुक्त किया गया था, को 06.05.2020 को निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। इसके बाद, एमएनआरई ने निदेशक (वित्त) के अतिरिक्त प्रभार का पद श्री प्रदीप कुमार दास, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इरेडा को 06.11.2020 से छह महीने की अवधि के लिए या नियमित पदधारी की नियुक्ति, जो भी पहले हो, तक बढ़ा दिया।

** श्री भानु प्रताप यादव, संयुक्त सचिव, एमएनआरई निदेशक (सरकारी नामिती, इरेडा) को 02.01.2020 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), इरेडा का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। श्री प्रदीप कुमार दास की इरेडा के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति के बाद, श्री भानु प्रताप यादव 06.05.2020 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इरेडा नहीं रहे। तत्पश्चात, एमएनआरई ने पत्र दिनांक 12.06.2020 द्वारा श्री अमितेश के सिन्हा, संयुक्त सचिव, एमएनआरई के स्थान पर श्री भानु प्रताप यादव को निदेशक (सरकारी नामित) नियुक्त किया।

*** डॉ. आर.सी. शर्मा, महाप्रबंधक (एफएंडए) को 01.02.2020 से मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के रूप में नियुक्त किया गया था।

डीआईएन आवंटन तिथि

कम्पनी के नियंत्रणाधीन न्यास / निधियां

- इरेडा कर्मचारी अभिदान भविष्य निधि न्यास
- इरेडा कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि न्यास
- इरेडा कर्मचारी परिभाषित अभिदान अधिवार्षिता न्यास
- इरेडा कर्मचारी परोपकारी निधि
- इरेडा विनियम जोखिम प्रशासन निधि

ii. संबंधित पक्षकारों को प्रतिपूर्ति

(लाख रुपए में)

विवरण	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2021	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2020
अल्पावधिक लाभ		
- बैठक शुल्क (स्वतंत्र निदेशकों को)*	27.70	19.20
- अन्य (कार्यकारी निदेशकों को वेतन)**	185.43	181.06
कार्यकारी निदेशकों को सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ**	20.76	13.25
कुल	**233.89**	**213.51**

***बैठक शुल्क**

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2021	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2020
1	अभिषेक महावर	4.90	6.40
2	इंदु बाला	-	2.60
3	जी.एम. रेड्डी	11.10	5.60
4	मधुश्री एम स्वामी	8.90	3.60
5	संजय जैन	2.80	1.00
	कुल	**27.70**	**19.20**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
स्टैंडलॉन वित्तीय विवरणों पर नोट

**ब्यौरा निम्नानुसार

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	श्री प्रदीप कुमार दास, (सीएमडी)[1]	श्री प्रवीण कुमार (सीएमडी)[2]	श्री बी.पी. यादव, सीएमडी[3]		श्री एस.के. भार्गव, (डीएफ)[4]	चिंतन नवीनभाई शाह, (डीटी)		डॉ. आर.सी.शर्मा, (सीएफओ)[5]		श्री सुरेंद्र सुयाल, (सीएस)	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
1	वेतन और भत्ते	34.42	-	-	-	83.49	45.28	30.24	47.34	6.28	38.64	43.68
2	पूर्वापेक्षाओं का मूल्य	3.69	-	-	-	4.33	3.76	4.01	2.32	0.83	1.89	2.59
3	भविष्य निधि	2.84	-	-	-	2.73	2.90	2.56	3.29	0.53	2.83	2.63
4	अधिवार्षिता अभिदान / एनपीएस	2.13	-	-	-	1.82	2.18	1.5	2.47	-	2.12	1.45
5	चिकित्सा	1.92	-	-	-	1.64	2.01	1.81	2.23	0.33	1.93	1.73
	कुल	**45.00**	**-**	**-**	**-**	**94.01**	**56.13**	**40.12**	**57.65**	**7.97**	**47.41**	**52.08**

1. श्री प्रदीप कुमार दास को 06.05.2020 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।
2. श्री प्रवीण कुमार ने 01.03.2019 से 31.12.2019 तक सीएमडी के रूप में कार्य किया।
3. श्री बी.पी. यादव, संयुक्त सचिव, एमएनआरई (सरकारी नामित निदेशक, इरेडा) को दिनांक 02.01.2020 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीमडी), इरेडा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।
4. श्री एस.के भार्गव 31.01.2020 से अधिवार्षिता पर सेवानिवृत्त हो गए।
5. डॉ. आर. सी. शर्मा, महाप्रबंधक (एफएंडए) को 01.02.2020 से मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के रूप में नियुक्त किया गया था।

टिप्पणी:

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और निदेशक (तकनीकी) को सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुसार मासिक शुल्क के भुगतान पर प्रति माह 1000 किलोमीटर की सीमा तक निजी यात्रा सहित स्टाफ कार की भी अनुमति दी गई है। ।
- कार्यकारी निदेशकों के लिए ग्रेच्युटी फंड के लिए योगदान अलग से सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है क्योंकि एलआईसी में योगदान कर्मचारी के अनुसार नहीं बनाया गया है।
- बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर कार्यकारी निदेशक को अवकाश नकदीकरण, सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ आदि का प्रावधान किया गया है।

iii. केएमपी को और से ऋण:

(लाख रुपए में)

विवरण	श्री प्रदीप कुमार दास, (सीएमडी)	श्री एस.के. भार्गव, (डीएफ)	श्री चिंतन नवीनभाई शाह (डीटी)		डॉ. आर.सी. शर्मा (सीएफओ)		श्री सुरेंद्र सुयाल, (सीएस)	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
केएमपी को ऋण								
वर्ष के प्रारंभ में ऋण	-	-	-	-	10.88	15.86	12.85	14.27
ऋण अग्रिम	-	-	-	-	2.32	-	-	1.90
पुनर्भुगतान प्राप्त	-	-	-	-	5.82	4.14	6.29	3.84
प्रभारित ब्याज	-	-	-	-	0.41	0.72	0.11	0.52
प्राप्त ब्याज	-	-	-	-	-	1.56	2.51	-
ब्याज सहित वर्ष के अंत में शेष	-	-	-	-	7.79	10.88*	4.16	12.85
केएमपी से ऋण	**शून्य**							

* इस राशि में कम्पनी द्वारा देय 0.09 लाख रुपए का शेष शामिल है।

विभिन्न ऋण बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर्मचारी ऋण नीतियों के संदर्भ में दिए जाते हैं। केएमपी को ऋण उन्हीं नियमों और शर्तों पर दिया जाता है जिन पर कंपनी के अन्य कर्मचारियों को दिए जाते हैं। संबंधित पक्षों के लिए कोई प्रतिबद्धताएं लंबित नहीं हैं।

ख. सरकार और सरकारी निकायों के साथ किए गए लेन–देन के लिए प्रकटीकरण

(लाख रुपए में)

सरकार/ सरकारी निकायों का नाम	कम्पनी के साथ संबंध की प्रकृति	लेनदेन की प्रकृति	2020-21 के दौरान लेन–देन	2019-20 के दौरान लेन–देन	31 मार्च, 2021 को शेष	31 मार्च, 2020 को शेष
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई)	प्रशासनिक मंत्रालय	ऋण पुनर्भुगतान – एमएनआरई के माध्यम से आईडीए	1,392.05	874.96	26,645.45	28,740.87
		ब्याज भुगतान	212.74	205.05	-	-
		गारंटी शुल्क भुगतान	11,528.41	9,623.16	-	-
		एमएनआरई की ओर से कर योग्य बॉडों की उगाही	-	-	भारत सरकार के पूर्ण सर्विस बॉड सीरीज -I : 61,000.00 सीरीज IA : 22,000.00 सीरीज IB : 81,000.00 कुल : 164,000.00	

इरेडा भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (पीएसयू) है। एक ही सरकार के नियंत्रण/संयुक्त नियंत्रण में संबंधित पक्षों के साथ महत्वपूर्ण लेनदेन निम्नानुसार हैं:

(लाख रुपए में)

कम्पनी का नाम	लेन–देन की प्रकृति	2020-21 के दौरान लेन–देन	2019-20 के दौरान लेन–देन	31 मार्च, 2021 को शेष	31 मार्च, 2020 को शेष
आंध्रा बैंक	ऋण का पुनर्भुगतान	-	115.92	-	-
पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड	ऋण का पुनर्भुगतान	-	46,000.00	-	-
रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड	ऋण का संवितरण	-	2,417.70	9,990.36	9,990.36
भारतीय स्टेट बैंक	ऋण का पुनर्भुगतान	89.45	671.37	404.61	494.06
एनर्जी एफीशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	सीआरएस गतिविधियों के लिए सोलर बेस्ड इंडक्शन और एसपीवी स्ट्रीट लाइटों की आपूर्ति	-	183.69	-	-
हाउसिंग एंड अर्बन डवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	प्रदत्त भूमि किराया और लाइसेंस शुल्क	7.60	7.69	-	-
भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, यूनिट अशोक होटल	होटल को भुगतान	-	16.45	-	-

कम्पनी का नाम	लेनदेन की प्रकृति	2020-21 के दौरान लेनदेन	2019-20 के दौरान लेनदेन	31 मार्च, 2021 को शेष	31 मार्च, 2020 को शेष
भारतीय जीवन बीमा निगम – हैदराबाद रेंट	हैदराबाद शाखा कार्यालय के लिए किराया	6.95	5.01	-	0.34
नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड	भाड़े पर लिए गए स्थल आरआइएनएल कार्यालय के लिए अनुरक्षण प्रभार	89.37	8.98	-	0.42
पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रभार	9.25	9.12	-	1.88
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	भाड़े पर लिए गए स्थल आरआइएनएल का किराया	58.20	93.71	20.40	-0.04
सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया	व्यय की प्रतिपूर्ति	-	8.22	-9.37	-9.37
सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सौर परियोजना	कासरगोड परियोजना	171.78	-	181.00	352.78

कंपनी को सरकार से संबंधित संस्थाओं को ऋण पर 1,071.80 लाख (पिछले वर्षः रु. 3,469.57 लाख) और मूलधन के भुगतान पर रु. 89.45 लाख (पिछले वर्षः 46,787.29 लाख रुपये) रुपये का ब्याज भी मिला है।

सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ उपरोक्त लेनदेन में ऐसे लेनदेन शामिल हैं जो व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। कंपनी ने अन्य सीपीएसयू के साथ अन्य लेनदेन जैसे टेलीफोन खर्च, हवाई यात्रा और जमा आदि में भी प्रवेश किया है। वे व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से महत्वहीन हैं और इसलिए उनका खुलासा नहीं किया गया है। सभी लेनदेन बाजार की शर्तों पर किए जाते हैं।

11. सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और 53(f) द्वारा यथापेक्षित प्रकटीकरण

सहयोगी		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
		31 मार्च, 2021 को राशि	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम राशि	31 मार्च, 2020 को राशि	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम राशि
1	ऋण और ऋणों की प्रकृति में अग्रिम	शून्य		शून्य	
क)	सहयोगियों को				
ख)	उन कम्पनियों को जिनमें निदेशकों की रुचि है				

12. भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 116 ''पट्टे'' के संबंध में प्रकटीकरण

कंपनी ने अप्रैल 01, 2019 के प्रारंभिक आवेदन की तारीख के साथ इंड एएस 116 को लागू किया है। कंपनी ने संशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए इंड एएस 116 को लागू किया है, जिसके तहत प्रारंभिक आवेदन के संचयी प्रभाव को अप्रैल 01, 2019 पर प्रतिधारित आय में स्वीकृत किया गया है। कंपनी ने 01 अप्रैल, 2019 को लागू होने वाली अपनी सभी लीज व्यवस्थाओं के लिए उपर्युक्त दृष्टिकोण को लागू किया है।

इंड एएस 116 के पैरा सी 11 के अनुसार, इंड एएस 17 को लागू करने वाले वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत किए गए पट्टों के लिए, प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर उपयोग के अधिकार की संपत्ति और पट्टा देयता की अग्रणी राशि होगी। लीज एसेट और लीज लायबिलिटी उस तारीख से ठीक पहले इंड एएस 17 को लागू करते हुए मापी जाती है। इसलिए, इंडिया हैबिटेट सेंटर (आईएचसी) और अगस्त क्रांति भवन (एकेबी) में लीजहोल्ड संपत्ति के मामले में लीज एसेट की अग्रणी राशि, कंपनी ने इंड एएस 116 के अनुसार संपत्ति के उपयोग के अधिकार के रूप में इसे आगे बढ़ाया है।

क) इंड एएस 116 के अनुसार प्रयोगाधिकार परिसम्पत्तियों के रूप में लेखांकित पट्टे का विवरण

कंपनी ने दिल्ली में ऑफिस स्पेस और केरल में सोलर पार्क लैंड आदि के लिए विभिन्न पार्टियों के साथ लीज एग्रीमेंट किया है। प्रत्येक एग्रीमेंट की अवधि और रेंटल भुगतान अलग–अलग हैं। हमने इंड एएस 116 के तहत उन पट्टों के लिए नए माप सिद्धांतों को लागू किया है जिन पर कंपनी की लेखा नीति के अनुरूप अल्पावधि पट्टे के तहत छूट उपलब्ध नहीं है।

ख) इंड एएस 116 के अंगीकरण के कारण लेखांकन नीति में परिवर्तन का प्रभाव इस प्रकार हैः वित्तीय वर्ष 2019–20 (अंगीकरण का वर्ष) के लिए

(लाख रुपए में)

विवरण	लीजहोल्ड–आईएचसी	लीजहोल्ड–एकेबी	आरआईएनएल लीज	कुल
संपत्ति संयंत्र और उपस्कर में कमी	133.61	1,678.98	-	1,812.59
लीज देनदारी में वृद्धि	-	-	102.42	102.42
प्रयोगाधिकार में वृद्धि	133.61	1,678.98	99.01	1,911.60
वित्त लागत में वृद्धि	-	-	10.63	10.63
मूल्ह्रास में वृद्धि	-	-	74.26	74.26
आस्थगित कर देनदारी में निवल वृद्धि	106.24	106.24		

ग) लीज देनदारियों का परिपक्वता विश्लेषण

31.03.2021 को

(लाख रुपए में)

परिपक्वता विश्लेषण – संविदागत छूट रहित नकद प्रवाह	मुम्बई कार्यालय	सौर संयंत्र – केरल	कुल
7 दिन तक	1.89	-	1.89
7 दिन से अधिक – 15 दिन तक	-	-	-
15 दिन से अधिक – 30/31 दिन (1 महीना) तक	-	-	-
1 महीने से अधिक – 2 महीने तक	1.89	-	1.89
2 महीने से अधिक – 3 महीने तक	1.89	57.84	59.73
3 महीने से अधिक – 6 महीने तक	5.66	-	5.66
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष तक	12.18	-	12.18
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	52.43	78.04	130.47
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	43.07	78.04	121.11
5 वर्ष से अधिक	-	702.36	702.36
31 मार्च, 2021 को कुल छूट रहित लीज देनदारियां	119.01	916.28	1,035.29
31 मार्च, 2021 को वित्तीय स्थिति के विवरण में शामिल लीज देनदारियां	100.77	433.34	534.11
चालू	16.82	57.84	74.66
गैर–चालू	83.95	375.50	459.45

31.03.2020 को

(लाख रुपए में)

परिपक्वता विश्लेषण – संविदागत छूट रहित नकद प्रवाह	आरआईएनएल लीज	कुल
7 दिन तक	6.79	6.79
7 दिन से अधिक – 15 दिन तक	-	-
15 दिन से अधिक – 30/31 दिन (1 महीना) तक	-	-
1 महीने से अधिक – 2 महीने तक	6.79	6.79
2 महीने से अधिक – 3 महीने तक	6.79	6.79
3 महीने से अधिक – 6 महीने तक	20.37	20.37
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष तक	40.74	40.74
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	27.16	27.16
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	-	-
5 वर्ष से अधिक	-	-
31 मार्च, 2021 को कुल छूट रहित लीज देनदारियां	108.63	108.63
31 मार्च, 2021 को वित्तीय स्थिति के विवरण में शामिल लीज देनदारियां	102.42	102.42
चालू	75.73	75.73
गैर–चालू	26.69	26.69

घ) **लाभ या हानि में स्वीकृत राशियां**

31.03.2021 को समाप्त अवधि

(लाख रुपए में)

विवरण	लीजहोल्ड– आईएचसी	लीजहोल्ड – एकेबी	आरआईएनएल लीज	मुम्बई कार्यालय	सौर संयंत्र– केरल	कुल
लीज देनदारियों पर ब्याज	-	-	4.12	3.77	-	**7.89**
लीज देनदारियों के मापन में शामिल न किए गए चल लीज भुगतान	-	-	-	-	-	**-**
प्रयोगाधिकार परिसम्पत्तियों की सब–लीजिंग से आय	-	-	-	-	-	**-**
लीज देनदारियों की स्वीकृति रद्द करना*	-	-	59.02	-	-	**59.02**
प्रयोगाधिकार परिसम्पत्तियों की स्वीकृति रद्द करना*	-	-	173.27	-	-	**173.27**
प्रयोगाधिकार परिसम्पत्तियों के संचित मूल्यह्रास की स्वीकृति रद्द करना*	-	-	117.57	-	-	**117.57**
अल्पावधिक पट्टों से संबंधित व्यय	-	-	-	-	-	**-**
अंतर्निहित परिसम्पत्ति की श्रेणी द्वारा प्रयोगाधिकार परिसम्पत्तियों के लिए मूल्यह्रास प्रभार;	13.71	161.72	43.32	11.84	9.08	**239.66**

31.03.2020 को समाप्त अवधि

(लाख रुपए में)

विवरण	लीजहोल्ड– आईएचसी	लीजहोल्ड– एकेबी	आरआईएनएल लीज	कुल
लीज देनदारियों पर ब्याज	-	-	10.63	**10.63**
अंतर्निहित परिसम्पत्ति की श्रेणी द्वारा प्रयोगाधिकार परिसम्पत्तियों के लिए मूल्यह्रास प्रभार	15.71	181.30	74.26	**271.27**

ङ) **नकद प्रवाहों के विवरण में स्वीकृत राशियां**

(लाख रुपए में)

विवरण	लीजहोल्ड– आईएचसी	लीजहोल्ड– एकेबी	आरआईएनएल लीज	मुम्बई कार्यालय	सौर संयंत्र – केरल	कुल
31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	-	-	47.53	12.27	-	**59.80**
31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	-	-	81.48		-	**81.48**

च) तुलन पत्र में स्वीकृत राशियां

31.03.2021 को

(लाख रुपए में)

विवरण	लीजहोल्ड– आईएचसी	लीजहोल्ड– एकेबी	आरआई एनएल लीज	मुम्बई कार्यालय	सौर संयंत्र – केरल*	कुल
वर्ष के प्रारंभ में शेष	172.34	2,110.10	173.27	-	-	**2,455.71**
प्रयोगाधिकार परिसम्पत्तियों में संवर्धन	-	-	-	109.27	433.34	**542.61**
प्रयोगाधिकार परिसम्पत्तियों का विलोप/स्वीकृति रद्द करना	-	-	- 173.27	-	-	**- 173.27**
वर्ष के अंत में शेष	172.34	2,110.10	-	109.27	433.34	**2,825.06**
अंतर्निहित परिसम्पत्ति की श्रेणी द्वारा प्रतिवेदन अवधि के अंत में प्रयोगाधिकार परिसम्पत्तियों की वाहित राशि	104.19	1,335.96	-	97.43	424.26	**1,961.84**

*कंपनी ने 19 जनवरी 2021 को रिन्यूएबल पावर कॉरपोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड (RPCKL) के साथ कासरगोड सोलर पार्क में भूमि उपयोग के लिए समझौते को क्रियान्वित किया है। समझौते के अनुसार, कंपनी को 06.10.2020 तक भूमि पट्टा शुल्क के भुगतान से छूट दी गई थी।

31.03.2020 को

(लाख रुपए में)

विवरण	लीजहोल्ड– आईएचसी	लीजहोल्ड– एकेबी	आरआईएनएल लीज	कुल
प्रयोगाधिकार परिसम्पत्तियों में संवर्धन	172.34*	2,110.10*	173.27	**2,455.71**
अंतर्निहित परिसम्पत्ति की श्रेणी द्वारा प्रतिवेदन अवधि के अंत में प्रयोगाधिकार परिसम्पत्तियों की वाहित राशि	117.90	1,497.68	99.01	**1,714.60**

* इंड एएस 116 के पैरा सी 11 के अनुसार, इंड एएस 17 को लागू करने वाले वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत किए गए पट्टों के लिए, प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर उपयोग के अधिकार की संपत्ति और पट्टा देयता की अग्रणी राशि होगी। लीज एसेट और लीज लायबिलिटी उस तारीख से ठीक पहले इंड एएस 17 को लागू करते हुए मापी जाती है। इसलिए, इंडिया हैबिटेट सेंटर (आईएचसी) और अगस्त क्रांति भवन (एकेबी) में लीजहोल्ड संपत्ति के मामले में लीज एसेट की अग्रणी राशि, कंपनी ने इंड एएस 116 के अनुसार संपत्ति के उपयोग के अधिकार के रूप में इसे आगे बढ़ाया है।

छ) अन्य प्रकटीकरण

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित व्यय	6.05	9.12

13. भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस)–33 ''आय प्रति शेयर (ईपीएस)'' के संबंध में प्रकटीकरण

क. मूल ईपीएस

मूल ईपीएस की गणना में उपयोग किए जाने वाले साधारण शेयरों की कमाई और भारित औसत संख्या इस प्रकार है:–

विवरण	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2021	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2020
कम्पनी के स्वामियों के कारण वर्ष के लिए लाभ (हानि) (लाख रुपए)	34,640.72	21,455.04
मूल आय प्रति शेयर की गणना में प्रयुक्त आय (क) (लाख रुपए)	34,640.72	21,455.04
मूल आय प्रति शेयर के उद्देश्य से सामान्य शेयरों की भारित औसत संख्या (ख)	784,600,000	784,600,000
मूल ईपीएस (क/ख) (रुपए में)	4.42	2.73

ख. विरलित ईपीएस

विरलित ईपीएस की गणना में प्रयुक्त सामान्य शेयरों की आय और भारित औसत संख्या निम्नानुसार है:

विवरण	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2021	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2020
कम्पनी के स्वामियों के कारण वर्ष के लिए लाभ (हानि) (लाख रुपए)	34,640.72	21,455.04
विरलित आय प्रति शेयर की गणना में प्रयुक्त आय (क) (लाख रुपए)	34,640.72	21,455.04
विरलित आय प्रति शेयर के उद्देश्य से सामान्य शेयरों की भारित औसत संख्या (ख)	784,600,000	784,600,000
विरलित ईपीएस (क/ख) (रुपए में)	4.42	2.73

14. निष्पादन संबद्ध वेतन

वर्ष के दौरान कंपनी ने प्रासंगिक वर्ष के लिए निष्पादन संबद्ध वेतन के लिए रुपये 199.56 लाख (पिछले वर्ष रु. 600.00 लाख) रुपये की राशि का प्रावधान किया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए पीआरपी के लिए अंतर्निहित योजना के अनुसार पात्र कर्मचारियों को वर्ष के दौरान 400.34 लाख रुपए (पिछले वर्ष शून्य लाख रुपये) का भुगतान किया गया था।

15. परिसम्पत्तियों पर सृजित प्रतिभूति

i. प्रतिभूति के रूप में रेहन रखी गई परिसम्पत्तियां

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
हमारे ऋणों और अग्रिमों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार (कम्पनी के बही ऋण)		
वित्तीय परिसम्पत्तियां		
- कर मुक्त बॉण्ड	275,765.46	275,765.46
-बैंकों की उधार राशिया*	123,495.37	171,659.84
-विदेशी मुद्रा ऋण	202,435.71	225,949.43
गैर वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-
अस्थायी प्रभार		
वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-
गैर वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-

इसके अतिरिक्त, 31.03.2021 को 441,692.75 लाख रुपये की राशि (पिछले वर्षः 456,683.92 लाख रुपये) के कर योग्य बांड, ऋणात्मक ग्रहणाधिकार द्वारा प्रत्याभूत हैं।

*कंपनी के बैंक उधारों के संबंध में सृजित प्रभारों का विवरण इस प्रकार हैः

क्र.सं.	ऋणदाता संस्था	सृजित प्रभार का ब्यौरा
1	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	100 प्रतिशत कवर के साथ 90 दिनों तक बही ऋणों और प्राप्य राशियों पर समरूप प्रभार
2	भारतीय स्टेट बैंक	ऋण राशि के 100 प्रतिशत के अध्यधीन बही ऋणों के दृष्टिबंधक के माध्यम से प्रथम समरूप प्रभार
3	बैंक ऑफ इंडिया	100 प्रतिशत के सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्य राशियों पर प्रथम समरूप शुल्क
4	पंजाब नेशनल बैंक	बकाया ऋण राशि के 1.00 गुना के न्यूनतम सुरक्षा कवर के साथ कंपनी के सभी वर्तमान और भविष्य की प्राप्तियों पर प्रथम समरूप प्रभार।
5	बैंक ऑफ बड़ौदा (वित्तीय वर्ष 20–21 में पूर्व–समाप्त आवधिक ऋण)	कुल ऋण स्वीकृति सीमा के 100 प्रतिशत के अधीन बही ऋणों के रेहन के माध्यम से प्रथम समरूप प्रभार और मानक परिसंपत्तियों से संबंधित बही ऋणों/ऋण प्राप्तियों का रेहन। (प्रभार 12/05/2021 को चुकाया गया)
6	केनरा बैंक (वित्तीय वर्ष 20–21 में पूर्व–समाप्त आवधिक ऋण)	मानक परिसम्पत्तियों पर प्रथम समरूप प्रभार (बही ऋण) (प्रभार 24/3/2021 को चुकाया गया)

ii. बही ऋणों पर ऋणात्मक ग्रहणाधिकार द्वारा प्रत्याभूत

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
ऋणात्मक ग्रहणाधिकार (कम्पनी के बही ऋण)		
वित्तीय परिसम्पत्तियां		
-कर योग्य बॉण्ड	441,692.75	456,683.92
गैर–वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-

16. कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिम और उधार से जुड़े ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के अनुसरण में व्युत्पन्न उपकरणों का उपयोग करती है। विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम की हेजिंग के लिए, कंपनी विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध, क्रॉस करेंसी स्वैप और ब्याज दर स्वैप का उपयोग करती है। हेज अकाउंटिंग के तहत नामित डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स प्रभावी हेज हैं, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के उचित मूल्य में बदलाव को ''कैश फ्लो हेजेज के प्रभावी हिस्से'' में मान्यता दी गई है। इस तरह के रिजर्व में मान्यता प्राप्त राशि को लाभ और हानि के विवरण में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, जब बचाव की गई (हैज्ड) वस्तु लाभ या हानि को प्रभावित करती है।

17. उधार लेने वाली संस्थाओं की संपत्ति आदि के रूप में रखी गई प्रतिभूति के अतिरिक्त, कंपनी के पास बैंकों द्वारा जारी एफडीआर और गारंटी के रूप में 11,658.90 लाख रुपये और दिए गए ऋणों के लिए अतिरिक्त प्रतिभूतियों के रूप में क्रमशः 19,476.29 लाख (पिछले वर्षः रु. 5,938.06 लाख और रु. 18,041.58 लाख) रुपये की गारंटी है।

18. इरेडा की बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा और व्युत्पन्न जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार, विदेशी मुद्रा ऋण (बकाया विदेशी मुद्रा उधार का 40 प्रतिशत) पर एक खुला जोखिम अनुमेय है। 31 मार्च, 2021 पर खुला एक्सपोजर रु. 235,254.31 लाख (पिछले वर्षः 261,350.75 लाख रुपये) जो कि बकाया विदेशी मुद्रा उधार का 22.80 प्रतिशत (पिछले वर्षः 24.58 प्रतिशत) है और अनुमेय सीमा के भीतर है।

    उक्त ओपन एक्सपोजर में से पार्ट हेजिंग यूरो मुद्रा ऋण (पिछले वर्ष 61,474,891.72 अमरीकी डालर के यूरो ऋण के बराबर 46,343.40 लाख रुपये) के लिए केवल मूलधन स्वैप (यूएसडी/आईएनआर) लेकर यूएसडी 36,808,471.72 के बराबर 27,055.96 लाख रुपए के लिए किया गया है।

19. भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 40 – ''निवेश सम्पत्ति'' के अनुसार प्रकटीकरण

    (i) जंगुपरा, दिल्ली में आवासीय फ्लैट
    (ii) आयों और व्ययों का ब्यौराः

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
किराया आय	5.50*	6.60
प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय	0.05	0.04

*लीज को दिनांक 01.04.2015 से समाप्त कर दिया गया है और राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (एनआईडब्ल्यूई) द्वारा इरेडा को खाली फ्लैट का कब्जा सौंपा जा चुका है।

(iii) निवेश परिसम्पत्ति का उचित मूल्य

दिनांक 31.03.2021 को सम्पत्ति का बाजार मूल्य (प्रमाणित मूल्यांकनकर्ता द्वारा) 211.00 लाख रुपए (गत वर्षः 211.00 लाख रुपए) आंका गया है।

20. भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 27 – ''पृथक वित्तीय विवरण''

निम्नलिखित सूचना कम्पनी के सहयोगी कम्पनी के संबंध में हैः

निकाय का नाम	कारोबार का स्थान/ निगमीकरण का देश	समूह गैर–नियंत्रक ब्याज राशियों द्वारा धारित स्वामित्व ब्याज	प्रधान गतिविधियां	संबंध	लेखांकन पद्धति	वाहित राशि (लाख रुपए में)
सहयोगी कम्पनी में निवेश						
एमपी विंड फार्म्स लिमिटेड में निवेश	मध्य प्रदेश – भारत	24%	ऊर्जा उत्पादन	सहयोगी	इक्विटी पद्धति	12.00

21. सम्पत्ति, सयंत्र और उपस्कर की लागत में शामिल बंद देनदारियां

इंड एएस 16 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण परिशिष्ट ए ''मौजूदा डीकमीशनिंग, बहाली और इसी तरह की देनदारियों में परिवर्तन'' के अनुसार, डीकमीशनिंग, बहाली या इसी तरह की देयता में विनिर्दिष्ट परिवर्तनों को उस परिसंपत्ति की लागत से जोड़ा या घटाया जाना चाहिए जिसमें यह संबंधित; परिसंपत्ति की समायोजित मूल्यह्रास राशि को उसके शेष उपयोगी जीवन पर संभावित रूप से मूल्यह्रास किया जाता है। इंडस्ट्रीज एएस 16 के पैरा 55 के अनुसार, एक परिसंपत्ति की मूल्यह्रास राशि उसके अवशिष्ट मूल्य को घटाने के बाद निर्धारित की जाती है। डीकमिशनिंग देयता की राशि और सौर संयंत्र से संबंधित अवशिष्ट मूल्य विश्वसनीय रूप से सुनिश्चित नहीं है। इसलिए, सौर संयंत्र से संबंधित डीकमिशनिंग देयता और अवशिष्ट मूल्य पर विचार नहीं किया गया है। हालांकि, प्रबंधन की राय है कि बंद करने की लागत (सौर संयंत्र के अवशिष्ट मूल्य का निवल) महत्वपूर्ण नहीं होगी।

22. वित्तीय विवरणों का अनुमोदन

वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया और 30.05.2021 को जारी किए जाने के लिए प्राधिकृत किया गया।

23. ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व

कंपनी के पास सोलर पावर प्लांट है। बिजली खरीद समझौते (पीपीए) पर इरेडा और केरल राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड (केएसईबीएल) के बीच 31.03.2017 / रुपये पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 4.95/KWH या केरल राज्य विद्युत नियामक आयोग (KSERC) द्वारा अनुमोदित दर, जो भी कम हो। तदनुसार इरेडा ने केएसईआरसी के साथ बिजली खरीद समझौते के अनुमोदन के लिए एक याचिका दायर की, जिसने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 14.02.18 में रुपये के अंतरिम टैरिफ को मंजूरी दी है। मार्च, 2018 तक 3.90 प्रति यूनिट। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, केएसईआरसी ने एक टैरिफ आदेश पारित किया है और प्रति यूनिट 3.83 रुपये का टैरिफ निर्धारित किया है। तदनुसार, कंपनी ने केएसईबीएल को बिजली की डिलीवरी पर सकल राजस्व को मान्यता दी है।

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए			
		उत्पादित यूनिट (मिल.)	बेची गई इकाई (मिल)	दर प्रति इकाई (रुपए)	कुल (लाख रुपए में)
i)	ऊर्जा उत्पादन	73.43	73.04	3.83	2,797.69
क्र.सं.	**विवरण**	**31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए**			
		उत्पादित यूनिट (मिल.)	**बेची गई इकाई (मिल)**	**दर प्रति इकाई (रुपए)**	**कुल (लाख रुपए में)**
i)	ऊर्जा उत्पादन	73.5345	73.16	3.83	2,802.03

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
बिक्रियों में शामिल बिल न किए गए राजस्व की राशि	303.06	316.54

क). राजस्व का पृथक्करण

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से कंपनी के राजस्व का पृथक्करण नीचे दिया गया है:

सौर ऊर्जा संयंत्र से राजस्व

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
1	**राजस्व**		
प्रचालनों से निवल राजस्व (2 प्रतिशत छूट से निवल, जहां लागू हो)		2,741.73	2,745.99
2	**प्राथमिक भौगोलिक बाजार**		
घरेलू राजस्व		2,741.73	2,745.99
अंतरराष्ट्रीय राजस्व		-	-
कुल राजस्व		**2,741.73**	**2,745.99**
3	**राजस्व स्वीकृति का समय**		
एक समय में		-	-
समय के बाद		2,741.73	2,745.99
कुल राजस्व		**2,741.73**	**2,745.99**

टिप्पणी: केएसईबीएल ऊर्जा की बिक्री के लिए एकमात्र ग्राहक है

ख) कारोबार प्राप्य और संविदा शेष

निम्न तालिका ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्य और अनुबंध देनदारियों के बारे में जानकारी प्रदान करती है:–

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
कारोबार प्राप्य (निवल) (सौर संयंत्र)	297.00	311.96

24. सौर ऊर्जा परियोजना

कंपनी ने केरल राज्य में कासरगोड जिले के अंबालाथरा सोलर पार्क में स्थित इरेडा की 50 मेगावाट सौर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2014–15 में भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसे वित्तीय वर्ष 2016–17 में बहीखातों में रु. 29,398.48 लाख पर पूंजीकृत किया गया है। इसके बदले में, एसईसीआई (एक परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में) ने इरेडा की ओर से मेसर्स जैक्सन इंजीनियर्स लिमिटेड का ईपीसी (इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन) कंसल्टेंट के रूप में डिजाइन, इंजीनियरिंग, आपूर्ति, निर्माण, इरेक्शन, टेस्टिंग, सोलर पीवी पावर प्लांट की स्थापना के लिए 26,929.25 लाख रुपये प्लस 8% प्रबंधन शुल्क (कर सहित) एसईसीआई को देय और रु. 2,456.32 लाख रुपये की निश्चित कीमत पर चयन किया है। । वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान 12.92 लाख रुपये की राशि का ब्याज पूंजीकृत किया जा रहा है। 1,500.00 लाख (करों को छोड़कर) जो कि अक्षय ऊर्जा निगम केरल लिमिटेड (आरपीसीकेएल), सोलर पार्क डेवलपर को निकासी शुल्क के लिए अग्रिम के रूप में भुगतान किया गया था, वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान पूंजीकृत किया गया था। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, 812.71 लाख रुपये की एक और राशि का भुगतान और पूंजीकरण किया गया।

पीपीए पर 31.03.2017 को इरेडा और केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड (केएसईबीएल) के बीच 4.95/केडब्ल्यूएच या केरल राज्य विद्युत नियामक आयोग (केएसईआरसी) द्वारा अनुमोदित दर, जो भी कम हो, से हस्ताक्षर किए गए थे।। तदनुसार इरेडा ने केएसईआरसी के साथ बिजली खरीद समझौते के अनुमोदन के लिए एक याचिका दायर की, जिसने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 14.02.18 में रुपये के 3.90 प्रति यूनिट अंतरिम टैरिफ को मंजूरी दी थी। इसके अलावा, केएसईआरसी ने दिनांक 06.02.19 के अपने आदेश में 3.83 रुपये प्रति यूनिट के स्तर पर टैरिफ को मंजूरी दी थी। इसने आगे निम्नानुसार आदेश भी दिया है:

- केएसईबी लिमिटेड इस आदेश में निर्दिष्ट इक्विटी की राशि तक सीमित आरओई पर भुगतान किए गए किसी भी कर की प्रतिपूर्ति करेगा। कर का दावा करने के लिए, डेवलपर केएसईबी लिमिटेड को ऐसे कर के भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

- केएसईबी लिमिटेड, उपरोक्त के अतिरिक्त, इरेडा/आरपीसीकेएल द्वारा भुगतान की गई भूमि पट्टे की, सब्सिडी के रूप में प्राप्त राशि, यदि कोई हो, की प्रतिपूर्ति करेगा।

तदनुसार, इरेडा ने आरपीसीकेएल से 1,313 लाख रु. का दावा किया था , जिन्होंने दावे और उसके मूल्य के बारे में नकारात्मक जवाब दिया था। इसके अलावा, इरेडा ने निर्धारित टैरिफ की समीक्षा के लिए एक समीक्षा याचिका के साथ बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) से संपर्क किया है। इसके बावजूद, उत्पादन आय 3.83 रुपये प्रति यूनिट लेखांकित की गई है ।

संयंत्र की निष्पादन गारंटी परीक्षण परिचालन स्वीकृति हो चुकी थी और कंपनी ने 09.03.2020 को परिचालन स्वीकृति प्रमाणपत्र जारी किया था। प्लांट हैंडओवर और टेकओवर 09.03.2021 को किया गया है। सौर परियोजना लीजहोल्ड भूमि पर स्थापित की गई है, जिसके लिए पहले 5 वर्षों के लिए कोई पट्टा किराया देय नहीं था। वर्ष के दौरान, कंपनी ने भूमि उपयोग के संबंध में रिन्यूएबल पावर कॉरपोरेशन ऑफ केरला लिमिटेड (आरपीसीकेएल) के साथ एक पट्टा समझौता किया है। अनुबंध के अनुसार, कंपनी को 06.10.2020 तक भूमि पट्टा शुल्क के भुगतान से छूट दी गई थी।

25. लीजहोल्ड भवनों के संबंध में हस्तांतरण विलेख – 41.43 लाख रुपये की लागत वाला एक आवासीय फ्लैट (31 मार्च, 2021 को वहन लागतरू 4.25 लाख रुपये (पिछले वर्ष 5.09 लाख रुपये), कार्यालय परिसर–आईएचसी की लागत रु 439.57 लाख (31 मार्च, 2021 को वहन करने की लागत 104.19 लाख रुपये (पिछले वर्ष 117.90 लाख रुपये), और कार्यालय परिसर–एकेबी की लागत 4,227.58 लाख रुपये (31 मार्च, 2021 को वहन करने की लागत 1,335.96 लाख रुपये) (पिछला वर्ष रु. 1,497.68 लाख–एस), अभी कंपनी के पक्ष में निष्पादित किए जाने हैं। लागत में भूमि का आनुपातिक मूल्य शामिल है जिसका अलग से निर्धारण और लेखांकन नहीं किया गया है। इस प्रकार, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची। में निर्धारित दरों पर समग्र लागत पर मूल्यह्रास लगाया गया है। टिप्पणी संख्या 38(12) देखें।

26. सभी आवासीय और कार्यालय परिसरों के संबंध में 31 मार्च, 2021 तक की गई संपत्ति कर की मांग का भुगतान कर दिया गया है। इंडिया हैबिटेट सेंटर में कार्यालय भवन के संबंध में 31 मार्च, 2021 तक इंडिया हैबिटेट सेंटर की मांग के अनुसार संपत्ति कर का भुगतान किया गया है, जो इकाई क्षेत्र पद्धति पर आधारित था। दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने 1994–2004 की अवधि के लिए अनुमत मूल्य की गणना के उद्देश्य से सुविधा क्षेत्र के लिए प्राप्त लाइसेंस शुल्क को शामिल करने के लिए इंडिया हैबिटेट सेंटर के साथ एक मुद्दा उठाया है। यह मामला अब माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। यदि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय कंपनी के खिलाफ फैसला करता है, तो नगरपालिका कर के कारण देयता को फिर से काम करना होगा जो इस स्तर पर सुनिश्चित नहीं है।

27. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, इरेडा को निदेशक मंडल की एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति का गठन करना अपेक्षित है और कंपनी को अपने तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का 2% खर्च करना होगा। वर्ष की गणना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के अनुसार की गई है। तदनुसार, इरेडा के निदेशक मंडल की एक सीएसआर समिति है जिसमें एक स्वतंत्र निदेशक सहित 4 निदेशक शामिल हैं।

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली कुल राशि का विवरणः **(लाख रुपए में)**

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
1	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि	727.36	1,340.01
2	गत वर्ष से आगे लाई गई राशि	1,440.21	2,019.24
3	खर्च किए जाने के लिए सकल राशि	2,167.56	3,359.25
4	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	1,641.60*	1,919.04
5	खर्च न की गई राशि	525.97**	1,440.21

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
स्टैंडलॉन वित्तीय विवरणों पर नोट

* बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर खर्च सहित रु. वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (5) के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि के मुकाबले वित्त वर्ष 2020–21 के लिए 902.02 लाख रुपये, वित्त वर्ष 2020–21 के लिए 727.36 लाख रुपये। आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि रु.174.66 लाख।

** एमसीए अधिसूचना दिनांक 22.01.2021 के मद्देनजर, संभावित रूप से लागू, वित्तीय वर्ष 2020–21 से संबंधित अव्ययित राशि को सीएसआर अव्ययित खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। सीएसआर अव्ययित राशि पिछले वर्षों से संबंधित है, चल रही परियोजनाओं से संबंधित है और बाद के वर्षों में खर्च की जाएगी।

वित्त वर्ष 2020–21 के लिए, बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कर पूर्व औसत एकल लाभ के 2% के आधार पर 727.36 लाख (पिछले वर्ष 1,340.01 लाख रुपये) रुपये के सीएसआर बजट को मंजूरी दी थी। एक वर्ष में संस्वीकृत परियोजनाओं को अनुवर्ती वर्ष में पूरा करना होता है और परियोजना की पूर्णता के विभिन्न स्तरों के लिए लक्ष्य संबद्ध भुगतान होता है। इसके अतिरिक्त, डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, सीएसआर बजट अव्ययगत है और किसी भी अव्ययित राशि को उस उद्देश्य के लिए उपयोग के लिए अगले वर्ष तक ले जाया जाता है जिसके लिए इसे आवंटित किया गया था।

वर्ष के दौरान, इरेडा द्वारा सीएसआर के अंतर्गत वित्तपोषित किए जाने के लिए, 902.02 लाख रुपए (गत वर्ष: 2,430.88 लाख रुपए) के कुल परिव्यय सहित, निम्नलिखित नई परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं:

क्र. सं.	चिह्नित सीएसआर परियोजना या गतिविधि	परिव्यय	कार्यान्वयन एजेंसी	स्थिति -31.03.2021
स्वास्थ्य सेवा (कोविड – 19)				
1	कोविड–19 के खिलाफ लड़ाई मजबूत करने के लिए पीएम–केयर्स फंड में योगदान	750.00	इरेडा द्वारा प्रत्यक्ष	पूर्ण
2	बलरामपुर और चंदौली जिलों में अस्पतालों में नियोजित मेडिकल स्टाफ के लिए 1500 पीपीई किटों और 4000 तीन परत वाले मास्कों का प्रावधान	20.55	केंद्रीय भंडार, लखनऊ	पूर्ण
3	बलरामपुर और चंदौली के आकांक्षी जिलों और दिल्ली में इरेडा के हितधारकों में 5000 इरेडा ब्रांडेड क्लॉथ मास्क की आपूर्ति	6.29	केंद्रीय भंडार, लखनऊ	पूर्ण
4	अस्पतालों में लगे मेडिकल स्टाफ के 4000 पीपीई किट और 40000 थ्री लेयर मास्क का प्रावधान और बलरामपुर और चंदौली आकांक्षी जिलों में कोविड–19 उपयुक्त व्यवहार के अभियान के लिए सामग्री	लिए 46.12	केंद्रीय भंडार, लखनऊ	पूर्ण
स्वास्थ्य सेवा				
5	कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में सम्फिया फाउंडेशन के ऑन व्हील्स थेरेपी कार्यक्रम चलाने के लिए मोबाइल मेडिकल वैन का प्रावधान	35.20	सम्फिया फाउंडेशन	पूर्ण
पर्यावरण स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण				
6	इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में स्काडा प्रणाली का प्रावधान	30.00	इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली	पूर्ण

क्र. सं.	चिह्नित सीएसआर परियोजना या गतिविधि	परिव्यय	कार्यान्वयन एजेंसी	स्थिति -31.03.2021
7	जीवोदय फाउंडेशन इटारसी, मध्य प्रदेश में 2 अदद 5 केडब्ल्यूपी सोलर पीवी सिस्टम और 20 सोलर पीवी लाइटिंग सिस्टम की संस्थापना का प्रावधान	13.86	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड	पूर्ण
कुल परिव्ययः		**902.02**		

वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की गई राशिः

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	नकद में	अब भी मामले में भुगतान	कुल	नकद में	अब भी मामले में भुगतान	कुल
		2020-21			**2019-20**		
(i)	किसी परिसम्पत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	1,640.40	-	1,640.40	1,911.77	-	1,911.77
(ii)	उपर्युक्त (I) के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों पर	1.19	-	1.19	7.27	-	7.27
	कुल	**1,641.60**	**-**	**1,641.60**	**1,919.04**	**-**	**1,919.04**

वर्ष के दौरान, परियोजनाओं की प्रगति के आधार पर सीएसआर परियोजनाओं पर 1,641.60 लाख (पिछले वर्ष 1,919.04 लाख रुपये) रुपये की राशि खर्च की गई है। वर्ष के दौरान जारी की गई धनराशि में से रु. 902.20 लाख वित्तीय वर्ष 2020–21 में स्वीकृत परियोजनाओं से संबंधित है और शेष रु. 739.39 लाख पूर्व के वर्षों में स्वीकृत परियोजनाओं से संबंधित हैं (पिछले वषर्रू कुल 1,919.04 लाख रुपये खर्च किए गए थे, जिनमें से 1,321.52 लाख रुपये वित्तीय वर्ष 2019–20 में स्वीकृत और वितरित परियोजनाओं पर खर्च से संबंधित थे और शेष 597.52 लाख रुपये पिछले वर्षों में स्वीकृत परियोजनाओं से संबंधित हैं)।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए व्ययित और अव्ययित राशि का ब्यौराः

(लाख रुपए में)

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कुल व्ययित राशि (लाख रुपए में)	अव्ययित राशि (लाख रुपए में)				
	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(5) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में हस्तांतरित कुल राशि		
	राशि (लाख रुपए में)	हस्तांतरण की तारीख	निधि का नाम	राशि (लाख रुपए में)	हस्तांतरण की तारीख
902.20	-	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं

गत वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का ब्यौराः–

(लाख रुपए में)

धारा 135(5) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (लाख रुपए में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (लाख रुपए में)	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में हस्तांतरित कुल राशि			अगले वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि (लाख रुपए में)
		निधि का नाम	राशि (लाख रुपए में)	हस्तांतरण की तारीख	
-	739.39	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	527.97*

* वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए खर्च किए गए अतिशेष 174.66 लाख रुपए के समायोजन के बाद अनुवर्ती वित्तीय वर्षों में निपटान के लिए उपलब्ध

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
स्टैंडलॉन वित्तीय विवरणों पर नोट

28. लेखापरीक्षक को पारिश्रमिक

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखापरीक्षक		
• सीमित समीक्षा	2.21[1]	1.50
• सांविधिक लेखापरीक्षा	8.83[2]	6.00
• कर लेखापरीक्षा	2.95[3]	2.00
• अंतरिम लेखों के लिए लेखापरीक्षा शुल्क	5.95	-
अन्य सेवाएं		
• प्रमाणन शुल्क	1.75	2.25[4]
• आईएफसीएस लेखापरीक्षा	-	2.00[5]
• डीआरएचपी आईपीओ से संबंधित	3.00	16.00[5]
कुल	**24.69**	**29.75**

टिप्पणियां:

1 वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 0.23 लाख रुपए शामिल हैं।
2 वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 0.90 लाख रुपए शामिल हैं।
3 वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 0.30 लाख रुपए शामिल हैं।
4 वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 1.25 लाख रुपए शामिल हैं।
5 वित्तीय वर्ष 2018–19 से संबंधित है।

29. आस्थगित कर – इंड एएस 12 'आयकर' के अनुसार प्रकटीकरण

क. लाभ हानि विवरण में स्वीकृत कर

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
निम्नलिखित के संबंध में चालू आयकर व्यय:		
चालू वर्ष	29,162.31	10,013.33
पूर्व वर्षों का समयोजन	-	-
उप योग (क)	29,162.31	10,013.33
आस्थगित कर व्यय	-	-
अस्थायी भिन्नताओं की उत्पत्ति और उत्क्रमण	(6,851.31)	(7,357.10)
पूर्व में गैर–स्वीकृत कर हानि, कर क्रेडिट या पूर्व अवधि का अस्थायी अंतर (आस्थगित कर व्यय को कम करने के लिए प्रयुक्त)	-	-
उप योग (ख)	(6,851.31)	(7,357.10)
कुल (ग=क+ख)	**22,311.00**	**2,656.23**
नकद प्रवाह हेज रिजर्व में हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पर लाभ के प्रभावी हिस्से पर मान्यता प्राप्त कर व्यय (घ)	(8,262.31)	4,386.67
कुल कर व्यय (ग+घ)	**14,048.69**	**7,042.90**

ख. अन्य व्यापक आय में स्वीकृत कर

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
बीमांकिक (लाभ)/हानि	16.21	(50.62)
नकद प्रवाह हेज में हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पर प्रभावी भाग पर आयकर	(8,262.31)	4,386.67
कुल	**(8,246.10)**	**4,336.05**

ग. कर व्यय और लेखांकन लाभ का समाशोधन

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
कर और ओसीआई से पूर्व लाभ	23,982.06	63,385.46
लागू आयकर दर (%)	25.17%	25.17%
संभावित आयकर	6,035.81	15,952.85
आयकर समायोजन का कर प्रभाव:		
मूल्यह्रास	121.63	(1,745.27)
आस्थगित मदें और ओसीआई समायोजन	1,003.96	4,304.98
46क का शोधन	9,430.32	(11,880.28)
आईपीओ व्यय और क्षति	1,108.15	3,258.82
धारा 43ख और अन्यों के तहत निवल निषेध	(15.98)	134.58
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) के अंतर्गत कटौती का लाभ	(3,906.04)	(3,480.36)
सीएसआर व्ययों और अन्यों की गैर–स्वीकार्यता	413.16	482.98
स्थायी परिसम्पत्तियों का समायोजन	0.24	0.04
अन्य कटौती योग्य कर व्यय	(189.18)	(0.50)
मुहैया कराया गया अतिशेष कर	46.63	15.07
पिछले वर्ष के लेखों में समायोजन	-	-
लाभ हानि के स्टैंडअलोन विवरण में कुल कर व्यय	**14,048.69**	**7,042.90**
बही आय पर वास्तविक प्रभावी आय कर दर (%)	**58.58%**	**11.11%**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
स्टैंडलॉन वित्तीय विवरणों पर नोट

घ. आस्थगित कर का आवागमन

2020-21

(लाख रुपए में)

विवरण	1 अप्रैल, 2020 को निवल शेष	लाभ हानि में स्वीकृत	ओसीआई में स्वीकृत	31 मार्च, 2021 को निवल शेष
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां				
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	102.05	30.26	-	132.31
ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	0.08	(0.08)	-	0.00
सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ के लिए प्रावधान	160.82	53.81	-	214.64
बीमारी छुट्टी के लिए प्रावधान	87.38	8.15	-	95.53
बैगेज भत्ते के लिए प्रावधान	3.69	0.82	-	4.51
निष्पादन प्रोत्साहन राशि के लिए प्रावधान	281.40	(50.53)	-	230.87
अक्षमता	28,313.22	7,490.38	-	35,803.60
फ्रंट एंड शुल्क – बुक में आस्थगित	367.83	(39.15)	-	328.68
कुल	**29,316.47**	**7,493.66**	**-**	**36,810.14**
ओसीआई खंड				
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां				
ग्रेच्युटी पर बीमांकिक हानि	13.57	-	(13.57)	(0.00)
सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ पर बीमांकिक हानि	37.87	-	(2.29)	35.58
बैगेज भत्ते पर बीमांकिक हानि	0.26	-	(0.35)	(0.08)
कुल	**51.70**	**-**	**(16.21)**	**35.49**
आस्थगित कर देनदारियां				
मूल्यह्रास	5,047.92	149.18	-	5,197.09
विदेशी मुद्रा परिवर्तन अंतर	9,951.61	505.73	-	10,457.34
बॉण्ड	104.55	(12.56)	-	91.99
कुल	**15,104.07**	**642.35**	**-**	**15,746.42**
निवल आस्थगित कर परिसम्पत्ति / (देनदारी)	**14,264.10**	**6,851.31**	**(16.21)**	**21,099.21**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
स्टैंडलॉन वित्तीय विवरणों पर नोट

2019-20

(लाख रुपए में)

विवरण	1 अप्रैल, 2020 को निवल शेष	लाभ हानि में स्वीकृत	ओसीआई में स्वीकृत	31 मार्च, 2021 को निवल शेष
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां				
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	85.02	17.03		102.05
ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	(0.61)	0.69		0.08
सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ पर बीमांकिक हानि	167.78	(6.96)		160.82
बीमारी छुट्टी के लिए प्रावधान	91.05	(3.66)		87.38
बैगेज भत्ते के लिए प्रावधान	3.66	0.02		3.69
निष्पादन प्रोत्साहन राशि के लिए प्रावधान	342.44	(61.04)		281.40
अक्षमता	18,496.30	9,816.93		28,313.22
फ्रंट एंड शुल्क – बहियों में आस्थगित	822.12	(454.29)		367.83
मसाला बॉड अनुदान – बहियामें में आस्थगित	66.02	(66.02)		-
कुल	**20,073.77**	**9,242.70**	**-**	**29,316.47**
ओसीआई खंड				
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां				
ग्रेच्युटी पर बीमांकिक हानि	-	-	13.57	13.57
सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ पर बीमांकिक हानि	12.28	-	25.59	37.87
बैगेज भत्ते पर बीमांकिक हानि	0.05	-	0.21	0.26
कुल	**12.33**	**-**	**39.37**	**51.70**
आस्थगित कर देनदारियां				
मूल्यह्रास	6,440.62	(1,392.70)		5,047.92
विदेशी मुद्रा परिवर्तन अंतर	6,642.02	3,309.59		9,951.61
बॉण्ड	135.83	(31.28)		104.55
कुल	**13,218.47**	**1,885.60**	**-**	**15,104.07**
ओसीआई खंड				
आस्थगित कर देनदारियां				
ग्रच्युटी पर बीमांकिक लाभ	11.25		(11.25)	-
कुल	**11.25**		**(11.25)**	**-**
निवल आस्थगित कर परिसम्पत्ति / (देनदारी)	**6,856.38**	**7,357.10**	**50.62**	**14,264.10**

ड. आगे ले जाए गए कटौती योग्य अस्थायी अंतर/अप्रयुक्त कर हानियां/अप्रयुक्त कर क्रेडिट

विवरण	31 मार्च, 2021 को	समाप्ति की तारीख	31 मार्च, 2020 को	समाप्ति की तारीख
आगे ले जाए गए कटौती योग्य अस्थायी अंतर/अप्रयुक्त कर हानियां/अप्रयुक्त कर क्रेडिट जिनके लिए किसी भी आस्थगित कर परिसम्पत्ति को स्वीकृति नहीं दी गई है	–	लागू नहीं	–	लागू नहीं

च. सकल चालू कर और आस्थगित कर जिन्हें सीधे इक्विटी में स्वीकृत किया गया है

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
	-	-
कुल	-	-

30. अतिरिक्त सूचना

क) विदेशी मुद्रा में व्ययः

- यात्रा पर रुपए शून्य (गत वर्षः 6.13 लाख रुपए)
- ब्याज और प्रतिबद्धता व्ययः रु. 10,871.75 लाख (गत वर्षः 16,311.45 लाख रुपए), रु. 43,223.83 लाख (गत वर्षः 42,812.71 लाख रुपए) की हेजिंग लागत का भुगतान भारतीय मुद्रा में किया गया है।

ख) विदेशी मुद्रा में आयः

- ब्याजः रु.46.63 लाख (गत वर्षः 166ण्57 लाख रुपए)

ग) मैसर्स केएफडब्ल्यू ने रु. 105.51 लाख (पिछले वर्षः 140.58 लाख रुपये) सीधे टीए कार्यक्रम के तहत किराए पर लिए गए सलाहकारों को सीधे यूरो के तकनीकी सहायता कार्यक्रम (टीएपी) के तहत 0.6 मिलियन यूरो की केएफडब्ल्यू IV लाइन ऑफ क्रेडिट के संबंध में ''भारत में सौर पीवी परियोजना पाइपलाइन के लिए तकनीकी सहायता आदि'' के लिए 0.6 मिलियन यूरो स्वीकृत किए गए। इसके अलावा यात्रा व्यय रु. टीए कार्यक्रम के तहत केएफडब्ल्यू द्वारा इरेडा को शून्य (पिछले वर्षः रु. शून्य) की प्रतिपूर्ति की गई थी।

घ) मैसर्स केएफडब्ल्यू ने विशेषज्ञ सेवाओं के लिए टीएपी के खिलाफ इरेडा के लिए माल और सेवाओं के लिए क्षमता निर्माण उपायों और लागतों के लिए विशेषज्ञ सेवाओं के लिए केएफडब्ल्यू VI लाइन ऑफ क्रेडिट के संबंध में इरेडा को स्वीकृत 1 मिलियन यूरो के सापेक्ष सीधे संवितरण प्रक्रियाओं के तहत टीए कार्यक्रम के तहत किराए पर लिए गए सलाहकार को सीधे 112.28 लाख रुपए (पिछले वर्ष रु. 206.40 लाख) का भुगतान किया।

ड) विश्व बैंक ने आईबीआरडी III लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत सौर पार्क परियोजना के लिए साझा बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण में सहायता के लिए 2 मिलियन अमरीकी डालर के स्वच्छ प्रौद्योगिकी कोष (सीटीएफ) अनुदान को मंजूरी दी है। वर्ष के दौरान, विश्व बैंक ने सीटीएफ अनुदान के तहत इरेडा को 132.64 लाख (पिछले वर्षः शून्य) रुपये की प्रतिपूर्ति की।

31. एमएनआरई कार्यक्रम निधियां

कंपनी अपनी गतिविधियों के अलावा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से उक्त मंत्रालय के साथ किए गए समझौता ज्ञापन के आधार पर कार्यक्रमों को लागू करती है। प्रत्येक समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार, एमएनआरई ने कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए कंपनी के साथ प्रत्येक कार्यक्रम के संबंध में एक सहमत राशि रखी है। एमएनआरई निधियों पर ब्याज प्राप्त होने पर लेखा

किया जाता है। चूंकि एमएनआरई कार्यक्रम ऋणों द्वारा उत्पन्न आय कंपनी की आय नहीं है और साथ ही ऋण परिसंपत्तियां एमएनआरई से संबंधित हैं, इसे परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण उद्देश्यों के लिए नहीं माना जाता है। संबंधित कार्यक्रमों के बंद होने पर, कंपनी को एमओयू में निर्धारित सेवा शुल्क, अपूरणीय चूक और अन्य देय राशि की कटौती के बाद एमएनआरई (उस पर अर्जित ब्याज सहित) में जमा राशि को एमएनआरई को हस्तांतरित करना आवश्यक है। अवधि के अंत में उपरोक्त के कारण एमएनआरई के कारण राशि, राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ अलग बैंक खातों में बचत बैंक / अल्पकालिक जमा आदि के रूप में अलग–अलग बैंक खातों में रखे गए अप्रयुक्त धन पर ब्याज के साथ, नकद में शामिल के अलावा अन्य बैंक शेष के रूप में दिखाया गया है और नकद समकक्ष (टिप्पणी 3 देखें) और संबंधित देयता बैलेंस शीट में अन्य वित्तीय देयताएं (टिप्पणी 22 देखें) शीर्ष के तहत दिखाई जाती है।

32. उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) और पूंजीगत सब्सिडी योजना, एमएनआरई

इरेडा पवन और सौर क्षेत्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन और पूंजीगत सब्सिडी के वितरण के लिए एमएनआरई की ओर से एक निधि प्रशासक है। इन योजनाओं के तहत, एमएनआरई द्वारा एमएनआरई की योजना के अनुसार जीबीआई दावेदारों को इसके संवितरण के उद्देश्य से आईआरईडीए को विशिष्ट निधि राशि प्रदान की जाती है। इसलिए, अनिवार्य रूप से, यह गतिविधि धन की प्राप्ति और उपयोग की है। जीबीआई निधियों को और जारी करने के लिए, इरेडा को चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा विधिवत प्रमाणित व्यय के लेखापरीक्षित विवरण के साथ उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। उक्त आवश्यकता का इरेडा द्वारा पूरी तरह से अनुपालन किया गया है और एमएनआरई द्वारा अब तक और कुछ भी अपेक्षित नहीं किया गया है। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने योजना के लेखों की लेखापरीक्षा नहीं की है।

33. एमएनआरई भारत सरकार के पूर्ण सर्विस्ड बंधपत्र

आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी ओएम संख्या एफ.15(4)–बी(सीडीएन)/2015 दिनांक 03.10.16 के अनुसार इरेडा को ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय ऊर्जा, ऑफ–ग्रिड/वितरित और विकेन्द्रीकृत अक्षय ऊर्जा और निगमों और स्वायत्त निकायों में निवेश से संबंधित एमएनआरई योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए उनके द्वारा प्राप्त राशि के उपयोग के लिए भारत सरकार के पूरी तरह से सेवित बांड के माध्यम से 400,000.00 लाख रुपये की राशि जुटाने के लिए कहा गया था। एमएनआरई और इरेडा के बीच 25.01.17 को दोनों की भूमिका और उत्तरदायित्वों को परिभाषित करते हुए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौता ज्ञापन के पृष्ठ 5 पर सामान्य खंड के पैरा संख्या (ग) में विशेष रूप से परिभाषित किया गया है कि एमएनआरई बांड के उधार को कंपनी द्वारा किसी भी वित्तीय गणना के लिए संपत्ति/देयता के रूप में नहीं माना जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि एमएनआरई बांडों के माध्यम से जुटाई गई राशि उधार लेने के साथ–साथ परिसंपत्तियों में भी दिखाई देगी, हालांकि, इरेडा के उधारों/परिसम्पत्तियों या आय/व्यय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इरेडा ने वर्ष 2016–17 के दौरान एमएनआरई की ओर से 164,000.00 लाख रूपए के भारत सरकार के पूर्ण सेवा बांड जुटाए थे और इसे टिप्पणी संख्या 24 – अन्य गैर–वित्तीय देनदारियों के तहत दिखाया गया है। इसके सापेक्ष विभिन्न योजनाओं/योजनाओं के लिए एमएनआरई के निर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2021 तक रू. 163,879.20 लाख रुपए (31 मार्च, 2020 तक रू. 163,879.20 लाख रू.) वितरित किए जा चुके हैं। उक्त राशि को नोट संख्या 17 – अन्य गैर–वित्तीय संपत्ति – के तहत एमएनआरई से वसूली योग्य राशि के रूप में दिखाया गया है। राशि को एमआईबीओआर लिंक्ड डिपॉजिट में रखा गया था जिस पर रु. 31 मार्च, 2021 को 1,093.70 लाख रूपए (31 मार्च, 2020 तक 1,092.75 लाख रुपये) को नोट संख्या 24 – अन्य गैर–वित्तीय देनदारियों के तहत दिखाया गया है। 31 मार्च, 2021 को शेष संचयी राशि (उपार्जित/अर्जित ब्याज सहित) 861.39 लाख (31 मार्च, 2020 तक 855.29 लाख रुपये) है, जिसे एमआईबीओआर लिंक्ड टर्म डिपॉजिट में रखा गया है और राशि 31 मार्च, 2021 तक 353.11 लाख रुपये (31 मार्च, 2020 तक 358.26 लाख रुपये) इंडसइंड बैंक के चालू खाते में शेष है, जो कि टिप्पणी संख्या 3 – संबंधित उप शीर्षों में अन्य बैंक शेष के तहत दर्शाए गए हैं।

वर्ष के दौरान, भारत सरकार के पूर्ण सेवा बांड पर ब्याज की राशि रु. 12,434.70 लाख (पिछले वर्ष रू 12,434.70 लाख रुपये) भुगतान के लिए देय हो गए और इस राशि को भारत सरकार से प्राप्त किया गया और निवेशक को भुगतान किया गया।

उपरोक्त को छोड़कर अन्य सभी एमएनआरई निधियों को वित्तीय परिसम्पत्तियों– अन्य बैंक शेष के अंतर्गत, चालू/बचत बैंक/जमा खाते के अंतर्गत और अन्य वित्तीय देनदारियों के अंतर्गत दर्शाई गई संबंधित देयता के अंतर्गत दिखाया गया है।

34. एमएनआरई से प्राप्त और उनकी ओर से संभलाई की गई सब्सिडी/प्रोत्साहन राशि

क. ब्याज सब्सिडी

सरकार की नीति के अनुसार एमएनआरई ब्याज सब्सिडी प्रदान कर रहा है। एनपीवी आधार पर सह–उत्पादन, लघु हाइड्रो, ब्रिकेटिंग, बायोमास, सौर थर्मल और अपशिष्ट से ऊर्जा के एमएनआरई कार्यक्रमों को लागू करने वाले और वास्तविक आधार पर सौर और एसपीवी कार्यक्रमों के लिए ब्याज सब्सिडी जारी की जाती है। इन उधारकर्ताओं द्वारा मंजूरी के नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन तिमाही आधार पर उधारकर्ताओं को ब्याज सब्सिडी दी जाती है।

ब्याज सब्सिडी का कार्यक्रम–वार विवरण इस प्रकार है:–

(i) एनपीवी आधार पर ब्याज सब्सिडी:–

(लाख रुपए में)

सेक्टर का नाम	बायो मास सह–उत्पादन	लघु हाइड्रो	उप योग (क)
31 मार्च, 2021	215.01	1.83	**216.84**
31 मार्च, 2020	215.01	1.83	**216.84**

(ii) बीमांकिक आधार पर ब्याज सब्सिडी:-

सेक्टर का नाम	सोलर थर्मल सेक्टर	एसपवीवी डब्ल्यूपी 2000-01	एसपवीवी डब्ल्यूपी 2001-02	एसपवीवी डब्ल्यूपी 1999-00	एसपवीवी डब्ल्यूपी निर्माण	एसपवीवी डब्ल्यूपी 2002-03	त्वरित एसडब्ल्यूएच प्रणाली	उप योग (ख)	कुल योग (क+ख)
31 मार्च, 2021	0.04	(-)51.35	(-)1,36.03	(-)6.85	(-)2.97	(-)41.39	0.10	(-)238.45	(-) 21.61
31 मार्च, 2020	0.04	(-)51.35	(-)1,36.03	(-)6.85	(-)2.97	(-)41.39	0.10	(-)238.45	(-) 21.61

ख. पूंजी सब्सिडी

वर्ष के दौरान, एमएनआरई से पूंजीगत सब्सिडी के रूप में 1,275.00 लाख (पिछले वर्ष: रु. शून्य) रुपये की राशि प्राप्त हुई। उपलब्ध कुल पूंजीगत सब्सिडी राशि में से रु. 1,275 लाख (पिछले वर्ष: रु. शून्य) पूंजी सब्सिडी योजना के नियमों और शर्तों के अनुपालन पर उधारकर्ताओं को आगे संप्रेषित की गई।

35. डिबेंचर रिडेम्पशन आरक्षित

कंपनी अधिनियम 2013 के नियम 18 (7) (बी) (ii) के अनुसार, कंपनी को पब्लिक इश्यू के माध्यम से जारी किए गए बॉन्ड के 25 प्रतिशत तक डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व (डीआरआर) बनाने की आवश्यकता है। कंपनी ने डीआरआर के लिए प्रावधान किया है, ताकि कर मुक्त बांड की संबंधित अवधि में आवश्यक राशि प्राप्त की जा सके। तदनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए 4,629.11 लाख रुपये (पिछले वर्ष 4,629.11 लाख रुपये) का प्रावधान किया गया है।

36. एनबीएफसी आरक्षित

आरबीआई के परिपत्र संख्या डीएनबीआर(पीडी)सीसी.सं.092/03.10.001/2017–18 दिनांक 31 मई 2018 के अनुसार इरेडा द्वारा कर पश्चात लाभ के 20 प्रतिशत की दर से आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईसी के तहत एनबीएफसी आरक्षिति बनाया जाना अपेक्षित है। तदनुसार रु. 7,000.00 लाख (पिछले वर्ष रू 4,300.00 लाख रुपये) की धनराशि को एनबीएफसी रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया गया है।

37. वित्तीय विलेखों से संबंधित प्रकटीकरण

I. उचित मूल्य माप

श्रेणी द्वारा वित्तीय विलेख

(लाख रुपए में)

विवरण (31 मार्च, 2021)	परिशोधित लागत	लागत पर	उचित मूल्य पर		कुल
			ओसीआई के माध्यम से	पीएंडएल के माध्यम से	
वित्तीय परिसम्पत्तियां					
नकद और नकद समतुल्य	22,101.83				22,101.83
चिह्नित बैंक शेष	38,229.29				38,229.29
डेरिवेटिव वित्तीय विलेख			38,891.90	1,417.11	40,309.01
कारोबारी प्राप्य	297.66				297.66
ऋण	2,690,564.31				26,90,564.31
निवेश		12.00			12.00
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	2,278.75				2,278.75
कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां	**2,753,471.84**	**12.00**	**38,891.90**	**1,417.11**	**2,793,792.85**
वित्तीय देनदारियां					
डेरिवेटिव वित्तीय विलेख			9,183.16		9,183.16
कारोबारी देय	8,015.61				8,015.61
ऋण प्रतिभूतियां	912,026.16				912,026.16
उधार राशियां (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	14,23,055.09				14,23,055.09
अधीनस्थ देनदारियां	64,919.20				64,919.20
अन्य वित्तीय देनदारियां	80,496.43				80,496.43
कुल वित्तीय देनदारियां	**2,488,512.50**	**-**	**9,183.16**		**2,497,695.66**

(लाख रुपए में)

विवरण (31 मार्च, 2020)	परिशोधित लागत	लागत पर	उचित मूल्य पर		कुल
			ओसीआई के माध्यम से	पीएंडएल के माध्यम से	
वित्तीय परिसम्पत्तियां					
नकद और नकद समतुल्य	98,836.04				98,836.04
चिह्नित बैंक शेष	58,735.71				58,735.71
डेरिवेटिव वित्तीय विलेख			65,062.91	6,193.07	71,255.99
कारोबारी प्राप्य	312.98				312.98
ऋण	2,297,768.68				2,297,768.68
निवेश		12.00			12.00
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	2,486.44				2,486.44
कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां	**2,458,139.85**	**12.00**	**65,062.91**	**6,193.07**	**2,529,407.84**
वित्तीय देनदारियां					

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
स्टैंडलॉन वित्तीय विवरणों पर नोट

(लाख रुपए में)

विवरण (31 मार्च, 2021)	परिशोधित लागत	लागत पर	उचित मूल्य पर		कुल
			ओसीआई के माध्यम से	पीएंडएल के माध्यम से	
डेरिवेटिव वित्तीय विलेख			6,788.00		6,788.00
कारोबारी देय	6,580.14				6,580.14
ऋण प्रतिभूतियां	926,758.64				926,758.64
उधार राशियां (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	1,243,625.87				1,243,625.87
अधीनस्थ देनदारियां	14,970.00				14,970.00
अन्य वित्तीय देनदारियां	94,064.47				94,064.47
कुल वित्तीय देनदारियां	**2,285,999.11**	**-**	**6,788.00**		**2,292,787.10**

II. उचित मूल्य पदानुक्रम

इस खंड में वित्तीय साधनों के उचित मूल्यों के निर्धारण में किए गए ऐसे निर्णयों और अनुमानों की व्याख्या करता है जो

(क) उचित मूल्य पर स्वीकृत और मापित हैं और

(ख) परिशोधन लागत पर मापा जाता है और जिसके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों का खुलासा किया जाता है। कंपनी ने उचित मूल्य निर्धारित करने में उपयोग किए गए इनपुट की विश्वसनीयता के बारे में एक संकेत प्रदान करने के लिए अपने वित्तीय साधनों को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है। तालिका के नीचे प्रत्येक स्तर पर एक स्पष्टीकरण दिया गया है।

(ग) भौतिकता को देखते हुए, हमने कर्मचारी ऋण और सुरक्षा जमा की छूट को नजरअंदाज कर दिया है।

मूल्यांकन तकनीक द्वारा वित्तीय साधनों के उचित मूल्य का निर्धारण और खुलासा करने के लिए कंपनी निम्नलिखित पदानुक्रम का उपयोग करती है:

स्तर 1: स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत कीमतों का उपयोग करके मापा गया वित्तीय साधन शामिल है। इसमें सूचीबद्ध इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रेडेड बॉन्ड और म्यूचुअल फंड शामिल हैं जिनकी कीमत उद्धृत की गई है। स्टॉक एक्सचेंजों में कारोबार किए जाने वाले सभी इक्विटी उपकरणों (बांड सहित) के उचित मूल्य का मूल्यांकन रिपोर्टिंग अवधि के अनुसार समापन मूल्य का उपयोग करके किया जाता है। म्यूचुअल फंड का मूल्यांकन क्लोजिंग एनएवी का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर 2: वित्तीय साधन जिनका सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं होता है (उदाहरण के लिए, ट्रेडेड बॉन्ड), अन्य तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, जिसके लिए रिकॉर्ड किए गए उचित मूल्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले सभी इनपुट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकते हैं।

स्तर 3: ऐसी तकनीक जिसमें इनपुट का उपयोग किया जाता है जिसका रिकॉर्ड किए गए उचित मूल्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है जो गैर–सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों जैसे अवलोकन योग्य बाजार डेटा पर आधारित नहीं होते हैं।

क. उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां – आवर्ती उचित मूल्य माप– 31 मार्च, 2021 तक*

(लाख रुपए में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय परिसम्पत्तियां :-			
हेजेज से रूप में नामित डेरिवेटिव			
मूलधान केवल स्वैप	-	-	37,700.50
क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप	-	-	1,191.39
डेरिवेटिव्स जिन्हें हेजेज के रूप में नामित नहीं किया गया है			
मूलधान केवल स्वैप	-	-	1,417.12
क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप	-	-	-
कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां	**-**	**-**	**40,309.01**
वित्तीय देनदारियां			
हेजेज से रूप में नामित डेरिवेटिव			
मूलधान केवल स्वैप	-	-	9,137.96
क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप	-	-	45.20
डेरिवेटिव्स जिन्हें हेजेज के रूप में नामित नहीं किया गया है			
मूलधान केवल स्वैप	-	-	-
क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप	-	-	-
कुल वित्तीय देनदारियां	**-**	**-**	**9,183.16**

* राशियों को उनके उचित मूल्य पर दर्शाया गया है

संपत्ति और देनदारियां जिन्हें परिशोधन लागत पर मापा गया है जिसके लिए उचित मूल्यों का प्रकटीकरण किया गया है

(लाख रुपए में)

31 मार्च, 2021 को *	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय परिसम्पत्तियां			
परिशोधन पर वित्तीय परिसंपत्तियां:			
कम्पनियों को ऋण	-	-	2,685,377.08
कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां	**-**	**-**	**2,685,377.08**
वित्तीय देनदारियां			
परिशोधन पर वित्तीय देनदारियां:			
ऋण प्रतिभूतियां	-	-	9,12,026.16
उधार राशियां ;ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	-	-	14,23,055.09
अधीनस्थ देनदारियां	-	-	64,919.20
कुल वित्तीय देनदारियां	**-**	**-**	**2,400,000.45**

* राशियों को उनके उचित मूल्य पर दर्शाया गया है

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
स्टैंडलॉन वित्तीय विवरणों पर नोट

ख. उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां – आवर्ती उचित मूल्य माप– 31 मार्च, 2020 तक *

(लाख रुपए में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय परिसम्पत्तियां:–			
हेजेज से रूप में नामित डेरिवेटिव			
मूलधान केवल स्वैप	-	-	60,797.70
क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप	-	-	4,265.21
डेरिवेटिव्स जिन्हें हेजेज के रूप में नामित नहीं किया गया है			
मूलधान केवल स्वैप	-	-	6,193.07
क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप	-	-	-
कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां	**-**	**-**	**71,255.99**
वित्तीय देनदारियां			
हेजेज से रूप में नामित डेरिवेटिव			
मूलधान केवल स्वैप	-	-	6,788.00
क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप	-	-	-
डेरिवेटिव्स जिन्हें हेजेज के रूप में नामित नहीं किया गया है			
मूलधान केवल स्वैप	-	-	-
क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप	-	-	-
कुल वित्तीय देनदारियां	**-**	**-**	**6,788.00**

* राशियों को उनके उचित मूल्य पर दर्शाया गया है

संपत्ति और देनदारियां जिन्हें परिशोधन लागत पर मापा जाता है जिसके लिए उचित मूल्यों का खुलासा किया जाता है

(लाख रुपए में)

31 मार्च, 2020 को *	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय परिसम्पत्तियां			
परिशोधन पर वित्तीय परिसंपत्तियां			
कम्पनियों को ऋण	-	-	2,276,461.95
कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां	**-**	**-**	**2,276,461.95**
वित्तीय देनदारियां			
परिशोधन पर वित्तीय देनदारियां			
ऋण प्रतिभूतियां	-	-	926,758.64
उधार राशियां ;ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	-	-	1,243,625.87
अधीनस्थ देनदारियां	-	-	14,970.00
कुल वित्तीय देनदारियां	**-**	**-**	**2,185,354.50**

* राशियों को उनके उचित मूल्य पर दर्शाया गया है।

III. उचित मूल्य निर्धारण के लिए प्रयुक्त मूल्यांन तकनीक

एमटीएम गणना रिपोर्टिंग तिथि पर बकाया डेरिवेटिव लिखत के लिए पंजीकृत स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्रदान किए गए मूल्यांकन पर आधारित है।

रियायती नकदी प्रवाह विश्लेषण।

महत्वपूर्ण गैर–अवलोकन योग्य इनपुट का उपयोग करके उचित मूल्य माप (स्तर 3)

कर–पूर्व दर जो मुद्रा के समय मूल्य और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिम के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाती है।

निम्न तालिका 31 मार्च, 2021 और 31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के लिए स्तर 3 की वस्तुओं में परिवर्तन प्रस्तुत करती है:

(लाख रुपए में)

विवरण	डेरिवेटिव विलेख	डेरिवेटिव मद
व्युत्पन्न लेखांकन में व्युत्पन्न सौदों के तहत लाभ और हानि में स्वीकृत लाभ / (हानि)	(1,247.31)	-
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत लाभ / (हानि)	(30,106.51)	(2,722.13)
31 मार्च, 2021 को	**(31,353.82)**	**(2,722.13)**
व्युत्पन्न लेखांकन में व्युत्पन्न सौदों के तहत लाभ और हानि में स्वीकृत लाभ / (हानि)	7,165.32	-
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत लाभ / (हानि)	68,462.48	(28,982.87)
31 मार्च, 2020 को	**75,627.80**	**(28,982.87)**

IV. मूल्यांकन प्रक्रियाएं

हेज सौदे के एमटीएम मूल्य के मूल्यांकन के लिए, इरेडा ने एक पंजीकृत स्वतंत्र विशेषज्ञ मूल्यांकनकर्ता से मूल्यांकन प्राप्त किया है, जिसने बाजार की स्थिति में उतार–चढ़ाव, विनिमय दर में उतार–चढ़ाव, ब्याज दर आदि पर विचार करने के बाद ऐसा मूल्यांकन प्रदान किया है।

V. परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसम्पत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य

विवरण	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
वित्तीय परिसम्पत्तियां	वाहित राशि	लेनदेन का मूल्य	वाहित राशि	लेनदेन का मूल्य
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसम्पत्तियां:				
कम्पनियों को ऋण	2,685,377.08	2,692,840.02	2,276,461.95	2,282,037.04
कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां	**2,685,377.08**	**2,692,840.02**	**2,276,461.95**	**2,282,037.04**

विवरण	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
वित्तीय परिसम्पत्तियां	वाहित राशि	लेनदेन का मूल्य	वाहित राशि	लेनदेन का मूल्य
वित्तीय देनदारियां परिशोधन लागत पर वित्तीय देनदारियां:				
ऋण प्रतिभूतियां	912,026.16	912,565.46	926,758.64	927,565.46
उधार राशियां (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	1,423,055.09	1,423,059.27	1,243,625.87	1,243,632.70
अधीनस्थ देनदारियां	64,919.20	65,000.00	14,970.00	15,000.00
कुल वित्तीय देनदारियां	**2,400,000.45**	**2,400,624.73**	**2,185,354.50**	**2,186,198.16**

व्यापार प्राप्य, व्यापार देय राशि, नकद और नकद समकक्ष, अन्य बैंक शेष, अन्य वित्तीय संपत्ति और देनदारियों की वहन राशि उनकी अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों के समान मानी जाती है।

उधार के लिए उचित मूल्य, कंपनियों को ऋण, ऋण प्रतिभूतियों की गणना वर्तमान उधार दर का उपयोग करके छूट वाले नकदी प्रवाह के आधार पर की जाती है। उन्हें स्वयं के क्रेडिट जोखिम सहित गैर–अवलोकन योग्य इनपुट को शामिल करने के कारण उचित मूल्य पदानुक्रम में स्तर 3 उचित मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

गैर–चालू उधार राशियों के उचित मूल्य, चालू उधार दर का उपयोग करते हुए रियायती नकदी प्रवाह पर आधारित होते हैं। उन्हें स्वयं के क्रेडिट जोखिम सहित गैर–अवलोकन योग्य इनपुट के उपयोग के कारण उचित मूल्य पदानुक्रम में स्तर 3 उचित मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

38. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

जोखिम का प्रबंधन जोखिम प्रबंधन ढांचे, पहचान माप और निगरानी के माध्यम से किया जाता है जो जोखिम सीमाओं और अन्य नियंत्रणों के अधीन होता है। निदेशक मंडल समग्र जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण और जोखिम प्रबंधन रणनीतियों और सिद्धांतों के अनुमोदन के लिए जिम्मेदार है।

जोखिम समिति के पास जोखिम रणनीति के विकास और सिद्धांतों, ढांचे, नीतियों और सीमाओं को लागू करने की जिम्मेदारी है। जोखिम समिति जोखिम निर्णयों के प्रबंधन और जोखिम स्तर की निगरानी और बोर्ड को रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार है। कंपनी का वित्त और खजाना इसकी संपत्ति और देयता और समग्र वित्तीय संरचना के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। वित्त और ट्रेजरी कंपनी की फंडिंग और तरलता के लिए भी जिम्मेदार है। आरबीआई के निर्देश के अनुसार कंपनी के पास एक नामित मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) भी है

कंपनी की गतिविधियां इसे बाजार जोखिम, तरलता जोखिम और ऋण जोखिम के लिए उजागर करती हैं। कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंधों, विदेशी मुद्रा विकल्प अनुबंधों, स्वैप आदि जैसे डेरिवेटिव वित्तीय साधनों को विदेशी मुद्रा जोखिम जोखिम को हेज करने के लिए दर्ज किया जाता है। डेरिवेटिव का उपयोग विशेष रूप से हेजिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है न कि ट्रेडिंग या सट्टा उपकरणों के रूप में। एक विदेशी मुद्रा और डेरिवेटिव जोखिम प्रबंधन नीति, कंपनी में एक विदेशी मुद्रा प्रबंधन समिति मौजूद है और विदेशी मुद्रा उधारों पर मुद्रा और ब्याज दर जोखिम को कमध्कम करने के लिए हेजिंग उपकरणों का उपयोग किया जाता है।

यह टिप्पणी जोखिम के उन स्रोतों की व्याख्या करती है जिनसे प्रतिष्ठान को अवगत कराया जाता है और संस्था वित्तीय विवरणों में जोखिम और बचाव लेखांकन के प्रभाव का प्रबंधन कैसे करती है।

जोखिम	निम्न से उत्पन्न होने वाला जोखिम	मापन	प्रबंधन
क्रेडिट जोखिम	नकद और नकद समतुल्य, परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्ति। (ऋण और अग्रिम), व्यापार प्राप्य, व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण,	आयु बढ़ने का विश्लेषण क्रेडिट रेटिंग	बैंक जमा का विविधीकरण, क्रेडिट एक्सपोजर सीमा, साख पत्र, हेजिंग लेनदेन की निगरानी
तरलता जोखिम	उधार और अन्य देनदारियां	चल नकदी प्रवाह पूर्वानुमान	प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों, उधार लेने की सुविधाओं और अल्पावधि ऋण/डब्ल्यूसी सीमाओं और ओडी सीमाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम – मुद्रा विनिमय	विदेशी विनिमय दर के कारण उचित मूल्य या वित्तीय साधन के भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव होगा	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स, स्वैप आदि
बाजार जोखिम– ब्याज दर	परिवर्तनीय दरों पर लंबी अवधि के उधार	संवेदनशीलता विश्लेषण	ब्याज दर स्वैप
बाजार जोखिम– सुरक्षा मूल्य	कमर्शियल पेपर में निवेश	संवेदनशीलता विश्लेषण	पोर्टफोलियो विविधिकरण

क. क्रेडिट जोखिम

ऋण जोखिम उधार संचालन में निहित जोखिम होता है और उधारकर्ताओं की ऋण गुणवत्ता में कमी और उधारकर्ताओं द्वारा चुकौती में चूक के जोखिम से उत्पन्न होता है। ऋण जोखिम का आकलन करने के लिए परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए एक मजबूत क्रेडिट मूल्यांकन प्रणाली मौजूद है। इस प्रक्रिया में परियोजनाओं का मूल्यांकन, बाहरी एजेंसियों द्वारा रेटिंग और क्रेडिट जोखिम का आकलन, अन्य क्रेडिट जोखिम शमन उपायों के साथ जोखिम को कम करने के लिए उपयुक्त संरचना शामिल है।

कंपनी अपने एक्सपोजर को साझा क्रेडिट जोखिम विशेषता के आधार पर छोटे समरूप पोर्टफोलियो में विभाजित करती है, जैसा कि निम्नलिखित क्रम में नीचे वर्णित है: –

- प्रत्याभूत / अप्रत्याभूत अर्थात ऋण सुरक्षित हैं या नहीं, इस पर आधारित।
- प्रतिभूति की प्रकृति यानी सुरक्षा की प्रकृति यदि ऋण सुरक्षित होने के लिए निर्धारित हैं।
- ऋण की प्रकृति अर्थात आरई क्षेत्र जिसमें ऋण दिया गया है।

वित्तीय साधन के शेष क्रियात्मक समय में होने वाले डिफॉल्ट के जोखिम में परिवर्तन पर विचार करके प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में काफी वृद्धि हुई है या नहीं, इसका आकलन। यह निर्धारित करने में कि क्या प्रारंभिक मान्यता के बाद से चूक का जोखिम काफी बढ़ गया है, कंपनी एक पैरामीटर के रूप में 30 दिनों से अधिक अतिदेय मानती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत देने वाले किसी अन्य अवलोकन योग्य इनपुट पर विचार करती है।

कंपनी एक वित्तीय साधन को डिफॉल्ट के रूप में परिभाषित करती है जब उसके पास रिपोर्टिंग तिथि पर हानि का वस्तुनिष्ठ साक्ष्य होता है। इसने चरण III के तहत इन ऋणों का मूल्यांकन परियोजना के चूक समय, प्रदर्शन / संचालन के आधार पर मामला दर मामला आधार पर किया है।

कंपनी ने ईसीएल मॉडल के आधार पर ऋण और अग्रिम के प्रावधान को मान्यता दी है।

संपार्श्विक और अन्य ऋण वृद्धि

आवश्यक संपार्श्विक की राशि और प्रकार क्रेडिट जोखिम के आकलन पर निर्भर करता है। मुख्य प्रकार के संपार्श्विक एफडीआर / बीजी हैं, प्रमोटर से संबंधित अचल संपत्ति पर शुल्क और मामले के आधार पर कॉर्पोरेट गारंटी।

क) कंपनी अलग–अलग प्रतिपक्षकारों और उद्योग सांद्रता के लिए और ऐसी सीमाओं के संबंध में एक्सपोजर की निगरानी करके जोखिम की मात्रा पर सीमा निर्धारित करके क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन और नियंत्रण करती है।

i. संभावित क्रेडिट हानियों के लिए प्रावधान

अवस्था	श्रेणी	श्रेणी का विवरण	संभावित क्रेडिट हानि प्रावधान की स्वीकृति के लिए आधार
			ऋण
अवस्था 1	मानक परिसम्पत्तियां	ऐसी परिसंपत्तियां जहां प्रतिपक्षकार के पास दायित्वों को पूरा करने की मजबूत क्षमता है और जहां डिफॉल्ट का जोखिम नगण्य है या शून्य / नियमित रूप से भुगतान करने वाली परिसंपत्तियां हैं	12 महीने का ईसीएल
अवस्था 2	संवर्धित क्रेडिट जोखिम वाले ऋण	ऐसी परिसम्पत्तियां जहां प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।	जीवनकाल तक संभावित क्रेडिट हानियां
अवस्था 3	ऋण – अक्षम	ऐसी संपत्तियां जहां चूक की उच्च संभावना है और जहां वसूली की कम उम्मीद है वहां संपत्ति को बट्टे खाते में डाल दिया गया है	जीवनकाल तक संभावित क्रेडिट हानियां

ii. उल्लेखनीय अनुमान और निर्णयन

वित्तीय परिसम्पत्तियों की अक्षमता

(क) ऋणों के लिए संभावित क्रेडिट हानि (ईसीएल)

(लाख रुपए में)

अवस्था	परिसम्पत्ति समूह	31 मार्च, 2021 को ऋण पोर्टफोलियो	31 मार्च, 2021 को ईसीएल
अवस्था I	ऋण	2,372,746.14	25,547.32
अवस्था II	ऋण	163,862.40	32,294.79
अवस्था III	ऋण	244,155.27	93,132.88
	कुल	**2,780,763.82 ***	**150,974.99**

*वित्त पोषित ब्याज सावधि ऋण (FITL) को छोड़कर रु. 4,196.92 लाख, जिस पर बराबर की देनदारी बहियों में बनी हुई है।

(लाख रुपए में)

अवस्था	परिसम्पत्ति समूह	31 मार्च, 2020 को ऋण पोर्टफोलियो	31 मार्च, 2020 को ईसीएल
अवस्था I	ऋण	1,852,982.99	18,357.73
अवस्था II	ऋण	257,070.49	25,070.51
अवस्था III	ऋण	237,300.16	73,554.10
	कुल	**2,347,353.64***	**116,982.34**

*वित्त पोषित ब्याज सावधि ऋण (FITL) को छोड़कर रु. 7,235.69 लाख, जिस पर बराबर की देनदारी बहियों में बनी हुई है।

(b) सरलीकृत दृष्टिकोण के तहत कारोबारी प्राप्य राशियोंके लिए अपेक्षित ऋण हानि:

(लाख रुपए में)

आयु (31 मार्च, 2021 को)	अदेय	0-30 दिनों के बाद देय	31-60 दिनों के बाद देय	91-120 दिनों के बाद देय	120 दिनों से अधिक के बाद देय	कुल
सकल वहन राशि*	297.00	-	-	-	-	297.00
संभावित हानि दर	-	-	-	-	-	-
संभावित क्रेडिट हानियां (हानि भत्ता प्रावधान)	-	-	-	-	-	-
कारोबारी प्राप्यों की वहन राशि (अक्षमता का निवल)	297.00	-	-	-	-	297.00
31 मार्च, 2021 को शेष	**297.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**297.00**

*सौर ऊर्जा परिसम्पत्तियों के लिए कारोबारी प्राप्यों का प्रतिनिधित्व करता है

(लाख रुपए में)

आयु (31 मार्च, 2020 को)	अदेय	0-30 दिनों के बाद देय	31-60 दिनों के बाद देय	91-120 दिनों के बाद देय	120 दिनों से अधिक के बाद देय	कुल
सकल वहन राशि*	311.96	-	-	-	-	311.96
संभावित हानि दर	-	-	-	-	-	-
संभावित क्रेडिट हानियां (हानि भत्ता प्रावधान)	-	-	-	-	-	-
कारोबारी प्राप्यों की वहन राशि (अक्षमता का निवल)	311.96	-	-	-	-	311.96
31 मार्च, 2020 को शेष	**311.96**	**-**	**-**	**-**	**-**	**311.96**

*सौर ऊर्जा परिसम्पत्तियों के लिए कारोबारी प्राप्यों का प्रतिनिधित्व करता है

ख. चलनिधि जोखिम

चलनिधि जोखिम अल्पकालिक और दीर्घकालिक देनदारियों को पूरा करने में असमर्थता है जब और जब वे देय हो जाते हैं।

चलनिधि अंतराल विश्लेषण द्वारा चलनिधि की निगरानी की जाती है। चलनिधि जोखिम को कई रणनीतियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है जैसे कि दीर्घकालिक संसाधन जुटाना, अनुमानित संवितरण और परिपक्वता प्रोफाइल के आधार पर संसाधन जुटाना।

(i) वित्तीय व्यवस्थाएं

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी की निम्नलिखित आहरित उधार सुविधाओं तक पहुंच थी:

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
स्थायी दर		
- एक वर्ष के भीतर समाप्त होने वाली (वित्तीय संस्थाएं – विदेशी मुद्रा ऋण)	17,219.80	16,609.92
- एक वर्ष के बाद समाप्त होने वाली (वित्तीय संस्थाएं – विदेशी मुद्रा ऋण)	14,252.53	14,617.30
अस्थायी दर		
- एक वर्ष के भीतर समाप्त होने वाली (वित्तीय संस्थाएं – विदेशी मुद्रा ऋण)	86,099.00	124,574.40
- एक वर्ष के बाद समाप्त होने वाली (बैंक ऋण)	175,200.45	75,000.00
- एक वर्ष के बाद समाप्त होने वाली (वित्तीय संस्थाएं – विदेशी मुद्रा ऋण)	197,966.72	216,173.52

इरेडा के पास नकद ऋण (सीसी)/ओवरड्राफ्ट (ओडी)/अल्पकालिक ऋण (एसटीएल)/कार्यशील पूंजी मांग ऋण (डब्ल्यूसीडीएल) के रूप में कुल रु. 117,800.00 लाख (पिछला वर्ष रू 34,800.00 लाख रुपये) हैं। कार्यशील पूंजी सुविधा के तहत रु. 10,000.00 लाख एसटीएल/डब्ल्यूसीडीएल के साथ बिना किसी इंटरचेंजबिलिटी के ओवरड्राफ्ट सुविधा के रूप में उपलब्ध है जबकि सीसी/डब्ल्यूसीडीएल की एसटीएल/डब्ल्यूसीडीएल (गत वर्षः शून्य) के साथ इंटरचेंजबिलिटी के रूप में रु. 58,000.00 लाख रुपये की सीमा उपलब्ध है और सीसीध्ओडी के साथ बिना किसी इंटरचेंजबिलिटी के एसटीएल/डब्ल्यूसीडीएल के रूप में 49,800.00 लाख रुपये उपलब्ध है (पिछले वर्षः 14,800.00 लाख रुपये) दिनांक 31.03.2021 को उपयोग सीसी/ओडी के रूप में 46,015.70 लाख रुपये (पिछले वर्षः शून्य) और एसटीएल के रूप में 15,000.00 लाख रुपये (पिछले वर्षः शून्य) है।

(ii) वित्तीय देनदारियों की परिपक्वताएं

नीचे दी गई तालिकाओं में कंपनी की वित्तीय देनदारियों का उनकी संविदात्मक परिपक्वता के आधार पर प्रासंगिक परिपक्वता समूहों में विश्लेषण किया गया है: वे सभी गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियां जिनके लिए संविदात्मक परिपक्वता नकदी प्रवाह के समय की समझ के लिए आवश्यक हैं: –

तालिका में प्रकट की गई राशियां संविदागत छूट रहित नकदी प्रवाह हैं।

31 मार्च, 2021 को

(लाख रुपए में)

विवरण	1-7 दिन	8-14 दिन	15- 30/ 31 दिन (1 माह)	1 माह -2 माह से अधिक	2 माह से अधिक – 3 माह तक	3 माह से अधिक – 6 माह तक	6 महीने से अधिक – एक वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
उधार राशियां	46,015.70	-	15,000.00	-	8,147.79	13,117.43	20,022.71	545,838.37	91,931.20	628,750.44	1,368,823.64
विदेशी मुद्रा देनदारियां	-	-	5,819.12	4,304.95	20,820.56	8,694.44	37,854.09	163,102.02	173,289.47	617,916.44	1,031,801.08

31 मार्च, 2020 को

(लाख रुपए में)

विवरण	1-7 दिन	8-14 दिन	15- 30/ 31 दिन (1 माह)	1 माह -2 माह से अधिक	2 माह से अधिक – 3 माह तक	3 माह से अधिक – 6 माह तक	6 महीने से अधिक – एक वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
उधार राशियां	0.00	-	-	-	6,891.09	22,860.88	33,843.20	308,021.71	95,458.59	655,828.10	1,122,903.57
विदेशी मुद्रा देनदारियां	-	-	5,496.89	4,152.48	16,360.17	9,154.31	33,193.70	152,037.21	128,822.18	714,077.65	1,063,294.58

ग. बाजार जोखिम

बाजार जोखिम मुख्य रूप से ब्याज दरों और विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार–चढ़ाव के कारण नुकसान की संभावना है। उधार ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए, कंपनी की एक समिति है जो समय–समय पर बाजार की स्थितियों, साथियों की चल रही ब्याज दरों और उधार की बढ़ती लागत के आधार पर अपनी उधार दरों की समीक्षा करती है।

कंपनी के उधार में फ्लोटिंग रेट और फिक्स्ड रेट दोनों तरह के उधार शामिल हैं जो बेंचमार्क दरों से जुड़े हैं। विदेशी मुद्रा उधार के लिए, कंपनी हेजिंग व्यवस्था करके फ्लोटिंग ब्याज दर के कारण जोखिम को कम करती है। इसके अलावा कंपनी समय–समय पर फ्लोटिंग रेट लिंक्ड पोर्टफोलियो की निगरानी करती है।

विदेशी उधार एजेंसियों से विदेशी मुद्रा उधार कंपनी को विदेशी मुद्रा विनिमय दर आंदोलन जोखिम के लिए उजागर करती है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, कंपनी ब्याज दर और मुद्रा स्वैप (डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन), फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स इत्यादि जैसे जोखिम को हेज करने के लिए विभिन्न व्युत्पन्न उपकरणों को शुरू करके विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम को कम करती है। उचित मूल्य पर किए गए इन व्युत्पन्न अनुबंधों की कंपनी की अंतर्निहित अनुबंध आवश्यकता और जोखिम प्रबंधन रणनीति के आधार पर अलग–अलग परिपक्वताएं हैं।

I. विदेशी मुद्रा जोखिमः–

कंपनी के पास अपने संसाधन–समूह के हिस्से के रूप में विदेशी उधार एजेंसियों से उधार के रूप में विदेशी मुद्रा जोखिम है, अस्थिरता के साथ बड़े सीमा पार प्रवाह इरेडा की बैलेंस शीट को विनिमय दर आंदोलनों के लिए कमजोर बना सकते हैं। अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, कंपनी ब्याज दर और मुद्रा स्वैप (डेरिवेटिव लेनदेन) के माध्यम से विदेशी मुद्रा जोखिम को कम करती है। उचित मूल्य पर किए गए इन विदेशी मुद्रा अनुबंधों में कंपनी की अंतर्निहित अनुबंध आवश्यकता और जोखिम प्रबंधन रणनीति के आधार पर अलग–अलग परिपक्वता होती है।.

(क) विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधनः

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी का विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति एक्सपोजर, जो भारतीय रुपये में व्यक्त किया गया है, इस प्रकार हैः–

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021			31 मार्च, 2020		
	अमरीकी डॉलर	यूरो	जापानी येन	अमरीकी डॉलर	यूरो	जापानी येन
वित्तीय परिसम्पत्तियां						
बाहरी देशों में बैंक शेष	1,750.68	-	-	7,800.38	-	-
व्युत्पन्न परिसम्पत्तियां						
विदेशी मुद्रा स्वैप संविदाएं	31,221.67	3,941.47	5,145.87	54,669.80	490.95	16,095.24
वित्तीय देनदारियां						
विदेशी मुद्रा ऋण	382,941.90	250,898.26	397,960.92	359,140.32	286,463.22	417,691.05
व्युत्पन्न देनदारियां						
विदेशी मुद्रा स्वैप संविदाएं	1,817.95	1,497.06	5,868.15	-	6,257.17	530.82
विदेशी मुद्रा जोखिम में निवल एक्सपोजर (देनदारियां)	351,788.42	248,453.85	398,683.20	297,877.83	292,228.53	401,919.78
विदेशी मुद्रा जोखिम में निवल एक्सपोजर (परिसम्पत्तियां)	-	-	-	-	-	-

(ख) संवेदनशीलता

विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण लाभ और हानि की संवेदनशीलता मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग के वित्तीय साधनों से उत्पन्न होती है। नीचे दी गई तालिका में विदेशी मुद्रा एक्सपोजर पर 5% भारतीय रुपए तक के सापेक्ष विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तन के कारण लाभ और हानि (लाभ/(–) हानि) के विवरण पर प्रभाव प्रस्तुत किया गया है।*:-

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
स्टैंडलॉन वित्तीय विवरणों पर नोट

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021		31 मार्च, 2020	
	कमी	वृद्धि	कमी	वृद्धि
	विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन के कारण			
अमरीकी डॉलर संवेदनशीलता	(1,028.96)	1,028.96	(2,291.27)	2,291.27
यूरो संवेदनशीलता	4,099.18	(4,099.18)	5,338.06	(5,338.06)
जापानी येन संवेदनशीलता	7,339.70	(7,339.70)	7,703.58	(7,703.58)

*अन्य सभी चरों को स्थिर रखते हुए।

II. नकद प्रवाह और उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के कारण किसी वित्तीय साधन के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव होगा। बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के जोखिम के प्रति कंपनी का जोखिम फ्लोटिंग ब्याज दरों के साथ लंबी अवधि के विदेशी मुद्रा ऋण से संबंधित है। कंपनी अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार अपने ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करती है।

कंपनी की निश्चित दर उधार परिशोधन लागत पर की जाती है। इसलिए वे ब्याज दर जोखिम के अधीन नहीं हैं, क्योंकि बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के कारण न तो वहन राशि और न ही भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव होगा।

(क) ब्याज दर जोखिम एक्सपोजर

समीक्षाधीन अवधि के अंत में ब्याज दर में परिवर्तन के लिए समूह के उधार का एक्सपोजर इस प्रकार है:

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
परिवर्तनीय दर उधार राशियां		
घरेलू	52,299.55	172,627.93
अंतरराष्ट्रीय	369,941.03	391,603.46
कुल	**422,240.58**	**564,231.39**

(ख) संवेदनशीलता

लाभ या हानि ब्याज दरों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप उधार से उच्च/निम्न ब्याज व्यय के प्रति संवेदनशील है।

(लाख रुपए में)

विवरण	कर पश्चात लाभ पर प्रभाव	
	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
ब्याज दरें – 50 मूल अंकों की वृद्धि*	(2,111.21)	(2,821.16)
ब्याज दरें – 50 मूल अंकों की कमी	2,111.21	2,821.16

*अन्य सभी चरों को स्थिर रखते हुए।

(ग) हेजिंग गतिविधियों का प्रभाव

व्युत्पन्न वित्तीय साधन और हेज अकाउंटिंग

कंपनी के पास केवल प्रिंसिपल स्वैप (पीओएस), क्रॉस करेंसी और इंटरेस्ट रेट स्वैप (सीसीआईआरएस), फॉरवर्ड्स, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स (आईआरएस), क्रॉस, करेंसी और क्रॉस करेंसी ऑप्शंस, स्ट्रक्चर्ड जैसे डेरिवेटिव वित्तीय साधनों को शुरू करने के लिए लागत में कमी के उत्पादों आदि को अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों और ब्याज दर जोखिमों को कम करने और कम करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है।

कंपनी केवल प्रिंसिपल स्वैप (पीओएस), क्रॉस करेंसी और इंटरेस्ट रेट स्वैप (सीसीआईआरएस), फॉरवर्ड, इंटरेस्ट रेट स्वैप (आईआरएस), क्रॉस, करेंसी और क्रॉस करेंसी ऑप्शंस, स्ट्रक्चर्ड/कॉस्ट रिडक्शन प्रोडक्ट्स आदि के रूप में अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों और ब्याज दर जोखिमों को हेज करने के लिए डेरिवेटिव वित्तीय साधनों का उपयोग करती है।

हेज की अप्रभावीता का निर्धारण हेज संबंध की शुरुआत में और समय–समय पर संभावित प्रभावशीलता आकलन के माध्यम से किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हेज की गई वस्तु और हेजिंग उपकरण के बीच एक आर्थिक संबंध मौजूद है। कंपनी निम्नलिखित प्रभावशीलता परीक्षण रणनीतियों को लागू करती है:

– क्रॉस करेंसी स्वैप और ब्याज दर स्वैप के लिए जो हेज किए गए आइटम की शर्तों से बिल्कुल मेल खाते हैं, आर्थिक संबंध और हेज प्रभावशीलता महत्वपूर्ण शर्तों के मिलान पद्धति का उपयोग करके गुणात्मक कारकों पर आधारित हैं।

कंपनी ने हेजिंग संबंधों के लिए 1:1 का हेज अनुपात स्थापित किया है क्योंकि अंतर्निहित जोखिम और हेजिंग उपकरणों की अनुमानित राशि हेज की गई वस्तुओं के समान है।

नकदी प्रवाह हेज रिजर्व में गतिविधि:

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
वर्ष के प्रारंभ में शेष	55,154.33	15,674.72
हेजिंग उपकरणों के प्रभावी हिस्से के उचित मूल्य में परिवर्तन	(30,106.51)	68,462.48
हेज की गई मदों पर विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि)	(2,722.13)	(28,982.87)
हेज की गई मदों पर विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि)	**22,325.69**	**55,154.33**

तुलन पत्र पर हेज लेखांकन के प्रभावों का प्रकटीकरण:

31 मार्च, 2021 को

(लाख रुपए में)

हेज और जोखिमों का प्रकार	परिपक्वता की तारीखें	हेज अनुपात	भारित औसत स्ट्राइक प्राइस/दर	हेज उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन
नकद प्रवाह हेज				
विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम				
(i) क्रॉस करेंसी स्वैप				
-अमरीकी डॉलर	15-अक्टूबर-2024 to 07-अक्टूबर-2035	1 : 1	67.6734	-21,457.99
-यूरो	28-मई-2021 to 31-मई-2029	1 : 1	81.3521	8,660.31
-जापानी येन	19-जून-2021 to 20-मार्च-2025	1 : 1	0.6590	-14,623.77

हेज और जोखिमों का प्रकार	परिपक्वता की तारीखें	हेज अनुपात	भारित औसत स्ट्राइक प्राइस/दर	हेज उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन
(ii) ब्याज दर स्वैप				
-अमरीकी डॉलर	15-जुलाई-2026 to 15-अक्टूबर-2026	1 : 1	67.0767	-1,006.41
-यूरो	30-जून-2024	1 : 1	81.4	-449.69
-जापानी येन	19-जून-2024	1 : 1	0.5925	-1,662.93

31 मार्च, 2020 को

(लाख रुपए में)

हेज और जोखिमों का प्रकार	परिपक्वता की तारीखें	हेज अनुपात	भारित औसत स्ट्राइक प्राइस/दर	हेज उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन
नकद प्रवाह हेज				
विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम				
(i) क्रॉस करेंसी स्वैप				
-अमरीकी डॉलर	20-अक्टूबर-2020 से 15-अप्रैल-2034	1 : 1	70.1854	40,439.14
-यूरो	30-दिसम्बर-2020 से 31-मई-2029	1 : 1	81.3573	9,378.67
-जापानी येन	19-दिसम्बर-2019 से 20-मार्च-2025	1 : 1	0.6430	14,538.71
(ii) ब्याज दर स्वैप				
-अमरीकी डॉलर	15-Jun-2020 से 15-अक्टूबर-2026	1 : 1	67.0887	1,584.63
-यूरो	31-मई-2020 से 30-जून-2024	1 : 1	73.2641	74.83
-जापानी येन	19-जून-2020 से 19-जून-2024	1 : 1	0.6195	2,446.50

सांकेतिक राशियों और डेरिवेटिव की अग्रणीत राशि के विवरण के लिए, कृपया वित्तीय विवरणों में टिप्पणी 4 – 'व्युत्पन्न वित्तीय विलेख' देखें।

हेजिंग लेखांकन का लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण पर प्रभावः–

31 मार्च 2021 को

(लाख रुपए में)

हेज का प्रकार	अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त हेजिंग लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तन	लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृत की गई हेज अप्रभावीता	हेज की गई मद पर विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि)	अन्य व्यापक आय में प्रभावित लाइन आइटम
विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम	(30,106.51)	-	(2,722.13)	नकद प्रवाह हेज आरक्षिती में हेजिंग उपकरण पर लाभ/(हानि)/भावी हिस्सा

31 मार्च 2021 को

(लाख रुपए में)

हेज का प्रकार	अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त हेजिंग लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तन	लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृत की गई हेज अप्रभावीता	हेज की गई मद पर विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि)	अन्य व्यापक आय में प्रभावित लाइन आइटम
नकद प्रवाह हेज विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम	68,462.48	-	(28,982.87)	नकद प्रवाह हेज आरक्षिती में हेजिंग उपकरण पर लाभ/(हानि) का प्रभावी हिस्सा

39. पूंजी प्रबंधन

जोखिम प्रबंधनः

कंपनी की पूंजी प्रबंधन नीति का प्राथमिक उद्देश्य नियामक पूंजी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना है। इस उद्देश्य के अनुरूप, कंपनी हर समय पर्याप्त पूंजी सुनिश्चित करती है और अपने व्यवसाय को इस तरह से प्रबंधित करती है कि पूंजी की रक्षा की जाती है, संतोषजनक व्यावसायिक विकास सुनिश्चित किया जाता है, नकदी प्रवाह की निगरानी की जाती है और रेटिंग को बनाए रखा जाता है।

उद्योग में अन्य लोगों के अनुरूप, कंपनी निम्नलिखित अनुपात के आधार पर पूंजी की निगरानी करती हैः

निवल ऋण (कुल उधार) को कुल 'इक्विटी' से विभाजित किया जाता है जैसा कि बैलेंस शीट में दर्शाया गया है।

कंपनी का ऋण–इक्विटी अनुपात इस प्रकार हैः

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
ऋण	2,400,000.45	2,185,354.50
इक्विटी (पूंजी आरक्षिति सहित)	299.517.94	252,131.85
ऋण–इक्विटी अनुपात	**8.01**	**8.67**

40. वर्ष 2019–20 में, इरेडा को वरिष्ठ सूचना अधिकारी (एसआईओ), जीएसटी आसूचना महानिदेशालय, वारंगल, क्षेत्रीय इकाई से पत्र सं. फा.सं. आईएनवी/डीजीजीआई/डब्ल्यूआरयू/एसटी/06/2019–20ध्7336 दिनांक 24.12.2018 गारंटी शुल्क/कमीशन के भुगतान के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए दिनांक 01.04.2016 से 31.10.2018 की अवधि के दौरान सरकार को भुगतान (वर्ष–वार) और सेवा कर/जीएसटी का भुगतान, यदि आरसीएम के आधार पर उक्त गारंटी शुल्क या सरकार को भुगतान किए गए कमीशन पर दस्तावेजी साक्ष्य के साथ भुगतान किया जाता है और यदि भुगतान न किया गया हो, तो भुगतान न करने के कारण बताएं।

जीएसटी सलाहकार के परामर्श से जीएसटी आसूचना महानिदेशक को उत्तर प्रस्तुत किया गया था। इसके अलावा, हमारी कंपनी का लिखित बयान जीएसटी प्राधिकरण, हैदराबाद द्वारा दर्ज किया गया है। 12 मार्च, 2020 को डीजीजीआई, हैदराबाद जोन के अधिकारियों ने उक्त मामले पर चर्चा के उद्देश्य से इरेडा के पंजीकृत कार्यालय का दौरा किया। मामले को कानूनी राय के लिए वकील के पास भेजा गया था। बोर्ड के मत और अनुमोदन के आधार पर, लेखा–पुस्तिकाओं में 502.54 लाख रुपये की देनदारी के रूप में प्रावधान किया गया है और बाद में इसका भुगतान किया गया है। इसके अलावा इस विषय पर कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
स्टैंडलॉन वित्तीय विवरणों पर नोट

41. सेबी के दिशानिर्देशों के तहत ''बड़े निकायों द्वारा ऋण प्रतिभूतियां जारी करके धन जुटाने'' के लिए आवश्यक प्रकटीकरण'' :

सेबी के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/डीडीएचएस/सीआईआर/पी/2018/144 दिनांक 26 नवंबर, 2018, के अनुपालन में, इरेडा ने उपरोक्त परिपत्र के तहत दिए गए प्रयोज्यता मानदंड के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए खुद को एक बड़ी इकाई कॉर्पोरेट के रूप में पहचाना। तदनुसार निम्नलिखित का प्रकटीकरण किया जा रहा है:

1. कम्पनी का नाम: भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड
2. सीआईएन: U65100DL1987GOI027265
3. जिस वर्ष के लिए रिपोर्ट जमा की गई: 2021
4. उधार राशियों का ब्यौरा:

(लाख रुपए में)

विवरण	विवरण
वित्तीय वर्ष में की गई वृद्धिशील उधारी (लगभग) (क)	346,000.00*
ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने के माध्यम से की गई अनिवार्य उधारी (ख) = (क का 25%:)	86,500.00
वित्तीय वर्ष में ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से की गई वास्तविक उधारी (ग)	50,000.00
ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से अनिवार्य उधारी में कमी, यदि कोई हो (घ) = (ख) - (ग)	36,500.00
ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से अनिवार्य उधारी में कमी, यदि कोई हो, कारण	**

*द्विपक्षीय/बहुपक्षीय संस्थाओं से लिए गए ऋण शामिल नहीं हैं।

**वित्त वर्ष 2021 के लिए, इरेडा ने रु 500 करोड़ कर योग्य बांडों के माध्यम से जुटाए। महामारी के कारण, इरेडा का प्रमुख संवितरण पिछली तिमाही में, विशेषकर मार्च' 21 में हुआ। तदनुसार, घरेलू स्रोतों से उधार मुख्य रूप से वित्त वर्ष 21 की अंतिम तिमाही में किए गए थे, जिसमें अधिकतम भाग मार्च, 21 में उठाया गया था। प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर आगे उधार देने के लिए, इरेडा ने निधि के सबसे सस्ते स्रोत से संसाधन जुटाए। बॉन्ड बाजार के माध्यम से फंड जुटाना बैंकों से मिलने वाले आवधिक ऋण की तुलना में महंगा था। इसलिए, आर्थिक दृष्टिकोण से, धन जुटाने का एक अधिकांश कार्य घरेलू बैंकों से सावधि ऋण के माध्यम से किया गया था।

42. एनसीएलटी के तहत संदर्भित उधारकर्ताओं के कॉरपोरेट गारंटर

विंड वर्ल्ड इंडिया लिमिटेड का मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के पास भेजा गया है और एनसीएलटी द्वारा इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल को नियुक्त किया गया है। उक्त कंपनी रुपये की राशि के ऋण के लिए कॉर्पोरेट गारंटर के रूप में खड़ी है। 14,567.03 लाख (पिछले वर्ष 14,380.15 लाख रुपये) इरेडा द्वारा उन संस्थाओं को दिया गया जो इसकी सहायक/सहयोगी हैं। एक सहायक कंपनी के दो खाते – मेसर्स विंड वर्ल्ड इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (डब्ल्यूडब्ल्यूआईआई) पर रु. 11,630.15 लाख (पिछले वर्ष: 11,630.15 लाख रुपये) का बकाया वित्तीय वर्ष 2017–18 में एक गैर–निष्पादित संपत्ति में बदल गया था।

43. कोविड 19 से संबंधित प्रकटीकरण

क) कोविड–19 नियामक पैकेज के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र ओआर. सं.बीपी.बीसी.63/21.04.048/2019–20 दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के अनुसरण में प्रकटीकरण:

कोविड–19 नियामक पैकेज से संबंधित आरबीआई के 27 मार्च, 2020, 17 अप्रैल, 2020 और 23 मई, 2020 के दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी ने 1 मार्च, 2020 और 31 अगस्त के बीच देय किश्तों के भुगतान पर पात्र उधारकर्ताओं के लिए 2020 (''स्थगन अवधि'') स्थगन की पेशकश की थी। उन खातों के संबंध में जहां स्थगन लाभ दिया गया था, उन खातों की स्टेजिंग 31 मार्च, 2021 को पिछले दिनों की देयता स्थिति पर आधारित है।

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
(i)	एसएमए/अतिदेय श्रेणियों में संबंधित राशि, जहां स्थगन/स्थगन को 31.08.2020 तक बढ़ा दिया गया था	82,086.40	110,332.13
(ii)	संबंधित राशि जहां परिसंपत्ति वर्गीकरण लाभ बढ़ाया जाता है	82,086.40	110,332.13
(iii)	किया गया समान्य प्रावधान*	-	-
(iv)	अवधि के दौरान गिरावट और अवशेष प्रावधानों केसापेक्ष समायोजित सामान्य प्रावधान	-	-

* कंपनी, एनबीएफसी होने के नाते, इंड–एएस और बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है ताकि अक्षमताओं की पहचान की जा सके।

रु. 28,245.73 लाख के उधारकता ऋण खातों को वित्तीय वर्ष 2020–2021 के दौरान एनपीए/बंद माना गया है।

ख) कोविड–19 महामारी के प्रकोप के परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने मार्च 2020 में तालाबंदी की घोषणा की। इसके बाद, सरकार द्वारा राष्ट्रीय तालाबंदी को हटा दिया गया, लेकिन कोविड–19 मामलों की एक महत्वपूर्ण संख्या वाले क्षेत्रों में क्षेत्रीय लॉकडाउन लागू किया जाना जारी है। कोविड–19 के प्रभाव से वैश्विक और भारतीय वित्तीय बाजारों में अत्यधिक अस्थिरता और वैश्विक और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों में उल्लेखनीय कमी आई है। वर्तमान ''दूसरी लहर'' सहित कोविड 19 महामारी, जिसने भारत में मामलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की है, कंपनी के परिणामों को प्रभावित करना जारी रखेगी, यह चल रहे और साथ ही भविष्य के विकास पर निर्भर करेगा, जो अत्यधिक अनिश्चित हैं। वर्ष के दौरान ईसीएल गणना में कोविड –19 प्रभाव पर विचार किया गया है।

ग) गजेंद्र शर्मा बनाम भारत संघ और एएनआर द्वारा जनहित याचिका (पीआईएल) में सुप्रीम कोर्ट के 3 सितंबर, 2020 के अंतरिम आदेश के मद्देनजर, अधिस्थगन श्रेणी के तहत किसी भी अतिरिक्त उधारकर्ता खाते को गैर–निष्पादित संपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था, जो 31 अगस्त, 2020 तक एनपीए घोषित नहीं किया गया था।

खातों को एनपीए घोषित नहीं करने के लिए दिया गया अंतरिम आदेश 23 मार्च, 2021 को माननीय एससी के फैसले के तहत लघु उद्योग औद्योगिक निर्माता संघ बनाम यूओआई और अन्य के मामले तथा अन्य संबंधित मामलों में रिक्त हो गया था। आरबीआई के परिपत्र संख्या आरबीआई/2021–22/17डीओआर.एसटीआर.आरईसी.4/21.04.048/2021–22 दिनांक 7 अप्रैल, 2021 के पैरा 5 में दिए गए निर्देशों के अनुसार, कंपनी ने परिसंपत्ति वर्गीकरण में किसी भी ठहराव पर विचार किए बिना, मौजूदा आरबीआई निर्देशों/आईआरएसी मानदंडों के अनुसार उधारकर्ता खातों का परिसंपत्ति वर्गीकरण किया है और 1 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों में इंड–एएस के तहत ईसीएल मॉडल/ढांचे के अनुसार उधारकर्ता खातों की स्टेजिंग भी की है।

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या आरबीआई/2021–22/17 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.4/21.04.048/2021–22 दिनांक 7 अप्रैल, 2021 और भारतीय बैंक संघ द्वारा जारी दिशानिर्देश के आधार पर ब्याज पर ब्याज की गणना के लिए पद्धति के अनुसार, कंपनी ने 1 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 की स्थगन अवधि के दौरान उधारकर्ताओं से लिए गए ब्याज पर ब्याज को वापस करनेध्समायोजित करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति बनाई है। कंपनी ने उक्त राशि का अनुमान लगाया है और 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों में एक प्रावधान किया है। 31 मार्च, 2021 को, कंपनी के पास रु. 250.00 लाख की विशिष्ट देयता है जिसे ब्याज की वापसी के लिए अपने दायित्व को पूरा करने के लिए ब्याज आय में डेबिट किया जाता है। आरबीआई द्वारा निर्धारित पात्र उधारकर्ताओं के लिए ब्याज पर तदनुसार, 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ब्याज आय 250.00 लाख रुपये कम है।

44. एनसीएलटी के तहत कंसोर्टियम मामला – मेसर्स गंगाखेड़ शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, यूको बैंक और मेसर्स गंगाखेड़ शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड के अन्य बैंकरों द्वारा धोखाधड़ी का पता चला था। यूको बैंक ने 11 मई, 2020 को खाते को धोखाधड़ी घोषित किया है और ओबीसी ने 21 जनवरी, 2020 को उक्त खाते को धोखाधड़ी घोषित किया है। कंपनी ने 10,000.00 लाख रुपये का परियोजना ऋण स्वीकृत किया है, जिसमें से रु. 31 मार्च 2021 को

5,107.95 लाख (पिछले वषर्ू 5,107.95 लाख रुपये) बकाया है। उक्त खाता 30 सितंबर, 2019 से कंपनी की पुस्तकों में एनपीए है। रेडा की ऋण सुविधा को–जेनरेशन परिसंपत्ति के लिए मौजूदा ऋण का टेकआउट था। कंसोर्टियम लीड द्वारा साझा की गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, सह–उत्पादन परिसंपत्ति के प्रति धोखाधड़ी के किसी भी उदाहरण का उल्लेख नहीं किया गया था। ऋण लेने वाली कंपनी अक्टूबर, 2019 से एनसीएलटी के माध्यम से दिवाला प्रक्रिया में है।

45. प्रकटीकरण – पीपीए इश्यू वाले एपी मामलों के लिए

निम्नलिखित उधारकर्ताओं ने खाते को गैर–निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं करने के लिए दिनांक 02 जनवरी 2020 को आंध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय से एक अंतरिम आदेश प्राप्त किया है। तदनुसार, उधारकर्ता के बकाया ऋण को चरण III संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, भले ही अतिदेय 3 महीने से अधिक पुराना हो। हालांकि, कंपनी ने अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ईसीएल) के अनुसार खातों की पुस्तकों में 83,232.19 लाख रुपये के बकाया ऋण परपरियोजनाओं के वित्तीय और परिचालन मापदंडों पर विचार करने के बाद 31 मार्च, 2021 तक 25,232.96 लाख रुपए का पर्याप्त प्रावधान किया है। हालांकि खातों को एनपीए घोषित नहीं किया गया है, लेकिन आय को नकद /वसूली के आधार पर इन खातों में दर्ज किया गया है। (यानी कोई भी श्ब्याज देय और प्राप्त नहीं हुआश उलट दिया गया है और ब्याज आय के रूप में नहीं लिया गया है)।

(लाख रुपए में)

परियोजना संख्या	उधारकर्ता का नाम	बकाया राशि	अतिदेय राशि	ईसीएल राशि
2286	एयूलस विंड पार्क्स प्रावइेट लिमिटेड	14,671.58	5,473.37	4,943.50
2311	एयूलस विंड पार्क्स प्रावइेट लिमिटेड	15,000.00	1,733.30	5,054.16
2334	ज्वाला विंड प्रावइेट लिमिटेड	15,700.00	2,264.27	5,880.26
2330	अनंतपुर एनर्जी प्रोजेक्ट प्रावइेट लिमिटेड	14,500.00	1,870.97	1,450.00
2246	फुजिन विंड पार्क्स प्रावइेट लिमिटेड	13,299.00	2,105.00	3,520.36
2448	फुजिन विंड पार्क्स प्रावइेट लिमिटेड	61.61	64.31	16.31
0026ST	बोरियास रिन्यूएबल एनर्जी प्रावइेट लिमिटेड	10,000.00	6,739.13	4,368.38
कुल :		**83,232.19**	**20,250.35**	**25,232.96**

46. कंपनी ने मेसर्स सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड को रु. 30,000.00 लाख का ऋण संस्वीकृत किया है, जिसमें से 31 मार्च 2021 तक 13,090.40 लाख रुपये बकाया है। 31 मार्च 2020 तक कंपनी के खातों में मेसर्स सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड एक स्टेज –3 खाता (संदिग्ध –1 श्रेणी) है। कंपनी ने 31 मार्च, 2021 को अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ईसीएल) के अनुसार खातों की पुस्तकों में 13,090.40 लाख रुपये के बकाया ऋण पर 7,614.86 लाख रु. का प्रावधान किया है। कंपनी को उक्त खाते से वसूली की पूरी राशि प्राप्त हुई है और खाता 21 मई 2021 को पूरी तरह से व्यवस्थित है।

47. प्रस्तावित इक्विटी निवेश

फरवरी 2021 की बजट घोषणा में, माननीय वित्त मंत्री ने कंपनी में इक्विटी के रूप में 150,000.00 लाख रुपये के निवेश की घोषणा की थी। । कहा गया है कि इक्विटी के निवेश से पूंजी आधार में वृद्धि होगी, और कंपनी इसका लाभ उठाने और अक्षय ऊर्जा (आरई) परियोजनाओं के लिए उधार देने में सक्षम होगी और इस प्रकार आरई क्षमता स्थापना के भारत सरकार के लक्ष्य में योगदान प्राप्त होगा।

48. एनबीएफसी के लिए आरबीआई के विभिन्न निदेशों / परिपत्रों के अनुसार प्रकटीकरण

क) पुनर्संचित लेखों का प्रकटीकरण

31.03.2021 को

क्र. सं.	पुनर्संरचना का प्रकार परिसम्पत्ति वर्गीकरण ब्यौरा		सीडीआर तंत्र के अंतर्गत	एसएमई ऋण पुनर्संरचना के अंतर्गत	अन्य					कुल				
					मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
1	वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल 2020 को पुनर्संरचित लेखे (प्रारंभिक आंकड़े)*	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य	24				24	24				24
		बकाया राशि (लाख रुपए में)			92,140.64				92,140.64	92,140.64				92,140.64
		इस पर प्रावधान (लाख रुपए में)			5,745.11				5,745.11	5,745.11				5,745.11
2	वर्ष के दौरान नई पुनर्संरचना	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य	1				1	1				1
		बकाया राशि (लाख रुपए में)			321.73				321.73	321.73				321.73
		इस पर प्रावधान (लाख रुपए में)			16.09				16.09	16.09				16.09
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में स्तरोन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य	0				0	0				0
		बकाया राशि (लाख रुपए में)			0				0	0				0
		इस पर प्रावधान (लाख रुपए में)			0				0	0				0
4	पुनर्रचित मानक अग्रिम जो वित्तीय वर्ष के अंत में उच्च प्रावधान और / या अतिरिक्त जोखिम भार को आकर्षित करना बंद कर देते हैं और इसलिए अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दिखाया जाना जाना अपेक्षित नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य	0				0	0				0
		बकाया राशि (लाख रुपए में)			0				0	0				0
		इस पर प्रावधान (लाख रुपए में)			0				0	0				0
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित लेखों का स्तरावनयन	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य	4				4	4				4
		बकाया राशि (लाख रुपए में)			5,502.27				5,502.27	5,502.27				5,502.27
		इस पर प्रावधान (लाख रुपए में)			268.17				268.17	268.17				268.17

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
स्टैंडलॉन वित्तीय विवरणों पर नोट

क्र. सं.	पुनर्संरचना का प्रकार परिसम्पत्ति वर्गीकरण ब्यौरा		सीडीआर तंत्र के अंतर्गत	एसएमई ऋण पुनर्संरचना के अंतर्गत	अन्य					कुल				
					मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित लेखों को बट्टे खाते किया जाना	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य	0				0	0				0
		बकाया राशि (लाख रुपए में)			0				0	0				0
		इस पर प्रावधान (लाख रुपए में)			0				0	0				0
7	वर्ष के दौरान बंद खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य	0				0	0				0
		बकाया राशि (लाख रुपए में)			0				0	0				0
		इस पर प्रावधान (लाख रुपए में)			0				0	0				0
8	31 मार्च, 2021 को पुनर्संरचित लेखे	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य	21				21	21				21
		बकाया राशि (लाख रुपए में)			86,960.09				86,960.09	86,960.09				86,960.09
		इस पर प्रावधान ** (लाख रुपए में)			5,493.02				5,493.02	5,493.02				5,493.02

* मानक पुनर्संरचित अग्रिम राशियों के आंकड़ों को छोड़कर जो उच्च प्रावधानीकरण या जोखिम भार (यदि लागू हो) को आकर्षित नहीं करते हैं।

** उपरोक्त प्रावधान आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार प्रकट किया गया है। हालांकि कंपनी ने ईसीएल मॉडल के आधार पर ऋण और अग्रिम के प्रावधान को मान्यता दी है।

पुनसंरचित लेखों का प्रकटीकरण

क्र. सं.	पुनर्संरचना का प्रकार परिसम्पत्ति वर्गीकरण ब्यौरा		सीडीआर तंत्र के अंतर्गत	एसएमई ऋण पुनर्संरचना के अंतर्गत	अन्य					कुल				
					मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
1	वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल 2020 को पुनर्संरचित लेखे (प्रारंभिक आंकड़े)*	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य	24				24	24				24
		बकाया राशि (लाख रुपए में)			86,558.12				86,558.12	86,558.12				86,558.12
		इस पर प्रावधान (लाख रुपए में)			5,303.55				5,303.55	5,303.55				5,303.55
2	वर्ष के दौरान नई पुनर्संरचना	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य	5				5	5				5
		बकाया राशि (लाख रुपए में)			35,458.41				35,458.41	35,458.41				35,458.41
		इस पर प्रावधान (लाख रुपए में)			1,695.75				1,695.75	1,695.75				1,695.75
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में स्तरोन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य	0				0	0				0
		बकाया राशि (लाख रुपए में)			0				0	0				0
		इस पर प्रावधान (लाख रुपए में)			0				0	0				0
4	पुनर्रचित मानक अग्रिम जो वित्तीय वर्ष के अंत में उच्च प्रावधान और / या अतिरिक्त जोखिम भार को आकर्षित करना बंद कर देते हैं और इसलिए अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दिखाया जाना अपेक्षित नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य	0				0	0				0
		बकाया राशि (लाख रुपए में)			0				0	0				0
		इस पर प्रावधान (लाख रुपए में)			0				0	0				0
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित लेखों का स्तरावनयन	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य	5				5	5				5
		बकाया राशि (लाख रुपए में)			29,875.89				29,875.89	29,875.89				29,875.89
		इस पर प्रावधान (लाख रुपए में)			1,254.19				1,254.19	1,254.19				1,254.19

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
स्टैंडलॉन वित्तीय विवरणों पर नोट

क्र. सं.	पुनर्संरचना का प्रकार परिसम्पत्ति वर्गीकरण ब्यौरा		सीडीआर तंत्र के अंतर्गत	एसएमई ऋण पुनर्संरचना के अंतर्गत	अन्य					कुल				
					मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित लेखों को बट्टे खाते किया जाना	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य	0				0	0				0
		बकाया राशि (लाख रुपए में)			0				0	0				0
		इस पर प्रावधान (लाख रुपए में)			0				0	0				0
7	वर्ष के दौरान बंद खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य	0				0	0				0
		बकाया राशि (लाख रुपए में)			0				0	0				0
		इस पर प्रावधान (लाख रुपए में)			0				0	0				0
8	31 मार्च, 2020 को पुनर्संरचित लेखे	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य	24				24	24				24
		बकाया राशि (लाख रुपए में)			92,140.64				92,140.64	92,140.64				92,140.64
		इस पर प्रावधान** (लाख रुपए में)			5,745.11				5,745.11	5,745.11				5,745.11

* मानक पुनर्संरचित अग्रिम राशियों के आंकड़ों को छोड़कर जो उच्च प्रावधानीकरण या जोखिम भार (यदि लागू हो) को आकर्षित नहीं करते हैं।

** उपरोक्त प्रावधान आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार प्रकट किया गया है। हालांकि कंपनी ने ईसीएल मॉडल के आधार पर ऋण और अग्रिम के प्रावधान को मान्यता दी है।

ख. पूंजी

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
1	सीआरएआर (%)*	17.12	14.34
2	सीआरएआर – टीयर I पूंजी (%)	12.91	12.55
3	सीआरएआर - टीयर II टीयर (%)	4.22	1.79
4	टीयर–।। पूंजी के रूप में जुटाए गए अधिनिस्थ ऋण की राशि (लाख रुपए में)	64,919.20	14,970.00
5	चिरस्थायी ऋण लिखित जारी करके जुटाई गई राशि	-	-

ख. निवेश

	विवरण			31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(1)	निवेशों का मूल्य				
	(i)	निवेशों का सकल मूल्य			
		(क)	भारत में		
			-बैंकों में अल्पावधिक जमा राशियां	-	29,201.11
			-एमआईबीओआर के साथ जुड़ी लचीली (फ्लेक्सी) जमा	-	20,692.47
			-वाणिज्यिक पत्र (पूर्ण अक्षम)	6,899.11	6,899.11
			-उपर्युक्त मदों पर उपचित ब्याज	-	752.70
		(ख)	भारत से बाहर,	-	-
	(ii)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान			
		(क)	भारत में	6,899.11	6,899.11
		(ख)	भारत से बाहर,	-	-
	(iii)	निवेश का निवल मूल्य			
		(क)	भारत में	-	50,646.27
		(ख)	भारत से बाहर	-	-
(2)	निवेश पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों का संचलन.				
	(i)	प्रारंभिक शेष		6,899.11	-
	(ii)	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान		-	6,899.11
	(iii)	घटाएं: वर्ष के दौरान अतिशेष प्रावधानों का अधित्याग/बट्टे खाते		-	-
	(iv)	लगाया जाना		6,899.11	6,899.11

ग. डेरिवेटिव

❖ **अग्र दर करार/ब्याज दर अदलाबदली (स्वैप)**

विवरण		31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(i)	स्वैप करारों का संकेतिक सिद्धांत	821,862.93	840,534.25
(ii)	यदि प्रतिपक्षकार, समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे, तो होने वाली हानियाँ	40,309.01	71,255.99
(iii)	स्वैप करारों में शामिल पर लागू एनबीएफसी द्वारा अपेक्षित समपार्श्विक	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	स्वैप करारों से उत्पन्न होने वाले क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रीकरण	लागू नहीं	लागू नहीं
(v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	31,125.85	64,468.00

❖ **एक्सचेंज ट्रेडेड इंटरेस्ट रेट (आईआर) डेरिवेटिव्स – शून्य**

❖ **डेरिवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटीकरण**

क) गुणवत्तात्मक प्रकटीकरण

(i) कंपनी ने ब्याज दर, विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव और अन्य संपत्ति देयता बेमेल सहित विभिन्न बाजार जोखिमों को स्वीकृत किया;

(ii) सभी व्युत्पन्न सौदे विदेशी मुद्रा प्रबंधन समिति (एफएमसी) की देखरेख में किए जाते हैं। कंपनी को विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव और ब्याज दर जोखिम से बचाने के लिए, कंपनी ने आईएसडीए बैंकों के साथ व्युत्पन्न उपकरण के माध्यम से इस तरह के जोखिम को कम करने के लिए दीर्घकालिक समझौते किए हैं।

(iii) कंपनी केस दर केस आधार पर हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को अपनाकर एक्सचेंज के उतार–चढ़ाव के जोखिम से सुरक्षा के लिए सक्रिय कार्रवाई कर रही है। इस संबंध में, वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, इरेडा ने 6 आईएसडीए बैंकर के साथ 7 लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए 10 प्रिंसिपल ओनली स्वैप डील की है।

(iv) इरेडा के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा और डेरिवेटिव जोखिम प्रबंधन नीति है, ऐसी नीति खुले एक्सपोजर की अधिकतम अनुमेय सीमा को परिभाषित करती है जो बकाया विदेशी मुद्रा के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है। 31 मार्च, 2021 को इरेडा का विदेशी मुद्रा एक्सपोजर कुल विदेशी मुद्रा एक्सपोजर का 22.80 प्रतिशत (पिछले वर्ष: 24.58 प्रतिशत) है।

ख) मात्रात्मक प्रकटीकरण

क्र. सं.	विवरण	मुद्रा (पीओएस प्लस सीसीआईआरएस) डेरिवेटिव्स	ब्याज दर (सीसीआईआरएस) डेरिवेटिव्स
(i)	डेरिवेटिव्स (सांकेतिक मूल धनराशि)		
	हेजिंग के लिए	€ 195,071,590.70 $ 494,617,556.69 ¥ 35,754,286,518	€ 1,114,906.03 $ 51,988,716.28 ¥ 2,094,871,635
	मूल्य (लाख रुपए में)	768,787.29	53,075.64
(ii)	बाजार से बाजार स्थिति		
	क) परिसम्पत्ति (+) (लाख रुपए में)	39,117.62	1,191.39
	ख) देनदारी (-)(लाख रुपए में)	9,137.96	45.20
(iii)	क्रेडिट एक्सपोजर	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	अनहेज्ड एक्सपोजर (प्रिंसिपल और पार्ट हेज के लिए हेज नहीं माना जाता है) (लाख रुपए में)	235,254.31	

घ) प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

प्रतिभूतिकरण से संबंधित ये प्रकटीकरण नीचे दिए गए प्रारूप में किए गए हैं::

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण			संख्या / राशि
1.	प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए लागू एनबीएफसी द्वारा प्रायोजित एसपीवी की संख्या*			-
2.	प्रायोजित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत संपत्ति की कुल राशि			-
3.	शेष की तारीख को एमआरआर का अनुपालन करने के लिए लागू एनबीएफसी द्वारा रखे गए एक्सपोजर की कुल राशि			
	क)	बैलेंस शीट एक्सपोजर से बाहर		
		प्रथम हानि		-
		अन्य		-
	ख)	बैलेंस शीट एक्सपोजर पर		
		प्रथम हानि		-
		अन्य		-
4.	एमआरआर से अन्य प्रतिभूतिकरण लेदनदेानों के एक्सपोजर की राशि			
	क)	बैलेंस शीट एक्सपोजर से बाहर		
		i)	स्वयं के प्रतिभूतिकरण में एक्सपोजर	
			प्रथम हानि	-
			हानि	-
		ii)	तृतीय पक्षकार के प्रतिभूतिकरण में एक्सपोजर	
			प्रथम हानि	-
			हानि	-
	ख)	बैलेंस शीट एक्सपोजर पर		
		i)	स्वयं के प्रतिभूतिकरण में एक्सपोजर	
			प्रथम हानि	
			अन्य	-
		ii)	तृतीय पक्षकार के प्रतिभूतिकरण में एक्सपोजर	
			प्रथम हानि	-
			अन्य	-
*केवल बकाया प्रतिभूतिकरण संव्यवहारों से संबंधित एसपीवी को यहां रिपोर्ट किया जाए				

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
स्टैंडलॉन वित्तीय विवरणों पर नोट

परिसंपत्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्संरचना कंपनी को बेची गई वित्तीय परिसम्पत्तियों का विवरण

(लाख रुपए में)

विवरण		31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2021 को
(i)	लेखों की संख्या	-	-
(ii)	एससी/आरसी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों का निवल)	-	-
(iii)	कुल विचार	-	-
(iv)	पिछले वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली	-	-
(v)	निवल बही मूल्य पर कुल लाभ/हानि	-	-

ड. लागू एनबीएफसी द्वारा किए गए प्रेषण लेदनेदेनों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

विवरण		31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(i)	लेखों की संख्या	-	-
(ii)	बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों का निवल)	-	-
(iii)	कुल विचार	-	-
(iv)	पिछले वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली	-	-
(v)	निवल बही मूल्य पर कुल लाभ/हानि	-	-

च. खरीदी/बेची गई गैर–निष्पादन वित्तीय परिसम्पत्तियों का ब्यौरा

❖ **खरीदी गई गैर–निष्पादन वित्तीय परिसम्पत्तियों का ब्यौराः**

(लाख रुपए में)

विवरण			31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
1.	(क)	वर्ष के दौरान खरीदे गए लेखों की संख्या	-	-*
	(ख)	कुल बकाया	-	-*
2.	(क)	इनमें से, वर्ष के दौरान पुनर्संरचित लेखों की संख्या	-	-
	(ख)	कुल बकाया	-	-

*अन्य बैंक से 747.90 लाख रुपये का ऋण लिया गया जिसे उनकी बहियों में एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था

❖ **बेची गई गैर निष्पादन वित्तीय परिसम्पत्तियों का ब्यौराः**

विवरण		31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
1.	बेचे गए लेखों की संख्या	-	-
2.	कुल बकाया	-	-
3.	प्राप्त कुल विचारण	-	-

छ. परिसम्पत्तियों और देनदारियों की कतिपय मदों की परिसम्पत्ति देनदारी प्रबंधन परिवक्वता पद्धति

31 मार्च, 2021 को

(लाख रुपए में)

विवरण	1-7 दिन	8-14 दिन	15-30/ 31 दिन (1 महीना)	1 महीने से अधिक – 2 महीने तक	2 महीने से अधिक – 3 महीने तक	3 महीने से अधिक – 6 महीने तक	6 महीने से अधिक – एक वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमा राशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ब्याज सहित अग्रिम	39,462.90	773.79	22,337.72	13,246.09	83,672.60	133,862.08	202,580.05	641,549.66	303,113.13	1,256,045.61	2,696,643.62
निवेश										12.00	12.00
उधार राशियां	46,015.70	-	15,000.00	-	8,147.79	13,117.43	20,022.71	545,838.37	91,931.20	628,750.44	1,368,823.64
विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियां	-	-	-	-	-	1,740.73	-	-	-	-	1,740.73
विदेशी मुद्रा देनदारियां	-	-	5,819.12	4,304.95	20,820.56	8,694.44	37,854.09	163,102.02	173,289.47	617,916.44	1,031,801.08

31 मार्च, 2020 को

(लाख रुपए में)

विवरण	1-7 दिन	8-14 दिन	15-30/ 31 दिन (1 महीना)	1 महीने से अधिक – 2 महीने तक	2 महीने से अधिक – 3 महीने तक	3 महीने से अधिक – 6 महीने तक	6 महीने से अधिक – एक वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमा राशियां	2.01	19,505.71	24,589.89	1,276.90	-	-	5,271.76	-	-	-	50,646.27
ब्याज सहित अग्रिम	1,355.30	1,089.14	1,110.51	3,043.90	9,972.26	78,647.55	252,343.97	458,349.02	289,768.57	1,206,237.52	2,301,917.72
निवेश										12.00	12.00
उधार राशियां	0.00	-	-	-	6,891.09	22,860.88	33,843.20	308,021.71	95,458.59	655,828.10	1,122,903.57
विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियां	-	-	-	-	-	1,682.91	1,748.05	1,784.33	-	-	5,215.30
विदेशी मुद्रा देनदारियां	-	-	5,496.89	4,152.48	16,360.17	9,154.31	33,193.70	152,037.21	128,822.18	714,077.65	1,063,294.58

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
स्टैंडलॉन वित्तीय विवरणों पर नोट

ज. **एक्सपोजर**

❖ **रीयल एस्टेट सेक्टर में एक्सपोजर**

(लाख रुपए में)

श्रेणी			31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
क)	**प्रत्यक्ष एक्सपोजर**			
	(i)	**आवासीय बंधक–विलेख-**		
		आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित उधार देना जो उधारकर्ता द्वारा कब्जा कर लिया गया है या किराए पर लिया गया है	-	-
	(ii)	**वाणिज्यिक रीयल एस्टेटः– -**		
		वाणिज्यिक अचल संपत्ति (कार्यालय भवन, खुदरा स्थान, बहुउद्देश्यीय वाणिज्यिक परिसर, बहु–परिवार आवासीय भवन, बहु–किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदामों की गति, होटल, एल और अधिग्रहण, विकास और निर्माण, आदि) पर बंधक द्वारा सुरक्षित उधार।) एक्सपोजर में गैर–निधि आधारित सीमाएं भी शामिल होंगी	-	-
	(iii)	**बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतिकृत जोखिमों में निवेश–**		
		क) आवासीय	-	-
		ख) वाणिज्यिक रीयल एस्टेट	-	-
रीयल एस्टेट सेक्टर में कुल एक्सपोजर			**-**	**-**

❖ **पूंजी बाजार में एक्सपोजर**

(लाख रुपए में)

श्रेणी		31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी–उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसका कोष विशेष रूप से निवेश नहीं किया गया है, में ऋण शामिल है	-	-
(ii)	शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों पर या व्यक्तियों को शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी–उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश के लिए स्पष्ट आधार पर अग्रिम	-	-
(iii)	किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम जहां शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों को प्राथमिक सुरक्षा के रूप में लिया जाता है	-	-
(iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों की संपार्श्विक सुरक्षा द्वारा सुरक्षित सीमा तक किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम यानी जहां शेयरों/परिवर्तनीय बांडों/परिवर्तनीय डिबेंचर/इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के अलावा प्राथमिक सुरक्षा अग्रिमों को पूरी तरह से कवर नहीं करता है	-	-
(v)	स्टॉक ब्रोकर्स को प्रत्याभूत और अप्रत्याभूत अग्रिम और स्टॉक ब्रोकर्स और मार्केट मेकर्स की ओर से जारी गारंटियां	-	-
(vi)	संसाधनों को जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रमोटर के योगदान को पूरा करने के लिए शेयरों/डिबेंचर बांड या अन्य प्रतिभूतियों की सुरक्षा के खिलाफ या स्वच्छ आधार पर कॉरपोरेट्स को स्वीकृत ऋण	-	-
(vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/इश्यूज पर कंपनियों को ब्रिज ऋण		
(viii)	वेंचर कैपिटल फंड में सभी एक्सपोजर (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	-	-

झ. मूल कम्पनी के उत्पादों के वित्तपोषण का ब्यौरा,

■ **एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल)/समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का विवरण लागू एनबीएफसी द्वारा अधिक्रमित किया गया**

31.03.2021 को सीमाओं से अधिक एकल एक्सपोजर की सूची

(लाख रुपए में)

क्र. सं	नाम	सेक्टर	एक्सपोजर (लाख रुपए में)	% [निवल मूल्य (लाख रुपए में) *-252,131.85]
1.	अज्यूर पॉवर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड #	SPV	51,254.85	20.33%

* 31.03.2020 को निवल मूल्य

#रु 30.09.2020 के निवल मूल्य (अर्थात 274,503.12 लाख) के आधार पर, एक्सपोजर अनुमेय सीमाओं के भीतर है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
स्टैंडलॉन वित्तीय विवरणों पर नोट

31.03.2020 को सीमाओं से अधिक एकल एक्सपोजर की सूची

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	नाम	सेक्टर	एक्सपोजर (लाख रुपए में)	(निवल मूल्य * - 258,396.57]
1	सदर्न पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड	लघु अवधिक	87,500.00	33.86%
2	तमिलनाडु जेनरेशन एड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड	लघु अवधिक	83,000.00	32.12%
3	एज्यूर पॉवर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	एसपीवी	53,346.30	20.65%

*** * 31.03.2019 को निवल मूल्य।**

31.03.2021 को सीमाओं से अधिक समूह एक्सपोजर की सूची

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	समूह का नाम	एक्सपोजर (लाख रुपए में)	[निवल मूल्य (लाख रुपए में)*- 252,131.85]
		शून्य	

* 31.03.2020 को निवल मूल्य।

31.03.2020 को सीमाओं से अधिक समूह एक्सपोजर की सूची

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	समूह का नाम	एक्सपोजर (लाख रुपए में)	[निवल मूल्य (लाख रुपए में)*- 252,131.85]
1	एसीएमई ग्रूप	122,403.50	47.37%
2	आरईएनईडब्ल्यू ग्रुप	104,266.40	40.35%

* 31.03.2019 को निवल मूल्य

त्र. **विविध**

❖ **अन्य वित्तीय क्षेत्र के नियामकों से प्राप्त पंजीकरण**

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	विनियामक का नाम	विवरण	पंजीकरण का विवरण
1	कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय	कॉरपोरेट आईडेंटिफिकेशन नंबर	U65100DL1987GOI027265
2	भारतीय रिजर्व बैंक	पंजीकरण संख्या	14.000012
3	लीगल एंटिटी आईडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड	एलईआई नंबर	335800AXWFKW4BC99J48

- ❖ आरबीआई और अन्य नियामकों द्वारा लगाए गए दंड का खुलासा : शून्य
- ❖ कंपनी इंड–एएस –28 के अनुसार मेसर्स एमपी विंड फार्म्स लिमिटेड द्वारा प्रदान किए गए इंड एएस प्रमाणित खातों के आधार पर इक्विटी पद्धति के अनुसार एसोसिएट कंपनी में निवेश के लिए समेकित वित्तीय विवरण तैयार कर रही है।
- ❖ कंपनी के पास विदेश में संयुक्त उद्यम / सहायक कंपनियों के रूप में कोई विदेशी संपत्ति नहीं है।
- ❖ कंपनी द्वारा प्रायोजित कोई ऑफ–बैलेंस शीट एसपीवी नहीं है।
- ❖ **वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए शिकायतों का प्रकटीकरण:**

ग्राहक शिकायतें

a)	वर्ष की शुरुआत (01.04.2020) में लंबित शिकायतों की संख्या	-
b)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	29
c)	वर्ष के दौरान समाधान की गई शिकायतों की संख्या	29
d)	वर्ष के अंत में (31.03.2021) में लंबित शिकायतों की संख्या	-

बंधपत्रधारकों से संबंधित शिकायतें

ट. वर्ष के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग और रेटिंगों के विस्थापन का ब्यौरा

इरेडा ने कर योग्य / कर–मुक्त / मसाला बांड / बैंक ऋण जारी करके संसाधन जुटाए हैं, जिसके लिए उसने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों से इन निर्गमों के लिए रेटिंग प्राप्त की है। विवरण इस प्रकार है:–

- ❖ कर–मुक्त बंधपत्र / कर योग्य बंधपत्र

(लाख रुपए में)

रेटिंग एजेंसी	विलेख / उद्देश्य / ईश्यू	रेटिंग
आईसीआरए लिमिटेड	कर मुक्त बॉण्ड (रु. 200,000.00 लाख) फिस्कल 2015-16 सीरीज XIV (सार्वजनिक और निजी प्लेसमेंट)	आईसीआरए एए. (स्थिर) पुनःपुष्टि की गई
	कर योग्य ग्रीन बॉण्ड (रु. 70,000.00 लाख) फिस्कल 2016-17 सीरीज VI-A & VI-B	आईसीआरए एए. (स्थिर) पुनःपुष्टि की गई
इंडिया रेटिंग्स रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड	कर मुक्त बॉण्ड (रु. 200,000.00 लाख) फिस्कल 2015-16 सीरीज XIV (सार्वजनिक और निजी प्लेसमेंट)	आईएनडी एए (स्थिर) पुष्टि की गई
	कर योग्य ग्रीन बॉण्ड (रु. 70,000.00 लाख) फिस्कल 2016-17 सीरीज VI-A और VI-B	आईएनडी एए (स्थिर) पुष्टि की गई
	कर योग्य बॉण्ड (रु. 86,500.00 लाख) फिस्कल 2018-19 सीरीज VIIA और VIIB	आईएनडी एए (स्थिर) पुष्टि की गई
	कर योग्य Tier-II Sub Debt (Rs. 15,000.00 लाख) फिस्कल 2018.19 सीरीज VIII	आईएनडी एए (स्थिर) पुष्टि की गई
	कर योग्य बॉण्ड (रु. 180,300.00 लाख) फिस्कल 19.20 सीरीज IX-A और IX-B	आईएनडी एए (स्थिर) पुष्टि की गई
	कर योग्य Tier II सबोर्डिनेट बॉण्ड (Rs 50,000.00 लाख) फिस्कल 20-21 Sr X	आईएनडी एए (स्थिर) पुष्टि की गई
केयर रेटिंग्स	कर योग्य बॉण्ड सीरीज III- B, IV और V (Rs. 105,000.00 लाख	केयर एएए (सीई), स्थिर पुनःपुष्टि की लिमिटेड गई
	कर मुक्त बॉण्ड सीरीज -XIII सार्वजनिक और निजी प्लेसमेंट (Rs. 75,765.46 लाख फिस्कल 13-14)	केयर एएए (सीई), स्थिर पुनःपुष्टि की गई

	कर योग्य ग्रीन बॉण्ड सीरीज VIA और VIB (Rs. 70,000.00 लाख) फिस्कल 2016-17	केयर एएए एए स्थिर पुनःपुष्टि की गई
ब्रिकवर्क रेटिंग्स	दीर्घावधिक कर योग्य बॉण्ड सीरीज III-B, IV और V (Rs. 105,000.00 लाख)	बीडब्ल्यूआर एएए (सीई) नकारात्मक पुनःपुष्टि की गई
	कर मुक्त बॉण्ड सीरीज .ग्प्प् सार्वजनिक और निजी प्लेसमेंट (रु. 75,765.46 लाख फिस्कल 13.14)	बीडब्ल्यूआर एएए (सीई) नकारात्मक पुनःपुष्टि की गई
	कर योग्य बॉण्ड (रु. 86,500.00 लाख) फिस्कल 2020 सीरीज VIIA और VIIB	बीडब्ल्यूआर एएए नकारात्मक पुनः पुष्टि की गई
	कर योग्यबॉण्ड (रु. ऋण (रु. 15,000.00 लाख) फिस्कल 2018-19 सीरीज VIII	बीडब्ल्यूआर एएए नकारात्मक पुनः पुष्टि की गई
	कर योग्य बॉण्ड (रु. 180,300.00 लाख) फिस्कल 19.20 सीरीज IX-A और IX-B	बीडब्ल्यूआर एएए नकारात्मक पुनःपुष्टि की गई
	कर योग्य टीयर ।। सबोर्डिनेट बॉण्ड (रु. 50,000.00 लाख) फिस्कल 20.21 सीरीज X	बीडब्ल्यूआर एएए नकारात्मक पुनःपुष्टि की गई

❖ **बैंक ऋण**

रेटिंग एजेंसी	रेटिंग	आवधिक ऋण
ब्रिकवर्क रेटिंग्स	बीडब्ल्यूआर एएए नकारात्मक पुनःपुष्टि की गई	• कुल रु.220ए000ण्00 लाख के आवधिक ऋण रेटेड। आवंटन का ब्यौराः ❖ एचडीएफसी आवधिक ऋणः रु. 20ए000ण्00 लाख ❖ एसबीआई आवधिक ऋणः रु. 100ए000ण्00 लाख ❖ केनरा बैंकः रु. 50ए000ण्00 लाख ❖ बैंक ऑफ बडौदाः रु.50ए000ण्00 लाख • वित्तीय वर्ष 20–21 में रु.50ए000ण्00 लाख के कुल अतिरिक्त आवधिक ऋण को रेटेड किया गया। आवंटन का ब्यौराः ❖ बैंक ऑफ बडौदाः रु. 50,000.00 लाख • वित्तीय वर्ष 20–21 में उधारी के लिए रु. 200,000.00 लाख के कुल अतिरिक्त आवधिक ऋण की रेटिंग

❖ **मसाला बॉण्ड**

रेटिंग एजेंसियां	दीर्घावधि जारीकर्ता रेटिंग – माइग्रेशन	जुटाई गई राशि
मूडज इनवेसटर्स सर्विस	बीएए3, आउटलुक नकारात्मक	300 मिलियन अमरीकी डॉलर
फिच रेटिंग	बीबीबी– आउटलुक नकारात्मक (रेटिंग को बीबीबी– से स्तरोन्नयन करके बीबी प्लस किया गया, आउटलुक अपरिवर्तित है)	300 मिलियन अमरीकी डॉलर

❖ **भारत सरकार के पूर्वरूपेण सर्विस बॉण्ड**

रेटिंग एजेंसी	विलेख/उद्देश्य/ईश्यू	रेटिंग
केयर रेटिंग लिमिटेड	भारत सरकार के पूर्वरूपेण सर्विस बॉण्ड (रु.164,000.00) फिस्कल 2016.17	एएए, स्थिर, पुनः पुष्टि की गई
इंडिया रेटिंग्स रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड आईसीआरए लिमिटेड		

ठ. **जमा राशियों, अग्रिमों, एक्सपोजरों और एनपीए का संकेंद्रीकरण**

❖ **अग्रिमोंका संकेंद्रीकरण**

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	1,010,357.94	855,091.44
कुल अग्रिमों की तुलना में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	36.27%	36.31%

❖ **एक्सपोजर का संकेन्द्रीकरण**

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल अग्रिम	1,053,951.38	863,180.39
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर लागू एनबीएफसी के कुल एक्सपोजर के बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को एक्सपोजरों का प्रतिशत	37.84%	36.66%

❖ **एनपीए का संकेंद्रीकरण**

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
शीर्ष पार्क एनपीए खाताओं की कुल एक्सपोजर	68,352.72	79,428.54

❖ **सेक्टर–वार एनपीए**

क्र.सं.	सेक्टर	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत
1.	कृषि और संबद्ध गतिविधियां	-
2.	एमएसएमई	-
3.	कॉरपोरेट उधारकर्ता	8.77%
4.	सर्विसेज	-
2.	अप्रत्याभूत व्यक्तिगत ऋण	-
3.	ऑटो ऋण	-
4.	अन्य व्यक्तिगत ऋण	-

नोट– इरेडा कॉर्पोरेट उधारकर्ता को आरई परियोजनाओं के वित्तपोषण प्रदान करने के व्यवसाय में है, इसलिए कुल सकल एनपीए को कॉर्पोरेट उधारकर्ता के रूप में दिखाया गया है।

❖ एनपीए की गतिविधि

विवरण			31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(i)	निवल अग्रिम में निवल एनपीए (%)		5.61%	7.18%
(ii)	एनपीए की गतिविधि (सकल)			
	(क)	प्रारंभिक शेष	237,300.16	130,846.84
	(ख)	वर्ष के दौरान संवर्धन	53,074.22	124,859.36
	(ग)	वर्ष के दौरान कमियां	46,219.11	18,406.04
	(घ)	अंतिम शेष	244,155.27	237,300.16
(iii)	निवल एनपीए की गतिविधि			
	(क)	प्रारंभिक शेष	163,746.06	77,981.67
	(ख)	वर्ष के दौरान संवर्धन	43,528.16	104,145.05
	(ग)	वर्ष के दौरान कमियां	56,251.83	18,380.66
	(घ)	अंतिम शेष	151,022.39	163,746.06
(iv)	एनपीए के लिए प्रावधानों की गतिविधि (मानक परिसम्पत्तियों पर प्रावधान शामिल नहीं हैं)			
	(क)	प्रारंभिक शेष	73,554.10	52,865.16
	(ख)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	35,241.15	35,539.61
	(ग)	अधिशेष प्रावधानों का अधित्याग/बट्टे खाते डाला जाना	15,662.37	14,850.67
	(घ)	अंतिम शेष	93,132.88	73,554.10

ड. आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/2020–21ध्88 डीओआर.एनबीएफसी (पीडी) सीसी सं.102/03/10.001/2020–21 दिनांक 04 नवंबर, 2020 के तहत गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और कोर निवेश कंपनियों के लिए चलनिधि जोखिम प्रबंधन ढांचे पर प्रकटीकरण।

i) महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष (जमा और उधार दोनों) पर आधारित निधिकरण संकेंद्रण

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	अवधि	उल्लेखनीय प्रतिपक्षकारों की संख्या *	राशि	कुल जमा रशियों का %	कुलदेनदारियों का %
1	31.03.2021 को	13	1,594,560.49	लागू नहीं	58.41%
2.	31.03.2020 को	14	1,494,260.88	लागू नहीं	59.46%

टिप्पणी:

- एक ''महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष'' को एकल प्रतिपक्ष या संबद्ध या संबद्ध प्रतिपक्षकारों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है, जो एनबीएफसी–एनडीएसआई, एनबीएफसी–डी की कुल देनदारियों के 1 प्रतिशत से अधिक और अन्य जमा न लेने वाली एनबीएफसी के लिए 10 प्रतिशत से अधिक है।
- कुल देनदारियों की गणना कुल संपत्ति कम इक्विटी शेयर पूंजी और आरक्षित और अधिशेष के रूप में की गई है।

ii) शीर्ष 20 बड़ी जमा राशियां

(लाख रुपए में)

अवधि	बड़ी जमा राशियां	राशि	कुल जमा रशियों का %
31.03.2021 को	लागू नहीं		
31.03.2020 को			

iii) शीर्ष 10 उधारदाती :

31.03.2021 को

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	उधार राशियां	राशि	कुल उधार रशियों का %
1	दीर्घावधि सुविधा – आईएफसीएल (2020-21)	200,000.00	8.33%
2	जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी (जीआईसीए) से ऋण।	199,080.00	8.29%
3	जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी (जीआईसीए) से ऋण ।।	198,880.92	8.29%
4	7.125% ग्रीन मसाला बॉण्ड	194,567.94	8.11%
5	यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक (ईआईबी)	150,457.76	6.27%
6	एडीबी से ऋण – ।।	137,208.77	5.72%
7	8% कर योग्य बॉण्ड (सीरीज IX A- 2019-20)	99,977.70	4.17%
8	7.49% कर मुक्त बॉण्ड (सीरीज XIV ट्रांच-I-IIA- 2015-16)	88,426.52	3.68%
9	7.40% इरेडा कर योग्य बॉण्ड -Sr-IX-B -2030 (19-20)	80,257.16	3.34%
10	एजेंसी फ्रांकाइज दे डेवलपमेंट से ऋण ।। (एएफडी–।।)	73,184.15	3.05%

31.03.2020 को

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	उधार राशियां	राशि	कुल उधार रशियों का %
1	जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी (जीआईसीए)	208,950.00	9.56%
2	जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी (जीआईसीए–।।)	208,741.05	9.55%
3	7.125% ग्रीन मसाला बॉण्ड	194,309.26	8.89%
4	यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक (ईआईबी)	161,340.90	7.38%
5	एशिया विकास बैंक से ऋण – ।। (एडीबी–।।)	150,771.80	6.90%
6	8% कर योग्य बॉण्ड	99,975.90	4.57%
7	7.49 % कर मुक्त बॉण्ड	88,426.52	4.05%
8	एसबीआई आवधिक ऋण	84,993.17	3.89%
9	7.40% कर योग्य बॉण्ड	80,253.84	3.67%
10	एजेंसी फ्रांकाइज दे डेवलपमेंट से ऋण ।। (एएफडी–।।)	78,897.12	3.61%

iv) उल्लेखनीय लिखत/उत्पाद के आधार पर वित्तपोषण संकेंद्रण

31.03.2021 को

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	लिखत/उत्पाद की संख्या	राशि	कुल देनदारियों का %
1.	कर मुक्त बांड – गैर परिवर्तनीय प्रतिदेय डिबेंचर (प्रत्याभूत)	275,765.46	10.10%
2.	करयोग्य बांड – गैर परिवर्तनीय प्रतिदेय डिबेंचर (प्रत्याभूत)	441,692.76	16.18%
3.	मसाला बॉण्ड (अप्रत्याभूत)	194,567.94	7.13%
4.	अधीनस्थ देनदारियां	64,919.20	2.38%
5.	बैंकों से आवधिक ऋण (प्रत्याभूत)	254,735.26	9.33%
6.	बैंकों से आवधिक ऋण (अप्रत्याभूत)	97,676.36	3.58%
7.	अन्यों से आवधिक ऋण (प्रत्याभूत)	953,431.94	34.93%
8.	माग पर पुनःप्रतिदेय ऋण	46,015.70	1.69%
9.	एफसीएनआर (बी) मांग ऋण	71,195.83	2.61%

31.03.2020 को

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	लिखत/उत्पाद की संख्या	राशि	कुल देनदारियों का %
1	कर मुक्त बांड – गैर परिवर्तनीय प्रतिदेय डिबेंचर (प्रत्याभूत)	275,765.46	10.97%
2	करयोग्य बांड – गैर परिवर्तनीय प्रतिदेय डिबेंचर (प्रत्याभूत)	456,683.92	18.17%
3	मसाला बॉण्ड (अप्रत्याभूत)	194,309.26	7.73%
4	बैंकों से आवधिक ऋण (प्रत्याभूत)	398,570.53	15.86%
5	बैंकों से आवधिक ऋण (अप्रत्याभूत)	108,043.08	4.30%
6	अन्यों से आवधिक ऋण (प्रत्याभूत)	737,012.26	29.33%

टिप्पणी:

- एक ''महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष'' को एकल प्रतिपक्ष या संबद्ध या संबद्ध प्रतिपक्षकारों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है, जो एनबीएफसी–एनडीएसआई, एनबीएफसी–डी की कुल देनदारियों के 1 प्रतिशत से अधिक और अन्य जमा न लेने वाली एनबीएफसी के लिए 10 प्रतिशत से अधिक है।
- कुल देनदारियों की गणना कुल संपत्ति कम इक्विटी शेयर पूंजी और आरक्षिति और अधिशेष के रूप में की गई है।
- एक ''महत्वपूर्ण लिखत/उत्पाद'' को समान लिखतों/उत्पादों के समूह के एकल लिखत/उत्पाद के रूप में परिभाषित किया गया है, जो एनबीएफसी–एनडीएसआई, एनबीएफसी–डी की कुल देनदारियों के 1% से अधिक और एनबीएफसी लेने वाले अन्य गैर–जमा के लिए 10% से अधिक है।

v) स्टॉक अनुपात :

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	लिखत/उत्पाद की संख्या	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
1	कुल सार्वजनिक निधि के प्रतिशत के रूप में वाणिज्यिक पत्र	लागू नहीं	लागू नहीं
2	कुल देनदारियों के प्रतिशत के रूप में वाणिज्यिक पत्र	लागू नहीं	लागू नहीं
3	कुल परिसम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में वाणिज्यिक पत्र	लागू नहीं	लागू नहीं
4	कुल सार्वजनिक निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर (एक वर्ष से कम मूल परिवक्वता)	लागू नहीं	लागू नहीं
5	कुल देनदारियों के प्रतिशत के रूप में गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर (एक वर्ष से कम मूल परिवक्वता)	लागू नहीं	लागू नहीं
6	कुल परिसम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर (एक वर्ष से कम मूल परिवक्वता)	लागू नहीं	लागू नहीं
7	कुल सार्वजनिक निधियों के प्रतिशत के रूप में अन्य अल्पावधिक देनदारियां, यदि कोई हों	4.01%	5.09%
8	कुल देनदारियों के प्रतिशत के रूप में अन्य अल्पावधिक देनदारियां, यदि कोई हों	3.53%	4.43%
9	कुल परिसम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में अन्य अल्पावधिक देनदारियां, यदि कोई हों	3.18%	4.03%

टिप्पणीः अन्य अल्पकालिक देनदारियों की गणना व्यापार देय राशि, अन्य वित्तीय और गैर–वित्तीय देनदारियों के कुल योग के रूप में की गई है, जिसमें भारत सरकार के पूर्ण सेवा बांड शामिल नहीं हैं।

vi) चलनिधि जोखिम प्रबंधन के लिए संस्थागत ढांचा

कंपनी के निदेशक मंडल ने परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति, जोखिम प्रबंधन समिति और निवेश समिति का गठन किया है। परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति, अन्य बातों के साथ–साथ, परिसंपत्ति देयता प्रोफाइल, जोखिम निगरानी प्रणाली, तरलता जोखिम प्रबंधन, वित्त पोषण और पूंजी नियोजन, लाभ योजना और विकास अनुमान, विभिन्न परिदृश्यों का पूर्वानुमान और विश्लेषण और आकस्मिक योजनाओं की तैयारी की समीक्षा करती है।

इसके अलावा, जोखिम प्रबंधन समिति, अन्य बातों के साथ, कंपनी के जोखिम प्रोफाइल की निगरानी और माप करती है और कंपनी की एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली की देखरेख करती है। कंपनी पर्याप्त नकदी/ट्रेजरी अधिशेष बनाए रखकर चलनिधि जोखिम का प्रबंधन करती है।

प्रबंधन नियमित रूप से नकद और नकद समकक्षों की स्थिति की निगरानी करता है। चलनिधि स्थिति की समीक्षा करते समय ऋण वित्तपोषण योजनाओं और बैलेंस शीट तरलता के रखरखाव सहित वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता प्रोफाइल का आकलन किया जाता है। (डीएनबीएस 4ए और डीएनबीएस 4बी स्टेटमेंट की प्रस्तुति और निगरानी के माध्यम से)। कंपनी पहले से ही चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) की गणना के लिए प्रक्रिया की स्थापना और स्टॉक अनुपात के माध्यम से चलनिधि जोखिम के प्रबंधन के लिए मौजूदा चलनिधि जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में सुधार लाने पर काम कर रही है।

ढ. आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/2019–20/170 डीओ (एनबीएफसी) के तहत प्रकटीकरण। सीसी.पीडी. सं. 109/22-10-106/2019&20 दिनांक 13 मार्च, 2020 भारतीय लेखा मानकों के कार्यान्वयन पर :

(लाख रुपए में)

आरबीआई मानकों के अनुसार परिसम्पत्ति वर्गीकरण	इंड एएस 109 के अनुसार परिसम्पत्ति वर्गीकरण	इंड एएस के अनुसार सकल वहन राशि	इंड एएस 109 के अंतर्गत यथापेक्षित हानि भत्ते (प्रावधान)	कुल वहन राशि	आईआर एसीपी मानकों के अनुसार यथापेक्षित प्रावधान	इंड एएस 109 प्रावधानों और आई आरएसीपी मानकों के बीच भिन्नता
1	2	3	4	(5)=(3)-(4)	6	(7) = (4)-(6)
निष्पादन परिसम्पत्तियां						
मानक	अवस्था 1	2,372,746.14	25,547.32	2,347,198.82	37,151.08*	20,691.03
	अवस्था 2	163,862.40	32,294.79	131,567.61		
उप योग		**2,536,608.54**	**57,842.11**	**2,478,766.43**	**37,151.08**	**20,691.03**
गैर–निष्पादन परिसम्पत्तियां (एनपीए)						
अवमानक	अवस्था 3	53,074.23	9,546.07	43,528.16	5,307.42	4,238.64
संदिग्ध – 1 वर्ष तक	अवस्था 3					
1 से 3 वर्ष	अवस्था 3	64,488.96	20,809.71	43,679.25	23,089.98	(2,280.27)
3 वर्ष से अधिक	अवस्था 3	44,814.39	21,514.89	23,299.50	27,872.57	(6,357.68)
संदिग्ध पर उपयोग		81,773.29	41,257.81	40,515.49	49,062.93	(7,805.12)
		191,076.65	83,582.41	107,494.23	100,025.48	(16,443.06)
हानि	अवस्था 3					
एनपीए के लिए उपयोग		**4.40**	**4.40**	**-**	**4.40**	**-**
		244,155.27	93,132.88	151,022.39	105,337.30	(12,204.42)
अन्य मदें जैसे गारंटी, ऋण प्रतिबद्धताएं, आदि जो भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे में हैं लेकिन वर्तमान आय पहचान, संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) मानदंडों के तहत शामिल नहीं हैं।	अवस्था 1	104,910.00	486.70	104,423.30	-	486.70
	अवस्था 2	-	-	-	-	-
	अवस्था 3	-	-	-	-	-
उप योग		**104,910.00**	**486.70**	**104,423.30**	**-**	**486.70**
कुल	**अवस्था 1**	2,477,656.14	26,034.01	2,451,622.13	142,488.39	8,973.30
	अवस्था 2	163,862.40	32,294.79	131,567.61		
	अवस्था 3	244,155.27	93,132.88#	151,022.39		
	कुल	**2,885,673.82**	**151,461.68**	**2,734,212.13**	**142,488.39**	**8,973.30**

* पुनर्निर्धारण पर प्रावधान, विशेष कोविड–19 सामान्य प्रावधान शामिल हैं।

338.68 लाख रुपये के एनपीए खातों पर आकस्मिक शुल्क (डेबिट बैलेंस) पर प्रावधान को छोड़कर।

ण. चलनिधि कवरेज अनुपात पर प्रकटीकरणः–

आरबीआई ने 04 नवंबर, 2019 को गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और कोर निवेश कंपनियों के लिए चलनिधि जोखिम प्रबंधन ढांचे पर अंतिम दिशानिर्देश जारी किए हैं। उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार, एलसीआर की आवश्यकता सभी गैर–जमा लेने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी के लिए बाध्यकारी होगी, जिनका परिसंपत्ति आकार दिशा–निर्देशों में दी गई समय–सीमा के अनुसार, 1 दिसंबर, 2020 से 10,000 करोड़ और उससे अधिक, न्यूनतम एलसीआर 50 प्रतिशत होने के साथ, उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, जब तक कि यह 1 दिसंबर 2024 तक 100 प्रतिशत के आवश्यक स्तर तक नहीं पहुंच जाता।

इसके अलावा, एनबीएफसी को तिमाही आधार पर चलनिधि कवरेज अनुपात से संबंधित जानकारी का सार्वजनिक रूप से खुलासा करना आवश्यक है। तदनुसार, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी तिमाही–वित्तीय वर्ष 2021 के लिए इरेडा का चलनिधि कवरेज अनुपात पर प्रकटीकरण निम्नानुसार हैः

(लाख रुपए में)

उच्च गुणवत्ता चलनिधि परिसम्पत्तियां		तिमाही 1 (अप्रैल–जून 2020)		तिमाही 2 (जुलाई–सितंबर 2020)		तिमाही 3 (अक्टूबर–दिसंबर 2020)		तिमाही 4 (जनवरी–मार्च 2020)	
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
1	कुल उच्च गुणवत्ता चलनिधि परिसम्पत्तियां (एचक्यूएलए)	91,468.86	91,468.86	67,634.39	67,634.39	105,109.93	105,109.93	108,566.49	108,566.49
नकर बहिर्प्रवाह									
2	जमा राशियां (जमाराशि लेने वाली कंपनियां)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	अप्रत्याभूत थोक वित्तपोषण	5,017.94	5,770.63	2,431.83	2,796.60	5,130.22	5,899.75	2,103.86	2,419.44
4	प्रत्याभूत थोक वित्तपोषण	9,362.55	10,766.94	13,095.48	15,059.80	14,352.53	16,505.42	51,754.05	59,517.16
5	अतिरिक्त अपेक्षाए, जिसमें से		-		-		-		-
(i)	डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह	4,988.24	5,736.47	2,931.54	3,371.27	3,164.37	3,639.03	3,229.96	3,714.45
(ii)	ऋण उत्पादों पर धन की हानि से संबंधित बहिर्वाह	-	-		-		-		-
(iii)	क्रेडिट और चलनिधि सुविधाएं		-	0.04	0.05		-		-
6	अन्य संविदागत वित्तपोषण दायित्व	861.48	990.71	4,212.80	4,844.72	1,968.05	2,263.26	2,036.68	2,342.19
7	अन्य आकस्मिक वित्तपोषण देनदारियां	-	-		-		-		-
8	कुल नकद बहिर्वाह	20,230.21	23,264.75	22,671.69	26,072.45	24,615.18	28,307.45	59,124.55	67,993.24
नकद अंतःप्रवाह									
9	प्रत्याभूत ऋण	7,734.57	5,800.93	29,489.35	22,117.02	45,300.82	33,975.62	77,967.08	58,475.31
10	पूर्ण निष्पादक एक्सपोजरों से अंतःप्रवाह	-	-		-		-		-
11	अन्य नकद अंतःप्रवाह		-		-		-		-
12	कुल नकद अंतःप्रवाह	7,734.57	5,800.93	29,489.35	22,117.02	45,300.82	33,975.62	77,967.08	58,475.31
			कुल समायोजित मूल्य	कुल समायोजित मूल्य	कुल समायोजित मूल्य	कुल समायोजित मूल्य	कुल समायोजित मूल्य	कुल समायोजित मूल्य	कुल समायोजित मूल्य

(लाख रुपए में)

उच्च गुणवत्ता चलनिधि परिसम्पत्तियां		तिमाही 1 (अप्रैल–जून 2020)		तिमाही 2 (जुलाई–सितंबर 2020)		तिमाही 3 (अक्टूबर–दिसंबर 2020)		तिमाही 4 (जनवरी–मार्च 2020)	
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
13	कुल एचक्यूएलए		91,468.86		67,634.39		105,109.93		108,566.49
14	कुल निवल नकद बहिर्वाह		17,463.82		6,518.11		7,076.86		16,998.31
15	चलनिधि कवरेज अनुपात (%)		524%		1038%		1485%		639%

त. आरबीआई अधिनियम, 1943 के अनुसार तुलन पत्र के उद्धरण नीचे दिए गए हैं

इरेडा के तुलनपत्र की अनुसूची
(31.03.2021 को)

(लाख रुपए में)

विवरण			बकाया राशि	अतिदेय राशि
देनदारियों का पक्ष				
1	**गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम, उस पर अर्जित किंतु अदत्त ब्याज सहित::**			
	(क)	डिबेंचरः प्रत्याभूत	734,850.76	-
		: अप्रत्याभूत	269,694.24	-
		(सार्वजनिक जमाराशियों के अभिप्राय के भीतर पड़ने वाले डिबेंचरों से भिन्न)		
	(ख)	आस्थगित क्रेडिट	-	-
	(ग)	आवधिक ऋण	1,317,311.24	-
	(घ)	अंतर–कॉरपोरेट ऋण और उधार राशियां	-	-
	(ड.)	वाणिज्यिक पत्र	-	-
	(च)	सार्वजनिक जमा राशियां	-	-
	(छ)	अन्य ऋण – ओवर ड्राफ्ट	46,015.70	
	(ज)	एफसीनआर (ख) मांग ऋण	71,257.72	-
2	**उपर्युक्त (1)(च) का ब्यौरा (बकाया सार्वजनिक जमा राशियां जिनमें उन पर उपचित किंतु अदत्त ब्याज शामिल है):**			
	(क)	अप्रत्याभूत डिबेंचरों के रूप में	-	-
	(ख)	आंशिक रूप से सुरक्षित डिबेंचर यानी डिबेंचर के रूप में जहां सुरक्षा के मूल्य में कमी है	-	-
	(ग)	अन्य सार्वजनिक जमा राशियां	-	-
परिसम्पत्ति पक्ष			**बकाया राशि**	
3	**प्राप्य बिलों सहित ऋणों और अग्रिमों का ब्यौरा [नीचे (4) में शामिल से भिन्न]::**			
	(क)	प्रत्याभूत		2,457,993.06
	(ख)	अप्रत्याभूत		326,042.81
4	**पट्टे पर दी गई आस्तियों और भाड़े पर स्टॉक और एएफसी गतिविधियों की गणना करने वाली अन्य संपत्तियों का ब्यौरा**			

	(i)	विविध देनदारों के तहत लीज रेंटल सहित लीज एसेट्स		
		(क)	वित्तीय लीज	-
		(ख)	प्रचालनिक लीज	-
	(ii)	विविध देनदारों के तहत किराया प्रभार सहित भाड़े पर स्टॉकः		
		(क)	भाड़े पर परिसम्पत्तियां	-
		(ख)	पुनःप्रसंस्कृत परिसम्पत्तियां	-
	(iii)	एएफसी गतिविधियों की ओर अन्य ऋण गणना		
		(क)	वे ऋण जहां परिसम्पत्तियां प्रसंस्कृत की गई हैं	-
		(ख)	उपर्युक्त (क) से अन्य ऋण	-
5	**निवेशों का ब्यौरा**			
	चालू निवेश			
	1.	उद्धृत		
		(i)	शेयर	
			(क) इक्विटी	-
			(ख) प्राथमिकता	-
		(ii)	डिबेंचर और बॉण्ड	-
		(iii)	म्यूचुअल निधियों की यूनिटें	-
		(iv)	सरकारी प्रतिभूतियां	-
		(v)	(कृपया विनिर्दिष्ट करें)	-
	2.	अनुद्धृत		
		(i)	शेयर	
			(ग) इक्विटी	-
			(घ) प्राथमिकता	-
		(ii)	डिबेंचर और बॉण्ड	-
		(iii)	म्यूचुअल निधियों की यूनिटें	-
		(iv)	सरकारी प्रतिभूतियां	-
		(v)	(कृपया विनिर्दिष्ट करें)	
		वाणिज्यिक पत्र (अक्षमता जिसके लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है)		6,899.11
	दीर्घावधिक निवेश			
	1.	उद्धृत		
	(i)	शेयर		
		(a)	इक्विटी	-
		(b)	प्राथमिकता	-
	(ii)	डिबेंचर और बॉण्ड		-
	(iii)	म्यूचुअल निधियों की यूनिटें		-
	(iv)	सरकारी प्रतिभूतियां		-
	(v)	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		-

	2.	अनुदधृत	
	(i)	शेयर	
		(क) इक्विटी	12.00
		(ख) प्राथमिकता	-
	(ii)	डिबेंचर और बॉण्ड	-
	(iii)	म्यूचुअल निधियों की यूनिटें	-
	(iv)	सरकारी प्रतिभूतियां	-
	(v)	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	-

ऊपर (3) और (4) के अनुसार वित्तपोषित आस्तियों का ऋणी समूह–वार वर्गीकरण

6	श्रेणी		राशि (प्रावधानों का निवल) (लाख रुपए में)		
			प्रत्याभूत	अप्रत्याभूत	कुल
	1	संबंधित पक्षकार			
		(क) अनुषंगियां	-	-	-
		(ख) एक ही समूह में कम्पनियां	-	-	-
		(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	11.95	-	11.95
	2	संबंधित पक्षकारों से अन्य	2,364,509.55	326,042.81	2,690,552.36
	कुल		**2,364,521.50**	**326,042.81**	**2,690,564.31**

7	शेयरों और प्रतिभूतियों (उद्धृत और गैर–उद्धृत दोनों) में सभी निवेशों (वर्तमान और दीर्घकालिक) का निवेशक समूह–वार वर्गीकरण:			
	श्रेणी		बाजार मूल्य/ब्यौरा या उचित मूल्य या एनएवी	बही मूल्य (प्रावधानों का निवल)
	1	संबंधित पक्षकार		
		(क) अनुषंगियां	-	-
		(ख) एक ही समूह में कम्पनियां	-	-
		(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	लागू नहीं	12.00
	2	संबंधित पक्षकारों से अन्य		
	कुल		**लागू नहीं**	**12.00**

8	अन्य सूचना		
	विवरण		**राशि (लाख रुपए में)**
	(i)	सकल गैर–निष्पादन परिसम्पत्तियां	
		(क) संबंधित पक्षकार	-
		(ख) संबंधित पक्षकारों से अन्य	244,155.27
	(ii)	निवल गैर–निष्पादन परिसम्पत्तियां	
		(क) संबंधित पक्षकार	-
		(ख) संबंधित पक्षकारों से अन्य	151,022.39
	(iii)	ऋण की संतुष्टि में अधिग्रहीत परिसम्पत्तियां	-

इरेडा के तुलनपत्र की अनुसूची
(31.03.2021 को)

(लाख रुपए में)

विवरण			बकाया राशि	अतिदेय राशि
देनदारियों का पक्ष				
1	**गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम, उस पर अर्जित किंतु अदत्त ब्याज सहित:**			
	(a)	डिबेंचरः प्रत्याभूत	750,562.03	-
		: अप्रत्याभूत	216,008.66	-
		(सार्वजनिक जमाराशियों के अभिप्राय के भीतर पड़ने वाले डिबेंचरों से भिन्न)		
	(b)	आस्थगित क्रेडिट	-	-
	(c)	आवधिक ऋण	1,258,153.16	-
	(d)	अंतर–कॉरपोरेट ऋण और उधार राशियां	-	-
	(e)	वाणिज्यिक पत्र	-	-
	(f)	सार्वजनिक जमा राशियां	-	-
	(g)	अन्य ऋण – ओवर ड्राफ्ट	-	-
2	**उपर्युक्त (1)(च) का ब्यौरा (बकाया सार्वजनिक जमा राशियां जिनमें उन पर उपचित किंतु अदत्त ब्याज शामिल है):**			
	(क)	अप्रत्याभूत डिबेंचरों के रूप में	-	-
	(ख)	आंशिक रूप से सुरक्षित डिबेंचर यानी डिबेंचर के रूप में जहां सुरक्षा के मूल्य में कमी है	-	-
	(ग)	अन्य सार्वजनिक जमा राशियां	-	-
परिसम्पत्ति पक्ष				**बकाया राशि**
3	**प्राप्य बिलों सहित ऋणों और अग्रिमों का ब्यौरा [नीचे (4) में शामिल से भिन्न]:**			
	(क)	प्रत्याभूत		2,084,762.72
	(ख)	अप्रत्याभूत		286,672.52
4	**पट्टे पर दी गई आस्तियों और भाड़े पर स्टॉक और एएफसी गतिविधियों की गणना करने वाली अन्य संपत्तियों का ब्यौरा**			
	(i)	विविध देनदारों के तहत लीज रेंटल सहित लीज एसेट्स		
		(क) वित्तीय लीज		-
		(ख) प्रचालनिक लीज		-
	(ii)	विविध देनदारों के तहत किराया प्रभार सहित भाड़े पर स्टॉकः		
		(क) भाड़े पर परिसम्पत्तियां		-
		(ख) पुनःप्रसंस्कृत परिसम्पत्तियां		-
	(iii)	एएफसी गतिविधियों की ओर अन्य ऋण गणना		
		(क) वे ऋण जहां परिसम्पत्तियां प्रसंस्कृत की गई हैं		-
		(ख) उपर्युक्त (क) से अन्य ऋण		-
5	**निवेशों का ब्यौरा**			
	चालू निवेश			
	1.	उद्धृत		

		(i)	शेयर	
			(क) इक्विटी	-
			(ख) प्राथमिकता	-
		(ii)	डिबेंचर और बॉण्ड	-
		(iii)	म्यूचुअल निधियों की यूनिटें	-
		(iv)	सरकारी प्रतिभूतियां	-
		(v)	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	-
2.	अनुद्धृत			
		(i)	शेयर	
			(ग) इक्विटी	-
			(घ) प्राथमिकता	-
		(ii)	डिबेंचर और बॉण्ड	-
		(iii)	म्यूचुअल निधियों की यूनिटें	-
		(iv)	सरकारी प्रतिभूतियां	-
		(v)	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	
		अल्पावधिक जमा राशियां (उपचित ब्याज सहित)		50,646.27
		वाणिज्यिक पत्र (अक्षमता पूर्ण प्रावधान)		6,899.11
	दीर्घावधिक निवेश			
	1.	उद्धृत		
	(i)	शेयर		
		(क)	इक्विटी	-
		(ख)	प्राथमिकता	-
	(ii)	डिबेंचर और बॉण्ड		-
	(iii)	म्यूचुअल निधियों की यूनिटें		-
	(iv)	सरकारी प्रतिभूतियां		-
	(v)	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		-
	2.	अनुद्धृत		
	(i)	शेयर		
		(क)	इक्विटी	12.00
		(ख)	प्राथमिकता	-
	(ii)	डिबेंचर और बॉण्ड		-
	(iii)	म्यूचुअल निधियों की यूनिटें		-
	(iv)	सरकारी प्रतिभूतियां		-
	(v)	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		-

ऊपर (3) और (4) के अनुसार वित्तपोषित आस्तियों का ऋणी समूह–वार वर्गीकरण

6	श्रेणी		राशि (प्रावधानों का निवल) (लाख रुपए में)		
			प्रत्याभूत	अप्रत्याभूत	कुल
	1	संबंधित पक्षकार			
		(क) अनुषंगियां	-	-	-
		(ख) एक ही समूह में कम्पनियां	-	-	-
		(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	21.82	-	21.82
	2	संबंधित पक्षकारों से अन्य	2,011,074.34	286,672.52	2,297,746.86
	कुल		**2,011,096.16**	**286,672.52**	**2,297,768.68**

7	शेयरों और प्रतिभूतियों (उद्धृत और गैर–उद्धृत दोनों) में सभी निवेशों (वर्तमान और दीर्घकालिक) का निवेशक समूह–वार वर्गीकरण:			
	श्रेणी		**बाजार मूल्य/ब्यौरा या उचित मूलय या एनएवी**	**बही मूल्य (प्रावधानों का निवल)**
	1	संबंधित पक्षकार		
		(क) अनुषंगियां	-	-
		(ख) एक ही समूह में कम्पनियां	-	-
		(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	लागू नहीं	12.00
	2	संबंधित पक्षकारों से अन्य	50,646.27	50,646.27
	कुल		**50,646.27**	**50,658.27**

8	अन्य सूचना		
	विवरण		**राशि (लाख रुपए में)**
	(i)	सकल गैर–निष्पादन परिसम्पत्तियां	
		(क) संबंधित पक्षकार	-
		(ख) संबंधित पक्षकारों से अन्य	237,300.16
	(ii)	निवल गैर–निष्पादन परिसम्पत्तियां	
		(क) संबंधित पक्षकार	-
		(ख) संबंधित पक्षकारों से अन्य	163,746.06
	(iii)	ऋण की संतुष्टि में अधिग्रहीत परिसम्पत्तियां	-

49. आंकड़े लाख में (शेयरों की संख्या को छोड़कर) निकटतम रुपये में पूर्णांकित किए जाते हैं। पिछले वर्ष के आँकड़ों को चालू वर्ष के आँकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया, पुनर्व्यवस्थित/पुनः समूहित किया गया है।

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते डीएसपी एंड एसोशिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आईसीएएआई पंजीकरण संख्या 006791N

संजय जैन
भागीदार
सदस्यता संख्या
084906

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

चिंतन नवीनभाई शाह
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन सं. 07795952

प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं. 07448576

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30.05.2021

डॉ. आर.सी. शर्मा
महाप्रबंधक (वित्त) और सीएफओ

सुरेंद्र सुयाल
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या A11900

फॉर्म एओसी – 1

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुसरण में सहयोगी कम्पनियों और संयुक्त उपक्रमों से संबंधित विवरण

भाग ख सहयोगी और संयुक्त उपक्रम

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणियां
1	सहयोगी कम्पनी/संयुक्त उपक्रम का नाम	मैसर्स एम.पी. विंड फार्म्स लिमिटेड
2	अंतिम लेखापरीक्षित तुलन पत्र की तारीख	31.03.2021
3	वर्ष के अंत में कम्पनी द्वारा धारित सहयोगी कम्पनी/संयुक्त उपक्रम के शेयर	
क)	नहीं	1,68,000 शेयर (बोनस शेयरों के रूप में आवंटित 48,000 शेयरों सहित
ख)	सहयोगी कम्पनी/संयुक्त उपक्रम में निवेश की राशि	12.00 लाख रुपए
ग)	धारिता की सीमा	24%
4	इसका कारण कि क्यों सहयोगी कम्पनी/संयुक्त उपक्रम समेकित नहीं है	.
5	शेयरधारिता के कारण निवल मूल्य	53.42 लाख रुपए
6	वर्ष के लिए लाभ/हानि	
क)	समेकन में विचार किया गया	2.53 लाख रुपए
ख)	समेकन में विचार नहीं किया गया	8.02 लाख रुपए

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते डीएसपी एंड एसोशिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आईसीएएआई पंजीकरण संख्या 006791N

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./–
संजय जैन
भागीदार
सदस्यता संख्या 084906

हस्ता./–
चिंतन नवीनभाई शाह
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन सं,. 07795952

हस्ता./–
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं, 07448576

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30.05.2021

हस्ता./–
डॉ. आर.सी. शर्मा
महाप्रबंधक (वित्त) और सीएफओ

हस्ता./–
सुरेंद्र सुयाल
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या A11900

डीएसपी एण्ड एसोसिएटस
चार्टर्ड अकाउंटेंट (सनदी लेखाकार)

783, देश बन्धु गुप्ता रोड,
नियर फैज रोड क्रॉसिंग
करोल बाग, नई दिल्ली–110 005
22684423, 23622076
टेलीफैक्स : 23622094, 41545550
ई–मेल : dspdelhi@dspdelhi.in
aksinghal@dspdelhi.in
वेबसाइट : www.dspdelhi.in

निदेशक मंडल,

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरणिकाओं की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

मत

हमने भारतीय अक्षय उर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इसके बाद ''मूल कम्पनी'' के रूप में संदर्भित) और उसके सहयोगी (मूल कंपनी और उसके सहयोगी को एक साथ ''समूह'' के रूप में संदर्भित) के समेकित वित्तीय विवरणों का लेखा–जोखा किया है, जिसमें समेकित शेष राशि शामिल है 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार शीट और लाभ और हानि का समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और उस वर्ष समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का समेकित विवरण, और समेकित वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियां, जिसमे उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियों का सारांश (बाद में ''समेकित वित्तीय विवरण'' के रूप में संदर्भित) शामिल है। समेकित वित्तीय विवरण प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई अपनी सहयोगी कंपनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर तैयार किए गए हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') द्वारा अपेक्षित जानकारी को इस प्रकार अपेक्षित तरीके से देते हैं और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (''इंड एएस'') और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप यथा संशोधित मानकों के अनुसार, 31 मार्च, 2021 को समूह के हालात, और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ, इक्विटी में परिवर्तन और उसके नकदी प्रवाह की एक सही और निष्पक्ष जानकारी प्रदान करते हैं।

मत के लिए आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा से संबंधित मानकों (एसए) के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की। उन मानकों के तहत हमारे उत्तरदायित्वों को हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्वों में आगे वर्णित किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं, साथ ही उन नैतिक आवश्यकताओं के साथ जो अधिनियम के प्रावधानों के तहत समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और इसके तहत नियम और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य और अन्य अंकेक्षकों द्वारा प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य नीचे दिए गए अन्य मामलों के खंड में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के संदर्भ में समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

मामले का महत्व

1. जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 38 (43) (बी) में उल्लिखित है, कोविड–19 महामारी, जिसमें ''दूसरी लहर'' भी शामिल है, का कम्पनी के वित्तीय निष्पादन पर किस हद तक प्रभाव पड़ेगा, यह चालू के साथ साथ भावी गतिविधियों पर निर्भर करता है, जो कि अत्यधिक अनिश्चित हैं, और इस समय पर इनके संभावित प्रभाव का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।

उपर्युक्त मामले के संबंध में हमारा मत परिवर्तित नहीं है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो – चालू अवधि की स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणिकाओं की हमारी लेखापरीक्षा में

सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में शामिल करने के लिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में माना है।

क्र.सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षक का प्रत्युत्तर
1.	**ऋण परिसम्पत्तियों की अक्षमता – संभावित क्रेडिट हानि** लेखांकन नीति सं.3 (xx) –'वित्तीय विलेख' के साथ पठित स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणी 38 (38 (क ii) का संदर्भ लें) वित्त पोषण कंपनी का प्रमुख व्यवसाय है और हानि के कारण हानि के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए उचित मूल्य पर ऋण परिसंपत्तियों का प्रकटीकरण सबसे महत्वपूर्ण है। मूल कंपनी अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित कार्यप्रणाली का अनुसरण करती है जिसमें एक बाहरी एजेंसी द्वारा हानि के लिए भत्ता का मूल्यांकन कुछ मानदंड/ढांचे के आधार पर किया जाता है, जो क्रेडिट जोखिम और हानि के साक्ष्य के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों को विभिन्न चरणों में वर्गीकृत करता है। परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय आस्तियों के लिए अपेक्षित ऋण हानि भत्ता (ईसीएल) के मापन के लिए जटिल मॉडलों और भविष्य की आर्थिक स्थितियों और ऋण व्यवहार (जैसे, ग्राहकों के चूक करने और परिणामी नुकसान की संभावना) के बारे में महत्वपूर्ण धारणाओं के उपयोग की आवश्यकता होती है। ईसीएल का आकलन करते समय कंपनी महत्वपूर्ण निर्णय लेती है और ईसीएल के अंतर्निहित अनुमानों की निरंतर निगरानी और समीक्षा की जाती है। ऐसी धारणाओं का उचित अनुप्रयोग ऋण परिसम्पत्तियों के विवरण के लिए महत्वपूर्ण है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में ऋण परिसंपत्तियों की राशि के महत्व को ध्यान में रखते हुए, ऋण परिसंपत्तियों की हानि के कारण होने वाली हानि को हमारी लेखापरीक्षा में मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में माना गया है।	**हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया जिसके आधार पर हम प्रकटीकरण के औचित्य और ऋण आस्तियों की हानि के लिए लेखांकन के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचे – अपेक्षित ऋण हानि में निम्नलिखित शामिल हैं:** हमने इंड एएस 109 "वित्तीय लिखतों", विभिन्न नियामक अद्यतनों, आईसीएआई के मार्गदर्शन और ईसीएल के संबंध में मूल कंपनी के आंतरिक निर्देशों और प्रक्रियाओं में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों की समझ प्राप्त की है और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को अपनाया है: ऋण परिसंपत्तियों की निगरानी, प्रासंगिक डेटा गुणवत्ता के परीक्षण सहित ऋण हानि का आकलन और दर्ज किए गए वास्तविक डेटा की समीक्षा के संबंध में प्रमुख आंतरिक नियंत्रण तंत्र का मूल्यांकन और परीक्षण। ऋण परिसम्पत्तियों की वसूली का सत्यापन उस पर दबाव के स्तर और वित्तीय विवरणों में हानि भत्ते पर प्रभाव का पता लगाने के लिए किया जाता है। • किसी भी ऋण परिसंपत्ति खाते में किसी अतिदेय, असंतोषजनक आचरण या कमजोरी का पता लगाने के लिए दस्तावेजों, संचालन/निष्पादन और ऋण परिसंपत्तियों, विशेष रूप से बड़ी और दबावग्रस्त ऋण परिसंपत्तियों की निगरानी/समीक्षा। मूल कंपनी ईसीएल के मूल्यांकन के लिए तीसरे पक्ष की सेवाओं का लाभ उठाती है। तीसरे पक्ष द्वारा किए गए हानि भत्ते के अध्ययन में घटकों और गणनाओं पर हमारे द्वारा भरोसा किया जाता है और इसके लिए नमूना जांच की जाती है। तीसरे पक्ष के साथ साझा किए गए डेटा को हमारे द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे सामग्री घटकों की शुद्धता के लिए सत्यापित किया जाता है। उसी में हमारी ऑडिट प्रक्रिया कुछ मापदंडों को साझा नहीं करने और ऐसे डेटा के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को ऐसे तीसरे पक्ष द्वारा गोपनीय माने जाने के मद्देनजर सीमित है।
2.	**व्युत्पन्न वित्तीय विलेखों का उचित मूल्यांकन**	**हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं जिनके आधार पर हम प्रकटीकरण की तर्कसंगतता और डेरिवेटिव के लिए लेखांकन के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचे, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:**

	(लेखांकन नीति सं.3 (xx) –'वित्तीय विलेख' के साथ पठित स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणी 38 (37) का संदर्भ लें) विदेशी मुद्रा जोखिम और ब्याज दर के लिए कंपनी के जोखिम को कम करने के लिए, गैर–रुपये नकदी प्रवाह की निगरानी की जाती है और हेजिंग उद्देश्य के लिए व्युत्पन्न अनुबंध दर्ज किए जाते हैं। डेरिवेटिव्स को इंड एएस 109 के अनुसार उचित मूल्य पर मापा जाता है। हेज एकाउंटिंग के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, हेजिंग संबंध को इंड एएस के अनुसार कुछ विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। हेज अकाउंटिंग के परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, साथ ही इसके लेखांकन/धारणाओं की जटिलता और हेज संबंध स्थापित करने के लिए कई पैरामीटर हैं। इन डेरिवेटिव्स पर लाभ/हानि को अन्य व्यापक आय या इंड–एएस द्वारा प्रदान किए गए लाभ और हानि में मान्यता दी गई है। कंपनी के संचालन के अनुसार इस तरह के लेनदेन का परिमाण महत्वपूर्ण है। मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमने इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचाना है।	जोखिम प्रबंधन के लिए मूल कंपनी की प्रबंधन की धारणा और अध्ययन नीति पर चर्चा करना और समझना। इंड–एएस 109 के संदर्भ में डेरिवेटिव के उचित मूल्य का सत्यापन, डेरिवेटिव लेनदेन की सटीकता और पूर्णता का परीक्षण। व्युत्पन्न उपकरणों के वर्गीकरण, मूल्यांकन और मूल्यांकन मॉडल पर मूल कम्पनी के प्रबंधन के प्रमुख आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन। 31 मार्च, 2021 को विभिन्न वित्तीय डेरिवेटिव अनुबंधों के बकाया/निपटान के लिए लंबित के विवरण प्राप्त किए। उन वित्तीय डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए निकाले गए उचित मूल्यांकन के आकलन में अंतर्निहित मान्यताओं का सत्यापन। लागू मूल्यांकन पद्धतियों की उपयुक्तता और व्युत्पन्न उपकरणों के लिए नमूना आधार पर उनका परीक्षण करना। इसके अतिरिक्त, हमने अन्य व्यापक आय या लाभ और हानि खाते में डेरिवेटिव पर लाभध्हानि के लेखांकन का सत्यापन किया। इंड एएस 109 के अनुसार प्रबंधन द्वारा प्रकटीकरण की उपयुक्तता और पर्याप्तता की समीक्षा की।
3.	**आयकर के लिए देनदारी** टिप्पणी 38 (3क) का संदर्भ लें मूल कंपनी के पास विवादित मामलों के संबंध में महत्वपूर्ण अनिश्चित कर मांगें हैं जिनमें इन विवादों के संभावित परिणाम को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। निर्धारण वर्ष 1998–1999 से निर्धारण वर्ष 2009–2010 के आयकर मामले माननीय उच्च न्यायालय/आईटीएटी के निर्देश पर वापस भेजे गए और वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) 2009–10 से 2017–18 के लिए अपीलीय प्राधिकारियों के पास लंबित हैं। ऐसी देनदारियों का उचित प्रावधान और प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति के लिए महत्वपूर्ण है। इसे देखते हुए हमने इसे एक प्रमुख ऑडिट मामले के रूप में पहचाना है।	**हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया, जिसके आधार पर हम प्रकटीकरण की तर्कसंगतता और आयकर के लिए देयता के लिए लेखांकन के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचे, में निम्नलिखित शामिल हैं:** हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में आयकर विभाग के साथ विवादित विषय पर माननीय उच्च न्यायालय और माननीय आईटीएटी द्वारा पारित विभिन्न आदेशों की समीक्षा शामिल है। हमने इन अनिश्चित कर स्थितियों पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया शुरू की। इंड एएस 37 ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां'' के संदर्भ में प्रबंधन द्वारा प्रकटीकरण की उपयुक्तता और पर्याप्तता की समीक्षा की।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

मूल कंपनी के निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में निदेशकों की रिपोर्ट के अनुबंध, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट सहित बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है। अन्य जानकारी जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वस्ति निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं। समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि ऊपर दी गई अन्य जानकारी के उपलब्ध होने पर उसे पढ़ें, और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों के साथ वास्तविक रूप से असंगत है या इस दौरान प्राप्त हमारी जानकारी हमारी लेखापरीक्षा के दौरान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत विवरण दिया गया प्रतीत होता है। जब हम ऊपर बताई गई अन्य जानकारी को पढ़ते हैं और यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें इस मामले को शासन के आरोपित लोगों से संप्रेषित करना होगा और लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई का वर्णन करना होगा।

प्रबंधन तथा समेकित वित्तीय विवरणिकाओं के लिए प्रशासन के प्रभारियों का उत्तरदायित्व

मूल कम्पनी का निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणिकाओं की तैयारी और निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण के संबंध में अधिनियम की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए उत्तरदायी है जो भारत में सामान्यता स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, जिनमें अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक (''इंड एएस'') भी शामिल हैं, के अनुसार मूल कम्पनी की सहयोगी कम्पनियों सहित समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में समेकित परिवर्तनों, और समेकित नकद प्रवाहों का सत्य और निष्पक्ष दृश्य प्रदान करती हैं।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना, जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक जो एक सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और महत्वपूर्ण मिथ्याकथन से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, मूल कम्पनी का प्रबंधन कंपनी की एक चालू संस्थान के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने, प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, सुनाम प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों और लेखांकन के चल रहे चिंता आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने का इरादा नहीं रखता है या संचालन बंद कर दें, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है। समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल भी अपनी संबंधित कंपनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देख–रेख के लिए उत्तरदायी हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या ये समेकित वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि ऑडिटिंग पर मानक (एसए) के अनुसार आयोजित एक ऑडिट हमेशा एक महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

एएस के अनुसार ऑडिट के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- समेकित वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचानना और उनका आकलन करना, कि क्या वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हैं, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करना, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत

विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हो सकता है।

- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनिक प्रभावशीलता;

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।

- लेखांकन के चालू प्रतिष्ठान के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी के चालू रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह/चिंता पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, तो अपनी राय को संशोधित करने के लिए यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त है। हमारे निष्कर्ष हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या शर्तों के कारण कंपनी एक सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, और यह मूल्यांकन करना कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

- समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए समूह के भीतर व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल मूल कम्पनी की ऐसी व्यावसायिक गतिविधियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिसके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए, जिनका अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा–परीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा किए गए अंकेक्षण के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं।

हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के बारे में मूल कंपनी में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम शासन के प्रभारी व्यक्तियों को भी एक विवरण प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधि प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ सभी संबंधों और अन्य मामलों के साथ सम्प्रेषण किया है जिनका प्रभाव हमारी स्वतंत्रता पर औचित्य रूप से पड़ सकता है, और जहां भी लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों का अनुपालन भी किया है।

शासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों की उचित रूप से अपेक्षा की जाएगी इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक है।

अन्य मामले:–

1. समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय सहित एक सहयोगी के संबंध में शुद्ध लाभ में हमारा हिस्सा भी शामिल है, जिसे हमारे द्वारा लेखा परीक्षित नहीं किए गए वित्तीय विवरणों के आधार पर माना जाता है:

कम्पनी का नाम	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए निवल लाभ/(हानि) में हिस्सेदारी (राशि लाख रुपए में)	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य निवल व्यापक आया/(हानि) में हिस्सेदारी (राशि लाख रुपए में)	कुल शेयर (राषि लाख रुपए में)
एम.पी. विंडफार्म्स लिमिटेड	(2.53)	0	(2.53)

ये वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं और प्रबंधन और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे मत द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए हैं, जहां तक यह सहयोगी कंपनी के संबंध में शामिल राशि और इसके प्रकटीकरण से संबंधित है, और उप–अनुभागों के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट अधिनियम की धारा 143 की (3) और (11), जहां तक यह सहयोगी कंपनी से संबंधित है, जो कि अलेखापरीक्षित है, पूरी तरह से प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई सूचना पर आधारित है।

2. इन समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए मूल कम्पनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा मूल कम्पनी के तत्कालीन सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई थी और उन्होंने इन समेकित वित्तीय विवरणिकाओं पर दिनांक 30 जुलाई, 2020 की अपनी रिपोर्ट द्वारा असंशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट अभिव्यक्त की है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर प्रतिवेदनः–

जैसा कि ऊपर 'अन्य मामले' पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है, जैसा कि अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा 3 द्वारा अपेक्षित है, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर और अलग–अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और सहयोगी की अन्य वित्तीय जानकारी पर विचार के आधार पर, हम लागू सीमा तक रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए आवश्यक थे।

ख) हमारे मतानुसार, उपरोल्लिखित वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित के संबंध में विधि द्वारा यथोपेक्षित उपयुक्त लेखा पुस्तिाएं मूल कम्पनी द्वारा रखी गई हैं जहां तक इन पुस्तिकाओं की हमारी जांच से प्रतीत होता है और उन सहयोगी कम्पनियों से संबंधित है, हमने कम्पनी के प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई सूचना पर विश्वास किया है।

ग) रिपोर्ट में संसाधित समेकित बैलेंस शीट, समेकित लाभ हानि विवरणिका (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और समेकित नकद प्रवाह समेकित वित्तीय विवरणिकाओं के प्रयोजनार्थ अनुरक्षित लेखा पुस्तिकाओं के अनुरूप हैं।

घ) हमारे मतानुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरणिकाएं अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करती हैं।

ड) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुसार, निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान मूल कंपनी पर लागू नहीं हैं क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है और सहयोगी कंपनी के संबंध में, हमने मूल कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर भरोसा किया है।

च) समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, ''अनुबंध क'' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें जो मूल कंपनी की लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित है। हमारी रिपोर्ट मूल कंपनी की पर्याप्तता और प्रचालनिक प्रभावशीलता पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है; तथा

छ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार ;

i. समेकित वित्तीय विवरणिकाओं में समूह की वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकद्दमेबाजी के प्रभाव का प्रकटीकरण किया गया है – समेकित वित्तीय विवरणिकाओं पर नोट संख्या 38(3) का संदर्भ लें।

ii. समूह ने, प्रयोज्य विधि और भारतीय लेखांकन मानकों के अंतर्गत यथोपेक्षित, दीर्घावधिक संविदाओं, डेरिवेटिव संविदओं पर महत्वपूर्ण पूर्वानुमान्य हानियों, यदि कोई हों, के लिए प्रावधान किए हैं – नोट 38(37)(ग)(।।) का संदर्भ लें, और

iii. समूह द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित करने के लिए आवश्यक राशियों को हस्तांतरित करने में कोई देरी नहीं हुई है।

iv. कॉरपोरेट मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुसार, प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की धारा 197 मूल कम्पनी पर लागू नहीं होती।

कृते **डीएसपी एंड एसोशिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
कम्पनी पंजीकरण संख्याः 006791छ

सीए संजय जैन
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 084906

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 मई 2021
यूडीआईएनः 21084906AAAASL8043

समेकित वित्तीय विवरणिकाओं पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की इसी तारीख की रिपोर्ट का अनुलग्नक–क

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप–धारा 3 के उपबंध (1) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

दिनांक 31 मार्च 2021 को, और इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणिकओं की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन से, हमने मूल कम्पनी और इसकी सहयोगी कम्पनियों, जो आज की तारीख में भारत में निगमित कम्पनियां हैं, पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

मूल कंपनी और इसकी सहयोगी कम्पनियों के संबंधित निदेशक मंडल भारत के सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उत्तदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक मत व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शन नोट") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट और आईसीएआई द्वारा जारी किए गए ऑडिटिंग मानकों के अनुसार और कंपनियों की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माना गया है, के अनुसार अपना ऑडिट किया। अधिनियम, 2013, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट के लिए लागू सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू होते हैं और दोनों भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और ऑडिट करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम पर आंतरिक नियंत्रण आधारों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिम का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है, वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर मेरे/हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो:

1. अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित है, जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाता है;

2. उचित आश्वासन प्रदान करना कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक के रूप में दर्ज किया गया है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा

3. कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाए

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान भी हो सकते हैं। भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर गिर सकता है।

मत

हमारे मतानुसार, नीचे बताए गए मामलों के अलावा, मूल कंपनी को वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2021 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर, आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रणों के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए मूल कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, सभी महत्वपूर्ण तरीकों से, अपनी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है।

क) समीक्षा किए जाने वाले विभिन्न स्तरों पर प्राधिकार का प्रत्यायोजन

ख) इंड एएस लेखांकन अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के अनुरक्षण से संबंधित प्रणाली का अद्यतन किया जाना।

ग) विविध शीर्षकों के अंतर्गत आय के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सक्षम प्रक्रिया की तैयारी।

कृते **डीएसपी एंड एसोशिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
कम्पनी पंजीकरण संख्याः 006791N

सीए संजय जैन
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 084906

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 मई 2021

दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय अक्षय उर्जा विकास संस्था लिमिटेड की समेकित वित्तीय विवरणिकाओं पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(क) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय अक्षय उर्जा विकास संस्था लिमिटेड की समेकित वित्तीय विवरणिकाओं को तैयार करना कंपनी अधिनियमए 2013 के अधीन निर्धारित वित्तीय सूचना व्यवस्था के अनुसार कम्पनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के अधीन निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरणिकाओं पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है/हैं। उल्लेख किया गया है कि यह कार्य इन लेखा परीक्षकों द्वारा इनकी दिनांक 30 मई 2021 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट द्वारा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय अक्षय उर्जा विकास संस्था लिमिटेड की समेकित वित्तीय विवरणिकाओं पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4)के साथ पठित धारा 143(6)(क) के अधीन अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। हमें भारतीय अक्षय उर्जा विकास संस्था लिमिटेड की समेकित वित्तीय विवरणिकाओं की अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 139(5) और 143(6)(क), निजी कम्पनी होने के नाते एमपी विंड फार्म्स लिमिटेड पर उनके सांविधिक लेखापरीक्ष की नियुक्ति और अनुपूरक लेखापरीक्षा कराए जाने लागू नहीं होती! तदनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने इस कम्पनी के लिए न तो सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की है न ही इस कम्पनी की लेखापरीक्षा कराई है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्य ील दस्तावेजों तक पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षकों और कम्पनी के कार्मिकों की पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखा परीक्षा की आधार पर मेरी जानकारी में कोई उल्लेखनीय बात नहीं आई है जिससे अधिनियम की धारा 143(6)(ख) की सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की अनुपूरक रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी की जाती।

कृते
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

(संजय कुमार झा)
महानिदेशक लेखापरीक्षक
(पर्यावरण और वैज्ञानिक विभाग)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 23.07.2021

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड

31 मार्च, 2021 को समेकित तुलनपत्र

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
I	**परिसम्पत्तियां**			
क	**वित्तीय परिसम्पत्तियां**			
	(क) नकद और नकद समतुल्य	2	22,101.83	98,836.04
	(ख) उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त अन्य बैंक शेष	3	38,229.29	58,735.71
	(ग) डेरिवेटिव वित्तीय लिखतें	4	40,309.01	71,255.99
	(घ) प्राप्य			
	(I) कारोबारी प्राप्य	5	297.66	312.98
	(II) अन्य प्राप्य		-	-
	(ङ) ऋण	6	26,90,564.31	22,97,768.68
	(च) निवेश	7	-	-
	(छ) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	8	2,278.75	2,486.44
	कुल (क)		**27,93,780.85**	**25,29,395.84**
ख	**गैर–वित्तीय परिसम्पत्तियां**			
	(क) चालू कर परिसम्पत्तियां (निवल)	9	10,846.02	16,506.40
	(ख) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (निवल)	10	21,099.21	14,264.10
	(ग) निवेश सम्पत्ति	11	4.25	5.09
	(घ) सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर	12	24,637.63	26,468.39
	(ड.) चालू पूंजीगत कार्य	13	0.86	0.86
	(च) प्रयोगाधिकार परिसम्पत्ति	14	1,961.84	1,714.60
	(छ) अमूर्त परिसम्पत्तियां विकासाधीन	15	-	-
	(ज) अमूर्त परिसम्पत्तियां	16	10.61	16.39
	(झ) अन्य गैर–वित्तीय परिसम्पत्तियां	17	1,76,944.37	1,76,808.49
	(ञ) इक्विटी प्रणाली का उपयोग करते हुए निवेश लेखाकंन		53.42	55.95
	कुल (ख)		**2,35,558.22**	**2,35,840.28**
	कुल परिसम्पत्तियां (क+ख)		**30,29,339.06**	**27,65,236.12**
II.	**देनदारियां और इक्विटी**			
	देनदारियां			
क	**वित्तीय देनदारियां**			
	(क) डेरिवेटिव वित्तीय लिखतें	4	9,183.16	6,788.00
	(ख) देय			
	(I) कारोबार देय	18		
	(i) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		43.12	45.09
	(ii) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों से अन्य लेनदारों की कुल बकाया देयताएं		7,972.49	6,535.05

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
	(ग) ऋण प्रतिभूतियां	19	9,12,026.16	9,26,758.64
	(घ) उधार राशियां (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	20	14,23,055.09	12,43,625.87
	(ड.) अधीनस्थ देनदारियां	21	64,919.20	14,970.00
	(च) अन्य वित्तीय देनदारियां	22	80,496.43	94,064.47
	कुल (क)		**24,97,695.66**	**22,92,787.10**
ख	**गैर–वित्तीय देनदारियां**			
	(क) प्रावधान	23	60,245.87	45,581.35
	(ख) आस्थगित कर देनदारी (निवल)	10	-	-
	(ग) अन्य गैर–वित्तीय देनदारियां	24	1,71,837.62	1,74,691.86
	कुल (ख)		**2,32,083.49**	**2,20,273.21**
ग	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	25	78,460.00	78,460.00
	(ख) अन्य इक्विटी	26	2,21,099.92	1,73,715.81
	कुल (ग)		**2,99,559.92**	**2,52,175.81**
	कुल देनदारियां और इक्विटी (क+ख+ग)		**30,29,339.06**	**27,65,236.12**

उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां	1
वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणियां	38

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते डीएसपी एंड एसोशिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आईसीएएआई पंजीकरण संख्या 006791N

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./–
संजय जैन
भागीदार
सदस्यता संख्या 084906

हस्ता./–
चिंतन नवीनभाई शाह
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन सं,. 07795952

हस्ता./–
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं, 07448576

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30.05.2021

हस्ता./–
डॉ. आर.सी. शर्मा
महाप्रबंधक (वित्त) और सीएफओ

हस्ता./–
सुरेंद्र सुयाल
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या A11900

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ हानि विवरण

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी संख्या	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2021	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2020
I	**प्रचालनों से राजस्व**			
i)	ब्याज आय	27	2,56,522.88	2,24,658.02
ii)	शुल्क और कमीशन आय	28	3,377.26	2,162.65
iii)	डेरिवेटिवों पर उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल लाभ/(हानि)	29	(1,247.32)	7,165.33
iv)	सौर संयंत्र प्रचालनों से निवल राजस्व	30	2,741.73	2,745.99
	प्रचालनों से कुल राजस्व (I)		**2,61,394.55**	**2,36,731.98**
II	अन्य आय	31	4,468.85	506.18
III	**कुल आय (I+II)**		**2,65,863.40**	**2,37,238.17**
IV	**व्यय**			
i)	वित्त लागत	32	1,57,026.19	1,45,920.61
ii)	निवल परिवर्तन /संव्यवहार विनिमय हानि	33	6,984.66	4,064.67
iii)	वित्तीय लिखतों पर अक्षमता	34	34,164.50	51,809.07
iv)	कर्मचारी लाभ व्यय	35	4,735.95	4,697.50
v)	मूल्यह्रास, परिशोधन और अक्षमता	36	2,267.40	2,281.20
vi)	अन्य व्यय	37	2,091.38	2,434.80
vii)	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	38(27)	1,641.60	1,919.04
	कुल व्यय (IV)		**2,08,911.68**	**2,13,126.89**
V	असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)		56,951.72	24,111.28
VI	असाधारण मद		-	-
VII	**कर पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)**		**56,951.72**	**24,111.28**
VIII	**कर व्यय**			
	(i) चालू कर	38(29)	29,162.31	10,013.33
	(ii) आस्थगित कर		(6,851.31)	(7,357.10)
IX	एशोसियट में लाभ का शेयर		(2.53)	6.39
X	निरंतर प्रचालनों से अवधि के लिए लाभ/(हानि) (VII-VIII+IX)		34,638.19	21,461.43
XI	अवधि के लिए लाभ/(हानि)		34,638.19	21,461.43
XII	अन्य व्यापक आय			
(A)	(i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	- परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मापनः—:-			
	ग्रेच्युटी		0.01	(53.90)
	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ		(141.37)	(150.47)
	बैगेज भत्ता		0.33	(1.05)

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी संख्या	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2021	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2020
	(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		(16.21)	50.62
	उप–योग (क)		**(157.23)**	**(154.80)**
(ख)	(i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में वर्गीकृत किया जाएगा :-			
	कैश फ्लो हेज रिजर्व में हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पर लाभ/(हानि) का प्रभावी हिस्सा		(32,828.63)	39,479.61
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		8,262.31	(4,386.67)
	उप–योग (ख)		**(24,566.32)**	**35,092.94**
	अन्य व्यापक आय (क+ख)		**(24,723.55)**	**34,938.14**
XIII	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (X+XI) ;अवधि के लिए लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय सहित)		9,914.63	56,399.57
XIV	**प्रति इक्विटी शेयर आय (निरंतर प्रचालनों के लिए) वार्षिक)**			
	मूल (रुपए)	38(13)	4.41	2.74
	विरलित (रुपए)		4.41	2.74
	उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां	1		
	वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणियां	38		

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते डीएसपी एंड एसोशिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आईसीएएआई पंजीकरण संख्या 006791N

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./–
संजय जैन
भागीदार
सदस्यता संख्या 084906

हस्ता./–
चिंतन नवीनभाई शाह
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन सं,. 07795952

हस्ता./–
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं, 07448576

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30.05.2021

हस्ता./–
डॉ. आर.सी. शर्मा
महाप्रबंधक (वित्त) और सीएफओ

हस्ता./–
सुरेंद्र सुयाल
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या A11900

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का समेकित विवरण

क	इक्विटी शेयर पूंजी	(लाख रुपए में)
	01.04.2019 को शेष	78,460.00
	वर्ष के दौरान परिवर्तन	-
	31.03.2020 को शेष	78,460.00
	वर्ष के दौरान परिवर्तन	-
	31.03.2021 को शेष	78,460.00

अन्य इक्विटी

(लाख रुपए में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष						नकद प्रवाह हेज का प्रभावी भाग	कुल
	सामान्य आरक्षित	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षित	डिबेंचर शोधन	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45– ।सी के तहत एनबीएफसी आरक्षित	प्रतिधारित आय	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण आरक्षित		
01.04.2019 को शेष	**1,08,298.33**	**82,651.13**	**21,281.04**	**4,882.69**	**1,939.29**	**(54,141.39)**	**15,063.04**	**1,79,974.13**
आवधिक के लिए लाभ					21,461.43			21,461.43
अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से स्वीकृति					(154.80)		35,092.94	34,938.14
31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	**21,306.63**	-	**35,092.94**	**56,399.57**
वर्ष के दौरान आरक्षितियों में अंतरण	(20,000.00)	10,820.32	4,629.11	4,300.00	250.57			-
वर्ष के दौरान दीर्घावधिक मौद्रिक मदों पर विदेशी मुद्रा संव्यवहार हानि						(51,252.72)		(51,252.72)
वर्ष के दौरान शोधन						4,048.81		4,048.81
प्रदत्त लाभांश					(12,819.00)			(12,819.00)
कॉरपोरेट लाभांश कर					(2,634.98)			(2,634.98)
31.03.2020 को शेष	**88,298.33**	**93,471.45**	**25,910.15**	**9,182.69**	**8,042.51**	**(1,01,345.31)**	**50,155.98**	**1,73,715.81**
अवधि के लिए लाभ					34,638.19			34,638.19

(लाख रुपए में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष						नकद प्रवाह हेज का प्रभावी भाग	कुल
	सामान्य आरक्षित	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षित	डिबेंचर शोधन	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45–।सी के तहत एनबीएफसी आरक्षित	प्रतिधारित आय	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण आरक्षित		
अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से स्वीकृति					(157.23)		(24,566.32)	(24,723.55)
31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए कुल व्यापक आय					34,480.95		(24,566.32)	9,914.63
वर्ष के दौरान आरक्षितियों में अंतरण	19,500.00	11,119.53	4,629.11	7,000.00	(42,248.64)			-
वर्ष के दौरान दीर्घावधिक मौद्रिक मदों पर विदेशी मुद्रा संव्यवहार हानि						30,488.20		30,488.20
वर्ष के दौरान शोधन						6,981.27		6,981.27
प्रदत्त लाभांश					-			-
कॉरपोरेट लाभांश कर					-			-
31.03.2021 को शेष	**1,07,798.33**	**1,04,590.98**	**30,539.26**	**16,182.69**	**274.82**	**(63,875.83)**	**25,589.66**	**2,21,099.92**

उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां टिप्पणी संख्या 1

वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणियां टिप्पणी संख्या 38

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते डीएसपी एंड एसोशिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आईसीएएआई पंजीकरण संख्या 006791N

संजय जैन
भागीदार
सदस्यता संख्या 084906

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30.05.2021

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

चिंतन नवीनभाई शाह
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन सं. 07795952

डॉ. आर.सी. शर्मा
महाप्रबंधक (वित्त) और सीएफओ

प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं. 07448576

सुरेंद्र सुयाल
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या A11900

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

31 मार्च, 2021 को समेकित नकद प्रवाह विवरण

(लाख रुपए में)

	विवरण		वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2021		वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2020	
क	**प्रचालनिक गतिविधियों से नकद प्रवाहः**					
	कर पूर्व लाभ		56,951.72		24,111.28	
	निम्न के लिए समायोजनः					
	1	स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री/समायोजन पर हानि (निवल)	0.96		0.16	
	2	वित्तीय परिसम्पत्तियों की अक्षमता	34,164.50		51,809.07	
	3	मूल्यह्रास	2,267.40		2,281.20	
	4	लीज देनदारी पर ब्याज	7.89		10.63	
	5	निवल परिवर्तन /संव्यवहार विनिमय हानि	6,984.66		4,064.67	
	6	बट्टे खाते डाला गया प्रावधान	(199.17)		-10.52	
	7	मसाला बाण्ड अनुदान का परिशोधन	-		-130.94	
	8	कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	(141.02)		-205.42	
	9	ऋण प्रतिभूतियों पर प्रभावी ब्याज	267.52		211.80	
	10	ऋण प्रतिभूतियों से अन्य राशियों पर प्रभावी ब्याज	2.66		3.17	
	11	उप ऋण पर प्रभावी ब्याज दर	(50.80)		2.12	
	12	ऋणों पर प्रभावी ब्याज दर	1,732.27		1,958.50	
	13	डेरिवेटिवों पर उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल लाभ/(हानि)	1,247.32		-7,165.33	
	प्रचालनिक परिसम्पत्तियों/देनदारियों में परिवर्तनों से पूर्व प्रचालनिक लाभ		**1,03,235.91**		**76,940.39**	
	प्रचालनिक परिसम्पत्तियों/देनदारियों में वृद्धि/(कमी)					
	1	ऋण	-4,14,488.48		-2,24,663.12	
	2	अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	207.70		360.89	
	3	अन्य गैर वित्तीय परिसम्पत्तियां	-120.68		1,526.85	
	4	कारोबार प्राप्य	15.32		-73.39	
	5	अन्य गैर–वित्तीय देनदारियां	-2,698.67		421.58	
	6	अन्य वित्तीय देनदारियां	-13,800.55		6,352.38	
	7	कारोबार देय	1,435.47		-6,036.44	
	8	नकद और नकद समतुल्य के अतिरिक्त अन्य बैंकशेष	20,506.41		-9,131.93	
	9	प्रावधान	305.02		428.34	
	असाधारण मदों से पूर्व नकद प्रवाह		**-4,08,638.46**		**-2,30,814.83**	
	असाधारण मद		-		-	
	कर पूर्व प्रचालनों से उत्पादित नकद		**-3,05,402.55**		**-1,53,874.44**	
	आयकर		-15,239.62		-17,063.61	
	प्रचालनों से उत्पादित निवल नकद			-3,20,642.17		-1,70,938.05
ख	**निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह**					
	1	स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद	-194.93		-17.78	

(लाख रुपए में)

	विवरण		वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2021		वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2020	
	2	स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री	0.31		2.27	
	3	पूंजी व्यय के लिए अग्रिम	(15.20)		-	
	निवेश गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह			**-209.82**		**-15.51**
ग	**वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह**					
	1	ऋण प्रतिभूतियों को जारी किया जाना (मोचन का निवल)	-15,000.00		1,65,300.00	
	2	ऋण प्रतिभूतियों के अन्य प्रतिभूतियां जुटाना (पुनर्भुगतान का निवल)	2,09,177.59		64,294.30	
	3	अधीनस्थ देनदारियां जुटाना (मोचन का निवल)	50,000.00		-	
	4	लीज देनदारी के लिए भुगतान	-59.80		-81.48	
	5	लाभांश	-		-12,819.00	
	6	कॉरपोरेट लाभांश कर	-		-2,634.98	
	वित्तीय गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह			**2,44,117.79**		**2,14,058.84**
	नकद और नकद समतुल्यों में निवल वृद्धि			**-76,734.20**		**43,105.28**
	वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद समतुल्य			98,836.04		55,730.76
	वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य			22,101.83		98,836.04
	नकद और नकद समतुल्यों में निवल वृद्धि			**-76,734.20**		**43,105.28**
	अवधि के अंत में नकद और नकद समतुल्यों के घटक					
	बैंकों की भारतीय शाखा में चालू खातों में			21,891.28		50,865.90
	बैंकों की विदेशी शाखा में चालू खातों में			9.95		2,585.08
	बैंकों में ओवरड्राफ्ट खातों में			-		-
	बैंकों में जमा खातों में			-		45,374.52
	बैंकों में बचत खातों में हस्तगत और			200.33		10.19
	वसूली के तहत हस्तगत चेक/डीडी और डाक अग्रदाय			0.27		0.35
				22,101.83		**98,836.04**

नकद प्रवाह विवरण पर टिप्पणियां

1 पिछले वर्षों के आँकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक हो पुनः व्यवस्थित और पुनः समूहगत किया गया है।

2 इरेडा के पास ऐसा कोई नकद और नकद समतुल्य शेष नहीं है जो इरेडा के उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है।

3 31.03.2020 को समाप्त गत वर्ष.: कुल जमा में 5,271.76 लाख रुपये की जमा राशियां शामिल है, जिनकी मूल परिपक्वता 90 दिनों से अधिक है।

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते डीएसपी एंड एसोशिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आईसीएएआई पंजीकरण संख्या 006791N

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./–
संजय जैन
भागीदार
सदस्यता संख्या 084906

हस्ता./–
चिंतन नवीनभाई शाह
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन सं,. 07795952

हस्ता./–
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं, 07448576

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30.05.2021

हस्ता./–
डॉ. आर.सी. शर्मा
महाप्रबंधक (वित्त) और सीएफओ

हस्ता./–
सुरेंद्र सुयाल
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या A11900

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

टिप्पणी -1

1) कॉरपारेट सूचना

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (इरेडा) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीनभारत सरकार का एक मिनी रत्न (श्रेणी – ५) उद्यम है। इरेडा एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है। कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–एए के तहत गैर–जमा प्राप्त करने वाली गैर–बैंकिंग वित्तपोषण कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत है। वर्ष 1987 से, इरेडा अपने आदर्श वाक्यः '' ऊर्जा सदा के लिए'' के साथ, ऊर्जा के नए और नवीकरणीय स्रोतों और ऊर्जा दक्षता/संरक्षण से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने, विकसित करने और विस्तारित करने में लगी हुई है । कंपनी के पास केरल राज्य के कासरगोड में स्थित 50 मेगावाट की सौर परियोजना का स्वामित्व है।

2) तैयारी का आधार

(i) इंड एएस के अनुपालन का विवरण

कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 र कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी और आगे यथा संशोधित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुपालन में के अनुसार तैयार किए गए हैं।

वित्तीय विवरण सुनाम प्रतिष्ठान आधार पर और लेखांकन के प्रोद्भवन के आधार पर तैयार किए जाते हैं। कंपनी ने कुछ मदों को छोड़कर ऐतिहासिक लागत परिपाटी को अपनाया है जिसे एक अलग आधार पर मापा गया है और इस तरह के आधार को प्रासंगिक लेखा नीति में प्रकट किया गया है।

लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया गया है, सिवाय ऐसे मामलों में जहां एक नए जारी किए गए लेखांकन मानक को शुरू में अपनाया गया हो या मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए अब तक उपयोग में लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता हो।

(ii) प्राक्कलनों का प्रयोग

कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय, अनुमान और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो राजस्व, व्यय, संपत्ति और देनदारियों की रिपोर्ट की गई मात्रा और संबंधित प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं। भविष्य के परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमान में किसी भी संशोधन को वर्तमान और भविष्य की अवधि में संभावित रूप से मान्यता दी जाती है।

लेखांकन नीतियों को लागू करने और अनिश्चितता के आकलन में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय

(A) उल्लेखनीय प्रबंधन निर्णय

<u>आस्थगित कर परिसम्पत्तियों/देनदारियों की स्वीकृति</u> – जिस सीमा तक आस्थगित कर आस्तियों को स्वीकृति दी जा सकती है वह भविष्य की कर योग्य आय की संभावना के आकलन पर आधारित है जिसके सापेक्ष आस्थगित कर परिसम्पत्तियों का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, कंपनी प्रबंधन का आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित और अनुरक्षित की गई विशेष आरक्षिति से निकासी करने का कोई इरादा नहीं है और इस प्रकार, बसृजित और अनुरक्षित की गई विशेष आरक्षिति को उलटने में सक्षम नहीं है। इसलिए, कंपनी द्वारा उक्त आरक्षिति पर कोई आस्थगित कर देनदारी सृजित नहीं की गई है।

<u>परिसम्पत्तियों की अक्षमता के लिए संकेतकों का मूल्यांकन</u> – परिसंपत्तियों की हानि के संकेतकों की प्रयोज्यता के मूल्यांकन के लिए कई बाहरी और आंतरिक कारकों का मूल्यांकन अपेक्षित होता है जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि में गिरावट आ सके।

<u>क्रेडिट प्रभावित ऋणों पर ब्याज आय की गैर स्वीकृति</u> - क्रेडिट प्रभावित ऋण परिसम्पत्तियों को विवेक के अनुसार,

दबावग्रस्त परिसम्पत्तियों के समाधान के निष्कर्ष के लंबित रहते स्वीकृत नहीं किया जा रहा है।

(B) उल्लेखनीय अनुमान

मूल्यह्रास योग्य/परिशोधन योग्य परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन – प्रबंधन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर परिसंपत्तियों की अपेक्षित उपयोगिता के आधार पर मूल्यह्रास योग्य / परिशोधन योग्य परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के अपने अनुमान की समीक्षा करता है। इन अनुमानों में अनिश्चितता तकनीकी और आर्थिक अप्रचलन से संबंधित है जिसकी वजह से परिसंपत्तियों की उपयोगिता परिवर्तित हो सकती है।

परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) – प्रबंधन का डीबीओ का अनुमान कई अंतर्निहित मान्यताओं जैसे मुद्रास्फीति की मानक दर, मृत्यु दर, छूट दर और भविष्य में वेतन वृद्धि की प्रत्याशा पर आधारित है । इन स्वीकृतियों में भिन्नता से डीबीओ राशि और वार्षिक परिभाषित लाभ व्यय को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित हो सकती है।

उचित मूल्य माप – प्रबंधन वित्तीय साधनों का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन तकनीकों को लागू करता है (जहां सक्रिय बाजार उद्धरण उपलब्ध नहीं हैं)। इसमें अनुमानों और मान्यताओं को विकसित करना शामिल है जो इस बात के अनुरूप हैं कि बाजार सहभागियों द्वारा उपकरण की कीमत कैसे तय की जाएगी। किसी परिसंपत्ति या देनदारी के उचित मूल्य का अनुमान लगाने में, कंपनी बाजार के अवलोकन योग्य डेटा का उपयोग उस सीमा तक करती है, जहां तक वह उपलब्ध है। बाजार–अवलोकन योग्य डेटा उपलब्ध न होने की स्थिति में, स्तर 2 और स्तर 3 पदानुक्रम का उपयोग उचित मूल्यांकन के लिए किया जाता है।

आयकर – अनिश्चित कर स्थितियों के लिए भुगतानध्वसूली की अपेक्षित राशि और आस्थगित कर परिसंपत्ति का आकलन करने के लिए अपेक्षित भावी लाभप्रदता के संबंध में आयकर के प्रावधान का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण अनुमान शामिल हैं।

संभावित क्रेडिट हानि (ईसीएल) – परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए अपेक्षित ऋण हानि भत्ता के मापन के लिए जटिल मॉडलों के उपयोग और भविष्य की आर्थिक स्थितियों और ऋण व्यवहार के बारे में महत्वपूर्ण अवधारणाओं के उपयोग किया जाना अपेक्षित होता है (उदाहरण के लिए, ग्राहकों के चूक करने और परिणामी हानियों की संभावना)। कंपनी ईसीएल का अनुमान लगाने के लिए अपेक्षित ऋण हानि का आकलन करते समय निम्नलिखित के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेती है

- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए मानदंड निर्धारित करना;
- प्रत्येक प्रकार के उत्पाद/बाजार और संबद्ध ईसीएल के लिए दूरंदेशी परिदृश्यों की संख्या और सापेक्ष भार स्थापित करना;
- ईसीएल के मापन के लिए समान वित्तीय परिसम्पत्तियों के समूह स्थापित करना; और
- चूक की संभाव्यता और चूक के कारण होने वाली हानि का अनुमान लगाना (चूक की स्थिति में वसूली योग्य राशियों के अनुमान)।

प्रावधान: दायित्व की स्वीकृति और परिमाणीकरण के समय (मुकदमों सहित) के लिए मौजूदा तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है, जो परिवर्तन के अधीन हो सकते हैं। प्रावधानों और देनदारियों की वाहित राशि की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और बदलते तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया जाता है।

(iii) कार्यात्मक और प्रस्तुतिकरण की व्यापता

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए जाते हैं जो प्राथमिक आर्थिक वातावरण की कार्यात्मक मुद्रा है जिसमें कंपनी संचालित होती है, मूल्यों को लाख में निकटतम दो दशमलव तक पूर्णांकित किया जाता है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

3) उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां

(i) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई)

मूर्त परिसम्पत्तियां (पीपीई)

पीपीई (मूर्त परिसम्पत्तियां) को प्रारंभिक तौर पर लागत पर स्वीकृत किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु की लागत में इसकी खरीद मूल्य शामिल है, जिसमें आयात शुल्क, गैर–वापसी योग्य कर, व्यापार छूट और छूट में कटौती के बाद और संपत्ति को स्थान और उसके लिए आवश्यक स्थिति में लाने के लिए सीधे जिम्मेदार कोई भी लागत शामिल है। इसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार रहें। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मान्यता मानदंडों को पूरा करने वाले स्टोर और स्पेयर को पूंजीकृत किया जाता है और अंतर्निहित परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में जोड़ा जाता है।

कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को मापने के लिए बाद की मान्यता के लागत मॉडल को अपनाया है। नतीजतन सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण इसकी लागत कम संचित मूल्यह्रास और संचित हानि हानि, यदि कोई हो, पर ले जाया जाता है।

<u>स्वीकृति समाप्ति</u>

पीपीई की एक वस्तु को निपटाने पर अमान्य कर दिया जाता है, या जब भविष्य में उपयोग से कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है। शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में मापे गए पीपीई की गैर–मान्यता से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जब परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त हो जाती है।

<u>चल रहे पूंजीगत कार्य</u>

रिपोर्टिंग तिथि पर निर्माणाधीन पीपीई की लागत को 'पूंजीगत कार्य प्रगति पर' के रूप में प्रकट किया गया है। लागत में खरीद मूल्य, उधार लागत शामिल है यदि पूंजीकरण मानदंड पूरा किया जाता है और संपत्ति को अपनी कार्यशील स्थिति में लाने के लिए सीधे जिम्मेदार लागत शामिल है। उपयोग। किसी भी व्यापार छूट और छूट को खरीद मूल्य पर पहुंचने में काटा जाता है। पीपीई के अधिग्रहणधनिर्माण के लिए भुगतान किए गए अग्रिम जो बैलेंस शीट की तारीख पर बकाया हैं, उन्हें ''पूंजीगत अग्रिम'' के तहत वर्गीकृत किया गया है।

(ii) अमूर्त परिसम्पत्तियां और परिशोधन

अमूर्त संपत्ति में मुख्य रूप से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शामिल है जिसे शुरू में लागत पर मापा जाता है। ऐसी परिसम्पत्तियों को मान्यता दी गई है जहाँ यह संभावना होती है कि आस्तियों के कारण भविष्य में होने वाले आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे।

परिमित उपयोगी जीवन के साथ सभी अमूर्त संपत्ति को बाद में लागत मॉडल पर मान्यता दी जाती है। इन अमूर्त संपत्तियों को बाद में इसकी लागत कम संचित परिशोधन और संचित हानि यदि कोई हो, पर ले जाया जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का अनुमानित जीवन 5 वर्ष से अधिक नहीं है।

<u>विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियां</u>

खर्च किए गए व्यय जो अमूर्त परिसंपत्ति के तहत पूंजीकरण के लिए पात्र हैं, उन्हें 'विकास के तहत अमूर्त संपत्ति' के रूप में तब तक वाहित किया जाता है जब तक कि वे अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार न हों।

<u>स्वीकृति समाप्ति</u>

एक अमूर्त संपत्ति को निपटान पर अस्वीकृत किया जाता है, या जब भविष्य में कोई आर्थिक लाभ उपयोग से अपेक्षित नहीं होता है। एक अमूर्त संपत्ति की गैर–स्वीकृति से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि, शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वाहित राशि के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है, जब परिसंपत्ति को गैर–स्वीकृति प्राप्त होने पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

(iii) मूल्यह्रास और परिशोधन

मूर्त पीपीई पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची–II में विनिर्दिष्ट तरीके और उपयोगी जीवन के अनुसार, नीचे उल्लिखित संपत्ति को छोड़कर, लिखित आधार (डब्ल्यूडीवी) पर प्रावधान किया जाता है:

- पुस्तकालय की पुस्तकों पर मूल्यह्रास का प्रावधान खरीद के वर्ष में 100 प्रतिशत की दर से किया जाता है।
- सौर ऊर्जा परियोजना के पीपीई पर मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) और संबंधित राज्य आयोग टैरिफ आदेशों के तहत निर्धारित दरों/पद्धति पर सरल रेखा पद्धति पर किया जाता है।
- रुपये 5,000/– या उससे कम की संपत्ति के संबंध में प्रावधान खरीद के वित्तीय वर्ष में मूल्यह्रास 100 प्रतिशत की दर से किया जाता है।
- अमूर्त संपत्ति का परिशोधन का प्रावधान सरल रेखा आधार पर किया जा रहा है।
- प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी पीपीई और अमूर्त संपत्तियों के लिए उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है। परिवर्तन, यदि कोई हो, को लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन के रूप में स्वीकृत किया जाता है।
- **अनुसूची ।। के अनुसार परिसम्पत्तियों का उपयोगी जीवनः**

परिसम्पत्ति मूल्यह्रास	अनुमानित उपयोगी जीवन	मूल लागत के प्रतिशत के रूप में अवशिष्ट मूल्य
भवन	60 वर्ष	5%
कम्प्यूटर और डेटा प्रोसेसिंग इकाइयां		
-लैपटॉप/कम्प्यूटर	3 वर्ष	5%
-सर्वर	6 वर्ष	5%
कार्यालय उपस्कर	5 वर्ष	5%
फर्नीचर और फिक्सचर	10 वर्ष	5%
वाहन	8 वर्ष	5%
अमूर्त परिसम्पत्तियां	5 वर्ष	5%

- **सीईआरसी के अनुसार परिसम्पत्तियों का उपयोगी जीवन**

परिसम्पत्ति मूल्यह्रास	अनुमानित उपयोगी जीवन	मूल लागत के प्रतिशत के रूप में अवशिष्ट मूल्य
सौर संयंत्र	25 वर्ष	10%

(iv) सरकारी अनुदान/सहायता

कंपनी सरकारी अनुदान प्राप्त कर सकती है जिसके लिए कंपनी की प्रचालन गतिविधियों से संबंधित कुछ शर्तों के अनुपालन की आवश्यकता होती है या कुछ योग्यता मानदंडों के आधार पर वित्तीय सहायता के माध्यम से कंपनी को प्रदान की जाती है।

सरकारी अनुदानों को तब स्वीकृति दी जाती है जब उचित आश्वासन मिलता है कि अनुदान प्राप्त होगा और कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करने में सक्षम होगी। इन अनुदानों को अनुदान की प्रकृति के आधार पर संपत्ति और राजस्व से संबंधित अनुदान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

लंबी अवधि की संपत्ति की खरीद, निर्माण या अन्यथा अधिग्रहण की शर्त के साथ सरकारी अनुदान को शुरू में आस्थगित

आय के रूप में स्वीकृति दी जाती है। एक बार आस्थगित आय के रूप में स्वीकृत किए जाने के बाद, ऐसे अनुदानों को परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। अनुमानों में परिवर्तन को आस्ति के शेष जीवन काल में संभावित रूप से मान्यता दी जाती है।

सब्सिडी से संबंधित अनुदान को उस अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण में आस्थगित और स्वीकृति दी जाती है, जिसके लिए संबंधित लागत, जिसकी भरपाई करने का इरादा है, खर्च की जाती है।

ऊर्जा के नए और नवीकरणीय स्रोतों (एनआरएसई) के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए अनुदान सहायता को आस्थगित आय के रूप में स्वीकृत किया जाता है और लेखांकित किया जाता है।

तकनीकी सहायता कार्यक्रम (टीएपी) के तहत किए गए व्यय को वसूली योग्य माना जाता है और इसे 'अन्य वित्तीय परिसंपत्ति' शीर्ष के तहत दिखाया जाता है। बहुपक्षीय/द्विपक्षीय एजेंसियों से प्रतिपूर्ति की गई सहायता उक्त खाते में जमा की जाती है।

(v) पट्टे

❑ पट्टेदार के रूप में

कंपनी किसी संविदा की शुरुआत में मूल्यांकन करती है कि क्या यह संविदा एक पट्टा है या इसमें पट्टा शामिल है। एक संविदा एक पट्टा है, या इसमें पट्टा शामिल है, यदि संविदा किसी पहचान की गई परिसंपत्ति के उपयोग को विचार करने के बदले में समय की अवधि के लिए नियंत्रित करने का अधिकार देता है। यह आकलन करने के लिए कि क्या संविदा किसी स्वीकृत की गई परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, कंपनी यह आकलन करती है कि क्याः

(i) संविदा में किसी चिह्नित परिसम्पत्ति का उपयोग निहित है;

(ii) कंपनी को पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ पर्याप्त रूप से प्राप्त हुए हैं, और

(iii) कम्पनी को परिसम्पत्ति के उपयोग को निर्दिष्ट करने का अधिकार है।

कंपनी सभी पट्टों के लिए एकल स्वीकृति और माप दृष्टिकोण लागू करती है, अल्पावधि पट्टों और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टों को छोड़कर। कंपनी लीज भुगतान करने के लिए लीज देनदारियों और अंतर्निहित परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार का प्रतिनिधित्व करने वाली संपत्ति के अधिकार को स्वीकृति देती है।

i) प्रयोगाधिकार परिसम्पत्तियां

कंपनी पट्टे की आरंभ तिथि (यानी, अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि) पर उपयोग के अधिकार की संपत्ति को स्वीकृति देती है। राइट–ऑफ–यूज परिसंपत्तियों को लागत पर मापा जाता है, किसी भी संचित मूल्यह्रास और हानि हानियों को कम करके और पट्टे की देनदारियों के किसी भी पुनर्माप के लिए समायोजित किया जाता है। उपयोग के अधिकार की संपत्ति की लागत में मान्यता प्राप्त लीज देनदारियों की राशि, प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत, और प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए लीज भुगतान में से प्राप्त किसी भी लीज प्रोत्साहन को शामिल किया गया है। परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर एक सीधी रेखा के आधार पर उपयोग के अधिकार की परिसंपत्ति का मूल्यह्रास किया जाता है।

ii) पट्टा देनदारियां

पट्टे की शुरुआत की तारीख में, कंपनी पट्टा अवधि में किए जाने वाले लीज भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापी गई पट्टा देनदारियों को पहचानती है। पट्टा भुगतान में निश्चित भुगतान (इन–सब्सेंस फिक्स्ड पेमेंट्स सहित) शामिल हैं, जिसमें कोई भी लीज इंसेंटिव कम होता है, वैरिएबल लीज भुगतान जो एक इंडेक्स या रेट पर निर्भर करता है, और राशि जो अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत अदा की जाती है। कंपनी लीज प्रारंभ तिथि पर अपनी वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करती है क्योंकि पट्टे में निहित ब्याज दर आसानी से निर्धारित नहीं होती है। यदि ऋण 3 वर्ष तक का है तो ऋण की अवधि के लिए वृद्धिशील उधार दर एसबीआई एमसीएलआर दर है। 3 साल से ज्यादा की अवधि के लिए, एसबीआई एमसीएलआर रेट 3 साल के लिए लिया जा सकता है।

iii) अल्पावधिक पट्टे और कम मूल्य परिसम्पत्तियों के पट्टे

लघु अवधि के पट्टों (जिसमें 12 महीने तक की पट्टा अवधि है) पर लीज भुगतान और कम मूल्य की संपत्ति के पट्टों (रु. 10, 00,000/– तक की संपत्ति) को लीज अवधि में खर्च के रूप में स्वीकृति दी जाती है। पट्टे की अवधि पट्टे की गैर–रद्दकरण योग्य अवधि दोनों के साथ लेकर निर्धारित की जाती है:

(क) पट्टे को विस्तार देने के लिए एक विकल्प द्वारा कवर की गई अवधि, यदि पट्टेदार उस विकल्प का प्रयोग करने के लिए यथोचित रूप से निश्चित है और

(ख) यदि पट्टेदार यथोचित रूप से निश्चित है कि उस विकल्प का प्रयोग नहीं करेगा, तो पट्टे को समाप्त करने के विकल्प द्वारा कवर की गई अवधि।

पट्टादाता के रूप में

जब कंपनी एक पट्टेदार के रूप में कार्य करती है, तो यह पट्टे की स्थापना के समय यह निर्धारित करती है कि क्या प्रत्येक पट्टा एक वित्त पट्टा या एक प्रचालनिक पट्टा है। प्रत्येक पट्टे को वर्गीकृत करने के लिए, कंपनी इस बात का समग्र मूल्यांकन करती है कि क्या पट्टा अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक सभी जोखिम और आगमों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित करता है। यदि ऐसा है, तो पट्टा एक वित्त पट्टा है, यदि नहीं, तो यह एक प्रचालनिक पट्टा है। मूल्यांकन के भाग के रूप में, कंपनी कुछ संकेतकों पर विचार करती है जैसे कि क्या पट्टा परिसंपत्ति के आर्थिक जीवन के प्रमुख भाग के लिए है। यदि किसी व्यवस्था में पट्टा और गैर–पट्टा घटक शामिल हैं, तो कंपनी अनुबंध में प्रतिफल आवंटित करने के लिए इंड एएस 115 'ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व' लागू करती है। कंपनी ऑपरेटिंग लीज के तहत प्राप्त लीज भुगतान को 'ऑपरेशन से राजस्व' के हिस्से के रूप में लीज अवधि में एक सीधी रेखा के आधार पर आय के रूप में मान्यता देती है।

(vi) अनुषंगी, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यम में निवेश

- कंपनी अनुषंगी, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में लागत पर निवेश करती है। कंपनी द्वारा नियंत्रित इकाई को कंपनी की अनुषंगी कंपनी माना जाता है। भारत के बाहर सहायक कंपनी में निवेश का अंतरण अधिग्रहण की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है।

- जिन निवेशों में कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, उन्हें सहयोगी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रभाव निवेशिती के वित्तीय और परिचालन नीति निर्णयों में भाग लेने की शक्ति है, लेकिन उन नीतियों पर नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं है।

- एक संयुक्त व्यवस्था जिसके तहत व्यवस्था का संयुक्त नियंत्रण रखने वाले पक्षों के पास संयुक्त व्यवस्था की शुद्ध संपत्ति का अधिकार होता है, उसे संयुक्त उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। संयुक्त नियंत्रण एक व्यवस्था के नियंत्रण का अनुबंधित रूप से सहमत साझाकरण है, जो केवल तभी मौजूद होता है जब संबंधित गतिविधियों के बारे में निर्णय लेने के लिए पक्षकारों को नियंत्रण साझा करने की सर्वसम्मत सहमति अपेक्षित होती है।

सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश पर अक्षमता हानि

यदि सहयोगी या संयुक्त उद्यम में इकाई के निवेश के संबंध में हानि का संकेत है, तो निवेश के वहन मूल्य को उसके वहन मूल्य के साथ वसूली योग्य राशि की तुलना करके हानि के लिए परीक्षण किया जाता है और सहयोगी या संयुक्त उद्यम में किसी भी परिणामी हानि को निवेश के वहन मूल्य के सापेक्ष प्रभारित किया जाता है।

(vii) गैर–वित्तीय परिसम्पत्ति की अक्षमता

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यांकन करती है कि क्या कोई संकेत है कि एक परिसंपत्ति अक्षम हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि एक परिसंपत्ति या नकद–उत्पादक इकाइयों (सीजीयू) के उचित मूल्य से अधिक है, जिसमें निपटान की लागत और

उपयोग में इसका मूल्य कम है। वसूली योग्य राशि एक व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए निर्धारित की जाती है, जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूह से काफी हद तक स्वतंत्र होती है। जब किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो संपत्ति को अक्षम हुआ माना जाता है और उसकी वसूली योग्य राशि के लिए लिखा जाता है।

उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को पूर्व–कर छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो पैसे के समय मूल्य और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाता है। निपटान की लागत घटाकर उचित मूल्य निर्धारित करने में, हाल के बाजार लेन–देन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी भी लेन–देन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो एक उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का प्रयोग किया जाता है।

(viii) **नकद और नकद समतुल्य**

नकद में हस्तगत नकद, बैंक में नकद, बैंक ओवरड्राफ्ट में डेबिट शेष, यदि कोई हो, बैंकों के पास मांग जमा, वाणिज्यिक पत्र और विदेशी मुद्रा जमा शामिल हैं। नकद समकक्ष अल्पावधि जमा (अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ), अत्यधिक नकद निवेश हैं जो आसानी से नकदी की ज्ञात मात्रा में परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अध्यधीन हैं।

(ix) उधार लागतें

अर्हक संपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए सीधे उत्तरदायी सामान्य और विशिष्ट उधार लागतों को उस तारीख तक पूंजीकृत किया जाता है जब संपत्ति ऐसे फंड के अस्थायी निवेश पर अर्जित किसी भी आय को कम करने के बाद अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होती है।

इस सीमा तक, कि कंपनी आम तौर पर धन उधार लेती है और एक योग्य परिसंपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से उनका उपयोग करती है, पूंजीकरण के लिए पात्र उधार लेने की लागत की राशि उस परिसंपत्ति पर व्यय के लिए पूंजीकरण दर लागू करके निर्धारित की जाती है।

अन्य उधार लागतें उस अवधि में खर्च की जाती हैं जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

(x) विदेशी मुद्रा लेन देन

कार्यात्मक मुद्रा के अलावा अन्य मुद्राओं में लेन–देन को लेन–देन की तारीखों पर प्रचलित विनिमय दरों पर स्वीकृति दी जाती है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों का उस तिथि पर प्रचलित दरों पर पुनःअंतरण किया जाता है। इस तरह के लेन–देन के निपटान से उत्पन्न विदेशी मुद्रा लाभ और हानि और अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों के पुनर्मापन को लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

इरेडा ने भारतीय लेखा मानक 101 के पैरा डी13एए की छूट को अपनाया है, जिसके अनुसार पहली बार अंगीकर्ता वित्तीय विवरणों में स्वीकृति प्राप्त दीर्घकालीन विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के अनुवाद से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों के लिए लेखांकन के लिए अपनाई गई नीति को पिछले जीएएपी के अनुसार पहली इंड एएस वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत से ठीक पहले समाप्त होने वाली अवधि तक जारी रख सकता है।

तदनुसार, विदेशी मुद्रा में सभी लेन–देन लेन–देन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर अभिलेखबद्ध किए जाते हैं। 31 मार्च, 2018 को बकाया लंबी अवधि की विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित दर पर, उस अवधि से अलग, जिस पर वे शुरू में इस अवधि के दौरान दर्ज किए गए थे, या पिछले में रिपोर्ट किए गए थे। वित्तीय विवरण, एक 'विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अनुवाद रिजर्व खाता' में संचित होते हैं और ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में मान्यता द्वारा, ऐसी लंबी अवधि की मौद्रिक मद की शेष अवधि में परिशोधित किए जाते हैं।

दीर्घकालीन विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें वे होती हैं जिनकी अवधि उत्पत्ति की तारीख में बारह महीने या उससे अधिक होती है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित दर पर अल्पकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों (उत्पत्ति की तारीख में बारह महीने से कम की अवधि वाले) का अनुवाद किया जाता है। परिणामी विनिमय उतार–चढ़ाव को ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

भारतीय लेखा मानक 21 के पैरा 27 के अनुसार, नकदी प्रवाह बचाव में हेजिंग लिखतों के रूप में अर्हता प्राप्त करने वाली मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर को अन्य व्यापक आय में उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहां तक बचाव प्रभावी होता है। तदनुसार, कंपनी कैश फ्लो हेज रिजर्व में रिपोर्टिंग तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा ऋणों के अनुवाद के कारण विनिमय अंतर को पहचानती है।

(xi) प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर पश्चात शुद्ध लाभ को विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर विरलित आय की गणना कर के बाद समायोजित शुद्ध लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और कमजोर संभावित इक्विटी शेयरों से विभाजित करके की जाती है। इक्विटी शेयरों की संख्या और संभावित रूप से कमजोर इक्विटी शेयरों को शेयर विभाजन/रिवर्स शेयर विभाजन और बोनस शेयरों के लिए उपयुक्त के रूप में समायोजित किया जाता है।

(xii) प्रावधान

एक प्रावधान को तब स्वीकृत किया जाता है जब कंपनी के पास पिछली घटना के परिणामस्वरूप एक वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है और यह संभव है कि दायित्वों को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके।

(xiii) आकस्मिक देनदारियां

आकस्मिक देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है, लेकिन नोटों में इसका खुलासा किया जाता है जब कंपनी की पिछली घटनाओं के कारण संभावित दायित्व होता है और दायित्व का अस्तित्व भविष्य की घटनाओं की घटना या गैर–घटना पर निर्भर करता है जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है और पिछली घटनाओं से उत्पन्न होने वाले वर्तमान दायित्वों पर निर्भर करता है। यह संभव नहीं है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी या दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

आर्थिक संसाधनों का बहिर्वाह संभावित हो गया है या नहीं यह निर्धारित करने के लिए आकस्मिक देनदारियों का लगातार मूल्यांकन किया जाता है। यदि बहिर्वाह संभावित हो जाता है, तो वित्तीय विवरणों में सापेक्ष प्रावधान को मान्यता दी जाती है।

(xiv) आकस्मिक परिसम्पत्तियां

आकस्मिक परिसम्पत्तियों को स्वीकृति नहीं दी जाती है लेकिन टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है जो आमतौर पर अनियोजित या अन्य अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न होती हैं जो आर्थिक लाभ के प्रवाह की संभावना को जन्म देती हैं।

यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आर्थिक लाभों की आमद वस्तुतः निश्चित हो जाती है, आकस्मिक परिसम्पत्तियों का लगातार मूल्यांकन किया जाता है, फिर ऐसी परिसंपत्तियों और सापेक्ष आय को वित्तीय विवरणों में स्वीकृति दी जाएगी।

(xv) खंड रिपोर्टिंग

प्रचालनिक खंडों को मुख्य प्रचालनिक निर्णयकर्ता को प्रदान की गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप तरीके से रिपोर्ट किया जाता है। कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) की पहचान मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता (सीओडीएम) के रूप में की गई है।

(xvi) महत्वपूर्ण गतिविधि त्रुटियां

सामग्री पूर्व अवधि की त्रुटियों को पूर्वव्यापी रूप से ठीक किया जाता है, जिसमें पूर्व अवधियों के लिए तुलनात्मक मात्रा को पुनः प्रस्तुत किया जाता है जिसमें त्रुटि हुई थी। यदि त्रुटि प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि से पहले हुई है, तो प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी के प्रारंभिक शेष को पुनः वर्णित किया जाता है। पूर्व अवधि के आइटम रुपये तक। 1,00,000/– प्रति आइटम को समायोजित/प्राप्त किए जाने पर लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित किया जाता है और पुनर्कथन नहीं किया जाता है।

(xvii) कराधान

चालू कर

वर्तमान में देय कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित होता है। कर योग्य लाभ 'कर पूर्व लाभ' से भिन्न होता है जैसा कि लाभ और हानि ध अन्य व्यापक आय के विवरण में रिपोर्ट किया गया है क्योंकि आय या व्यय की मदें जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य हैं और वे आइटम जो कभी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं हैं। कंपनी के वर्तमान कर की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित की गई हैं।

वर्तमान कर को लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृति दी जाती है, सिवाय इसके कि जब वे अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में स्वीकृति प्राप्त मदों से संबंधित हों, उस स्थिति में, वर्तमान कर को अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है। जहां व्यापार संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखांकन से वर्तमान कर उत्पन्न होता है, व्यापार संयोजन के लिए कर प्रभाव को लेखांकन में शामिल किया जाता है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर को वित्तीय विवरणों में परिसम्पत्तियों और देनदारियों की अग्रणीत राशियों और कराधान प्रयोजन के लिए उपयोग की गई संगत राशियों के बीच अस्थायी अंतर के संबंध में स्वीकृति दी जाती है।

आस्थगित कर देनदारियों को आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को आम तौर पर केवल उस सीमा तक स्वीकृति दी जाती है कि यह संभावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके खिलाफ संपत्ति का उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर आस्तियों की अग्रणीत राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है और इस हद तक कम कर दी जाती है कि संबंधित कर लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं रह जाती है।

वर्तमान और आस्थगित कर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जब वे अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित हों, उस स्थिति में, वर्तमान और आस्थगित कर को क्रमशः इक्विटी में अन्य व्यापक आय या सीधे भी स्वीकृति दी जाती है।

(xviii) निवेश सम्पत्ति

निवेश संपत्तियां किराये की कमाई और/या पूंजी वृद्धि (ऐसे उद्देश्यों के लिए निर्माणाधीन संपत्ति सहित) के लिए रखी गई संपत्तियां हैं। निवेश की परिसंपत्तियों को शुरू में लागत पर मापा जाता है, जिसमें लेन–देन लागत भी शामिल है।

प्रारंभिक स्वीकृति के बाद, कंपनी लागत मॉडल का उपयोग करके निवेश परिसंपत्ति को मापती है।

एक निवेश संपत्ति को निपटान पर या जब निवेश संपत्ति को स्थायी रूप से उपयोग से वापस ले लिया जाता है और निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है, तो उसे अमान्य कर दिया जाता है। संपत्ति की मान्यता से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि (निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणी राशि के बीच अंतर के रूप में गणना की जाती है) को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है जिसमें परिसंपत्ति को गैर–स्वीकृत प्राप्त किया जाता है।

निवेश संपत्तियों का मूल्यह्रास उस परिसंपत्ति के वर्ग के अनुसार किया जाता है जो वह संबंधित है और परिसंपत्ति का जीवन कंपनी में उसी वर्ग की संपत्ति के लिए कल्पना के अनुसार होगा।

हालांकि निवेश संपत्ति को लागत मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, निवेश संपत्ति के उचित मूल्य का प्रकटीकरण टिप्पणियों में किया जाता है।

(xix) कर्मचारी लाभ

a) अल्पावधिक लाभ

वेतन सहित अल्पकालिक कर्मचारी लाभ, अल्पकालिक मुआवजा अनुपस्थिति (जैसे एक भुगतान वार्षिक छुट्टी) जहां अनुपस्थिति उस अवधि के अंत के बाद बारह महीने के भीतर होने की उम्मीद है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा, लाभ साझाकरण और देय बोनस प्रदान करते हैं उस अवधि के अंत के बाद बारह महीनों के भीतर जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं और वर्तमान कर्मचारियों के लिए गैर–मौद्रिक लाभों का अनुमान लगाया जाता है और बिना छूट के आधार पर मापा जाता है।

b) रोजगार–पश्चात लाभ योजनाओं को परिभाषित लाभ योजनाओं और परिभाषित योगदान योजनाओं में निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

(i) परिभाषित अंशदान योजना

एक परिभाषित योगदान योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत कंपनी कर्मचारियों के संबंध में एक अलग फंड में निश्चित योगदान का भुगतान करती है। कंपनी के पास निश्चित योगदान के भुगतान के बाद आगे के योगदान का भुगतान करने के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं है। कंपनी द्वारा परिभाषित योगदान योजनाओं के लिए किए गए योगदान को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित किया जाता है जिससे योगदान संबंधित है।

(ii) परिभाषित लाभ योजना

कंपनी का ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) और अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ (ओडीआरबी) के प्रति दायित्व है, जिन्हें परिभाषित लाभ योजनाओं के रूप में माना जा रहा है।

पात्र कर्मचारियों को कवर करना। परिभाषित लाभ योजनाओं के तहत, एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली राशि को कर्मचारी की सेवा की लंबाई, अंतिम वेतन और अन्य परिभाषित मापदंडों के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। किसी भी लाभ के लिए कानूनी दायित्व कंपनी के पास रहता है, भले ही परिभाषित लाभ योजना के वित्तपोषण के लिए योजना संपत्ति को अलग रखा गया हो।

परिभाषित लाभ योजनाओं के प्रति कंपनी का दायित्व अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए वित्तीय स्थिति के विवरण में मान्यता प्राप्त देयता रिपोर्टिंग तिथि पर परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) का वर्तमान मूल्य है जो योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से कम है। प्रबंधन स्वतंत्र एक्चुअरीज की सहायता से सालाना डीबीओ का अनुमान लगाता है।

देयता/परिसंपत्ति के पुनर्माप के परिणामस्वरूप बीमांकिक लाभध्हानि को अन्य व्यापक आय में शामिल किया जाता है।

भविष्य निधि, परोपकारी निधि, सेवानिवृत्ति निधि और ग्रेच्युटी के संबंध में कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों की देयता अलग–अलग ट्रस्टों द्वारा वित्त पोषित है।

भविष्य निधि/अधिवर्षिता निधि में कंपनी का योगदान पात्र कर्मचारी के वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर इस उद्देश्य के लिए स्थापित अलग–अलग ट्रस्टों को प्रेषित किया जाता है और लाभ और हानि के विवरण में डेबिट किया जाता है।

c) अन्य दीर्घावधिक कर्मचारी लाभः

अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर बैलेंस शीट की तारीख के अनुमान के बाद एक साल से अधिक समय तक प्रतिपूर्ति की अनुपस्थिति के कारण होने वाले या प्राप्त होने की उम्मीद के संबंध में देयता।

पिछले अनुभव से होने वाले बीमांकिक लाभ और हानियों और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित किया जाता है जिसमें ऐसे लाभ या हानि निर्धारित की जाती हैं।

(xx) वित्तीय उपकरण

प्रारंभिक स्वीकृति और मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी वित्तीय साधन के संविदात्मक प्रावधानों के लिए एक पार्टी बन जाती है और शुरू में, लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किए गए को छोड़कर लेनदेन लागतों द्वारा समायोजित उचित मूल्य पर मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के बाद के माप का वर्णन नीचे किया गया है।

वित्तीय परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण और अनुवर्ती मापन

बाद के माप के प्रयोजन के लिए, वित्तीय परिसम्पत्तियों को प्रारंभिक स्वीकृति पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- परिशोधित लागत
- लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीओसीआई)

एफवीटीपीएल या एफवीओसीआई में इक्विटी लिखतों को छोड़कर सभी वित्तीय परिसंपत्तियां कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर हानि के लिए समीक्षा के अधीन हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कोई उद्देश्य प्रमाण है कि वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय परिसंपत्तियों का एक समूह बिगड़ा हुआ है। वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्येक श्रेणी पर हानि का निर्धारण करने के लिए विभिन्न मानदंड लागू होते हैं, जिनका वर्णन नीचे किया गया है।

❑ परिशोधित लागत पर ऋण

ऋण (वित्तीय संपत्ति) को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं:

a) वित्तीय परिसंपत्ति एक व्यवसाय मॉडल के भीतर रखी जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों को रखना है तथा

b) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह को निर्दिष्ट तिथियों पर जन्म देती हैं जो केवल मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान हैं।

परिशोधन लागत पर वहन की गई वित्तीय आस्तियों पर प्रत्याशित ऋण हानियों के लिए हानि भत्ता को स्वीकृति दी जाती है।

❑ **एफवीटीपीएल**

एफवीटीपीएल की वित्तीय परिसंपत्तियों में हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित और प्रभावी को छोड़कर सभी डेरिवेटिव वित्तीय

साधन शामिल हैं, जिनके लिए बचाव लेखांकन आवश्यकताओं को लागू किया जा रहा है। इस श्रेणी में परिसंपत्तियों को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है। इस श्रेणी में वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य सक्रिय बाजार लेन–देन के संदर्भ में या एक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जहां कोई सक्रिय बाजार मौजूद नहीं है।

वित्तीय परिसम्पत्तियों की स्वीकृति समाप्त किया जाना

वित्तीय संपत्ति (या जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का हिस्सा) को अमान्य कर दिया जाता है (यानी कंपनी की बैलेंस शीट से हटा दिया जाता है) जब वित्तीय संपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, या जब वित्तीय परिसंपत्ति और काफी हद तक सभी जोखिम और पुरस्कार स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति को भी अमान्य कर देती है यदि उसने दोनों वित्तीय परिसंपत्ति को स्थानांतरित कर दिया है और हस्तांतरण गैर–मान्यता के लिए योग्य है।

वित्तीय देनदारियों का वर्गीकरण और अनुवर्ती मापन

व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों को छोड़कर, जो कि एफवीटीपीएल में किए जाते हैं, वित्तीय देनदारियों को बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर, बाद में लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

वित्तीय देनदारियों की स्वीकृति समाप्त किया जाना

एक वित्तीय देनदारी को तब अस्वीकृत कर दिया जाता है जब देनदारी के तहत देनदारी का निर्वहन या रद्द या समाप्त हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देनदारी को एक ही ऋणदाता से दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है या मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देयता की स्वीकृति और एक नई देनदारी की स्वीकृति माना जाता है। संबंधित अग्रणीत राशियों में अंतर को लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

डेरिवेटिव वित्तीय लिखतें

कंपनी विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और देनदारियों पर विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव के संपर्क में है। कंपनी डेरिवेटिव के उपयोग सहित स्थापित जोखिम प्रबंधन नीतियों का पालन करके विदेशी विनिमय दर में उतार–चढ़ाव के प्रभाव को सीमित करती है।

कंपनी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करती है जिसमें विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और देनदारियों को हेज करने के लिए प्रिंसिपल स्वैप, क्रॉस करेंसी और इंटरेस्ट रेट स्वैप (सीसीआईआरएस), फॉरवर्ड, इंटरेस्ट रेट स्वैप, करेंसी और क्रॉस करेंसी ऑप्शन, स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट आदि शामिल हैं।

डेरिवेटिव्स को उचित मूल्य (एमटीएम) पर पहचाना और मापा जाता है। जिम्मेदार लेन–देन लागतों को लागत के रूप में लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

वित्तीय परिसम्पत्ति की स्वीकृति समाप्त किया जाना

वित्तीय परिसंपत्तियों की स्वीकृति समाप्त हो जाती है जब वित्तीय परिसंपत्तियों से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाता है, या परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए संविदात्मक अधिकारों को स्थानांतरित कर देता है।

हेल लेखांकन

नकद प्रवाह बचाव संबंधों में हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित डेरिवेटिव को छोड़कर, लाभ और हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर व्युत्पन्न वित्तीय साधनों का हिसाब लगाया जाता है, जिसके लिए एक विशिष्ट लेखांकन उपचार की आवश्यकता होती है। हेज अकाउंटिंग के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, हेजिंग संबंध को निम्नलिखित सभी अपेक्षाओं को पूरा करना होगाः

- हेज की गई मद और हेज के साधन के बीच एक आर्थिक संबंध है
- क्रेडिट जोखिम का प्रभाव उस आर्थिक संबंध के परिणामस्वरूप होने वाले मूल्य परिवर्तनों पर हावी नहीं होता है
- हेजिंग संबंध का बचाव अनुपात वही है जो उस हेज की गई वस्तु की मात्रा से उत्पन्न होता है जिसे प्रतिष्ठान वास्तव में हेज करता है और हेजिंग लिखत की मात्रा जिसे प्रतिष्ठान वास्तव में हेज की गई वस्तु की मात्रा को हेज करने के लिए उपयोग करता है।

कंपनी ने नकदी प्रवाह बचाव संबंधों में ज्यादातर डेरिवेटिव अनुबंधों को हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित किया है। इन व्यवस्थाओं को विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम और ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए दर्ज किया गया है, जिसके खिलाफ विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्ग के ऋण साधन हैं।

- कैश फ्लो हेजिंग कंपनी के कैश फ्लो पोजीशन को एक्सचेंज रेट में उतार–चढ़ाव में बदलाव से बचाने और कैश फ्लो में बदलाव को फिक्स्ड लाने के लिए किया जाता है।
- कंपनी निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार हेजिंग लिखतों में प्रवेश करती है; लिखित सिद्धांत प्रदान करें जो कंपनी की जोखिम प्रबंधन रणनीति / नीतियों के अनुरूप हों।
- हेज अकाउंटिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी व्युत्पन्न वित्तीय साधनों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और बाद में बैलेंस शीट में उचित मूल्य पर रिपोर्ट की जाती है।
- हेज उपकरणों को अनुबंध की शुरुआत में हेजेज के रूप में नामित और प्रलेखित किया जाता है। बचाव उपकरणों की प्रभावशीलता का आकलन और मूल्यांकन स्थापना के समय और निरंतर आधार पर किया जाता है। संबंधित बैंकों द्वारा प्रदान किए गए एमटीएम मूल्यांकन के आधार पर मूल्यांकन किए गए उचित मूल्य में परिवर्तन के प्रभावी हिस्से / निर्दिष्ट हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के तीसरे पक्ष के मूल्यांकन को 'अन्य व्यापक आय' में 'कैश फ्लो हेज रिजर्व' के रूप में मान्यता दी गई है। अप्रभावी भाग को लाभ और हानि के विवरण में जब और जब होता है, तुरंत पहचान लिया जाता है।
- जिस समय हेज की गई वस्तु लाभ या हानि को प्रभावित करती है, अन्य व्यापक आय में पहले से मान्यता प्राप्त किसी भी लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है और अन्य व्यापक आय के भीतर पुनर्वर्गीकरण समायोजन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
- यदि हेजिंग संबंध अब हेज अकाउंटिंग के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो हेज अकाउंटिंग को संभावित रूप से बंद कर दिया जाता है। यदि हेजिंग इंस्ट्रूमेंट समाप्त हो जाता है या बेचा जाता है, समाप्त हो जाता है या प्रयोग किया जाता है, तो कैश फ्लो हेज रिजर्व में मान्यता प्राप्त हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पर संचयी लाभ या हानि कैश फ्लो हेज रिजर्व में तब तक बनी रहती है जब तक कि हेज प्रभावी नहीं हो जाता। कैश फ्लो हेज रिजर्व में पहले से पहचाने गए संचयी लाभ या हानि को अंतर्निहित लेन–देन की घटना पर लाभ और हानि के विवरण में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

अक्षमता

<u>वित्तीय परिसम्पत्तियों की अक्षमता</u>

❑ ऋण परिसम्पत्तियां

कंपनी प्रारंभिक स्वीकृति के बाद से क्रेडिट गुणवत्ता में परिवर्तन के आधार पर परिशोधित लागत पर ऋण परिसंपत्ति की हानि के लिए एक 'तीन–चरण' मॉडल का अनुसरण करती है, जैसा कि नीचे संक्षेप में बताया गया है:

- चरण 1 में वे ऋण आस्तियां शामिल हैं जिनमें प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है या रिपोर्टिंग तिथि पर कम क्रेडिट जोखिम है।

- चरण 2 में वे ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं जिनकी प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है लेकिन उनमें हानि का वस्तुनिष्ठ प्रमाण नहीं है।

- चरण 3 में ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं जिनके पास रिपोर्टिंग तिथि पर हानि के वस्तुनिष्ठ साक्ष्य हैं।

अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) को चरण 1 ऋण परिसंपत्तियों के लिए 12 महीने के ईसीएल और चरण 2 और चरण 3 ऋण परिसंपत्तियों के लिए आजीवन ईसीएल पर मापा जाता है। ईसीएल डिफॉल्ट की प्रायिकता, डिफॉल्ट पर एक्सपोजर और डिफॉल्ट को दिए गए नुकसान का उत्पाद है, जिसे निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

चूल की लाभप्रदता (पीडी) . पीडी अगले 12 महीनों (12 महीने पीडी), या दायित्व के शेष जीवनकाल (लाइफटाइम पीडी) में, अपने वित्तीय दायित्व पर एक उधारकर्ता की चूक की संभावना को दर्शाता है।

चूक के कारण हानि (एलजीडी) – एलजीडी डिफॉल्ट एक्सपोजर पर नुकसान की सीमा की कंपनी की अपेक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। एलजीडी प्रतिपक्ष के प्रकार, प्रकार, और दावे की वरीयता और संपार्श्विक या अन्य ऋण सहायता की उपलब्धता के अनुसार भिन्न होता है।

चूक पर एक्सपोजर (ईएडी) – ईएडी उस निर्धारण तिथि पर बकाया एक्सपोजर की राशि पर आधारित है जिस पर ईसीएल की गणना की जाती है।

ईएडी उस निर्धारण तिथि पर बकाया एक्सपोजर की राशि पर आधारित है जिस पर ईसीएल की गणना की जाती है।

❑ **ऋणों से भिन्न वित्तीय लिखतों में शामिल हैं:**

- वित्तीय संपत्तियों में नकद और नकद समकक्ष, व्यापार प्राप्तियां, बिल न किए गए राजस्व, वित्त पट्टा प्राप्य, कर्मचारी और अन्य अग्रिम शामिल हैं।

- वित्तीय देनदारियों में उधार, बैंक ओवरड्राफ्ट, व्यापार देय शामिल हैं।

ऋणों के अलावा अन्य गैर व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, जिसमें कोई भी प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लेन–देन लागत शामिल है। वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता समाप्त कर दी जाती है जब वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के पर्याप्त जोखिम और पुरस्कार हस्तांतरित किए गए हों। ऐसे मामलों में जहां वित्तीय आस्तियों के स्वामित्व के पर्याप्त जोखिम और पुरस्कार न तो हस्तांतरित किए जाते हैं और न ही बनाए रखे जाते हैं, वित्तीय आस्तियों की मान्यता तभी समाप्त की जाती है जब कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण नहीं रखा हो।

प्रारंभिक मान्यता के बाद, उन्हें नीचे निर्धारित अनुसार मापा जाता है:

क) <u>नकद और नकद समतुल्य</u>

नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजनों के लिए, नकद और नकद समकक्षों में बैंक में हाथ में नकद, बैंकों के साथ मांग जमा, नकद ऋण, सावधि जमा और विदेशी मुद्रा जमा, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट का शुद्ध शामिल है जो मांग पर चुकाने योग्य हैं और उन्हें कंपनी की नकद प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा माना जाता है। वित्तीय स्थिति के विवरण में, बैंक ओवरड्राफ्ट को उधार के तहत प्रस्तुत किया जाता है।

ख) <u>कारोबार प्राप्य</u>

कंपनी व्यापार प्राप्तियों पर हानि हानि भत्ता की मान्यता के लिए 'सरलीकृत दृष्टिकोण' का अनुसरण करती है। सरलीकृत दृष्टिकोण के आवेदन के लिए कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय, यह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, इसकी प्रारंभिक मान्यता से ही, आजीवन ईसीएल के आधार पर हानि हानि भत्ता को मान्यता देता है। कंपनी प्राप्य के व्यक्तिगत मूल्यांकन के आधार पर हानि भत्ता निर्धारित करती है, व्यापार प्राप्तियों के अपेक्षित जीवन पर ऐतिहासिक रूप से देखी गई डिफॉल्ट दरों और भविष्योन्मुखी अनुमानों के लिए समायोजित की जाती है।

ग) अन्य देय

अन्य देय राशियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, और बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर ले जाया जाता है। इन वित्तीय लिखतों के लिए, इन लिखतों की अल्पावधि परिपक्वता के कारण वहन राशि लगभग उचित मूल्य है।

(xxi) लाभांश

शेयरधारकों को देय प्रस्तावित लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें उन्हें क्रमशः निदेशक मंडल द्वारा और शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदित किया जाता है।

(xxii) उचित मूल्य मापन और प्रकटीकरण

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर डेरिवेटिव जैसे वित्तीय साधनों को मापती है। उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेन–देन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। उचित मूल्य माप इस अनुमान पर आधारित है कि परिसंपत्ति को बेचने या देयता को स्थानांतरित करने के लिए लेन–देन या तो होता है:

- परिसंपत्ति या देनदारी के लिए प्रमुख बाजार में, या
- एक प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्ति या देयता के लिए सबसे अधिक लाभप्रद बाजार में कंपनी द्वारा मूलधन या सबसे अधिक लाभप्रद बाजार तक पहुंच होनी चाहिए।

किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य को इस धारणा का उपयोग करके मापा जाता है कि बाजार सहभागियों का उपयोग परिसंपत्ति या देयता का मूल्य निर्धारण करते समय होगा, जिसमें जोखिम के बारे में धारणाएं शामिल हैं, यह मानते हुए कि बाजार सहभागियों ने अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य किया है। एक गैर–वित्तीय परिसंपत्ति का उचित मूल्य माप एक बाजार सहभागी की संपत्ति को उसके उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग में उपयोग करके या किसी अन्य बाजार सहभागी को बेचकर आर्थिक लाभ उत्पन्न करने की क्षमता को ध्यान में रखता है जो परिसंपत्ति का उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग में उपयोग करेगा।.

कंपनी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं और जिसके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध है, प्रासंगिक अवलोकन योग्य इनपुट के उपयोग को अधिकतम करने और अप्राप्य इनपुट के उपयोग को कम करने के लिए।

सभी परिसंपत्तियां और देनदारियां जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य को मापा या प्रकट किया गया है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया गया है, जो कि निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर वर्णित है, जो समग्र रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है:

- स्तर 1 समान आस्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य
- स्तर 2 मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर का इनपुट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखने योग्य है
- स्तर 3 मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर का इनपुट अवलोकनीय नहीं है।

वित्तीय विवरणों में नियमित रूप से पहचाने जाने वाले आस्तियों और देनदारियों के लिए, कंपनी यह निर्धारित करती है कि वर्गीकरण का पुनर्मूल्यांकन करके पदानुक्रम में स्तरों के बीच प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में स्थानांतरण हुआ है (निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर जो समग्र रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है)।

(xxiii) राजस्व स्वीकृति

❑ **ब्याज आय**

ब्याज आय का लेखा परिशोधन लागत पर मापी गई सभी वित्तीय परिसम्पत्तियों (सिवाय इसके कि कंपनी क्रेडिट अक्षम वित्तीय परिसम्पत्तियों पर ब्याज आय को मान्यता नहीं दे रही है) पर किया जाता है। इंड एएस 109, वित्तीय साधनों के अनुरूप प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके ब्याज आय की पहचान की जाती है। प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) वह दर है जो प्रारंभिक मान्यता पर उस परिसंपत्ति की शुद्ध वहन राशि के लिए वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवन के माध्यम से अनुमानित भविष्य की नकद प्राप्तियों को सटीक रूप से छूट देती है। ईआईआर की गणना लेन–देन लागतों और शुल्कों को ध्यान में रखते हुए की जाती है जो इंड एएस 109 के अनुरूप ईआईआर का एक अभिन्न अंग हैं। क्रेडिट अक्षम संपत्ति पर ब्याज आय प्राप्ति के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

उधारकर्ताओं द्वारा ब्याज के समय पर भुगतान के कारण छूट को संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार, समय पर देय संपूर्ण ब्याज राशि प्राप्त होने पर मान्यता दी जाती है और संबंधित ब्याज आय के सापेक्ष निवल किया जाता है।

ऋण बाधित आस्तियों से वसूल की गई राशियों का विनियोजन निम्नलिखित तरीके से किया जाता है:

1. अनुषंगी प्रभार
2. ब्याज
3. बकाया मूलधन

❑ **अन्य राजस्व**

- राजस्व (उन मदों के अलावा जिन पर इंड एएस 109 वित्तीय लिखत लागू हैं) को इंड एएस 115 के अनुसार मान्यता प्राप्त है ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व ग्राहकों के साथ अनुबंधों से उत्पन्न होने वाले राजस्व के लिए लेखांकन के एकल व्यापक मॉडल की रूपरेखा तैयार करता है। कंपनी इंड 115 में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व की पहचान करती है।

- सौर संयंत्र से राजस्व

  सोलर प्लांट से होने वाली आय को तब पहचाना जाता है जब समय के साथ निष्पादन दायित्व पूरा हो जाता है।

- शुल्कों और आयोग से राजस्व

  शुल्क और कमीशन को समय के आधार पर मान्यता दी जाती है जब ऐसा शुल्क एकत्र करने की संभावना स्थापित हो जाती है।

(xxiv) व्यय

खर्चों का हिसाब प्रोद्भवन के आधार पर लेखांकित किया जाता है। 50000 रुपए तक के पूर्वदत्त व्ययों को जब कभी किया / समायोजित / प्राप्त किया जाता है, लाभ हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

टिप्पणी 2: नकद और नकद समतुल्य (लाख रुपए में)

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
I. नकद और नकद समतुल्य		
(क) हस्तगत नकद	-	-
(ख) बैंकों में शेष :-		
(क) बैंकों में चालू खाता		
- भारतीय शाखाओं में	21,891.28	50,865.90
- विदेशी शाखाओं में		
(i) अमरीकी डॉलर में	9.95	2,585.08
(ख) जमा खाता (मूल परिपक्वता 3 महीने से कम)		
अल्पावधिक जमा	-	45,374.52
(ग) बचत बैंक खाता		
- भारतीय शाखाओं में	200.33	10.19
(ग) वसूली के तहत हस्तगत चेक/डीडी और डाक अग्रदाय	0.27	0.35
कुल (क+ख+ग)	**22,101.83**	**98,836.04**

ऊपर प्रस्तुत रिपोर्टिंग अवधियों के अंत में नकद और नकद समतुल्यों के संबंध में कोई प्रत्यावर्तन प्रतिबंध नहीं हैं।

टिप्पणी 3: नकद और नकद समतुल्यों में शामिल के अलावा अन्य बैंक शेष

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
क. बैंकों के पास चिह्नित शेष		
क) चालू खाते में		
- एमएनआरई	2.15	2.15
- एमएनआरई भारत सरकार के पूर्ण सर्विस बॉण्ड (देखें टिप्पणी 38(33)	353.11	358.26
- इरेडा (बॉण्डों पर ब्याज)	134.73	47.58
- इरेडा लाभांश खाता	0.10	0.10
- एमएनआरई सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम का कार्यान्वयन (एसडब्ल्यूएचएस)	-	357.95
उप–योग (क)	**490.10**	**766.04**
ख) बचत खाते में		
- एमएनआरई एमएनआरई यूएनडीपी खाता	54.95	56.07
- एमएनआरई राष्ट्रीय हाईड्रोजन ऊर्जा बोर्ड	0.06	0.06
- इरेडा एमएनआरई उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) निधि (देखें टिप्पणी 38(32)	685.38	1,500.70
- एमएनआरई रूफटॉप और अन्य छोटे सौर ऊर्जा संयंत्र	762.35	10,955.34

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
- एमएनआरई चैनल भागीदारों के लिए पूंजी सब्सिडी (देखें 38(32)	0.00	5,794.61
- इरेडा स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ)	8,472.94	4,078.16
- एमएनआरई – राज्यों का नवीकरणीय ऊर्जा संघ (एआरईएएस)	0.01	0.01
- एमएनआरई – अमरीका–भारत स्वच्छ ऊर्जा वित्त सुविधा (यूनीसेफ) योजना	95.26	765.59
उप–योग (ख)	**10,070.96**	**23,150.55**
ग) जमा खाते में (भारतीय रुपए)		
- इरेडा [1]	38.48	36.44
- एमएनआरई	17.25	17.25
- एमएनआरई सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम का कार्यान्वयन (एसडब्ल्यूएचएस)	369.86	-
- एमएनआरई – राष्ट्रीय हाईड्रोजन ऊर्जा बोर्ड	6.20	5.74
- एमएनआरई – इरेडा सह उत्पादन	37.14	35.31
- इरेडा स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ)	22,597.19	23,382.05
- एमएनआरई भारत सरकार के पूर्ण सर्विस बॉण्ड (देखें टिप्पणी 38(33)	861.39	855.29
- एमएनआरई एमएनआरई रूफटॉप और अन्य छोटे सौर ऊर्जा संयंत्र)	2,000.00	-
उप–योग (ग)	25,927.51	24,332.06
घ) जमा खाते में (विदेशी मुद्रा)		
- डॉलर जमा (एडीबी) [2]	1,740.73	5,215.30
उप–योग (घ)	**1,740.73**	**5,215.30**
उप–योग (क)=(क+ख+ग+घ)	**38,229.29**	**53,463.95**
ख. जमा खाता (मूल रूप से 3 महीने से अधिक परिपक्वता)		
- भारतीय रुपए में आवधिक जमा	-	5,271.76
उप–योग (ख)	**-**	**5,271.76**
कुल (क+ख)	**38,229.29**	**58,735.71**

कंपनी भारत सरकार की कुछ योजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। योजना के तहत विभिन्न एजेंसियों को संवितरण के लिए प्राप्त धन को एक अलग बैंक खाते में रखा जाता है। योजना के लिए असंवितरित निधि (उस पर ब्याज सहित, यदि कोई हो) योजना की निर्दिष्ट निधि के रूप में प्रस्तुत की जाती है। देखें टिप्पणी 38 (31).

---

[1] 38.48 लाख रुपये (पिछले वर्ष 36.44 लाख रुपये) की राशि एफडीआर के रूप में रखी गई, जिसमें माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित सिविल विविध रिट याचिका संख्या 28928 2009 में पारित आदेश दिनांक 31.07.2009 के अनुसार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, खन्ना मार्केट, लोधी रोड, नई दिल्ली के पास दो बॉन्ड धारकों अर्थात मेसर्स द बंगाल क्लब लिमिटेड और सुश्री माया एम. चुलानी को भुगतान के लिए ब्याज शामिल है।

[2] कंपनी ने बैंक ऑफ बड़ौदा से डॉलर जमा के बदले ऋण लिया है (जो टिप्पणी 20 के तहत दर्शाया गया है)।

टिप्पणी 4 : डेरिवेटिव वित्तीय लिखत

कंपनी विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम की हेजिंग के लिए डेरिवेटिव अनुबंध करती है। देनदारियों को हेज करने के लिए डेरिवेटिव लेन–देन में फॉरवर्ड, ब्याज दर स्वैप, क्रॉस करेंसी स्वैप आदि शामिल हैं। ये डेरिवेटिव लेन–देन हेजिंग उद्देश्य के लिए किए जाते हैं न कि ट्रेडिंग या सट्टा उद्देश्य के लिए।

विवरण	31 मार्च, 2021 को			31 मार्च, 2020 को		
भाग I	**सांकेतिक राशियां**	**उचित मूल्य – परिसम्पत्तियां**	**उचित मूल्य – देनदारियां**	**सांकेतिक राशियां**	**उचित मूल्य – परिसम्पत्तियां**	**उचित मूल्य – देनदारियां**
(i) करंसी डेरिवेटिव:-						
मूलधन केवल स्वैप	768,787.29	39,117.62	9,137.96	766,757.90	66,990.78	6,788.00
विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध	-	-	-	-	-	-
उप–योग कुल (i)	**768,787.29**	**39,117.62**	**9,137.96**	**766,757.90**	**66,990.78**	**6,788.00**
(ii) बयाज दर डेरिवेटिव :-						
क्रॉस करंसी ब्याज दर स्वैप	53,075.64	1,191.39	45.20	73,776.35	4,265.21	-
उप–योग (ii)	**53,075.64**	**1,191.39**	**45.20**	**73,776.35**	**4,265.21**	**-**
डेरिवेटिव वित्तीय लिखत (i+ii)	**821,862.93**	**40,309.01**	**9,183.16**	**840,534.25**	**71,255.99**	**6,788.00**

भाग I	31 मार्च, 2021 को			31 मार्च, 2020 को		
	सांकेतिक राशियां	**उचित मूल्य – परिसम्पत्तियां**	**उचित मूल्य – देनदारियां**	**सांकेतिक राशियां**	**उचित मूल्य – परिसम्पत्तियां**	**उचित मूल्य – देनदारियां**
उपरोक्त में शामिल (भाग I) हेजिंग और जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए धारित डेरिवेटिव हैं जो निम्नानुसार हैं:-						
(i) नकद प्रवाह हेजिंग:-						
करंसी डेरिवेटिव	741,731.33	37,700.50	9,137.96	702,287.06	60,797.70	6,788.00
ब्याज दर डेरिवेटिव	53,075.64	1,191.39	45.20	73,776.35	4,265.21	-
उप–योग (i)	**794,806.97**	**38,891.89**	**9,183.16**	**776,063.41**	**65,062.91**	**6,788.00**
(ii) अनिर्दिष्ट डेरिवेटिव:–						
करंसी डेरिवेटिव	27,055.96	1,417.12	-	64,470.84	6,193.08	-
ब्याज दर डेरिवेटिव	-	-	-	-	-	-
उप–योग (ii)	**27,055.96**	**1,417.12**	**-**	**64,470.84**	**6,193.08**	**-**
कुल डेरिवेटिव वित्तीय लिखत (i) + (ii)	**821,862.93**	**40,309.01**	**9,183.16**	**840,534.25**	**71,255.99**	6,788.00

जोखिम एक्सपोजर के लिए देखें टिप्पणी संख्या 38 (38)

टिप्पणी 5 : प्राप्य

कारोबार प्राप्य

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
क कारोबार प्राप्य		
(क) शोध्य माने गए प्राप्य – प्रत्याभूत	-	-
(ख) शोध्य माने गए प्राप्य – अप्रत्याभूत	297.66	312.98
(ग) वे प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-
(घ) क्रेडिट अक्षम प्राप्य	-	-
उप–योग (क)	297.66	312.98
अक्षमता हानि के लिए भत्ता (ख)	-	-
कुल (क+ख)	**297.66**	**312.98**

टिप्पणी 6: ऋण

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को परिशोधित लागत पर	31 मार्च, 2020 को परिशोधित लागत पर
क) ऋण		
आवधिक ऋण	2,785,392.12	2,354,784.13
फ्रंट एंड शुल्क समायोजन	-7,462.93	-5,575.09
परिशोधित लागत पर सकल ऋण	**2,777,929.18**	**2,349,209.04**
एमएनआरई के घटकों को ऋण		
एमएनआरई के घटकों को ऋण	254.77	254.77
एमएनआरई ऋणों पर उपचित ब्याज और देय	664.69	664.69
कर्मचारियों को ऋण	261.37	301.47
संबंधित पक्षकारों को ऋण	3.21	11.09
ऋणों पर उपचित और देय ब्याज	3,620.26	19,681.55
उपचित निर्णीत हर्जाने और देय	35.78	61.05
ऋणों पर उपचित किंतु अदेय ब्याज	1,257.86	1,240.84
संबंधित पक्षकार के ऋणों पर उपचित किंतु अदेय ब्याज	8.74	10.74
कुल (क) – सकल	**2,784,035.87**	**2,371,435.24**
घटाएं: अक्षमता हानि भत्ता	93,471.56	73,666.55
कुल (क) – निवल	**2,690,564.31**	**2,297,768.68**
(ख) उपर्युक्त का उप–वर्गीकरण:		
प्रतिभूति–वार वर्गीकरण		
(i) अमूर्त परिसम्पत्तियों द्वारा प्रत्याभूत		
आवधिक ऋण	2,437,369.42	2,062,536.52
कर्मचारियों को ऋण	261.37	301.47

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को परिशोधित लागत पर	31 मार्च, 2020 को परिशोधित लागत पर
कर्मचारियों को ऋण	3.21	11.09
ऋणों पर उपचित और देय ब्याज	3,620.26	19,681.55
उपचित निर्णीत हर्जाने और देय	35.78	61.05
ऋणों पर उपचित किंतु अदेय ब्याज	1,257.86	1,240.84
संबंधित पक्षकार के ऋणों पर उपचित किंतु अदेय ब्याज	8.74	10.74
एमएनआरई के घटकों को ऋण		
एमएनआरई के घटकों को ऋण	254.77	254.77
एमएनआरई ऋणों पर उपचित ब्याज और देय	664.69	664.69
(ii) अमूर्त परिसम्पत्तियों द्वारा प्रत्याभूत	-	-
(iii) बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा कवर		
बैंक गारंटी द्वारा प्रत्याभूत आवधिक ऋण	14,516.95	-
(iv) अप्रत्याभूत		
आवधिक ऋण	326,042.81	286,672.52
कुल (ख) – सकल	**2,784,035.87**	**2,371,435.24**
घटाएं: अक्षमता हानि भत्ता	93,471.56	73,666.55
कुल (ख) – निवल	**2,690,564.31**	**2,297,768.68**
(ग) (I) भारत में ऋण		
(i) सार्वजनिक क्षेत्र	692,445.66	428,484.42
(ii) अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाना है)	2,091,590.21	1,942,950.82
कुल (ग) (I) सकल	**2,784,035.87**	**2,371,435.24**
घटाएं: अक्षमता हानि भत्ता	93,471.56	73,666.55
कुल (ग) (I) – निवल	**2,690,564.31**	**2,297,768.68**
(ग) (II) भारत के बाहर ऋण	-	-
घटाएं: अक्षमता हानि भत्ता	-	-
कुल (ग) (II)- निवल	-	-
कुल ग (I) और ग (II)	**2,690,564.31**	**2,297,768.68**

31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने उधारकर्ताओं को पत्र भेजे हैं, ऐसे मामलों में जहां ऋण वापस ले लिया गया है या अदालत/एनसीएलटी के समक्ष लंबित है, जिसमें उधारकर्ताओं को 31.03.2021 तक शेष राशि की पुष्टि करने की मांग की गई है। उक्त शेष राशि के 9.62 प्रतिशत की पुष्टि प्राप्त हो चुकी है। शेष ऋण परिसंपत्तियों में से रु. 2,517,507.77 लाख जिनके लिए शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है, 78.05 प्रतिशत ऋण मूर्त प्रतिभूतियों द्वारा प्रत्याभूत हैं, 21.93 प्रतिशत सरकारी गारंटी/सरकार को ऋण के रूप में और 0.02 प्रतिशत अप्रत्याभूत ऋण हैं।

क्रेडिट जोखिम पर प्रकटीकरण के लिए, टिप्पणी 38 (38) देखें।

टिप्पणी 7: निवेश

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को लागत*	31 मार्च, 2020 को लागत*
(क) निवेश		
कुल – सकल (क)	-	-
(ख) उपर्युक्त का उप–वर्गीकरण :		
(i) भारत से बाहर निवेश	-	-
(ii) भारत में निवेश	-	-
कुल (ख)	-	-
घटाएं: अक्षमता हानि के लिए भत्ता (ग)	-	-
कुल – निवल (घ)=(क)-(ग)	-	-

*सहयोगी कम्पनी में निवेश को इंड एएस 28 के अनुसार लागत पर मापा गया है।

टिप्पणी 8 : अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को परिशोधित लागत पर	31 मार्च, 2021 को परिशोधित लागत पर
प्रतिभूति जमा राशियां	80.84	45.21
कर्मचारियों को अग्रिम	31.79	36.41
संबंधित पक्षकारों को अग्रिम	-	1.90
अन्य प्राप्य:–		
एफडीआर – कर्जदार	1,922.57	1,927.72
वाणिज्यिक पत्र	6,899.11	6,899.11
घटाएं: अक्षमता हानि भत्ता	-6,899.11	-6,899.11
अन्य	243.56	475.20
कुल	**2,278.75**	**2,486.44**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

टिप्पणी 9: चालू कर परिसम्पत्तियां (निवल)

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
जमा किया गया आयकर – पिछले वर्षों में	1,24,635.79	1,07,300.28
घटाएं: कर के लिए प्रावधान – पिछले वर्षों में	1,06,789.39	92,389.39
निवल कर परिसम्पत्तियां/(देनदारियां) – पिछले वर्षों में	**17,846.40**	**14,910.89**
अग्रिम आयकर और टीडीएस – चालू वर्ष	13,899.62	15,995.51
घटाएं: कर के लिए प्रावधान – चालू वर्ष	20,900.00	14,400.00
निवल कर परिसम्पत्तियां/(देनदारियां) – चालू वर्ष	**-7,000.38**	**1,595.51**
कुल	**10,846.02**	**16,506.40**

टिप्पणी 10: आस्थगित कर परिसम्पत्तियां/देनदारियां (निवल)

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
लाभ और हानि खंड		
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां		
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	132.31	102.05
ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	0.00	0.08
चिकित्सा सेवानिवृत्ति के लिए प्रावधान	214.64	160.82
बीमारी छुट्टी के लिए प्रावधान	95.53	87.38
बैगेज भत्ते के लिए प्रावधान	4.51	3.69
निष्पादन प्रोत्साहन राशि के लिए प्रावधान	230.87	281.40
अक्षमता के लिए प्रावधान	35,803.60	28,313.22
फ्रंट एंड शुल्क – बहियों में आस्थगित	328.68	367.83
उप–योग	**36,810.14**	**29,316.47**
आस्थगित कर देनदारियां		
मूल्यह्रास	5,197.09	5,047.92
विदेशी मुद्रा हानि परिवर्तन भिन्नता	10,457.34	9,951.61
बंधपत्र	91.99	104.55
उप–योग	**15,746.42**	**15,104.07**
कुल (क)	**21,063.72**	**14,212.40**
ओसीआई खंड		
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां		
ग्रेच्युटी पर बीमांकिक हानि	-0.00	13.57

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ पर बीमांकिक हानि	35.58	37.87
बैगेज भत्ते पर बीमांकिक हानि	-0.08	0.26
उप–योग	**35.49**	**51.70**
कुल (ख)	**35.49**	**51.70**
निवल आस्थगित कर परिसम्पत्तियां/देनदारियां (क+ख)	**21,099.21**	**14,264.10**

टिप्पणी 11: निवेश सम्पत्ति

(लाख रुपए में)

विवरण		निवेश सम्पत्ति (भवन – आवासीय)
सकल ब्लॉक		
01 अप्रैल, 2019 को शेष		8.75
संवर्धन		-
घटाएं: निपटान/बिक्री/अंतरण		-
31 मार्च, 2020 को शेष		**8.75**
संवर्धन		-
घटाएं: निपटान/बिक्री/अंतरण		-
31 मार्च, 2021 को शेष		**8.75**
संचित मूल्यह्रास		
31 मार्च, 2019 को शेष		**2.65**
परिशोधन व्यय		1.01
घटाएं: निपटान/बिक्री/अंतरण पर हटाई गई राशि		-
31 मार्च, 2020 को शेष		**3.66**
मूल्यह्रास व्यय		0.84
घटाएं: निपटान/बिक्री/अंतरण पर हटाई गई राशि		-
31 मार्च, 2021 को शेष		**4.50**
वाहित राशि		
31 मार्च, 2020 को		**5.09**
31 मार्च, 2021 को		**4.25**

देखें टिप्पणी 38(19).

टिप्पणी 12: संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर *

(लाख रुपए में)

विवरण	भवन				संयंत्र और मशीनरी		वाहन	फर्नीचर और फिक्सचर	कार्यालय उपस्कर	लाइब्रेरी	कुल
	लीजहोल्ड– आईएचसी**	लीजहोल्ड – एकेबी**	चेन्नई में कार्यालय स्थल	सौर संयंत्र	सौर संयंत्र	कम्प्यूटर					
सकल ब्लॉक											
01 अप्रैल, 2018 को शेष	**172.34**	**2,110.10**	**129.93**	**2,181.53**	**28,636.54**	**103.35**	**39.25**	**80.44**	**28.47**	**-**	**33,481.96**
वर्ष के दौरान संवर्धन	-	-	-	57.95	754.76	390.59	16.65	8.33	3.86	-	1,232.14
Less: Disposals/Sale/Transfer during the year	-	-	-	-	-	1.73	-	0.28	0.77	-	2.77
01 अप्रैल, 2019 को शेष	**172.34**	**2,110.10**	**129.93**	**2,239.49**	**29,391.30**	**492.21**	**55.89**	**88.49**	**31.56**	**-**	**34,711.32**
वर्ष के दौरान संवर्धन	-	-	-	-	-	6.05	-	5.91	4.49	-	16.45
समायोजन / पुनःवर्गीकरण	-172.34	-2,110.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,282.45
घटाएं: निपटान / बिक्री / अंतरण वर्ष के दौरान	-	-	-	-	-	5.48	-	2.35	3.17	-	10.99
01 अप्रैल, 2020 को शेष	**0.00**	**-0.00**	**129.93**	**2,239.49**	**29,391.30**	**492.78**	**55.89**	**92.05**	**32.89**	**-**	**32,434.33**
वर्ष के दौरान संवर्धन	-	-	-	-	-	152.99	-	5.59	35.52	0.02	194.12
समायोजन / पुनःवर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घटाएं: निपटान / बिक्री / अंतरण वर्ष के दौरान	-	-	-	-	-	73.42	-	4.71	2.50	-	80.64
01 अप्रैल, 2021 को शेष	**0.00**	**-0.00**	**129.93**	**2,239.49**	**29,391.30**	**572.34**	**55.89**	**92.93**	**65.91**	**0.02**	**32,547.81**
संचित मूल्यह्रास											
31 मार्च, 2019 को शेष	**38.73**	**431.12**	**23.51**	**260.77**	**3,396.11**	**217.14**	**25.23**	**39.15**	**10.11**	**-**	**4,441.87**
समायोजन / पुनःवर्गीकरण	-38.73	-431.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-469.85
मूल्यह्रास व्यय	-	-	10.11	132.77	1,729.11	106.52	9.50	10.45	4.02	-	2,002.49
घटाएं: निपटान / बिक्री / अंतरण पर विलोपन	-	-	-	-	-	4.67	-	1.48	2.42	-	8.57
31 मार्च, 2020 को शेष	**-**	**-**	**33.62**	**393.53**	**5,125.23**	**318.99**	**34.73**	**48.12**	**11.71**	**-**	**5,965.93**

(लाख रुपए में)

विवरण	भवन				संयंत्र और मशीनरी		वाहन	फर्नीचर और फिक्सचर	कार्यालय उपस्कर	लाइब्रेरी	कुल
	लीजहोल्ड– आईएचसी**	लीजहोल्ड – एकेबी**	चेन्नई में कार्यालय स्थल	सौर संयंत्र	सौर संयंत्र	कम्प्यूटर					
Adjustment / Reclassification	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मूल्यह्रास व्यय	-	-	9.15	132.77	1,729.11	127.22	6.49	8.99	6.54	0.02	2,020.29
घटाएं: निपटान / बिक्री / अंतरण पर विलोपन	-	-	-	-	-	69.27	-	4.47	2.31	-	76.04
31 मार्च, 2021 को शेष	**-**	**-**	**42.77**	**526.30**	**6,854.34**	**376.94**	**41.22**	**52.64**	**15.94**	**0.02**	**7,910.18**
वाहित राशि											
31 मार्च, 2020 को	**0.00**	**-0.00**	**96.31**	**1,845.95**	**24,266.07**	**173.79**	**21.17**	**43.94**	**21.18**	**-**	**26,468.39**
31 मार्च, 2021 को	**0.00**	**-0.00**	**87.16**	**1,713.18**	**22,536.96**	**195.40**	**14.68**	**40.29**	**49.96**	**-**	**24,637.63**

*इंड एएस में परिवर्तन की तारीख के अनुसार कंपनी ने पिछले जीएएपी के अनुसार मापी गई अपने पीपीई के लिए वाहित मूल्यों के साथ जारी रहने का विकल्प चुना है।

**इंड एएस 115 के पैरा ग11 के अनुसार, जिन पट्टों को इंड एएस17 लागू करते हुए वित्तीय पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया था उनके मामले में, प्रारंभिक आवेदन की तारीख को पट्टा देनदारी और प्रयोगाधिकार परिसम्पत्ति की वाहित राशि, इंड एएस को लागू करते हुए मापी गई तारीख से तुरंत पहले की पट्टा परिसम्पत्ति और पट्टा देनदारी की वाहित राशि होगी। इस प्रकार, इंडिया हेबीटेट सेंटर (आईएचसी) और अगस्त क्रांति भवन (एकेबी) स्थित लीजहोल्ड सम्पत्ति के मामले में पट्टा परिसम्पत्ति की वाहित राशि के मामले में, कम्पनी ने इंड एएस 116 के अनुसार प्रयोगाधिकार परिसम्पत्ति के रूप में इसी राशि का आगे वहन किया है। देखें टिप्पणी 38(12)।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

टिप्पणी 13: पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी)

(लाख रुपए में)

विवरण	राशि
पूंजीगत कार्य प्रगति पर – भवन	
31 मार्च, 2019 को शेष	0.86
वर्ष के दौरान संवर्धन	-
पूंजीगत की गई उधार लागत	-
घटाएं: सम्पत्ति संयंत्र और उपस्कर/निवेश सम्पत्ति में अंतरण	-
31 मार्च, 2020 को शेष	**0.86**
वर्ष के दौरान संवर्धन	-
पूंजीगत की गई उधार लागत	-
घटाएं: सम्पत्ति संयंत्र और उपस्कर/निवेश सम्पत्ति में अंतरण	-
31 मार्च, 2021 को शेष	**0.86**

टिप्पणी 14: प्रयोगाधिकार परिसम्पत्ति

(लाख रुपए में)

विवरण	राशि					
	भवन				भूमि	Total
प्रयोगाधिकार परिसम्पत्ति	आरआईएनएल कार्यालय	लीजहोल्ड – आईएचसी	लीजहोल्ड – एकेबी	मुंबई कार्यालय	सौर संयंत्र – केरल	
31 मार्च, 2019 को शेष	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान संवर्धन	173.27	-	-	-	-	173.27
समायोजन/पुनःवर्गीकरण	-	172.34	2,110.10	-	-	2,282.45
31 मार्च, 2020 को शेष	**173.27**	**172.34**	**2,110.10**	**-**	**-**	**2,455.71**
वर्ष के दौरान संवर्धन	-	-	-	109.27	433.34	542.61
समायोजन/पुनःवर्गीकरण	-173.27	-	-	-	-	-173.27
31 मार्च, 2021 को शेष	**-**	**172.34**	**2,110.10**	**109.27**	**433.34**	**2,825.06**
संचित मूल्यह्रास						
01 अप्रैल, 2019 को शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
समायोजन/पुनःवर्गीकरण	-	38.73	431.12	-	-	469.85
मूल्यह्रास व्यय	74.26	15.71	181.30	-	-	271.27
01 अप्रैल, 2020 को शेष	**74.26**	**54.44**	**612.42**	**-**	**-**	**741.12**
मूल्यह्रास व्यय	43.32	13.71	161.72	11.84	9.08	239.67
समायोजन/पुनःवर्गीकरण	-117.57	-	-	-	-	-117.57
31 मार्च, 2021 को शेष	**-**	**68.15**	**774.14**	**11.84**	**9.08**	**863.22**
वाहित राशि						
31 मार्च, 2020 को	**99.01**	**117.90**	**1,497.68**	**-**	**-**	**1,714.60**
31 मार्च, 2021 को	**-**	**104.19**	**1,335.96**	**97.43**	**424.26**	**1,961.84**

देखें टिप्पणी 38(12)

टिप्पणी 15: विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियां

(लाख रुपए में)

विवरण	विकासाधीन सोफ्टवेयर
01 अप्रैल, 2019 को शेष	**-**
वर्ष के दौरान संवर्धन	-
घटाएं: अमूर्त परिसम्पत्तियों में अंतरण	-
31 मार्च, 2020 को शेष	**-**
वर्ष के दौरान संवर्धन	-
घटाएं: अमूर्त परिसम्पत्तियों में अंतरण	-
31 मार्च, 2021 को शेष	**-**

टिप्पणी 16 : अमूर्त परिसम्पत्तियां

(लाख रुपए में)

विवरण	कम्प्यूटर सोफ्टवेयर
सकल ब्लॉक	
01 अप्रैल, 2019 को शेष	**41.84**
वर्ष के दौरान संवर्धन	1.33
घटाएं: निपटान/बिक्री/अंतरण	-
31 मार्च, 2020 को शेष	**43.18**
अवधि के दौरान संवर्धन	0.82
घटाएं: निपटान/बिक्री/अंतरण	-
31 मार्च, 2021 को शेष	**43.99**
संचित मूल्यह्रास	
01 अप्रैल, 2019 को शेष	**20.35**
परिशोधन व्यय	6.44
घटाएं: निपटान/बिक्री/अंतरण पर हटाई गई राशि	-
31 मार्च, 2020 को शेष	**26.79**
परिशोधन व्यय	6.60
घटाएं: निपटान/बिक्री/अंतरण पर हटाई गई राशि	-
31 मार्च, 2021 को शेष	**33.39**
वाहित राशि	
31 मार्च, 2020 को	**16.39**
31 मार्च, 2021 को	**10.61**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

टिप्पणी 17: अन्य गैर वित्तीय परिसम्पत्तियां

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम (एनबीसीसी परिसर में पार्किंग सहित कार्यालय और आवास परिसर की खरीद के लिए)।	12,663.03	12,647.83
भारत सरकार के पूर्ण सर्विसड बॉण्ड का प्राप्य धन (देखें टिप्पणी 38(33))	1,63,879.20	1,63,879.20
	248.82	204.81
अन्य अग्रिम	153.32	76.66
कुल	**1,76,944.37**	**1,76,808.49**

टिप्पणी 18: देय

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
कारोबार प्राप्य		
(i) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	43.12	45.09
(ii) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों से भिन्न क्रेडिटरों की कुल बकाया देयताएं	7,972.49	6,535.05
कुल	**8,015.61**	**6,580.14**

टिप्पणी 19: ऋण प्रतिभूतियां

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
	परिशोधित लागत पर	परिशोधित लागत पर
बॉण्ड:-		
(I) करमुक्त बॉण्ड – गैर परिवर्तनीय रिडीमेबल डिबेंचर (प्रत्याभूत)		
(कंपनी के ऋण और अग्रिम (बही ऋण) पर समरूप प्रभार द्वारा प्रत्याभूत।)		
(i) 8.16% कर मुक्त बंधपत्र	7,575.90	7,575.90
(श्रृंखला XIII भाग-I-IA- 2013-14)(प्रतिदेयता 13.03.2024)		
(ii) 8.41% करमुक्त बॉण्ड	10,529.14	10,529.14
(श्रृंखला XIII भाग-I-IB- 2013-14) (प्रतिदेयता 13.03.2024)		
(iii) 7.17% करमुक्त बॉण्ड	28,400.00	28,400.00
(श्रृंखला XIV निजी IC- 2015-16) (प्रतिदेयता 01.10.2025)		
(iv) 7.28 % करमुक्त बॉण्ड	10,889.06	10,889.06
(श्रृंखला XIV भाग-I-IA- 2015-16) (प्रतिदेयता 21.01.2026)		

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को परिशोधित लागत पर	31 मार्च, 2020 को परिशोधित लागत पर
(v) 7.53 % करमुक्त बॉण्ड	12,788.59	12,788.59
(श्रृंखला XIV भाग-I-IB- 2015-16) (प्रतिदेयता 21.01.2026)		
(vi) 8.55% करमुक्त बॉण्ड	12,307.69	12,307.69
(श्रृंखला XIII भाग-I-IIA- 2013-14) (प्रतिदेयता 13.03.2029)		
(vii) 8.80% करमुक्त बॉण्ड	23,455.08	23,455.08
(श्रृंखला XIII भाग-I-IIB- 2013-14) (प्रतिदेयता 13.03.2029)		
(viii) 8.56% करमुक्त बॉण्ड	3,600.00	3,600.00
(श्रृंखला XIII भाग-I-IC- 2013-14) (प्रतिदेयता 27.03.2029)		
(ix) 7.49 % करमुक्त बॉण्ड	88,426.52	88,426.52
(श्रृंखला XIV भाग-I-IIA- 2015-16) (प्रतिदेयता 21.01.2031)		
(x) 7.74 % करमुक्त बॉण्ड	48,351.53	48,351.53
(श्रृंखला XIV भाग-I-IIB- 2015-16) (प्रतिदेयता 21.01.2031)		
(xi) 8.55% करमुक्त बॉण्ड	3,881.23	3,881.23
(श्रृंखला XIII भाग-I-IIIA- 2013-14) (प्रतिदेयता 21.01.2034)		
(xii) 8.80% करमुक्त बॉण्ड	14,416.42	14,416.42
(श्रृंखला XIII भाग-I-IIIB- 2013-14) (प्रतिदेयता 21.01.2034)		
(xiii) 7.43 % करमुक्त बॉण्ड	3,644.42	3,644.42
(श्रृंखला XIV भाग-I-IIIA- 2015-16) (प्रतिदेयता 21.01.2036)		
(xiv) 7.68 % करमुक्त बॉण्ड	7,499.88	7,499.88
(श्रृंखला XIV भाग-I-IIIB- 2015-16) (प्रतिदेयता 21.01.2036)		
उप–योग (क)	**2,75,765.46**	**2,75,765.46**
(II) कर योग्य बॉण्ड – गैर परिवर्तनीय रिडीमेबल डिबेंचर (प्रत्याभूत)		
(कंपनी के ऋणों और अग्रिमों (बही ऋण) पर नकारात्मक लीयन द्वारा प्रत्याभूत।)		
(i) 8.87% कर योग्य बॉण्ड	-	15,000.00
(श्रृंखला III- 2010-11 - भाग-I) (प्रतिदेयता 24.09.2020)		
(ii) 9.49% कर योग्य बॉण्ड	30,000.00	30,000.00
(श्रृंखला IV- 2012-13) (प्रतिदेयता 04.06.2022)		
(iii) 8.44% कर योग्य बॉण्ड	30,000.00	30,000.00
(श्रृंखला VA- 2013-14) (प्रतिदेयता 10.05.2023)		
(iv) 9.02% कर योग्य बॉण्ड	25,000.00	25,000.00
(श्रृंखला III- 2010-11 - भाग II) (प्रतिदेयता 24.09.2025)		
(v) 8.12% कर योग्य हरित बॉण्ड	20,000.00	20,000.00
(श्रृंखला VI A - 2016-17) (प्रतिदेयता 24.03.2027)		

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
	परिशोधित लागत पर	परिशोधित लागत पर
(vi) 8.05% कर योग्य हरित बॉण्ड	50,000.00	50,000.00
(श्रृंखला VI B - 2016-17) (प्रतिदेयता 29.03.2027)		
(vii) 8.49% कर योग्य बॉण्ड	20,000.00	20,000.00
(श्रृंखला VB- 2013-14) (प्रतिदेयता 10.05.2028)		
(viii) 8.51% कर योग्य बॉण्ड	27,500.00	27,500.00
(श्रृंखला VIIA- 2018-19) (प्रतिदेयता 03.01.2029)		
घटाएं: उपर्युक्त पर संव्यवहार लागत	21.01	22.88
	27,478.99	27,477.12
(ix) 8.47% कर योग्य बॉण्ड	59,000.00	59,000.00
(श्रृंखला VIIB- 2018-19) (प्रतिदेयता 17.01.2029)		
घटाएं: उपर्युक्त पर संव्यवहार लागत	21.08	22.94
	58,978.92	58,977.06
(x) 8% कर योग्य बॉण्ड	1,00,000.00	1,00,000.00
(श्रृंखला IX A- 2019-20) (प्रतिदेयता 24.09.2029)		
घटाएं: उपर्युक्त पर संव्यवहार लागत	22.30	24.10
	99,977.70	99,975.90
(xi) 7.40% कर योग्य बॉण्ड	80,300.00	80,300.00
(श्रृंखला IX B- 2019-20) (प्रतिदेयता 03.03.2030)		
घटाएं: उपर्युक्त पर संव्यवहार लागत	42.84	46.16
	80,257.16	80,253.84
उप–योग (ख)	**4,41,692.76**	**4,56,683.92**
III) मसाला बॉण्ड (अप्रत्याभूत)		
(i) 7.125% हरित मसाला बॉण्ड	1,95,000.00	1,95,000.00
(श्रृंखला I- 2017-18) (प्रतिदेयता 10.10.2022)		
घटाएं: उपर्युक्त पर संव्यवहार लागत	432.06	690.74
	1,94,567.94	1,94,309.26
उप–योग (ग)	**1,94,567.94**	**1,94,309.26**
कुल बॉण्ड (क+ख+ग)	**9,12,026.16**	**9,26,758.64**
भारत में ऋण प्रतिभूतियां	7,17,458.22	7,32,449.38
भारत से बाहर ऋण प्रतिभूतियां	1,94,567.94	1,94,309.26
कुल	**9,12,026.16**	**9,26,758.64**

टिप्पणी:

इरेडा द्वारा जारी कर योग्य बांड में बांडों को फिर से जारी करने के लिए संबंधित बांडों के सूचना ज्ञापन में खंड होता है।

वर्ष के दौरान, कम्पनी ने 8.87% कर योग्य बॉण्ड रिडीम किए हैं। श्रृंखला III-A 2010-11 (आईएसआईएन: INE202E07054) रुपए 15,000.00 लाख के (गत वर्ष: 8.85% कर योग्य बॉण्ड. (श्रृंखला II- 2009-10) (आईएसआईएन: INE202E07047); रुपए 15,000.00 लाख के) जिसके लिए इरेडा के पास पुनः जारी करने के उद्देश्य से ऐसे बॉण्डों को सक्रिय रखने का अधिकार था।

टिप्पणी 20: उधार राशियां (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को परिशोधित लागत पर	31 मार्च, 2020 को परिशोधित लागत पर
(क) आवधिक ऋण-		
(I) बैंकों से		
क. आवधिक ऋण – प्रत्याभूत		
(i) बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) से (भारतीय रुपए में ऋण) – ऋण–I	-	961.26
(बीओबी लंदन में अमरीकी डॉलर जमा द्वारा प्रत्याभूत)		
(15.01.2003 से 15.07.2020 तक छमाही आधार पर चुकौती। 19,147,506 रुपये से रु. 96,126,342 के बीच की किश्तें।		
(ii) एशिया विकास बैंक (एडीबी) से – ऋण–।	1,784.89	5,240.73
(ऋण और अग्रिम (बुक ऋण) पर समरूप प्रभार द्वारा प्रत्याभूत और आगे भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
(15.01.2003 से 15.07.2021 तक छमाही आधार पर चुकौती किश्तों में 398,900 अमेरिकी डॉलर से 2,428,269 अमेरिकी डॉलर के बीच)		
(iii) क्रेडिटांस्टाल्ट फ्यूअर वीदेरौफ्बाआ (केएफडब्ल्यू) से – ऋण-V	63,442.05	69,936.90
ऋण और अग्रिम (बुक ऋण) पर समरूप प्रभार द्वारा प्रत्याभूत)		
(30-12-2018 से 30-12-2027 तक छमाही आधार पर चुकौती 5,263,000 यूरो की 16 किस्तों में और प्रत्येक 5,264,000 यूरो की 3 किस्तों में।)		
(iv) एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (एचडीएफसी) से ऋण-I	5,000.00	11,666.67
(ऋण और अग्रिम (बुक ऋण) पर समरूप प्रभार द्वारा प्रत्याभूत और 100 प्रतिशत कवर सहित 90 दिन तक कम्पनी की प्राप्य राशियां)		
(28.03.2019 से तिमाही आधार पर चुकौती। प्रत्येक 16,66,66,666 रुपये की 11 किस्तों में पुनर्देय शेष)		
(v) एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (एचडीएफसी) से ऋण-II	22,500.00	-
(ऋण और अग्रिम (बुक ऋण) पर समरूप प्रभार द्वारा प्रत्याभूत और 100 प्रतिशत कवर सहित 90 दिन तक कम्पनी की प्राप्य राशियां)		
(30.12.2020 से शुरू होने वाले प्रत्येक 125,000,000 रुपये की 20 समान त्रैमासिक किश्तों में चुकाने योग्य).		
(vi) एशिया विकास बैंक (एडीबी) से – ऋण-II	1,37,208.77	1,50,771.80
(भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)		
(ऋण और अग्रिम (बुक ऋण) पर समरूप प्रभार द्वारा प्रत्याभूत		

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को परिशोधित लागत पर	31 मार्च, 2020 को परिशोधित लागत पर
(15.04.2020 से 15.10.2034 तक छमाही आधार पर पुनर्भुगतान 6,666,666 अमेरिकी डॉलर की 29 समान किश्तों में और 6,666,686 अमेरिकी डॉलर की 30वीं किश्त में)		
(vii) केनरा बैंक से	-	15,000.00
(कम्पनी की मानक परिसम्पत्तियों पर ऋण और अग्रिम (बही ऋण) पर समरूप प्रभार द्वारा प्रत्याभूत)		
(बकाया सावधि ऋण 20 समान तिमाही किश्तों में चुकाया जाना है। पहली चुकौती 27.06.2021 को देय है))		
(viii) बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) स . ऋण-II	-	60,000.00
(कुल संस्वीकृत सीमा के 100 प्रतिशत प्रतिभूति कवरेज होने के अध्यधीन कम्पनी के ऋण और अग्रिम (बुक ऋण) पर समरूप प्रभार द्वारा प्रत्याभूत बुक ऋणों का दृष्टिबंधक/मानक आस्तियों से संबंधित प्राप्य ऋण).		
(31.12.2020 से 5 समान वार्षिक किश्तों में चुकौती)		
(ix) बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) से	24,799.55	-
(100% के प्रतिभूति कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्य राशियों पर पहले समरूप प्रभार द्वारा प्रत्याभूत)		
(22-02-2022 से शुरू होने वाले प्रत्येक 416,666,667 रुपये की 24 समान तिमाही किश्तों में चुकाने योग्य।) .		
उप–योग (क)	**2,54,735.26**	**3,13,577.36**
ख. आवधिक ऋण – अप्रत्याभूत		
(i) क्रेडिटांस्टाल्ट फ्यूअर वीदेरौफ्बाआ (केएफडब्ल्यू) से ऋण-I	19,201.83	19,495.85
(भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)		
(30.12.2009 से आरंभ करके 30.12.2039 तक प्रत्येक 586,451.79 यूरो की 28 किस्तों में, प्रत्येक 586,963.08 यूरो की 32 किस्तों में और 586,963 यूरो की एक किस्त में छमाही आधार पर चुकौती।)		
(ii) क्रेडिटांस्टाल्ट फ्यूअर वीदेरौफ्बाआ (केएफडब्ल्यू) से . ऋण-II	-	3,547.88
(भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)		
(30.09.2012 से 30.09.2020 तक छमाही आधार पर चुकौती प्रत्येक 2,858,000 यूरो की 16 किश्तों में और 4,272,000 यूरो की 1 किश्त में।)		
(iii) क्रेडिटांस्टाल्ट फ्यूअर वीदेरौफ्बाआ (केएफडब्ल्यू) . ऋण-III	16,623.13	16,585.84
(भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)		
(30.06.2020 से आरंभ करके 30.12.2049 तक छमाही आधार पर पुनर्भुगतान प्रत्येक 332,000 यूरो की 9 किस्तों में और प्रत्येक 333,000 यूरो की 51 किस्तों में)		

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को परिशोधित लागत पर	31 मार्च, 2020 को परिशोधित लागत पर
(iv) क्रेडिटांस्टाल्ट फ्यूअर वीदेरौफ्बाआ (केएफडब्ल्यू) ऋण-IV (भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)	38,267.56	55,367.51
(30.06.2014 से आरंभ करके 30.12.2022 तक छमाही आधार पर पुनर्भुगतान प्रत्येक 11,111,000 यूरो 16 किस्तों में और प्रत्येक 11,112,000 यूरो की 2 किस्तों में.)		
(v) क्रेडिटांस्टाल्ट फ्यूअर वीदेरौफ्बाआ (केएफडब्ल्यू) ऋण-VII	12,812.35	-
(भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)		
(15.05.2023 से आरंभ करके 15.05.2035 तक छमाही आधार पर चुकौती प्रत्येक 8,912,000 अमरीकी डालर की 5 किस्तों में, और प्रत्येक 8,913,000 अमरीकी डालर की 20 किस्तों में)		
(vi) इंटरनेशनल बैंक फॉर रीकंस्ट्रक्शन एंड डवलपमेंट (आईबीआरडी) से ऋण-II	-	1,998.86
(भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)		
(15.12.2005 से आरंभ करके 15.06.2020 तक छमाही आधार पर चुकौती 1,309,700 अमरीकी डॉलर से 2,651,500 अमरीकी डॉलर तक की किश्तों में)		
(vii) इंटरनेशनल बैंक फॉर रीकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (आईबीआरडी) से ऋणIII	8,117.93	8,325.69
(भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)		
(15.04.2022 से आरंभ करके 15.10.2035 तक छमाही आधार पर चुकौती प्रत्येक 2,677,500.00 अमेरिकी डॉलर की 27 किश्तों में और प्रत्येक 2,707,500.00 अमेरिकी डॉलर की 28वीं किश्त में)		
(viii) इंटरनेशनल बैंक फॉर रीकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (आईबीआरडी) स्वच्छ प्रौद्योगिकी निधि (सीटीएफ) से ऋण–-III	2,653.55	2,721.46
(भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)		
(15.04.2027 से आरंभ करके 15.10.2056 तक छमाही आधार पर चुकौती प्रत्येक 230,000.00 अमेरिकी डॉलर की 20 किश्तों में और प्रत्येक 460,000.00 अमेरिकी डॉलर की 40 किश्तों में।)		
उप–योग (ख)	**97,676.36**	**1,08,043.08**
बैंकों से कुल ऋण (ग=क+ख)	**3,52,411.62**	**4,21,620.44**
(II) अन्यों से		
घ. आवधिक ऋण – प्रत्याभूत		
	-	-
उप–योग (घ)	-	-
ड. आवधिक ऋण – अप्रत्याभूत		
(i) राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ) से 33 – 40 संरचित त्रैमासिक किश्तों में पुनर्देय।	6,742.93	7,710.18

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को परिशोधित लागत पर	31 मार्च, 2020 को परिशोधित लागत पर
(ii) एजेंस फ्रैन्काइज डी डेवलपमेंट (एएफडी) से. ऋण-I	40,179.53	42,632.13
(भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)		
(छमाही आधार पर चुकौती 31.07.2016 से 31.01.2031 तक प्रत्येक 2,333,333.33 यूरो की 30 किश्तों में।)		
(iii) एजेंस फ्रैन्काइज डी डेवलपमेंट (एएफडी) से – ऋण-II	73,184.15	78,897.12
(30.11.2019 से आरंभ करके 30.05.2029 तक प्रत्येक 5,000,000 यूरो की 20 किश्तों में छमाही आधार पर चुकौती।)		
(iv) जापान इंटरनेशनल कॉओपरेशन एजेंसी (जीआईसीए) से - ऋण-I	1,99,080.00	2,08,950.00
(भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)		
(20.6.2021 से आरंभ करके 20.06.2041 तक 731,720,000 जापानी येन की 1 किश्त और प्रत्येक 731,707,000 जापानी येन 40 किश्तों में छमाही आधार पर चुकौती।)		
(v)जापान इंटरनेशनल कॉओपरेशन एजेंसी (जीआईसीए) से - ऋण-II	1,98,880.92	2,08,741.05
(भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)		
(20.03.2024 से आरंभ करके 20.03.2044 तक 731,000,000 जापानी येन की 1 किश्त और प्रत्येक 730,975,000 जापानी येन की 40 किश्तों में छमाही आधार पर चुकौती।)		
(vi) यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक (ईआईबी) से - ऋण-I	1,50,457.76	1,61,340.90
(भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)		
(भाग I - 26.09.2019 से आरंभ करके 26.03.2035 तक प्रत्येक 662,000 अमरीकी डॉलर की 32 किश्तों में छमाही आधार पर चुकौती).		
(भाग II - 15.07.2020 से आरंभ करके 15.07.2036 तक प्रत्येक 1,999636.36 अमेरिकी डॉलर की 32 किस्तों में और 1,999,636.48 अमेरिकी डॉलर की एक किस्त में छमाही आधार पर चुकौती).		
(भाग III - 16.02.2021 से आरंभ करके 15.08.2036 तक छमाही आधार पर चुकौती प्रत्येक 4,005,375 अमरीकी डॉलर की 32 किश्तों में).		
(vii) यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक (ईआईबी) से. ऋण-II	43,261.19	-
(भाग I - 16.02.2021 से आरंभ करके 15.08.2036 तक छमाही आधार पर चुकौती प्रत्येक 4,005,375 अमरीकी डॉलर की 32 किश्तों में).		
(viii) भारत सरकार से ऋण	26,645.45	28,740.87
(इंटरनेशनल डवलपमेंट एजेंसी (आईडीए) के सापेक्ष – दूसरी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना ;भारतीय रुपए में ऋण))		
(15.10.2010 से आरंभ करके 15.04.2035 तक छमाही आधार पर चुकौती प्रत्येक 625,000 अमेरिकी डॉलर की 20 किश्तों में और प्रत्येक 1,250,000 अमेरिकी डॉलर की 30 किस्तों में भारतीय रुपये में देय)		
(ix) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) से - ऋण-I	2,00,000.00	-

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को परिशोधित लागत पर	31 मार्च, 2020 को परिशोधित लागत पर
(ब्याज 5.60 प्रतिशत की दर से, त्वरित पुनर्भुगतान 26.03.2024 को)		
(x) आरबीएल बैंक लिमिटेड से अल्पावधिक ऋण	15,000.00	-
(ब्याज 4.35 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से,ए 25.04.2021 को 1,000,000,000.00 रुपये की चुकौती और 01.05.2021 को 500,000,000.00 रुपए की चुकौती)		
उप–योग (ड.)	**9,53,431.94**	**7,37,012.26**
अन्यों से कुल ऋण (च=घ+ड.)	9,53,431.94	7,37,012.26
कुल आवधिक ऋण (क=ग+च)	13,05,843.56	11,58,632.70
(ख) मांग पर पुनर्देय ऋण :-		
प्रत्याभूत		
बैंकों से		
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	4,493.06	0.00
(25 प्रतिशत के मार्जिन के साथ बही ऋणों और प्राप्य राशियों पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रत्याभूत)		
बैंक ऑफ बड़ौदा	38,200.00	-
(बकाया ऋण के 125 प्रतिशत की सीमा तक, मानक परिसंपत्तियों से संबंधित बुक ऋणों और प्राप्य राशियों पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रत्याभूत)		
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	3,322.65	-
(100 प्रतिशत कवर के साथ 90 दिनों तक बुक ऋण और प्राप्य राशि पर समरूप प्रभार द्वारा प्रत्याभूत)		
उप–योग (ख)	**46,015.70**	**0.00**
(ग) एफसीएनआर (ख) मांग ऋण :-*		
प्रत्याभूत		
(i) भारतीय स्टेट बैंक से (एसबीआई-I)	65,000.00	85,000.00
(ऋण राशि के 100 प्रतिशत के अध्यधीन कंपनी के ऋणों और अग्रिमों (बुक ऋणों) के दृष्टिबंधक के माध्यम से प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रत्याभूत)		
घटाएं: उपर्युक्त पर लेन–देन लागत	4.17	6.83
	64,995.83	84,993.17
(ii) भारतीय स्टेट बैंक से (एसबीआई-II)	6,200.00	-
(ऋण राशि के 100 प्रतिशत के अध्यधीन कंपनी के ऋणों और अग्रिमों (बुक ऋणों) के दृष्टिबंधक के माध्यम से प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रत्याभूत)		
उप–योग (ग)	**71,195.83**	**84,993.17**
सकल योग (क+ख+ग)	**14,23,055.09**	**12,43,625.87**
भारत में उधार राशियां	3,91,254.01	1,80,331.28

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को परिशोधित लागत पर	31 मार्च, 2020 को परिशोधित लागत पर
भारत से बाहर उधार राशियां	10,31,801.08	10,63,294.58
कुल	**14,23,055.09**	**12,43,625.87**

विभिन्न बहुपक्षीय/द्विपक्षीय एजेंसियों से सभी विदेशी मुद्रा उधार अर्थात एडीबी, विश्व बैंक, केएफडब्ल्यू, एएफडी, जेआईसीए और ईआईबी डेरिवेटिव एसोसिएशन (आईएसडीए) मास्टर समझौता को सादे वैनिला स्वैप लेनदेन/मुद्रा, ब्याज दर स्वैप/मूलधन केवल स्वैप आदि के माध्यम से आईएनआर ऋण में परिवर्तित कर दिया गया है। ये स्वैप/डेरिवेटिव लेनदेन प्रत्येक लेनदेन के लिए एक अलग परिपक्वता अवधि के लिए भागीदार बैंक के साथ किए गए हैं जो ऋण की परिपक्वता अवधि से कम है। विदेशी मुद्रा ऋण की हेजिंग विभिन्न अंतरालों पर और ऋण की रेखाओं के विरुद्ध आहरण के कई चरणों में की गई है। विदेशी मुद्रा ऋणों की अदला–बदली/हेजिंग के कारण, ब्याज लागत के अलावा, इन ऋणों में हेजिंग/व्युत्पन्न लागत और अन्य वित्तीय शुल्क शामिल हैं और क्रेडिट लाइन के विरुद्ध आहरण की किश्तों की बहुलता के कारण, इस पर लागू ब्याज दर क्रेडिट की इन पंक्तियों को ऊपर प्रकट नहीं किया गया है।

* दिनांक 01.03.2021 से, भारतीय स्टेट बैंक की आवधिक ऋण सुविधा और को 28.02.2022 तक एफसीएनआर (ख) मांग ऋण में परिवर्तित कर दिया गया है। एफसीएनआर ऋणों की नियत ब्याज दर 6.20 प्रतिशत प्रति वर्ष है। उनके कार्यकाल के दौरान और एफसीएनआर ऋण के अन्य नियम और शर्तें पूर्ववर्ती सावधि ऋण सुविधा के समान हैं। 28.02.2022 के बाद, कंपनी के पास उन्हें रुपया टर्म लोन सुविधा में बदलने का विकल्प है।

टिप्पणी 21: अधीनस्थ देनदारियां

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को परिशोधित लागत पर	31 मार्च, 2020 को परिशोधित लागत पर
क) अप्रत्याभूत		
(i) 9.23% इरेडा करयोग्य अप्रत्याभूत	15,000.00	15,000.00
(अधीनस्थ टीयर-II बॉण्ड. श्रृंखला VIII. प्रतिदेयता 22.2.2029)		
घटाएं: उपर्युक्त पर लेनदेन लागत	27.68	30.00
	14,972.32	14,970.00
(ii) 7.74% इरेडा करयोग्य अप्रत्याभूत	50,000.00	-
(अधीनस्थ टीयर-II बॉण्ड – श्रृंखला-X- प्रतिदेयता 08.05.2030)		
घटाएं: उपर्युक्त पर लेनदेन लागत	53.12	-
	49,946.88	-
कुल (क)	**64,919.20**	**14,970.00**
ख) अवस्थिति (लोकेशन)–वार वर्गीकरण		
भारत में अधीनस्थ देनदारियां	64,919.20	14,970.00
भारत से बाहर अधीनस्थ देनदारियां	-	-
कुल (ख)	**64,919.20**	**14,970.00**

टिप्पणी 22: अन्य वित्तीय देनदारियां

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(क) राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ)	32,357.37	29,847.82
(ख) उधार राशियों पर उपचित किंतु अदेय ब्याज और अन्य प्रभार	39,129.20	39,369.34
(ग) अन्य देय राशियां:		
एमएनआरई कार्यक्रम निधियां	944.85	944.85
एमएनआरई सह उत्पादन विशिष्ट अनुदान	36.80	34.96
एमएनआरई राष्ट्रीय हाईड्रोजन ऊर्जा बोर्ड	6.27	5.80
एमएनआरई उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) निधि	685.38	1,500.70
एमएनआरई राज्यों का नवीकरणीय ऊर्जा संघ (एआरईएएस)	0.01	0.01
एमएनआरई रूफटॉप और अन्य छोटे स्तर की सौर परियोजनाएं	2,762.35	10,955.34
एमएनआरई चैनल भागीदारों के लिए पूंजी सब्सिडी	0.00	5,794.61
एमएनआरई अमरीका–भारत स्वच्छ ऊर्जा वित्त सुविधा (यूनीसेफ) योजना	95.26	765.59
एमएनआरई यूएनडीपी निधियां	54.95	56.07
एमएनआरई सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम का कार्यान्वयन (एसडब्ल्यूएचएस)	369.86	357.95
अदावा बॉण्ड ब्याज	134.73	47.58
इरेडा से एनसीईएफ को देय	212.11	464.03
लीज देनदारी	534.11	102.42
ब्याज पर ब्याज के समायोजन/रिफण्ड के लिए प्रावधान	250.00	-
अन्य	2,923.18	3,817.39
कुल	**80,496.43**	**94,064.47**

टिप्पणी 23 : प्रावधान

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान (देखें टिप्पणी संख्या 38(8))		
-छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	525.70	405.46
-ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	-	54.22
-चिकित्सा सेवानिवृत्ति के लिए प्रावधान	994.19	789.47
-बीमारी छुट्टी के लिए प्रावधान	379.58	347.19
-बैगेज भत्ते के लिए प्रावधान	17.59	15.70
वित्तीय लिखतों (ऋणों) के लिए आकस्मिक प्रावधान	58,328.81	43,969.31
कुल	**60,245.87**	**45,581.35**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

टिप्पणी 24 : अन्य गैर–वित्तीय देनदारियां

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
देय भविष्य निधि	-	47.68
सांविधिक देयताएं	1,203.89	830.83
एमएनआरई भारत सरकार के पूर्ण सविर्स्ड बॉण्ड (देखें टिप्पणी 38(33)	1,64,000.00	1,64,000.00
एमएनआरई को देय एमआईबीओआर जमा राशि पर ब्याज ;भारत सरकार के पूर्ण सविर्स्ड बॉण्ड) (देखें टिप्पणी 38(33)	1,093.70	1,092.75
अन्य	37.17	23.40
विविध देनदारियां – ब्याज पूंजीकरण (वित्तपोषित ब्याज आवधिक ऋण)	4,196.92	7,235.69
अग्रिम रूप से प्राप्त फ्रंट एंड शुल्क	1,305.94	1,461.52
कुल	**1,71,837.62**	**1,74,691.86**

टिप्पणी 25: इक्विटी शेयर पूंजी

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(क) प्राधिकृत शेयर पूंजी		
10 रुपए प्रत्येक के 6,000,000,000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 6,000,000,000)	6,00,000.00	6,00,000.00
(ख) निर्गत, अभिदत्त और पूर्ण प्रदत्त	6,00,000.00	6,00,000.00
10 रुपए प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 784,600,000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक के 784,600,000 इक्विटी शेयर)	78,460.00	78,460.00
पूर्ण प्रदत्त		
कुल	**78,460.00**	**78,460.00**

बकाया शेयरों की संख्या का समाशोधनः–

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2021 को	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
वर्ष के प्रारंभ में इक्विटी शेयर (10 रुपए प्रत्येक) (10 रुपए प्रत्येक)	78,46,00,000	78,460.00	78,46,00,000	78,460.00
जोड़ें:– वर्ष के दौरान जारी शेयर		-		-
वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर		-		-
वर्ष के अंत में इक्विटी शेयर (10 रुपए प्रत्येक)	78,46,00,000	78,460.00	78,46,00,000	78,460.00

पांच प्रतिशत से अधिक शेयर धारित करने वाले प्रत्येक शेयरधारक का ब्यौराः–

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
	शेयरों की संख्या	धारित प्रतिशत	शेयरों की संख्या	धारित प्रतिशत
भारत सरकार	78,46,00,000	100	78,46,00,000	100

टिप्पणी 26: अन्य इक्विटी

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(क) आरक्षिति और अधिशेष		
(i) विशेष आरक्षित	1,04,590.98	93,471.45
(ii) डिबेंचर शोधन आरक्षित	30,539.26	25,910.15
(iii) सामान्य आरक्षित	1,07,798.33	88,298.33
(iv) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद संव्यवहार आरक्षित (एफसीएमआईटीआर)	-63,875.83	-1,01,345.31
(v) प्रतिधारित आय	233.40	7,998.56
(vi) एनबीएफसी आरक्षित	16,182.69	9,182.69
(ख) नकद प्रवाह हेज का प्रभावी भाग		
(i) नकद प्रवाह हेज आरक्षित	25,589.66	50,155.98
कुल अन्य इक्विटी (क+ख)	**2,21,058.50**	**1,73,671.85**

अन्य इक्विटी का ब्यौरा निम्नानुसार दर्शाया गया है:

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
विशेष आरक्षित		
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	93,471.45	82,651.13
जोड़ें: चालू वर्ष अंतरण	11,119.53	10,820.32
घटाएं: चालू अवधि में अधित्याग	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**1,04,590.98**	**93,471.45**
डिबेंचर शोधन आरक्षित		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	25,910.15	21,281.04
जोड़ें: चालू वर्ष अंतरण	4,629.11	4,629.11
घटाएं: चालू अवधि में अधित्याग	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**30,539.26**	**25,910.15**
सामान्य आरक्षित		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	88,298.33	1,08,298.33
जोड़ें: चालू वर्ष अंतरण	19,500.00	-20,000.00

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
घटाएं: चालू अवधि में अधित्याग	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**1,07,798.33**	**88,298.33**
विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद संव्यवहार आरक्षित (एफसीएमआईटीआर)		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	-1,01,345.31	-54,141.39
जोड़ें: वर्ष के दौरान संवर्धन	30,488.20	-51,252.72
घटाएं: वर्ष के दौरान परिशोधन	-6,981.27	-4,048.81
वर्ष के अंत में शेष	**-63,875.83**	**-1,01,345.31**
प्रतिधारित आय		
वर्ष के प्रारंभ में प्रतिधारित आय	7,998.56	1,901.72
जोड़ें: वर्ष के लिए लाभ	34,640.72	21,455.04
जोड़े अन्य व्यापक आय	-157.23	-154.80
घटाएं: वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए प्रस्तावित लाभांश	-	12,819.00
घटाएं: वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए लाभांश पर कॉरपोरेट लाभांश कर	-	2,634.98
घटाएं: विशेष आरक्षित में अंतरण	11,119.53	10,820.32
घटाएं: डिबेंचर शोधन आरक्षित में अंतरण	4,629.11	4,629.11
घटाएं: सामान्य आरक्षित में अंतरण	19,500.00	-20,000.00
घटाएं: एनबीएफसी आरक्षित में अंतरण	7,000.00	4,300.00
वर्ष के अंत में शेष	233.40	7,998.56
एनबीएफसी आरक्षित (आरबीआई अधिनियम की धारा 45-IC)		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	9,182.69	4,882.69
जोड़ें: वर्ष के दौरान संवर्धन	7,000.00	4,300.00
घटाएं: वर्ष के दौरान परिशोधन	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**16,182.69**	**9,182.69**
नकद प्रवाह हेजों का प्रभावी भाग		
नकद प्रवाह हेज आरक्षित		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	50,155.98	15,063.04
हेजिंग उपकरण पर लाभ/हानि का प्रभावी भाग	-32,828.63	39,479.61
घटाएं: उपर्युक्त पर आयकर	8,262.31	-4,386.67
वर्ष के अंत में शेष (करों का निवल)	**25,589.66**	**50,155.98**
कुल	**2,21,058.50**	**1,73,671.85**

आरक्षितयों की प्रकृति और उद्देश्य

1. **विशेष आरक्षित:** आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत आयकर कटौती का लाभ उठाने के लिए दीर्घावधि वित्त प्रदान करने के व्यवसाय से प्राप्त कर पूर्व लाभ के 20% की विशेष आरक्षित सृजित की गई है।

2 **डिबेंचर शोधन आरक्षित:** डिबेंचर शोधन आरक्षित डिबेंचर/बॉन्ड के मोचन के उद्देश्य से बनाए रखा आय से बनाई गई है। यह आरक्षित कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों में निवेशित रहती है।

3. **सामान्य आरक्षित:** सामान्य आरक्षित का उपयोग समय–समय पर विनियजन उद्देश्यों के लिए प्रतिधारित आय से लाभ को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसे इक्विटी के एक घटक से दूसरे में स्थानांतरण द्वारा बनाया जाता है।

4. **विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद संव्यवहार आरक्षित (एफसीएमआईटीआर):** विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर खाता लंबी अवधि के विदेशी मुद्रा उधार पर असंशोधित विदेशी मुद्रा लाभ/हानि का प्रतिनिधित्व करता है जो संबंधित उधार के कार्यकाल में परिशोधित होते हैं।

5. **प्रतिधारित आय:** प्रतिधारित आय लाभ और अन्य व्यापक आय की मदों का प्रतिनिधित्व करती है जो सीधे कंपनी द्वारा अर्जित प्रतिधारित आय में कम लाभांश वितरण और अन्य आरक्षित निधियों से अंतरण में मान्यता प्राप्त है।

6. **एनबीएफसी आरक्षित :** आरडीआई अधिनियम 1934 की धारा 45-IC(1) के अंतर्गत सृजित आरक्षित, वर्ष के लिए कर पश्चात निवल लाभ के 20 प्रतिशत की दर पर प्रतिधारित आय से अंतरण का प्रतिनिधित्व करती है।

7. **नकद प्रवाह हेज का प्रभावी भाग:** कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिम और उधार से जुड़े ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के अनुसरण में व्युत्पन्न उपकरणों का उपयोग करती है। विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम की हेजिंग के लिए, कंपनी विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध, क्रॉस करेंसी स्वैप और ब्याज दर स्वैप का उपयोग करती है। हेज अकाउंटिंग के तहत नामित डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स प्रभावी हेज हैं, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के उचित मूल्य में बदलाव को 'कैश फ्लो हेजेज के प्रभावी हिस्से' में मान्यता दी गई है। इस तरह के रिजर्व में मान्यता प्राप्त राशि को लाभ या हानि के विवरण में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है जब बचाव की गई वस्तु लाभ या हानि को प्रभावित करती है।

टिप्पणी 27 : ब्याज से आय

(लाख रुपए में)

विवरण	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2021	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2020
	परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसम्पत्तियों पर ब्याज	परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसम्पत्तियों पर ब्याज
(i) ऋण प्रचालनों से ऋणों पर ब्याज	2,49,588.83	2,16,310.13
(ii) बैंकों में जमा राशियों पर ब्याजः–:-		
-अल्पावधिक जमा–भारतीय रुपए	3,513.97	4,999.78
-अल्पावधिक जमा–विदेशी मुद्रा	46.63	166.57
(iii) अन्य ब्याज आय:-		
बचत खातों पर ब्याज	0.47	0.19
(iv) विभेदक ब्याज	3,188.09	3,181.35
(v) वाणिज्यिक पत्रों पर ब्याज	184.88	-
कुल	**2,56,522.88**	**2,24,658.02**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

टिप्पणी 28: शूल्क और कमीशन आय

(लाख रुपए में)

विवरण	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2021	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2020
(क)व्यापार सेवा शुल्क		
(i) ऋणों पर आवेदन शुल्क	1,433.44	1,034.00
(ii) बोली प्रक्रिया शुल्क	191.25	16.60
(iii) प्राप्त परामर्श शुल्क	-	4.00
(iv) गारंटी कमीशन	1,162.44	460.54
कुल व्यापार आय शुल्क	**2,787.13**	**1,515.13**
(ख) सेवा प्रभार – सरकारी योजना कार्यान्वयन		
(i) सेवा प्रभार – यूएनडीपी कार्यक्रम निधि	0.04	0.34
(ii) सेवा प्रभार – उत्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि	447.03	479.40
(iii) सेवा प्रभार – रूफ टॉप और अन्य छोटी सौर ऊर्जा परियोजनाएं	143.06	167.78
कुल व्यापार सेवा प्रभार	**590.13**	**647.52**
कुल (क+ख)	**3,377.26**	**2,162.65**

टिप्पणी 29: उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल लाभ/(हानि) *

(लाख रुपए में)

विवरण	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2021	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2020
लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय विलेखों पर निवल लाभ/(हानि)		
(i) व्युत्पन्न		
- विदेशी मुद्रा ऋणों के लिए लिए गए डेरिवेटिव कवर पर उचित मूल्य प्रभार	-1,247.32	7,165.33
उचित मूल्य परिवर्तन:		
- प्राप्त		
- अप्राप्त	-1,247.32	7,165.33
उचित मूल्य परिवर्तन पर कुल निवल लाभ/(हानि)	**-1,247.32**	**7,165.33**

*इस अनुसूची में उचित मूल्य परिवर्तन उपचित ब्याज आय/व्ययों के खाते में उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों से भिन्न हैं।

टिप्पणी 30: सौर संयंत्र प्रचालनों से राजस्व (निवल)

(लाख रुपए में)

विवरण	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2021	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2020
ऊर्जा की बिक्री	2,797.69	2,802.03
घटाएं: ग्राहक को छूट	55.95	56.04
कुल	**2,741.73**	**2,745.99**

(देखें टिप्पणी संख्या 38(23) और 38(24))

टिप्पणी 31: अन्य आय

(लाख रुपए में)

विवरण	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2021	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2020
बट्टे खाते डाला गया प्रावधान	199.17	10.52
अशोध्य ऋणों की वसूली	4,175.63	299.36
कर्मचारी ऋण पर ब्याज	24.12	27.02
मसाला बाण्ड अनुदान का परिशोधन	-	130.94
पीपीपी की बिक्री पर लाभ	3.35	0.59
किराया आय	5.50	6.60
अन्य	61.08	31.15
कुल	**4,468.85**	**506.18**

टिप्पणी 32: वित्त लागत

(लाख रुपए में)

विवरण	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2021	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2020
	परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसम्पत्तियों पर वित्त लागत	परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसम्पत्तियों पर वित्त लागत
उधार राशियों पर ब्याज	66,761.73	68,764.45
ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज	72,296.42	64,741.63
अधीनस्थ देनदारियों पर ब्याज	4,862.20	1,384.50
अन्य उधार लागत	12,821.90	10,730.88
उधार राशियों पर लेनदेन लागत	276.06	288.52
पट्टा देनदारी पर ब्याज	7.89	10.63
कुल	**1,57,026.19**	**1,45,920.61**

टिप्पणी 33: निवल लेन–देन/लेन–देन विनिमय हानि

(लाख रुपए में)

विवरण	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2021	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2021
निवल लेन–देन/लेन–देन विनिमय हानि	3.39	15.86
एफसीएमआईटीआर का परिशोधन	6,981.27	4,048.81
कुल	**6,984.66**	**4,064.67**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

टिप्पणी 34: वित्तीय परिसम्पत्तियों पर अक्षमता

(लाख रुपए में)

विवरण	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2021	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2020
	परिशोधन लागत पर मापे गए वित्त विलेखों पर	परिशोधन लागत पर मापे गए वित्त विलेखों पर
ऋण*	34,164.50	51,809.07
कुल	**34,164.50**	**51,809.07**

*ऋण वाहित मूल्य पर मूल्यांकित हैं
(देखें टिप्पणी संख्या 38(38))

टिप्पणी 35: कर्मचारी लाभ व्यय

(लाख रुपए में)

विवरण	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2021	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2020
वेतन और परिलब्धियां	3,810.12	4,028.85
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	476.80	422.54
कर्मचारी कल्याण व्यय	444.83	236.23
मानव संसाधन विकास व्यय	4.20	9.88
कुल	**4,735.95**	**4,697.50**

टिप्पणी 36: मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(लाख रुपए में)

विवरण	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2021	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2020
संयंत्र और उपस्कर पर मूल्यह्रास (देखें टिप्पणी संख्या 12)	2,020.29	2,002.49
अमूर्त परिसम्पत्तियों का परिशोधन (देखें टिप्पणी संख्या 16)	6.60	6.44
निवेश सम्पत्ति पर मूल्यह्रास (देखें टिप्पणी संख्या 11)	0.84	1.01
प्रयोगाधिकार परिसम्पत्ति का परिशोधन (देखें टिप्पणी संख्या 14)	239.67	271.27
कुल	**2,267.40**	**2,281.20**

टिप्पणी 37 : अन्य व्यय

(लाख रुपए में)

विवरण	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2021	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2020
किराया, कर और ऊर्जा	233.38	546.99
मरम्मत और अनुरक्षण	575.59	376.31
संचार लागतें	88.54	30.24
मुद्रण और लेखन सामग्री	29.90	23.40
विज्ञापन और प्रचार	57.92	84.77
निदेशकों का शुल्क, भत्ते और व्यय	27.70	19.20
लेखा के शुल्क और व्यय (देखें टिप्पणी संख्या 38(28))	24.69	29.75
विधिक और व्यावसायिक प्रभार	368.93	575.13
बीमा	10.25	6.85
अशोध्य ऋण	137.44	77.13
क्रेडिट रेटिंग खर्च	163.18	188.86
पीपीई की बिक्री पर नुकसान	4.30	0.75
आईपीओ खर्च	-	144.77
अन्य व्यय	369.56	330.64
कुल	**2,091.38**	**2,434.80**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

टिप्पणी – '38' लेखों पर टिप्पणियाँ

1. कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत एक सरकारी कंपनी है। आरबीआई या अन्य नियामक द्वारा जारी किए गए किसी भी निदेश को लागू होते ही कार्यान्वित किया जाता है। आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन डीएनबीआर पीडी. 008/03.10.119/2016–17 दिनांक 01.09.2016 के अनुसार, इरेडा एक ''प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार न करने वाली गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी'' है।

बैलेंस शीट, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और लाभ और हानि का विवरण एनबीएफसी के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के डिवीजन III के तहत निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसके लिए इंड एएस का अनुपालन किया जाना अपेक्षित होता है। इंड–एएस 7–नकद प्रवाह विवरणिका की अपेक्षानुसार नकद प्रवाह का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

2. भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस)–36 ''परिसम्पत्तियों की अक्षमता'' के संबंध में प्रकटीकरण

कंपनी, प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर, यह आकलन करती है कि क्या किसी परिसंपत्ति और/या नकदी पैदा करने वाली इकाई की हानि का कोई संकेत है। यदि ऐसा संकेत मौजूद है, तो प्रत्येक परिसंपत्ति और/या नकद उत्पादन इकाई की अग्रणीत राशि की तुलना निवल बिक्री मूल्य या उपयोग में मूल्य से अधिक होने वाली वसूली योग्य राशि से की जाती है। उपयोग में मूल्य संपत्ति के निरंतर उपयोग से अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य से निर्धारित होता है। कंपनी को चालू और पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कोई अक्षमता हानि नहीं हुई है।

3. भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस)–37 ''प्रावधान, आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक परिसम्पत्तियां'' के संबंध में प्रकटीकरण

आकस्मिक देनदारियां:

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
आयकर मामले#	21,211.96	18,533.17
इरेडा की ''आरई आपूर्तिकर्ताओं/निर्माताओं/ईपीसी संविदाकारों को गारंटी सहायता'' योजना के अंतर्गत बोली प्रतिभूति के लिए जारी की गई गारंटी	33,700.00	24,176.00
गारंटी – इरेडा की ऋण वृद्धि योजना के तहत बिना शर्त और वसूली योग्य आंशिक ऋण गारंटी।	6,800.00	8,000.00
भुगतान प्रतिभूति निधि के सृजन के लिए जारी गारंटी	14,400.00	14,400.00
जारी और बकाया राहत पत्र (लेटर ऑफ कम्फर्ट)	50,010.00	60,421.55
अन्य *	274.65	265.70
इंडिया हेबीटेट सेंटर में कार्यालय भवन के संबंध में सम्पत्ति कर (टिप्पणी 38(26) का संदर्भ लें	अनिर्धारणीय	अनिर्धारणीय

#आयकर मामले – आकलन वर्ष 1998-99 – आकलन वर्ष 2009-10:

आकलन वर्ष 1998–99 से आकलन वर्ष 2002–03 के लिए आयकर मामलों को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश पर माननीय आईटीएटी और माननीय आईटीएटी से मूल्यांकन अधिकारी को वापस भेजा गया था। आकलन वर्ष 2003–04 से आकलन वर्ष 2009–10 के

लिए कर मामलों को माननीय आईटीएटी के निर्देश पर मूल्यांकन अधिकारी (एओ के रूप में संदर्भित) को वापस भेजा गया था। एओ ने अधिनियम के तहत निर्धारित वैधानिक समय सीमा के भीतर इन मामलों पर आदेश पारित नहीं किया था। इससे पहले कंपनी ने उक्त आकलन वर्षों के लिए उठाई गई मांग के आधार पर कर जमा किया था।

पूर्वगामी पैरा को ध्यान में रखते हुए, दाखिल रिटर्न के अनुसार देय कर के ऊपर और भुगतान की गई मांगें वापसी योग्य हो गईं। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, विभाग को उपरोक्त वर्षों के लिए रिफंड देने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के साथ एक रिट याचिका दायर की गई है। दिल्ली में माननीय उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश पारित किया था– ''इस बीच, उत्तरदाताओं को आगे बढ़ने और मूल्यांकन आदेशों को पूरा करने की अनुमति दी जाती है और इसे प्रभावी नहीं किया जाता है या कोई महत्वपूर्ण कार्रवाई नहीं की गई है।'' मामले में अंतिम फैसला अभी बाकी है।

* इरेडा की सेवा से कर्मचारियों को बर्खास्त करने के अनुशासनात्मक प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ रिट याचिका के रूप में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों को संदर्भित करता है। इस मामले में कोई अंतरिम आदेश नहीं है।

ख) आकस्मिक परिसम्पत्तियां: शून्य

4. प्रतिबद्धताए

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
पूंजी प्रतिबद्धताएं:		
पूंजी खाते पर निष्पादित होने के लिए शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि	923.35	92.92

5. ऐसे कोई सूक्ष्म और लघु उद्यम नहीं हैं, जिन पर कंपनी का बकाया है, जो 31 मार्च, 2021 को 45 दिनों से अधिक समय से बकाया हो (पिछले वर्ष: शून्य)। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रकट की जाने वाली आवश्यक जानकारी को कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस तरह की पार्टियों की पहचान की गई सीमा तक निर्धारित किया गया है।

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
1	वर्ष के अंत तक अदत्त मूलधन राशि	43.12	45.09
2	वर्ष के अंत में अदत्त रहा उस राशि पर देय ब्याज	-	-
3	वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार कंपनी द्वारा भुगतान किया गया ब्याज	-	-
4	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए बकाया और देय, लेकिन एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना ब्याज	-	-
5	वर्ष के अंत में उपचित और अदत्त रहा ब्याज	-	-
6	आगे के वर्षों में भी बकाया और देय ब्याज, ऐसी तारीख तक जब तक कि उपरोक्त देय ब्याज वास्तव में छोटे उद्यमों को भुगतान नहीं किया जाता है	-	-

सहयागी कम्पनियों के मामले में: कंपनी को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के तहत विक्रेताओं से उनकी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस अधिनियम के तहत वर्ष के अंत में बकाया राशि से संबंधित प्रकटीकरण दिया गया है।

6. भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस)–21 ''विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तनों का प्रभाव'' के संबंध में प्रकटीकरण

(लाख रुपए में)

विवरण	2020-21	2019-20
	डेबिट/(क्रेडिट)	डेबिट/(क्रेडिट)
लाभ और हानि विवरण में निवल डेबिट/(क्रेडिट) विनिमय अंतर की राशि	6,984.66	4,064.67
अन्य व्यापक आय के लिए निवल डेबिट/(क्रेडिट) विनिमय अंतर की राशि	2,722.13	(28,982.87)

7. भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस)–23 ''उधार लागतें'' के संबंध में प्रकटीकरण – शून्य (गत वर्ष: शून्य)

8. भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस)–19 ''कर्मचारी लाभ'' के संबंध में प्रकटीकरण

विभिन्न परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण निम्नानुसार है:

क) भविष्य निधि: वर्ष के दौरान, कंपनी ने पात्र कर्मचारियों के वेतन के पूर्व निर्धारित निश्चित प्रतिशत पर भविष्य निधि में योगदान के संबंध में और लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित 215.98 लाख (पिछले वर्ष: रु. 206.25 लाख) रुपये के खर्च को स्वीकृत किया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी का दायित्व भविष्य की अवधि में ब्याज की सांविधिक दर के आधार पर निधि की संपत्ति में अच्छी खासी कमी, यदि कोई हो, को पूरा करना है। 31 मार्च 2021 तक पीएफ ट्रस्ट में कोई घाटा नहीं हुआ है।

ख) राष्ट्रीय पेंशन योजना/अधिवार्षिता लाभ निधि (परिभाषित अभिदान निधि): वर्ष के दौरान, कम्पनी ने पात्र कर्मचारियों के वेतन की पूर्वनिर्धारित नियत प्रतिशतता और लाभ हानि विवरण पर प्रभारित राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) (गत वर्ष: अधिवार्षिता निधि/राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस¬) में योगदान के संबंध में 194.61 करोड़ रुपए (गत वर्ष: 163.55 लाख रुपए) के व्यय को स्वीकृति दी है।

अन्य लाभः

क) **अर्जित छुट्टी लाभ (ईएल):** प्रति वर्ष 30 दिन उपार्जन. सेवा में रहते हुए एक कैलेंडर वर्ष में 2 बार नकदीकरण। सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति पर नकदीकरण एचपीएल सहित अधिकतम 300 दिन। बीमांकिक मूल्यांकन कंपनी के वित्त वर्ष 2020–21 के लिए अर्जित अवकाश के लिए सर्वोत्तम अनुमान के अनुसार रु. 172.80 लाख (पिछले साल रू 172.47 लाख रुपये)

ख) **अर्ध छुट्टी लाभ (एचपीएल):** प्रोद्भवन प्रति वर्ष 10 पूर्ण दिवस। सेवा में रहते हुए कोई नकदीकरण नहीं। सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति पर नकदीकरण ईएल सहित अधिकतम 300 दिन। बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार वित्त वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी का सबसे अच्छा अनुमान बीमारी अवकाश के लिए रु. 54.68 लाख (पिछले साल रू 91.76 लाख रुपये)।

ग) **ग्रेच्युटी:** सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन का उपार्जन। निहित अवधि 5 वर्ष है और भुगतान 01.01.2017 से लागू वेतन संशोधन के बाद 20 लाख रुपये तक सीमित है। बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार वित्त वर्ष 2020–21 के लिए ऑन रोल कर्मचारियों के लिए कंपनी का सबसे अच्छा अनुमान ग्रेच्युटी के लिए रु. 65.31 लाख (पिछले वर्ष रू 105.72 लाख रुपये)।

घ) **सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी):** बीमांकिक मूल्यांकन की अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए कंपनी सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा योजना के लिए निर्धारित लाभ योजनाओं में योगदान करती है। योजना के तहत पात्र पूर्व कर्मचारियों और पात्र आश्रित परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। वर्ष के दौरान कंपनी ने पीआरएमबी की ओर रु. 241.02 लाख (पिछले वर्ष रु. 252.54 लाख) का प्रावधान किया है।

ड) **बैगेज भत्ता:** सेवानिवृत्ति के समय, कर्मचारी अपनी पसंद के स्थान पर बसने के हकदार होते हैं और वे सामान भत्ते के लिए पात्र होते हैं। वर्ष के दौरान कंपनी ने सामान भत्ते के लिए रु. 1.89 लाख (पिछले वर्षः रु. 3.07 लाख) का प्रावधान किया

लाभ और हानि, अन्य व्यापक आय (ओसीआई) और बैलेंस शीट और अन्य प्रकटीकरण के विवरण में मान्यता प्राप्त विभिन्न परिभाषित लाभों की सारांश स्थिति निम्नानुसार है:

❖ **दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन**

(लाख रुपए में)

विवरण	वित्तीय वर्ष	ग्रेच्युटी	बीमारी छुट्टी	अर्जित छुट्टी	बैगेज	पीआरएमबी
		(वित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)
प्रारभ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	2020-21	991.31	347.19	405.46	15.70	789.47
	2019-20	872.82	309.70	289.20	12.63	612.50
ब्याज लागत	2020-21	67.41	23.61	27.57	1.07	53.68
	2019-20	66.42	23.56	22.00	0.96	46.61
चालू सेवा लागत	2020-21	55.11	27.45	71.34	1.15	43.89
	2019-20	55.21	20.81	43.60	1.05	37.19
विगत सेवा लागत	2020-21	-	-	-	-	-
	2019-20	-	-	-	-	-

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

(लाख रुपए में)

विवरण	वित्तीय वर्ष	ग्रेच्युटी	बीमारी छुट्टी	अर्जित छुट्टी	बैगेज	पीआरएमबी
		(वित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)
प्रदत्त लाभ	2020-21	-100.49	-22.29	-52.55	-	-34.22
	2019-20	-50.28	-54.27	-56.21	-	-57.31
अधिग्रहण समायोजन आईएन	2020-21	-	-	-	-	-
	2019-20	-	-	-	-	-
दायित्वों पर प्रोद्भूत	2020-21	3.91	3.63	73.89	-0.33	141.37
हानि / (लाभ)	2019-20	47.13	47.37	106.85	1.04	150.46
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2020-21	1,017.25	379.58	525.70	17.59	994.18
	2019-20	991.31	347.19	405.45	15.70	789.46

❖ **योजना परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**

(लाख रुपए में)

विवरण	वित्तीय वर्ष	ग्रेच्युटी	बीमारी छुट्टी	अर्जित छुट्टी	बैगेज	पीआरएमबी
		(वित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)
वर्ष के प्रारंभ में योजना	2020-21	937.09	-	-	-	-
परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	2019-20	913.16	-	-	-	-
योजना परिसम्पत्तियों पर वास्तविक	2020-21	68.63	-	-	-	-
रिटर्न	2019-20	62.72	-	-	-	-
मृत्यु प्रभार	2020-21	-0.99				
	2019-20	-				
नियोक्ता अभिदान	2020-21	115.56	-	-	-	-
	2019-20	11.48	-	-	-	-
प्रदत्त लाभ	2020-21	-100.49	-	-	-	-
	2019-20	-50.28	-	-	-	-
वर्ष के अंत में योजना परिसम्पत्तियों	2020-21	1,019.80	-	-	-	-
का उचित मूल्य	2019-20	937.08	-	-	-	-

❖ **तुलन पत्र में स्वीकृत राशि**

(लाख रुपए में)

विवरण	वित्तीय वर्ष	ग्रेच्युटी	बीमारी छुट्टी	अर्जित छुट्टी	बैगेज	पीआरएमबी
		(वित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)
वर्ष के अंत में दायित्वों का	2020-21	1,017.25	379.58	525.70	17.59	994.19
अनुमानित वर्तमान	2019-20	991.31	347.19	405.45	15.70	789.46
मूल्य						
वर्ष के अंत में योजना परिसम्पत्तियों	2020-21	1,019.80				
का उचित मूल्य	2019-20	937.08	-	-	-	-
तुलन पत्र में स्वीकृत निवल	2020-21	2.55	-379.58	-525.70	-17.59	-994.19
देनदारी	2019-20	-54.22	-347.19	-405.45	-15.70	-789.46

❖ **लाभ हानि के विवरण में स्वीकृत राशि**

(लाख रुपए में)

विवरण	वित्तीय वर्ष	ग्रेच्युटी	बीमारी छुट्टी	अर्जित छुट्टी	बैगेज	पीआरएमबी
		(वित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)
चालू सेवा लागत	2020-21	55.11	27.45	71.34	1.15	43.89
	2019-20	55.21	20.81	43.60	1.05	37.19
कटौती लाभ/हानि सहित गत सेवा लागत	2020-21	-	-	-	-	-
	2019-20	-	-	-	-	-
ब्याज लागत	2020-21	67.41	23.60	27.57	1.07	53.68
	2019-20	66.42	23.56	22.00	0.96	46.61
योजना परिसम्पत्ति पर संभावित रिटर्न	2020-21	63.72	-	-	-	-
	2019-20	69.49	-	-	-	-
वर्ष में स्वीकृत निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	2020-21	-	3.63	73.89	-	-
	2019-20	-	47.37	106.85	-	-
आय विवरण में स्वीकृत व्यय	2020-21	58.80	54.68	172.80	1.89	241.02
	2019-20	52.14	91.76	172.47	2.02	252.54

❖ **बीमांकिक अवधारणा**

(लाख रुपए में)

विवरण	वित्तीय वर्ष	ग्रेच्युटी	बीमारी छुट्टी	अर्जित छुट्टी	बैगेज	पीआरएमबी
		(वित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)
छूट दर	2020-21	6.79%	6.79%	6.79%	6.79%	6.70%
	2019-20	6.80%	6.80%	6.80%	6.80%	6.80%
वेतन वृद्धि की दर	2020-21	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%
	2019-20	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%
प्रयुक्त पद्धति	2020-21	प्रत्याशित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रत्याशित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रत्याशित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रत्याशित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रत्याशित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)
	2019-20					

❖ **परिभाषित लाभ दायित्व का संवेदनशीलता विश्लेषण**

(लाख रुपए में)

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव	ग्रेच्युटी	बीमारी छुट्टी	अर्जित छुट्टी	बैगेज	पीआरएमबी
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,017.25	379.58	525.70	17.59	994.19
0.50% की वृद्धि की वजह से प्रभाव	-40.80	-13.66	-25.35	-0.70	-34.30
0.50% की कमी की वजह से प्रभाव	43.83	14.55	27.53	0.76	36.05

ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव	ग्रेच्युटी	बीमारी छुट्टी	अर्जित छुट्टी	बैगेज	पीआरएमबी
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,017.25	379.58	525.70	17.59	994.19
0.50% की वृद्धि की वजह से प्रभाव	22.92	14.51	27.45	0.76	36.53
0.50% की कमी की वजह से प्रभाव	-22.84	-13.72	-25.45	-0.71	-35.12

मृत्यु दर और निकासी के कारण संवेदनशीलता भौतिक नहीं हैं और इसलिए इनके कारण परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की गई है। भुगतान में पेंशन में वृद्धि की दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन में वृद्धि की दर और जीवन प्रत्याशा जैसी संवेदनशीलता लागू नहीं होती है।

सहयोगी कम्पनी के मामले में: भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–19 ''कर्मचारी लाभ'' के संबंध में प्रकटीकरण

परिभाषित योगदान योजनाएं

कंपनी के कर्मचारी भविष्य निधि/ईएसआई द्वारा कवर किए जाते हैं, जिसमें कंपनी मूल वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में मापा गया एक परिभाषित योगदान करती है। वर्ष के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित योगदान दिया है:

(लाख रुपए में)

विवरण	2020-21	2019-20
भविष्य निधि में नियोक्ता का योगदान	1.04	1.43
कर्मचारी राज्य बीमा में नियोक्ता का योगदान	0.29	0.33

परिभाषित लाभ योजनाएं

कंपनी ने ग्रेच्युटी आदि के लिए कोई औपचारिक परिभाषित लाभ योजना शुरू नहीं की है। तदनुसार, लाभ दायित्वों में परिवर्तन, योजना परिसंपत्तियों पर वापसी में परिवर्तन, अवधि के लिए लागत आदि का पता नहीं लगाया जा सकता है। हालांकि वित्तीय वर्ष के अंत में ग्रेच्युटी देयता का पता लगाया जाता है और खातों में बताया जाता है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष तक देय ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण के लिए क्रमशः 5.48 लाख (पिछले साल रू 9.92 लाख रु ये) और रु. 1.06 लाख (पिछले वर्ष 1.95 लाख रुपये) देयता की गणना की गई है और इसके लिए प्रावधान किया गया है।

9. भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस)–108 ''प्रचालनिक खंड '' के संबंध में प्रकटीकरण

(i) प्रचालनिक खंड

इंड एएस 108 में परिभाषित ''प्रबंधन दृष्टिकोण'' के आधार पर, सीएमडी, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर (सीओडीएम) निष्पादन का मूल्यांकन करता है और व्यावसायिक क्षेत्रों द्वारा विभिन्न प्रदर्शन संकेतकों के विश्लेषण के आधार पर संसाधनों का आवंटन करता है। वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांत व्यक्तिगत व्यवसाय खंड में राजस्व और व्यय को रिकॉर्ड करने के लिए लगातार लागू होते हैं, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में निर्धारित होते हैं।

कंपनी 2 खंडों में काम करती है – अक्षय ऊर्जा (आरई) और ऊर्जा दक्षता (ईई) क्षेत्र में वित्तीय गतिविधियों और कासरगोड, केरल में सौर संयंत्र संचालन के माध्यम से बिजली का उत्पादन। कंपनी के लिए प्रमुख राजस्व आरई और ईई क्षेत्र में वित्तपोषण गतिविधियों के खंड से आता है। अन्य परिचालन खंड – सौर संयंत्र के माध्यम से बिजली का उत्पादन एक रिपोर्ट योग्य खंड नहीं है। कंपनी भारत में काम करती है, इसलिए इसे केवल घरेलू खंड में संचालित करने के लिए माना जाता है। इस प्रकार सेगमेंट रिपोर्टिंग के उद्देश्य से इसे एकल व्यवसाय/भौगोलिक खंड के रूप में माना जाता है।

(ii) प्रमुख (बड़े) ग्राहकों के बारे में सूचना

हमारे राजस्व में 10 प्रतिशत या अधिक का योगदान करने वाला कोई एक बाहरी ग्राहक नहीं है

(iii) भौगोलिक सूचना

परिचालन के स्थान के आधार पर बाहरी ग्राहकों से राजस्व और संपत्ति के स्थान के आधार पर इसकी गैर–चालू परिसम्पत्तियों' के बारे में जानकारी इस प्रकार है:

विवरण	बाहरी ग्राहकों से राजस्व		गैर चालू परिसम्पत्तियां*	
	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
भारत**	261,394.55	236,731.98	203,157.42	204,732.36
भारत से बाहर	-	-	-	-
कुल	**261,394.55**	**236,731.98**	**203,157.42**	**204,732.36**

*इस राशि में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, पूंजी कार्य–प्रगति, निवेश संपत्ति, प्रयोगाधिकार परिसंपत्ति, विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्ति, अमूर्त परिसंपत्ति, पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम और भारत सरकार पूरी तरह से सेवा बांड प्राप्त करने योग्य धन शामिल हैं।

**इसमें डेरवेटिवों के उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल लाभ/(हानि) से संबंधित रु.(1,247.32) लाख (गत वर्ष रु.7,165.33 लाख) की राशि शामिल है, जिसे बाहरी ग्राहकों से राजस्व का भाग नहीं माना गया है।

(iv) मुख्य उत्पादों से राजस्व

प्रत्येक उत्पाद और सेवा के लिए बाहरी ग्राहकों से होने वाली आय इस प्रकार है:

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
ब्याज आय	256,522.88	224,658.02
शुल्क और कमीशन आय	3,377.26	2,162.65
ऊर्जा की बिक्री	2,741.73	2,745.99

10. भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस)–24 ''संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण'' के संबंध में प्रकटीकरण

A. सरकार और सरकार से संबंधित निकायों से अन्य के लिए प्रकटीकरण

i. संबंधित पक्षकारों की सूची

संबंधित पक्षकार का नाम	संबंध का प्रकार	अवधि (01.04.2019 to 31.03.2021)
मैसर्स एम.पी. विंडफार्म्स लिमिटेड	एम.पी. ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (25%), कन्सोलिडेटेड एनर्जी कंसल्टेंट्स लिमिटेड (49.5%), इरेडा (24%) और अन्यों (1.5%) के सहयोग एक संयुक्त क्षेत्र की असूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड	01.04.2020 से 31.03.2021 01.04.2019 से 31.03.2020
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक		
श्री प्रदीप कुमार दास	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त)*	06.05.2020 से 31.03.2021
श्री भानु प्रताप यादव	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**	01.04.2020 से 06.05.2020 02.01.2020 से 31.03.2020
	निदेशक – सरकारी नामित**	12.06.2020 से 31.03.2021 01.04.2019 से 01.01.2020
श्री प्रवीण कुमार	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2019 से 31.12.2019
श्री एस.के. भार्गव	निदेशक – वित्त	01.04.2019 से 31.01.2020
श्री चिंतन नवीनभाई शाह	निदेशक – तकनीकी निदेशक – वित्त '	01.04.2020 से 31.03.2021 01.04.2019 से 31.03.2020
श्री अरुण कुमार	निदेशक – सरकारी नामित	01.04.2019 से 29.07.2019
श्री प्रवीण गर्ग	निदेशक – सरकारी नामित	29.07.2019 से 11.02.2020
श्री अमितेश कुमार सिन्हा	निदेशक – सरकारी नामित	01.04.2020 से 12.06.2020 24.01.2020 से 31.03.2020
श्री विमलेंद्र ए. पटवर्धन	निदेशक – सरकारी नामित	01.04.2020 से 31.03.2021 17.02.2020# से 31.03.2020
श्री अभिषेक महावर	निदेशक – सरकारी नामित	01.04.2020 से 13.09.2020 01.04.2019 से 31.03.2020
सुश्री इंदु बाला	निदेशक – स्वतंत्र निदेशक	01.04.2019 से 18.03.2020
सुश्री मधुश्री एम. स्वामी	निदेशक – स्वतंत्र निदेशक	01.04.2020 से 18.03.2021 01.04.2019 से 31.03.2020

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

डॉ. गांगिडी एम. रेड्डी	निदेशक – स्वतंत्र निदेशक	01.04.2020 से 18.03.2021 01.04.2019 से 31.03.2020
श्री संजय जैन	निदेशक – स्वतंत्र निदेशक	01.04.2020 से 01.08.2020 01.04.2019 से 31.03.2020
डॉ. आर.सी. शर्मा	महाप्रबंधक (एफएंडए) और मुख्य वित्त अधिकारी ***	01.04.2020 से 31.03.2021 01.02.2020 से 31.03.2020
श्री सुरेंद्र सुयाल	कम्पनी सचिव	01.04.2020 से 31.03.2021 01.04.2019 से 31.03.2020

* श्री चिंतन शाह, निदेशक (तकनीकी) को 01.02.2020 से 3 महीने की अवधि के लिए या नियमित पदधारी की नियुक्ति तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। इसके अलावा, एमएनआरई ने निदेशक (वित्त) के अतिरिक्त प्रभार को 01.05.2020 से बढ़ाकर 05.05.2020 कर दिया। तत्पश्चात, श्री प्रदीप कुमार दास, जिन्हें 06.05.2020 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), इरेडा के रूप में नियुक्त किया गया था, को 06.05.2020 को निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। इसके बाद, एमएनआरई ने निदेशक (वित्त) के अतिरिक्त प्रभार का पद श्री प्रदीप कुमार दास, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इरेडा को 06.11.2020 से छह महीने की अवधि के लिए या नियमित पदधारी की नियुक्ति, जो भी पहले हो, तक बढ़ा दिया।

** श्री भानु प्रताप यादव, संयुक्त सचिव, एमएनआरई निदेशक (सरकारी नामिती, इरेडा) को 02.01.2020 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), इरेडा का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। श्री प्रदीप कुमार दास की इरेडा के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति के बाद, श्री भानु प्रताप यादव 06.05.2020 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इरेडा नहीं रहे। तत्पश्चात, एमएनआरई ने पत्र दिनांक 12.06.2020 द्वारा श्री अमितेश के सिन्हा, संयुक्त सचिव, एमएनआरई के स्थान पर श्री भानु प्रताप यादव को निदेशक (सरकारी नामित) नियुक्त किया।

*** डॉ. आर.सी. शर्मा, महाप्रबंधक (एफएंडए) को 01.02.2020 से मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के रूप में नियुक्त किया गया था।

डीआईएन आवंटन तिथि

कम्पनी के नियंत्रणाधीन न्यास / निधियां

- इरेडा कर्मचारी अभिदान भविष्य निधि न्यास
- इरेडा कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि न्यास
- इरेडा कर्मचारी परिभाषित अभिदान अधिवार्षिता न्यास
- इरेडा कर्मचारी परोपकारी निधि
- इरेडा विनियम जोखिम प्रशासन निधि

ii. संबंधित पक्षकारों को प्रतिपूर्ति

(लाख रुपए में)

विवरण	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2021	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2020
अल्पावधिक लाभ		
- बैठक शुल्क (स्वतंत्र निदेशकों को)*	27.70	19.20
- अन्य (कार्यकारी निदेशकों को वेतन)**	185.43	181.06
कार्यकारी निदेशकों को सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ**	20.76	13.25
कुल	**233.89**	**213.51**

***बैठक शुल्क**

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2021	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2020
1	अभिषेक महावर	4.90	6.40
2	इंदु बाला	-	2.60
3	जी.एम. रेड्डी	11.10	5.60
4	मधुश्री एम स्वामी	8.90	3.60
5	संजय जैन	2.80	1.00
	कुल	**27.70**	**19.20**

**ब्यौरा निम्नानुसार

**ब्यौरा निम्नानुसार

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	श्री प्रदीप कुमार दास, (सीएमडी)[1]	श्री प्रवीण कुमार (सीएमडी)[2]	श्री बी.पी. यादव, सीएमडी[3]		श्री एस.के. भार्गव, (डीएफ)[4]	चिंतन नवीनभाई शाह, (डीटी)		डॉ. आर.सी.शर्मा, (सीएफओ)[5]		श्री सुरेंद्र सुयाल, (सीएस)	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
1	वेतन और भत्ते	34.42	-	-	-	83.49	45.28	30.24	47.34	6.28	38.64	43.68
2	पूर्वापेक्षाओं का मूल्य	3.69	-	-	-	4.33	3.76	4.01	2.32	0.83	1.89	2.59
3	भविष्य निधि	2.84	-	-	-	2.73	2.90	2.56	3.29	0.53	2.83	2.63
4	अधिवार्षिता अभिदान / एनपीएस	2.13	-	-	-	1.82	2.18	1.5	2.47	-	2.12	1.45
5	चिकित्सा	1.92	-	-	-	1.64	2.01	1.81	2.23	0.33	1.93	1.73
	कुल	**45.00**	**-**	**-**	**-**	**94.01**	**56.13**	**40.12**	**57.65**	**7.97**	**47.41**	**52.08**

1. श्री प्रदीप कुमार दास को 06.05.2020 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।
2. श्री प्रवीण कुमार ने 01.03.2019 से 31.12.2019 तक सीएमडी के रूप में कार्य किया।
3. श्री बी.पी. यादव, संयुक्त सचिव, एमएनआरई (सरकारी नामित निदेशक, इरेडा) को दिनांक 02.01.2020 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीमडी), इरेडा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।
4. श्री एस.के भार्गव 31.01.2020 से अधिवार्षिता पर सेवानिवृत्त हो गए।
5. डॉ. आर. सी. शर्मा, महाप्रबंधक (वित्त तथा लेखा) को 01.02.2020 से मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) के रूप में नियुक्त किया गया था।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

टिप्पणी:

- अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और निदेशक (तकनीकी) को सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुसार मासिक शुल्क के भुगतान पर प्रति माह 1000 किलोमीटर की सीमा तक निजी यात्रा सहित स्टाफ कार की भी अनुमति दी गई है। ।
- कार्यकारी निदेशकों के लिए ग्रेच्युटी फंड के लिए योगदान अलग से सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है क्योंकि एलआईसी में योगदान कर्मचारी के अनुसार नहीं बनाया गया है।
- बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर कार्यकारी निदेशक को अवकाश नकदीकरण, सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ आदि का प्रावधान किया गया है।

iii. केएमपी को और से ऋण:

(लाख रुपए में)

विवरण	श्री प्रदीप कुमार दास, (सीएमडी)		श्री एस.के. भार्गव, (डीएफ)		श्री चिंतन नवीनभाई शाह (डीटी)		डॉ. आर.सी. शर्मा (सीएफओ)		श्री सुरेंद्र सुयाल, (सीएस)	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
केएमपी को ऋण										
वर्ष के प्रारंभ में ऋण	-	-	-	-	-	-	10.88	15.86	12.85	14.27
ऋण अग्रिम	-	-	-	-	-	-	2.32	-	-	1.90
पुनर्भुगतान प्राप्त	-	-	-	-	-	-	5.82	4.14	6.29	3.84
प्रभारित ब्याज	-	-	-	-	-	-	0.41	0.72	0.11	0.52
प्राप्त ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	1.56	2.51	-
ब्याज सहित वर्ष के अंत में शेष	-	-	-	-	-	-	7.79	10.88*	4.16	12.85
केएमपी से ऋण	**शून्य**									

* इस राशि में कम्पनी द्वारा देय 0.09 लाख रुपए का शेष शामिल है।

विभिन्न ऋण बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर्मचारी ऋण नीतियों के संदर्भ में दिए जाते हैं। केएमपी को ऋण उन्हीं नियमों और शर्तों पर दिया जाता है जिन पर कंपनी के अन्य कर्मचारियों को दिए जाते हैं। संबंधित पक्षों के लिए कोई प्रतिबद्धताएं लंबित नहीं हैं।

ख. सरकार और सरकारी निकायों के साथ किए गए लेन–देन के लिए प्रकटीकरण

(लाख रुपए में)

सरकार/ सरकारी निकायों का नाम	कम्पनी के साथ संबंध की प्रकृति	लेनदेन की प्रकृति	2020-21 के दौरान लेनदेन	2019-20 के दौरान लेनदेन	31 मार्च, 2021 को शेष	31 मार्च, 2020 को शेष
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई)	प्रशासनिक मंत्रालय	ऋण पुनर्भुगतान – एमएनआरई के माध्यम से आईडीए	1,392.05	874.96	26,645.45	28,740.87
		ब्याज भुगतान	212.74	205.05	-	-
		गारंटी शुल्क भुगतान	11,528.41	9,623.16	-	-
		एमएनआरई की ओर से कर योग्य बॉडों की उगाही	-	-	भारत सरकार के पूर्ण सर्विस बॉड सीरीज -I : 61,000.00 सीरीज IA : 22,000.00 सीरीज IB : 81,000.00 कुल : 164,000.00	

इरेडा भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (पीएसयू) है। एक ही सरकार के नियंत्रण/संयुक्त नियंत्रण में संबंधित पक्षों के साथ महत्वपूर्ण लेनदेन निम्नानुसार हैं:

कम्पनी का नाम	लेनदेन की प्रकृति	2020-21 के दौरान लेनदेन	2019-20 के दौरान लेनदेन	31 मार्च, 2021 को शेष	31 मार्च, 2020 को शेष
आंध्रा बैंक	ऋण का पुनर्भुगतान	-	115.92	-	-
पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड	ऋण का पुनर्भुगतान	-	46,000.00	-	-
रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड	ऋण का संवितरण	-	2,417.70	9,990.36	9,990.36
भारतीय स्टेट बैंक	ऋण का पुनर्भुगतान	89.45	671.37	404.61	494.06
एनर्जी एफीशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	सीआरएस गतिविधियों के लिए सोलर बेस्ड इंडक्शन और एसपीवी स्ट्रीट लाइटों की आपूर्ति	-	183.69	-	-
हाउसिंग एंड अर्बन डवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	प्रदत्त भूमि किराया और लाइसेंस शुल्क	7.60	7.69	-	-
भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, यूनिट अशोक होटल	होटल को भुगतान	-	16.45	-	-
भारतीय जीवन बीमा निगम – हैदराबाद रेंट	हैदराबाद शाखा कार्यालय के लिए किराया	6.95	5.01	-	0.34

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

कम्पनी का नाम	लेनदेन की प्रकृति	2020-21 के दौरान लेनदेन	2019-20 के दौरान लेनदेन	31 मार्च, 2021 को शेष	31 मार्च, 2020 को शेष
नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड	भाड़े पर लिए गए स्थल आरआइएनएल कार्यालय				
	के लिए अनुरक्षण प्रभार	89.37	8.98	-	0.42
पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रभार	9.25	9.12	-	1.88
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	भाड़े पर लिए गए स्थल आरआइएनएल का किराया	58.20	93.71	20.40	-0.04
सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया	व्यय की प्रतिपूर्ति	-	8.22	-9.37	-9.37
सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सौर परियोजना	कासरगोड परियोजना	171.78	-	181.00	352.78

कंपनी को सरकार से संबंधित संस्थाओं को ऋण पर 1,071.80 लाख (पिछले वर्षः रु. 3,469.57 लाख) और मूलधन के भुगतान पर रु. 89.45 लाख (पिछले वर्षः 46,787.29 लाख रुपये) रुपये का ब्याज भी मिला है।

सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ उपरोक्त लेनदेन में ऐसे लेनदेन शामिल हैं जो व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। कंपनी ने अन्य सीपीएसयू के साथ अन्य लेनदेन जैसे टेलीफोन खर्च, हवाई यात्रा और जमा आदि में भी प्रवेश किया है। वे व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से महत्वहीन हैं और इसलिए उनका खुलासा नहीं किया गया है। सभी लेनदेन बाजार की शर्तों पर किए जाते हैं।

एम.पी. विंडफार्म लिमिटेड से संबंधित प्रकटीकरण – सहयोगी कम्पनियां – संबंधित पक्षकार

संबंधित पक्षकार लेनदेन

विवरण	
I. संबंधित पक्षकार	
i. धारक कम्पनी	कन्सोलिडेटेड कन्सल्टेंट्स लिमिटेड
ii. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	प्रबंध निदेशकः डीपीएस धाकेड
	निदेशकः राजन देव

(लाख रुपए में)

II. संबंधित पक्षकार लेनदेन	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
i प्राप्त की गई सेवाएं		
भुगतान किया गया किराया (लागू करों सहित)	5.89	5.61
कन्सोलिडेटेड कन्सल्टेंट्स लिमिटेड		
ii. प्रबंध निदेशक का पारिश्रमिक		
डीपीएस धाकड़ (नियत पारिश्रमिक)	6.00	6.00

11. सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 34 (3) और 53 (च) द्वारा यथापेक्षित प्रकटीकरण

सहयोगी		31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
		31 मार्च, 2021 को राशि	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम राशि	31 मार्च, 2020 को राशि	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम राशि
1	ऋण और ऋणों की प्रकृति में अग्रिम	शून्य		शून्य	
क)	सहयोगियों को				
ख)	उन कम्पनियों को जिनमें निदेशकों की रुचि है				

12. भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 116 ''पट्टे'' के संबंध में प्रकटीकरण

कंपनी ने अप्रैल 01, 2019 के प्रारंभिक आवेदन की तारीख के साथ इंड एएस 116 को लागू किया है। कंपनी ने संशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए इंड एएस 116 को लागू किया है, जिसके तहत प्रारंभिक आवेदन के संचयी प्रभाव को अप्रैल 01, 2019 पर प्रतिधारित आय में स्वीकृत किया गया है। कंपनी ने 01 अप्रैल, 2019 को लागू होने वाली अपनी सभी लीज व्यवस्थाओं के लिए उपर्युक्त दृष्टिकोण को लागू किया है।

इंड एएस 116 के पैरा सी 11 के अनुसार, इंड एएस 17 को लागू करने वाले वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत किए गए पट्टों के लिए, प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर उपयोग के अधिकार की संपत्ति और पट्टा देयता की अग्रणी राशि होगी। लीज एसेट और लीज लायबिलिटी उस तारीख से ठीक पहले इंड एएस 17 को लागू करते हुए मापी जाती है। इसलिए, इंडिया हैबिटेट सेंटर (आईएचसी) और अगस्त क्रांति भवन (एकेबी) में लीजहोल्ड संपत्ति के मामले में लीज एसेट की अग्रणी राशि, कंपनी ने इंड एएस 116 के अनुसार संपत्ति के उपयोग के अधिकार के रूप में इसे आगे बढ़ाया है।

क) इंड एएस 116 के अनुसार प्रयोगाधिकार परिसम्पत्तियों के रूप में लेखांकित पट्टे का विवरण

कंपनी ने दिल्ली में ऑफिस स्पेस और केरल में सोलर पार्क लैंड आदि के लिए विभिन्न पार्टियों के साथ लीज एग्रीमेंट किया है। प्रत्येक एग्रीमेंट की अवधि और रेंटल भुगतान अलग–अलग हैं। हमने इंड एएस 116 के तहत उन पट्टों के लिए नए माप सिद्धांतों को लागू किया है जिन पर कंपनी की लेखा नीति के अनुरूप अल्पावधि पट्टे के तहत छूट उपलब्ध नहीं है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

ख) इंड एएस 116 के अंगीकरण के कारण लेखांकन नीति में परिवर्तन का प्रभाव इस प्रकार है:
वित्तीय वर्ष 2019–20 (अंगीकरण का वर्ष) के लिए

(लाख रुपए में)

विवरण	लीजहोल्ड–आईएचसी	लीजहोल्ड–एकेबी	आरआईएनएल लीज	कुल
संपत्ति संयंत्र और उपस्कर में कमी	133.61	1,678.98	-	1,812.59
लीज देनदारी में वृद्धि	-	-	102.42	102.42
प्रयोगाधिकार में वृद्धि	133.61	1,678.98	99.01	1,911.60
वित्त लागत में वृद्धि	-	-	10.63	10.63
मूल्ह्रास में वृद्धि	-	-	74.26	74.26
आस्थगित कर देनदारी में निवल वृद्धि	106.24	106.24	106.24	106.24

ग) पट्टा देनदारियों का परिपक्वता विश्लेषण
31.03.2021 को

(लाख रुपए में)

परिपक्वता विश्लेषण – संविदागत छूट रहित नकद प्रवाह	मुम्बई कार्यालय	सौर संयंत्र – केरल	कुल
7 दिन तक	1.89	-	**1.89**
7 दिन से अधिक – 15 दिन तक	-	-	**-**
15 दिन से अधिक – 30/31 दिन (1 महीना) तक	-	-	**-**
1 महीने से अधिक – 2 महीने तक	1.89	-	**1.89**
2 महीने से अधिक – 3 महीने तक	1.89	57.84	**59.73**
3 महीने से अधिक – 6 महीने तक	5.66	-	**5.66**
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष तक	12.18	-	**12.18**
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	52.43	78.04	**130.47**
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	43.07	78.04	**121.11**
5 वर्ष से अधिक	-	702.36	**702.36**
31 मार्च, 2021 को कुल छूट रहित लीज देनदारियां	119.01	916.28	**1,035.29**
31 मार्च, 2021 को वित्तीय स्थिति के विवरण में शामिल लीज देनदारियां	100.77	433.34	**534.11**
चालू	16.82	57.84	**74.66**
गैर–चालू	83.95	375.50	**459.45**

31.03.2020 को

(लाख रुपए में)

परिपक्वता विश्लेषण – संविदागत छूट रहित नकद प्रवाह	आरआईएनएल लीज	कुल
7 दिन तक	6.79	6.79
7 दिन से अधिक – 15 दिन तक	-	-
15 दिन से अधिक – 30/31 दिन (1 महीना) तक	-	-

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

(लाख रुपए में)

परिपक्वता विश्लेषण – संविदागत छूट रहित नकद प्रवाह	आरआईएनएल लीज	कुल
1 महीने से अधिक – 2 महीने तक	6.79	6.79
2 महीने से अधिक – 3 महीने तक	6.79	6.79
3 महीने से अधिक – 6 महीने तक	20.37	20.37
6 महीने से अधिक – 1 वर्ष तक	40.74	40.74
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	27.16	27.16
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	-	-
5 वर्ष से अधिक	-	-
31 मार्च, 2021 को कुल छूट रहित लीज देनदारियां	108.63	108.63
31 मार्च, 2021 को वित्तीय स्थिति के विवरण में शामिल लीज देनदारियां	102.42	102.42
चालू	75.73	75.73
गैर–चालू	26.69	26.69

घ) लाभ या हानि में स्वीकृत राशियां

31.03.2021 को समाप्त अवधि

(लाख रुपए में)

विवरण	लीजहोल्ड–आईएचसी	लीजहोल्ड – एकेबी	आरआईएनएल लीज	मुम्बई कार्यालय	सौर संयंत्र–केरल	कुल
लीज देनदारियों पर ब्याज	-	-	4.12	3.77	-	**7.89**
लीज देनदारियों के मापन में शामिल न किए गए चल लीज भुगतान	-	-	-	-	-	**-**
प्रयोगाधिकार परिसम्पत्तियों की सब–लीजिंग से आय	-	-	-	-	-	**-**
लीज देनदारियों की स्वीकृति रद्द करना*	-	-	59.02	-	-	**59.02**
प्रयोगाधिकार परिसम्पत्तियों की स्वीकृति रद्द करना*	-	-	173.27	-	-	**173.27**
प्रयोगाधिकार परिसम्पत्तियों के संचित मूल्यह्रास की स्वीकृति रद्द करना*	-	-	117.57	-	-	**117.57**
अल्पावधिक पट्टों से संबंधित व्यय	-	-	-	-	-	**-**
अंतरर्निहित परिसम्पत्ति की श्रेणी द्वारा प्रयोगाधिकार परिसम्पत्तियों के लिए मूल्यह्रास प्रभार;	13.71	161.72	43.32	11.84	9.08	**239.66**

*आरआईएनएल से लीज पर लिए गए कार्यालय परिसर को इरेडा द्वारा खाली कर दिया गया था और 30 अक्टूबर, 2020 को आरआईएनएल को कब्जा सौंप दिया गया।

31.03.2021 को समाप्त अवधि

(लाख रुपए में)

विवरण	लीजहोल्ड–आईएचसी	लीजहोल्ड–एकेबी	आरआईएनएल लीज	कुल
लीज देनदारियों पर ब्याज	-	-	10.63	**10.63**
अंतरर्निहित परिसम्पत्ति की श्रेणी द्वारा प्रयोगाधिकार परिसम्पत्तियों के लिए मूल्यह्रास प्रभार	15.71	181.30	74.26	**271.27**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

ड) नकद प्रवाहों के विवरण में स्वीकृत राशियां

(लाख रुपए में)

विवरण	लीजहोल्ड– आईएचसी	लीजहोल्ड– एकेबी	आरआई एनएल लीज	मुम्बई कार्यालय	सौर संयंत्र – केरल	कुल
31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	-	-	47.53	12.27	-	**59.80**
31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	-	-	81.48		-	**81.48**

च) तुलन पत्र में स्वीकृत राशियां

31.03.202 को

(लाख रुपए में)

विवरण	लीजहोल्ड– आईएचसी	लीजहोल्ड– एकेबी	आरआई एनएल लीज	मुम्बई कार्यालय	सौर संयंत्र – केरल*	कुल
वर्ष के प्रारंभ में शेष	172.34	2,110.10	173.27	-	-	**2,455.71**
प्रयोगाधिकार परिसम्पत्तियों में संवर्धन	-	-	-	109.27	433.34	**542.61**
प्रयोगाधिकार परिसम्पत्तियों का विलोप/स्वीकृति रद्द करना	-	-	- 173.27	-	-	**- 173.27**
वर्ष के अंत में शेष	172.34	2,110.10	-	109.27	433.34	**2,825.06**
अंतर्निहित परिसम्पत्ति की श्रेणी द्वारा प्रतिवेदन अवधि के अंत में प्रयोगाधिकार परिसम्पत्तियों की वाहित राशि	104.19	1,335.96	-	97.43	424.26	**1,961.84**

*कंपनी ने 19 जनवरी 2021 को रिन्यूएबल पावर कॉरपोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड (RPCKL) के साथ कासरगोड सोलर पार्क में भूमि उपयोग के लिए समझौते को क्रियान्वित किया है। समझौते के अनुसार, कंपनी को 06.10.2020 तक भूमि पट्टा शुल्क के भुगतान से छूट दी गई थी।

31.03.2020 को

(लाख रुपए में)

विवरण	लीजहोल्ड– आईएचसी	लीजहोल्ड– एकेबी	आरआईएनएल लीज	कुल
प्रयोगाधिकार परिसम्पत्तियों में संवर्धन	172.34*	2,110.10*	173.27	**2,455.71**
अंतर्निहित परिसम्पत्ति की श्रेणी द्वारा प्रतिवेदन अवधि के अंत में प्रयोगाधिकार परिसम्पत्तियों की वाहित राशि	117.90	1,497.68	99.01	**1,714.60**

* इंड एएस 116 के पैरा सी 11 के अनुसार, इंड एएस 17 को लागू करने वाले वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत किए गए पट्टों के लिए, प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर उपयोग के अधिकार की संपत्ति और पट्टा देयता की अग्रणी राशि होगी। लीज एसेट और लीज लायबिलिटी उस तारीख से ठीक पहले इंड एएस 17 को लागू करते हुए मापी जाती है। इसलिए, इंडिया हैबिटेट सेंटर (आईएचसी) और अगस्त क्रांति भवन (एकेबी) में लीजहोल्ड संपत्ति के मामले में लीज एसेट की अग्रणी राशि, कंपनी ने इंड एएस 116 के अनुसार संपत्ति के उपयोग के अधिकार के रूप में इसे आगे बढ़ाया है।

छ) अन्य प्रकटीकरण

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित व्यय	6.05	9.12

13. भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस)–33 ''आय प्रति शेयर (ईपीएस)'' के संबंध में प्रकटीकरण

क. मूल ईपीएस

मूल ईपीएस की गणना में उपयोग किए जाने वाले साधारण शेयरों की कमाई और भारित औसत संख्या इस प्रकार है:–

विवरण	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2021	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2020
वर्ष के लिए लाभ (हानि), कम्पनी के स्वामियों पर रोप्य (लाख रुपए)	34,638.19	21,461.43
मूल आय प्रति शेयर की गणना में प्रयुक्त आय (क) (लाख रुपए)	34,638.19	21,461.43
मूल आय प्रति शेयर के उद्देश्य से सामान्य शेयरों की भारित औसत संख्या (ख)	784,600,000	78,46,00,000
मूल ईपीएस (क/ख) (रुपए में)	4.41	2.74

ख. विरलित ईपीएस

विरलित ईपीएस की गणना में प्रयुक्त सामान्य शेयरों की आय और भारित औसत संख्या निम्नानुसार है:

विवरण	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2021	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2020
वर्ष के लिए लाभ (हानि), कम्पनी के स्वामियों पर रोप्य (लाख रुपए)	34,638.19	21,461.43
विरलित आय प्रति शेयर की गणना में प्रयुक्त आय (क) (लाख रुपए)	34,638.19	21,461.43
विरलित आय प्रति शेयर के उद्देश्य से सामान्य शेयरों की भारित औसत संख्या (ख)	784,600,000	78,46,00,000
विरलित ईपीएस (क/ख) (रुपए में)	4.41	2.74

14. निष्पादन संबद्ध वेतन

वर्ष के दौरान कंपनी ने प्रासंगिक वर्ष के लिए निष्पादन संबद्ध वेतन के लिए रुपये 199.56 लाख (पिछले वर्ष: रु. 600.00 लाख) रुपये की राशि का प्रावधान किया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए पीआरपी के लिए अंतर्निहित योजना के अनुसार पात्र कर्मचारियों को वर्ष के दौरान 400.34 लाख रुपए (पिछले वर्ष: शून्य लाख रुपये) का भुगतान किया गया था।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

15. परिसम्पत्तियों पर सृजित प्रतिभूति

i. प्रतिभूति के रूप में रेहन रखी गई परिसम्पत्तियां

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
हमारे ऋणों और अग्रिमों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार (कम्पनी के बही ऋण)		
वित्तीय परिसम्पत्तियां		
- कर मुक्त बॉण्ड	275,765.46	275,765.46
-बैंकों की उधार राशियां*	123,495.37	171,659.84
-विदेशी मुद्रा ऋण	202,435.71	225,949.43
गैर वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-
अस्थायी प्रभार		
वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-
गैर वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-

इसके अतिरिक्त, 31.03.2021 को 441,692.75 लाख रुपये की राशि (पिछले वर्ष रू. 456,683.92 लाख रुपये) के कर योग्य बांड, ऋणात्मक ग्रहणाधिकार द्वारा प्रत्याभूत हैं।

*कंपनी के बैंक उधारों के संबंध में सृजित प्रभारों का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	ऋणदाता संस्था	सृजित प्रभार का ब्यौरा
1	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	100 प्रतिशत कवर के साथ 90 दिनों तक बही ऋणों और प्राप्य राशियों पर समरूप प्रभार
2	भारतीय स्टेट बैंक	ऋण राशि के 100 प्रतिशत के अध्यधीन बही ऋणों के दृष्टिबंधक के माध्यम से प्रथम समरूप प्रभार
3	बैंक ऑफ इंडिया	100 प्रतिशत के सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्य राशियों पर प्रथम समरूप शुल्क
4	पंजाब नेशनल बैंक	बकाया ऋण राशि के 1.00 गुना के न्यूनतम सुरक्षा कवर के साथ कंपनी के सभी वर्तमान और भविष्य की प्राप्तियों पर प्रथम समरूप प्रभार।
5	बैंक ऑफ बड़ौदा (वित्तीय वर्ष 20–21 में पूर्व–समाप्त आवधिक ऋण)	कुल ऋण स्वीकृति सीमा के 100 प्रतिशत के अधीन बही ऋणों के रेहन के माध्यम से प्रथम समरूप प्रभार और मानक परिसंपत्तियों से संबंधित बही ऋणों/ऋण प्राप्तियों का रेहन। (प्रभार 12/05/2021 को चुकाया गया)
6	केनरा बैंक (वित्तीय वर्ष 20–21 में पूर्व–समाप्त आवधिक ऋण)	मानक परिसम्पत्तियों पर प्रथम समरूप प्रभार (बही ऋण) (प्रभार 24/3/2021 को चुकाया गया)

ii. बही ऋणों पर ऋणात्मक ग्रहणाधिकार द्वारा प्रत्याभूत

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
ऋणात्मक ग्रहणाधिकार (कम्पनी के बही ऋण)		
वित्तीय परिसम्पत्तियां		
-कर योग्य बाण्ड	441,692.75	456,683.92
गैर–वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-

16. कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिम और उधार से जुड़े ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के अनुसरण में व्युत्पन्न उपकरणों का उपयोग करती है। विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम की हेजिंग के लिए, कंपनी विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध, क्रॉस करेंसी स्वैप और ब्याज दर स्वैप का उपयोग करती है। हेज अकाउंटिंग के तहत नामित डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स प्रभावी हेज हैं, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के उचित मूल्य में बदलाव को 'कैश फ्लो हेजेज के प्रभावी हिस्से' में मान्यता दी गई है। इस तरह के रिजर्व में मान्यता प्राप्त राशि को लाभ और हानि के विवरण में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, जब बचाव की गई (हैज्ड) वस्तु लाभ या हानि को प्रभावित करती है।

17. उधार लेने वाली संस्थाओं की संपत्ति आदि के रूप में रखी गई प्रतिभूति के अतिरिक्त, कंपनी के पास बैंकों द्वारा जारी एफडीआर और गारंटी के रूप में 11,658.90 लाख रुपये और दिए गए ऋणों के लिए अतिरिक्त प्रतिभूतियों के रूप में क्रमशः 19,476.29 लाख (पिछले वर्षः रु. 5,938.06 लाख और रु. 18,041.58 लाख) रुपये की गारंटी है।

18. इरेडा की बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा और व्युत्पन्न जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार, विदेशी मुद्रा ऋण (बकाया विदेशी मुद्रा उधार का 40 प्रतिशत) पर एक खुला जोखिम अनुमेय है। 31 मार्च, 2021 पर खुला एक्सपोजर रु. 235,254.31 लाख (पिछले वर्षः 261,350.75 लाख रुपये) जो कि बकाया विदेशी मुद्रा उधार का 22.80 प्रतिशत (पिछले वर्षः 24.58 प्रतिशत) है और अनुमेय सीमा के भीतर है।

उक्त ओपन एक्सपोजर में से पार्ट हेजिंग यूरो मुद्रा ऋण (पिछले वर्षः 61,474,891.72 अमरीकी डालर के यूरो ऋण के बराबर 46,343.40 लाख रुपये) के लिए केवल मूलधन स्वैप (यूएसडी/आईएनआर) लेकर यूएसडी 36,808,471.72 के बराबर 27,055.96 लाख रुपए के लिए किया गया है।

19. भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 40 – ''निवेश सम्पत्ति'' के अनुसार प्रकटीकरण

(i) जंगुपरा, दिल्ली में आवासीय फ्लैट

(ii) आयों और व्ययों का ब्यौराः

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
किराया आय	5.50*	6.60
प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय	0.05	0.04

*लीज को दिनांक 01.04.2015 से समाप्त कर दिया गया है और राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (एनआईडब्ल्यूई) द्वारा इरेडा को खाली फ्लैट का कब्जा सौंपा जा चुका है।

(iii) निवेश परिसम्पत्ति का उचित मूल्य

दिनांक 31.03.2021 को सम्पत्ति का बाजार मूल्य (प्रमाणित मूल्यांकनकर्ता द्वारा) 211.00 लाख रुपए (गत वर्षः 211.00 लाख रुपए) आंका गया है।

20. भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 27 – ''पृथक वित्तीय विवरण''

निम्नलिखित सूचना कम्पनी के सहयोगी कम्पनी के संबंध में हैः

निकाय का नाम	कारोबार का स्थान/ निगमीकरण का देश	समूह गैर–नियंत्रक ब्याज राशियों द्वारा धारित स्वामित्व ब्याज	प्रधान गतिविधियां	संबंध	लेखांकल पद्धति	वाहित राशि (लाख रुपए में)
सहयोगी कम्पनी में निवेश						
एमपी विंड फार्म्स लिमिटेड में निवेश	मध्य प्रदेश – भारत	24%	ऊर्जा उत्पादन	सहयोगी	इक्विटी पद्धति	12.00

21. सम्पत्ति, संयत्र और उपस्कर की लागत में शामिल बंदी देनदारियां

इंड एएस 16 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण अनुलग्नक–क "मौजूदा डीकमीशनिंग, बहाली और इसी तरह की देनदारियों में परिवर्तन" के अनुसार, डीकमीशनिंग, बहाली या इसी तरह की देयता में विनिर्दिष्ट परिवर्तनों को उस परिसंपत्ति की लागत से जोड़ा या घटाया जाना चाहिए जिसमें यह संबंधितय परिसंपत्ति की समायोजित मूल्यह्रास राशि को उसके शेष उपयोगी जीवन पर संभावित रूप से मूल्यह्रास किया जाता है। इंडस्ट्रीज एएस 16 के पैरा 55 के अनुसार, एक परिसंपत्ति की मूल्यह्रास राशि उसके अवशिष्ट मूल्य को घटाने के बाद निर्धारित की जाती है। डीकमिशनिंग देयता की राशि और सौर संयंत्र से संबंधित अवशिष्ट मूल्य विश्वसनीय रूप से सुनिश्चित नहीं है। इसलिए, सौर संयंत्र से संबंधित डीकमिशनिंग देयता और अवशिष्ट मूल्य पर विचार नहीं किया गया है। हालांकि, प्रबंधन की राय है कि बंद करने की लागत (सौर संयंत्र के अवशिष्ट मूल्य का निवल) महत्वपूर्ण नहीं होगी।

22. वित्तीय विवरणों का अनुमोदन

वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया और 30.05.2021 को जारी किए जाने के लिए प्राधिकृत किया गया।

23. ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व

कंपनी के पास सोलर पावर प्लांट है। बिजली खरीद समझौते (पीपीए) पर इरेडा और केरल राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड (केएसईबीएल) के बीच 31.03.2017 / रुपये पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 4-95/KWH या केरल राज्य विद्युत नियामक आयोग (KSERC) द्वारा अनुमोदित दर, जो भी कम हो। तदनुसार इरेडा ने केएसईआरसी के साथ बिजली खरीद समझौते के अनुमोदन के लिए एक याचिका दायर की, जिसने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 14.02.18 में रुपये के अंतरिम टैरिफ को मंजूरी दी है। मार्च, 2018 तक 3.90 प्रति यूनिट। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, केएसईआरसी ने एक टैरिफ आदेश पारित किया है और प्रति यूनिट 3.83 रुपये का टैरिफ निर्धारित किया है। तदनुसार, कंपनी ने केएसईबीएल को बिजली की डिलीवरी पर सकल राजस्व को मान्यता दी है।

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		
		उत्पादित यूनिट (मिल.)	दर प्रति इकाई (रुपए)	कुल (लाख रुपए में)
i)	ऊर्जा उत्पादन	73.04	3.83	2,797.69
क्र.सं.	क्र.सं.	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		
		उत्पादित यूनिट (मिल.)	दर प्रति इकाई (रुपए)	कुल (लाख रुपए में)
i)	ऊर्जा उत्पादन	73.16	3.83	2,802.03

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
बिक्रियों में शामिल बिल न किए गए राजस्व की राशि	303.06	316.54

क) राजस्व का पृथक्करण

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से कंपनी के राजस्व का पृथक्करण नीचे दिया गया है

सौर ऊर्जा संयंत्र से राजस्व

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
1	**राजस्व**		
प्रचालनों से निवल राजस्व (2 प्रतिशत छूट से निवल, जहां लागू हो)		2,741.73	2,745.99
2	**प्राथमिक भौगोलिक बाजार**		
घरेलू राजस्व		2,741.73	2,745.99
अंतरराष्ट्रीय राजस्व		-	-
कुल राजस्व		**2,741.73**	**2,745.99**
3	**राजस्व स्वीकृति का समय**		
एक समय में		-	-
समय के बाद		2,741.73	2,745.99
कुल राजस्व		**2,741.73**	**2,745.99**

टिप्पणी: केएसईबीएल ऊर्जा की बिक्री के लिए एकमात्र ग्राहक है

ख) कारोबार प्राप्य और संविदा शेष

निम्न तालिका ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्य और अनुबंध देनदारियों के बारे में जानकारी प्रदान करती है:–

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
कारोबार प्राप्य (निवल) (सौर संयंत्र)	297.00	311.96

24. सौर ऊर्जा परियोजना

कंपनी ने केरल राज्य में कासरगोड जिले के अंबालाथरा सोलर पार्क में स्थित इरेडा की 50 मेगावाट सौर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2014–15 में भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसे वित्तीय वर्ष 2016–17 में बहीखातों में रु. 29,398.48 लाख पर पूंजीकृत किया गया है। इसके बदले में, एसईसीआई (एक परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में) ने इरेडा की ओर से मेसर्स जैक्सन इंजीनियर्स लिमिटेड का ईपीसी (इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन) कंसल्टेंट के रूप में डिजाइन, इंजीनियरिंग, आपूर्ति, निर्माण, इरेक्शन, टेस्टिंग, सोलर पीवी पावर प्लांट की स्थापना के लिए 26,929.25 लाख रुपये प्लस 8% प्रबंधन शुल्क (कर सहित) एसईसीआई को देय और रु. 2,456.32 लाख रुपये की निश्चित कीमत पर चयन किया है। । वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान 12.92 लाख का ब्याज पूंजीकृत किया जा रहा है। रुपये की राशि। 1,500. 00 लाख (करों को छोड़कर) जो कि अक्षय ऊर्जा निगम केरल लिमिटेड (आरपीसीकेएल), सोलर पार्क डेवलपर को निकासी शुल्क के लिए अग्रिम के रूप में भुगतान किया गया था, वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान पूंजीकृत किया गया था। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, 812.71 लाख रुपये की एक और राशि का भुगतान और पूंजीकरण किया गया।

पीपीए पर दिनांक 31.03.2017 को इरेडा और केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड (केएसईबीएल) के बीच 4.95 / केडब्ल्यूएच या केरल राज्य विद्युत नियामक आयोग (केएसईआरसी) द्वारा अनुमोदित दर, जो भी कम हो, से हस्ताक्षर किए गए थे।। तदनुसार इरेडा ने केएसईआरसी के साथ बिजली खरीद समझौते के अनुमोदन के लिए एक याचिका दायर की, जिसने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 14.02.18 में रुपये के अंतरिम टैरिफ को मंजूरी दी थी। 3.90 प्रति यूनिट। इसके अलावा, केएसईआरसी ने दिनांक 06.02.19 के अपने आदेश में 3.83 रुपये प्रति यूनिट के स्तर पर टैरिफ को मंजूरी दी थी। इसने आगे निम्नानुसार आदेश भी दिया है:

- केएसईबी लिमिटेड इस आदेश में निर्दिष्ट इक्विटी की राशि तक सीमित आरओई पर भुगतान किए गए किसी भी कर की प्रतिपूर्ति करेगा। कर का दावा करने के लिए, डेवलपर केएसईबी लिमिटेड को ऐसे कर के भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

- केएसईबी लिमिटेड, उपरोक्त के अतिरिक्त, इरेडा / आरपीसीकेएल द्वारा भुगतान की गई भूमि पट्टे की, सब्सिडी के रूप में प्राप्त राशि, यदि कोई हो, की प्रतिपूर्ति करेगा।

तदनुसार, इरेडा ने आरपीसीकेएल से 1,313 लाख रु. का दावा किया था, जिन्होंने दावे और उसके मूल्य के बारे में नकारात्मक जवाब दिया था। इसके अलावा, इरेडा ने निर्धारित टैरिफ की समीक्षा के लिए एक समीक्षा याचिका के साथ बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) से संपर्क किया है। इसके बावजूद, उत्पादन आय 3.83 रुपये प्रति यूनिट लेखांकित की गई है ।

संयंत्र की निष्पादन गारंटी परीक्षण परिचालन स्वीकृति हो चुकी थी और कंपनी ने दिनांक 09.03.2020 को परिचालन स्वीकृति प्रमाणपत्र जारी किया था। प्लांट हैंडओवर और टेकओवर दिनांक 09.03.2021 को किया गया है। सौर परियोजना लीजहोल्ड भूमि पर स्थापित की गई है, जिसके लिए पहले 5 वर्षों के लिए कोई पट्टा किराया देय नहीं था। वर्ष के दौरान, कंपनी ने भूमि उपयोग के संबंध में रिन्यूएबल पावर कॉरपोरेशन ऑफ केरला लिमिटेड (आरपीसीकेएल) के साथ एक पट्टा समझौता किया है। अनुबंध के अनुसार, कंपनी को दिनांक 06.10.2020 तक भूमि पट्टा शुल्क के भुगतान से छूट दी गई थी।

25. लीजहोल्ड भवनों के संबंध में हस्तांतरण विलेख – 41.43 लाख रुपये की लागत वाला एक आवासीय फ्लैट (31 मार्च, 2021 को वहन लागतः 4.25 लाख रुपये (पिछले वर्ष 5.09 लाख रुपये), कार्यालय परिसर–आईएचसी की लागत रु। 439.57 लाख (दिनांक 31 मार्च, 2021 को वहन करने की लागतः 104.19 लाख रुपये (पिछले वर्षः 117.90 लाख रुपये), और कार्यालय परिसर–एकेबी की लागत 4,227.58 लाख रुपये (31 मार्च, 2021 को वहन करने की लागतः 1,335.96 लाख रुपये) (पिछला वर्षः रु. 1,497.68 लाख–एस), अभी कंपनी के पक्ष में निष्पादित किए जाने हैं। लागत में भूमि का आनुपातिक मूल्य शामिल है जिसका अलग से निर्धारण और लेखांकन नहीं किया गया है। इस प्रकार, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची। में निर्धारित दरों पर समग्र लागत पर मूल्यह्रास लगाया गया है। टिप्पणी संख्या 38(12) देखें।

26. सभी आवासीय और कार्यालय परिसरों के संबंध में दिनांक 31 मार्च, 2021 तक की गई संपत्ति कर की मांग का भुगतान कर दिया गया है। इंडिया हैबिटेट सेंटर में कार्यालय भवन के संबंध में दिनांक 31 मार्च, 2021 तक इंडिया हैबिटेट सेंटर की मांग के अनुसार संपत्ति कर का भुगतान किया गया है, जो इकाई क्षेत्र पद्धति पर आधारित था। दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने 1994–2004 की अवधि के लिए अनुमत मूल्य की गणना के उद्देश्य से सुविधा क्षेत्र के लिए प्राप्त लाइसेंस शुल्क को शामिल करने के लिए इंडिया हैबिटेट सेंटर के साथ एक मुद्दा उठाया है। यह मामला अब माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। यदि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय कंपनी के खिलाफ फैसला करता है, तो नगरपालिका कर के कारण देयता को फिर से काम करना होगा जो इस स्तर पर सुनिश्चित नहीं है।

27. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, इरेडा को निदेशक मंडल की एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति का गठन करना अपेक्षित है और कंपनी को अपने तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का 2% खर्च करना होगा। वर्ष की गणना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के अनुसार की गई है। तदनुसार, इरेडा के निदेशक मंडल की एक सीएसआर समिति है जिसमें एक स्वतंत्र निदेशक सहित 4 निदेशक शामिल हैं।

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली कुल राशि का विवरणः

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
1	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि	727.36	1,340.01
2	गत वर्ष से आगे लाई गई राशि	1,440.21	2,019.24
3	खर्च किए जाने के लिए सकल राशि	2,167.56	3,359.25
4	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	1,641.60*	1,919.04
5	खर्च न की गई राशि	525.97**	1,440.21

*बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर खर्च सहित रु. वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (5) के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि के मुकाबले वित्त वर्ष 2020–21 के लिए 902.02 लाख रुपये, वित्त वर्ष 2020–21 के लिए 727.36 लाख रुपये। आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि रु.174.66 लाख।

** एमसीए अधिसूचना दिनांक 22.01.2021 के मद्देनजर, संभावित रूप से लागू, वित्तीय वर्ष 2020–21 से संबंधित अव्ययित राशि को सीएसआर अव्ययित खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। सीएसआर अव्ययित राशि पिछले वर्षों से संबंधित है, चल रही परियोजनाओं से संबंधित है और बाद के वर्षों में खर्च की जाएगी।

वित्त वर्ष 2020–21 के लिए, बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कर पूर्व औसत एकल लाभ के 2: के आधार पर 727.36 लाख (पिछले वर्ष 1,340.01 लाख रुपये) रुपये के सीएसआर बजट को मंजूरी दी थी। एक वर्ष में संस्वीकृत परियोजनाओं को अनुवर्ती वर्ष में पूरा करना होता है और परियोजना की पूर्णता के विभिन्न स्तरों के लिए लक्ष्य संबद्ध भुगतान होता है। इसके अतिरिक्त, डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, सीएसआर बजट अव्यपगत है और किसी भी अव्ययित राशि को उस उद्देश्य के लिए उपयोग के लिए अगले वर्ष तक ले जाया जाता है जिसके लिए इसे आवंटित किया गया था।

वर्ष के दौरान, इरेडा द्वारा सीएसआर के अंतर्गत वित्तपोषित किए जाने के लिए, 902.02 लाख रुपए (गत वर्ष: 2,430.88 लाख रुपए) के कुल परिव्यय सहित, निम्नलिखित नई परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं:

क्र. सं.	चिह्नित सीएसआर परियोजना या गतिविधि	परिव्यय	कार्यान्वयन एजेंसी	स्थिति -31.03.2021
स्वास्थ्य सेवा (कोविड – 19)				
1	कोविड–19 के खिलाफ लड़ाई मजबूत करने के लिए पीएम–केयर्स फंड में योगदान	750.00	इरेडा द्वारा प्रत्यक्ष	पूर्ण
2	बलरामपुर और चंदौली जिलों में अस्पतालों में नियोजित मेडिकल स्टाफ के लिए 1500 पीपीई किटों और 4000 तीन परत वाले मास्कों का प्रावधान	20.55	केंद्रीय भंडार, लखनऊ	पूर्ण
3	बलरामपुर और चंदौली के आकांक्षी जिलों और दिल्ली में इरेडा के हितधारकों में 5000 इरेडा ब्रांडेड क्लॉथ मास्क की आपूर्ति	6.29	केंद्रीय भंडार, लखनऊ	पूर्ण
4	अस्पतालों में लगे मेडिकल स्टाफ के लिए 4000 पीपीई किट और 40000 थ्री लेयर मास्क का प्रावधान और बलरामपुर और चंदौली आकांक्षी जिलों में कोविड–19 उपयुक्त व्यवहार के अभियान के लिए सामग्री	46.12	केंद्रीय भंडार, लखनऊ	पूर्ण
स्वास्थ्य सेवा				
5	कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में सम्फिया फाउंडेशन के ऑन व्हील्स थेरेपी कार्यक्रम चलाने के लिए मोबाइल मेडिकल वैन का प्रावधान	35.20	सम्फिया फाउंडेशन	पूर्ण
पर्यावरण स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण				
6	इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में स्काडा प्रणाली का प्रावधान	30.00	इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली	पूर्ण

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

क्र. सं.	चिह्नित सीएसआर परियोजना या गतिविधि	परिव्यय	कार्यान्वयन एजेंसी	स्थिति -31.03.2021
7	जीवोदय फाउंडेशन इटारसी, मध्य प्रदेश में 2 अदद 5 केडब्ल्यूपी सोलर पीवी सिस्टम और 20 सोलर पीवी लाइटिंग सिस्टम की संस्थापना का प्रावधान	13.86	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड	पूर्ण
कुल परिव्ययः		**902.02**		

वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की गई राशिः :

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	नकद में	अब भी मामले में भुगतान	कुल	नकद में	अब भी मामले में भुगतान	कुल
		2020-21			2019-20		
(i)	किसी परिसम्पत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	1,640.40	-	1,640.40	1,911.77	-	1,911.77
(ii)	उपर्युक्त (I) के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों पर	1.19	-	1.19	7.27	-	7.27
	कुल	**1,641.60**	**-**	**1,641.60**	**1,919.04**	**-**	**1,919.04**

वर्ष के दौरान, परियोजनाओं की प्रगति के आधार पर सीएसआर परियोजनाओं पर 1,641.60 लाख (पिछले वर्ष 1,919.04 लाख रुपये) रुपये की राशि खर्च की गई है। वर्ष के दौरान जारी की गई धनराशि में से रु. 902.20 लाख वित्तीय वर्ष 2020–21 में स्वीकृत परियोजनाओं से संबंधित है और शेष रु। 739.39 लाख पूर्व के वर्षों में स्वीकृत परियोजनाओं से संबंधित हैं (पिछले वर्ष कुल 1,919.04 लाख रुपये खर्च किए गए थे, जिनमें से 1,321.52 लाख रुपये वित्तीय वर्ष 2019–20 में स्वीकृत और वितरित परियोजनाओं पर खर्च से संबंधित थे और शेष 597.52 लाख रुपये पिछले वर्षों में स्वीकृत परियोजनाओं से संबंधित हैं)।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए व्ययित और अव्ययित राशि का ब्यौराः

(लाख रुपए में)

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कुल व्ययित राशि (लाख रुपए में)	अव्ययित राशि (लाख रुपए में)				
	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(5) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में हस्तांतरित कुल राशि		
	राशि (लाख रुपए में)	हस्तांतरण की तारीख	निधि का नाम	राशि (लाख रुपए में)	हस्तांतरण की तारीख
902.20	-	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं

गत वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का ब्यौराः–

(लाख रुपए में)

धारा 135(5) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (लाख रुपए में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (लाख रुपए में)	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में हस्तांतरित कुल राशि			अगले वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि (लाख रुपए में)
		निधि का नाम	राशि (लाख रुपए में)	हस्तांतरण की तारीख	
-	739.39	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	527.97*

* वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए खर्च किए गए अतिशेष 174.66 लाख रुपए के समायोजन के बाद अनुवर्ती वित्तीय वर्षों में निपटान के लिए उपलब्ध

28. लेखापरीक्षक को पारिश्रमिक

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखापरीक्षक		
• सीमित समीक्षा	2.21[1]	1.50
• सांविधिक लेखापरीक्षा	8.83[2]	6.00
• कर लेखापरीक्षा	2.95[3]	2.00
• अंतरिम लेखों के लिए लेखापरीक्षा शुल्क	5.95	-
अन्य सेवाएं		
• प्रमाणन शुल्क	1.75	2.25[4]
• आईएफसीएस लेखापरीक्षा	-	2.00[5]
• डीआरएचपी आईपीओ से संबंधित	3.00	16.00[5]
कुल	**24.69**	**29.75**

टिप्पणियां:

1 वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 0.23 लाख रुपए शामिल है।
2 वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 0.90 लाख रुपए शामिल हैं।
3 वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 0.30 लाख रुपए शामिल हैं।
4 वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 1.25 लाख रुपए शामिल हैं।
5 वित्तीय वर्ष 2018–19 से संबंधित है।

29. आस्थगित कर – इंड एएस 12 'आयकर' के अनुसार प्रकटीकरण

क. लाभ हानि विवरण में स्वीकृत कर

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
निम्नलिखित के संबंध में चालू आयकर व्ययः		
चालू वर्ष	29,162.31	10,013.33
पूर्व वर्षों का समायोजन	-	-
उप योग (क)	29,162.31	10,013.33
आस्थगित कर व्यय	-	-
अस्थायी भिन्नताओं की उत्पत्ति और उत्क्रमण	(6,851.31)	(7,357.10)
पूर्व में गैर–स्वीकृत कर हानि, कर क्रेडिट या पूर्व अवधि का अस्थायी अंतर (आस्थगित कर व्यय को कम करने के लिए प्रयुक्त)	-	-
उप योग (ख)	(6,851.31)	(7,357.10)
कुल (ग=क+ख)	**22,311.00**	**2,656.23**
नकद प्रवाह हेज रिजर्व में हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पर लाभ के प्रभावी हिस्से पर मान्यता प्राप्त कर व्यय (घ)	(8,262.31)	4,386.67
कुल कर व्यय (ग+घ)	**14,048.69**	**7,042.90**

ख. अन्य व्यापक आय में स्वीकृत कर

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
बीमांकिक (लाभ)/हानि	16.21	(50.62)
नकद प्रवाह हेज में हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पर प्रभावी भाग पर आयकर	(8,262.31)	4,386.67
कुल	**(8,246.10)**	**4,336.05**

ग. कर व्यय और लेखांकन लाभ का समाशोधन

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
कर और ओसीआई से पूर्व लाभ	**23,982.06**	**63,385.46**
लागू आयकर दर (%)	25.17%	25.17%
संभावित आयकर	**6,035.81**	**15,952.85**
आयकर समायोजन का कर प्रभावः		
मूल्यह्रास	121.63	(1,745.27)
आस्थगित मदें और ओसीआई समायोजन	1,003.96	4,304.98
46क का शोधन	9,430.32	(11,880.28)
आईपीओ व्यय और क्षति	1,108.15	3,258.82
धारा 43ख और अन्यों के तहत निवल निशेध	(15.98)	134.58
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) के अंतर्गत कटौती का लाभ	(3,906.04)	(3,480.36)
सीएसआर व्ययों और अन्यों की गैर–स्वीकार्यता	413.16	482.98
स्थायी परिसम्पत्तियों का समायोजन	0.24	0.04
अन्य कटौती योग्य कर व्यय	(189.18)	(0.50)
मुहैया कराया गया अतिशेष कर	46.63	15.07
पिछले वर्ष के लेखों में समायोजन	-	-
लाभ हानि के स्टैंडअलोन विवरण में कुल कर व्यय	**14,048.69**	**7,042.90**
बही आय पर वास्तविक प्रभावी आय कर दर (%)	**58.58%**	**11.11%**

घ. आस्थगित कर का आवागमन

2020-21

(लाख रुपए में)

विवरण	1 अप्रैल, 2020 को निवल शेष	लाभ हानि में स्वीकृत	ओसीआई में स्वीकृत	31 मार्च, 2021 को निवल शेष
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां				
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	102.05	30.26	-	132.31
ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	0.08	(0.08)	-	0.00
सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ के लिए प्रावधान	160.82	53.81	-	214.64
बीमारी छुट्टी के लिए प्रावधान	87.38	8.15	-	95.53
बैगेज भत्ते के लिए प्रावधान	3.69	0.82	-	4.51
निष्पादन प्रोत्साहन राशि के लिए प्रावधान	281.40	(50.53)	-	230.87
अक्षमता	28,313.22	7,490.38	-	35,803.60
फ्रंट एंड शुल्क – पुस्तकों में आस्थगित	367.83	(39.15)	-	328.68
कुल	**29,316.47**	**7,493.66**	**-**	**36,810.14**
ओसीआई खंड				
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां				
ग्रेच्युटी पर बीमांकिक हानि	13.57	-	(13.57)	(0.00)
सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ पर बीमांकिक हानि	37.87	-	(2.29)	35.58
बैगेज भत्ते पर बीमांकिक हानि	0.26	-	(0.35)	(0.08)
कुल	**51.70**	**-**	**(16.21)**	**35.49**
आस्थगित कर देनदारियां				
मूल्यह्रास	5,047.92	149.18	-	5,197.09
विदेशी मुद्रा परिवर्तन अंतर	9,951.61	505.73	-	10,457.34
बंधपत्र	104.55	(12.56)	-	91.99
कुल	**15,104.07**	**642.35**	**-**	**15,746.42**
निवल आस्थगित कर परिसम्पत्ति / (देनदारी)	**14,264.10**	**6,851.31**	**(16.21)**	**21,099.21**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

2019-20

(लाख रुपए में)

विवरण	1 अप्रैल, 2020 को निवल शेष	लाभ हानि में स्वीकृत	ओसीआई में स्वीकृत	31 मार्च, 2021 को निवल शेष
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां				
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	85.02	17.03		102.05
ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	(0.61)	0.69		0.08
सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ पर बीमांकिक हानि	167.78	(6.96)		160.82
बीमारी छुट्टी के लिए प्रावधान	91.05	(3.66)		87.38
बैगेज भत्ते के लिए प्रावधान	3.66	0.02		3.69
निष्पादन प्रोत्साहन राशि के लिए प्रावधान	342.44	(61.04)		281.40
अक्षमता	18,496.30	9,816.93		28,313.22
फ्रंट एंड शुल्क – बहियों में आस्थगित	822.12	(454.29)		367.83
मसाला बॉड अनुदान – बहियों में आस्थगित	66.02	(66.02)		-
कुल	**20,073.77**	**9,242.70**	**-**	**29,316.47**
ओसीआई खंड				
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां				
ग्रेच्युटी पर बीमांकिक हानि	-	-	13.57	13.57
सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ पर बीमांकिक हानि	12.28	-	25.59	37.87
बैगेज भत्ते पर बीमांकिक हानि	0.05	-	0.21	0.26
कुल	**12.33**	**-**	**39.37**	**51.70**
आस्थगित कर देनदारियां				
मूल्यह्रास	6,440.62	(1,392.70)		5,047.92
विदेशी मुद्रा परिवर्तन अंतर	6,642.02	3,309.59		9,951.61
बंधपत्र	135.83	(31.28)		104.55
कुल	**13,218.47**	**1,885.60**	**-**	**15,104.07**
ओसीआई खंड				
आस्थगित कर देनदारियां				
ग्रेच्युटी पर बीमांकिक लाभ	11.25		(11.25)	-
कुल	**11.25**		**(11.25)**	**-**
निवल आस्थगित कर परिसम्पत्ति / (देनदारी)	**6,856.38**	**7,357.10**	**50.62**	**14,264.10**

ड. आगे ले जाए गए कटौती योग्य अस्थायी अंतर/अप्रयुक्त कर हानियां/अप्रयुक्त कर क्रेडिट

विवरण	31 मार्च, 2021 को	समाप्ति की तारीख	31 मार्च, 2020 को	समाप्ति की तारीख
आगे ले जाए गए कटौती योग्य अस्थायी अंतर/अप्रयुक्त कर हानियां/अप्रयुक्त कर क्रेडिट जिनके लिए किसी भी आस्थगित कर परिसम्पत्ति को स्वीकृति नहीं दी गई है	–	लागू नही	–	लागू नही

च. सकल चालू कर और आस्थगित कर जिन्हें सीधे इक्विटी में स्वीकृत किया गया है

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
	-	-
कुल	**-**	**-**

30. अतिरिक्त सूचना

क) विदेशी मुद्रा में व्ययः

- यात्रा पर रुपए शून्य (गत वर्षः 6.13 लाख रुपए)
- ब्याज और प्रतिबद्धता व्ययः रु. 10,871.75 लाख (गत वर्षः 16,311.45 लाख रुपए), रु. 43,223.83 लाख (गत वर्षः 42,812.71 लाख रुपए) की हेजिंग लागत का भुगतान भारतीय मुद्रा में किया गया है।

ख) विदेशी मुद्रा में आयः

- ब्याजः रु. 46.63 लाख (गत वर्षः 166.57 लाख रुपए)

ग) मेसर्स केएफडब्ल्यू ने रु. 105.51 लाख (पिछले वर्षः 140.58 लाख रुपये) सीधे टीए कार्यक्रम के तहत किराए पर लिए गए सलाहकारों को सीधे यूरो के तकनीकी सहायता कार्यक्रम (टीएपी) के तहत 0.6 मिलियन यूरो की केएफडब्ल्यू IV लाइन ऑफ क्रेडिट के संबंध में ''भारत में सौर पीवी परियोजना पाइपलाइन के लिए तकनीकी सहायता आदि'' के लिए 0.6 मिलियन यूरो स्वीकृत किए गए। इसके अलावा यात्रा व्यय रु. टीए कार्यक्रम के तहत केएफडब्ल्यू द्वारा इरेडा को शून्य (पिछले वर्षः रु. शून्य) की प्रतिपूर्ति की गई थी।

घ) मैसर्स केएफडब्ल्यू ने रु. के लिए विशेषज्ञ सेवाओं के लिए टीएपी के खिलाफ इरेडा के लिए माल और सेवाओं के लिए क्षमता निर्माण उपायों और लागतों के लिए विशेषज्ञ सेवाओं के लिए केएफडब्ल्यू VI लाइन ऑफ क्रेडिट के संबंध में इरेडा को स्वीकृत 1 मिलियन यूरो के सापेक्ष सीधे संवितरण प्रक्रियाओं के तहत टीए कार्यक्रम के तहत किराए पर लिए गए सलाहकार को सीधे 112.28 लाख रुपए (पिछले वर्ष रु. 206.40 लाख) का भुगतान किया।

ङ) विश्व बैंक ने आईबीआरडी III लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत सौर पार्क परियोजना के लिए साझा बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण में सहायता के लिए 2 मिलियन अमरीकी डालर के स्वच्छ प्रौद्योगिकी कोष (सीटीएफ) अनुदान को मंजूरी दी है। वर्ष के दौरान, विश्व बैंक ने सीटीएफ अनुदान के तहत इरेडा को 132.64 लाख (पिछले वर्षः शून्य) रुपये की प्रतिपूर्ति की।

31. एमएनआरई कार्यक्रम निधियां

कंपनी अपनी गतिविधियों के अलावा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से उक्त मंत्रालय के साथ किए गए समझौता ज्ञापन के आधार पर कार्यक्रमों को लागू करती है। प्रत्येक समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार, एमएनआरई ने कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए कंपनी के साथ प्रत्येक कार्यक्रम के संबंध में एक सहमत राशि रखी है। एमएनआरई निधियों पर ब्याज प्राप्त होने पर लेखा किया जाता है। चूंकि एमएनआरई कार्यक्रम ऋणों द्वारा उत्पन्न आय कंपनी की आय नहीं है और साथ ही ऋण परिसंपत्तियां एमएनआरई से संबंधित हैं, इसे परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण उद्देश्यों के लिए नहीं माना जाता है। संबंधित कार्यक्रमों के

बंद होने पर, कंपनी को एमओयू में निर्धारित सेवा शुल्क, अपूरणीय चूक और अन्य देय राशि की कटौती के बाद एमएनआरई (उस पर अर्जित ब्याज सहित) में जमा राशि को एमएनआरई को हस्तांतरित करना आवश्यक है। अवधि के अंत में उपरोक्त के कारण एमएनआरई के कारण राशि, राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ अलग बैंक खातों में बचत बैंक/अल्पकालिक जमा आदि के रूप में अलग–अलग बैंक खातों में रखे गए अप्रयुक्त धन पर ब्याज के साथ, नकद में शामिल के अलावा अन्य बैंक शेष के रूप में दिखाया गया है और नकद समकक्ष (टिप्पणी 3 देखें) और संबंधित देयता बैलेंस शीट में अन्य वित्तीय देयताएं (टिप्पणी 22 देखें) शीर्ष के तहत दिखाई जाती है।

32. उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) और पूंजीगत सब्सिडी योजना, एमएनआरई

इरेडा पवन और सौर क्षेत्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन और पूंजीगत सब्सिडी के वितरण के लिए एमएनआरई की ओर से एक निधि प्रशासक है। इन योजनाओं के तहत, एमएनआरई द्वारा एमएनआरई की योजना के अनुसार जीबीआई दावेदारों को इसके संवितरण के उद्देश्य से आईआरईडीए को विशिष्ट निधि राशि प्रदान की जाती है। इसलिए, अनिवार्य रूप से, यह गतिविधि धन की प्राप्ति और उपयोग की है। जीबीआई निधियों को और जारी करने के लिए, इरेडा को चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा विधिवत प्रमाणित व्यय के लेखापरीक्षित विवरण के साथ उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। उक्त आवश्यकता का इरेडा द्वारा पूरी तरह से अनुपालन किया गया है और एमएनआरई द्वारा अब तक और कुछ भी अपेक्षित नहीं किया गया है। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने योजना के लेखों की लेखापरीक्षा नहीं की है।

33. एमएनआरई भारत सरकार के पूर्ण सर्विस्ड बंधपत्र

आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी ओएम संख्या एफ.15(4)–बी(सीडीएन)/2015 दिनांक 03.10.16 के अनुसार इरेडा को ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय ऊर्जा, ऑफ–ग्रिड/वितरित और विकेन्द्रीकृत अक्षय ऊर्जा और निगमों और स्वायत्त निकायों में निवेश से संबंधित एमएनआरई योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए उनके द्वारा प्राप्त राशि के उपयोग के लिए भारत सरकार के पूरी तरह से सेवित बांड के माध्यम से 400,000.00 लाख रुपये की राशि जुटाने के लिए कहा गया था।। एमएनआरई और इरेडा के बीच दिनांक 25.01.17 को दोनों की भूमिका और उत्तरदायित्वों को परिभाषित करते हुए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौता ज्ञापन के पृष्ठ 5 पर सामान्य खंड के पैरा संख्या (ग) में विशेष रूप से परिभाषित किया गया है कि एमएनआरई बांड के उधार को कंपनी द्वारा किसी भी वित्तीय गणना के लिए संपत्ति/देयता के रूप में नहीं माना जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि एमएनआरई बांडों के माध्यम से जुटाई गई राशि उधार लेने के साथ–साथ परिसंपत्तियों में भी दिखाई देगी, हालांकि, इरेडा के उधारों/परिसम्पत्तियों या आय/व्यय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इरेडा ने रुपये वर्ष 2016–17 के दौरान एमएनआरई की ओर से 164,000.00 लाख के भारत सरकार के पूर्ण सेवा बांड जुटाए थे और इसे टिप्पणी संख्या 24 – अन्य गैर–वित्तीय देनदारियों के तहत दिखाया गया है। इसके सापेक्ष विभिन्न योजनाओं/योजनाओं के लिए एमएनआरई के निर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2021 तक रू. 163,879.20 लाख रुपए (31 मार्च, 2020 तक रू. 163,879.20 लाख ईकेपीजेड) वितरित किए जा चुके हैं। उक्त राशि को नोट संख्या 17 – अन्य गैर–वित्तीय संपत्ति – के तहत एमएनआरई से वसूली योग्य राशि के रूप में दिखाया गया है। राशि को एमआईबीओआर लिंक्ड डिपॉजिट में रखा गया था जिस पर रु. 31 मार्च, 2021 को 1,093.70 लाख रूपए (31 मार्च, 2020 तक 1,092.75 लाख रुपये) को नोट संख्या 24 – अन्य गैर–वित्तीय देनदारियों के तहत दिखाया गया है। 31 मार्च, 2021 को शेष संचयी राशि (उपार्जित/अर्जित ब्याज सहित) 861.39 लाख (31 मार्च, 2020 तक 855.29 लाख रुपये) है, जिसे एमआईबीओआर लिंक्ड टर्म डिपॉजिट में रखा गया है और राशि 31 मार्च, 2021 तक 353.11 लाख रुपये (31 मार्च, 2020 तक 358.26 लाख रुपये) इंडसइंड बैंक के चालू खाते में शेष है, जो कि टिप्पणी संख्या 3 – संबंधित उप शीर्षों में अन्य बैंक शेष के तहत दर्शाए गए हैं।

वर्ष के दौरान, भारत सरकार के पूर्ण सेवा बांड पर ब्याज की राशि रु. 12,434.70 लाख (पिछले वर्ष रू 12,434.70 लाख रुपये) भुगतान के लिए देय हो गए और इस राशि को भारत सरकार से प्राप्त किया गया और निवेशक को भुगतान किया गया।

उपरोक्त को छोड़कर अन्य सभी एमएनआरई निधियों को वित्तीय परिसम्पत्तियों– अन्य बैंक शेष के अंतर्गत, चालू/बचत बैंक/जमा खाते के अंतर्गत और अन्य वित्तीय देनदारियों के अंतर्गत दर्शाई गई संबंधित देयता के अंतर्गत दिखाया गया है।

34. एमएनआरई से प्राप्त और उनकी ओर से संभलाई की गई सब्सिडी / प्रोत्साहन राशि

क. ब्याज सब्सिडी

सरकार की नीति के अनुसार एमएनआरई ब्याज सब्सिडी प्रदान कर रहा है। एनपीवी आधार पर सह–उत्पादन, लघु हाइड्रो, ब्रिकेटिंग, बायोमास, सौर थर्मल और अपशिष्ट से ऊर्जा के एमएनआरई कार्यक्रमों को लागू करने वाले और वास्तविक आधार पर सौर और एसपीवी कार्यक्रमों के लिए ब्याज सब्सिडी जारी की जाती है। इन उधारकर्ताओं द्वारा मंजूरी के नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन तिमाही आधार पर उधारकर्ताओं को ब्याज सब्सिडी दी जाती है।

ब्याज सब्सिडी का कार्यक्रम–वार विवरण इस प्रकार हैः–

(i) एनपीवी आधार पर ब्याज सब्सिडी:-

(लाख रुपए में)

सेक्टर का नाम	बायो मास सह–उत्पादन	लघु हाइड्रो	उप योग (क)
31 मार्च, 2021	215.01	1.83	**216.84**
31 मार्च, 2020	215.01	1.83	**216.84**

(ii) बीमांकिक आधार पर ब्याज सब्सिडी:-

सेक्टर का नाम	सोलर थर्मल सेक्टर	एसपवीवी डब्ल्यूपी 2000-01	एसपवीवी डब्ल्यूपी 2001-02	एसपवीवी डब्ल्यूपी 1999-00	एसपवीवी डब्ल्यूपी निर्माण	एसपवीवी डब्ल्यूपी 2002-03	त्वरित एसडब्ल्यूएच प्रणाली	उप योग (ख)	कुल योग (क+ख)
मार्च 31, 2021	0.04	(-)51.35	(-)1,36.03	(-)6.85	(-)2.97	(-)41.39	0.10	(-)238.45	(-) 21.61
मार्च 31, 2020	0.04	(-)51.35	(-)1,36.03	(-)6.85	(-)2.97	(-)41.39	0.10	(-)238.45	(-) 21.61

ख. पूंजी सब्सिडी

वर्ष के दौरान, एमएनआरई से पूंजीगत सब्सिडी के रूप में 1,275.00 लाख (पिछले वर्षः रु. शून्य) रुपये की राशि प्राप्त हुई। उपलब्ध कुल पूंजीगत सब्सिडी राशि में से रु. 1,275 लाख (पिछले वर्षः रु. शून्य) पूंजी सब्सिडी योजना के नियमों और शर्तों के अनुपालन पर उधारकर्ताओं को आगे संप्रेषित की गई।

35. डिबेंचर रिडेम्पशन आरक्षित

कंपनी अधिनियम 2013 के नियम 18 (7) (बी) (पप) के अनुसार, कंपनी को पब्लिक इश्यू के माध्यम से जारी किए गए बॉन्ड के 25 प्रतिशत तक डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व (डीआरआर) बनाने की आवश्यकता है। कंपनी ने डीआरआर के लिए प्रावधान किया है, ताकि कर मुक्त बांड की संबंधित अवधि में आवश्यक राशि प्राप्त की जा सके। तदनुसार रु. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए 4,629.11 लाख रुपये (पिछले वर्ष 4,629.11 लाख रुपये) का प्रावधान किया गया है।

36. एनबीएफसी आरक्षित

आरबीआई के परिपत्र संख्या डीएनबीआर(पीडी)सीसी.सं.092 / 03.10.001 / 2017–18 दिनांक 31 मई 2018 के अनुसार इरेडा द्वारा कर पश्चात लाभ के 20 प्रतिशत की दर से आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईसी के तहत एनबीएफसी आरक्षित बनाया जाना अपेक्षित है। तदनुसार रु. 7,000.00 लाख (पिछले वर्ष रू 4,300.00 लाख रुपये) की धनराशि को एनबीएफसी रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया गया है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

37. वित्तीय विलेखों से संबंधित प्रकटीकरण

I. उचित मूल्य माप

श्रेणी द्वारा वित्तीय विलेख

(लाख रुपए में)

विवरण (31 मार्च, 2021)	परिशोधित लागत	लागत पर	उचित मूल्य पर		कुल
			ओसीआई के माध्यम से	पीएंडएल के माध्यम से	
वित्तीय परिसम्पत्तियां					
नकद और नकद समतुल्य	22,101.83				22,101.83
चिह्नित बैंक शेष	38,229.29				38,229.29
डेरिवेटिव वित्तीय विलेख			38,891.90	1,417.11	40,309.01
कारोबारी प्राप्य	297.66				297.66
ऋण	2,690,564.31				26,90,564.31
निवेश		12.00			12.00
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	2,278.75				2,278.75
कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां	**2,753,471.84**	**12.00**	**38,891.90**	**1,417.11**	**2,793,792.85**
वित्तीय देनदारियां					
डेरिवेटिव वित्तीय विलेख			9,183.16		9,183.16
कारोबारी देय	8,015.61				8,015.61
ऋण प्रतिभूतियां	912,026.16				912,026.16
उधार राशियां (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	14,23,055.09				14,23,055.09
अधीनस्थ देनदारियां	64,919.20				64,919.20
अन्य वित्तीय देनदारियां	80,496.43				80,496.43
कुल वित्तीय देनदारियां	**2,488,512.50**	**-**	**9,183.16**		**2,497,695.66**

(लाख रुपए में)

विवरण (31 मार्च, 2020)	परिशोधित लागत	लागत पर	उचित मूल्य पर		कुल
			ओसीआई के माध्यम से	पीएंडएल के माध्यम से	
वित्तीय परिसम्पत्तियां					
नकद और नकद समतुल्य	98,836.04				98,836.04
चिह्नित बैंक शेष	58,735.71				58,735.71
डेरिवेटिव वित्तीय विलेख			65,062.91	6,193.07	71,255.99
कारोबारी प्राप्य	312.98				312.98
ऋण	2,297,768.68				2,297,768.68
निवेश		12.00			12.00
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	2,486.44				2,486.44
कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां	**2,458,139.85**	**12.00**	**65,062.91**	**6,193.07**	**2,529,407.84**
वित्तीय देनदारियां					

(लाख रुपए में)

विवरण (31 मार्च, 2021)	परिशोधित लागत	लागत पर	उचित मूल्य पर		कुल
			ओसीआई के माध्यम से	पीएंडएल के माध्यम से	
डेरिवेटिव वित्तीय विलेख			6,788.00		6,788.00
कारोबारी देय	6,580.14				6,580.14
ऋण प्रतिभूतियां	926,758.64				926,758.64
उधार राशियां (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	1,243,625.87				1,243,625.87
अधीनस्थ देनदारियां	14,970.00				14,970.00
अन्य वित्तीय देनदारियां	94,064.47				94,064.47
कुल वित्तीय देनदारियां	**2,285,999.11**	**-**	**6,788.00**		**2,292,787.10**

II. उचित मूल्य पदानुक्रम

इस खंड में वित्तीय साधनों के उचित मूल्यों के निर्धारण में किए गए ऐसे निर्णयों और अनुमानों की व्याख्या करता है जो

(क) उचित मूल्य पर स्वीकृत और मापित हैं और

(ख) परिशोधन लागत पर मापा जाता है और जिसके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों का खुलासा किया जाता है। कंपनी ने उचित मूल्य निर्धारित करने में उपयोग किए गए इनपुट की विश्वसनीयता के बारे में एक संकेत प्रदान करने के लिए अपने वित्तीय साधनों को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है। तालिका के नीचे प्रत्येक स्तर पर एक स्पष्टीकरण दिया गया है।

(ग) भौतिकता को देखते हुए, हमने कर्मचारी ऋण और सुरक्षा जमा की छूट को नजरअंदाज कर दिया है।

मूल्यांकन तकनीक द्वारा वित्तीय साधनों के उचित मूल्य का निर्धारण और खुलासा करने के लिए कंपनी निम्नलिखित पदानुक्रम का उपयोग करती है:

स्तर 1: स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत कीमतों का उपयोग करके मापा गया वित्तीय साधन शामिल है। इसमें सूचीबद्ध इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रेडेड बॉन्ड और म्यूचुअल फंड शामिल हैं जिनकी कीमत उद्धृत की गई है। स्टॉक एक्सचेंजों में कारोबार किए जाने वाले सभी इक्विटी उपकरणों (बांड सहित) के उचित मूल्य का मूल्यांकन रिपोर्टिंग अवधि के अनुसार समापन मूल्य का उपयोग करके किया जाता है। म्यूचुअल फंड का मूल्यांकन क्लोजिंग एनएवी का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर 2: वित्तीय साधन जिनका सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं होता है (उदाहरण के लिए, ट्रेडेड बॉन्ड), अन्य तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, जिसके लिए रिकॉर्ड किए गए उचित मूल्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले सभी इनपुट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकते हैं।

स्तर 3: ऐसी तकनीक जिसमें इनपुट का उपयोग किया जाता है जिसका रिकॉर्ड किए गए उचित मूल्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है जो गैर–सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों जैसे अवलोकन योग्य बाजार डेटा पर आधारित नहीं होते हैं।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

क. उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां – आवर्ती उचित मूल्य माप– 31 मार्च, 2021 तक*

(लाख रुपए में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय परिसम्पत्तियां :-			
हेजेज से रूप में नामित डेरिवेटिव			
मूलधान केवल स्वैप	-	-	37,700.50
क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप	-	-	1,191.39
डेरिवेटिव्स जिन्हें हेजेज के रूप में नामित नहीं किया गया है			
मूलधान केवल स्वैप	-	-	1,417.12
क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप	-	-	-
कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां	**-**	**-**	**40,309.01**
वित्तीय देनदारियां			
हेजेज से रूप में नामित डेरिवेटिव			
मूलधान केवल स्वैप	-	-	9,137.96
क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप	-	-	45.20
डेरिवेटिव्स जिन्हें हेजेज के रूप में नामित नहीं किया गया है			
मूलधान केवल स्वैप	-	-	-
क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप	-	-	-
कुल वित्तीय देनदारियां	**-**	**-**	**9,183.16**

* राशियों को उनके उचित मूल्य पर दर्शाया गया है

संपत्ति और देनदारियां जिन्हें परिशोधन लागत पर मापा गया है जिसके लिए उचित मूल्यों का प्रकटीकरण किया गया है

(लाख रुपए में)

31 मार्च, 2021 को *	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय परिसम्पत्तियां			
परिशोधन पर वित्तीय परिसंपत्तियां:			
कम्पनियों को ऋण	-	-	2,685,377.08
कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां	**-**	**-**	**2,685,377.08**
वित्तीय देनदारियां			
परिशोधन पर वित्तीय देनदारियां:			
ऋण प्रतिभूतियां	-	-	9,12,026.16
उधार राशियां (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	-	-	14,23,055.09
अधीनस्थ देनदारियां	-	-	64,919.20
कुल वित्तीय देनदारियां	**-**	**-**	**2,400,000.45**

* राशियों को उनके उचित मूल्य पर दर्शाया गया है

ख. उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां – आवर्ती उचित मूल्य माप– 31 मार्च, 2020 तक*

(लाख रुपए में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय परिसम्पत्तियां:–			
हेजेज से रूप में नामित डेरिवेटिव			
मूलधान केवल स्वैप	-	-	60,797.70
क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप	-	-	4,265.21
डेरिवेटिव्स जिन्हें हेजेज के रूप में नामित नहीं किया गया है			
मूलधान केवल स्वैप	-	-	6,193.07
क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप	-	-	-
कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां	**-**	**-**	**71,255.99**
वित्तीय देनदारियां			
हेजेज से रूप में नामित डेरिवेटिव			
मूलधान केवल स्वैप	-	-	6,788.00
क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप	-	-	-
डेरिवेटिव्स जिन्हें हेजेज के रूप में नामित नहीं किया गया है			
मूलधान केवल स्वैप	-	-	-
क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप	-	-	-
कुल वित्तीय देनदारियां	**-**	**-**	**6,788.00**

* राशियों को उनके उचित मूल्य पर दर्शाया गया है।

संपत्ति और देनदारियां जिन्हें परिशोधन लागत पर मापा जाता है जिसके लिए उचित मूल्यों का खुलासा किया जाता है।

(लाख रुपए में)

31 मार्च, 2020 को *	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय परिसम्पत्तियां			
परिशोधन पर वित्तीय परिसंपत्तियां			
कम्पनियों को ऋण	-	-	2,276,461.95
कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां	**-**	**-**	**2,276,461.95**
वित्तीय देनदारियां			
परिशोधन पर वित्तीय देनदारियां			
ऋण प्रतिभूतियां	-	-	926,758.64
उधार राशियां ;ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	-	-	1,243,625.87
अधीनस्थ देनदारियां	-	-	14,970.00
कुल वित्तीय देनदारियां	**-**	**-**	**2,185,354.50**

* राशियों को उनके उचित मूल्य पर दर्शाया गया है

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

III. उचित मूल्य निर्धारण के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक

एमटीएम गणना रिपोर्टिंग तिथि पर बकाया डेरिवेटिव लिखत के लिए पंजीकृत स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्रदान किए गए मूल्यांकन पर आधारित है।

रियायती नकदी प्रवाह विश्लेषण।

महत्वपूर्ण गैर–अवलोकन योग्य इनपुट का उपयोग करके उचित मूल्य माप (स्तर 3)

कर–पूर्व दर जो मुद्रा के समय मूल्य और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिम के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाती है।

निम्न तालिका 31 मार्च, 2021 और 31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के लिए स्तर 3 की वस्तुओं में परिवर्तन प्रस्तुत करती है:

(लाख रुपए में)

विवरण	डेरिवेटिव विलेख	डेरिवेटिव मद
व्युत्पन्न लेखांकन में व्युत्पन्न सौदों के तहत लाभ और हानि में स्वीकृत लाभ/(हानि)	(1,247.31)	-
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत लाभ/(हानि)	(30,106.51)	(2,722.13)
31 मार्च, 2021 को	**(31,353.82)**	**(2,722.13)**
व्युत्पन्न लेखांकन में व्युत्पन्न सौदों के तहत लाभ और हानि में स्वीकृत लाभ/(हानि)	7,165.32	-
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत लाभ/(हानि)	68,462.48	(28,982.87)
31 मार्च, 2020 को	**75,627.80**	**(28,982.87)**

IV. मूल्यांकन प्रक्रियाएं

हेज सौदे के एमटीएम मूल्य के मूल्यांकन के लिए, इरेडा ने एक पंजीकृत स्वतंत्र विशेषज्ञ मूल्यांकनकर्ता से मूल्यांकन प्राप्त किया है, जिसने बाजार की स्थिति में उतार–चढ़ाव, विनिमय दर में उतार–चढ़ाव, ब्याज दर आदि पर विचार करने के बाद ऐसा मूल्यांकन प्रदान किया है।

V. परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसम्पत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य

विवरण	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
वित्तीय परिसम्पत्तियां	वाहित राशि	लेनदेन का मूल्य	वाहित राशि	लेनदेन का मूल्य
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसम्पत्तियां:				
कम्पनियों को ऋण	2,685,377.08	2,692,840.02	2,276,461.95	2,282,037.04
कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां	**2,685,377.08**	**2,692,840.02**	**2,276,461.95**	**2,282,037.04**

विवरण	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
वित्तीय परिसम्पत्तियां	वाहित राशि	लेनदेन का मूल्य	वाहित राशि	लेनदेन का मूल्य
वित्तीय देनदारियां परिशोधन लागत पर वित्तीय देनदारियां:				
ऋण प्रतिभूतियां	912,026.16	912,565.46	926,758.64	927,565.46
उधार राशियां (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	1,423,055.09	1,423,059.27	1,243,625.87	1,243,632.70
अधीनस्थ देनदारियां	64,919.20	65,000.00	14,970.00	15,000.00
कुल वित्तीय देनदारियां	**2,400,000.45**	**2,400,624.73**	**2,185,354.50**	**2,186,198.16**

व्यापार प्राप्य, व्यापार देय राशि, नकद और नकद समकक्ष, अन्य बैंक शेष, अन्य वित्तीय संपत्ति और देनदारियों की वहन राशि उनकी अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों के समान मानी जाती है।

उधार के लिए उचित मूल्य, कंपनियों को ऋण, ऋण प्रतिभूतियों की गणना वर्तमान उधार दर का उपयोग करके छूट वाले नकदी प्रवाह के आधार पर की जाती है। उन्हें स्वयं के क्रेडिट जोखिम सहित गैर–अवलोकन योग्य इनपुट को शामिल करने के कारण उचित मूल्य पदानुक्रम में स्तर 3 उचित मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

गैर–चालू उधार राशियों के उचित मूल्य, चालू उधार दर का उपयोग करते हुए रियायती नकदी प्रवाह पर आधारित होते हैं। उन्हें स्वयं के क्रेडिट जोखिम सहित गैर–अवलोकन योग्य इनपुट के उपयोग के कारण उचित मूल्य पदानुक्रम में स्तर 3 उचित मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

38. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

जोखिम का प्रबंधन जोखिम प्रबंधन ढांचे, पहचान माप और निगरानी के माध्यम से किया जाता है जो जोखिम सीमाओं और अन्य नियंत्रणों के अधीन होता है। निदेशक मंडल समग्र जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण और जोखिम प्रबंधन रणनीतियों और सिद्धांतों के अनुमोदन के लिए जिम्मेदार है।

जोखिम समिति के पास जोखिम रणनीति के विकास और सिद्धांतों, ढांचे, नीतियों और सीमाओं को लागू करने की जिम्मेदारी है। जोखिम समिति जोखिम निर्णयों के प्रबंधन और जोखिम स्तर की निगरानी और बोर्ड को रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार है। कंपनी का वित्त और खजाना इसकी संपत्ति और देयता और समग्र वित्तीय संरचना के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। वित्त और ट्रेजरी कंपनी की फंडिंग और तरलता के लिए भी जिम्मेदार है। आरबीआई के निर्देश के अनुसार कंपनी के पास एक नामित मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) भी है

कंपनी की गतिविधियां इसे बाजार जोखिम, तरलता जोखिम और ऋण जोखिम के लिए उजागर करती हैं। कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंधों, विदेशी मुद्रा विकल्प अनुबंधों, स्वैप आदि जैसे डेरिवेटिव वित्तीय साधनों को विदेशी मुद्रा जोखिम जोखिम को हेज करने के लिए दर्ज किया जाता है। डेरिवेटिव का उपयोग विशेष रूप से हेजिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है न कि ट्रेडिंग या सट्टा उपकरणों के रूप में। एक विदेशी मुद्रा और डेरिवेटिव जोखिम प्रबंधन नीति, कंपनी में एक विदेशी मुद्रा प्रबंधन समिति मौजूद है और विदेशी मुद्रा उधारों पर मुद्रा और ब्याज दर जोखिम को कमध्कम करने के लिए हेजिंग उपकरणों का उपयोग किया जाता है।

यह टिप्पणी जोखिम के उन स्रोतों की व्याख्या करती है जिनसे प्रतिष्ठान को अवगत कराया जाता है और संस्था वित्तीय विवरणों में जोखिम और बचाव लेखांकन के प्रभाव का प्रबंधन कैसे करती है।

जोखिम	निम्न से उत्पन्न होने वाला जोखिम	मापन	प्रबंधन
क्रेडिट जोखिम	नकद और नकद समतुल्य, परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्ति। (ऋण और अग्रिम), व्यापार प्राप्य, व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण,	आयु बढ़ने का विश्लेषण क्रेडिट रेटिंग	बैंक जमा का विविधीकरण, क्रेडिट एक्सपोजर सीमा, साख पत्र, हेजिंग लेनदेन की निगरानी
तरलता जोखिम	उधार और अन्य देनदारियां	चल नकदी प्रवाह पूर्वानुमान	प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों, उधार लेने की सुविधाओं और अल्पावधि ऋण/डब्ल्यूसी सीमाओं और ओडी सीमाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम – मुद्रा विनिमय	विदेशी विनिमय दर के कारण उचित मूल्य या वित्तीय साधन के भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव होगा	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान	फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स, स्वैप आदि
		संवेदनशीलता विश्लेषण	
बाजार जोखिम– ब्याज दर	परिवर्तनीय दरों पर लंबी अवधि के उधार	संवेदनशीलता विश्लेषण	ब्याज दर स्वैप
बाजार जोखिम– सुरक्षा मूल्य	कमर्शियल पेपर में निवेश	संवेदनशीलता विश्लेषण	पोर्टफोलियो विविधिकरण

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

।ण क्रेडिट जोखिम

ऋण जोखिम उधार संचालन में निहित जोखिम होता है और उधारकर्ताओं की ऋण गुणवत्ता में कमी और उधारकर्ताओं द्वारा चुकौती में चूक के जोखिम से उत्पन्न होता है। ऋण जोखिम का आकलन करने के लिए परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए एक मजबूत क्रेडिट मूल्यांकन प्रणाली मौजूद है। इस प्रक्रिया में परियोजनाओं का मूल्यांकन, बाहरी एजेंसियों द्वारा रेटिंग और क्रेडिट जोखिम का आकलन, अन्य क्रेडिट जोखिम शमन उपायों के साथ जोखिम को कम करने के लिए उपयुक्त संरचना शामिल है।

कंपनी अपने एक्सपोजर को साझा क्रेडिट जोखिम विशेषता के आधार पर छोटे समरूप पोर्टफोलियो में विभाजित करती है, जैसा कि निम्नलिखित क्रम में नीचे वर्णित है: –

- प्रत्याभूत / अप्रत्याभूत अर्थात ऋण सुरक्षित हैं या नहीं, इस पर आधारित।
- प्रतिभूति की प्रकृति यानी सुरक्षा की प्रकृति यदि ऋण सुरक्षित होने के लिए निर्धारित हैं।
- ऋण की प्रकृति अर्थात आरई क्षेत्र जिसमें ऋण दिया गया है।

वित्तीय साधन के शेष क्रियात्मक समय में होने वाले डिफॉल्ट के जोखिम में परिवर्तन पर विचार करके प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में काफी वृद्धि हुई है या नहीं, इसका आकलन। यह निर्धारित करने में कि क्या प्रारंभिक मान्यता के बाद से चूक का जोखिम काफी बढ़ गया है, कंपनी एक पैरामीटर के रूप में 30 दिनों से अधिक अतिदेय मानती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत देने वाले किसी अन्य अवलोकन योग्य इनपुट पर विचार करती है।

कंपनी एक वित्तीय साधन को डिफॉल्ट के रूप में परिभाषित करती है जब उसके पास रिपोर्टिंग तिथि पर हानि का वस्तुनिष्ठ साक्ष्य होता है। इसने चरण III के तहत इन ऋणों का मूल्यांकन परियोजना के चूक समय, प्रदर्शन / संचालन के आधार पर मामला दर मामला आधार पर किया है।

कंपनी ने ईसीएल मॉडल के आधार पर ऋण और अग्रिम के प्रावधान को मान्यता दी है।

संपार्श्विक और अन्य ऋण वृद्धि

आवश्यक संपार्श्विक की राशि और प्रकार क्रेडिट जोखिम के आकलन पर निर्भर करता है। मुख्य प्रकार के संपार्श्विक एफडीआरध्बीजी हैं, प्रमोटर से संबंधित अचल संपत्ति पर शुल्क और मामले के आधार पर कॉर्पोरेट गारंटी।

क) कंपनी अलग–अलग प्रतिपक्षकारों और उद्योग सांद्रता के लिए और ऐसी सीमाओं के संबंध में एक्सपोजर की निगरानी करके जोखिम की मात्रा पर सीमा निर्धारित करके क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन और नियंत्रण करती है।

i. संभावित क्रेडिट हानियों के लिए प्रावधान

अवस्था	श्रेणी	श्रेणी का विवरण	संभावित क्रेडिट हानि प्रावधान की स्वीकृति के लिए आधार
			ऋण
अवस्था 1	मानक परिसम्पत्तियां	ऐसी परिसंपत्तियां जहां प्रतिपक्षकार के पास दायित्वों को पूरा करने की मजबूत क्षमता है और जहां डिफॉल्ट का जोखिम नगण्य है या शून्य / नियमित रूप से भुगतान करने वाली परिसंपत्तियां हैं	12 महीने का ईसीएल
अवस्था 2	संवर्धित क्रेडिट जोखिम वाले ऋण	ऐसी परिसम्पत्तियां जहां प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।	जीवनकाल तक संभावित क्रेडिट हानियां
अवस्था 3	ऋण – अक्षम	ऐसी संपत्तियां जहां चूक की उच्च संभावना है और जहां वसूली की कम उम्मीद है वहां संपत्ति को बट्टे खाते में डाल दिया गया है	जीवनकाल तक संभावित क्रेडिट हानियां

ii. उल्लेखनीय अनुमान और निर्णयन

वित्तीय परिसम्पत्तियों की अक्षमता

(क) ऋणों के लिए संभावित क्रेडिट हानि (ईसीएल)

(लाख रुपए में)

अवस्था	परिसम्पत्ति समूह	31 मार्च, 2021 को ऋण पोर्टफोलियो	31 मार्च, 2021 को ईसीएल
अवस्था I	ऋण	2,372,746.14	25,547.32
अवस्था II	ऋण	163,862.40	32,294.79
अवस्था III	ऋण	244,155.27	93,132.88
	कुल	**2,780,763.82 ***	**150,974.99**

*वित्त पोषित ब्याज सावधि ऋण (थ्प्स्) को छोड़कर रु. 4,196.92 लाख, जिस पर बराबर की देनदारी बहियों में बनी हुई है।

(लाख रुपए में)

अवस्था	परिसम्पत्ति समूह	31 मार्च, 2020 को ऋण पोर्टफोलियो	31 मार्च, 2020 को ईसीएल
अवस्था I	ऋण	1,852,982.99	18,357.73
अवस्था II	ऋण	257,070.49	25,070.51
अवस्था III	ऋण	237,300.16	73,554.10
	कुल	**2,347,353.64***	**116,982.34**

*वित्त पोषित ब्याज सावधि ऋण (FITL) को छोड़कर रु. 7ए235ण्69 लाख, जिस पर बराबर की देनदारी बहियों में बनी हुई है।

(ख) सरलीकृत दृष्टिकोण के तहत कारोबारी प्राप्य राशियोंके लिए अपेक्षित ऋण हानिः

(लाख रुपए में)

समय (31 मार्च, 2021 को)	अदेय	0-30 दिनों के बाद देय	31-60 दिनों के बाद देय	91-120 दिनों के बाद देय	120 दिनों से अधिक के बाद देय	कुल
सकल वहन राशि*	297.00	-	-	-	-	297.00
संभावित हानि दर	-	-	-	-	-	-
संभावित क्रेडिट हानियां (हानि भत्ता प्रावधान)	-	-	-	-	-	-
कारोबारी प्राप्यों की वहन राशि (अक्षमता का निवल)	297.00	-	-	-	-	297.00
31 मार्च, 2021 को शेष	**297.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**297.00**

*सौर ऊर्जा परिसम्पत्तियों के लिए कारोबारी प्राप्यों का प्रतिनिधित्व करता है

(लाख रुपए में)

समय (31 मार्च, 2020 को)	अदेय	0-30 दिनों के बाद देय	31-60 दिनों के बाद देय	91-120 दिनों के बाद देय	120 दिनों से अधिक के बाद देय	कुल
सकल वहन राशि*	311.96	-	-	-	-	311.96
संभावित हानि दर	-	-	-	-	-	-
संभावित क्रेडिट हानियां (हानि भत्ता प्रावधान)	-	-	-	-	-	-
कारोबारी प्राप्यों की वहन राशि (अक्षमता का निवल)	311.96	-	-	-	-	311.96
31 मार्च, 2020 को शेष	**311.96**	**-**	**-**	**-**	**-**	**311.96**

*सौर ऊर्जा परिसम्पत्तियों के लिए कारोबारी प्राप्यों का प्रतिनिधित्व करता है

ख. चलनिधि जोखिम

चलनिधि जोखिम अल्पकालिक और दीर्घकालिक देनदारियों को पूरा करने में असमर्थता है जब और जब वे देय हो जाते हैं।

चलनिधि अंतराल विश्लेषण द्वारा चलनिधि की निगरानी की जाती है। चलनिधि जोखिम को कई रणनीतियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है जैसे कि दीर्घकालिक संसाधन जुटाना, अनुमानित संवितरण और परिपक्वता प्रोफाइल के आधार पर संसाधन जुटाना।

(i) वित्तीय व्यवस्थाएं

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी की निम्नलिखित आहरित उधार सुविधाओं तक पहुंच थी:

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
स्थायी दर		
- एक वर्ष के भीतर समाप्त होने वाली (वित्तीय संस्थाएं – विदेशी मुद्रा ऋण)	17,219.80	16,609.92
- एक वर्ष के बाद समाप्त होने वाली (वित्तीय संस्थाएं – विदेशी मुद्रा ऋण)	14,252.53	14,617.30
अस्थायी दर		
- एक वर्ष के भीतर समाप्त होने वाली (वित्तीय संस्थाएं – विदेशी मुद्रा ऋण)	86,099.00	124,574.40
- एक वर्ष के बाद समाप्त होने वाली (बैंक ऋण)	175,200.45	75,000.00
- एक वर्ष के बाद समाप्त होने वाली (वित्तीय संस्थाएं – विदेशी मुद्रा ऋण)	197,966.72	216,173.52

इरेडा के पास नकद ऋण (सीसी)/ओवरड्राफ्ट (ओडी)/अल्पकालिक ऋण (एसटीएल)/कार्यशील पूंजी मांग ऋण (डब्ल्यूसीडीएल) के रूप में कुल रु. 117,800.00 लाख (पिछला वर्ष रू 34,800.00 लाख रुपये) हैं। कार्यशील पूंजी सुविधा के तहत रु. 10,000.00 लाख एसटीएल/डब्ल्यूसीडीएल के साथ बिना किसी इंटरचेंजबिलिटी के ओवरड्राफ्ट सुविधा के रूप में उपलब्ध है जबकि सीसी/डब्ल्यूसीडीएल की एसटीएल/डब्ल्यूसीडीएल (गत वर्ष: शून्य) के साथ इंटरचेंजबिलिटी के रूप में रु. 58,000.00 लाख रुपये की सीमा उपलब्ध है और सीसी/ओडी के साथ बिना किसी इंटरचेंजबिलिटी के एसटीएल/डब्ल्यूसीडीएल के रूप में 49,800.00 लाख रुपये उपलब्ध है (पिछले वर्ष: 14,800.00 लाख रुपये) दिनांक 31.03.2021 को उपयोग सीसी/ओडी के रूप में 46,015.70 लाख रुपये (पिछले वर्ष: शून्य) और एसटीएल के रूप में 15,000.00 लाख रुपये (पिछले वर्ष: शून्य) है।

(ii) वित्तीय देनदारियों की परिपक्वताएं

नीचे दी गई तालिकाओं में कंपनी की वित्तीय देनदारियों का उनकी संविदात्मक परिपक्वता के आधार पर प्रासंगिक परिपक्वता समूहों में विश्लेषण किया गया है: वे सभी गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियां जिनके लिए संविदात्मक परिपक्वता नकदी प्रवाह के समय की समझ के लिए आवश्यक हैं: –

तालिका में प्रकट की गई राशियां संविदागत छूट रहित नकदी प्रवाह हैं।

31 मार्च, 2021 को

(लाख रुपए में)

विवरण	1-7 दिन	8-14 दिन	15- 30/ 31 दिन (1 माह)	1 माह -2 माह से अधिक	2 माह से अधिक – 3 माह तक	3 माह से अधिक – 6 माह तक	6 महीने से अधिक – एक वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
उधार राशियां	46,015.70	-	15,000.00	-	8,147.79	13,117.43	20,022.71	545,838.37	91,931.20	628,750.44	1,368,823.64
विदेशी मुद्रा देनदारियां	-	-	5,819.12	4,304.95	20,820.56	8,694.44	37,854.09	163,102.02	173,289.47	617,916.44	1,031,801.08

31 मार्च, 2020 को

(लाख रुपए में)

विवरण	1-7 दिन	8-14 दिन	15- 30/ 31 दिन (1 माह)	1 माह -2 माह से अधिक	2 माह से अधिक – 3 माह तक	3 माह से अधिक – 6 माह तक	6 महीने से अधिक – एक वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
उधार राशियां	0.00	-	-	-	6,891.09	22,860.88	33,843.20	308,021.71	95,458.59	655,828.10	1,122,903.57
विदेशी मुद्रा देनदारियां	-	-	5,496.89	4,152.48	16,360.17	9,154.31	33,193.70	152,037.21	128,822.18	714,077.65	1,063,294.58

ग. बाजार जोखिम

बाजार जोखिम मुख्य रूप से ब्याज दरों और विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार–चढ़ाव के कारण नुकसान की संभावना है। उधार ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए, कंपनी की एक समिति है जो समय–समय पर बाजार की स्थितियों, साथियों की चल रही ब्याज दरों और उधार की बढ़ती लागत के आधार पर अपनी उधार दरों की समीक्षा करती है।

कंपनी के उधार में फ्लोटिंग रेट और फिक्स्ड रेट दोनों तरह के उधार शामिल हैं जो बेंचमार्क दरों से जुड़े हैं। विदेशी मुद्रा उधार के लिए, कंपनी हेजिंग व्यवस्था करके फ्लोटिंग ब्याज दर के कारण जोखिम को कम करती है। इसके अलावा कंपनी समय–समय पर फ्लोटिंग रेट लिंक्ड पोर्टफोलियो की निगरानी करती है।

विदेशी उधार एजेंसियों से विदेशी मुद्रा उधार कंपनी को विदेशी मुद्रा विनिमय दर मूवमेंट जोखिम के लिए उजागर करती है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, कंपनी ब्याज दर और मुद्रा स्वैप (डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन), फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स इत्यादि जैसे जोखिम को हेज करने के लिए विभिन्न व्युत्पन्न उपकरणों को शुरू करके विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम को कम करती है। उचित मूल्य पर किए गए इन व्युत्पन्न अनुबंधों की कंपनी की अंतर्निहित अनुबंध आवश्यकता और जोखिम प्रबंधन रणनीति के आधार पर अलग–अलग परिपक्वताएं हैं।

I. विदेशी मुद्रा जोखिमः–

कंपनी के पास अपने संसाधन–समूह के हिस्से के रूप में विदेशी उधार एजेंसियों से उधार के रूप में विदेशी मुद्रा जोखिम है, अस्थिरता के साथ बड़े सीमा पार प्रवाह इरेडा की बैलेंस शीट को विनिमय दर आंदोलनों के लिए कमजोर बना सकते हैं। अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, कंपनी ब्याज दर और मुद्रा स्वैप (डेरिवेटिव लेनदेन) के माध्यम से विदेशी मुद्रा जोखिम को कम करती है। उचित मूल्य पर किए गए इन विदेशी मुद्रा अनुबंधों में कंपनी की अंतर्निहित अनुबंध आवश्यकता और जोखिम प्रबंधन रणनीति के आधार पर अलग–अलग परिपक्वता होती है।.

(क) विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधनः

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी का विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति एक्सपोजर, जो भारतीय रुपये में व्यक्त किया गया है, इस प्रकार हैः–

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021			31 मार्च, 2020		
	अमरीकी डॉलर	यूरो	जापानी येन	अमरीकी डॉलर	यूरो	जापानी येन
वित्तीय परिसम्पत्तियां						
बाहरी देशों में बैंक शेष	1,750.68	-	-	7,800.38	-	-
व्युत्पन्न परिसम्पत्तियां						
विदेशी मुद्रा स्वैप संविदाएं	31,221.67	3,941.47	5,145.87	54,669.80	490.95	16,095.24
वित्तीय देनदारियां						
विदेशी मुद्रा ऋण	382,941.90	250,898.26	397,960.92	359,140.32	286,463.22	417,691.05
व्युत्पन्न देनदारियां						
विदेशी मुद्रा स्वैप संविदाएं	1,817.95	1,497.06	5,868.15	-	6,257.17	530.82
विदेशी मुद्रा जोखिम में निवल एक्सपोजर (देनदारियां)	**351,788.42**	**248,453.85**	**398,683.20**	**297,877.83**	**292,228.53**	**401,919.78**
विदेशी मुद्रा जोखिम में निवल एक्सपोजर (परिसम्पत्तियां)	-	-	-	-	-	-

(ख) संवेदनशीलता

विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण लाभ और हानि की संवेदनशीलता मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग के वित्तीय साधनों से उत्पन्न होती है। नीचे दी गई तालिका में विदेशी मुद्रा एक्सपोजर पर 5% भारतीय रुपए तक के सापेक्ष विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तन के कारण लाभ और हानि (+ लाभ / (–) हानि) के विवरण पर प्रभाव प्रस्तुत किया गया है। *:-

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021		31 मार्च, 2020	
	कमी	वृद्धि	कमी	वृद्धि
	विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन के कारण			
अमरीकी डॉलर संवेदनशीलता	(1,028.96)	1,028.96	(2,291.27)	2,291.27
यूरो संवेदनशीलता	4,099.18	(4,099.18)	5,338.06	(5,338.06)
जापानी येन संवेदनशीलता	7,339.70	(7,339.70)	7,703.58	(7,703.58)

*अन्य सभी चरों को स्थिर रखते हुए

II. नकद प्रवाह और उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के कारण किसी वित्तीय साधन के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव होगा। बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के जोखिम के प्रति कंपनी का जोखिम फ्लोटिंग ब्याज दरों के साथ लंबी अवधि के विदेशी मुद्रा ऋण से संबंधित है। कंपनी अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार अपने ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करती है।

कंपनी की निश्चित दर उधार परिशोधन लागत पर की जाती है। इसलिए वे ब्याज दर जोखिम के अधीन नहीं हैं, क्योंकि बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के कारण न तो वहन राशि और न ही भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव होगा।

(a) ब्याज दर जोखिम एक्सपोजर

समीक्षाधीन अवधि के अंत में ब्याज दर में परिवर्तन के लिए समूह के उधार का एक्सपोजर इस प्रकार है:

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
परिवर्तनीय दर उधार राशियां		
घरेलू	52,299.55	172,627.93
अंतरराष्ट्रीय	369,941.03	391,603.46
कुल	**422,240.58**	**564,231.39**

(ख) संवेदनशीलता

लाभ या हानि ब्याज दरों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप उधार से उच्च / निम्न ब्याज व्यय के प्रति संवेदनशील है।

(लाख रुपए में)

विवरण	कर पश्चात लाभ पर प्रभाव	
	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
ब्याज दरें – 50 मूल अंकों की वृद्धि*	(2,111.21)	(2,821.16)
ब्याज दरें – 50 मूल अंकों की कमी	2,111.21	2,821.16

*अन्य सभी चरों को स्थिर रखते हुए

(ग) हेजिंग गतिविधियों का प्रभाव

व्युत्पन्न वित्तीय साधन और हेज अकाउंटिंग

कंपनी के पास केवल प्रिंसिपल स्वैप (पीओएस), क्रॉस करेंसी और इंटरेस्ट रेट स्वैप (सीसीआईआरएस), फॉरवर्ड्स, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स (आईआरएस), क्रॉस, करेंसी और क्रॉस करेंसी ऑप्शंस, स्ट्रक्चर्ड जैसे डेरिवेटिव वित्तीय साधनों को शुरू करनें/लागत में कमी के उत्पादों आदि को अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों और ब्याज दर जोखिमों को कम करने और कम करने के लिए के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है। ।

कंपनी केवल प्रिंसिपल स्वैप (पीओएस), क्रॉस करेंसी और इंटरेस्ट रेट स्वैप (सीसीआईआरएस), फॉरवर्ड, इंटरेस्ट रेट स्वैप (आईआरएस), क्रॉस, करेंसी और क्रॉस करेंसी ऑप्शंस, स्ट्रक्चर्ड/कॉस्ट रिडक्शन प्रोडक्ट्स आदि के रूप में अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों और ब्याज दर जोखिमों को हेज करने के लिए डेरिवेटिव वित्तीय साधनों का उपयोग करती है।

हेज की अप्रभावशील का निर्धारण हेज संबंध की शुरुआत में और समय–समय पर संभावित प्रभावशीलता आकलन के माध्यम से किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हेज की गई वस्तु और हेजिंग उपकरण के बीच एक आर्थिक संबंध मौजूद है। कंपनी निम्नलिखित प्रभावशीलता परीक्षण रणनीतियों को लागू करती है:

- क्रॉस करेंसी स्वैप और ब्याज दर स्वैप के लिए जो हेज किए गए आइटम की शर्तों से बिल्कुल मेल खाते हैं, आर्थिक संबंध और हेज प्रभावशीलता महत्वपूर्ण शर्तों के मिलान पद्धति का उपयोग करके गुणात्मक कारकों पर आधारित हैं।

कंपनी ने हेजिंग संबंधों के लिए 1रू1 का हेज अनुपात स्थापित किया है क्योंकि अंतर्निहित जोखिम और हेजिंग उपकरणों की अनुमानित राशि हेज की गई वस्तुओं के समान है।

नकदी प्रवाह हेज रिजर्व में गतिविधि:

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
वर्ष के प्रारंभ में शेष	55,154.33	15,674.72
हेजिंग उपकरणों के प्रभावी हिस्से के उचित मूल्य में परिवर्तन	(30,106.51)	68,462.48
हेज की गई मदों पर विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि)	(2,722.13)	(28,982.87)
हेज की गई मदों पर विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि)	**22,325.69**	**55,154.33**

तुलन पत्र पर हेज लेखांकन के प्रभावों का प्रकटीकरण:

31 मार्च, 2021 को

(लाख रुपए में)

हेज और जोखिमों का प्रकार	परिपक्वता की तारीखें	हेज अनुपात	भारित औसत स्ट्राइक प्राइस/दर	हेज उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन
नकद प्रवाह हेज				
विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम				
(i) क्रॉस करेंसी स्वैप				
-अमरीकी डॉलर	15-अक्टूबर-2024 to 07-अक्टूबर-2035	1 : 1	67.6734	-21,457.99
-यूरो	28-मई-2021 to 31-मई-2029	1 : 1	81.3521	8,660.31
-जापानी येन	19-जून-2021 to 20-मार्च-2025	1 : 1	0.6590	-14,623.77

हेज और जोखिमों का प्रकार	परिपक्वता की तारीखें	हेज अनुपात	भारित औसत स्ट्राइक प्राइस/दर	हेज उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन
(ii) ब्याज दर स्वैप				
-अमरीकी डॉलर	15-जुलाई-2026 to 15-अक्टूबर-2026	1 : 1	67.0767	-1,006.41
-यूरो	30-जून-2024	1 : 1	81.4	-449.69
-जापानी येन	19-जून-2024	1 : 1	0.5925	-1,662.93

31 मार्च, 2020 को

(लाख रुपए में)

हेज और जोखिमों का प्रकार	परिपक्वता की तारीखें	हेज अनुपात	भारित औसत स्ट्राइक प्राइस/दर	हेज उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन
नकद प्रवाह हेज				
विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम				
(i) क्रॉस करेंसी स्वैप				
-अमरीकी डॉलर	20-अक्टूबर-2020 से 15-अप्रैल-2034	1 : 1	70.1854	40,439.14
-यूरो	30-दिसम्बर-2020 से 31-मई-2029	1 : 1	81.3573	9,378.67
-जापानी येन	19-दिसम्बर-2019 से 20-मार्च-2025	1 : 1	0.6430	14,538.71
(ii) ब्याज दर स्वैप				
-अमरीकी डॉलर	15-Jun-2020 से 15-अक्टूबर-2026	1 : 1	67.0887	1,584.63
-यूरो	31-मई-2020 से 30-जून-2024	1 : 1	73.2641	74.83
-जापानी येन	19-जून-2020 से 19-जून-2024	1 : 1	0.6195	2,446.50

सांकेतिक राशियों और डेरिवेटिव की अग्रणीत राशि के विवरण के लिए, कृपया वित्तीय विवरणों में टिप्पणी 4 – 'व्युत्पन्न वित्तीय विलेख' देखें।

हेजिंग लेखांकन का लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण पर प्रभावः–

31 मार्च 2021 को

(लाख रुपए में)

हेज का प्रकार	अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त हेजिंग लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तन	लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृत की गई हेज अप्रभावीता	हेज की गई मद पर विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि)	अन्य व्यापक आय में प्रभावित लाइन आइटम
विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम	(30,106.51)	-	(2,722.13)	नकद प्रवाह हेज आरक्षित में हेजिंग उपकरण पर लाभ/(हानि)/प्रभावी हिस्सा

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

31 मार्च 2021 को

(लाख रुपए में)

हेज का प्रकार	अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त हेजिंग लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तन	लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृत की गई हेज अप्रभावशील	हेज की गई मद पर विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि)	अन्य व्यापक आय में प्रभावित लाइन आइटम
नकद प्रवाह हेज विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम	68,462.48	-	(28,982.87)	नकद प्रवाह हेज आरक्षित में हेजिंग उपकरण पर लाभ/(हानि) का प्रभावी हिस्सा

39. पूंजी प्रबंधन

जोखिम प्रबंधनः

कंपनी की पूंजी प्रबंधन नीति का प्राथमिक उद्देश्य नियामक पूंजी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना है। इस उद्देश्य के अनुरूप, कंपनी हर समय पर्याप्त पूंजी सुनिश्चित करती है और अपने व्यवसाय को इस तरह से प्रबंधित करती है कि पूंजी की रक्षा की जाती है, संतोषजनक व्यावसायिक विकास सुनिश्चित किया जाता है, नकदी प्रवाह की निगरानी की जाती है और रेटिंग को बनाए रखा जाता है।

उद्योग में अन्य लोगों के अनुरूप, कंपनी निम्नलिखित अनुपात के आधार पर पूंजी की निगरानी करती हैः

निवल ऋण (कुल उधार) को कुल 'इक्विटी' से विभाजित किया जाता है जैसा कि बैलेंस शीट में दर्शाया गया है।

कंपनी का ऋण–इक्विटी अनुपात इस प्रकार हैः

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
ऋण	2,400,000.45	2,185,354.50
इक्विटी (पूंजी आरक्षिति सहित)	299.517.94	252,131.85
ऋण–इक्विटी अनुपात	**8.01**	**8.67**

40. व39ण वर्ष 2019–20 में, इरेडा को वरिष्ठ आसूचना अधिकारी (एसआईओ), जीएसटी आसूचना महानिदेशालय, वारंगल, क्षेत्रीय इकाई से पत्र सं. फा.सं. आईएनवी/डीजीजीआई/डब्ल्यूआरयू/एसटी/06/2019–20ध्7336 दिनांक 24.12.2018 गारंटी शुल्क/कमीशन के भुगतान के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए दिनांक 01.04.2016 से 31.10.2018 की अवधि के दौरान सरकार को भुगतान (वर्ष–वार) और सेवा कर/जीएसटी का भुगतान, यदि आरसीएम के आधार पर उक्त गारंटी शुल्क या सरकार को भुगतान किए गए कमीशन पर दस्तावेजी साक्ष्य के साथ भुगतान किया जाता है और यदि भुगतान न किया गया हो, तो भुगतान न करने के कारण बताएं।

जीएसटी सलाहकार के परामर्श से जीएसटी आसूचना महानिदेशक को उत्तर प्रस्तुत किया गया था। इसके अलावा, हमारी कंपनी का लिखित बयान जीएसटी प्राधिकरण, हैदराबाद द्वारा दर्ज किया गया है। 12 मार्च, 2020 को डीजीजीआई, हैदराबाद जोन के अधिकारियों ने उक्त मामले पर चर्चा के उद्देश्य से इरेडा के पंजीकृत कार्यालय का दौरा किया। मामले को कानूनी राय के लिए वकील के पास भेजा गया था। बोर्ड के मत और अनुमोदन के आधार पर, लेखा–पुस्तिकाओं में 502.54 लाख रुपये की देनदारी के रूप में प्रावधान किया गया है और बाद में इसका भुगतान किया गया है। इसके अलावा इस विषय पर कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।

41. सेबी के दिशानिर्देशों के तहत "बड़े निकायों द्वारा ऋण प्रतिभूतियां जारी करके धन जुटाने" के लिए आवश्यक प्रकटीकरण ":

सेबी के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/डीडीएचएस/सीआईआर/पी/2018/144 दिनांक 26 नवंबर, 2018, के अनुपालन में, इरेडा ने उपरोक्त परिपत्र के तहत दिए गए प्रयोज्यता मानदंड के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए खुद को एक बड़ी इकाई कॉर्पोरेट के रूप में पहचाना। तदनुसार निम्नलिखित का प्रकटीकरण किया जा रहा हैरू

1. कम्पनी का नामः भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड
2. सीआईएनः U65100DL1987GOI027265
3. जिस वर्ष के लिए रिपोर्ट जमा की गईः 2021
4. उधार राशियों का ब्यौराः

(लाख रुपए में)

विवरण	विवरण
वित्तीय वर्ष में की गई वृद्धिशील उधारी (लगभग) (क)	346,000.00*
ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने के माध्यम से की गई अनिवार्य उधारी (ख) = (क का 25%:)	86,500.00
वित्तीय वर्ष में ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से की गई वास्तविक उधारी (ग)	50,000.00
ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से अनिवार्य उधारी में कमी, यदि कोई हो (घ) = (ख) - (ग)	36,500.00
ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से अनिवार्य उधारी में कमी, यदि कोई हो, कारण	**

*द्विपक्षीय/बहुपक्षीय संस्थाओं से लिए गए ऋण शामिल नहीं हैं।

**वित्त वर्ष 2021 के लिए, इरेडा ने रु 500 करोड़ कर योग्य बांडों के माध्यम से जुटाए – मई 21 में उप ऋण। महामारी के कारण, इरेडा का प्रमुख संवितरण पिछली तिमाही में, विशेषकर मार्च' 21 में हुआ। तदनुसार, घरेलू स्रोतों से उधार मुख्य रूप से वित्त वर्ष 21 की अंतिम तिमाही में किए गए थे, जिसमें अधिकतम भाग मार्चश 21 में उठाया गया था। प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर आगे उधार देने के लिए, इरेडा ने निधि के सबसे सस्ते स्रोत से संसाधन जुटाए। बॉन्ड बाजार के माध्यम से फंड जुटाना बैंकों से मिलने वाले आवधिक ऋण की तुलना में महंगा था। इसलिए, आर्थिक दृष्टिकोण से, धन जुटाने का एक अधिकांश कार्य घरेलू बैंकों से सावधि ऋण के माध्यम से किया गया था।

42. एनसीएलटी के तहत संदर्भित उधारकर्ताओं के कॉरपोरेट गारंटर

विंड वर्ल्ड इंडिया लिमिटेड का मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के पास भेजा गया है और एनसीएलटी द्वारा इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल को नियुक्त किया गया है। उक्त कंपनी रुपये की राशि के ऋण के लिए कॉर्पोरेट गारंटर के रूप में खड़ी है। 14,567.03 लाख (पिछले वर्षरू 14,380.15 लाख रुपये) इरेडा द्वारा उन संस्थाओं को दिया गया जो इसकी सहायक/सहयोगी हैं। एक सहायक कंपनी के दो खाते – मेसर्स विंड वर्ल्ड इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (डब्ल्यूडब्ल्यूआईआई) पर रु. 11,630.15 लाख (पिछले वर्षः 11,630.15 लाख रुपये) का बकाया वित्तीय वर्ष 2017–18 में एक गैर–निष्पादित संपत्ति में बदल गया था।

43. कोविड 19 से संबंधित प्रकटीकरण

a) कोविड–19 नियामक पैकेज के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र ओआर.सं.बीपी.बीसी.63/21.04.048/2019–20 दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के अनुसरण में प्रकटीकरणः

कोविड–19 नियामक पैकेज से संबंधित आरबीआई के 27 मार्च, 2020, 17 अप्रैल, 2020 और 23 मई, 2020 के दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी ने 1 मार्च, 2020 और 31 अगस्त के बीच देय किश्तों के भुगतान पर पात्र उधारकर्ताओं के लिए 2020 ("स्थगन अवधि") स्थगन की पेशकश की थी।। उन खातों के संबंध में जहां स्थगन लाभ दिया गया था, उन खातों की स्टेजिंग 31 मार्च, 2021 को पिछले दिनों की देयता स्थिति पर आधारित है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
(i)	एसएमए/अतिदेय श्रेणियों में संबंधित राशि, जहां स्थगन/स्थगन को 31.08.2020 तक बढ़ा दिया गया था	82,086.40	110,332.13
(ii)	संबंधित राशि जहां परिसंपत्ति वर्गीकरण लाभ बढ़ाया जाता है	82,086.40	110,332.13
(iii)	किया गया समान्य प्रावधान*	-	-
(iv)	अवधि के दौरान गिरावट और अवशेष प्रावधानों के सापेक्ष समायोजित सामान्य प्रावधान	-	-

* कंपनी, एनबीएफसी होने के नाते, इंड–एएस और बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है ताकि अक्षमताओं की पहचान की जा सके।

रु. 28,245.73 लाख के उधारकता ऋण खातों को वित्तीय वर्ष 2020–2021 के दौरान एनपीए/बंद माना गया है।

ख) कोविड–19 महामारी के प्रकोप के परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने मार्च 2020 में तालाबंदी की घोषणा की। इसके बाद, सरकार द्वारा राष्ट्रीय तालाबंदी को हटा दिया गया, लेकिन कोविड–19 मामलों की एक महत्वपूर्ण संख्या वाले क्षेत्रों में क्षेत्रीय लॉकडाउन लागू किया जाना जारी है। कोविड–19 के प्रभाव से वैश्विक और भारतीय वित्तीय बाजारों में अत्यधिक अस्थिरता और वैश्विक और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों में उल्लेखनीय कमी आई है। वर्तमान ष्दूसरी लहरष् सहित कोविड 19 महामारी, जिसने भारत में मामलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की है, कंपनी के परिणामों को प्रभावित करना जारी रखेगी, यह चल रहे और साथ ही भविष्य के विकास पर निर्भर करेगा, जो अत्यधिक अनिश्चित हैं। वर्ष के दौरान ईसीएल गणना में कोविड –19 प्रभाव पर विचार किया गया है।

ग) गजेंद्र शर्मा बनाम भारत संघ और एएनआर द्वारा जनहित याचिका (पीआईएल) में सुप्रीम कोर्ट के 3 सितंबर, 2020 के अंतरिम आदेश के मद्देनजर, अधिस्थगन श्रेणी के तहत किसी भी अतिरिक्त उधारकर्ता खाते को गैर–निष्पादित संपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था, जो 31 अगस्त, 2020 तक एनपीए घोषित नहीं किया गया था।

खातों को एनपीए घोषित नहीं करने के लिए दिया गया अंतरिम आदेश 23 मार्च, 2021 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत लघु उद्योग औद्योगिक निर्माता संघ बनाम यूओआई और अन्य के मामले तथा अन्य संबंधित मामलों में रिक्त हो गया था। आरबीआई के परिपत्र संख्या आरबीआई/2021–22/17डीओआर.एसटीआर.आरईसी.4/21.04.048/2021–22 दिनांक 7 अप्रैल, 2021 के पैरा 5 में दिए गए निर्देशों के अनुसार, कंपनी ने परिसंपत्ति वर्गीकरण में किसी भी ठहराव पर विचार किए बिना, मौजूदा आरबीआई निर्देशों/आईआरएसी मानदंडों के अनुसार उधारकर्ता खातों का परिसंपत्ति वर्गीकरण किया है और 1 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों में इंड–एएस के तहत ईसीएल मॉडल/ढांचे के अनुसार उधारकर्ता खातों की स्टेजिंग भी की है।

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या आरबीआई/2021–22/17 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.4/21.04.048/2021–22 दिनांक 7 अप्रैल, 2021 और भारतीय बैंक संघ द्वारा जारी दिशानिर्देश के आधार पर ब्याज पर ब्याज की गणना के लिए पद्धति के अनुसार, कंपनी ने 1 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 की स्थगन अवधि के दौरान उधारकर्ताओं से लिए गए ब्याज पर ब्याज को वापस करने/समायोजित करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति बनाई है। कंपनी ने उक्त राशि का अनुमान लगाया है और 31मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों में एक प्रावधान किया है। 31 मार्च, 2021 को, कंपनी के पास रु. 250.00 लाख की विशिष्ट देयता है जिसे ब्याज की वापसी के लिए अपने दायित्व को पूरा करने के लिए ब्याज आय में डेबिट किया जाता है। आरबीआई द्वारा निर्धारित पात्र उधारकर्ताओं के लिए ब्याज पर तदनुसार, 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ब्याज आय 250.00 लाख रुपये कम है।

44. एनसीएलटी के तहत कंसोर्टियम मामला – मेसर्स गंगाखेड़ शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, यूको बैंक और मेसर्स गंगाखेड़ शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड के अन्य बैंकरों द्वारा धोखाधड़ी का पता चला था। यूको बैंक ने 11 मई, 2020 को खाते को धोखाधड़ी घोषित किया है और ओबीसी ने 21 जनवरी, 2020 को उक्त खाते को धोखाधड़ी घोषित किया है। कंपनी ने 10,000.00 लाख रुपये का परियोजना ऋण स्वीकृत किया है, जिसमें से रु. 31 मार्च 2021 को 5,107.95 लाख (पिछले वर्ष 5,107.95 लाख रुपये) बकाया हैा उक्त खाता 30 सितंबर, 2019 से कंपनी की बुक में एनपीए है। आईआरडीए की ऋण सुविधा को–जेनरेशन परिसंपत्ति के लिए मौजूदा ऋण का टेकआउट था। कंसोर्टियम लीड द्वारा साझा की गई

लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, सह–उत्पादन परिसंपत्ति के प्रति धोखाधड़ी के किसी भी उदाहरण का उल्लेख नहीं किया गया था। ऋण लेने वाली कंपनी अक्टूबर, 2019 से एनसीएलटी के माध्यम से दिवाला प्रक्रिया में है।

45. प्रकटीकरण – पीपीए इश्यू वाले एपी मामलों के लिए

निम्नलिखित उधारकर्ताओं ने खाते को गैर–निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं करने के लिए दिनांक 02 जनवरी 2020 को आंध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय से एक अंतरिम आदेश प्राप्त किया है। तदनुसार, उधारकर्ता के बकाया ऋण को चरण III संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, भले ही अतिदेय 3 महीने से अधिक पुराना हो। हालांकि, कंपनी ने अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ईसीएल) के अनुसार खातों की पुस्तकों में 83,232.19 लाख रुपये के बकाया ऋण परपरियोजनाओं के वित्तीय और परिचालन मापदंडों पर विचार करने के बाद 31 मार्च, 2021 तक 25,232.96 लाख रुपए का पर्याप्त प्रावधान किया है। हालांकि खातों को एनपीए घोषित नहीं किया गया है, लेकिन आय को नकद / वसूली के आधार पर इन खातों में दर्ज किया गया है। (यानी कोई भी 'ब्याज देय और प्राप्त नहीं हुआ' उलट दिया गया है और ब्याज आय के रूप में नहीं लिया गया है)।

(लाख रुपए में)

परियोजना संख्या	उधारकर्ता का नाम	बकाया राशि	अतिदेय राशि	ईसीएल राशि
2286	एयूलस विंड पार्क्स प्रावइेट लिमिटेड	14,671.58	5,473.37	4,943.50
2311	एयूलस विंड पार्क्स प्रावइेट लिमिटेड	15,000.00	1,733.30	5,054.16
2334	ज्वाला विंड प्रावइेट लिमिटेड	15,700.00	2,264.27	5,880.26
2330	अनंतपुर एनर्जी प्रोजेक्ट प्रावइेट लिमिटेड	14,500.00	1,870.97	1,450.00
2246	फुजिन विंड पार्क्स प्रावइेट लिमिटेड	13,299.00	2,105.00	3,520.36
2448	फुजिन विंड पार्क्स प्रावइेट लिमिटेड	61.61	64.31	16.31
0026ST	बोरियास रिन्यूएबल एनर्जी प्रावइेट लिमिटेड	10,000.00	6,739.13	4,368.38
कुल :		**83,232.19**	**20,250.35**	**25,232.96**

46. कंपनी ने मेसर्स सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड को रु. 30,000.00 लाख का ऋण संस्वीकृत किया है, जिसमें से 31 मार्च 2021 तक 13,090.40 लाख रुपये बकाया है। 31 मार्च 2020 तक कंपनी के खातों में मेसर्स सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड एक स्टेज –3 खाता (संदिग्ध –1 श्रेणी) है। कंपनी ने 31 मार्च, 2021 को अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ईसीएल) के अनुसार खातों की पुस्तकों में 13,090.40 लाख रुपये के बकाया ऋण पर 7,614.86 लाख रु. का प्रावधान किया है। कंपनी को उक्त खाते से वसूली की पूरी राशि प्राप्त हुई है और खाता 21 मई 2021 को पूरी तरह से व्यवस्थित है।

47. प्रस्तावित इक्विटी निवेश

फरवरी 2021 की बजट घोषणा में, माननीय वित्त मंत्री ने कंपनी में इक्विटी के रूप में 150,000.00 लाख रुपये के निवेश की घोषणा की थी। । कहा गया है कि इक्विटी के निवेश से पूंजी आधार में वृद्धि होगी, और कंपनी इसका लाभ उठाने और अक्षय ऊर्जा (आरई) परियोजनाओं के लिए उधार देने में सक्षम होगी और इस प्रकार आरई क्षमता स्थापना के भारत सरकार के लक्ष्य में योगदान प्राप्त होगा।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

48. लेखों के समेकन से संबंधित अनुसूची ।।। के तहत अपेक्षित अतिरिक्त प्रकटीकरण

A. पुनर्संचित लेखों का प्रकटीकरण

(Rs. in Lakhs)

समूह में संस्था का नाम	नेट संपत्तियां, यानि कुल संपत्ति माईन्स कुल देनदारियां		लाभ या हानि में हिस्सेदारी		अन्य व्यापक आय में हिस्सेदारी		कुल व्यापक आय में हिस्सेदारी	
मार्च 2021	**राशि**	**समेकित का %**	**राशि**	**समेकित का %**	**राशि**	**समेकित का %**	**राशि**	**समेकित का %**
इरेडा	299,518.50	99.98	34,640.72	100.01	(24,723.55)	100.00	9,917.17	100.03
एम. पी. विंड फार्मस लिमिटेड	53.42	0.02	(2.53)	-0.01	-	0.00	(2.53)	-0.03
कुल	**299,571.92**	**100.00%**	**34,638.19**	**100.00%**	**(24,723.55)**	**100.00%**	**9,914.63**	**100.00%**
समूह में संस्था का नाम	**नेट संपत्तियां, यानि कुल संपत्ति माईन्स कुल देनदारियां**		**लाभ या हानि में हिस्सेदारी**		**अन्य व्यापक आय में हिस्सेदारी**		**कुल व्यापक आय में हिस्सेदारी**	
मार्च 2021	**राशि**	**समेकित का %**	**राशि**	**समेकित का %**	**राशि**	**समेकित का %**	**राशि**	**समेकित का %**
इरेडा	252,119.85	99.98	21,455.04	99.97	34,938.14	100	56,393.18	99.99
एम. पी. विंड फार्मस लिमिटेड	55.95	0.02	6.39	0.03	-	0	6.39	0.01
कुल	**252,175.81**	**100.00%**	**21,461.43**	**100.00%**	**34,938.14**	**100.00%**	**56,399.57**	**100.00%**

49. एसोसिएट के मामले में : अन्य टिप्पणी :

क) कंपनी के बोर्ड की राय है की चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिमों की मूल्य कम से कम उक्त राशि के बराबर/व्यवसाय के दौरान जमा पर निर्भर है।

ख) विंडफार्म, नकदा हिल्स केवल संचालात्मक है जहां पर कंपनी की गतिविधि केवल इंफ्रा–स्ट्रक्चर ऑपरेशन और रखरखाव के लिए है। जमगोद्राणी देवस का विंडफार्म साइट चालू नहीं है।

50. एनबीएफसी के लिए आरबीआई के विभिन्न निदेशों / परिपत्रों के अनुसार प्रकटीकरण

क. पुनर्संचित लेखों का प्रकटीकरण

31.03.2021 को

क्र. सं.	पुनर्संरचना का प्रकार परिसम्पत्ति वर्गीकरण ब्यौरा		सीडीआर तंत्र के अंतर्गत	एसएमई ऋण पुनर्संरचना के अंतर्गत	अन्य					कुल				
					मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
1	वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल 2020 को पुनर्संरचित लेखे (प्रारंभिक आंकड़े)*	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य	24				24	24				24
		बकाया राशि (लाख रुपए में)			92,140.64				92,140.64	92,140.64				92,140.64
		इस पर प्रावधान (लाख रुपए में)			5,745.11				5,745.11	5,745.11				5,745.11
2	वर्ष के दौरान नई पुनर्संरचना	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य	1				1	1				1
		बकाया राशि (लाख रुपए में)			321.73				321.73	321.73				321.73
		इस पर प्रावधान (लाख रुपए में)			16.09				16.09	16.09				16.09
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में स्तरोन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य	0				0	0				0
		बकाया राशि (लाख रुपए में)			0				0	0				0
		इस पर प्रावधान (लाख रुपए में)			0				0	0				0
4	पुनर्रचित मानक अग्रिम जो वित्तीय वर्ष के अंत में उच्च प्रावधान और / या अतिरिक्त जोखिम भार को आकर्षित करना बंद कर देते हैं और इसलिए अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दिखाया जाना जाना अपेक्षित नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य	0				0	0				0
		बकाया राशि (लाख रुपए में)			0				0	0				0
		इस पर प्रावधान (लाख रुपए में)			0				0	0				0
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित लेखों का स्तरावनयन	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य	4				4	4				4
		बकाया राशि (लाख रुपए में)			5,502.27				5,502.27	5,502.27				5,502.27
		इस पर प्रावधान (लाख रुपए में)			268.17				268.17	268.17				268.17

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

क्र. सं.	पुनर्संरचना का प्रकार परिसम्पत्ति वर्गीकरण ब्यौरा		सीडीआर तंत्र के अंतर्गत	एसएमई ऋण पुनर्संरचना के अंतर्गत	अन्य					कुल				
					मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित लेखों को बट्टे खाते किया जाना	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य	0				0	0				0
		बकाया राशि (लाख रुपए में)			0				0	0				0
		इस पर प्रावधान (लाख रुपए में)			0				0	0				0
7	वर्ष के दौरान बंद खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य	0				0	0				0
		बकाया राशि (लाख रुपए में)			0				0	0				0
		इस पर प्रावधान (लाख रुपए में)			0				0	0				0
8	31 मार्च, 2021 को पुनर्संरचित लेखे	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य	21				21	21				21
		बकाया राशि (लाख रुपए में)			86,960.09				86,960.09	86,960.09				86,960.09
		इस पर प्रावधान ** (लाख रुपए में)			5,493.02				5,493.02	5,493.02				5,493.02

*मानक पुनर्संरचित अग्रिम राशियों के आंकड़ों को छोड़कर जो उच्च प्रावधानीकरण या जोखिम भार (यदि लागू हो) को आकर्षित नहीं करते हैं।

** उपरोक्त प्रावधान आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार प्रकट किया गया है। हालांकि कंपनी ने ईसीएल मॉडल के आधार पर ऋण और अग्रिम के प्रावधान को मान्यता दी है।

पुनर्संचित लेखों का प्रकटीकरण

क्र. सं.	पुनर्संरचना का प्रकार परिसम्पत्ति वर्गीकरण ब्यौरा		सीडीआर तंत्र के अंतर्गत	एसएमई ऋण पुनर्संरचना के अंतर्गत	अन्य					कुल				
					मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
1	वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल 2020 को पुनर्संरचित लेखे (प्रारंभिक आंकड़े)*	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य	24				24	24				24
		बकाया राशि (लाख रुपए में)			86,558.12				86,558.12	86,558.12				86,558.12
		इस पर प्रावधान (लाख रुपए में)			5,303.55				5,303.55	5,303.55				5,303.55
2	वर्ष के दौरान नई पुनर्संरचना	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य	5				5	5				5
		बकाया राशि (लाख रुपए में)			35,458.41				35,458.41	35,458.41				35,458.41
		इस पर प्रावधान (लाख रुपए में)			1,695.75				1,695.75	1,695.75				1,695.75
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में स्तरोन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य	0				0	0				0
		बकाया राशि (लाख रुपए में)			0				0	0				0
		इस पर प्रावधान (लाख रुपए में)			0				0	0				0
4	पुनर्रचित मानक अग्रिम जो वित्तीय वर्ष के अंत में उच्च प्रावधान और / या अतिरिक्त जोखिम भार को आकर्षित करना बंद कर देते हैं और इसलिए अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दिखाया जाना अपेक्षित नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य	0				0	0				0
		बकाया राशि (लाख रुपए में)			0				0	0				0
		इस पर प्रावधान (लाख रुपए में)			0				0	0				0
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित लेखों का स्तरावनयन	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य	5				5	5				5
		बकाया राशि (लाख रुपए में)			29,875.89				29,875.89	29,875.89				29,875.89
		इस पर प्रावधान (लाख रुपए में)			1,254.19				1,254.19	1,254.19				1,254.19

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

क्र. सं.	पुनर्संरचना का प्रकार परिसम्पत्ति वर्गीकरण ब्यौरा		सीडीआर तंत्र के अंतर्गत	एसएमई ऋण पुनर्संरचना के अंतर्गत	अन्य					कुल				
					मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित लेखों को बट्टे खाते किया जाना	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य	0				0	0				0
		बकाया राशि (लाख रुपए में)			0				0	0				0
		इस पर प्रावधान (लाख रुपए में)			0				0	0				0
7	वर्ष के दौरान बंद खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य	0				0	0				0
		बकाया राशि (लाख रुपए में)			0				0	0				0
		इस पर प्रावधान (लाख रुपए में)			0				0	0				0
8	31 मार्च, 2020 को पुनर्संरचित लेखे	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य	24				24	24				24
		बकाया राशि (लाख रुपए में)			92,140.64				92,140.64	92,140.64				92,140.64
		इस पर प्रावधान** (लाख रुपए में)			5,745.11				5,745.11	5,745.11				5,745.11

* मानक पुनर्संरचित अग्रिम राशियों के आंकड़ों को छोड़कर जो उच्च प्रावधानीकरण या जोखिम भार (यदि लागू हो) को आकर्षित नहीं करते हैं।

** उपरोक्त प्रावधान आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार प्रकट किया गया है। हालांकि कंपनी ने ईसीएल मॉडल के आधार पर ऋण और अग्रिम के प्रावधान को मान्यता दी है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

क. पूंजी

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
1	सीआरएआर (%)*	17.12	14.34
2	सीआरएआर – टीयर I पूंजी (%)	12.91	12.55
3	सीआरएआर - टीयर II टीयर (%)	4.22	1.79
4	टीयर–।। पूंजी के रूप में जुटाए गए अधिनिस्थ ऋण की राशि (लाख रुपए में)	64,919.20	14,970.00
5	चिरस्थायी ऋण लिखत जारी करके जुटाई गई राशि	-	-

ख. निवेश

	विवरण			31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(1)	निवेशों का मूल्य				
	(i)	निवेशों का सकल मूल्य			
		(क)	भारत में		
			-बैंकों में अल्पावधिक जमा राशियां	-	29,201.11
			-एमआईबीओआर के साथ जुड़ी लचीली (फ्लेक्सी) जमा	-	20,692.47
			-वाणिज्यिक पत्र (पूर्ण अक्षम)	6,899.11	6,899.11
			-उपर्युक्त मदों पर उपचित ब्याज	-	752.70
		(ख)	भारत से बाहर,	-	-
	(ii)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान			
		(क)	भारत में	6,899.11	6,899.11
		(ख)	भारत से बाहर,	-	-
	(iii)	निवेश का निवल मूल्य			
		(क)	भारत में	-	50,646.27
		(ख)	भारत से बाहर	-	-
(2)	निवेश पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों का संचलन.				
	(i)	प्रारंभिक शेष		6,899.11	-
	(ii)	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान		-	6,899.11
	(iii)	घटाएं: वर्ष के दौरान अतिशेष प्रावधानों का अधित्याग/बट्टे खाते		-	-
	(iv)	लगाया जाना		6,899.11	6,899.11

ग. डेरिवेटिव

❖ अग्र दर करार/ब्याज दर अदलाबदली (स्वैप)

विवरण		31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(i)	स्वैप करारों का संकेतिक सिद्धांत	821,862.93	840,534.25
(ii)	यदि प्रतिपक्षकार, समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे, तो होने वाली हानियाँ	40,309.01	71,255.99
(iii)	स्वैप करारों में शामिल पर लागू एनबीएफसी द्वारा अपेक्षित समपार्श्विक	N.A.	N.A.
(iv)	स्वैप करारों से उत्पन्न होने वाले क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रीकरण	N.A.	N.A.
(v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	31,125.85	64,468.00

❖ एक्सचेंज ट्रेडेड इंटरेस्ट रेट (आईआर) डेरिवेटिव्स – शून्य

❖ डेरिवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटीकरण

क) गुणवत्तात्मक प्रकटीकरण

(i) कंपनी ने ब्याज दर, विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव और अन्य संपत्ति देयता बेमेल सहित विभिन्न बाजार जोखिमों को स्वीकृत किया;

(ii) सभी व्युत्पन्न सौदे विदेशी मुद्रा प्रबंधन समिति (एफएमसी) की देखरेख में किए जाते हैं। कंपनी को विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव और ब्याज दर जोखिम से बचाने के लिए, कंपनी ने आईएसडीए बैंकों के साथ व्युत्पन्न उपकरण के माध्यम से इस तरह के जोखिम को कम करने के लिए दीर्घकालिक समझौते किए हैं।

(iii) कंपनी केस दर केस आधार पर हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को अपनाकर एक्सचेंज के उतार–चढ़ाव के जोखिम से सुरक्षा के लिए सक्रिय कार्रवाई कर रही है। इस संबंध में, वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, इरेडा ने 6 आईएसडीए बैंकर के साथ 7 लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए 10 प्रिंसिपल ओनली स्वैप डील की है।

(iv) इरेडा के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा और डेरिवेटिव जोखिम प्रबंधन नीति है, ऐसी नीति खुले एक्सपोजर की अधिकतम अनुमेय सीमा को परिभाषित करती है जो बकाया विदेशी मुद्रा के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है। 31 मार्च, 2021 को इरेडा का विदेशी मुद्रा एक्सपोजर कुल विदेशी मुद्रा एक्सपोजर का 22.80 प्रतिशत (पिछले वर्ष: 24.58 प्रतिशत) है।

घ) मात्रात्मक प्रकटीकरण

क्र. सं.	विवरण		मुद्रा (पीओएस प्लस सीसीआईआरएस) डेरिवेटिव्स	ब्याज दर (सीसीआईआरएस) डेरिवेटिव्स
(i)	डेरिवेटिव्स (सांकेतिक मूल धनराशि)			
	हेजिंग के लिए		€ 195,071,590.70 $ 494,617,556.69 ¥ 35,754,286,518	€ 1,114,906.03 $ 51,988,716.28 ¥ 2,094,871,635
	मूल्य (लाख रुपए में)		768,787.29	53,075.64
(ii)	बाजार से बाजार स्थिति			
	a)	परिसम्पत्ति (+) (लाख रुपए में)	39,117.62	1,191.39
	b)	देनदारी (-)(लाख रुपए में)	9,137.96	45.20
(iii)	क्रेडिट एक्सपोजर		लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	अनहेज्ड एक्सपोजर (प्रिंसिपल और पार्ट हेज के लिए हेज नहीं माना जाता है) (लाख रुपए में)		235,254.31	

घ) प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

प्रतिभूतिकरण से संबंधित ये प्रकटीकरण नीचे दिए गए प्रारूप में किए गए हैं::

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	संख्या / राशि
1.	प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए लागू एनबीएफसी द्वारा प्रायोजित एसपीवी की संख्या*	-
2.	प्रायोजित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत संपत्ति की कुल राशि	-
3.	शेष की तारीख को एमआरआर का अनुपालन करने के लिए लागू एनबीएफसी द्वारा रखे गए एक्सपोजर की कुल राशि	
	क) बैलेंस शीट एक्सपोजर से बाहर	
	प्रथम हानि	-
	अन्य	-
	ख) बैलेंस शीट एक्सपोजर पर	
	प्रथम हानि	-
	अन्य	-
4.	एमआरआर से अन्य प्रतिभूतिकरण लेन–देन के एक्सपोजर की राशि	
	क) बैलेंस शीट एक्सपोजर से बाहर	
	i) स्वयं के प्रतिभूतिकरण में एक्सपोजर	
	प्रथम हानि	-
	हानि	-
	ii) तृतीय पक्षकार के प्रतिभूतिकरण में एक्सपोजर	
	प्रथम हानि	-
	हानि	-
	ख) बैलेंस शीट एक्सपोजर पर	
	i) स्वयं के प्रतिभूतिकरण में एक्सपोजर	
	प्रथम हानि	
	अन्य	-
	ii) तृतीय पक्षकार के प्रतिभूतिकरण में एक्सपोजर	
	प्रथम हानि	-
	अन्य	-
*केवल बकाया प्रतिभूतिकरण संव्यवहारों से संबंधित एसपीवी को यहां रिपोर्ट किया जाए		

परिसंपत्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्संरचना कंपनी को बेची गई वित्तीय परिसम्पत्तियों का विवरण

(लाख रुपए में)

विवरण		31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2021 को
(i)	लेखों की संख्या	-	-
(ii)	एससी/आरसी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों का निवल)	-	-
(iii)	कुल विचार	-	-
(iv)	पिछले वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली	-	-
(v)	निवल बही मूल्य पर कुल लाभ/हानि	-	-

ड. लागू एनबीएफसी द्वारा किए गए प्रेषण लेन–देन का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

विवरण		31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(i)	लेखों की संख्या	-	-
(ii)	बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों का निवल)	-	-
(iii)	कुल विचार	-	-
(iv)	पिछले वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली	-	-
(v)	निवल बही मूल्य पर कुल लाभ/हानि	-	-

च. खरीदी/बेची गई गैर–निष्पादन वित्तीय परिसम्पत्तियों का ब्यौरा

❖ **खरीदी गई गैर–निष्पादन वित्तीय परिसम्पत्तियों का ब्यौराः**

(लाख रुपए में)

विवरण			31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
1.	(क)	वर्ष के दौरान खरीदे गए लेखों की संख्या	-	-*
	(ख)	कुल बकाया	-	-*
2.	(क)	इनमें से, वर्ष के दौरान पुनर्संरचित लेखों की संख्या	-	-
	(ख)	कुल बकाया	-	-

*अन्य बैंक से 747.90 लाख रुपये का ऋण लिया गया जिसे उनकी बहियों में एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था

❖ **बेची गई गैर निष्पादन वित्तीय परिसम्पत्तियों का ब्यौराः**

विवरण		31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
1.	बेचे गए लेखों की संख्या	-	-
2.	कुल बकाया	-	-
3.	प्राप्त कुल विचारण	-	-

छ. परिसम्पत्तियों और देनदारियों की कतिपय मदों की परिसम्पत्ति देनदारी प्रबंधन परिवक्वता पद्धति

31 मार्च, 2021 को

(लाख रुपए में)

विवरण	1-7 दिन	8-14 दिन	15-30/ 31 दिन (1 महीना)	1 महीने से अधिक – 2 महीने तक	2 महीने से अधिक – 3 महीने तक	3 महीने से अधिक – 6 महीने तक	6 महीने से अधिक – एक वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमा राशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ब्याज सहित अग्रिम	39,462.90	773.79	22,337.72	13,246.09	83,672.60	133,862.08	202,580.05	641,549.66	303,113.13	1,256,045.61	2,696,643.62
निवेश										12.00	12.00
उधार राशियां	46,015.70	-	15,000.00	-	8,147.79	13,117.43	20,022.71	545,838.37	91,931.20	628,750.44	1,368,823.64
विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियां	-	-	-	-	-	1,740.73	-	-	-	-	1,740.73
विदेशी मुद्रा देनदारियां	-	-	5,819.12	4,304.95	20,820.56	8,694.44	37,854.09	163,102.02	173,289.47	617,916.44	1,031,801.08

31 मार्च, 2020 को

(लाख रुपए में)

विवरण	1-7 दिन	8-14 दिन	15-30/ 31 दिन (1 महीना)	1 महीने से अधिक – 2 महीने तक	2 महीने से अधिक – 3 महीने तक	3 महीने से अधिक – 6 महीने तक	6 महीने से अधिक – एक वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमा राशियां	2.01	19,505.71	24,589.89	1,276.90	-	-	5,271.76	-	-	-	50,646.27
ब्याज सहित अग्रिम	1,355.30	1,089.14	1,110.51	3,043.90	9,972.26	78,647.55	252,343.97	458,349.02	289,768.57	1,206,237.52	2,301,917.72
निवेश										12.00	12.00
उधार राशियां	0.00	-	-	-	6,891.09	22,860.88	33,843.20	308,021.71	95,458.59	655,828.10	1,122,903.57
विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियां	-	-	-	-	-	1,682.91	1,748.05	1,784.33	-	-	5,215.30
विदेशी मुद्रा देनदारियां	-	-	5,496.89	4,152.48	16,360.17	9,154.31	33,193.70	152,037.21	128,822.18	714,077.65	1,063,294.58

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

ज. एक्सपोजर

❖ **रीयल एस्टेट सेक्टर में एक्सपोजर**

(लाख रुपए में)

श्रेणी			31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
क)	**प्रत्यक्ष एक्सपोजर**			
	(i)	**आवासीय बंधक–विलेख-**		
		आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित उधार देना जो उधारकर्ता द्वारा कब्जा कर लिया गया है या किराए पर लिया गया है	-	-
	(ii)	**वाणिज्यिक रीयल एस्टेटः– -**		
		वाणिज्यिक अचल संपत्ति (कार्यालय भवन, खुदरा स्थान, बहुउद्देश्यीय वाणिज्यिक परिसर, बहु–परिवार आवासीय भवन, बहु–किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदामों की गति, होटल, एल और अधिग्रहण, विकास और निर्माण, आदि) पर बंधक द्वारा सुरक्षित उधार।) एक्सपोजर में गैर–निधि आधारित सीमाएं भी शामिल होंगी	-	-
	(iii)	**बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतिकृत जोखिमों में निवेश–**		
		a) आवासीय	-	-
		b) वाणिज्यिक रीयल एस्टेट	-	-
रीयल एस्टेट सेक्टर में कुल एक्सपोजर			**-**	**-**

❖ **पूंजी बाजार में एक्सपोजर**

(लाख रुपए में)

श्रेणी		31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी–उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसका कोष विशेष रूप से निवेश नहीं किया गया है, में ऋण शामिल है	-	-
(ii)	शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों पर या व्यक्तियों को शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी–उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश के लिए स्पष्ट आधार पर अग्रिम	-	-
(iii)	किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम जहां शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों को प्राथमिक सुरक्षा के रूप में लिया जाता है	-	-
(iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों की संपार्श्विक सुरक्षा द्वारा सुरक्षित सीमा तक किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम यानी जहां शेयरों/परिवर्तनीय बांडों/परिवर्तनीय डिबेंचर/इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के अलावा प्राथमिक सुरक्षा अग्रिमों को पूरी तरह से कवर नहीं करता है	-	-
(v)	स्टॉक ब्रोकर्स को प्रत्याभूत और अप्रत्याभूत अग्रिम और स्टॉक ब्रोकर्स और मार्केट मेकर्स की ओर से जारी गारंटियां	-	-
(vi)	संसाधनों को जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रमोटर के योगदान को पूरा करने के लिए शेयरों/डिबेंचर बांड या अन्य प्रतिभूतियों की सुरक्षा के खिलाफ या स्वच्छ आधार पर कॉरपोरेट्स को स्वीकृत ऋण	-	-
(vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/इश्यूज पर कंपनियों को ब्रिज ऋण		
(viii)	वेंचर कैपिटल फंड में सभी एक्सपोजर (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	-	-

झ. मूल कम्पनी के उत्पादों के वित्तपोषण का ब्यौरा,

■ **एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल)/समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का विवरण लागू एनबीएफसी द्वारा अधिक्रमित किया गया।**

31.03.2021 को सीमाओं से अधिक एकल एक्सपोजर की सूची

(लाख रुपए में)

क्र. सं	नाम	सेक्टर	एक्सपोजर (लाख रुपए में)	% [निवल मूल्य (लाख रुपए में) *-252,131.85]
1.	अज्यूर पॉवर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड #	एसपीवी	51,254.85	20.33%

* 31.03.2020 को निवल मूल्य

#रु 30.09.2020 के निवल मूल्य (अर्थात 274,503.12 लाख) के आधार पर, एक्सपोजर अनुमेय सीमाओं के भीतर है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

31.03.2020 को सीमाओं से अधिक एकल एक्सपोजर की सूची

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	नाम	सेक्टर	एक्सपोजर (लाख रुपए में)	(निवल मूल्य * - 258,396.57]
1	सदर्न पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड	लधु अवधिक	87,500.00	33.86%
2	तमिलनाडु जेनरेशन एड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड	लधु अवधिक	83,000.00	32.12%
3	एज्यूर पॉवर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	एसपीवी	53,346.30	20.65%

*** * 31.03.2019 को निवल मूल्य**

31.03.2021 को सीमाओं से अधिक समूह एक्सपोजर की सूची

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	समूह का नाम	एक्सपोजर (लाख रुपए में)	[निवल मूल्य (लाख रुपए में)*- 252,131.85]
		शून्य	

* 31.03.2020 को निवल मूल्य

31.03.2020 को सीमाओं से अधिक समूह एक्सपोजर की सूची

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	समूह का नाम	एक्सपोजर (लाख रुपए में)	[निवल मूल्य (लाख रुपए में)*- 252,131.85]
1	एसीएमई ग्रूप	122,403.50	47.37%
2	आरईएनईडब्ल्यू ग्रुप	104,266.40	40.35%

* 31.03.2019 के अनुसार नेटवर्थ

ञ. **विविध**

❖ **अन्य वित्तीय क्षेत्र के नियामकों से प्राप्त पंजीकरण**

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	विनियामक का नाम	विवरण	पंजीकरण का विवरण
1	कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय	कॉरपोरेट आईडेंटिफिकेशन नंबर	U65100DL1987GOI027265
2	भारतीय रिजर्व बैंक	पंजीकरण संख्या	14.000012
3	लीगल एंटिटी आईडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड	एलईआई नंबर	335800AXWFKW4BC99J48

- ❖ आरबीआई और अन्य नियामकों द्वारा लगाए गए दंड का खुलासा : शून्य
- ❖ कंपनी इंड–एएस –28 के अनुसार मेसर्स एमपी विंड फार्म्स लिमिटेड द्वारा प्रदान किए गए इंड एएस प्रमाणित खातों के आधार पर इक्विटी पद्धति के अनुसार एसोसिएट कंपनी में निवेश के लिए समेकित वित्तीय विवरण तैयार कर रही है।
- ❖ कंपनी के पास विदेश में संयुक्त उद्यम / सहायक कंपनियों के रूप में कोई विदेशी संपत्ति नहीं है।
- ❖ कंपनी द्वारा प्रायोजित कोई ऑफ–बैलेंस शीट एसपीवी नहीं है।
- ❖ **वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए शिकायतों का प्रकटीकरण:**

ग्राहक शिकायतें

a)	वर्ष की शुरुआत (01.04.2020) में लंबित शिकायतों की संख्या	-
b)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	29
c)	वर्ष के दौरान समाधान की गई शिकायतों की संख्या	29
d)	वर्ष के अंत में (31.03.2021) में लंबित शिकायतों की संख्या	-

बंधपत्रधारकों से संबंधित शिकायतें

ट. वर्ष के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग और रेटिंगों के विस्थापन का ब्यौरा

इरेडा ने कर योग्य / कर–मुक्त / मसाला बांड / बैंक ऋण जारी करके संसाधन जुटाए हैं, जिसके लिए उसने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों से इन निर्गमों के लिए रेटिंग प्राप्त की है। विवरण इस प्रकार है:–

- ❖ कर–मुक्त बंधपत्र / कर योग्य बंधपत्र

(लाख रुपए में)

रेटिंग एजेंसी	विलेख / उद्देश्य / ईश्यू	रेटिंग
आईसीआरए लिमिटेड	कर मुक्त बॉण्ड (रु. 200,000.00 लाख) फिस्कल 2015-16 सीरीज XIV (सार्वजनिक और निजी प्लेसमेंट)	आईसीआरए एए. (स्थिर) पुनःपुष्टि की गई
	कर योग्य ग्रीन बॉण्ड (रु. 70,000.00 लाख) फिस्कल 2016-17 सीरीज VI-A & VI-B	आईसीआरए एए. (स्थिर) पुनःपुष्टि की गई
इंडिया रेटिंग्स रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड	कर मुक्त बॉण्ड (रु. 200,000.00 लाख) फिस्कल 2015-16 सीरीज XIV (सार्वजनिक और निजी प्लेसमेंट)	आईएनडी एए (स्थिर) पुष्टि की गई
	कर योग्य ग्रीन बॉण्ड (रु. 70,000.00 लाख) फिस्कल 2016-17 सीरीज VI-A और VI-B	आईएनडी एए (स्थिर) पुष्टि की गई
	कर योग्य बॉण्ड (रु. 86,500.00 लाख) फिस्कल 2018-19 सीरीज VIIA और VIIB	आईएनडी एए (स्थिर) पुष्टि की गई
	कर योग्य Tier-II Sub Debt (रु. 15,000.00 लाख) फिस्कल 2018.19 सीरीज VIII	आईएनडी एए (स्थिर) पुष्टि की गई
	कर योग्य बॉण्ड (रु. 180,300.00 लाख) फिस्कल 19.20 सीरीज IX-A और IX-B	आईएनडी एए (स्थिर) पुष्टि की गई
	कर योग्य Tier II सबोर्डिनेट बॉण्ड (रु. 50,000.00 लाख) फिस्कल 20-21 Sr X	आईएनडी एए (स्थिर) पुष्टि की गई
केयर रेटिंग्स	कर योग्य बॉण्ड सीरीज III- B, IV और V (रु. 105,000.00 लाख	केयर एएए (सीई), स्थिर पुनःपुष्टि की लिमिटेड गई
	कर मुक्त बॉण्ड सीरीज -XIII सार्वजनिक और निजी प्लेसमेंट (रु. 75,765.46 लाख फिस्कल 13-14)	केयर एएए (सीई), स्थिर पुनःपुष्टि की गई

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

	कर योग्य ग्रीन बॉण्ड सीरीज VIA और VIB (रु. 70,000.00 लाख) फिस्कल 2016-17	केयर एएए एए स्थिर पुनःपुष्टि की गई
ब्रिकवर्क रेटिंग्स	दीर्घावधिक कर योग्य बॉण्ड सीरीज III-B, IV और V (रु. 105,000.00 लाख)	बीडब्ल्यूआर एएए (सीई) नकारात्मक पुनःपुष्टि की गई
	कर मुक्त बॉण्ड सीरीज -XIII सार्वजनिक और निजी प्लेसमेंट (रु. 75,765.46 लाख फिस्कल 13.14)	बीडब्ल्यूआर एएए (सीई) नकारात्मक पुनःपुष्टि की गई
	कर योग्य बॉण्ड (रु. 86,500.00 लाख) फिस्कल 2020 सीरीज VIIA और VIIB	बीडब्ल्यूआर एएए नकारात्मक पुनः पुष्टि की गई
	कर योग्यबॉण्ड (रु. ऋण (रु. 15,000.00 लाख) फिस्कल 2018-19 सीरीज VIII	बीडब्ल्यूआर एएए नकारात्मक पुनः पुष्टि की गई
	कर योग्य बॉण्ड (रु. 180,300.00 लाख) फिस्कल 19.20 सीरीज IX-A और IX-B	बीडब्ल्यूआर एएए नकारात्मक पुनःपुष्टि की गई
	कर योग्य टीयर ।। सबोर्डिनेट बॉण्ड (रु. 50,000.00 लाख) फिस्कल 20.21 सीरीज X	बीडब्ल्यूआर एएए नकारात्मक पुनःपुष्टि की गई

❖ **बैंक ऋण**

रेटिंग एजेंसी	रेटिंग	आवधिक ऋण
ब्रिकवर्क रेटिंग्स	बीडब्ल्यूआर एएए नकारात्मक पुनःपुष्टि की गई	• कुल रु. 220,000.00 लाख के आवधिक ऋण रेटेड। आवंटन का ब्यौराः ❖ एचडीएफसी आवधिक ऋणः रु. 20,000.00 लाख ❖ एसबीआई आवधिक ऋणः रु. 100,000.00 लाख ❖ केनरा बैंकः रु. 50,000.00 लाख ❖ बैंक ऑफ बडौदाः रु. 50,000.00 लाख • वित्तीय वर्ष 20–21 में रु. 50,000.00 लाख के कुल अतिरिक्त आवधिक ऋण को रेटेड किया गया। आवंटन का ब्यौराः ❖ बैंक ऑफ बडौदाः रु. 50,000.00 लाख • वित्तीय वर्ष 20–21 में उधारी के लिए रु. 200,000.00 लाख के कुल अतिरिक्त आवधिक ऋण की रेटिंग

❖ **मसाला बॉण्ड**

रेटिंग एजेंसियां	दीर्घावधि जारीकर्ता रेटिंग – माइग्रेशन	जुटाई गई राशि
मूडज इनवेसटर्स सर्विस	बीएए3, आउटलुक नकारात्मक	300 मिलियन अमरीकी डॉलर
फिच रेटिंग	बीबीबी– आउटलुक नकारात्मक (रेटिंग को बीबीबी– से स्तरोन्नयन करके बीबी प्लस किया गया, आउटलुक अपरिवर्तित है)	300 मिलियन अमरीकी डॉलर

❖ **भारत सरकार के पूर्णरूपेण सर्विस बॉण्ड**

रेटिंग एजेंसी	विलेख/उद्देश्य/ईश्यू	रेटिंग
केयर रेटिंग लिमिटेड	भारत सरकार के पूर्णरूपेण सर्विस बॉण्ड (रु.164,000.00) फिस्कल 2016.17	एएए, स्थिर, पुनः पुष्टि की गई
इंडिया रेटिंग्स रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड आईसीआरए लिमिटेड		

ठ. जमा राशियों, अग्रिमों, एक्सपोजरों और एनपीए का संकेंद्रीकरण

❖ अग्रिमों का संकेंद्रीकरण

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	1,010,357.94	855,091.44
कुल अग्रिमों की तुलना में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	36.27%	36.31%

❖ एक्सपोजर का संकेंद्रीकरण

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल अग्रिम	1,053,951.38	863,180.39
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर लागू एनबीएफसी के कुल एक्सपोजर के बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को एक्सपोजरों का प्रतिशत	37.84%	36.66%

❖ एनपीए का संकेंद्रीकरण

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
शीर्ष चार एनपीए खातोओं का कुल एक्सपोजर	68,352.72	79,428.54

❖ सेक्टर–वार एनपीए

क्र.सं.	सेक्टर	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत
1.	कृषि और संबद्ध गतिविधियां	-
2.	एमएसएमई	-
3.	कॉरपोरेट उधारकर्ता	8.77%
4.	सर्विसेज	-
2.	अप्रत्याभूत व्यक्तिगत ऋण	-
3.	ऑटो ऋण	-
4.	अन्य व्यक्तिगत ऋण	-

नोट– इरेडा कॉर्पोरेट उधारकर्ता को आरई परियोजनाओं के वित्तपोषण प्रदान करने के व्यवसाय में है, इसलिए कुल सकल एनपीए को कॉर्पोरेट उधारकर्ता के रूप में दिखाया गया है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

❖ **एनपीए की गतिविधि**

विवरण			31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(i)	निवल अग्रिम में निवल एनपीए (%)		5.61%	7.18%
(ii)	एनपीए की गतिविधि (सकल)			
	(क)	प्रारंभिक शेष	237,300.16	130,846.84
	(ख)	वर्ष के दौरान संवर्धन	53,074.22	124,859.36
	(ग)	वर्ष के दौरान कमियां	46,219.11	18,406.04
	(घ)	अंतिम शेष	244,155.27	237,300.16
(iii)	निवल एनपीए की गतिविधि			
	(क)	प्रारंभिक शेष	163,746.06	77,981.67
	(ख)	वर्ष के दौरान संवर्धन	43,528.16	104,145.05
	(ग)	वर्ष के दौरान कमियां	56,251.83	18,380.66
	(घ)	अंतिम शेष	151,022.39	163,746.06
(iv)	एनपीए के लिए प्रावधानों की गतिविधि (मानक परिसम्पत्तियों पर प्रावधान शामिल नहीं हैं)			
	(क)	प्रारंभिक शेष	73,554.10	52,865.16
	(ख)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	35,241.15	35,539.61
	(ग)	अधिशेष प्रावधानों का अधित्याग/बट्टे खाते डाला जाना	15,662.37	14,850.67
	(घ)	अंतिम शेष	93,132.88	73,554.10

ढ. आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/2020–21/88 डीओआर.एनबीएफसी (पीडी) सीसी सं.102/03/10.001/2020–21 दिनांक 04 नवंबर, 2020 के तहत गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और कोर निवेश कंपनियों के लिए चलनिधि जोखिम प्रबंधन ढांचे पर प्रकटीकरण।

i) महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष (जमा और उधार दोनों) पर आधारित निधिकरण संकेंद्रण

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	अवधि	उल्लेखनीय प्रतिपक्षकारों की संख्या *	राशि	कुल जमा रशियों का %	कुल देनदारियों का %
1	31.03.2021 को	13	1,594,560.49	लागू नहीं	58.41%
2.	31.03.2020 को	14	1,494,260.88	लागू नहीं	59.46%

टिप्पणी:

- एक "महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष" को एकल प्रतिपक्ष या संबद्ध या संबद्ध प्रतिपक्षकारों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है, जो एनबीएफसी–एनडीएसआई, एनबीएफसी–डी की कुल देनदारियों के 1 प्रतिशत से अधिक और अन्य जमा न लेने वाली एनबीएफसी के लिए 10 प्रतिशत से अधिक है।
- कुल देनदारियों की गणना कुल संपत्ति कम इक्विटी शेयर पूंजी और आरक्षिति और अधिशेष के रूप में की गई है।

ii) शीर्ष 20 बड़ी जमा राशियां

(लाख रुपए में)

अवधि	बड़ी जमा राशियां	राशि	कुल जमा रशियों का %
31.03.2021 को	लागू नहीं		
31.03.2020 को			

iii) 10 शीर्ष उधारदाता

31.03.2021 को

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	उधार राशियां	राशि	कुल उधार रशियों का %
1	दीर्घावधि सुविधा – आईएफसीएल (2020-21)	200,000.00	8.33%
2	जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी (जीआईसीए) से ऋण।	199,080.00	8.29%
3	जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी (जीआईसीए) से ऋण ।।	198,880.92	8.29%
4	7.125% ग्रीन मसाला बॉण्ड	194,567.94	8.11%
5	यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक (ईआईबी)	150,457.76	6.27%
6	एडीबी से ऋण – ।।	137,208.77	5.72%
7	8% कर योग्य बॉण्ड (सीरीज IX A- 2019-20)	99,977.70	4.17%
8	7.49% कर मुक्त बॉण्ड (सीरीज XIV ट्रांच-I-IIA- 2015-16)	88,426.52	3.68%
9	7.40% इरेडा कर योग्य बॉण्ड -Sr-IX-B -2030 (19-20)	80,257.16	3.34%
10	एजेंसी फ्रांकाइज दे डेवलपमेंट से ऋण ।। (एएफडी–।।)	73,184.15	3.05%

31.03.2020 को

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	उधार राशियां	राशि	कुल उधार रशियों का %
1	जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी (जीआईसीए)	208,950.00	9.56%
2	जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी (जीआईसीए–।।)	208,741.05	9.55%
3	7.125% ग्रीन मसाला बॉण्ड	194,309.26	8.89%
4	यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक (ईआईबी)	161,340.90	7.38%
5	एशिया विकास बैंक से ऋण – ।। (एडीबी–।।)	150,771.80	6.90%
6	8% कर योग्य बॉण्ड	99,975.90	4.57%
7	7.49 % कर मुक्त बॉण्ड	88,426.52	4.05%
8	एसबीआई आवधिक ऋण	84,993.17	3.89%
9	7.40% कर योग्य बॉण्ड	80,253.84	3.67%
10	एजेंसी फ्रांकाइज दे डेवलपमेंट से ऋण ।। (एएफडी–।।)	78,897.12	3.61%

iv) उल्लेखनीय लिखत/उत्पाद के आधार पर वित्तपोषण संकेंद्रण

31.03.2021 को

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	लिखत/उत्पाद की संख्या	राशि	कुल देनदारियों का %
1.	कर मुक्त बांड – गैर परिवर्तनीय प्रतिदेय डिबेंचर (प्रत्याभूत)	275,765.46	10.10%
2.	करयोग्य बांड – गैर परिवर्तनीय प्रतिदेय डिबेंचर (प्रत्याभूत)	441,692.76	16.18%
3.	मसाला बॉण्ड (अप्रत्याभूत)	194,567.94	7.13%
4.	अधीनस्थ देनदारियां	64,919.20	2.38%
5.	बैंकों से आवधिक ऋण (प्रत्याभूत)	254,735.26	9.33%
6.	बैंकों से आवधिक ऋण (अप्रत्याभूत)	97,676.36	3.58%
7.	अन्यों से आवधिक ऋण (प्रत्याभूत)	953,431.94	34.93%
8.	माग पर पुनःप्रतिदेय ऋण	46,015.70	1.69%
9.	एफसीएनआर (ख) मांग ऋण	71,195.83	2.61%

31.03.2020 को

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	लिखत/उत्पाद की संख्या	राशि	कुल देनदारियों का %
1	कर मुक्त बांड – गैर परिवर्तनीय प्रतिदेय डिबेंचर (प्रत्याभूत)	275,765.46	10.97%
2	करयोग्य बांड – गैर परिवर्तनीय प्रतिदेय डिबेंचर (प्रत्याभूत)	456,683.92	18.17%
3	मसाला बॉण्ड (अप्रत्याभूत)	194,309.26	7.73%
4	बैंकों से आवधिक ऋण (प्रत्याभूत)	398,570.53	15.86%
5	बैंकों से आवधिक ऋण (अप्रत्याभूत)	108,043.08	4.30%
6	अन्यों से आवधिक ऋण (प्रत्याभूत)	737,012.26	29.33%

टिप्पणी:

- एक "महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष" को एकल प्रतिपक्ष या संबद्ध या संबद्ध प्रतिपक्षकारों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है, जो एनबीएफसी–एनडीएसआई, एनबीएफसी–डी की कुल देनदारियों के 1 प्रतिशत से अधिक और अन्य जमा न लेने वाली एनबीएफसी के लिए 10 प्रतिशत से अधिक है।
- कुल देनदारियों की गणना कुल संपत्ति कम इक्विटी शेयर पूंजी और आरक्षित और अधिशेष के रूप में की गई है।
- एक "महत्वपूर्ण लिखत/उत्पाद" को समान लिखतों/उत्पादों के समूह के एकल लिखत/उत्पाद के रूप में परिभाषित किया गया है, जो एनबीएफसी–एनडीएसआई, एनबीएफसी–डी की कुल देनदारियों के 1% से अधिक और एनबीएफसी लेने वाले अन्य गैर–जमा के लिए 10% से अधिक है।

v) **स्टॉक अनुपात :**

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	लिखत/उत्पाद की संख्या	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
1	कुल सार्वजनिक निधि के प्रतिशत के रूप में वाणिज्यिक पत्र	लागू नहीं	लागू नहीं
2	कुल देनदारियों के प्रतिशत के रूप में वाणिज्यिक पत्र	लागू नहीं	लागू नहीं
3	कुल परिसम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में वाणिज्यिक पत्र	लागू नहीं	लागू नहीं
4	कुल सार्वजनिक निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर (एक वर्ष से कम मूल परिवक्वता)	लागू नहीं	लागू नहीं
5	कुल देनदारियों के प्रतिशत के रूप में गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर (एक वर्ष से कम मूल परिवक्वता)	लागू नहीं	लागू नहीं
6	कुल परिसम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर (एक वर्ष से कम मूल परिवक्वता)	लागू नहीं	लागू नहीं
7	कुल सार्वजनिक निधियों के प्रतिशत के रूप में अन्य अल्पावधिक देनदारियां, यदि कोई हों	4.01%	5.09%
8	कुल देनदारियों के प्रतिशत के रूप में अन्य अल्पावधिक देनदारियां, यदि कोई हों	3.53%	4.43%
9	कुल परिसम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में अन्य अल्पावधिक देनदारियां, यदि कोई हों	3.18%	4.03%

टिप्पणीः अन्य अल्पकालिक देनदारियों की गणना व्यापार देय राशि, अन्य वित्तीय और गैर–वित्तीय देनदारियों के कुल योग के रूप में की गई है, जिसमें भारत सरकार के पूर्ण सेवा बांड शामिल नहीं हैं।

ii) **चलनिधि जोखिम प्रबंधन के लिए संस्थागत ढांचा**

कंपनी के निदेशक मंडल ने परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति, जोखिम प्रबंधन समिति और निवेश समिति का गठन किया है। परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति, अन्य बातों के साथ–साथ, परिसंपत्ति देयता प्रोफाइल, जोखिम निगरानी प्रणाली, तरलता जोखिम प्रबंधन, वित्त पोषण और पूंजी नियोजन, लाभ योजना और विकास अनुमान, विभिन्न परिदृश्यों का पूर्वानुमान और विश्लेषण और आकस्मिक योजनाओं की तैयारी की समीक्षा करती है।

इसके अलावा, जोखिम प्रबंधन समिति, अन्य बातों के साथ, कंपनी के जोखिम प्रोफाइल की निगरानी और माप करती है और कंपनी की एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली की देख–रेख करती है। कंपनी पर्याप्त नकदी/ट्रेजरी अधिशेष बनाए रखकर चलनिधि जोखिम का प्रबंधन करती है।

प्रबंधन नियमित रूप से नकद और नकद समकक्षों की स्थिति की निगरानी करता है। चलनिधि स्थिति की समीक्षा करते समय ऋण वित्तपोषण योजनाओं और बैलेंस शीट तरलता के रखरखाव सहित वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता प्रोफाइल का आकलन किया जाता है। (डीएनबीएस 4ए और डीएनबीएस 4बी स्टेटमेंट की प्रस्तुति और निगरानी के माध्यम से)। कंपनी पहले से ही चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) की गणना के लिए प्रक्रिया की स्थापना और स्टॉक अनुपात के माध्यम से चलनिधि जोखिम के प्रबंधन के लिए मौजूदा चलनिधि जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में सुधार लाने पर काम कर रही है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

ढ. **आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/2019–20/170 डीओ (एनबीएफसी) के तहत प्रकटीकरण। सीसी.पीडी. सं. 109/22-10-106/2019&20 दिनांक 13 मार्च, 2020 भारतीय लेखा मानकों के कार्यान्वयन पर :**

(लाख रुपए में)

आरबीआई मानकों के अनुसार परिसम्पत्ति वर्गीकरण	इंड एएस 109 के अनुसार परिसम्पत्ति वर्गीकरण	इंड एएस के अनुसार सकल वहन राशि	इंड एएस 109 के अंतर्गत यथापेक्षित हानि भत्ते (प्रावधान)	कुल वहन राशि	आईआर एसीपी मानकों के अनुसार यथापेक्षित प्रावधान	इंड एएस 109 प्रावधानों और आई आरएसीपी मानकों के बीच भिन्नता
1	2	3	4	(5)=(3)-(4)	6	(7) = (4)-(6)
निष्पादन परिसम्पत्तियां						
मानक	अवस्था 1	2,372,746.14	25,547.32	2,347,198.82	37,151.08*	20,691.03
	अवस्था 2	163,862.40	32,294.79	131,567.61		
उप योग		**2,536,608.54**	**57,842.11**	**2,478,766.43**	**37,151.08**	**20,691.03**
गैर–निष्पादन परिसम्पत्तियां (एनपीए)						
अवमानक	अवस्था 3	53,074.23	9,546.07	43,528.16	5,307.42	4,238.64
संदिग्ध – 1 वर्ष तक	अवस्था 3					
1 से 3 वर्ष	अवस्था 3	64,488.96	20,809.71	43,679.25	23,089.98	(2,280.27)
3 वर्ष से अधिक	अवस्था 3	44,814.39	21,514.89	23,299.50	27,872.57	(6,357.68)
संदिग्ध पर उपयोग		81,773.29	41,257.81	40,515.49	49,062.93	(7,805.12)
		191,076.65	83,582.41	107,494.23	100,025.48	(16,443.06)
हानि	अवस्था 3					
एनपीए के लिए उपयोग		**4.40**	**4.40**	**-**	**4.40**	**-**
		244,155.27	93,132.88	151,022.39	105,337.30	(12,204.42)
अन्य मदें जैसे गारंटी, ऋण प्रतिबद्धताएं, आदि जो भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे में हैं लेकिन वर्तमान आय पहचान, संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) मानदंडों के तहत शामिल नहीं हैं।	अवस्था 1	104,910.00	486.70	104,423.30	-	486.70
	अवस्था 2	-	-	-	-	-
	अवस्था 3	-	-	-	-	-
उप योग		**104,910.00**	**486.70**	**104,423.30**	**-**	**486.70**
कुल	**अवस्था 1**	2,477,656.14	26,034.01	2,451,622.13	142,488.39	8,973.30
	अवस्था 2	163,862.40	32,294.79	131,567.61		
	अवस्था 3	244,155.27	93,132.88#	151,022.39		
	कुल	**2,885,673.82**	**151,461.68**	**2,734,212.13**	**142,488.39**	**8,973.30**

* पुनर्निर्धारण पर प्रावधान, विशेष कोविड–19 सामान्य प्रावधान शामिल हैं।

338.68 लाख रुपये के एनपीए खातों पर आकस्मिक शुल्क (डेबिट बैलेंस) पर प्रावधान को छोड़कर।

ध. चलनिधि कवरेज अनुपात पर प्रकटीकरणः–

आरबीआई ने 04 नवंबर, 2019 को गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और कोर निवेश कंपनियों के लिए चलनिधि जोखिम प्रबंधन ढांचे पर अंतिम दिशानिर्देश जारी किए हैं। उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार, एलसीआर की आवश्यकता सभी गैर–जमा लेने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी के लिए बाध्यकारी होगी, जिनका परिसंपत्ति आकार दिशा–निर्देशों में दी गई समय–सीमा के अनुसार, 1 दिसंबर, 2020 से 10,000 करोड़ और उससे अधिक, न्यूनतम एलसीआर 50 प्रतिशत होने के साथ, उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, जब तक कि यह 1 दिसंबर 2024 तक 100 प्रतिशत के आवश्यक स्तर तक नहीं पहुंच जाता।

इसके अलावा, एनबीएफसी को तिमाही आधार पर चलनिधि कवरेज अनुपात से संबंधित जानकारी का सार्वजनिक रूप से खुलासा करना आवश्यक है। तदनुसार, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी तिमाही–वित्तीय वर्ष 2021 के लिए इरेडा का चलनिधि कवरेज अनुपात पर प्रकटीकरण निम्नानुसार हैः

(लाख रुपए में)

उच्च गुणवत्ता चलनिधि परिसम्पत्तियां		तिमाही 1 (अप्रैल–जून 2020)		तिमाही 2 (जुलाई–सितंबर 2020)		तिमाही 3 (अक्टूबर–दिसंबर 2020)		तिमाही 4 (जनवरी–मार्च 2020)	
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
1	कुल उच्च गुणवत्ता चलनिधि परिसम्पत्तियां (एचक्यूएलए)	91,468.86	91,468.86	67,634.39	67,634.39	105,109.93	105,109.93	108,566.49	108,566.49
नकर बहिर्प्रवाह									
2	जमा राशियां (जमाराशि लेने वाली कंपनियां)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	अप्रत्याभूत थोक वित्तपोषण	5,017.94	5,770.63	2,431.83	2,796.60	5,130.22	5,899.75	2,103.86	2,419.44
4	प्रत्याभूत थोक वित्तपोषण	9,362.55	10,766.94	13,095.48	15,059.80	14,352.53	16,505.42	51,754.05	59,517.16
5	अतिरिक्त अपेक्षाएं, जिसमें से		-		-		-		-
(i)	डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह	4,988.24	5,736.47	2,931.54	3,371.27	3,164.37	3,639.03	3,229.96	3,714.45
(ii)	ऋण उत्पादों पर धन की हानि से संबंधित बहिर्वाह	-	-		-		-		-
(iii)	क्रेडिट और चलनिधि सुविधाएं		-	0.04	0.05		-		-
6	अन्य संविदागत वित्तपोषण दायित्व	861.48	990.71	4,212.80	4,844.72	1,968.05	2,263.26	2,036.68	2,342.19
7	अन्य आकस्मिक वित्तपोषण देनदारियां	-	-		-		-		-
8	कुल नकद बहिर्वाह	20,230.21	23,264.75	22,671.69	26,072.45	24,615.18	28,307.45	59,124.55	67,993.24
नकद अंतःप्रवाह									
9	प्रत्याभूत ऋण	7,734.57	5,800.93	29,489.35	22,117.02	45,300.82	33,975.62	77,967.08	58,475.31
10	पूर्ण निष्पादक एक्सपोजरों से अंतःप्रवाह	-	-		-		-		-
11	अन्य नकद अंतःप्रवाह		-		-		-		-
12	कुल नकद अंतःप्रवाह	7,734.57	5,800.93	29,489.35	22,117.02	45,300.82	33,975.62	77,967.08	58,475.31
			कुल समायोजित मूल्य	कुल समायोजित मूल्य	कुल समायोजित मूल्य	कुल समायोजित मूल्य	कुल समायोजित मूल्य	कुल समायोजित मूल्य	कुल समायोजित मूल्य

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

(लाख रुपए में)

	उच्च गुणवत्ता चलनिधि परिसम्पत्तियां	तिमाही 1 (अप्रैल–जून 2020)		तिमाही 2 (जुलाई–सितंबर 2020)		तिमाही 3 (अक्टूबर–दिसंबर 2020)		तिमाही 4 (जनवरी–मार्च 2020)	
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
13	कुल एचक्यूएलए		91,468.86		67,634.39		105,109.93		108,566.49
14	कुल निवल नकद बहिर्वाह		17,463.82		6,518.11		7,076.86		16,998.31
15	चलनिधि कवरेज अनुपात (%)		524%		1038%		1485%		639%

न. आरबीआई अधिनियम, 1943 के अनुसार तुलन पत्र के उद्धरण नीचे दिए गए हैं

इरेडा के तुलनपत्र की अनुसूची
(31.03.2021 को)

(लाख रुपए में)

	विवरण		बकाया राशि	अतिदेय राशि
देनदारियों का पक्ष				
1	**गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम, उस पर अर्जित किंतु अदत्त ब्याज सहित::**			
	(क)	डिबेंचरः प्रत्याभूत	734,850.76	-
		: अप्रत्याभूत	269,694.24	-
		(सार्वजनिक जमाराशियों के अभिप्राय के भीतर पड़ने वाले डिबेंचरों से भिन्न)		
	(ख)	आस्थगित क्रेडिट	-	-
	(ग)	आवधिक ऋण	1,317,311.24	-
	(घ)	अंतर–कॉरपोरेट ऋण और उधार राशियां	-	-
	(ड.)	वाणिज्यिक पत्र	-	-
	(च)	सार्वजनिक जमा राशियां	-	-
	(छ)	अन्य ऋण – ओवर ड्राफ्ट	46,015.70	
	(ज)	एफसीनआर (ख) मांग ऋण	71,257.72	-
2	**उपर्युक्त (1)(च) का ब्यौरा (बकाया सार्वजनिक जमा राशियां जिनमें उन पर उपचित किंतु अदत्त ब्याज शामिल है):**			
	(क)	अप्रत्याभूत डिबेंचरों के रूप में	-	-
	(ख)	आंशिक रूप से सुरक्षित डिबेंचर यानी डिबेंचर के रूप में जहां सुरक्षा के मूल्य में कमी है	-	-
	(ग)	अन्य सार्वजनिक जमा राशियां	-	-
परिसम्पत्ति पक्ष			**बकाया राशि**	
3	**प्राप्य बिलों सहित ऋणों और अग्रिमों का ब्यौरा [नीचे (4) में शामिल से भिन्न]::**			
	(क)	प्रत्याभूत		2,457,993.06
	(ख)	अप्रत्याभूत		326,042.81
4	**पट्टे पर दी गई आस्तियों और भाड़े पर स्टॉक और एएफसी गतिविधियों की गणना करने वाली अन्य संपत्तियों का ब्यौरा**			

	(i)	विविध देनदारों के तहत लीज रेंटल सहित लीज एसेट्स		
		(क)	वित्तीय लीज	-
		(ख)	प्रचालनिक लीज	-
	(ii)	विविध देनदारों के तहत किराया प्रभार सहित भाड़े पर स्टॉक:		
		(क)	भाड़े पर परिसम्पत्तियां	-
		(ख)	पुनःप्रसंस्कृत परिसम्पत्तियां	-
	(iii)	एएफसी गतिविधियों की ओर अन्य ऋण गणना		
		(क)	वे ऋण जहां परिसम्पत्तियां प्रसंस्कृत की गई हैं	-
		(ख)	उपर्युक्त (क) से अन्य ऋण	-
5	**निवेशों का ब्यौरा**			
	चालू निवेश			
	1.	उद्धृत		
		(i)	शेयर	
			(क) इक्विटी	-
			(ख) प्राथमिकता	-
		(ii)	डिबेंचर और बॉण्ड	-
		(iii)	म्यूचुअल निधियों की यूनिटें	-
		(iv)	सरकारी प्रतिभूतियां	-
		(v)	(कृपया विनिर्दिष्ट करें)	-
	2.	अनुद्धृत		
		(i)	शेयर	
			(ग) इक्विटी	-
			(घ) प्राथमिकता	-
		(ii)	डिबेंचर और बॉण्ड	-
		(iii)	म्यूचुअल निधियों की यूनिटें	-
		(iv)	सरकारी प्रतिभूतियां	-
		(v)	(कृपया विनिर्दिष्ट करें)	
		वाणिज्यिक पत्र (अक्षमता जिसके लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है)		6,899.11
	दीर्घावधिक निवेश			
	1.	उद्धृत		
	(i)	शेयर		
		(क)	इक्विटी	-
		(ख)	प्राथमिकता	-
	(ii)	डिबेंचर और बॉण्ड		-
	(iii)	म्यूचुअल निधियों की यूनिटें		-
	(iv)	सरकारी प्रतिभूतियां		-
	(v)	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		-

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

	2.	अनुद्धृत	
	(i)	शेयर	
		(क) इक्विटी	12.00
		(ख) प्राथमिकता	-
	(ii)	डिबेंचर और बॉण्ड	-
	(iii)	म्यूचुअल निधियों की यूनिटें	-
	(iv)	सरकारी प्रतिभूतियां	-
	(v)	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	-

ऊपर (3) और (4) के अनुसार वित्तपोषित आस्तियों का ऋणी समूह–वार वर्गीकरण

6	**श्रेणी**		**राशि (प्रावधानों का निवल) (लाख रुपए में)**		
			प्रत्याभूत	**अप्रत्याभूत**	**कुल**
	1	संबंधित पक्षकार			
		(क) अनुषंगियां	-	-	-
		(ख) एक ही समूह में कम्पनियां	-	-	-
		(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	11.95	-	11.95
	2	संबंधित पक्षकारों से अन्य	2,364,509.55	326,042.81	2,690,552.36
	कुल		**2,364,521.50**	**326,042.81**	**2,690,564.31**

7	**शेयरों और प्रतिभूतियों (उद्धृत और गैर–उद्धृत दोनों) में सभी निवेशों (वर्तमान और दीर्घकालिक) का निवेशक समूह–वार वर्गीकरणः**			
	श्रेणी		**बाजार मूल्य/ब्यौरा या उचित मूल्य या एनएवी**	**बही मूल्य (प्रावधानों का निवल)**
	1	संबंधित पक्षकार		
		(क) अनुषंगियां	-	-
		(ख) एक ही समूह में कम्पनियां	-	-
		(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	लागू नहीं	12.00
	2	संबंधित पक्षकारों से अन्य		
	कुल		**लागू नहीं**	**12.00**
8	**अन्य सूचना**			
	विवरण			**राशि (लाख रुपए में)**
	(i)	सकल गैर–निष्पादन परिसम्पत्तियां		
		(क) संबंधित पक्षकार		-
		(ख) संबंधित पक्षकारों से अन्य		244,155.27
	(ii)	निवल गैर–निष्पादन परिसम्पत्तियां		
		(क) संबंधित पक्षकार		-
		(ख) संबंधित पक्षकारों से अन्य		151,022.39
	(iii)	ऋण की संतुष्टि में अधिग्रहीत परिसम्पत्तियां		-

इरेडा के तुलनपत्र की अनुसूची
(31.03.2021 को)

(लाख रुपए में)

विवरण			बकाया राशि	अतिदेय राशि
देनदारियों का पक्ष				
1	**गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम, उस पर अर्जित किंतु अदत्त ब्याज सहित:**			
	(क)	डिबेंचरः प्रत्याभूत	750,562.03	-
		: अप्रत्याभूत	216,008.66	-
		(सार्वजनिक जमाराशियों के अभिप्राय के भीतर पड़ने वाले डिबेंचरों से भिन्न)		
	(ख)	आस्थगित क्रेडिट	-	-
	(ग)	आवधिक ऋण	1,258,153.16	-
	(घ)	अंतर–कॉरपोरेट ऋण और उधार राशियां	-	-
	(ड)	वाणिज्यिक पत्र	-	-
	(च)	सार्वजनिक जमा राशियां	-	-
	(छ)	अन्य ऋण – ओवर ड्राफ्ट	-	-
2	**उपर्युक्त (1)(च) का ब्यौरा (बकाया सार्वजनिक जमा राशियां जिनमें उन पर उपचित किंतु अदत्त ब्याज शामिल है):**			
	(क)	अप्रत्याभूत डिबेंचरों के रूप में	-	-
	(ख)	आंशिक रूप से सुरक्षित डिबेंचर यानी डिबेंचर के रूप में जहां सुरक्षा के मूल्य में कमी है	-	-
	(ग)	अन्य सार्वजनिक जमा राशियां	-	-
परिसम्पत्ति पक्ष				**बकाया राशि**
3	**प्राप्य बिलों सहित ऋणों और अग्रिमों का ब्यौरा [नीचे (4) में शामिल से भिन्न]:**			
	(क)	प्रत्याभूत		2,084,762.72
	(ख)	अप्रत्याभूत		286,672.52
4	**पट्टे पर दी गई आस्तियों और भाड़े पर स्टॉक और एएफसी गतिविधियों की गणना करने वाली अन्य संपत्तियों का ब्यौरा**			
	(i)	विविध देनदारों के तहत लीज रेंटल सहित लीज एसेट्स		
		(क) वित्तीय लीज		-
		(ख) प्रचालनिक लीज		-
	(ii)	विविध देनदारों के तहत किराया प्रभार सहित भाड़े पर स्टॉकः		
		(क) भाड़े पर परिसम्पत्तियां		-
		(ख) पुनःप्रसंस्कृत परिसम्पत्तियां		-
	(iii)	एएफसी गतिविधियों की ओर अन्य ऋण गणना		
		(क) वे ऋण जहां परिसम्पत्तियां प्रसंस्कृत की गई हैं		-
		(ख) उपर्युक्त (क) से अन्य ऋण		-
5	**निवेशों का ब्यौरा**			
	चालू निवेश			
	1.	उद्धृत		

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

		(i)	शेयर	
			(क) इक्विटी	-
			(ख) प्राथमिकता	-
		(ii)	डिबेंचर और बॉण्ड	-
		(iii)	म्यूचुअल निधियों की यूनिटें	-
		(iv)	सरकारी प्रतिभूतियां	-
		(v)	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	-
2.	अनुद्धृत			
		(i)	शेयर	
			(ग) इक्विटी	-
			(घ) प्राथमिकता	-
		(ii)	डिबेंचर और बॉण्ड	-
		(iii)	म्यूचुअल निधियों की यूनिटें	-
		(iv)	सरकारी प्रतिभूतियां	-
		(v)	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	
		अल्पावधिक जमा राशियां (उपचित ब्याज सहित)		50,646.27
		वाणिज्यिक पत्र (अक्षमता पूर्ण प्रावधान)		6,899.11
	दीर्घावधिक निवेश			
	1.	उद्धृत		
	(i)	शेयर		
		(क)	इक्विटी	-
		(ख)	प्राथमिकता	-
	(ii)	डिबेंचर और बॉण्ड		-
	(iii)	म्यूचुअल निधियों की यूनिटें		-
	(iv)	सरकारी प्रतिभूतियां		-
	(v)	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		-
	2.	अनुद्धृत		
	(i)	शेयर		
		(क)	इक्विटी	12.00
		(ख)	प्राथमिकता	-
	(ii)	डिबेंचर और बॉण्ड		-
	(iii)	म्यूचुअल निधियों की यूनिटें		-
	(iv)	सरकारी प्रतिभूतियां		-
	(v)	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		-

ऊपर (3) और (4) के अनुसार वित्तपोषित आस्तियों का ऋणी समूह–वार वर्गीकरण

6	श्रेणी		राशि (प्रावधानों का निवल) (लाख रुपए में)		
			प्रत्याभूत	अप्रत्याभूत	कुल
	1	संबंधित पक्षकार			
		(क) अनुषंगियां	-	-	-
		(ख) एक ही समूह में कम्पनियां	-	-	-
		(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	21.82	-	21.82
	2	संबंधित पक्षकारों से अन्य	2,011,074.34	286,672.52	2,297,746.86
	कुल		**2,011,096.16**	**286,672.52**	**2,297,768.68**

7	शेयरों और प्रतिभूतियों (उद्धृत और गैर–उद्धृत दोनों) में सभी निवेशों (वर्तमान और दीर्घकालिक) का निवेशक समूह–वार वर्गीकरण:			
	श्रेणी		**बाजार मूल्य/ब्यौरा या उचित मूल्य या एनएवी**	**बही मूल्य (प्रावधानों का निवल)**
	1	संबंधित पक्षकार		
		(क) अनुषंगियां	-	-
		(ख) एक ही समूह में कम्पनियां	-	-
		(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	लागू नहीं	12.00
	2	संबंधित पक्षकारों से अन्य	50,646.27	50,646.27
	कुल		**50,646.27**	**50,658.27**

8	अन्य सूचना		
	विवरण		**राशि (लाख रुपए में)**
	(i)	सकल गैर–निष्पादन परिसम्पत्तियां	
		(क) संबंधित पक्षकार	-
		(ख) संबंधित पक्षकारों से अन्य	237,300.16
	(ii)	निवल गैर–निष्पादन परिसम्पत्तियां	
		(क) संबंधित पक्षकार	-
		(ख) संबंधित पक्षकारों से अन्य	163,746.06
	(iii)	ऋण की संतुष्टि में अधिग्रहीत परिसम्पत्तियां	-

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

51. आंकड़े लाख में (शेयरों की संख्या को छोड़कर) निकटतम रुपये में पूर्णांकित किए जाते हैं। पिछले वर्ष के आँकड़ों को चालू वर्ष के आँकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया, पुनर्व्यवस्थित/पुनः समूहित किया गया है।

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते डीएसपी एंड एसोशिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आईसीएएआई पंजीकरण संख्या 006791N

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./–
संजय जैन
भागीदार
सदस्यता संख्या 084906

हस्ता./–
चिंतन नवीनभाई शाह
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन सं,. 07795952

हस्ता./–
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं, 07448576

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30.05.2021

हस्ता./–
डॉ. आर.सी. शर्मा
महाप्रबंधक (वित्त) और सीएफओ

हस्ता./–
सुरेंद्र सुयाल
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या A11900

31.03.2021 के अनुसार एमएनआरई फंड की स्थिति

क्र. सं.	कार्यक्रम क्षेत्र	बैलेंस दिनांक 01.04.2020 तक	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	वर्ष के दौरान ब्याज अर्जित किया	सेवा प्रभार पुर्नप्राप्त करने योग्य/ बैंक चार्जेज घटाए गए	वापसी की गई राशि	पास की गई राशि/ सब्सिडी दी गई	31.03.2021 को कुल फंड	31.03.2021 को बकाया ऋण	31.03.2021 को ब्याज बकाया	बैंक के साथ बैलेंस वर्तमान खाता और एफडी	इरेडा के साथ बैलेंस	कुल धन	कुल धन
1	एसपीवी. एमएफजी. लोन-(32046)	47,156,222	0	0	0	0	0	47,156,222	14,773,000	38,668,526	40,562	(6,325,867)	53,482,088	47,156,222
2	एसपीवी. यूएसईआर लोन (32290+32425+32045)	117,622,213	0	0	0	0		117,622,213	9,561,880	21,241,506	1,695,895	85,122,932	32,499,281	117,622,213
3	एसपीवी. यूएस सब्सिडी (32424+32044)	(84,805,257)	0	0	0	0	0	(84,805,257)	0	0	0	(84,805,257)	0	(84,805,257)
4	एसपीवी. बजार -(32142)	12,000	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000
5	सोलर थर्मल -(32081)	16,670,624	0		0	0	0	16,670,624	1,142,039	6,565,341	132,179	8,831,065	7,839,559	16,670,624
6	एसपीवी. यूएसईआरएस सब्सिडी-2002-2003-(32869)	(110)	0	0	0	0	0	(110)	0	0	34,458	(34,568)	34,458	(110)
7	एसपीवी. यूएसईआरएस सब्सिडी-2003-2004-(32968)	(220)	0	0	0	0	0	(220)	0	0	37,177	(37,397)	37,177	(220)
8	सीओ जनरल इंटरनेशनल सब्सिडी	21,501,324	0	0	0	0	0	21,501,324	0	0	0	21,501,324	0	21,501,324
9	सोलर थर्मल पर ब्याज सब्सिडी	3,952	0	0	0	0	0	3,952	0	0	0	3,952	0	3,952
10	एसपीवी यूएसईआर लोन 2000-01 -(32636) पर ब्याज सब्सिडी	(5,135,405)	0	0	0	0	0	(5,135,405)	0	0	0	(5,135,405)	0	(5,135,405)
11	एसपीवी यूएसईआर लोन 2001-02 पर ब्याज सब्सिडी	(13,602,787)	0	0	0	0	0	(13,602,787)	0	0	0	(13,602,787)	0	(13,602,787)
12	एसपीवी एमएफजी-(32591) पर ब्याज सब्सिडी	(296,898)	0	0	0	0	0	(296,898)	0	0	0	(296,898)	0	(296,898)
13	एसपीवी -99-2000 पर ब्याज सब्सिडी	(684,937)	0	0	0	0	0	(684,937)	0	0	0	(684,937)	0	(684,937)
14	एसपीवी -02-03 पर ब्याज सब्सिडी	(4,138,701)	0	0	0	0	0	(4,138,701)	0	0	0	(4,138,701)	0	(4,138,701)
15	लघु पनबिजली पर ब्याज सब्सिडी	182,677	0	0	0	0	0	182,677	0	0	0	182,677	0	182,677
	कुल	**94,484,698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94,484,698**	**25,476,919**	**66,475,373**	**1,940,272**	**592,134**	**93,892,564**	**94,484,698**








इरेडा
IREDA

आईएसओ 9001 : 2015, आईएसओ/आईईसी, 27001 : 2013 प्रमाणित

(एक मिनी रत्न श्रेणी-1 पीएसयू)

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

(भारत सरकार का प्रतिष्ठान)

पंजीकृत कार्यालय : प्रथम तल, कोर-4ए, ईस्ट कोर्ट, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

दूरभाष : 011-24682206-19 फैक्स : 91-11-24682202

कॉर्पोरेट कार्यालय : तीसरा तल, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

दूरभाष : 011-26717400 फैक्स : 91-11-26717416

वेबसाइट : **www.ireda.in**

Designed & Printed by : www.censer.in (Ph) 9810213218